भारतीय स्टेट बैंक

उद्यमशील बैंक।
चिरस्थायी उद्यम।

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

विषय सूची

1	सूचना
6	आपका एसबीआई
7	भारतीय स्टेट बैंक की उपलब्धिपूर्ण यात्रा
8	उद्यमशील बैंक। चिरस्थायी उद्यम।
20	एसबीआई समूह की संरचना
22	पिछले 10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन
23	रेटिंग
24	केंद्रीय निदेशक बोर्ड
26	बोर्ड की समितियां/केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य/स्थानीय बोर्डों के सदस्य/बैंक के लेखापरीक्षक
30	अध्यक्ष का संदेश
36	निदेशकों की रिपोर्ट
36	**(I) आर्थिक पृष्ठभूमि एवं बैंकिंग परिवेश**
38	**(II) वित्तीय निष्पादन**
40	**(III) प्रमुख परिचालन**
40	**रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग समूह**
40	वैयक्तिक बैंकिंग
43	एनी टाइम चैनल
47	लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई)
50	ग्रामीण बैंकिंग
51	एनबीएफसी गठबंधन
51	कार्यनीति
52	सरकारी व्यवसाय
54	लेनदेन बैंकिंग इकाई
54	ग्लोबल बैंकिंग
54	कॉरपोरेट लेखा समूह
55	राजकोषीय परिचालन
58	अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन
64	वाणिज्यिक ग्राहक समूह (सीसीजी)
64	परियोजना वित्त एवं पुनर्रचना कार्यनीतिक व्यवसाय इकाई
65	तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन
68	**(IV) सहायक एवं नियंत्रण परिचालन**
68	मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण
73	सूचना प्रौद्योगिकी
78	जोखिम प्रबंधन
81	आंतरिक नियंत्रण
83	राजभाषा
84	विपणन और संचार
85	सतर्कता
86	आस्ति एवं देयता प्रबंधन
87	सदाचार और व्यवसाय आचरण
87	कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व
91	**(V) अनुषंगियां**
100	**कॉरपोरेट अभिशासन**
126	**सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट**
131	**व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट**
132	**वित्तीय विवरणी, एकल संक्षिप्त तुलन पत्र, लाभ व हानि खाता और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट**
132	केवल भारतीय स्टेट बैंक (स्टैंड अलोन)
200	केवल भारतीय स्टेट बैंक (समेकित)
246	स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित)
272	ग्लोबल सिस्टेमिकली इम्पोरटेंट बैंक (G-SIBs) के निर्धारण संकेतकों से संबंधित प्रकटीकरण
273	**एक ग्रीन पहल शेयरधारक(कों) के उपयोग के लिये**

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 65 वीं वार्षिक महासभा "एसबीआई सभागार", स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 (महाराष्ट्र) में मंगलवार, 14 जुलाई, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

"भारतीय स्टेट बैंक के 31 मार्च 2020 तक के तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि खाता तथा भारतीय स्टेट बैंक के कार्य और कार्यकलाप पर केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट एवं तुलन-पत्र और लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना और उसे स्वीकार करना"।

कॉरपोरेट केंद्र
स्टेट बैंक भवन
मादाम कामा रोड
मुंबई - 400 021
दिनांकः 05 जून 2020

(रजनीश कुमार)
अध्यक्ष

वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम सुविधा के जरिए साधारण बैठक में हिस्सा लेने और दूर से ई-मतदान सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए मतदान करने के लिए अनुदेश

1. कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 8 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 14/2020, 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 17/2020 तथा 5 मई 2020 के परिपत्र क्रमांक 20/2020 (''एमसीए परिपत्र'') और उसके बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिनांक 12 मई 2020 के परिपत्र क्रमांक सेबी/एचओ/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 के अनुसार ईजीएम/एजीएम स्थल पर सदस्यों का प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है और वार्षिक महासभा (एजीएम) वीडियो कान्फरेंसिंग अथवा अन्य आडियो विजुअल माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए। बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुसरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः सदस्य आगामी वार्षिक महासभा में वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम पर उपस्थित होकर हिस्सा ले सकते हैं, जिसके लिए सदस्यों का एक ही जगह पर प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है। बैठक का अनुमत स्थान बैंक के कॉरपोरेट केंद्र का स्टेट बैंक सभागार होगा।

2. बैंक के सदस्यों को वीडियो कान्फरेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के कारण भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 34 में निर्धारित किए गए अनुसार प्रॉक्सी की नियुक्ति करने और सदस्यों की ओर से मतदान करने की सुविधा इस वार्षिक महासभा के लिए उपलब्ध नहीं है। तथापि भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 32 एवं 33 में निर्धारित किए गए अनुसार वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित होने और ई-मतदान के जरिए अपना मत देने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने हेतु निकाय कॉरपोरेट पात्र होंगे।

3. इस सूचना में उल्लिखित कार्यविधि का पालन करते हुए सदस्य वार्षिक महासभा शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से सभा में भाग ले सकते हैं। पहले आए, पहले पाए आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने की सुविधा दी जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% अथवा उससे अधिक की शेयरधारिता वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आए, पहले पाए की शर्त के बिना एजीएम में हिस्सा लेने की अनुमति है।

4. भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 24 के अंतर्गत कोरम के निर्धारण के प्रयोजन से वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की उपस्थिति मान्य होगी।

5. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) के विनियम 44 (यथा संशोधित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार बैंक वार्षिक महासभा की कार्यवाही में अपने सदस्यों को दूर से ई-मतदान की सुविधा दे रहा है। इसके लिए बैंक ने नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ प्राधिकृत एजेंसी के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा मुहैया कराने के लिए करार किया है। वार्षिक महासभा की तारीख अर्थात 14 जुलाई 2020 को सदस्यों के लिए दूरस्थ ई-मतदान व्यवस्था के इस्तेमाल और सभा स्थल पर मतदान करने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

6. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 17/2020 के अनुरूप वार्षिक महासभा आयोजित करने की सूचना बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर अपलोड की गई है। इस सूचना को स्टॉक एक्सचेंज यथा बीएसई लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर देखा जा सकता है और वार्षिक महासभा संबंधी सूचना एनएसडीएल (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

7. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वार्षिक महासभा का आयोजन वीसी/अन्य विजुअल माध्यम के जरिए किया जा रहा है। स्थितियाँ अनुकूल होने और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा वार्षिक महासभा के आयोजन के लिए अनुमति दिए जाने पर भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के अनुसार सभा आयोजित की जाएगी।

8. भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 7 के अनुसार संयुक्त धारकों के मामले में वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार सबसे पहले हो, वार्षिक महासभा में मतदान करने का पात्र होगा, बशर्ते कि मत दूर से ई-मतदान के जरिए न डाला जा चुका हो।

9. वे सदस्य जो वीसी के जरिए उपस्थित होना चाहते हैं और जो दूर से ई-मतदान नहीं करना चाहते हैं, उन्हें वार्षिक महासभा में ई-मतदान के जरिए मत देने की अनुमति दी जाएगी। .

सदस्यों के लिए दूर से ई-मतदान करने के अनुदेश नीचे दिए गए हैं:-

दूर से ई-मतदान की अवधि 10 जुलाई, 2020 को भारतीय समय के अनुसार प्रातः 10 बजे शुरू होगी और 13 जुलाई, 2020 को शाम 5 बजे समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा दूर से ई-मतदान मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार मतदान किए जाने के बाद मत को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उपर्युक्त अवधि के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 31 में निर्धारित तारीख को कागज रूप में अथवा कागजरहित रूप में शेयर रखने वाले बैंक के सदस्य दूर से ई-मतदान द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं।

एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली के इस्तेमाल से मैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकता/सकती हूँ

एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था का इस्तेमाल करके मतदान करने की प्रक्रिया ''दो चरण'' की है, जो नीचे दी गई है :

चरण 1 : https://www.evoting.nsdl.com/ पर एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली पर लॉग-इन करें

चरण 2 : एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करें

चरण 1 के विवरण नीचे दिए गए हैं:

एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली पर कैसे लॉग इन करें

1. एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट देखें। पर्सनल कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर https://www.evoting.nsdl.com/ यूआरएल टाइप कर वेब ब्राउजर खोलें।
2. ई-मतदान व्यवस्था का होम पेज आते ही "लॉग-इन" आइकॉन पर क्लिक करें, जो "शेयरहोल्डर्स" भाग में उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको स्क्रीन पर दर्शाए गए अनुसार अपना यूजर आईडी, पासवर्ड एवं वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा।

   आपने एनएसडीएल की ई-सेवाओं अर्थात आईडीईएएस के लिए पंजीकरण किया है, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएएस लॉग-इन से https://eservices.nsdl.com पर लॉग-इन कर सकते हैं। अपने लॉग-इन विवरण से एनएसडीएल की ई-सेवाओं पर लॉग-इन करते ही ई-मतदान पर क्लिक करें और आप चरण-2 के अनुसार अपना इलेक्ट्रॉनिक मतदान कर सकते हैं।

4. आपकी यूजर आईडी के विवरण नीचे दिए गए हैं :

शेयर किस रूप में हैं अर्थात कागज़रहित/डीमैट (एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल) अथवा कागज़ में	**आपका यूजर आईडी :**
क) वे सदस्य, जिनके शेयर एनएसडीएल में डीमैट खाते में हैं	8 कैरेक्टर डीपी आईडी उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक- आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12****** है, तो आपका यूज़र आईडी होगा IN300***12******
ख) वे सदस्य, जिनके शेयर सीडीएसएल में डीमैट खाते में हैं	16 अंकों का लाभार्थी का आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12********** है, तो आपका यूजर आईडी होगा 12**********
ग) कागज़ रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	सम संख्या उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए, यदि आपका फोलियो नंबर 001*** है और सम संख्या 101456 है तो यूजर आईडी होगा 101456001***

5. आपके पासवर्ड के विवरण नीचे दिए गए हैं :

   क) यदि आपने ई-मतदान के लिए पहले से ही पंजीकरण कराया है, तो आप लॉगइन करने के लिए वर्तमान पासवर्ड का इस्तेमाल कर अपना मतदान कर सकते हैं।

   ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको प्रारंभ में सूचित पासवर्ड को रिट्रीव करना होगा। प्रारंभिक पासवर्ड को रिट्रीव करते ही आपको प्रारंभिक पासवर्ड दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा।

   ग) अपने 'प्रारंभिक पासवर्ड' को कैसे रिट्रीव करें

   (i) यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते अथवा बैंक के पास पंजीकृत है, तो प्रारंभिक पासवर्ड की सूचना आपको आपके ई-मेल आईडी पर दी जाएगी। अपने मेल बॉक्स से एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को ढूंढ लें। ई-मेल खोलकर उसकी अटैचमेंट अर्थात पीडीएफ फाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, कागज रूप से धारित शेयरों के सीडीएसएल खाते का 8 अंकों का ग्राहक आईडी अथवा फोलियो नंबर ही पीडीएफ फाइल खोलने का पासवर्ड होगा। पीडीएफ फाइल में आपका यूजर आईडी और प्रारंभिक पासवर्ड होगा।

(ii) यदि आपका ई-मेल पंजीकृत नहीं है, तो नीचे ई-मेल पंजीकृत न करने वाले शेयरधारकों के लिए दिए गए चरणों का अनुसरण करें।

6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं अथवा वह आपको नहीं मिला है अथवा आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो :

   क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password" पर क्लिक करें। (यदि एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के डीमैट में आपके शेयर हैं)

   ख) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Physical User Reset Password" पर क्लिक करें। (यदि आपके शेयर कागज़ रूप में हैं)

   ग) उपर्युक्त दोनों विकल्पों के द्वारा पासवर्ड पाने में असमर्थ होने पर आप evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध अपने डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, पैन नंबर, नाम एवं पंजीकृत पते का विवरण देते हुए भेज सकते हैं।

   घ) एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था से मतदान करने के लिए सदस्य ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगइन का उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद "टर्म्स एंड कंडीशंस" का चयन करें और उनसे सहमत होने पर चैक बॉक्स में टिक का निशान लगाएँ।

8. अब आपको "लॉगइन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगइन" बटन पर क्लिक करने के बाद ई-मतदान का होम पेज खुलेगा।

चरण 2 की जानकारी नीचे दी गई है :

एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था पर कैसे अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर दें

1. चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद आप ई-मतदान का होम पेज देख पाएंगे। ई-मतदान पर क्लिक करें। उसके बाद एक्टिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करें।

2. एक्टिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करने के बाद आप उन सभी "ईवीईएन" कंपनियों को देख पाएंगे, जिनके शेयर आपके पास हैं और जिनकी वोटिंग साइकल एक्टिव स्टेटस में है।

3. बैंक के "ईवीईएन" का चयन करें, जिसे आप अपना मत देना चाहते हैं।

4. वोटिंग पेज खुल जाने पर आप ई-मतदान के लिए तैयार हैं।

5. उपयुक्त विकल्प अर्थात एसेंट अथवा डिसेन्ट, का चयन कर, उन शेयरों की संख्या की जांच/संशोधन करें जिनके लिए आप अपना मत देना चाहते हैं, अपना मत दें, और "सबमिट" पर क्लिक करें। कहे जाने पर "कनफर्म" पर भी क्लिक करें।

6. पुष्टि के बाद "सफलतापूर्वक मतदान किया गया" संदेश दिखाई देगा।

7. कनफर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प को क्लिक कर आप अपने मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

8. रिसोल्यूशन पर अपने मतदान की पुष्टि के बाद आपको अपने मतदान में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्ति, हिंदू अविभाज्य परिवार, अनिवासी भारतीय आदि से भिन्न) से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदान करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के नमूना हस्ताक्षर से विधिवत सत्यापित संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्केन की हुई प्रति संवीक्षक (Scrutinizer) को info@mehta-mehta.com पर मेल से भेज दें। इसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को भी भेज दें।

2. आपको हिदायत दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पाँच असफल प्रयासों के बाद ई-मतदान के लॉगइन को डिसेबल कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको www.evoting.nsdl.com पर पासवर्ड रीसेट करने के लिए उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password" अथवा "Physical User Reset Password" का चयन करना होगा।

3. संदेह होने पर आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड भाग में उपलब्ध शेयरधारकों द्वारा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न तथा शेयरधारकों के ई-मतदान यूजर मैनुअल को देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर फोन कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in अथवा amitv@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर श्री अमित विशाल, सीनियर मैनेजर अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, मैनेजर, एनएसडीएल को अपना अनुरोध भेज सकते हैं अथवा टेलीफोन नंबर +91-22-24994360 अथवा +91-9920264780 अथवा +91-22-24994545 पर फोन कर सकते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए मतदान से संबंधित शिकायतों का समाधान भी करेंगे।

यूज़र आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने और इस सूचना में दिए गए संकल्प के ई-मतदान हेतु ई-मेल के पंजीकरण के लिए डिपॉजिटरियों के साथ अपना ई-मेल पंजीकृत न कराने वाले शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया:

1. शेयर कागज़ रूप में होने पर कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति) ईमेल से investor.complaints@sbi.co.in को भेज दें।

2. शेयर कागजरहित रूप में होने पर कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी अथवा 16 अंक वाला लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति) ईमेल से investor.complaints@sbi.co.in को भेज दें।

3. वैकल्पिक रूप से सदस्य बिंदु (1) अथवा (2), जैसी भी स्थिति हो, में उल्लिखित विवरण उपलब्ध कराकर यूज़र आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं।

वार्षिक महासभा के दिन ई-मतदान करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं-

1. वार्षिक महासभा के दिन ई-मतदान करने की कार्यविधि ऊपर दूर से ई-मतदान करने के लिए उल्लिखित अनुदेशों के समान ही है।

2. वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम सुविधा के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित होने वाले सदस्य/शेयरधारक एवं जिन्होंने दूर से ई-मतदान के जरिए संकल्प पर अपना मतदान नहीं किया है तथा जिन्हें ऐसा करने से अन्यथा विवर्जित न किया गया हो, महासभा में ई-मतदान के जरिए मतदान करने के पात्र होंगे। सदस्य भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 31 के अनुसार मतदान करने के पात्र होंगे।

3. दूर से ई-मतदान करने वाले सदस्य वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने के पात्र होंगे। परंतु वे वार्षिक महासभा के दिन मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

4. वार्षिक महासभा के दिन ई-मतदान करने की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का पता आदि वही होगा, जो दूर से ई-मतदान के लिए दिया गया है।

5. बैंक को प्रत्यक्ष रूप से वार्षिक महासभा आयोजित करने की अनुमति मिल जाने पर उन सदस्यों को टैबलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा दी जाएगी, जिन्होंने इससे पहले दूर से ई-मतदान नहीं किया है।

वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश नीचे दिए गए हैं:

1. एनएसडीएल ई-मतदान व्यवस्था के जरिए वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने की सुविधा सदस्य को दी जाएगी। दूर से मतदान के विवरण दर्ज कर शेयरधारक/सदस्यों के लॉगइन के तहत https://www.evoting.nsdl.com पर भी सदस्य यह सुविधा पा सकते हैं। शेयरधारक/सदस्यों के लॉगइन के तहत वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम का लिंक उपलब्ध है, जहां बैंक के ईवीईएन की जानकारी दी गई है। कृपया नोट कर लें कि वे सदस्य जिनके पास ई-मतदान का आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, सूचना में दूर से ई-मतदान करने के अनुदेशों का पालन कर अपने आईडी और पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं, जिससे ऐन समय पर भागदौड़ न करनी पड़े। इसके अलावा सदस्य एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था पर लॉगइन के लिए ओटीपी आधारित लॉगइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्यों को लैपटॉप के जरिए सभा से जुड़ने की सलाह दी जाती है।

3. सभा के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए सदस्यों को अच्छी स्पीड वाले इन्टरनेट का इस्तेमाल करना होगा।

4. कृपया नोट कर लें कि मोबाइल डिवाइस अथवा टैबलेट अथवा लैपटॉप से मोबाइल हॉटस्पाट से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क के बार बार बंद होते रहने पर आडियो/वीडियो सुविधा भी रुक सकती है। इसलिए उपर्युक्त किसी प्रकार की अड़चन की संभावना को कम करने के लिए स्टेबल वाई-फाई अथवा लाइन कनेक्शन इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता है।

5. वार्षिक महासभा के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने के लिए इच्छुक शेयरधारक वक्ता के रूप में पंजीकारण करवा सकते हैं। वे 14 जुलाई 2020 को प्रातः 11.00 बजे वार्षिक महासभा शुरू होने से पहले अपना नाम, डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपना अनुरोध investor.complaints@sbi.co.in को भेज सकते हैं।

6. वक्ता के रूप में पंजीकृत कराने वाले शेयरधारकों को ही अपने विचार बताने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी। इनका उपयुक्त उत्तर बैंक द्वारा दिया जाएगा।

मतदान अधिकारों का निर्धारण :- भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 11 में दिए गए प्रावधानों के अध्यधीन वार्षिक महासभा की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए इस सभा में एक वोट देने का अधिकार होगा। प्रत्येक शेयरधारक (केंद्र सरकार से भिन्न) जो उपर्युक्त अनुसार मतदान करने के पात्र हैं, को ऐसी सभा की तारीख से पहले तीन महीने की अवधि अर्थात 13.04.2020 तक धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए एक वोट देने का अधिकार होगा।

संवीक्षक (Scrutinizer) वार्षिक महासभा में मतदान के तुरंत बाद, सर्वप्रथम वार्षिक महासभा के दौरान डाले गए मतों की गिनती करेगा, उसके बाद ई-मतदान से डाले गए मतों को अनब्लॉक करेगा। वार्षिक महासभा की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर पक्ष अथवा विपक्ष में डाले गए कुल वोटों पर संवीक्षक (Scrutinizer) की समेकित रिपोर्ट अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी, जो इस पर प्रति हस्ताक्षर (काउंटर साइन) करेगा।

संवीक्षक (Scrutinizer) रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरंत बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in एवं एनएसडीएल की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके साथ ही बैंक परिणाम को नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बीएसई लिमिटेड, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, को भेज दिया जाएगा।

(रजनीश कुमार)
अध्यक्ष

कॉरपोरेट केंद्र,
स्टेट बैंक भवन,
मादाम कामा रोड,
मुंबई - 400 021

आपका एसबीआई

भारतीय स्टेट बैंक 200 वर्षों से अधिक की गौरवशाली परंपरा वाला एक भारतीय बहुराष्ट्रीय, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंकिंग और वित्तीय सेवा संगठन है, जिसका गठन भारत के संविधान के तहत किया गया है। जन जन का हित भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य कारोबार का अभिन्न अंग रहा है। बैंक के पास विशिष्ट उत्पादों और सेवाओं का एक मजबूत पोर्टफोलियो है, और वह उन्हें व्यक्तिगत और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ वितरित और प्रबंध करने के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।

भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, जहाँ बैंक की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं को रूपाकार मिलता है। इसकी परिकल्पना व्यक्तिगत ग्राहकों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, बड़े कॉरपोरेटों, सार्वजनिक निकायों और संस्थागत ग्राहकों सभी को ध्यान में रखकर की जाती है। इन्हें ये सेवाएं देने का काम करती हैं बैंक की देश-विदेश में फैली हजारों शाखाएं, ग्राहक सेवा केंद्र, संयुक्त उद्यम और सहायक तथा सहयोगी कंपनियाँ। बैंक परिवर्तनों को अंगीकार करने में सबसे आगे रहा है। इस प्रक्रिया में सेवा, पारदर्शिता, सदाचार, शिष्टता तथा निरंतरता के उसके मूल्यों ने सदैव इसका पथ प्रशस्त किया है।

लक्ष्य

अग्रसर भारत का सर्वप्रिय बैंक बनना।

ध्येय

सरल, उत्तरदायी और अभिनव वित्तीय समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध।

मूल्य

– सेवा
– पारदर्शिता
– सदाचार
– शिष्टता
– निरंतरता

हमारी सेवाएँ

वैयक्तिक बैंकिंग

एसबीआई विभिन्न प्रकार के ऋण उत्पादों, वेतन पैकेजों, डिजिटल ऋणों, एनआरआई व्यवसाय और वेल्थ मैनेजमेंट सेवाओं के माध्यम से परिपूर्ण वैयक्तिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है।

36 लाख
एसबीआई होम लोन ग्राहक

एसएमई बैंकिंग

एसबीआई एसएमई वित्तपोषण में बाजार का नेतृत्व करता है। हम उच्च गुणवत्ता वाली ग्राहक सेवाएं सुनिश्चित करते हुए अपने एसएमई ग्राहकों को सरल और अभिनव वित्तीय समाधान प्रदान करते हैं।

₹2,67,614 करोड़
कुल एसएमई ऋण राशि

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह

एसबीआई भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग का अग्रणी है। आईबीजी व्यवसाय समूह विभिन्न क्षेत्रों में अपने विशेष संप्रभागों के माध्यम से उद्योग परिदृश्य को बदलने में निरंतर योगदान देता है।

233 कार्यालय
सभी समय क्षेत्रों में उपस्थिति

ग्रामीण बैंकिंग

एसबीआई वित्तीय समावेशन सूक्ष्म ऋणों, कृषि व्यवसाय के उत्पादों के माध्यम से भारत के ग्रामीण नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करता है।

1.42 करोड़
एसबीआई के कृषक ग्राहक

सरकारी बैंकिंग

एसबीआई सरकारी व्यवसाय में बाजार में सबसे आगे है। यह भारत सरकार द्वारा की गई ई-गवर्नेंस पहलों में महत्वपूर्ण योगदान देता है और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए ई-समाधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

₹52,62,643 करोड़
कुल सरकारी व्यवसाय की राशि

कॉरपोरेट बैंकिंग

भारतीय स्टेट बैंक में, कॉरपोरेट खाता समूह की प्रत्येक शाखा में सभी सेवाएं उपलब्ध हैं, जो विशेष रूप से देश के प्रमुख शीर्ष कॉरपोरेटों और नवरत्न पीएसयू को विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है।

₹8,44,215 करोड़
कुल कॉरपोरेट ऋण की राशि

निवेश

हमारी अनुषंगी एसबीआई कार्ड ने 2020 में अपना आईपीओ निर्गम जारी किया था। कंपनी भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता है जिसे उद्योग की अच्छी समझ है तथा विकास और लाभप्रदता का चिरपरीक्षित अनुभव है।

27.40%
एसबीआई कार्ड द्वारा इक्विटी पर प्रतिलाभ

भारतीय स्टेट बैंक की उपलब्धिपूर्ण यात्रा

जमाराशियों, अग्रिमों, ग्राहकों तथा ग्राहक सेवा केंद्रों की संख्या में हम भारत के सबसे बड़े बैंक हैं।

44.89 करोड़
ग्राहक

बाजार अंश
22.84%
जमाराशियां

बाजार अंश
19.69%
अग्रिम

22,141
कुल शाखाएँ

58,555
देश भर में एटीएम, सीडीएम और रीसाइकलर

61,102
व्यवसाय प्रतिनिधि सेवा

91%
वैकल्पिक चैनल लेनदेन का हिस्सा

13.43%
पीओएस की संख्या में बाजार में हिस्सा

29.42%
डेबिट कार्ड खर्च में बाजार में हिस्सा

15.53 करोड़
वित्तीय समावेशन खाते

₹2,27,469 करोड़
वित्तीय समावेशन लेनदेनों की राशि

49.29 करोड़
वित्तीय समावेशन लेनदेन बीसी चैनल के माध्यम से

होम लोन्स

(₹ करोड़)

↑ 13.85%

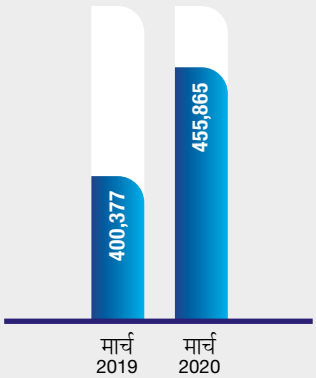

ऑटो लोन्स

(₹ करोड़)

↑ 1.08%

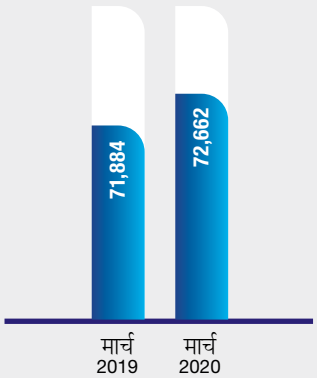

अन्य पर्सनल लोन्स

(₹ करोड़)

↑ 24.76%

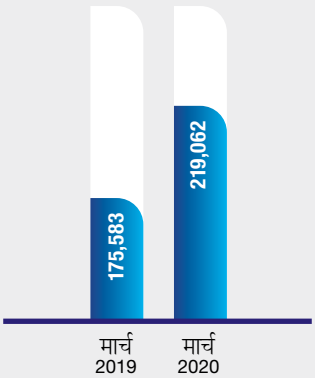

देशीय निवल ब्याज मार्जिन

(%)

↑ 24 bps

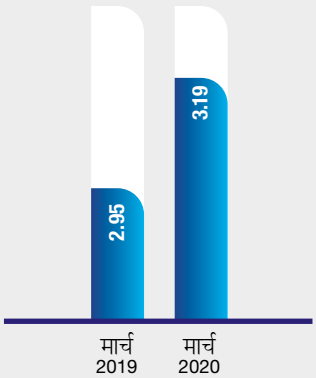

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20
भारतीय स्टेट बैंक

उद्यमशील बैंक।
चिरस्थायी उद्यम।

प्रगतिशील भारत डिजिटल रूप से उन्नत है। देश में तेजी से नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी अंगीकरण होता देखा जा सकता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है। एसबीआई भी अपने तकनीकी विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। यह खुद को इस दौड़ में आगे रखे हुए है। अनेक प्रकार के डिजिटल-चैनल प्लेटफार्मों में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। हम अपने आप को प्रौद्योगिकी समर्थित डिजिटलीकृत संगठन में बदलने की दिशा में प्रतिबद्ध हैं और हमने काउंटर के पीछे के कामकाज को भी डिजिटलीकृत कर लिया है।

एसबीआई, प्रगतिशील भारत का एक सशक्त भागीदार बनने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य अपने ग्राहकों को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने में निरंतर मदद करना है। उनकी दैनिक बैंकिंग को उत्तरोत्तर सहज, आसान और सुरक्षित करते जा रहे हैं। हर भारतीय के बैंकर के रूप में हम डिजिटल बैंकिंग में सबसे आगे रहने के नए नए तरीकों पर शोध और इसका विस्तार भी करते रहेंगे। समय बीतने के साथ, हम समाज को और विकसित करने और उसे और अधिक उन्नत बनाने में प्रौद्योगिकी की अहमियत को समझते हैं। इसलिए, हम कभी भी और कहीं भी निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के अपने डिजिटल बैंकिंग प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं।

हमारा मानना है कि जन-जन के बैंक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित ग्राहकों की छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करें। हमारा उद्देश्य, हर भारतीय का भरोसेमंद और सबसे पसंदीदा बैंक बनना है। हम पहले से ही अपने खुदरा, कॉरपोरेट और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ग्राहकों में से प्रत्येक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हर स्तर पर, एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए व्यावहारिक समाधान और उपाय खोजने में हम अभिनव और सक्रिय प्रयास करते रहेंगे।

पिछले कुछ वर्षों से हम परिसंपत्तियों पर अपना प्रतिलाभ बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। हर मोड़ पर, हमने हमेशा उद्योग उत्कृष्टता प्रतिमानों को पार करने का लक्ष्य अपने सामने रखा है, ताकि हम बैंक के ऋण कारोबार, लाभप्रदता, परिसंपत्ति गुणवत्ता की स्थिति को बेहतर बना सकें और त्वरित पूंजी सृजन कर सकें।

भारत का सबसे पुराना बैंक होने के कारण एसबीआई प्रत्येक व्यवसाय इकाई के प्रमुख परिचालन लाभ के परम लक्ष्यों को पूरा करने में निरंतर प्रयासरत रहा है और भारत के विकास और सफलता के प्रयासों को गति देने में सबसे आगे बना हुआ है। भविष्य में भी हम एक संवेदनशील बैंकर होने के कारण अपनी समग्र बैलेंस शीट को मजबूत बनाने की यात्रा में अविचल प्रयास करते रहेंगे।

आज वैश्विक महामारी के उत्पन्न होने के कारण दुनिया रुक सी गई है। हालांकि, दुनिया भर की सरकारें स्थिति से निपटने के लिए दृढ निश्चय और पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रसायरत हैं। वैश्विक एकजुटता के इस समय में भारत भी अन्य देशों का समर्थन करते हुए आगे खड़ा है, जबकि हिम्मत से खुद को ठीक रखने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम उस समय में हैं जब हम जो काम कर रहे हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है।

हमारी उत्तरदायित्वपूर्ण बैंकिंग की 214 वर्षों की विरासत में, हम भारत को गतिशील बनाए रखने में मदद करने में सब कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस देश के एक अग्रणी वित्तीय संस्थान के रूप में, हम हर भारतीय का एक संवेदनशील बैंकर बनने के लिए भी कृतसंकल्प हैं। हमारा निरंतर लक्ष्य रहेगा कि हम अपने ग्राहकों, हितधारकों और सहयोगियों को निर्बाध बैंकिंग समाधान प्रदान करते रहें। दुनिया भर के हजारों हजार

उद्यमशील और समर्पित एसबीआई कर्मियों द्वारा इसे संभव बनाया गया है, जो हमारी सेवाओं को जारी रखने और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं।

हम अपने शेयरधारकों को उनके निवेश का बेहतर मूल्य देने, ग्राहक सेवा और आर्थिक विकास पर हमारा निरंतर ध्यान है और यही एसबीआई को **उद्यमशील बैंक** बनाता है। इसके अलावा, भारत में बैंकिंग उद्योग का नेतृत्व करने का उत्तरदायित्व हमें एक **चिरस्थायी उद्यम** बनाता है।

वार्षिक रिपोर्ट 2020 को ऑनलाईन पढ़ने के लिए *https://sbi.co.in* पर जाए

हम भविष्य के लिए तैयार बैंक के निर्माण में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत में डिजिटल भुगतानों का परिदृश्य त्वरित दर से विकसित हो रहा है, और हम अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के माध्यम से भारत को अग्रसर रखने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

yono SBI

~46+ मिलियन
योनो का कुल डाउनलोड

~21+ मिलियन
कुल योनो पंजीकरण

29.42%
डेबिट कार्ड खर्चों में बाजार अंश

"योनो की विशेषता यह है कि वह जीवन शैली और बैंकिंग लेनदेन दोनों की पेशकश करने की क्षमता रखता है। यह एक वित्तीय सुपरस्टोर है जिसमें हमारे और कई संयुक्त उद्यम भागीदारों के माध्यम से कुल 31+ उत्पाद तथा 40+ सेवाएँ उपलब्ध हैं।"

"तेजी से डिजिटलीकरण को अपनाने के कारण हमें अपनी लागत को कम करने में मदद मिली है, जिससे हमारी लाभप्रदता बेहतर हुई है।"

आज, कई डिजिटल चैनलों के बाज़ार में हमारी प्रमुख हिस्सेदारी है । हमारा ध्वजवाहक सर्वसेवा संपन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म, योनो लाखों खुदरा ग्राहकों को अत्याधुनिक डिजिटल सेवाएं देने की हमारी जबरदस्त क्षमता का प्रमाण है। बैंकिंग सेवाओं के लिए अधिक से अधिक संख्या में वे हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने का विकल्प चुन रहे हैं और योनो निर्बाध रूप से हमें उनके साथ जोड़ रहा है। हमें यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 31 मार्च 2020 तक, योनो ने 46+ मिलियन डाउनलोड और 21 + मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। योनो की विशेषता यह है कि वह जीवन शैली और बैंकिंग लेनदेन दोनों की पेशकश करने की क्षमता रखता है। यह एक वित्तीय सुपरस्टोर है जिसमें हमारे और कई संयुक्त उद्यम भागीदारों के माध्यम से कुल 31 + उत्पाद तथा 40 + सेवाएँ उपलब्ध हैं। अधिकाधिक ग्राहकों को इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, हमने अपने खुदरा ग्राहकों के लिए एक मोबाइल बैंकिंग ऐप भी तैयार किया है, जिसे 'योनो लाइट' कहा जाता है। हमारे विविध ग्राहक आधार की सेवा के लिए, यह ऐप अंग्रेजी के अलावा आठ क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। योनो के अलावा, हमने एकल स्वामित्व वाली इकाइयों के ऑनलाइन लेनदेन के लिए 'एसबीआई एनिवेअर कॉरपोरेट' भी शुरू किया है।

इसके अलावा, हमने ग्राहकों द्वारा डेबिट कार्ड के उपयोग को एटीएमों से हटाकर, पीओएस टर्मिनलों और ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। हमने एनसीएमसी के अनुरूप रुपे कार्ड, रुपे जेसीबी (अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं के लिए), भूटान में उपयोग के लिए रुपे कार्ड और प्रमुख ग्राहकों के लिए मास्टरकार्ड वर्ल्ड जैसे विभिन्न प्रकार के डेबिट कार्ड शुरू किए हैं। इन पहलों ने कुल डेबिट कार्ड खर्च में हमारी हिस्सेदारी में बढ़ोतरी के कारण हमें अग्रणी बनाया है, जो समीक्षाधीन वित्त वर्ष के लिए 29.42% के उच्च स्तर पर है। 31 मार्च 2020 तक हमारे लगभग 27.81 करोड़ सक्रिय डेबिट कार्ड और देश में डेबिट कार्ड जारी करने में भी हम अग्रणी बने हुए हैं।

'कम नकदी' अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत सरकार के उद्देश्य के अनुरूप, हमने देश भर में अपने डिजिटल उपस्थिति का विस्तार किया है। इस उद्देश्य के लिए, हमने महत्वपूर्ण कॉरपोरेट और सरकारी विभागों के साथ उनके परिचालनों को नकदी से डिजिटल माध्यम पर लाने के लिए गठजोड़ किया है। हमने थर्ड पार्टी प्रॉडक्ट्स की बिक्री के लिए डिजिटल सफर भी शुरू किया है। डिजिटलीकरण के आगमन ने आवश्यकता आधारित बिक्री को मजबूत किया है और हमारे ग्राहकों की हमारे साथ बने रहने की स्थिति में सुधार आया है। एसबीआईएमएफ और एसबीआई लाइफ के मामले में, क्रमशः 100% और 98% बिक्री डिजिटल रूप से की जाती हैं।

प्रतिलाभ के अधिकतमकरण पर विशेष ध्यान देने वाले बैंक के रूप में, एसबीआई अपने व्यवसाय को नई ऊँचाइयों पर ले जाने, बेहतर नियंत्रित और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए प्रयासरत है। तेजी से डिजिटलीकरण को अपनाने के कारण हमें अपनी लागत को कम करने में मदद मिली है, जिससे हमारी लाभप्रदता में वृद्धि हुई है। हम अपनी डिजिटल यात्रा को और भी अधिक तेज करने का प्रयास करते हुए और नवोन्मेष को अपनाकर, लाखों ग्राहकों के बीच उसका प्रसार बढ़ाकर अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

अग्रणी डिजिटल बैंक

प्रौद्योगिकी

एसबीआई तेजी से डिजिटलीकृत हो रहे भारत को अपनी सेवाएं देने के लिए डिजिटल अंगीकरण अभियान का नेतृत्व कर रहा है

भारतीय स्टेट बैंक में, हम अपने ग्राहकों को हर कार्यकलाप का केंद्रबिंदु मानते हैं। हम उन्हें ध्यान से सुनते हैं और उनकी उत्तरोत्तर बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं को उनके अनुकूल बनाते हैं। बाजार में अपने श्रेष्ठ नेतृत्व के स्थान के साथ, हम लगातार ग्राहक सेवा और अनुभव में सर्वोच्च स्थान में बने रहने के लिए प्रयासरत हैं।

सेवाभाव में अग्रणी

सेवाभाव

ग्राहक सेवा तथा अनुभव में सर्वोच्च

हमारे ग्राहक विविध आकार-प्रकार के हैं। जहाँ एक ओर हम छोटे और बड़े वैश्विक ग्राहकों की सभी बैंकिंग जरूरतों की पूर्ति करते हैं, वही दूसरी ओर हम पूरे भारत में कृषि और लघु और मध्यम आकार के व्यवसायों की सेवा करते हैं, उन्हें वित्तपोषण के विकल्प और फलने-फूलने के लिए आवश्यक समाधान प्रदान करते हैं। हम भारत की तेजी से बढ़ती मध्यम वर्ग की आबादी को उनकी विभिन्न व्यक्तिगत वित्तीय जरूरतों के लिए सेवाएं देते हैं।

गतिशील ग्राहक वरीयताओं, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के, तथा वर्धित ग्राहक सुविधा पर ध्यान के कारण खुदरा बैंकिंग परिदृश्य बदल रहा है। रिटेल और डिजिटल बैंकिंग समूह हमारा सबसे बड़ा व्यवसाय समूह है जिसमें 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार हमारी कुल घरेलू जमाराशियों का 94.31% और कुल घरेलू अग्रिमों का 58.14% इस समूह के पास है। गृह ऋण खंड में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बीच

> *"हालही के वर्षों में, हमने कई डिजिटल पहल शुरू की हैं जिससे हमारे ग्राहकों के बैंकिंग अनुभव को फिर से परिभाषित किया है। आज, हमारे पास एक सुसंचालित मल्टी-चैनल डिलीवरी मॉडल है, जो हमारे ग्राहकों को एक व्यापक विकल्प प्रदान करता है कि वे किसी भी समय और किसी भी स्थान पर अपने लेनदेन को कैसे पूरा कर सकते हैं।"*

30.80% की बाजार हिस्सेदारी के साथ हम पहले से ही अग्रणी हैं। इसके अलावा, हमने कई नई गतिविधियां शुरू की हैं, जैसे कि हमारे गृह ऋण ग्राहकों के लिए एक समेकित प्रोसेसिंग शुल्क की शुरुआत और डिजिटलीकृत विक्रेता सत्यापन मॉड्यूल, जिससे हमें तेजी से सत्यापन में मदद मिलेगी। हमारे सभी प्रयास निरंतर वृद्धि सहित भारतीय स्टेट बैंक को गृह ऋण उत्पादों के लिए 'ग्राहकों का पसंदीदा' बैंक बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। आज, हमारे पास 36 लाख संतुष्ट गृह ऋण ग्राहक हैं, और प्रत्येक दिन इसमें वृद्धि हो रही है।

हम प्रौद्योगिकी चालित नवोन्मेषों की एक सतत धारा के साथ डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में सबसे आगे बने हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में, हमने कई डिजिटल पहल की हैं जिन्होंने हमारे ग्राहकों के बैंकिंग अनुभव को पहले की तुलना में बेहतर किया है। आज, हमारे पास एक सुस्थापित बहुमाध्यम सेवाप्रदायगी मॉडल है, जो हमारे ग्राहकों को एक व्यापक विकल्प प्रदान करता है कि वे किसी भी समय और किसी भी स्थान पर अपने लेनदेन कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2020 में, हमने अपने उत्पादों और सेवाओं की निर्बाध प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए कई चैनलों- डिजिटल, मोबाइल, एटीएम, इंटरनेट, सोशल मीडिया और हमारी शाखाओं में अपने उत्पादों को बढ़ाया है।

कृषि वित्तपोषण के क्षेत्र में,भारतीय स्टेट बैंक अग्रणी और बाजार नेतृत्वकर्ता है। 'खेत से थाली' तक, हमारे पास कृषि अर्थव्यवस्था की पूरी मूल्य श्रृंखला के भीतर आनेवाली सभी जरूरतों के लिए वित्तपोषण का समाधान है। इसी प्रकार, हम लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को भारत के सकल घरेलू उत्पाद में उनके योगदान और अर्थव्यवस्था के विकास में उनकी भूमिका के कारण हमारे व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण खंड मानते हैं। अग्रसर भारत को आगे बनाए रखने में मदद करने के लिए, हमने शाखा नेटवर्क और अन्य तृतीय पक्ष चैनलों के माध्यम से उद्योग के भीतर देश भर में सबसे अधिक संख्या में संपर्क केंद्र स्थापित किए हैं। एसएमई के लिए कारोबार सरलता को बढ़ाने के लिए हमने एसेट मैनेजमेंट टीम्स (एएमटी) गठित करके एक नया डिलिवरी मॉडल शुरू किया है, ताकि हम 50 लाख रुपये के तहत लोन लेने वाले ग्राहकों के साथ शुरू से अंत तक संबंध बनाए रख सकें। इस क्षेत्र में कार्यबल की गुणवत्ता को मजबूत और बेहतर बनाकर, हमने एसएमई के लिए अपने सेवा स्तर में काफी सुधार किया है।

एसबीआई फ्रैंचाइजी में हमारे ग्राहकों का विश्वास प्रत्येक ग्राहक के साथ हमारे संबंधों का दायरा बढ़ाने के लिए आधारभूत है। एक सशक्त बैंक के रूप में, हम क्रॉस-सेलिंग के मूल्य को समझते हैं और हमारे मौजूदा ग्राहक आधार का एक बड़ा वॉलेट-शेयर प्राप्त कर रहे हैं। हमारे ग्राहकों को भी एक ही छत के नीचे वित्तीय समाधान के असंख्य विकल्प की सुविधा मिलती है। देश के कोने-कोने में स्थित हमारे विशाल शाखा नेटवर्क के माध्यम से, वे म्यूचुअल फंड, साधारण बीमा, जीवन बीमा, क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और डीमैट खातों जैसे कई वित्तीय समाधानों को प्राप्त कर सकते हैं।

निर्बाध सेवा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, हमने एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) स्थापित की है, जिसपर हमारे ग्राहक हमारी वेबसाइट, www.sbi.co.in के माध्यम से ऑनलाइन अपनी शिकायत, प्रतिक्रिया और सुझाव दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, हमारे संपर्क केंद्र विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 24 *7 * 365 कार्य कर रहे हैं, जो हमारे ग्राहकों को हिंदी, अंग्रेजी और दस अन्य प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में सेवा देते हैं। बेहतर ग्राहक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए हमने अपने नियमित संपर्क केंद्रों के दायरे से बाहर के किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए अपने कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक संपर्क केंद्र भी स्थापित किया है।

अपनी ख्याति पर संतोष करके बैठे बिना, हमारा उद्देश्य हमसे चाही गई जानकारी और शिकायतों के समाधान व्यवस्था को उत्तरोत्तर बेहतर बनाते जाना है। हम लगातार ग्राहकों की समस्याओं के मूल कारणों की पहचान और समाधान कर रहे हैं और अपनी सेवाओं की गुणवत्ता और बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं । हम अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अभिनव कार्य-प्रणालियों की खोज और उनके अंगीकरण के लिए भी संकल्पबद्ध हैं।

> *"वहीं दूसरी ओर हम पूरे भारत में कृषि और लघु और मध्यम आकार के व्यवसायों की सेवा करते हैं, उन्हें वित्तपोषण के विकल्प और फलने फूलने के लिए आवश्यक समाधान प्रदान करते हैं।"*

₹4.56 लाख करोड़

आपके बैंक का गृह ऋण पोर्टफोलियो

36 लाख

संतुष्ट गृह ऋण ग्राहकों की संख्या

वित्त वर्ष 2020 हमारे सभी व्यवसाय समूहों की गुणवत्तापूर्ण वृद्धि दर देने के एक सफल वर्ष के रूप में स्मरण किया जाएगा। हम आपके बैंक को एक ऐसे मोड़ पर ले आए हैं जहाँ से यह उत्तरोत्तर और मजबूत तथा हमारे शेयरधारकों को उनके निवेश का बेहतर मूल्य देने में नई से नई ऊँचाइयाँ प्राप्त करता जाएगा।

यह वर्ष बैंक का ऋण कारोबार, लाभप्रदता, परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी सृजन की गति को बढ़ाने पर हमारी प्रगति के लिए भी याद किया जाएगा। कठिन बाजार स्थिति के बावजूद, बैंक ने अपने पूरे उत्पाद वर्ग में बाजार हिस्सेदारी प्राप्त की है, जो उद्योग में अपनी मजबूती का प्रमाण है। इसके साथ ही, हम अपने ऋण कारोबार की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए भी लगातार अपनी ऋण नीतियों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं । इस तरह, हम उच्च स्तरीय व्यवसाय के संचालन में अपनी प्रतिष्ठा को उत्तरोत्तर मजबूत करते जा रहे हैं। हमारे अनेक व्यवसाय समूह बाजार का नेतृत्व कर रहे हैं।

अपनी ऋण प्रणालियों को उत्तरोत्तर बेहतर बनाने के हमारे अनेक वर्षों के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। हम गुणवत्तापूर्ण ऋण कारोबार जुटाने में कई तरह के दूरगामी उपाय कर रहे हैं। इससे हमें रिटेल व्यवसाय को मजबूत और वृद्धिशील करने में मदद मिल रही है। आपके बैंक ने अपनी क्षमताओं और अपने कारोबार में डिजिटाइजेशन को अधिकाधिक अपनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि हमने डिजिटल भारत का सक्रिय अंग बनने के लिए आईटी के क्षेत्र मं अनेक पहल की हैं और पथप्रदर्शक B2C प्लेटफार्म शुरू किए हैं, हमने भारत की शहरी और ग्रामीण आबादी की सेवा के लिए अपनी शाखा पहुंच और अनुभव को भी बढ़ाया है। आज, इन परिवर्तनकारी पहलों ने एसबीआई को ग्राहकों के विविध आधार के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और उपयोगी बना दिया है। इस पृष्ठभूमि के साथ, अब हम निरंतर विकास के माध्यम से बेहतर मूल्य निर्माण के लिए तैयार खड़े हैं। आनेवाले दिनों के लिए, हम अपनी वित्तीय समावेशन पहलों को बहुत महत्व दे रहे हैं, जिससे कि बैंक के लिए भविष्य के विकास और मूल्य सृजन के अवसरों को गति मिलेगी।

इस बीच, हम अपनी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के कई खाते को सकारात्मक समाधान की दिशा में ले जा रहे हैं, जिसमें से कई मामले उनके समाधान के निकट पहुंच चुके हैं। देयता प्रबंधन के पक्ष में, हमने विवेकपूर्ण ट्रेजरी परिचालन बनाए रखते हुए ऋण कारोबार की वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए एक विश्वसनीय जमाराशि आधार के रूप में अपनी जमाराशियों की स्थिति को मजबूत किया है। वित्त वर्ष 2020 के उत्तरार्ध में, हमने अपनी अनुषंगी एसबीआई कार्ड के आईपीओ निर्गम के माध्यम से सफल मूल्यवर्धन का लाभ उठाया, जिसे पूंजी बाजार से भारी प्रतिसाद मिला और 26 गुना से अधिक अभिदान प्राप्त हुआ। इस इकाई का सफल आईपीओ आपके बैंक की उन व्यवसाय समूहों का भरण-पोषण करने की क्षमता का प्रमाण है जो अपने अपने व्यवसाय क्षेत्रों का नेतृत्व कर रहे हैं। कंपनी भारत में दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता कंपनी है, जिसका ग्राहक आधार 10 मिलियन से अधिक है।

वित्त वर्ष 2020 में भी हमने अपने बृहद तुलन पत्र को और मजबूत बनाया तथा अपने शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजन किया था। आज, हम एक मजबूत पूंजी और अग्रणी स्थिति के कारण सुपूंजीकृत हैं, और ईक्विटी पर आय और परिसंपत्तियों पर आय बढ़ाने की दिशा में अग्रसर हैं। वित्त वर्ष 2021 और उसके आगे, आपका बैंक पर्याप्त आरक्षितियों और अधिशेष की भरमार से एक चलनिधि संपन्न संस्थान बना रहेगा। कोविड-19 के कारण उत्पन्न वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यवधान के बावजूद, हम कोविड-19 द्वारा लाए गए इस महत्वपूर्ण आर्थिक और जीवन शैली संकट में और मजबूत होकर उभरने के लिए आश्वस्त हैं।

बैंक बड़े पैमाने पर समाज की बेहतरी हेतु योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने सभी हितधारकों को उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तीय सेवाएं प्रदान करके एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में काम करना जारी रखेंगे जो सभी आय समूहों के लोगों के विकास और आर्थिक प्रगति के अवसर उपलब्ध कराएगा।

> *"वित्त वर्ष 2020 में भी हमने अपने बृहद तुलन पत्र को और मजबूत बनाया तथा अपने शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजन किया। आज, हम एक मजबूत पूंजी और अग्रणी स्थान के कारण सुपूंजीकृत हैं, और ईक्विटी पर आय और परिसंपतियों पर आयबढ़ाने की दिशा में अग्रसर हैं।"*

इस समय, हम अपने सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि भारत और उसके लोगों को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती एक बड़ी अर्थव्यवस्था के अपने अग्रणी स्थान को हासिल करने में मदद कर सकें। इस चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिवेश में मानवता के प्रति संवेदनशील, अनुभूतिपूर्ण बैंक बनना चाहते हैं। हम हर भारतीय के निरंतर विश्वसनीय बैंक बने रहेंगे।

7.74%

31, मार्च 2020 को ईक्विटी पर आय

> *वित्त वर्ष 2020 के उत्तरार्ध में, हमने अपनी अनुषंगी एसबीआई कार्ड की आईपीओ लिस्टिंग के माध्यम से निवेशकर्ताओं को सफल मूल्यवर्धन दिया है। पूंजी बाजार में निवेशकर्ताओं में इस आईपीओ के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इसमें अपेक्षित राशि से 26 गुना अधिक निवेश हुआ।*

शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायी:

उत्तरदायी

विविध व्यवसायों में बाजार नेतृत्वकर्ता बनकर प्रतिलाभ में वृद्धि

भारत के अग्रणी बैंक के रूप में, हम समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने में विश्वास करते हैं। हम वंचित वर्गों के उत्थान के समर्थक होने में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी आधुनिकीकरण और प्रगतिशील राष्ट्र के लाभार्थी हो सकें। किसी भी समाज के विकसित और सुखी होने का सबसे बड़ा परिचय अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन के स्तर पर निर्भर है। "हर भारतीय का बैंक" के रूप में, वित्तीय समावेशन हमारे ध्येय का एक अभिन्न अंग है और यह हमारे आचार-व्यवहार में सम्मिलित है।

समाज सेवा में तत्पर:

मददगार

भारत के वित्तीय समावेशन अभियान का संचालन

भारतीय स्टेट बैंक में, हमारा दीर्घकालिक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि देश में वित्तीय समावेशन का प्रसार हो। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि हम मूल्य और धन सृजन के अपने प्रयासों में भारत के लोगों और उसकी अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं ।

इस दिशा में, हमारी शाखाओं, डिजिटल बैंकिंग चैनलों और व्यवसाय प्रतिनिधियों का नेटवर्क तंत्र आधारभूत स्तर पर हमारी वित्तीय समावेशन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए सेवारत हैं। समावेशी विकास और बेहतर वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए, हमने अपनी वित्तीय सेवाओं को भारत की विशाल बैंक रहित जनसंख्या के द्वार तक ले जाने के लिए सुनियोजित नीतियाँ तैयार की हैं और प्रौद्योगिकी की सहायता से इन्हें उन तक पहुंचा भी रहे हैं। बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से हमारा लक्ष्य उन्हें औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था के दायरे में लाना है।

हम न केवल देश के प्रत्येक व्यक्ति को सुविधाजनक बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं बल्कि पर्याप्त वित्तीय साक्षरता भी प्रदान कर रहे हैं । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने देश भर में 341 सक्रिय वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) की स्थापना की है। वित्त वर्ष 2020 तक, इन एफएलसी ने पूरे भारत में 29,995 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए हैं जिसमें 16.82 लाख लोगों की कुल भागीदारी है। आरबीआई द्वारा लागू पायलट प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर हमने आरबीआई द्वारा नियुक्त एनजीओ के सहयोग से ब्लॉक स्तर पर वित्तीय साक्षरता के ऐसे 15 केंद्र खोले हैं, जिनमें से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य में से प्रत्येक में पांच-पांच हैं ।

हम ग्रामीण रोजगार और धनसंपदा सृजन के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने वाले एक मान्यता प्राप्त आरसेटी एजेंट भी हैं । हमने अब तक 152 आरसेटी की स्थापना की है, जो 26 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत हैं। 31 मार्च, 2020 तक हमने अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से 70,233 उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एसबीआई को 19 दिसंबर 2019 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आरसेटी पहल के कार्यान्वित करने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया।

₹2,27,469 करोड़

हमारे व्यवसाय प्रतिनिधि चैनल द्वारा किए गए लेन देनों की राशी

12.05 करोड़

एसबीआई द्वारा खोले गए पीएमजेडीवाय खाते

11.28 करोड़

ग्राहकों को जारी रुपे डेबिट कार्ड

61,102

एसबीआई के सक्रिय व्यवसाय प्रतिनिधियां

> *समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एसबीआई को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आरसेटी पहल को कार्यान्वित करने में 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक' का सम्मान दिया गया।*

हमारे लोग हमारी सभी उपलब्धियों के वाहक और समर्थक हैं। कर्मचारियों के साथ मजबूत और स्वस्थ संबंध बनाए रखना हमारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी सबसे मूल्यवान पूंजी के रूप में, हम अपने कर्मचारियों का पोषण और निवेश करते हैं ताकि वे आपके बैंक के उद्देश्यों के साथ मिलकर विकास कर सकें।

> *हमारी सबसे मूल्यवान पूंजी के रूप में, हम अपने लोगों का पोषण और निवेश करते हैं ताकि वे आपके बैंक के उद्देश्यों के साथ मिलकर विकास कर सकें।*

हमारी बौद्धिक पूंजी:

हमारे कर्मचारी

परिणामोन्मुख कार्य-संस्कृति को गति देने के लिए प्रतिबद्ध

हमारा मानना है कि विभिन्न दृष्टिकोणों और जीवन के अनुभवों वाले कर्मचारी हमारे संगठन को और भी शक्तिशाली बनाते हैं। इस उद्देश्य के लिए, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे कर्मचारी अपने कार्यस्थल में वैविध्यपूर्ण और समावेशी वातावरण में काम करें। हमारा मानना है कि एसबीआई की संस्कृति दुनिया भर के हमारे अनेकानेक कर्मचारियों द्वारा विकसित और रूपाकार प्राप्त संस्कृति है, जो एक महान उद्देश्य के साथ हमारे ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं।

हमारा उद्देश्य अपने संगठन में सर्वश्रेष्ठ लोगों को आकर्षित करना, विकसित करना और बनाए रखना है । इस दिशा में, हमने एक गतिशील करियर विकास प्रणाली स्थापित की है जो हमारी कार्यप्रणाली को उत्तरोत्तर पारदर्शी, परिपूर्ण, उत्तरदायी और प्रभावशील बनने में मदद करती है। यह प्रणाली विश्वसनीय डेटा समर्थित कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में अत्यधिक कारगर सिद्ध हुई है। इससे हम अपने बैंककर्मियों को संगठन के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध बना पाए हैं। हमने एक अर्धवार्षिक ऑनलाइन फीडबैक व्यवस्था लागू की है। इसके अलावा, हमने वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं के पदों के लिए एक उत्तराधिकार योजना नीति भी लागू की है ताकि सभी प्रमुख कार्यपालक-स्तर के पदों पर निरंतर सुचारू रूप से कार्य संचालित होता रहे।

भारतीय स्टेट बैंक में, कर्मचारियों के साथ जुड़ने और संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया हमारे दीर्घकालिक विकास और प्रगति का आधार है । इसलिए, हमने अपने कर्मचारियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए अनेक उपाय किए हैं । सर्वप्रथम, हमने संजीवनी की स्थापना की है, जो कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिए एक हेल्पलाइन है। इसमें परामर्शदाता की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। यह भी कर्मचारी मनोबल बढ़ाने का ही एक प्रयास है । दूसरे, हमने सबसे व्यापक कर्मचारी भागीदारी पहल 'अभिव्यक्ति' की शुरुआत भी की है, जिससे ऐसे परिवेश का निर्माण हुआ है जिसमें कर्मचारी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए प्रेरित होते हैं। साथ ही इसके द्वारा कम उत्पादकता वाले लोगों को भी बेहतर निष्पादन के लिए प्रेरित किया जाता है। इस पहल में अब तक1,91,881 कर्मचारियों की भागीदारी हुई है। 'अभिव्यक्ति' भारत में किसी भी संगठन द्वारा संचालित अब तक का सबसे बड़ा कर्मचारी जुड़ाव कार्यक्रम है।

अब कई वर्षों से हमने अपने लैंगिक विविधता एजेंडे के इर्द-गिर्द प्रगति को मापने के महत्व को पहचाना है। हम अपने कार्यस्थल में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रयास जारी रखते हैं । आज के दौर में, हमारे कुल कार्यबल का 25.28% महिलाएं हैं।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा ध्यान एक अनुकूल कार्य परिवेश का निर्माण करने में लगा रहता है जिससे बैंककर्मियों को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखने और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करने के लिए प्रेरित किया जा सके । हमारा मानना है कि हमारे लोगों का निरंतर योगदान हमारे विकास को आगे बढ़ाता है । भविष्य में भी, हमारी भारतीय स्टेट बैंक को काम करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान बनाने में उनमें निवेश करते रहने की योजना है।

2,49,448
कुल कर्मचारी

25.28%
महिला कर्मचारी

2,00,000
वर्ष के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारी

"हमारा मानना है कि एसबीआई की संस्कृति दुनिया भर के हमारे अनेकानेक कर्मचारियों द्वारा विकसित और रूपाकार प्राप्त संस्कृति है, जो एक महान उद्देश्य के साथ हमारे ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं।"

एसबीआई समूह की संरचना

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार

गैर-बैंकिंग अनुषंगियां/ संयुक्त उद्यम

100% एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड

- एसबीआई कैप सेक्यूरिटीज लिमिटेड
- एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड
- एसबीआई कैप (यूके लिमिटेड)
- एसबीआई कैप ट्रस्टीज कंपनी लिमिटेड
- एसबीआई कैप (सिंगापुर लिमिटेड)

69.04% एसबीआई डीएफएचआइ लिमिटेड

100% एसबीआई म्युचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

86.18% एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड

60% एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड

63% एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड

69.51% एसबीआई कार्डस एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड

57.60% एसबीआई लाइफ इंशोरंस कंपनी लिमिटेड

65% एसबीआई-एसजी ग्लोबल सेक्यूरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

70% एसबीआई जेनरल इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड

49% सी-एड्ज टेक्नालोजीस लिमिटेड

45% मैक्वारी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लिमिटेड

मैक्वारी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी पीटीई लिमिटेड

45% एसबीआई मैक्वारी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड

45% एसबीआई मैक्वारी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड

50% ओमान इंडिया जाइंट इंवेस्मेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

50% ओमान इंडिया जाइंट इंवेस्मेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

99.72% एसबीआई फाउंडेशन

100% एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

30% जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड.

74% एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.

विदेश स्थित बैंकिंग अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम

100%	भारतीय स्टेट बैंक (कलिफोर्निया)
100%	एसबीआई कनाडा बैंक
100%	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि.
60%	सीआईबीएल मास्को
99%	बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
55%	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड
	नेपाल एसबीआई मर्चंट बैंकिंग लिमिटेड
100%	बैंक एसबीआई बोट्सवाना लिमिटेड
96.60%	एसबीआई मोरिशियस लिमिटेड
20%	बैंक आफ भुटान लिमिटेड

विदेश स्थित गैर-बैंकिंग अनुषंगी

99.99%	एसबीआई सर्विकोस लिमिटडा, ब्राजिल

एसबीआई के अंतरराष्ट्रीय परिचालन दुनिया भर में फैले वैश्विक भारतीय मूल के प्रवासियों के सहयोग के व्यापक सिद्धांत से तैयार किया गया है।

पिछले 10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-2019	2019-2020
देयताएं										
पूंजी (करोड़ ₹)	635	671	684	747	747	776	797	892	892	892
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष (करोड़ ₹)	64,351	83,280	98,200	1,17,536	1,27,692	1,43,498	1,87,489	2,18,236	2,20,021	2,31,115
जमाराशियां (करोड़ ₹)	9,33,933	10,43,647	12,02,740	13,94,409	15,76,793	17,30,722	20,44,751	27,06,344	29,11,386	32,41,621
उधारियां (करोड़ ₹)	1,19,569	1,27,006	1,69,183	1,83,131	2,05,150	3,23,345	3,17,694	3,62,142	4,03,017	3,14,656
अन्य (करोड़ ₹)	1,05,248	80,915	95,404	96,927	1,37,698	1,59,276	1,55,235	1,67,138	1,45,597	1,63,110
कुल (करोड़ ₹)	12,23,736	13,35,519	15,66,211	17,92,748	20,48,080	23,57,617	27,05,966	34,54,752	36,80,914	39,51,394
आस्तियां										
निवेश (करोड़ ₹)	2,95,601	3,12,198	3,50,878	3,98,800	4,81,759	5,75,652	7,65,990	10,60,987	9,67,022	10,46,954
अग्रिम (करोड़ ₹)	7,56,719	8,67,579	10,45,617	12,09,829	13,00,026	14,63,700	15,71,078	19,34,880	21,85,877	23,25,290
अन्य आस्तियां (करोड़ ₹)	1,71,416	1,55,742	1,69,716	1,84,119	2,66,295	3,18,265	3,68,898	4,58,885	5,28,015	5,79,150
कुल (करोड़ ₹)	12,23,736	13,35,519	15,66,211	17,92,748	20,48,080	23,57,617	27,05,966	34,54,752	36,80,914	39,51,394
निवल ब्याज आय (करोड़ ₹)	32,526	43,291	44,329	49,282	55,015	57,195	61,860	74,854	88,349	98,085
एनपीए के लिए प्रावधान (करोड़ ₹)	8,792	11,546	11,368	14,224	17,908	26,984	32,247	70,680	54,529	42,776
परिचालन परिणाम (करोड़ ₹)	25,336	31,574	31,082	32,109	39,537	43,258	50,848	59,511	55,436	68,133
कर-पूर्व निवल लाभ (करोड़ ₹)	14,954	18,483	19,951	16,174	19,314	13,774	14,855	-15,528	1,607	25,063
निवल लाभ (करोड़ ₹)	8,265	11,707	14,105	10,891	13,102	9,951	10,484	-6,547	862	14,488
औसत आस्तियों से आय (%)	0.71	0.88	0.97	0.65	0.68	0.46	0.41	-0.19	0.02	0.38
ईक्विटी से आय (%)	12.84	14.36	15.94	10.49	11.17	7.74	7.25	-3.78	0.48	7.74
आय की तुलना में व्यय (%) (निवल आय की तुलना में परिचालन व्यय)	47.6	45.23	48.51	52.67	49.04	49.13	47.75	50.18	55.70	52.46
प्रति कर्मचारी लाभ (000 ₹)	385	531	645	485	602	470	511	-243	33	578.98
प्रति शेयर आय (₹)	130.16	184.31	210.06	156.76	17.55	12.98	13.43	-7.67	0.97	16.23
प्रति शेयर लाभांश (₹)	30	35	41.5	30	3.5	2.60	2.60	Nil	Nil	Nil
एसबीआई शेयर (एनएसई में मूल्य) (₹)	2,765.30	2,096.35	2,072.75	1,917.70	267.05	194.25	293.40	249.90	320.75	196.85
लाभांश भुगतान अनुपात %(₹)	23.05	20.06	20.12	20.56	20.21	20.28	20.11	NA	NA	NA
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)										
(₹करोड़ में) बासेल-II	98,530	1,16,325	1,29,362	1,45,845	1,54,491	1,81,800	2,06,685	2,34,056	2,41,073	2,66,596
(%)	11.98	13.86	12.92	12.96	12.79	13.94	13.56	12.74	12.85	13.13
(₹करोड़ में) टियर I	63,901	82,125	94,947	1,12,333	1,22,025	1,35,757	1,56,506	1,84,146	1,94,655	2,17,477
(%)	7.77	9.79	9.49	9.98	10.1	10.41	10.27	10.02	10.38	10.71
(₹करोड़ में) टियर II	34,629	34,200	34,415	33,512	32,466	46,043	50,179	49,910	46,418	49,119
(%)	4.21	4.07	3.43	2.98	2.69	3.53	3.29	2.72	2.47	2.42
(₹करोड़ में) बासेल-III	N.A	N.A	N.A	1,40,151	1,46,519	1,75,903	2,04,731	2,38,154	2,45,225	2,74,036
(%)				12.44	12	13.12	13.11	12.60	12.72	13.06
(₹करोड़ में) टियर I	N.A	N.A	N.A	1,09,547	1,17,157	1,33,035	1,61,644	1,95,820	2,05,238	2,30,769
(%)				9.72	9.6	9.92	10.35	10.36	10.65	11
(₹करोड़ में) टियर II	N.A	N.A	N.A	30,604	29,362	42,868	43,087	42,334	39,987	43,267
(%)				2.72	2.4	3.20	2.76	2.24	2.07	2.06
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)	1.63	1.82	2.1	2.57	2.12	3.81	3.71	5.73	3.01	2.23
देश में शाखाओं की संख्या	13,542	14,097	14,816	15,869	16,333	16,784	17,170	22,414	22,010	22,141
विदेश-स्थित शाखाओं/कार्यालयों की संख्या	156	173	186	190	191	198	195	206	208	233

* 22 नवंबर 2014 से बैंक के शेयर के अंकित मूल्य को ₹1 प्रति शेयर किया गया। वर्ष 2014-15 से आँकड़े ₹1 और शेष पिछले वर्ष के लिए ₹10 प्रति शेयर के अनुसार हैं।

रेटिंग

31मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार

	रेटिंग	रेटिंग एजेंसी
बैंक रेटिंग	बीएए 3/ निगेटिव/पी-3 बीबीबी-/ स्टेबल/ए-3 बीबीबी-/ स्टेबल/एफ़-3	मूडीस एस एण्ड पी फिच रेटिंग
	₹ मूल्यवर्ग की लिखते	
अभिनव बेमियादी ऋण	एएए/ स्टेबल एएए / स्टेबल	क्रिसिल केयर
उच्च टियर 2 अधीनस्थ बाण्ड	एएए/ स्टेबल एएए / स्टेबल	क्रिसिल केयर
निम्न टियर 2 अधीनस्थ बाण्ड	एएए/ स्टेबल एएए/ स्टेबल एएए/ स्टेबल	क्रिसिल केयर आईसीआरए
बेसल III टियर 2 ऋण	एएए/ स्टेबल एएए/ स्टेबल एएए/ स्टेबल	क्रिसिल केयर आईसीआरए
बेसल III एटी 1 बेमियादी ऋण	एए +/स्टेबल एए +/स्टेबल एए +/स्टेबल	क्रिसिल केयर आईसीआरए

सीएआरई	:	क्रेडिट अनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड
आईसीआईए	:	आईसीआरए लिमिटेड
सीआरआईएसआईएल	:	क्रिसिल लिमिटेड
एसएंडपी	:	स्टैंटर्ड एंड पुअर

केंद्रीय निदेशक बोर्ड

31 मार्च 2020 को

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

श्री पी के गुप्ता
प्रबंध निदेशक

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक

श्री अरिजित बसु
प्रबंध निदेशक

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक

श्री संजीव मल्होत्रा
शेयरधारक निदेशक

श्री भास्कर प्रामाणिक
शेयरधारक निदेशक

श्री बसंत सेठ
शेयरधारक निदेशक

श्री बी. वेणुगोपाल
शेयरधारक निदेशक

डॉ. पुष्पेंद्र राय
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. पूर्णिमा गुप्ता
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री संजीव महेश्वरी
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री देवाशीष पांडा
सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग,
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री चंदन सिन्हा
अपर निदेशक, सीएएफआरएएल
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

अध्यक्ष
श्री रजनीश कुमार

प्रबंध निदेशक
श्री पी के गुप्ता
श्री दिनेश कुमार खारा
श्री अरिजित बसु
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक
श्री संजीव मल्होत्रा
श्री भास्कर प्रामाणिक
श्री बसंत सेठ
श्री बी. वेणुगोपाल

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक
डॉ. पुष्पेंद्र राय*
डॉ.पूर्णिमा गुप्ता
श्री संजीव महेश्वरी

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ङ) के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक
श्री देवाशीष पांडा

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक
श्री चंदन सिन्हा

* भारत सरकार की दिनांक 29.04.2020 की अधिसूचना संख्या एफ नंबर 6/19/2019-बीओ-आई द्वारा 05.02.2020 से दो वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों इनमें जो भी पहले हो, तक पुनः नामित।

बोर्ड की समितियां

31 मार्च 2020 को

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी)

अध्यक्ष, श्री रजनीश कुमार

प्रबंध निदेशक,
श्री पी के गुप्ता
श्री दिनेश कुमार खारा
श्री अरिजित बसु
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) यथा **श्री चंदन सिन्हा, तथा सभी या अन्य कोई निदेशक** जो सामान्यतः भारत में हो रही बैठक-स्थल के निवासी या बैठक के समय उस स्थान पर उपस्थित रहे।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

श्री बसंत सेठ,
स्वतंत्र निदेशक - समिति के अध्यक्ष
श्री भास्कर प्रामाणिक, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री बी. वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री संजीव महेश्वरी, गैर-कार्यपालक निदेशक- सदस्य
श्री देवाशीष पांडा, भारत सरकार के नामिती निदेशक-सदस्य
श्री चंदन सिन्हा, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक-सदस्य
श्री पी.के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक-आरएंडडीबी-सदस्य (पदेन)
श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक-जीबीएंडएस-सदस्य (पदेन)

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)

श्री संजीव मल्होत्रा
स्वतंत्र निदेशक - समिति के अध्यक्ष
श्री भास्कर प्रामाणिक, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री बसंत सेठ, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री बी. वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री पी.के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक-आरएंडडीबी-सदस्य (पदेन)
श्री अरिजित बसु, प्रबंध निदेशक-सीसीजीएंडआईटी-सदस्य (पदेन)

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी)

श्री भास्कर प्रामाणिक,
स्वतंत्र निदेशक - समिति के अध्यक्ष
श्री संजीव मल्होत्रा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री संजीव महेश्वरी, गैर-कार्यपालक निदेशक-सदस्य
श्री अरिजित बसु, प्रबंध निदेशक-सीसीजीएंडआईटी-सदस्य (पदेन)
श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक-जीबीएंडएस-सदस्य (पदेन)

बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)

श्री बसंत सेठ ,
स्वतंत्र निदेशक-समिति के अध्यक्ष
श्री भास्कर प्रामाणिक, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री संजीव मल्होत्रा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री संजीव महेश्वरी, गैर-कार्यपालक निदेशक-सदस्य
श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक-आरएंडडीबी-सदस्य (पदेन)
श्री अरिजित बसु, प्रबंध निदेशक-सीसीजीएंडआईटी-सदस्य (पदेन)

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

श्री बी. वेणुगोपाल,
स्वतंत्र निदेशक-समिति के अध्यक्ष
श्री संजीव मल्होत्रा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री भास्कर प्रामाणिक, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री बसंत सेठ, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री संजीव महेश्वरी, गैर कार्यपालक निदेशक-सदस्य
श्री पी.के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक-आरएंडडीबी-सदस्य (पदेन)
श्री अरिजित बसु, प्रबंध निदेशक-सीसीजीएंडआईटी-सदस्य (पदेन)

हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)

श्री संजीव मल्होत्रा,
स्वतंत्र निदेशक-समिति के अध्यक्ष
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री संजीव महेश्वरी, गैर-कार्यपालक निदेशक-सदस्य
श्री पी.के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक-आरएंडडीबी-सदस्य (पदेन)
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, प्रबंध निदेशक-एसए-सदस्य (पदेन)

बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

श्री बसंत सेठ, स्वतंत्र निदेशक-समिति के अध्यक्ष
श्री संजीव मल्होत्रा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री संजीव महेश्वरी, गैर-कार्यपालक निदेशक-सदस्य

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति (बीसीएमआर)

श्री रजनीश कुमार- अध्यक्ष
श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक-आरएंडडीबी-सदस्य (पदेन)
श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक-जीबीएंडएन-सदस्य (पदेन)
श्री अरिजित बसु, प्रबंध निदेशक-सीसीजीएंडआईटी-सदस्य (पदेन)
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, प्रबंध निदेशक-एसए-सदस्य (पदेन)
श्री देवाशीष पांडा, भारत सरकार नामिती निदेशक-सदस्य
श्री भास्कर प्रामाणिक, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री बसंत सेठ, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री संजीव महेश्वरी, गैर-कार्यपालक निदेशक-सदस्य

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर)

श्री पी.के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक-आरएंडडीबी-समिति के अध्यक्ष (पदेन)
श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक-जीबीएंडएस-सदस्य (पदेन)
श्री संजीव मल्होत्रा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री भास्कर प्रामाणिक, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री बसंत सेठ, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य

इरादतन चूककर्ता/असहयोगी उधारकर्ताओं की पहचान हेतु समीक्षा समिति

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, प्रबंध निदेशक-एसए-सदस्य (पदेन)
श्री संजीव मल्होत्रा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री भास्कर प्रामाणिक, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री बसंत सेठ, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री संजीव महेश्वरी, गैर-कार्यपालक निदेशक-सदस्य

केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य

दिनांक 31 मार्च 2020 को

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

श्री पी.के.गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल और डिजिटल बैंकिंग)

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(वैश्विक बैंकिंग और अनुषंगियां)

श्री अरिजित बसु
प्रबंध निदेशक
(सीसीजी और आईटी)

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक
(तनावग्रस्त आस्तियां)

श्री सी. वेंकट नागेश्वर
उप प्रबंध निदेशक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह)
एवं मुख्य वित्त अधिकारी के
अतिरिक्त प्रभार सहित

श्री के. वी. हरिदास
उप प्रबंध निदेशक
(वित्तीय समावेशन एवं सूक्ष्म बाजार)

श्री अनिल किशोरा
उप प्रबंध निदेशक और
मुख्य जोखिम अधिकारी

श्री बी. रमेश बाबू
उप प्रबंध निदेशक
(मुख्य परिचालन अधिकारी)

श्री पी एन प्रसाद
उप प्रबंध निदेशक
(वाणिज्यिक ग्राहक समूह - I)

श्री एस. के. वर्मा
उप प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट लेखा समूह)

श्री डी. ए. ताम्बे
उप प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य सूचना अधिकारी

श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
उप प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य ऋण अधिकारी

श्री टी. केशव कुमार
उप प्रबंध निदेशक
(वाणिज्यिक ग्राहक समूह - II)

श्री आलोक कुमार चौधरी
उप प्रबंध निदेशक (मानव संसाधन)
और कॉरपोरेट विकास अधिकारी

श्री हरे कृष्ण जेना
उप प्रबंध निदेशक
(ग्लोबल मार्केट्स)

श्री संदीप तिवारी
उप प्रबंध निदेशक
(आंतरिक लेखा परीक्षा)

श्री सोम शंकर प्रसाद
उप प्रबंध निदेशक और
समूह अनुपालन अधिकारी

श्री स्वामीनाथन जे.
उप प्रबंध निदेशक (कार्यनीति) और
मुख्य डिजिटल अधिकारी

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 21 (1) (क) के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा नामित स्थानीय बोर्डों के सदस्य, प्रबंधक निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग) से भिन्न

31.03.2020 को

अहमदाबाद
श्री दुखबंधु रथ
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

अमरावती
श्री मणि पल्वेसन
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

बेंगलूरु
श्री अभिजित मजूमदार
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

भोपाल
श्री राजेश कुमार
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

भुवनेश्वर
श्रीमती प्रवीणा काला
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

चंडीगढ़
श्री राणा आशुतोष सिंह
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

चेन्नई
श्री विनय एम टोंसे
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

गुवाहाटी
श्री सुनील कुमार टंडन
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

जयपुर
श्री रवींद्र पांडे
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

कोलकाता
श्री रंजन कुमार मिश्रा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

लखनऊ
श्रीमती सलोनी नारायण
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री बसंत सेठ*

महाराष्ट्र
श्री जी. रवींद्रनाथ
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

मुंबई मेट्रो
श्री दिपक कुमार लाला
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री संजीव मल्होत्रा*
श्री वी. वेणुगोपाल*
श्री संजीव महेश्वरी*

नई दिल्ली
श्री विजय रंजन
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री भास्कर प्रामाणिक*
डॉ. पुष्पेंद्र राय*
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता*

पटना
श्री महेश दीपचंद गोयल
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

तेलंगाणा
श्री ओ. पी. मिश्रा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

तिरुवनंतपुरम
श्री मृगेंद्र लाल दास
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

*भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 21 (1) (ख) के अनुसार स्थानीय बोर्डों में नामित केंद्रीय बोर्ड के निदेशक

बैंक के लेखा-परीक्षक

मेसर्स रे एंड रे
कोलकाता

मेसर्स चतुर्वेदी एंड शाह एएलपी
मुंबई

मेसर्स एस के मित्तल एंड कंपनी
नई दिल्ली

मेसर्स के वेंकटाचलम अय्यर एंड कंपनी
कोची

मेसर्स एन सी राजगोपाल एंड कंपनी
चेन्नई

मेसर्स ओ पी तोतला एंड कंपनी
इंदौर

मेसर्स एस के कपूर एंड कंपनी
कानपुर

मेसर्स जी पी अग्रवाल एंड कंपनी
कोलकाता

मेसर्स जे सी भल्ला एंड कंपनी
नई दिल्ली

मेसर्स कर्णावट एंड कंपनी
मुंबई

मेसर्स उमामहेश्वर राव एंड कंपनी
हैदराबाद

मेसर्स खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
मुंबई

मेसर्स शाह गुप्ता एंड कंपनी
मुंबई

मेसर्स एस सी वी एंड कंपनी एलएलपी
नई दिल्ली

अध्यक्ष का संदेश

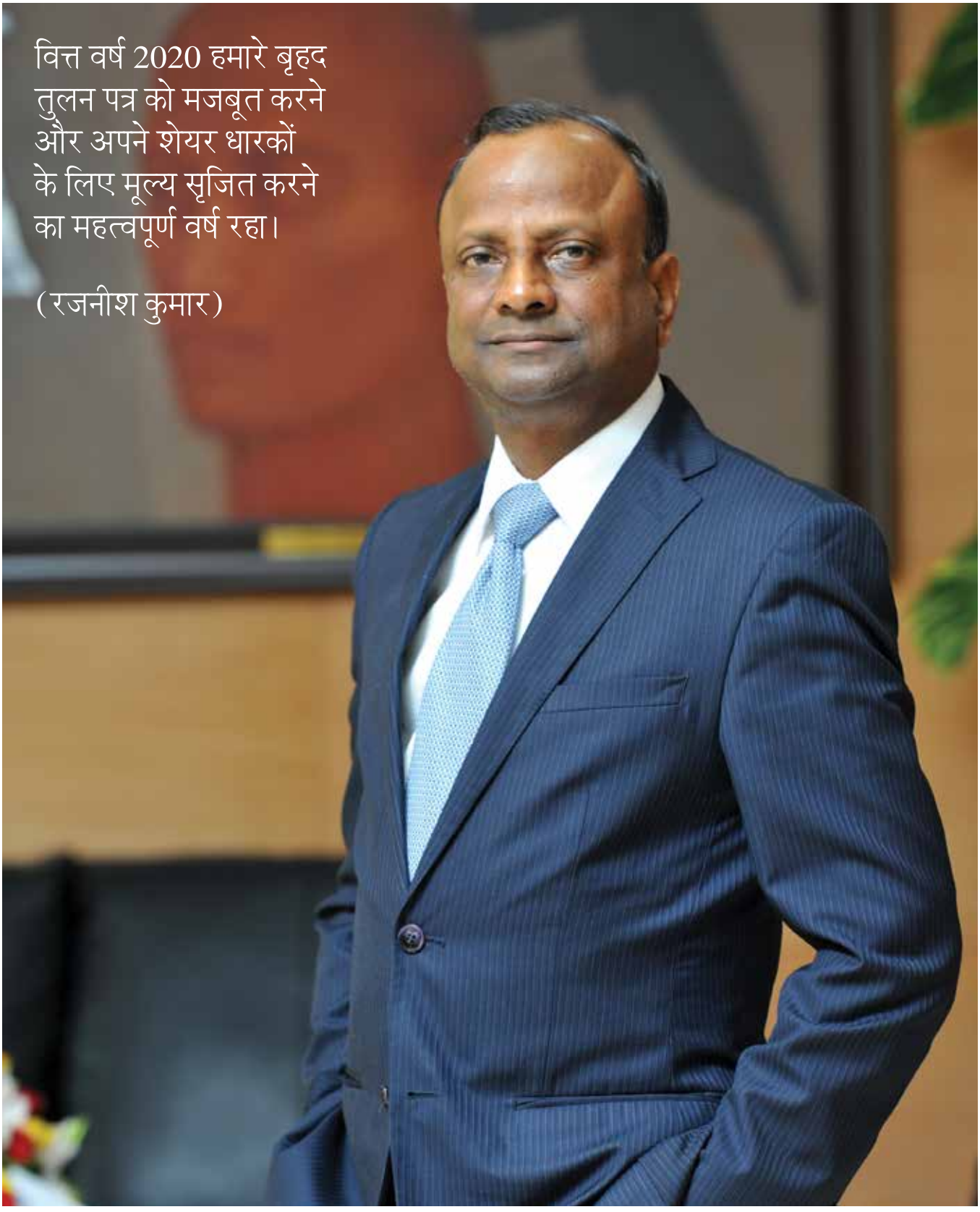
वित्त वर्ष 2020 हमारे बृहद तुलन पत्र को मजबूत करने और अपने शेयर धारकों के लिए मूल्य सृजित करने का महत्वपूर्ण वर्ष रहा।
(रजनीश कुमार)

प्रिय शेयरधारको,

मुझे आपके बैंक के वित्त वर्ष 2019-20 के प्रदर्शन की उल्लेखनीय उपलब्धियां आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आपके बैंक की उपलब्धियों और अभिनव प्रयासों की जानकारी संलग्न वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 में दी गई है।

आर्थिक विहंगावलोकन

विश्व की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2019 में 2.9% पर धीमी रही। पिछले वर्ष यह 3.6% रही थी। उभरते एवं विकासशील बाज़ारों और विकसित देशों दोनों की अर्थव्यवस्थाएँ धीमी हुई हैं। विदेशों में कमजोर माँग से यूरो क्षेत्र की वृद्धि दर में गिरावट आई तो विकासशील देशों में महँगी मुद्रा और देशगत नीति की अनिश्चितता के कारण वृद्धि दर धीमी हुई। चीन को भी देश में कमजोर माँग और अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के चलते अब तक की सबसे कमजोर वृद्धि दर का सामना करना पड़ा।

विश्व व्यापार में भी वस्तु एवं सेवा व्यापार वृद्धि दर 1% के नीचे चली गई। इसमें उभरते बाज़ारों के आयात-निर्यात बहुत प्रभावित हुए। मददगार मौद्रिक नीतियों, व्यापार तनाव में कमी और विश्व अर्थव्यवस्था के पूर्ववत बने रहने के संकेतों से इस वर्ष के पूर्वार्ध में वित्तीय बाज़ारों को कुछ मदद अवश्य मिली। परंतु कोविद-19 का प्रकोप बढ़ने के बाद मार्च से वित्तीय अनिश्चितता काफ़ी बढ़ गई है। संपत्ति और वस्तुओं की क़ीमतों में अभूतपूर्व गिरावट और इक्विटी मार्केट गिरने का सिलसिला जारी है। तेल उत्पादन में कटौती की संभावना से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण तेल की क़ीमतों पर भी दबाव बना हुआ है।

विश्व अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति में भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020 में 4.2% पर आ गई है। कोविद-19 लॉकडाउन के कारण भी पिछली तिमाही (जनवरी-मार्च 2020) में आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हुईं। आगे भी विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अनिश्चित बनी हुई है। अगले साल विश्व अर्थव्यवस्था में गहरी मंदी व्याप्त होने की संभावना है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में सिकुड़ने की उम्मीद है। परंतु, तेल की नीची क़ीमतों से हमें अपनी विदेशी मुद्रा की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। विदेशों में कम माँग के कारण निर्यातों में कमी की संभावना के बावजूद भारत के चालू खाते में अधिक विदेशी मुद्रा शेष रहने की उम्मीद है।

आपके बैंक का प्रदर्शन

जमाराशियों में वृद्धि

वित्त वर्ष 20 में, आपके बैंक की कुल जमाराशियों में 11.34% की तेज वृद्धि दर दर्ज की गई जबकि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वृद्धि दर 7.9% रही। आपके बैंक की कुल जमाराशियां पिछले वर्ष ₹29,11,386 करोड़ थी, जो बढ़कर ₹32,41, 621 करोड़ पर पहुँच गईं। जमाराशियों में इस उच्च वृद्धि से आपके बैंक का मार्केट शेयर 46 आधार अंक बढ़कर 22.84% पर जा पहुँचा। विदेश स्थित कार्यालयों की जमाराशियाँ 20.45% बढ़कर ₹ 1,17,005 करोड़ हो गई जबकि देशगत जमाराशियां 11.03% बढ़कर ₹ 31,24,616 करोड़ हो गईं। मीयादी जमाराशियों में पहले से तेज 12.23% की दर से वृद्धि हुई जबकि कासा वृद्धि की दर 9.61% रही। हालांकि आपके बैंक ने वित्त वर्ष 20 में 45.16% का अपना दमदार कासा अनुपात बनाए रखा।

ऋण कारोबार में वृद्धि

वित्त वर्ष 20 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि दर 6.1 पर आ गई, जो पिछले 58 वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट है। हालांकि आपके बैंक के देशीय अग्रिम 3.75% बढ़कर ₹ 20,65,484 करोड़ के हो गए। विदेश स्थित कार्यालयों का अग्रिमों का कारोबार 18.05% की मजबूत दर से बढ़कर ₹ 3,57,360 करोड़ रुपये हो गया। इसलिए, आपके बैंक का सकल अग्रिम कारोबार 5.64% बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में ₹ 24,22,845 करोड़ का हो गया जो पिछले वर्ष ₹ 22,93,454 करोड़ का था।

देशीय अग्रिमों में अधिकांश वृद्धि होम लोन सहित वैयक्तिक क्षेत्र के कारोबार (रिटेल पर.) से हुई। कुल मिलाकर, पर्सनल लोन वित्त वर्ष 20 में 15.40% की मजबूत वृद्धि के साथ ₹ 7,47,589 करोड़ पर पहुँच गए जो बैंक की इस कारोबार की रणनीति के अनुरूप हैं। रिटेल क्षेत्र में भी होम लोन्स और एक्सप्रेस क्रेडिट वित्त वर्ष 20 में क्रमशः 13.86% बढ़कर ₹ 4,55,865 करोड़ और 34.64% बढ़कर ₹ 1,41,243 करोड़ के हो गए। एक्सप्रेस क्रेडिट में वृद्धि मुख्यतया हमारे योनो और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफार्मों द्वारा हुई। आपके बैंक के होम लोन और एक्सप्रेस क्रेडिट कारोबार में अब पर्सनल लोन्स लगभग 80% हैं।

परंतु, कॉरपोरेट लोन वित्त वर्ष 20 में -0.87% की मामूली दर से घटकर ₹ 8,44,215 करोड़ रह गए, जो बैंकिंग उद्योग की वृद्धि दर के अनुरूप है। ऋणों का प्रमुख हिस्सा बुनियादी ढांचे (बिजली, सड़क और बंदरगाहों) और सेवाओं विशेष रूप से वाणिज्यिक रियल एस्टेट और एनबीएफसी जैसे क्षेत्रों में चला गया। कॉरपोरेट लोन खातों में पीएसयू/गवर्नमेंट सेक्टर या भारत सरकार के उपक्रमों का 38.9% हिस्सा है। कॉरपोरेट्स को क्रेडिट में गिरावट के साथ देशीय ऋणों में रिटेल क्षेत्र (पर्सनल, एसएमई एवं कृषि) की हिस्सेदारी पिछले साल 57.22% से बढ़कर 59.13% हो गई है।

निवेश

आपके बैंक के निवेश वित्त वर्ष 2019 में ₹ 9,78,124 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 20 में बढ़कर ₹ 10,58,048 करोड़ (देशीय पोर्टफोलियो ₹ 10,10,599 करोड़ और विदेशी पोर्टफोलियो ₹47,449 करोड़) हो गए। यह वृद्धि एसएलआर निवेशों में हुई।

ग्राहक सुविधाएं

आपके बैंक की विभिन्न गतिविधियां ग्राहक की होम लोन यात्रा को खुशहाल बनाने में उत्पादों और सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करके ग्राहक को बेहतर अनुभव देने पर केंद्रित रही हैं। इसके लिए आपके बैंक ने शाखाओं और अन्य माध्यमों के जरिए सबसे ज्यादा टचपॉइंट बनाए हैं। बैंक के 61,102 सक्रिय बीसी, लगभग 22,100 शाखाएं और 58,555 एटीएम हैं, जिनमें 13,270 ऑटोमेटेड डिपॉजिट एवं धन-निकासी मशीनें (एडीडब्ल्यूएम) शामिल हैं। आपके बैंक के वित्तीय लेन-देन का लगभग 28% एटीएम/एडीडब्ल्यूएम के माध्यम से होता है। आपके बैंक के एटीएम नेटवर्क पर प्रतिदिन औसतन 1.23 करोड़ से अधिक लेनदेन किए जाते हैं।

आपके बैंक की पहली वैश्विक उपस्थिति जुलाई, 1864 में कोलंबो, श्रीलंका में बैंक ऑफ मद्रास की शाखा (भारतीय बैंकों के बीच पहली) के रूप में हुई थी। 32 देशों में 233 कार्यालयों के माध्यम से सभी समय क्षेत्रों में उपस्थिति के साथ, भारतीय स्टेट बैंक ने धीरे-धीरे दुनिया भर में अपने पंख फैलाए हैं और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में अग्रणी बन गया है। वित्त वर्ष 2020 के दौरान, आपके बैंक ने विदेशी बाजारों में पूंजी संरक्षण, कम लागत और तालमेल द्वारा अपने विदेशी कारोबार को मजबूत किया है। आपके बैंक ने चार शाखाओं को बंद करके और चार शाखाओं को और दो में विलय करके विदेश में अपने कारोबार को सरल बनाया है ।

प्रौद्योगिकी और नवाचार

एसबीआई अपनी काउंटर के पीछे की प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए तकनीकी प्रगति का लाभ ले रहा है, जिससे अधिक कुशल ग्राहक सेवा देने में मदद मिल रही है। आपके बैंक ने जोखिम प्रबंधन में सुधार लाने और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं का नए सिरे से निर्धारण किया है ।

बैंक के भीतर लेनदेन बैंकिंग विभाग एक प्रौद्योगिकी संचालित माध्यम का उपयोग करता है, जो ग्राहकों को व्यापक लेनदेन उत्पाद और समाधान प्रदान करता है। आपका बैंक कॉरपोरेट और सरकारों के थोक लेनदेन के माध्यम से सीधे एक प्रौद्योगिकी संचालित संस्थान के रूप में उभरा है। वर्ष के दौरान, बैंक ने रेलवे, डाक विभाग, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों जैसे प्रतिष्ठित ग्राहकों, इंडिया बुल्स, रेलिगेयर, टेक प्रोसेस, बजाज फिनसर्व आदि जैसे ग्राहकों को शुल्क आय अर्जित करने और शाखाओं और वैन आधारित नकदी, चेक और ई-कलेक्शन (एनईएफटी, आरटीजीएस, इंटरनेट बैंकिंग) पर काम का बोझ कम करने के लिए अपने साथ जोड़ा है। एसबीआई के ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों में ट्रांजैक्शन बैंकिंग सॉल्यूशंस के साथ अपनी फंड मैनेजमेंट जरूरतों को पूरा करने में सहारा लेने में नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां (एनबीएफसी), इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक, म्यूचुअल फंड्स और एसएमई जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं ।

हाल ही में, आपके बैंक ने भारतीय बाजार में नकदी प्रबंधन समाधानों में अपने नेतृत्व को बनाए रखने के लिए वर्चुअल खाता संख्याओं के आधार पर अपने कलेक्शन से संबंधित समाधानों का विस्तार किया है। आज, एसबीआई की भुगतान सेवाएं न केवल उपयोगकर्ताओं के लिए प्रयोजनपरक समाधानों की व्यापकता के लिए, बल्कि उपयोगकर्ताओं की विस्तृत विविधता के कारण भी मजबूती से खड़ी हैं।

निर्बाध ऑनलाइन अनुभव प्रदान करने के लिए, आपका बैंक 681.32 लाख खुदरा उपयोगकर्ताओं, 26.05 लाख कॉरपोरेट उपयोगकर्ताओं, 54.24 करोड़ डेबिट कार्ड ग्राहकों और 9 क्षेत्रीय भाषाओं (गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, ओड़िया और बांग्ला) में मोबाइल ऐप प्रदान करने के लिए विविध डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है।

आपके बैंक ने ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए रियल टाइम डिमांड लोन जैसी कई नई सेवाएं शुरू की हैं; जैसे प्री-अप्रूव्ड मर्चेंट लोन; ऑनलाइन और क्यूआर ऐप्लिकेशंस के माध्यम से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए यूपीआई प्लेटफॉर्म में व्यापारियों के साथ जुड़ना; EMI@POS कार्यक्षमता; क्यू स्पार्क स्पेसिफिकेशन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी रुपे कार्ड जिससे देश भर के यात्रियों को निर्बाध गतिशीलता सुनिश्चित की जा सके। योनो Cash@PoS और योनो Sale@PoS जैसे नए विकास, व्यापारियों को भुगतान करने में मेट्रो परियोजनाएं, पाइनलैब्स प्रबंधित टर्मिनलों पर एसबीआई डेबिट कार्ड का उपयोग करके ईएमआई के भुगतान की सुविधा अन्य पहल हैं, जिनमें ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का अंगीकरण करना शामिल है।

एसबीआई ने डेबिट कार्ड की विभिन्न सुविधाएं शुरू की हैं जैसे एनसीएमसी अनुरूपी रुपे कार्ड का शुभारंभ, रुपे जेसीबी (अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं के लिए), भूटान में रुपे कार्ड का उपयोग और प्रमुख ग्राहकों के लिए मास्टरकार्ड वर्ल्ड का शुभारंभ। सह-ब्रांडेड डेबिट कार्ड में, आपके बैंक ने ईंधन लेनदेन को डिजिटाइज करने के लिए एसबीआई आईओसीएल सह-ब्रांडेड डेबिट कार्ड जारी किया है और सह-ब्रांडेड कॉम्बो डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मदुरै कामराज विश्वविद्यालय के साथ गठजोड़ किया है। आपके बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग, योनो व योनो लाइट और एसबीआई क्विक ऐप आदि के माध्यम से अपने अंतरराष्ट्रीय/घरेलू/एटीएम/पीओएस और ई-कॉम लेनदेन को यथास्थिति संचालित और प्रतिबंधित करने के लिए स्विच ऑन/ऑफ सुविधा प्रदान करके अपने डेबिट कार्ड लेनदेन की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित की है। इन सभी पहलों से डेबिट कार्ड के माध्यम से खर्च में हिस्सेदारी के मामले में भारतीय स्टेट बैंक बाजार अग्रणी बन गया है और 31 जनवरी 2020 तक इस बाजार के कुल कारोबार में इसकी अब तक सर्वाधिक 29.42% हिस्सेदारी हो गई है। 31 मार्च 2020 तक इसके लगभग 27.81 करोड़ सक्रिय डेबिट कार्डों का इस्तेमाल किया गया, भारतीय स्टेट बैंक देश में डेबिट कार्ड जारी करने में अग्रणी बना हुआ है। एसबीआई मार्च 2020 तक 6.72 लाख टर्मिनलों (13.43% मार्केट शेयर) के साथ देश के पीओएस टर्मिनलों के मामले में तीसरे नंबर पर है।

इसके अलावा, आपके बैंक ने ग्राहकों को 15 लाख से ज्यादा एसबीआई फास्टैग जारी किए हैं। नतीजतन, वित्त वर्ष 2020 के दौरान 31 मार्च 2020 तक एसबीआई फास्टैग के माध्यम से टोल लेनदेन 441 लाख को पार कर गए हैं, जिनके लेनदेन की कुल राशि ₹ 722 करोड़ से अधिक है। आपका बैंक फास्टैग से संबंधित सेवाओं के मामले में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में राज्य सड़क परिवहन निगमों से जुड़ा है ।

इसके अलावा, वित्तीय समावेशन एफआई को बढ़ाने और ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए एफआई चैनल (बीबीपीएस) के माध्यम से बिल भुगतान, डोर स्टेप बैंकिंग और बीसी चैनल में आधार डेटा वॉल्ट सहित नई सुविधाएं वर्ष के दौरान शुरू की गईं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि एसबीआई में तेजी से डिजिटलीकरण के साथ तालमेल रखते हुए, आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य में सिस्टम चालित और एनालिटिक्स आधारित ऑडिट के माध्यम से बढ़ी हुई दक्षता और प्रभावशीलता के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना भी शुरू किया है।

आपके बैंक में बैंकिंग क्षेत्र में अभिनव विचारों को बढ़ावा देने और प्रायोगिक परीक्षण करने के लिए अलग से आधुनिकतम नवाचार विकास, सहयोग और अनुभव कक्ष स्थापित किया है। यह कक्ष विदेशी बैंकों के स्टार्ट-अप्स एंगेजमेंट प्रोग्राम, हैकाथॉन/ क्राउड सोर्सिंग और एंटरप्रेनरशिप स्कीम का पर्यवेक्षण करता है, जिसका उद्देश्य अपने कर्मचारियों के विचारों/अवधारणाओं या उत्पादों को बैंक के अपने परिवेश में लागू करने पर बैंक की योजना में सहयोग करने, तैयार करने और कार्यान्वित करने में मदद करना है।

लाभप्रदता

वित्त वर्ष 20 नए नए रिकॉर्ड बनाने का वर्ष रहा। आपके बैंक को पिछले वर्ष के अपने ₹ 862 करोड़ के शुद्ध लाभ के मुकाबले ₹ 14,488 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। आपके बैंक ने परिसंपत्ति गुणवत्ता के मामले में, प्रावधान कवरेज, एनआईएम और अग्रिमों से आय की स्थिति बेहतर होने की सूचना दी है। इसके साथ साथ पिछले वर्षों की तुलना में जमाराशियों की लागत में कमी और इनका अस्वीकरण तथा ऋणों की लागत में काफी वृद्धि भी देखने को मिली है।

बैंक की शुद्ध ब्याज आय ₹ 98,085 करोड़ रही, जिसमें 11.02% की अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि खुदरा ऋणों और अच्छी गुणवत्ता वाले कॉरपोरेट ऋणों पर केंद्रित प्रयासों के साथ-साथ ऋणों का निचली श्रेणी में आना रोकने के उपाय करने के कारण हुई, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज आय में अच्छी वृद्धि हुई। इसके साथ साथ कासा उन्मुख जमाराशियों में वृद्धि करना और इन पर दिए जाने वाले ब्याज को नियंत्रित करने के उपाय भी किए गए। वित्त वर्ष 20 में बैंक का परिचालन लाभ ₹ 68,133 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 55,436 करोड़ रहा था। बैंक को अकेले ₹14,488 करोड़ का लाभ और पूरे समूह को ₹19,768 करोड़ का लाभ हुआ।

आय की तुलना में लागत का अनुपात में 324 आधार अंक बढ़ा यानी वित्त वर्ष 19 में यह 55.70% था तो वित्त वर्ष 20 में 52.46% रहा। परिसंपत्ति पर आय भी वित्त वर्ष 19 के 0.02% की तुलना में वर्षानुवर्ष 36 आधार अंकों से बढ़कर 0.38 % हो गया है।

बट्टे खाते डाले गए ऋणों की वसूली में पिछले वर्ष की तुलना में 10.85% की वृद्धि दर्ज की गई और वित्त वर्ष 2020-21 में इस प्रवृत्ति के निरंतर जारी रहने में बेहतर वसूली होने की उम्मीद है।

परिसंपत्तियों की गुणवत्ता

पिछले एक वर्ष से तेज गति बनाए रखते हुए, तनावग्रस्त खातों के नियंत्रण के लिए किए गए चौतरफा प्रयासों के कारण बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में वित्त वर्ष 20 में सुधार हुई। इस तरह बैंक के सकल अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) मार्च 2019 के स्तर ₹1,72,750 करोड़ से 13.69% गिरकर मार्च 2020 में ₹ 1,49,092 करोड़ हो गए।

तदनुसार मार्च 2020 तक बैंक का सकल एनपीए अनुपात 6.15% था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 138 आधार अंक कम है। आस्ति गुणवत्ता में सबसे ज्यादा सुधार कॉरपोरेट खंड में हुआ, जहां एनपीए अनुपात मार्च 2019 में 13.62% से गिरकर मार्च 2020 में 9.67% पर आ गया। एनसीएलटी सूची 1 और 2 में खातों के लिए 98.7% के करीब प्रावधान के साथ नेट कॉरपोरेट एनपीए ₹ 17,656 करोड़ पर था।

वित्त वर्ष 20 का स्लिपेज अनुपात 2.16% था। बैंक की प्रोविजन कवरेज अनुपात (पीसीआर) भी मार्च 2020 तक सुधरकर 83.62% हो गई, जो वर्षानुवर्ष आधार पर 489 आधार अंक और तिमाही दर तिमाही आधार पर 189 आधार अंक था।

पूंजीगत संरचना

वित्त वर्ष के दौरान बैंक की पूँजी पर्याप्तता की स्थिति में सुधार हुआ। ऐसा बेहतर पूँजी आयोजना पूंजी जुटाने और उसका अधिकतमकरण करने के सभी विकल्पों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने का कारण हुआ। इसमें पूंजी, पूँजी संरक्षण, लागत में कमी और गठजोड़ों द्वारा विदेशी कारोबार को मजबूत करना भी शामिल है।

परिणामस्वरूप, बैंक का सीईटी 1 अनुपात मार्च 2020 में नियामक न्यूनतम से 9.77% ऊपर था, जिससे बैंक की अतीत में विभिन्न अवसरों के माध्यम से आसानी से पूंजी जुटाने की क्षमता का भी पता चला। बैंक का समग्र पूंजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 2020 तक वर्षानुवर्ष 34 आधार अंक की वृद्धि के साथ 13.06% पर था।

रणनीतिक पहल

वित्त वर्ष 2020 के दौरान, आपके बैंक ने आपके बैंक द्वारा निर्धारित दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक पहल की हैं। कुछ महत्वपूर्ण पहल इस प्रकार हैं:

- एसबीआई भारत में सबसे भरोसेमंद ब्रांडों में से एक है और हमारा उद्देश्य बेहतर अनुपालन और सुशासन और जोखिम-न्यूनीकरण तंत्र को लागू करके इस विश्वास का सम्मान करना है। आपके बैंक ने कुल जोखिम का आकलन करने और बृहद स्तर पर लेखापरीक्षा के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी) में एक नया लेखापरीक्षा स्कंध बनाने की पहल की है। यह आपके बैंक को सुरक्षित और संरक्षित रखने के विभिन्न नियामक अनुपालनों और जोखिम कम करने के उपायों को लागू करने के लिए की गई कार्रवाई की संपरीक्षा करता है। साथ ही, आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य में सिस्टम संचालित और एनालिटिक्स आधारित लेखापरीक्षा के माध्यम से बढ़ी हुई दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है।
- आधार डाटा वॉल्ट आधार अधिप्रमाणन व्यवस्था की सुरक्षा बढ़ाने के लिए यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आधार नंबर धारकों की गोपनीयता की रक्षा के लिए बैंक की एक और बड़ी पहल है। यह न केवल आधार नंबर प्रमाणन को नियंत्रित करता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आधार नंबर प्रमाणन का उपयोग केवल विश्वसनीय और अधिकृत प्रयोजनों से ही हो।
- आपके बैंक ने वित्त वर्ष के दौरान 40 नए गठजोड़ किए हैं जिनमें ओप्पो मोबाइल, बॉश लिमिटेड, हीरो इलेक्ट्रिक, आईटीसी लिमिटेड, डाबर लिमिटेड, इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड, अल्ट्रा टेक सीमेंट, जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड आदि कॉरपोरेट शामिल हैं। आपूर्ति श्रृंखला पोर्टफोलियो को निर्बाध बनाने के लिए, बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला पोर्टफोलियो के लिए उपयुक्त जोखिम न्यूनीकरण उपाय और जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण व्यवस्था लागू की है।
- छोटे व्यवसाय और एमएसएमई, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा हैं जिन्हें सहारा देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। एनबीएफसी के साथ सह-उत्पत्ति मॉडल के तहत ऋण के लिए विशिष्ट नए उत्पाद विकसित किए गए हैं। इस मॉडल के तहत ₹1.00 लाख तक के ऋण के लिए प्रयोजनपरक डिजिटाइज्ड मॉडल भी विकसित किया गया है जिसमें अक्टूबर 2019 से अब तक 11000 से अधिक खाते स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार, अन्य एनबीएफसी/बीसी को भी बिजनेस एसोसिएट मॉडल के तहत बैंक के साथ जोड़ा जा रहा है और इस मॉडल के लिए बहुत जल्द डिजिटाइज्ड प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है ।
- लघु और मध्यम उद्यमों के व्यापार में आसानी बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय स्टेट बैंक ने लघु और मध्यम उद्यम केंद्र (एसएमईसी) के अपने मौजूदा वितरण मॉडल में संशोधन किया है और ₹ 50 लाख तक के ऋणों के लिए ग्राहकों के साथ अंतः संबंध बनाए रखने के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन टीमों (एएमटी) का गठन किया है। एसएमईसी को कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर मजबूत किया गया है, जिसकी वजह से सेवा के स्तर में सुधार हुआ है।
- 'ऑरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट' बिजनेस मॉडल अपनाकर, पीएफ एंड एस एसबीयू में एक स्ट्रक्चरिंग टीम का गठन किया गया है जो विभिन्न परियोजनाओं की वित्तपोषण व्यवस्था के लिए आवश्यकतानुरूप समाधान मुहैया कराती है। यह सौदों में इक्विटी पर रिटर्न सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देती है। हमारे ग्राहकों को स्ट्रक्चरिंग समाधान प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों से अनुभवी अधिकारियों की भर्ती की गई है।
- हमारे सभी प्रयासो का उद्देश्य ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करना है। वित्त वर्ष 2020 में शुरू किए गए नई दिशा चरण II में सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेवा के हर चरण में उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को आवश्यक कौशलों से निपुण बनाना है। इस कार्यक्रम में कुल 2.34 लाख कर्मचारी सहभागिता कर चुके हैं।
- सस्टेनेबिलिटी हमारे सभी परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। आपका बैंक 17 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में अपने उत्पादों और सेवाओं को जोड़ने की प्रक्रिया में है। आपके बैंक के आठ उत्पादों को एसडीजी से जोड़ा जा चुका है जिसमें दो प्रमुख ऋण उत्पाद शामिल हैं- आवास ऋण और कार ऋण। व्यवसाय प्रणालियों को एसडीजी से जोड़ने के विषय में, प्रतिभागियों की भागीदारी और क्षमतावर्धन को बढ़ावा देने के लिए एक उद्योग व्यापी गोलमेज चर्चा का आयोजन किया गया था।

अनुषंगियाँ

अपनी अनुषंगियों के माध्यम से, एसबीआई अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। अनुषंगियों की वृद्धि दर वर्ष-दर-वर्ष बेहतर होती जा रही है।

एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ने अकेले वित्त वर्ष 2020 के लिए ₹ 215.42 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 2019 में यह ₹ 168.19 करोड़ था। इसे अपनी सहायक कंपनियों सहित वित्त वर्ष 2020 में कुल मिलाकर ₹ 334.04 करोड़ का लाभ हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2019 में यह ₹236.38 करोड़ था। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की सहायक कंपनी एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड को वित्त वर्ष 2020 के दौरान ₹ 495.95 करोड़ की सकल आमदनी हुई, जबकि वित्त वर्ष 2019 में यह ₹ 404.52 करोड़ थी।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने जारी की गई पॉलिसियों की संख्या के मामले में निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच अपना अग्रणी स्थान बरकरार रखा है, जो जीवन बीमाकर्ताओं के बीच विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में इसकी लोकप्रियता और बाजार में इसकी जबरदस्त स्वीकृति को दर्शाता है। वर्ष के दौरान, कुल 15,51,862 व्यक्तिगत नई पॉलिसियाँ जारी की गईं और 2% की वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020 में ₹ 1,422 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 2019 में ₹ 1,327 करोड़ का लाभ और वर्षानुवर्ष 7% की वृद्धि हुई थी।

एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को वित्त वर्ष 2020 में वर्षानुवर्ष 44% की वृद्धि के साथ ₹ 1,245 करोड़ का कर पश्चात लाभ हुआ जबकि वित्त वर्ष 2019 में इसने ₹ 865 करोड़ का कर पश्चात लाभ अर्जित किया था। इसके अलावा, एसबीआई कार्ड के आईपीओ को जबरदस्त मूल्य मिला। इससे यह पता चलता है कि

बैंक अपनी इस अनुषंगी को भविष्य में कार्ड कारोबार के क्षेत्र की अग्रणी कंपनी के रूप में खड़ा करने और निरंतर आगे बढ़ाने की जोरदार क्षमता रखता है। यह आने वाले समय में अपने शेयरधारकों को उनके निवेश का बेहतर प्रतिफल देने में पूरी तरह से सक्षम है।

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईएफएमपीएल) एसबीआई म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और यह वित्त वर्ष 2020 में 10.4% के उद्योग औसत के मुकाबले 31.5% से अधिक की वृद्धि दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ते एएमसी में से एक है। पिछले तीन वर्षों में, एसबीआईएफएमपीएल ने लगभग 13.9% के उद्योग औसत के मुकाबले 33.4% का सीएजीआर हासिल किया है। वित्त वर्ष 2020 के दौरान इसे ₹ 603.45 करोड़ कर पश्चात लाभ हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2019 के दौरान ₹427.54 करोड़ की कमाई हुई।

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआईसी) ने वित्त वर्ष 2020 में 12% की उद्योग वृद्धि की तुलना में 45 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 6,840 करोड़ का सकल लिखित प्रीमियम दर्ज किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020 में ₹ 412 करोड़ का लाभ अर्जित किया है। कंपनी का बाजार में स्थान निजी बीमाकर्ताओं के बीच 8वां और उद्योग में 13वां है।

एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अग्रणी फैक्टरिंग सेवा प्रदाता कंपनी है। इसने वित्त वर्ष 2019 में ₹ 4,387 करोड़ के कारोबार की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में ₹ 4,394 करोड़ का कारोबार किया।

एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, जो पेंशन कॉर्पस का प्रबंधन करने के लिए पेंशन फंड मैनेजर्स (पीएफएम) में से एक ने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में प्रबंध अधीन परिसंपत्तियों (एयूएम) के संदर्भ में पीएफएम के बीच अग्रणी स्थान बनाए रखा है। 31 मार्च 2020 तक कंपनी का कुल एयूएम ₹1,60,491 करोड़ (वर्षानुवर्ष 32% वृद्धि दर) था जो 31 मार्च, 2019 को ₹ 1,21,959 करोड़ था।

सम्मान और पुरस्कार

आपके बैंक को कई पुरस्कारों से अलंकृत किया गया जो सर्वोत्कृष्टता की दिशा में किए गए हमारे प्रयासों की सफलता का प्रमाण हैं। आपके बैंक को 2019 में लगातार तीसरी बार एशियन बैंकर द्वारा "भारत में सर्वश्रेष्ठ लेनदेनकर्ता बैंक" के रूप में सम्मानित किया गया है। आपके बैंक को एशियाई बैंकर द्वारा "भारत में सर्वश्रेष्ठ भुगतानकर्ता बैंक" और वर्ष 2019 में कॉरपोरेट ट्रेजरार द्वारा "भारत में सर्वश्रेष्ठ नकदी प्रबंधन संस्थान" का सम्मान दिया गया है। आपके बैंक को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा आरसेटी पहल के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंक के रूप में चुना गया है। आपके बैंक को सभी बैंकों (अखिल भारतीय स्तर पर) के बीच सबसे बड़ी संख्या में सुकन्या समृद्धि खाते खोलने के लिए प्रथम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा के समय पर मजदूरी भुगतान के लिए सिक्किम में प्रायोजक बैंक के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी हमें सम्मानित किया गया है।

सहायक कंपनियों में एसबीआई कार्ड्स को 2019 में क्रेडिट कार्ड श्रेणी में भारत में इकोनॉमिक टाइम्स 'बेस्ट बीएफएसआई ब्रांड' पुरस्कार दिया गया है।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

सामाजिक दायित्व आपके बैंक की संस्कृति में गहरा रच बस गया है। नतीजतन, आपका बैंक 1973 से सीएसआर गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। बैंक के सीएसआर दर्शन का प्राथमिक उद्देश्य देश के आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से चुनौती प्राप्त समुदायों के जीवन पर सार्थक और बृहद प्रभाव बनाना है। बैंक की सीएसआर गतिविधियां देश भर में लाखों गरीबों और जरूरतमंदों के जीवन को छूती हैं। बैंक की सीएसआर गतिविधियों के फोकस क्षेत्रों में हेल्थकेयर, शिक्षा, आजीविका, कौशल विकास, राष्ट्रीय धरोहर और पर्यावरण का संरक्षण, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवा और वरिष्ठ नागरिक आदि शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2019 में बैंक का शुद्ध लाभ ₹ 862 करोड़ रहा और उसका 1 प्रतिशत यानी ₹ 8.62 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 20 के लिए बैंक के सीएसआर फंड के रूप में निर्धारित किए गए हैं।

कोविद-19 महामारी से लड़ने के हमारे प्रयास के तहत एसबीआई स्टाफ के सदस्यों ने सामूहिक रूप से पीएम केयर फंड में ₹ 108 करोड़ रुपये दान किए, आपके बैंक ने सरकारी अस्पतालों को लगभग 21000 पीपीई किट दान करने के अलावा कोविद संबंधित सीएसआर गतिविधियों के लिए ₹ 30 करोड़ की राशि निर्धारित की है।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान, आरबीआई की मंजूरी से, बैंक ने सीएसआर के तहत विभिन्न पहलों के लिए कुल ₹ 27.47 करोड़ खर्च/दान किए, जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ 9 करोड़ की राशि और एसबीआई फाउंडेशन (एसबीआईएफ) में ₹ 12.38 करोड़ का दान शामिल है। एसबीआई समूह और उसकी सहायक कंपनियों की सीएसआर गतिविधियों को चलाने और विभिन्न परियोजनाओं पर काम करने के लिए 2015 में एक समावेशी विकास प्रतिमान बनाकर अग्रसर भारत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया गया जो क्षेत्र, भाषा, जाति, संप्रदाय, धर्म आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी भारतीयों की सेवा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पहल जमीनी स्तर पर पर्याप्त परिवर्तन लाए जाएं।

पर्यावरण और अस्तित्व संरक्षण

भारतीय स्टेट बैंक रणनीतिक निर्णय लेने, ऋण देने और अभिनव उत्पादों और सेवाओं के विकास में सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिमों के प्रबंधन जैसे अनेक प्रकार के कार्यकलाप के माध्यम से धरती की अस्तित्व रक्षा के मोर्चे पर जोरदार काम कर रहा है। बैंक में धरती अस्तित्व संरक्षण के काम को व्यवस्थित ढंग से बढ़ाने के लिए, बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित "संवहनीयता और व्यवसाय दायित्व (बीआर) नीति" लागू है। बैंक में सस्टेनेबिलिटी विजन का समग्र नेतृत्व उप प्रबंध निदेशक (मानव संसाधन) और कॉरपोरेट विकास अधिकारी करते हैं। बैंक के पर्यावरण और सामाजिक उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के कामकाज की निगरानी कॉरपोरेट केंद्र सस्टेनेबिलिटी कमेटी (सीसीएससी) द्वारा की जाती है, जिसमें विभिन्न वर्टिकल/विभागों के व्यवसाय और परिचालन प्रमुख शामिल हैं। पहले से शुरू की गई कुछ प्रमुख पहलों में अन्य कार्यों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजना: बैंक ने वर्ष 2030 तक "कार्बन न्यूनीकृत उत्सर्जन" संस्था बनने के लिए एक कार्य योजना तैयार की हैं। जनरेटर सेट के बदले शाखाओं (ग्रामीण/अर्ध-शहरी) में दूर से निगरानी आधारित सौर ऊर्जा व्यवस्था शुरू की गई है।

एसबीआई ग्रीन फंड: हमारे सभी डिजिटल चैनल ग्राहकों के लिए, बैंक द्वारा ग्रीन रिवार्ड पॉइंट्स की पेशकश की गई है, जिन्हें एसबीआई ग्रीन फंड में जमा करने के लिए रिडीम किया जा सकता है। इससे प्राप्त आय का उपयोग धरती अस्तित्व संरक्षण गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

ग्रीन बांड: हमारी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया और व्यवसाय निर्णयों में पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (इएसएमएस) को मजबूत बनाने को महत्वपूर्ण माना गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त ग्रीन बांड जारी किए हैं, जिससे बैंक के कुल ग्रीन बॉन्ड 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हो गए हैं।

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए सस्टेनेबिलिटी संबंधी एक अलग ऑनलाइन ज्ञानार्जन प्रश्नोत्तरी "अस्तित्व" शुरू की है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों और धरती अस्तित्व संरक्षण के मुद्दों पर नवीनतम जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, एक त्रैमासिक ई-समाचार पत्रिका "सस्टेन ऑन" भी शुरू की है, जो सभी कर्मचारियों को ईमेल से भेजी जा रही है ताकि उन्हें सस्टेनबिलिटी के विषय में जागरूक रखा जा सके।

भावी योजनाएं

वित्त वर्ष 21 चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि इस वित्त वर्ष में कोविद-19 महामारी का प्रभाव महसूस किया जाएगा। हालांकि, बैंक के दृष्टिकोण से, सही प्रभाव का पता कोविद महामारी के बाद बैंक के ग्राहकों के व्यवहार परिवर्तन, पोर्टफोलियो के आकार में परिवर्तन आदि से चलेगा। उदाहरण के लिए, नौकरियों में कटौती की संभावना और वेतन में कटौती का सरकार/अर्ध सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों की बड़ी संख्या को देखते हुए अपेक्षाकृत कम प्रभाव होगा। अभी तक, केवल 21.8% ग्राहकों ने ईएमआई स्थगन का लाभ उठाया है। इसके अलावा, बैंक लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी 98% शाखा संचालन के साथ-साथ 91% वैकल्पिक चैनल संचालन भी होता रहा।

फिर भी, व्यवधानों में भी संचालन जारी रखने के लिए व्यापक व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) लागू है। व्यवसाय निरंतरता योजना के तहत कई शाखाएं चयनित की गई हैं जिससे संकटकाल में ग्राहकों को निरंतर सेवाएं मिलती रहें। इसके साथ-साथ व्यवसाय निरंतरता योजना में शामिल स्थानों पर काउंटर के पीछे की अत्यावश्यक सेवाएं भी दी जा रही हैं। खर्च को युक्तिसंगत रखने, बैंककर्मियों की सेवाओं का युक्तिसंगत उपयोग करने और उन्हें नए कौशल सिखाने, स्टाफ की उत्पादकता बढ़ाने और कर्मचारियों की प्रशासनिक कार्यालयों से बिक्री भूमिकाओं में तैनाती पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।

एमएसएमई के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज द्वारा उपलब्ध अवसरों के अनुरूप, बैंक ने सूक्ष्म बाजारों में मूल्यवर्धित सेवाएं देने के लिए वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म बाजार वर्टिकल बनाया है। एसएमई खंड के लिए कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे शुरू में ही चुकौती में चूक के मामलों में कमी लाई जा सकेगी। इसके अलावा वैयक्तिक खंड और कम मूल्य वाले एसएमई ऋणों में हामीदारी के लिए आधुनिकतम एनालिटिक्स आधारित मॉडल पर भी विचार किया जा रहा है।

महामारी ने हमारे ग्राहकों की पसंद बदल दी है। यह हमारे लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि अब बैंकिंग लेनदेन करने के लिए डिजिटल चैनलों को अपनाने की अधिक स्वीकार्यता है। बैंक योनो का भी विस्तार करेगा और अगले छह महीने में उपयोगकर्ता पंजीकरण को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और होम लोन, पूर्व-अनुमोदित कार ऋण और वैयक्तिक खंड के स्वर्ण ऋण जैसे नए उत्पादों की पेशकश करके इस माध्यम को और मजबूत करेगा।

घर से काम करने की व्यवस्था की वैश्विक स्वीकार्यता को देखते हुए, बैंक घर से काम करने की अपनी मौजूदा नीति के तहत कहीं से भी काम करने की सुविधा देने पर भी विचार कर रहा है। दूर से प्रशासनिक कार्य करने के लिए उत्पादकता उपकरण और प्रौद्योगिकी पहले से ही मौजूद हैं। इसके अलावा, कहीं से भी काम करने की सुविधा से जहाँ एक ओर आने जाने में लगने वाले समय का ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने में उपयोग हो पाएगा वहीं इससे बेहतर कार्य जीवन संतुलन सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। कहीं से भी काम करने की सुविधा विदेश स्थित 19 कार्यालयों में शुरू की जा चुकी है और जल्द ही घरेलू संचालन को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। इससे स्टाफ सदस्यों के लिए बेहतर प्रेरणा और उत्पादकता सुनिश्चित करने के अलावा बैंक की परिचालन लागत भी कम होने की उम्मीद है।

कुल मिलाकर, आर्थिक क्षेत्र की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, बैंक कोविद-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। मैं पूर्णतया आशान्वित हूँ कि वित्त वर्ष 20 की दमदार उपलब्धियां वित्त वर्ष 21 में भी जारी रहेंगी।

आपका शुभचिंतक,

(रजनीश कुमार)

निदेशकों की रिपोर्ट

I. आर्थिक परिदृश्य एवं बैंकिंग परिवेश

विश्व का आर्थिक परिदृश्य

विश्व की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2018 में 3.6% थी। वर्ष 2019 में यह घटकर 2.9% रह गई। क्षेत्रीय स्तर पर वृद्धि दर में गिरावट मुख्यतया भारत, रूस और मैक्सिको की अर्थव्यवस्था में धीमेपन के कारण आई। कुल मिलाकर सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर 3.7% रही। चीन के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2019 में 6.1% रही। यह वर्ष 1990 के बाद से सबसे धीमी आर्थिक वृद्धि दर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ लंबे समय से चल रहे व्यापार युद्ध और बृहद अर्थव्यवस्था में धीमेपन के कारण ऐसा हुआ। भारत में भी आर्थिक वृद्धि दर में धीमापन दिखाई दिया। इसकी वजह निवेशों में गिरावट और धीमी औद्योगिक वृद्धि दर है।

इस दौरान विकसित देशों की वृद्धि दर 1.7% रही। कमजोर निर्यात मांग के चलते यूरो क्षेत्र की वृद्धि दर सुस्त रही। जर्मनी में विनिर्माण की गति उत्साहहीन रही, जबकि इटली में आर्थिक गतिविधियाँ विदेशों में अस्थिर परिस्थितियों और देश में नीतिगत अनिश्चितता के कारण प्रभावित रही। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में भी धीमापन देखा गया, क्योंकि कर कटौतियों से भी मदद नहीं मिली।

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार संबंधों में दरार और ब्रेक्सिट की अनिश्चितता के कारण वर्ष 2019 में पूरे विश्व के व्यापारिक निर्यातों को धक्का लगा। कोविद 19 महामारी के कारण लॉकडाउन से इस वर्ष व्यापार की गति बहुत ज्यादा प्रभावित होने के चलते कम से कम वर्ष 2020 के पहले नौ महीनों में व्यापार गतिविधि (वस्तु एवं सेवा दोनों) कमजोर रहने की संभावना है।

जहां तक वित्तीय स्थिरता का प्रश्न है, बढ़ते कॉरपोरेट ऋण भार, संस्थागत निवेशकों के पास अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वाली एवं गैर-नकद आस्तियों की अत्यधिक उपलब्धता और अनेक देशों की विदेशी उधारियों पर बढ़ती निर्भरता से सारा विश्व पहले से ही जूझ रहा था। कोविद महामारी ने वित्तीय स्थिरता की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। आस्तियों के घटते मूल्य एवं बाजार में अस्थिरता भी स्थिति को और विकट बना रही है।

आईएमएफ के अनुमान के अनुसार कोविद 19 के प्रकोप के कारण वर्ष 2020 में पूरे विश्व की आर्थिक वृद्धि दर नीची और जीडीपी वृद्धि दर -3.0% रहने की उम्मीद है। वृद्धि दर के आँकड़ों की ऐसी अनिश्चितता इसके पहले कभी नहीं देखी गई। परिवर्तनों का रुख सकारात्मक या नकारात्मक कैसा रहेगा, यह विभिन्न सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर निर्भर करेगा।

भारत का आर्थिक परिदृश्य

कोविद-19 महामारी फैलने से पहले भी भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020 में सामान्य होने की आशा की जा रही थी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था स्थानीय एवं वैश्विक मांग के धीमेपन और संबंधित क्षेत्र की समस्याओं से जूझ रही थी। अनंतिम आकलनों के अनुसार समग्र सकल देशी उत्पाद संवृद्धि वित्त वर्ष 2019 के 6.1% की तुलना में घटकर वित्त वर्ष 2020 में 4.2% रही।

औद्योगिक क्षेत्र के दूसरे अग्रिम आकलनों के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में जीवीए वृद्धि दर घटकर 0.9% रह गई, जो एक वर्ष पहले 4.9% थी। विनिर्माण क्षेत्र में आई गिरावट ने देश-विदेश में कमजोर मांग के कारण उत्पन्न धीमेपन को और गहरा किया। खनन क्षेत्र की वृद्धि दर ऊँची रही, पर बिजली सृजन एवं निर्माण गतिविधि कमजोर रही।

यात्रा, पर्यटन और संचार सेवाओं की वृद्धि दर घट जाने के कारण सेवा क्षेत्र जीवीए की वृद्धि दर भी वित्त वर्ष 2019 के 7.7% के स्तर से घटकर वित्त वर्ष 2020 में 5.5% पर आ गई। सरकारी व्यय की वृद्धि दर में भी कमी आई।

केवल कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों की वृद्धि दर ही वित्त वित्त वर्ष 2020 में 4% पर पहुँच पाई, जो वर्ष 2019 में 2.4% थी। वर्ष 2019-20 के लिए फसल उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमानों में खरीफ और रबी खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर को क्रमशः 1.7% और 5.6% प्रतिशत रखा गया है।

वित्त वर्ष 2020 के दौरान माल के निर्यात और आयात में कमी विश्व व्यापार के साथ-साथ वैश्विक मांग में लंबे समय तक धीमापन रहने का संकेत है। भारत के माल निर्यात (वर्षानुवर्ष) में वित्त वर्ष 2019 के 8.75% की वृद्धि दर की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में 4.8% की कमी आई, जबकि आयातों में वित्त वर्ष 2019 की 10.42% की वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में वृद्धि दर घटकर 9.1% रह गई । परंतु आयात में बड़ी गिरावट से विदेशी मुद्रा की स्थिति में मजबूती आई और चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2019 के अप्रैल-दिसंबर के 2.6% से घटकर वित्त वर्ष 2020 के अप्रैल-दिसंबर में जीडीपी का 1.0% रह गया।

चीजों के मूल्यों का जहां तक संबंध है, वित्त वर्ष 2020 के प्रथमार्ध तक लक्ष्य से कम मुद्रास्फीति के आंकड़ों से उत्पन्न अनुकूल स्थितियों पर द्वितीयार्ध में सब्जियों के दाम बढ़ने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। असामान्य रूप से दक्षिण पश्चिमी वर्षा बढ़ने और बेमौसमी वर्षा से खरीफ के द्वितीयार्ध में काटी गई फसल नष्ट हुई और प्याज के दामों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। ईंधन के मूल्य भी पाँच महीनों की अवस्फीति से निकलकर दिसंबर 2019 में सकारात्मक स्थिति में आ गए और उसके बाद तेजी से बढ़े। इन कारणों से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ऊपर रहा और औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2019 के 3.43% की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में 4.77% रही।

वर्ष 2019-20 के दौरान (i) रबी की भरपूर फसल एवं उच्चतर खाद्यान्न मूल्यों के कारण कोविद-19 महामारी से पहले ही वित्त वर्ष 2021 की वृद्धि दर का परिदृश्य ऊपर की ओर था, जिससे ग्रामीण मांग को मजबूत करने की अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हुईं, (ii) खपत और निवेश मांग दोनों के अनुकूल प्रभाव के चलते नीतिगत दरों में कटौती का लाभ बैंक ऋण दरों में आगे देने की स्थिति में सुधार हुआ और (iii) जीएसटी दरों में कमी, सितंबर 19 में कॉरपोरेट कर दर में कटौती और घरेलू मांग को अधिकतर बढ़ाने के लिए ग्रामीण और बुनियादी ढांचे के खर्च को बढ़ावा देने के उपाय करने से भी अनुकूल स्थितियाँ उत्पन्न हुईं। मौसम के प्रारंभिक अनुमानों में ला नीना की स्थितियों के कारण इस वर्ष मानसून के 'सामान्य से ऊपर' रहने के संकेत देने से भी विकास के परिदृश्य को बल मिला।

परंतु कोविद-19 महामारी ने इस परिदृश्य में ज़बरदस्त बदलाव ला दिया है। वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के मंदी के गर्त में चले जाने की उम्मीद है। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी से आई कमी और इस कमी के निरंतर बने रहने से देश की व्यापार की स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन लाभ की इस स्थिति से शटडाउन और विदेश में मांग की कमी होने वाले नुकसान की भरपाई होने की उम्मीद नहीं है।

आने वाले समय में मुद्रास्फीति की स्थिति में तभी सुधार हो पाएगा यदि सब्जियों के दाम बढ़ने की रफ़्तार धीमी हो, अन्य खाद्यान्न मूल्यों पर मुद्रास्फीति के दबाव कम हों, मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रमुख कारणों से लागत बढ़ने और विशेष रूप से कोविद-19 महामारी का प्रकोप में कमी आए।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर कोविद-19 के प्रतिकूल प्रभाव से निर्यात की आगे की स्थिति पर असर हो सकता है। वित्त वर्ष 2021 का पहला महीना वर्षानुवर्ष आधार पर डॉलर में किए जाने वाले निर्यातों में 61% कमी के कारण खराब रहा और यह महामारी भविष्य के विकास के लिए अच्छा शकुन नहीं है। पर तेल की कीमतों में कमी से आयात खर्च में कमी आ सकती है, जिससे टिकाऊ चालू खाता शेष बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

बैंकिंग परिवेश

वर्ष के दौरान कुल जमा वृद्धि वित्त वर्ष 20 में 7.9% पर बंद होने से पहले 9% से 11% के बीच रही। कम वृद्धि पिछले वर्ष के अत्यधिक आधार एवं कोविद संकट के कारण रही। धीमी गति एवं गैर-अनुकूल बेस प्रभाव के कारण वर्ष 2019-20 के दौरान ऋण का कुल व्यापार भी मंद रहा, जिससे ऋण संवृद्धि वर्ष 2018-19 के 13.3% की तुलना में 6.1% पर आधे से कम रही। वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही की ऋण संवृद्धि में मौसमी गिरावट पिछले वर्ष से भी अधिक रही, जबकि वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में कुल व्यापार पिछले दो वर्षों की तदनुरूपी तिमाहियों की तुलना में मंद रहा। ऋण संवृद्धि में मंदी सभी बैंक समूहों विशेषकर निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच फैला रहा। चौथी तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋणों में कुछ वृद्धि के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं विदेश बैंकों की ऋण संवृद्धि कम रही। ऋण का कुल व्यापार मंद रहने और गैर-एसएलआर निवेश घट जाने के कारण बैंकों ने अपने एसएलआर संविभाग को बढ़ाया। बैंकों ने वित्त वर्ष 2019 में निवल मांग एवं मीयादी देयताओं के 6.3% की तुलना में निवल मांग एवं मीयादी देयताओं के लगभग 7.5% का अतिरिक्त एसएलआर अपने पास रखा।

मार्च 2020 के क्षेत्र-वार ऋण आंकड़ों से केवल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धिशील ऋण बढ़ने का संकेत मिलता है और अन्य सभी क्षेत्रों ने कमी को दर्शाया है। वित्त वर्ष 2020 में उद्योग को दिए गए ऋणों में 1.4% (वित्त वर्ष 2019 में 6.9%) तथा सेवाओं में 8.5% (वित्त वर्ष 2019 में 17.8%) की गिरावट आई। वैयक्तिक ऋणों में वित्त वर्ष 2019 के 16.4% की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में 15.7% की मामूली कमी आई, जबकि कार्यशील पूंजी सीमा में वृद्धि के रूप में बैंकों से संवर्धित सहायता मिलने के चलते मध्यम एवं लघु उद्यम एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दिए गए ऋणों में पर्याप्त वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष 2020 में मौद्रिक नीतिगत दरों में सुधार का लाभ बैंकों की मीयादी जमाराशियों एवं ऋण ब्याज दरों में आगे देने से वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान बैंकों की जमा एवं ऋण ब्याज दरों का अधिक लाभ देने से पता चलता है कि पिछली दर कटौतियों (फरवरी-सितंबर 2019 के दौरान 110 आधार अंक) एवं चयनित क्षेत्रों यथा रिटेल ऋण और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को नई स्थिर दर वाले नए ऋणों के मूल्य निर्धारण के लिए बाह्य बेंचमार्क प्रणाली शुरू किए जाने के कम असर को दर्शाता है। साथ ही आंकड़ों से पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने रिपो दर में कटौती का अनुपालन करते समय मीयादी जमा दरों में कटौती को न्यूनतम बनाने का प्रयास किया है, ताकि जमाकर्ता पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। निजी क्षेत्र के बैंकों एवं विदेशी बैंकों के लिए जमा दर कटौतियाँ एमसीएलआर कटौतियों की तुलना में ज्यादा रही हैं।

भावी परिदृश्य

पिछला वित्त वर्ष बैंकों की दृष्टि से मिश्रित फलदायक रहा। वित्त वर्ष के प्रथमार्ध में तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान में अच्छी प्रगति हुई। सामान्य बजट से संवृद्धि को बल मिला। परंतु निजी खपत में धीमेपन की पृष्ठभूमि में, भारतीय निजी बैंकिंग में वित्तीय अस्थिरता एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में अलाभकारी आस्तियों के समाधान में देरी के कारण तीसरी तिमाही में परिदृश्य में बदलाव देखने को मिला।

चौथी तिमाही की शुरुआत के साथ चीन के मैदानी भाग में तथा उसके बाद विश्व में कोविद-19 का प्रकोप बढ़ने के कारण वैश्विक विकास का परिदृश्य काफी बदल गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल में घोषित की जानी वाली मौद्रिक नीति को मार्च महीने में ही घोषित कर दिया और और संवृद्धि का कोई पूर्वानुमान भी नहीं दिया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नक़दी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपाय भी शुरू किए।

अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों पर कोविद-19 के प्रकोप का प्रभाव नाटकीय और गंभीर रहा है। तेल के दामों में 70% से भी अधिक गिरावट के कारण पण्यों के दामों में तेजी से अवस्फीति देखी गई। भारत सहित उभरते बाज़ारों में ईक्विटी बाजार भी तेजी से बढ़े। वित्त वर्ष 2021 में सकारात्मक संवृद्धि की तुलना में भारी नकारात्मक संवृद्धि के साथ यद्यपि भारत की जीडीपी संवृद्धि का पूर्वानुमान काफी अलग है, लॉकडाउन उपायों के कारण मांग न होने से समाज के गरीब वर्गों की आय का पर्याप्त नुकसान हुआ है।

इस संदर्भ में, बैंक व्यवसाय के भावी परिदृश्य पर सावधानीपूर्वक पुनर्विचार करने की जरूरत है। परिवहन जैसे क्षेत्रों में मांग न होने के कारण उत्पादन में नुकसान का अन्य क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। बिक्री राशियों की प्राप्ति में देरी के चलते कार्यशील पूंजी अवधि बढ़ने की वजह से कार्यशील पूंजी ऋण की मांग बढ़ी है और उनके निचली श्रेणी में आने की संभावना बढ़ गई है। आय में नुकसान का प्रतिकूल असर भविष्य में बैंक की जमा राशि जुटाने की रणनीति पर पड़ सकता है।

परंतु, कोविद-19 महामारी के कारण बैंकों के लिए अवसर भी खुल गए हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्व्यवस्थित किए जाने से भारत को वैश्विक मांग की पूर्ति करने में स्वयं को विनिर्माण के एक बड़े केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत बनाने का अद्वितीय अवसर भी उपलब्ध हुआ है। जिस सीमा तक राज्य सरकारें चीन से किए जाने वाले व्यवसायों को सुरक्षित रूप से दूसरे देशों को भारत में लाने में जितनी समर्थ होती हैं, बैंकों को अपने व्यवसाय को विस्तारित करने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कोविद-19 के जवाब में डिजिटल प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाए जाना बैंकों की दृष्टि से अच्छा शगुन है, क्योंकि इससे बैंकों के डिजिटल उत्पाद भी तेजी से बढ़ेंगे।

संक्षेप में बैंक के व्यवसाय एवं अर्थव्यवस्था का भावी परिदृश्य वाइरस को पूर्ण रूप से नष्ट करने और सामान्य स्थिति बहाल होने पर निर्भर करेगा। हाल ही में दिए गए वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज, उसकी प्राथमिकताओं एवं निधीयन कार्यनीति से यह तय होगा कि किस तरह बैंक कोविद के बाद के परिदृश्य में काम करेंगे। बैंक को कारोबार के नए परिचालन परिवेश को बेहतर रूप से अपनाने के लिए अपने जोखिम प्रबंधन ढांचे, उसके जोखिम निर्धारण के आंतरिक मॉडलों एवं पूंजी आयोजना तथा व्यवसाय कार्यविधियों की पुनः समीक्षा करनी होगी।

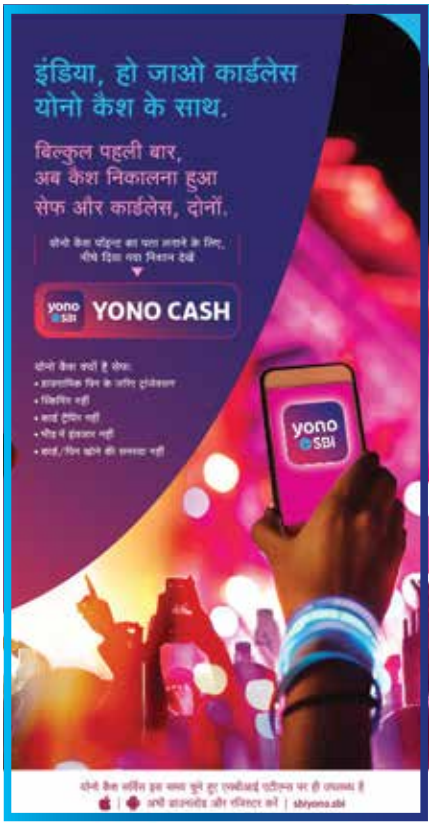

II. वित्तीय निष्पादन

आस्तियां एवं देयताएँ

आपके बैंक की कुल आस्तियां मार्च 2019 के अंत में ₹36,80,914.25 करोड़ थीं, जो मार्च 2020 के अंत में 7.35% बढ़कर ₹39,51,393.92 करोड़ हो गईं। इस अवधि में ऋण संविभाग 6.38% की वृद्धि के साथ ₹21,85,876.92 करोड़ से बढ़कर ₹23,25,289.56 करोड़ हो गया। निवेश ₹9,67,021.95 करोड़ से 8.27% बढ़कर मार्च 2020 के अंत में ₹10,46,954.52 करोड़ हो गए। अधिकतर निवेश घरेलू बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए हैं।

आपके बैंक की कुल देयताएँ (पूंजी और आरक्षित निधियों को छोड़कर) 7.50% बढ़ीं। ये 31 मार्च 2019 को ₹34,60,000.42 करोड़ थीं, जो 31 मार्च 2020 को ₹37,19,386.49 करोड़ हो गईं। जमाराशियाँ 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹29,11,386.01 करोड़ से 11.34% बढ़कर 31 मार्च 2020 को ₹32,41,620.73 करोड़ हो गईं। उधारियाँ 31 मार्च 2019 के अंत के स्तर ₹3,14,655.65 करोड़ से 21.92% वृद्धि के साथ मार्च 2020 के अंत को ₹4,03,017.12 करोड़ हो गईं।

आस्तियों पर प्रतिलाभ

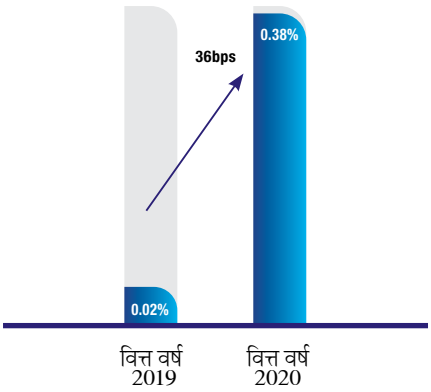

शुद्ध ब्याज आय

शुद्ध ब्याज आय 11.02% वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2019 के स्तर ₹ 88,348.87 करोड़ से वित्त वर्ष 2020 में ₹ 98,084.83 करोड़ पर जा पहुंची। कुल ब्याज आय वित्त वर्ष 2019 के ₹ 2,42,868.65 करोड़ से वित्त वर्ष 2020 में ₹ 2,57,323.59 करोड़ हो गईं, इस प्रकार इसमें 5.95% की वृद्धि दर्ज हुई।

कुल ब्याज व्यय वित्त वर्ष 2019 में ₹ 1,54,519.78 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2020 में ₹ 1,59,238.77 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2020 में जमाराशियों पर ब्याज व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 5.08% वृद्धि दर्ज हुई।

शुद्ध ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

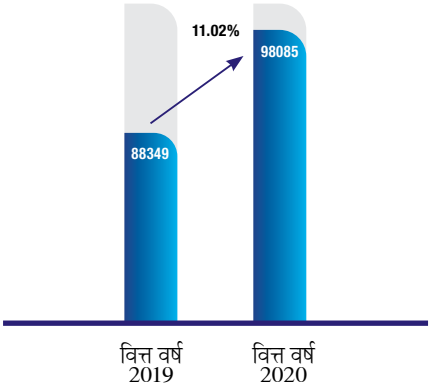

ब्याज इतर आय एवं व्यय

वित्त वर्ष 2019 में ब्याज-इतर आय में 22.97% की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2019 में यह ₹ 36,774.89 करोड़ थी और वित्त वर्ष 2020 में यह ₹ 45,221.48 करोड़ हो गईं। वर्ष के दौरान आपके बैंक को भारत में और विदेश में अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों से लाभांश के रूप में ₹ 212.03 करोड़ (वित्त वर्ष 2019 में ₹ 348.01 करोड़) और निवेशों की बिक्री से लाभ के रूप में ₹ 8,575.65 करोड़ (वित्त वर्ष 2019 में ₹ 3,146.86 करोड़) की आय हुई।

22.97%
ब्याज इतर आय में वर्षानुवर्ष वृद्धि

हमारा बैंक उद्यमशील बैंक है, जो नवोन्मेषन, प्रौद्योगिकी एवं पहुँच के जरिए परिणाम देता है। हम अपने सभी हितधारकों के लिए चिरस्थायी मूल्य सृजित करने हेतु अपने तुलनपत्र को मजबूत करने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं।

परिचालन लाभ

आपके बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2020 में ₹ 68,132.61 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2019 में ₹ 55,436.03 करोड़ (इसमें वित्त वर्ष 2020 की ₹ 6,215.64 करोड़ एवं वित्त वर्ष 2019 की ₹ 1,560.55 करोड़ की असाधारण मद शामिल हैं) था। आपके बैंक को वित्त वर्ष 2019 के निवल लाभ ₹ 862.23 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में ₹14,488.11 करोड़ का लाभ हुआ।

1580%
शुद्ध लाभ में वर्षानुवर्ष वृद्धि

परिचालन लाभ

(₹ करोड़ में)

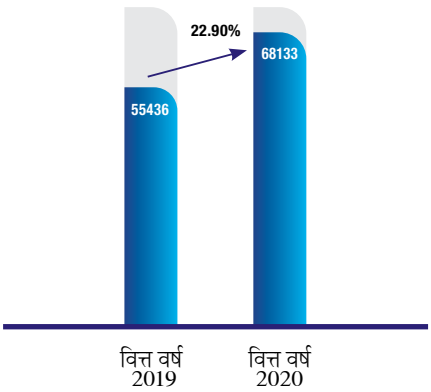

प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

वित्त वर्ष 2020 में किए गए प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं :

वर्ष के दौरान अनर्जक आस्तियों के लिए ₹ 42,775.96 करोड़ (वित्त वर्ष 2019 में ₹ 54,529.06 करोड़) का प्रावधान और निवेश मूल्यह्रास के संबंध में ₹ 538.55 करोड़ (वित्त वर्ष 2019 में ₹ 762.09 करोड़ के प्रावधान की तुलना में) अपलेखन किए गए।

83.62%
वित्त वर्ष 2020 के लिए
प्रावधान कवरेज अनुपात

प्रावधान कवरेज अनुपात

(औका सहित)

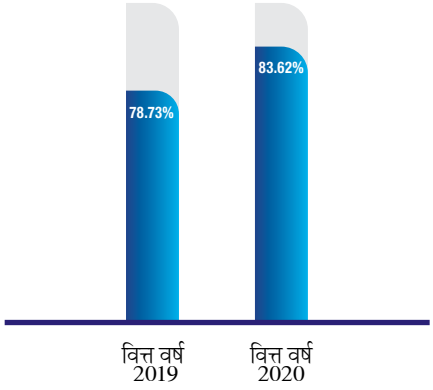

आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष

सांविधिक आरक्षित निधियों में ₹ 4,346.43 करोड़ (वित्त वर्ष 2019 में ₹ 258.67 करोड़ की तुलना में) अंतरित किए गए। पूंजीगत आरक्षित निधियों में ₹ 3,985.84 करोड़ (वित्त वर्ष 2019 में ₹ 379.21 करोड़ की तुलना में) अंतरित किए गए। निवेश आरक्षित राशियों में ₹ 302.26 करोड़ (वित्त वर्ष 2019 में ₹ 371.84 करोड़ के अंतरण की तुलना में) आहरित की गईं। ₹ 183.50 करोड़ (वित्त वर्ष 2019 के ₹ 194.05 करोड़ की तुलना में) की राशि पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधियों से सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित की गई। ₹ 1,119.88 करोड़ की राशि (वित्त वर्ष 2019 के शून्य की तुलना में) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि में अंतरित की गई।

भारतीय लेखा मानकों (IND AS) को लागू करने में प्रगति

प्रबंध निदेशक (दबावग्रस्त आस्तियां, जोखिम एवं अनुपालन) की अध्यक्षता में गठित स्थायी समिति बैंक में भारतीय लेखा मानकों को लागू करने की निगरानी कर रही है। आपका बैंक भारतीय लेखा मानकों को लागू करने के लिए पहले से ही तैयार है। पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अगली सूचना तक बैंकों में भारतीय लेखा मानकों को लागू करना आस्थगित किया गया है।

III. प्रमुख पारिचालन

1. खुदरा एवं डिजिटल बैंकिंग समूह

खुदरा एवं डिजिटल बैंकिंग समूह आपके बैंक का सबसे बड़ा व्यवसाय वर्टिकल है, जिसका हिस्सा 31 मार्च 2020 तक, कुल घरेलू जमाओं का 94.31% और कुल घरेलू अग्रिमों का 58.14% है । इस समूह में आठ कार्यनीतिक व्यवसाय इकाइयां शामिल हैं, जो व्यवसाय के साथ-साथ अन्य पहलों के लिए देश भर में सबसे बड़ा शाखा नेटवर्क चलाती हैं। आपका बैंक अपनी सभी शाखाओं में विनम्र और सुंदर परिधानों से शोभित स्टाफ सदस्यों के साथ-साथ स्वच्छ और सुव्यवस्थित परिवेश के साथ एक मनभावन माहौल प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। ग्राहकों की विशेष रूप से युवा आबादी की, निरंतर बदलती प्राथमिकताओं और बढ़ती ग्राहक सुविधाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के चलते खुदरा बैंकिंग परिदृश्य बदल रहा है।

आपके बैंक का ग्राहक आधार देश भर में निरंतर बढ़ रहा है, जिससे जमा राशि जुटाने के साथ-साथ अनुकूलित ऋण प्रदान करने, दोनों मामलों में, खुदरा बैंकिंग आपके बैंक का सबसे महत्वपूर्ण खंड बन रहा है। आपका बैंक देश का सबसे बड़ा होम लोन प्रदाता है और शिक्षा ऋण का सबसे बड़ा संवितरणकर्ता है, जो समाज सेवा में उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पीएसबी लोन इन 59 मिनट पोर्टल के माध्यम से आपका बैंक अब होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन भी प्रदान कर रहा है।

आपका बैंक प्रौद्योगिकी-चालित नवोन्मेषों की एक सतत धारा के साथ डिजिटल बैंकिंग डोमेन में सबसे आगे बना हुआ है। इसमें एक मल्टी-चैनल डेलीवरी मॉडल है, जो अपने ग्राहकों को किसी भी समय और किसी भी स्थान पर इन लेनदेनों के संचालन में व्यापक विकल्प प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2020 में, आपके बैंक ने अपनी शाखाओं सहित विभिन्न चैनलों- डिजिटल, मोबाइल, एटीएम, इंटरनेट, सोशल मीडिया में अपने उत्पादों को बढ़ाया है।

खुदरा ग्राहकों के लिए अग्रणी (फ्लैगशिप) डिजिटल ऐप 'YONO' ने आज तक 46.4+ मिलियन डाउनलोड और लगभग 21+ मिलियन पंजीकरण के साथ कई मील के पत्थर पार किए हैं और 31+ उत्पादों के साथ "लाइफ स्टाइल एंड बैंकिंग" अनुभव तथा 5 जेवी भागीदारों की 40+ से अधिक सेवाएं, दोनों प्रदान करता है।

आपका बैंक सभी स्तरों पर वर्धित जोखिम जागरूकता का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न जोखिमों को रोकने या कम करने के लिए साइबर सुरक्षा उपायों सहित उपयुक्त सुरक्षा उपायों का लगातार उन्नयन भी इसका उद्देश्य है। एटीएम से जुड़ी धोखाधड़ी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आपके बैंक ने ओटीपी आधारित एटीएम कैश आहरण सुविधा शुरू की है।

क. वैयक्तिक बैंकिंग

1. आवास ऋण

माननीया केंद्रीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा बैंक को आवास ऋण श्रेणी में वर्ष के प्रतिष्ठित 'एफ़्रई इंडियाज बेस्ट बैंक अवार्ड्स' से सम्मानित किया गया, और इस तरह आपके बैंक ने 'देश का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा गृह ऋण प्रदाता' बनकर अपनी झोली में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बैंक ने 2018-19 के लिए 'सीएनबीसी 13वें रियल एस्टेट अवार्ड्स' में सर्वश्रेष्ठ गृह ऋण प्रदाता की ट्राफी भी जीती है। निस्संदेह, इन उपलब्धियों और सफलताओं के पीछे हमारे सभी हितधारकों का अमूल्य योगदान है।

गृह ऋण में, आपका बैंक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बीच (31 मार्च 2020 को) 30.62% की बाज़ार हिस्सेदारी के साथ बाज़ार का अगुआ बना हुआ है। बैंक के कुल घरेलू अग्रिम में, इस समय गृह ऋण व्यवसाय की प्रभावी हिस्सेदारी 22.66% है।

कुल गृह ऋण पोर्टफ़ोलियो में किफ़ायती आवास खंड का हिस्सा 62.30% है, जबकि पीएसएल (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण) की हिस्सेदारी 35.03% है। इसके अलावा, परिसंपत्तियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पूरे साल लगातार मेहनत और प्रयास किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप सकल एनपीए को रोका जा सका।

लैंडमार्क:

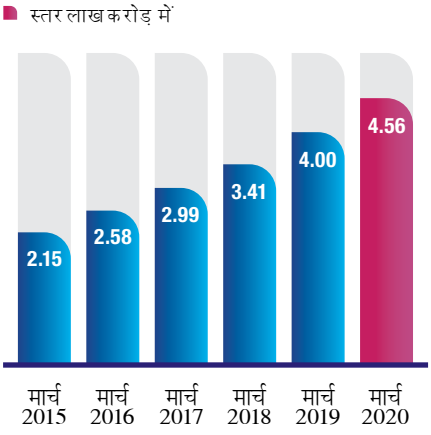

पिछले कुछ वर्षों में आवास ऋण का पोर्टफ़ोलियो

वर्ष 2019-20 वास्तव में देश भर में रियल एस्टेट के क्षेत्र में बाज़ार की बदलती भावनाओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए बैंक द्वारा शुरू किए गए कई नवाचारों और पहलों के साथ घटनाओं से भरा हुआ साल रहा है

(अप्रत्याशित कोविड-19 महामारी और राष्ट्रव्यापी संकट/सख्त लॉक-डाउन उपायों के चलते इसमें मार्च 2020 को शामिल नहीं किया गया है):

रेपो दर से आवास ऋण को लिंक करना - आवास ऋण के ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, आपके बैंक ने 01.07.2019 से आरबीआई की रेपो दर से आवास ऋण की ब्याज दरों को जोड़ने का निर्णय लिया, जिसने हमारे सभी हितधारकों के बीच सकारात्मक उम्मीदें पैदा की हैं। आपका बैंक ऐसा करने वाला पहला बैंक है। अब, एसबीआई नए ग्राहकों के साथ-साथ मौजूदा ग्राहकों के लिए ईबीएलआर (एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट) व्यवस्था के तहत रेपो दर से लिंक कर सभी आवास ऋण उत्पादों की पेशकश करता है।

सीएनए के रूप में नियुक्ति - वर्ष की एक और उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही कि आपका बैंक देश का एकमात्र ऐसा बैंक हो गया है, जिसे हमारे अपने उधारकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की सब्सिडी के तेज निपटारे के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सीएनए (केंद्रीय नोडल एजेंसी) का कार्यभार सौंपा गया है। अन्य सभी बैंकों के लिए, एनएचबी और हुडको ही सीएनए के रूप में कार्य करते हैं। सीएनए के रूप में, आपके बैंक ने वित्त वर्ष के दौरान 1,938 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की सब्सिडी राशि का भुगतान किया।

टाई-अप - वित्त वर्ष 2020 के दौरान बैंक ने इंडिया मॉर्टगेज गारंटी कारपोरेशन (आईएमजीसी) के साथ टाई-अप किया, यह राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), जेनवर्थ इंक इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन और एशियाई विकास बैंक का एक संयुक्त उद्यम है, जो कुछ ग्राहक खंडों द्वारा ऋण-अदायगी में चूक के खिलाफ बैंक को मॉर्टगेज डिफ़ॉल्ट गारंटी प्रदान करता है।

डिजिटल यात्रा - बैंक की डिजिटल यात्रा अनवरत रूप से जारी है। ग्राहकों की सुविधा के लिए कई डिजिटल पहल शुरू करने में आपके बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। योनो, बैंक की ऐसी ही एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जहाँ आक्रामक रूप से आवास ऋण की भी मार्केटिंग की जा रही है, और बड़े पैमाने पर व्यवसाय हासिल करने के लिए इसका फायदा उठाया जा रहा है। हमने बैंक के आधिकारिक फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, लिंक्डइन की मदद से सोशल मीडिया पर आवास ऋण के लिए विभिन्न मार्केटिंग अवसरों का पता लगाया है। इसके अलावा, फ़ाइनेंशियल एग्रीगेटर और प्रॉपर्टी सर्च साइटों, सर्च इंजन, आदि के साथ करार कर डिजिटल मार्केटिंग में बड़ी पैठ बनाने की कोशिश की है।

ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना - वर्तमान समय में हम ग्राहकों की आवास ऋण यात्रा को आनंदपूर्ण बनाने के लिए उत्पादों/सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करके अपनी विभिन्न गतिविधियों में ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने पर खासा ध्यान दे रहे हैं। हमने कुछ नई गतिविधियाँ शुरू की हैं, जैसे कि आवास ऋण के ग्राहकों के लिए सर्वसमाहित प्रोसेसिंग शुल्क लागू करना, हमारे सभी पैनलबद्ध अधिवक्ताओं, वैल्यूअरों, सत्यापन एजेंसियों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए वेंडर सत्यापन मॉड्यूल विकसित करना, जिससे दस्तावेजों/रिपोर्टों के तेजी से सत्यापन में मदद मिलेगी, और इस प्रकार पहले से कम समय में सेवा मिल पाएगी और निर्धारित समय-सीमा का पालन करने, डोर-स्टेप डिलीवरी, अधिक एफ़ओएस, सीपीसी/शाखा को मजबूत बनाने आदि के उद्देश्य से ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी।

आवास ऋण के बाजार में तगड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है, इसलिए हमारे सभी प्रयास स्थायी विकास पर जोर देते हुए एसबीआई को आवास ऋण के लिए 'ग्राहकों का सर्वप्रिय बैंक' बनाने की दिशा में निर्देशित हैं। आपके बैंक के पास आवास ऋण के 36 लाख प्रसन्न ग्राहक/खाते हैं, और हम हर दिन इसे बढ़ा रहे हैं।

2. ऑटो ऋण

आपका बैंक प्रतिस्पर्धी दरों पर ऑटो ऋण प्रदान कर और कार मालिकों को किफायती प्रस्ताव देकर अपने ग्राहकों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने में मदद कर रहा है। चालू वर्ष के दौरान जहां उद्योग की बिक्री 19% से अधिक गिर गई है, वहीं बैंक ने स्थिति पर काबू पाने के लिए विभिन्न पहल की है। अब वर्तमान और बैंक के नए (एनटीबी) ग्राहकों के लिए विभिन्न उत्पाद कई चैनलों जैसे कि शाखा, योनो, डीलर, सीएलपी आदि के माध्यम से सभी प्रकार के वाहनों को कवर करने के लिए उपलब्ध हैं। योनो कार ऋण में ग्राहकों को ब्याज दर में 0.25% रियायत देकर एक अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई है। इससे आपके बैंक को अपने ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने में सहायता मिली है और जो मार्च 19 के ₹ 71,884 करोड़ की तुलना में मार्च 2020 को ₹ 72,662 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। ऑटो लोन में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एएससीबी) में आपके बैंक का बाजार अंश वित्त वर्ष 2019 के 35.55% की तुलना में 31 मार्च 2020 में 32.93% रहा।

3. शिक्षा ऋण

मानव पूंजी के सृजन के लिए शिक्षा प्रमुख शर्त है, क्योंकि यह कुशल और उत्पादक मानव संसाधनों को विकसित करने में मदद करता है। शिक्षा ऋण के अंतर्गत ₹10 लाख तक के ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का ऋण माना जाता है। आपके बैंक को मार्च 19 के 30.55% की तुलना में मार्च 20 में बाजार अंश में 34.72% सुधार के साथ देश का सबसे बड़ा शिक्षा ऋण प्रदाता होने पर गर्व है। वर्ष के दौरान आपके बैंक ने 76,572 मेधावी छात्रों को ₹ 8,777 करोड़ आर्थिक सहायता प्रदान कर अपने सपनों को साकार करने में मदद की है। इसमें से 38% ऋण छात्राओं (मार्च 19 के 35% से अधिक) को प्रदान किए गए। शिक्षा ऋण के दायरे को व्यापक बनाने, गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय सुनिश्चित करने और ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि के लिए, आपके बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- स्कॉलरशीप ऋण योजना के अंतर्गत शिथिल मानदंडों और रियायती ब्याज दरों पर शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए शीर्ष प्रमुख और प्रतिष्ठित संस्थानों में से कुल 187 संस्थानों का चयन किया गया।
- विदेश में अध्ययन के लिए हमारे प्रमुख उत्पाद "ग्लोबल एड-वांटेज शिक्षा ऋण" के माध्यम से प्रवेश हेतु चुनिंदा शहरों में डोर-स्टेप सेवाएँ प्रदान कर सुधार किया गया था।
- ऋण आवेदनों की बेहतर ट्रैकिंग और ऋणों की शीघ्र मंजूरी देने के लिए, आपके बैंक के ऋण उत्पत्ति प्रणाली (एलओएस) को भारत सरकार के विद्या लक्ष्मी पोर्टल (वीएलपी) के साथ एकीकृत किया गया था।

4. वैयक्तिक ऋण

वैयक्तिक ऋण, प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत दोनों आपके बैंक में सबसे लोकप्रिय उत्पादों में से हैं और आपका बैंक इस बाजार खंड में अग्रणी है। आपका बैंक वेतनभोगी वर्ग (सरकारी और निजी दोनों), पेंशनभोगियों और स्व-रोजगार/अन्य ग्राहकों की जरूरतों को आक्रामक रूप से पूरा कर रहा है। बैंक अब एसबीआई क्विक पर्सनल लोन (सीएलपी प्लेटफॉर्म) और एक्सप्रेस एलीट (ब्रांच चैनल) उत्पादों के माध्यम से अन्य बैंकों के वेतनभोगी ग्राहकों को ऋण दे रहा है। मार्च 2020 को वैयक्तिक ऋण पोर्टफोलियो 27.65% (₹ 42,491 करोड़) की वायटीडी वृद्धि के साथ 1,96,189 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस वृद्धि में अन्य उत्पादों के अलावा मूल रूप से प्रमुख उत्पाद एक्सप्रेस क्रेडिट (₹ 36,508 करोड़ - वायटीडी 34.80%) और पारंपरिक उत्पाद गोल्ड लोन (₹ 2,179 करोड़- वायटीडी 142%) का योगदान है। वित्तीय वर्ष के दौरान आपके बैंक ने 20 लाख से अधिक ग्राहकों को ₹ 90,000 करोड़ का ऋण प्रदान किया है, जिससे बाजार अंश में लगभग 33% का सुधार हुआ है।

बैंक ने एसबीआई के आवास ऋण ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होम लोन जैसे आयकर लाभ के साथ एक नया "रियल्टी गोल्ड लोन" उत्पाद प्रस्तुत किया है। वैयक्तिक ऋण उत्पादों को अब शाखाओं, ओसीएएस (बैंक की वेबसाइट) और YONO जैसे कई चैनलों के माध्यम से वितरित किया जाता है।

ई-कॉमर्स खरीद के लिए उपभोक्ता वस्तु ऋण:

- ऑनलाइन इएमआई: आपका बैंक वास्तविक समय आधार पर पहले से चयनित ग्राहकों को फ्लिपकार्ट और अमेजन पोर्टल्स से ₹1 लाख तक की ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इएमआई आधारित ऋण प्रदान करता है।
- पीओएस इएमआई: एसबीआई डेबिट कार्ड धारकों के पहले से चयनित समूह को अनुमोदित दुकानों से उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए ₹1 लाख तक का इएमआई आधारित ऋण लेने का अधिकार है।
- 567676 पर SMS "DCEMI" भेजकर इएमआई ऋण पात्रता की जांच प्रारंभ की गई।

5. देयता और निवेश उत्पाद

आपके बैंक का कुल पी-डोमेस्टिक कासा जमा मार्च 19 के ₹ 9,16,442 करोड़ से बढ़कर मार्च 2020 तक ₹10,15,578 करोड़ हो गया है, जिसमें ₹99,136 करोड़ (10.82% वार्षिक) की वृद्धि दर्ज की गई है। मार्च 19 के 48.49% की तुलना में मार्च 2020 को पी-डोमेस्टिक पोर्टफोलियो के लिए कासा 48.28% पर है।

डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं:

आपके बैंक ने सभी ग्राहकों के लिए बैंकिंग को सरल बनाने के लिए देश भर में 50 केंद्रों पर संपर्क केंद्र और डोरस्टेप बैंकिंग एजेंटों के माध्यम से अपने खाते में जमा करने/स्वयं के खाते से निकाले गए नकदी की सुपुर्दगी, चेक बुक मांग पर्ची इकट्ठा करना, वसूली/समाशोधन के लिए चेक इकट्ठा करना और खाते के विवरण की सुपुर्दगी तथा मीयादी जमा सूचना की मूल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। इन सेवाओं को शीघ्र ही 100 केंद्रो तक विस्तारित किया जाएगा और अगले वित्तीय वर्ष में इसमें और वृद्धि की जाएगी।

6. वेतन पैकेज के लिए कॉर्पोरेट और संस्थागत गठबंधन

आपके बैंक ने इस वर्ष केएएम (प्रमुख लेखा प्रबंधक) के माध्यम से कॉर्पोरेट, रक्षा, रेलवे और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन पैकेज खाते खोलने की दिशा में एक केंद्रित दृष्टिकोण रखा है, जो व्यक्तिगत सेवाओं के साथ डोरस्टेप खाता खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं। मार्च 20 को कुल वेतन खाता ग्राहक आधार 154.22 लाख के स्तर पर पहुंच गया, जिसमें वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 5.44 लाख नए वेतन पैकेज ग्राहकों को जोड़ा गया था।

7. डिजिटल वैयक्तिक ऋण प्रस्ताव

उच्च लाभ मार्जिन के साथ पोर्टफोलियो वृद्धि के लिए कई प्लेटफार्मों पर उत्पादों की पेशकश करते समय, आपके बैंक ने ग्राहक के बैंकिंग की सरलता की सुविधा को ध्यान में रखा है और YONO के माध्यम से निम्नलिखित वेरिएंट्स की पेशकश की है,

i) पीएपीएल (पूर्व -अनुमोदित वैयक्तिक ऋण)

ii) पीएएक्ससी (पूर्व-अनुमोदित एक्सप्रेस क्रेडिट)

iii) पीएपीएनएल (पूर्व-अनुमोदित पेंशन ऋण)

iv) एक्सप्रेस क्रेडिट के लिए टॉप-अप इंस्टा क्रेडिट

v) पेंशन ऋण के लिए इंस्टा टॉप-अप

ग्राहक किसी मूर्त दस्तावेज और शाखा में गए बिना 24X7 आधार पर इस प्रस्ताव का लाभ उठा सकते हैं।

- 567676 पर SMS "PAPL" भेजकर पीपीएल ऋण पात्रता की जांच प्रारंभ की गई।
- बैंक सैद्धांतिक संस्वीकृति के साथ-साथ प्रस्तावों की सोर्सिंग के लिए YONO के साथ ही सीएलपी (भारत सरकार) प्लेटफार्मों का उपयोग कर रहा है ।

8. एनआरआई व्यवसाय

31 मार्च 2020 तक आपके बैंक में लगभग 37 लाख एनआरआई ग्राहक थे, जिन्हें भारत में 83 एनआरआई समर्पित शाखाओं, 32 देशों में हमारे विदेशी कार्यालयों, प्रतिनिधि बैंकों के रूप में 227 ग्लोबल बैंकों और विप्रेषण की सुविधा के लिए 55 एक्सचेंज हाउसों तथा छह बैंकों (मध्य-पूर्व में) के साथ गठबंधन के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

एसबीआई 22.23% (जनवरी 2020 तक) की बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत के एनआरआई बैंकिंग स्पेस में अग्रणी भी है। एनआरआई डिपॉजिट बेस 22.03 अरब डॉलर (मार्च 2020 तक) है। दुनिया भर में फैले भारतवंशियों ने हमेशा हम पर अपार भरोसा जताया है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी एक चौथाई जमाएं हमारे पास हैं।

आपके बैंक ने अपने एनआरआई ग्राहकों के लाभ के लिए वित्त वर्ष 2020 में निम्नलिखित उत्पादों/सेवाओं को प्रारंभ किया है:

- (एनआरई खातों से) 10.00 लाख रुपए या समकक्ष की दैनिक सीमा के साथ पांच अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं जैसे USD, EUR, GBP, SGD और AUD में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से 209 विदेशी गंतव्यों के लिए लगभग-वास्तविक समय जावक प्रेषण सुविधा।
- खाते में बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा के लिए ग्राहक अपनी आईएनबी एक्सेस को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के लिए ओटीपी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के अतिरिक्त पंजीकृत मेल आईडी के माध्यम से सुपुर्द किए जा सकते हैं।
- इंटरनेट बैंकिंग पर 5 साल की परिपक्वता के साथ वार्षिक 1.5 लाख रुपए तक एनआरआई (एनआरओ जमा) के लिए एसबीआई कर बचत योजना का उपयोग ग्राहक आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के अंतर्गत कर लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं।
- एफसीएनबी प्रीमियम जमा में न्यूनतम राशि घटाकर 10000 अमेरिकी डॉलर कर दी गई है और एनआरई सुकून (चालू खाता) को घटाकर 3000 रुपए कर दिया गया है।
- एनआरआई फैमिली कार्ड में रिचार्ज सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है, जो दुनिया में कहीं से भी कभी भी भारत में एक बार अपने प्रियजनों को पैसे भेजने का सबसे आसान और सबसे तेज तरीका है ।

9. कीमती धातु

सॉवरेन गोल्ड बांड:

भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान निवेशकों के लिए मूर्त सोने के बजाय डिजिटल सोने को बढ़ावा देने के इरादे से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम प्रारंभ की गई थी। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आपके बैंक ने एसजीबी के माध्यम से 647 किग्रा (243.91 करोड़ रुपए) जुटाए तथा आरंभ से अब तक 5,098 किग्रा (मूल्य ₹।561 करोड़) का कुल सोना जुटाया जा सका है।

गोल्ड मुद्रीकरण योजना:

भारत सरकार ने घरों और संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को जुटाने के उद्देश्य से वर्ष 2015-16 के दौरान गोल्ड मुद्रीकरण योजना (जीएमएस) आरंभ किया। आपका बैंक 2019-20 (चालू वर्ष) के दौरान 3,973 किलोग्राम की मात्रा में सोना जुटाकर कुल 13,212 किलोग्राम संचयी संग्रहण किया है।

अन्य स्वर्ण व्यवसाय:

आपका बैंक बुलियन बैंकिंग के क्षेत्र में एक प्राथमिक खिलाड़ी भी है। यह घरेलू और निर्यात उद्देश्यों के लिए सोने के गहनों के निर्माण में लगे स्वर्णकारों को धातु गोल्ड ऋण उपलब्ध कराता है। आपके बैंक ने वर्ष के दौरान 22,255 किलोग्राम की सीमा तक स्वर्णकारों को धातु गोल्ड ऋण प्रदान किया है। आपका बैंक स्वर्णकारों /व्यापारियों को थोक में सोना बेचने के कार्य से भी जुड़ा है। वर्ष के दौरान आपके बैंक ने "सोने की बिक्री" योजना के तहत 2,522 किलोग्राम की बिक्री की है।

10. वेल्थ मैनेजमेंट बिज़नेस

इस साल एसबीआई वेल्थ ने अपने ग्राहकों के बीच जोरदार उपस्थिति दर्ज कराते हुए प्रीमियम मार्केट खंड में गहरी पैठ बना ली है। आपके बैंक के वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस ने वित्त वर्ष के दौरान ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने एवं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के मामले में बड़ी वृद्धि दर दर्ज की है। मार्च 2019 में हमारे ग्राहकों की संख्या 55,502 थी, जो मार्च 2020 में बढ़कर 132,354 हो गई और इसी अवधि के दौरान एयूएम की राशि ₹30,270 करोड़ से बढ़कर ₹109,061 करोड़ तक पहुंच गई।

आपके बैंक द्वारा वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस सर्विसेज में वर्ष के दौरान 19 नए केंद्र और 29 नए वेल्थ हब जोड़ते हुए अब कुल 63 केंद्रों पर 155 वेल्थ हब उपलब्ध हैं, जिसमें चार ई-वेल्थ सेंटर एवं एक ग्लोबल ई-वेल्थ सेंटर भी शामिल हैं। वेल्थ हब का प्रबंधन समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर्स और इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स की एक टीम द्वारा किया जाता है, जिन्हें उत्पादों एवं बाज़ारों की गहरी जानकारी होती है। वेल्थ हब में परिचालन भूमिकाओं के लिए वेल्थ सर्विस मैनेजर्स और कस्टमर रिलेशनशिप एग्जिक्युटिव्स भी नियुक्त किए गए हैं।

खुला निवेश मंच, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और जोखिम प्रोफाइलिंग के आधार पर सही बिक्री दृष्टिकोण के साथ यह अपनी सेवाओं और सुविधाओं में विशिष्टता हासिल कर बैंक के ग्राहकों को सबसे अच्छा अनुभव प्रदान कर रहा है। एसबीआई वेल्थ ने अधिक से अधिक वेल्थ ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने और उन्हें सेवा उपलब्ध कराने के लिए सभी वेल्थ हब, ई-वेल्थ केन्द्रों एवं ग्लोबल वेल्थ केंद्र में अधिक संख्या में संपर्क प्रबन्धकों की नियुक्ति की है। ई-वेल्थ केन्द्रों को अतिरिक्त समय के लिए खुला रखा जाता है और वॉइस एवं वीडियो के आधार पर लेनदेन की सुविधा से लैस किया गया है। ये सुविधाएं "एसबीआइ वेल्थ मोबाइल एप" सुविधा के अतिरिक्त हैं, जिसके माध्यम से ग्राहकों को सर्वोत्कृष्ट लेनदेन अनुभव कराया जाता है ।

आपके बैंक ने वर्तमान बाजार परिस्थितियों और निवेश के अवसरों पर प्रमुख शहरों में आकर्षक 'वार्षिक निवेश सम्मेलन' आयोजित किए, जिसे वित्तीय उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा संबोधित किया गया। इन सम्मेलनों में मौजूदा और संभावित एसबीआई वेल्थ ग्राहकों ने अच्छी संख्या में भाग लिया।

यह वर्ष ग्राहक संपर्क बढ़ाने और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने पर केंद्रित था। आपके बैंक ने 'वेल्थ ऑफ रिलेशनशिप्स' मनाने के लिए 14 जनवरी को 'एसबीआई वेल्थ डे' मनाने का फैसला किया है।.

ख. एनी टाइम चैनल

ग. दिनांक को	एटीएम	कियोस्क	एडीडब्ल्यूएम	कुल
31 मार्च 2016	42,733	1,231	5,760	49,724
31 मार्च 2017	42,222	986	6,980	50,188
31 मार्च 2018*	51,616	#	7,925	59,541
31 मार्च 2019*	50,757	#	7,658	58,415
31 मार्च 2020*	45,279	#	13,270	58,555

क्योस्क बंद किए गए हैं और ये उपयोग में नहीं हैं। * विलय किया गया

1. एटीएम/एडीडब्ल्यूएमएस

31 मार्च 2020 को स्वचालित जमा एवं आहरण मशीन सहित 58,555 एटीएम के साथ आपके बैंक के पास विश्व का सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क है। 24 X 7 नकद जमा एवं आहरण की सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक ने 13,270 एडीडब्ल्यूएम लगाए हैं।

आपके बैंक के लगभग 28% वित्तीय लेनदेन एटीएम/एडीडब्ल्यूएम के जरिए होते हैं। भारत के एटीएम के नेटवर्क में 28.35% (भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार) बाजार हिस्से के साथ यह देश के कुल एटीएम लेनदेनों के 46.04% लेनदेन करता है। औसतन प्रति दिन 1.23 करोड़ से भी अधिक लेनदेन आपके बैंक के एटीएम नेटवर्क के जरिए होते हैं।

धोखाधड़ीकर्ताओं द्वारा आपके कार्डों की स्किमिंग, क्लोनिंग, चोरी के जरिए एटीएम नकद आहरणों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 1 जनवरी 2020 से आपके बैंक ने रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच ₹10,000 से अधिक राशि के लेनदेनों के लिए ओटीपी आधारित नकद आहरण सुविधा शुरू की है।

एटीएम को और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने मल्टी वेंडर सॉफ्टवेयर (एमवीएस) लगाए हैं, जिसमें अन्य सॉफ्टवेयर के अलावा बीआईओएस पासवर्ड लागू करना, यूएसबी पोर्ट को डिसेबल करना, अपग्रेड किया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, ईएमवी कार्ड रीडर एवं एंटी-स्किमिंग उपकरण शामिल हैं।

एटीएम के साथ साथ ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रोनिक निगरानी को बढ़ाया जा रहा है। आपके बैंक के लगभग 15,000 एटीएमों को इलेक्ट्रोनिक निगरानी के अंतर्गत शामिल किया है और अंततः सभी एटीएमों को ई-निगरानी के अंतर्गत ले आने की उम्मीद है।

2. स्वयं : बार कोड आधारित पासबुक प्रिंटिंग

वित्त वर्ष 2020 के दौरान आपके बैंक ने लगभग 3,700 स्वयं (बार कोड आधारित पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क) लगाए हैं, जिससे नियोजित स्वयं की कुल संख्या 17,480 हो गई है। इन कियोस्कों का उपयोग कर ग्राहक बार कोड टेक्नोलोजी से अपने पासबुक स्वयं प्रिंट कर सकते हैं। स्वयं कियोस्कों पर प्रति माह 3.80 करोड़ से भी अधिक लेनदेन हो रहे हैं। इसके अलावा आपके बैंक ने "थ्रू द वॉल" स्वयं कियोस्कों के जरिए अधिक कार्य समय में पासबुक प्रिंटिंग की सुविधा दे रहा है।

3. ग्रीन चैनल काउंटर (जीसीसी)

आपके बैंक ने अपनी सभी रीटेल शाखाओं में जीसीसी लगाया है। जीसीसी से नकद आहरण, नकद जमा, भारतीय स्टेट बैंक में निधियों का अंतरण, शेष राशि की पूछताछ, ग्रीन पिन जनरेशन एवं पिन चेंज, मिनी स्टेटमेंट जैसी सेवाएँ दी जा रही हैं। औसतन प्रति दिन जीसीसी के जरिए 6 लाख लेनदेन किए जाते हैं।

4. ग्रीन रेमिट कार्ड (जीआरसी)

विशेष रूप से प्रवासी जमाकर्ताओं के लिए उपयोगी जीआरसी एक कार्ड है, जिसके जरिए भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट खाते को जीसीसी, सीडीएम एवं एडीडब्ल्यूएम के इस्तेमाल से कोई भी धन भेज सकता है। औसतन प्रति दिन जीआरसी के जरिए 1 लाख लेनदेन किए जाते हैं।

5. मोबाइल पर बैंकिंग

योनो लाइट: रीटेल ग्राहकों के लिए आपके बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप के इस समय 162 लाख यूजर हैं और यह इस समय अँग्रेजी के अलावा 9 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। इससे अन्य सुविधाओं के अलावा अंतरा बैंक एवं अंतर बैंक निधि अंतरण (एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस/यूपीआई), अचल जमाराशि खाता खोलने, ई-एमओडी खाते खोलने तथा लाभार्थियों को जोड़ने अथवा मेनेज करने जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसमें आधार लिंकिंग, ई-स्टेटमेंट सबस्क्रिप्शन/डाउनलोड, चेक अनुदेशों को रोकने/वापस लेने जैसी अतिरिक्त मूल्य योजित सेवाओं तथा स्रोत पर कर कटौती छूट के लिए ऑनलाइन पर फार्म 15जी/15एच प्रस्तुत एवं कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। एटीएम कार्ड अथवा डेबिट कार्ड खोने के भय के बिना संवर्धित ग्राहक अनुभव के लिए अद्वितीय कार्ड रहित नकद आहरण सुविधा योनो कैश पर उपलब्ध है। ग्राहक अब इस एप के जरिए ऑनलाइन पर पीपीएफ खाता खोल सकते हैं।

एसबीआई एनीवेर कॉरपोरेट: यह मालिकाना संस्थाओं के लिए आपके बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप है, जो व्यवसायों को अन्य सुविधाओं के साथ साथ बैंकों के बीच निधियाँ अंतरित करने, अचल जमा खाते खोलने एवं परिचालित करने, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय को भुगतान करने, खाता विवरण देखने, लेनदेन शेड्यूल करने एवं रीचार्ज/बिल भुगतान की सुविधा देता है। इसके अलावा यह अन्य सुविधाओं के साथ साथ बहुविध प्रयोक्ता वाले बड़ी कॉरपोरेट संस्थाओं को खातों का परिचालन करने, एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए निधियों का अंतरण करने, बिल भुगतान/आपूर्तिकर्ता भुगतान करने, ई-चेक/ई-एसटीडीआर प्राधिकृत करने, अचल जमाराशि खाते खोलने एवं परिचालित करने की सुविधा देता है।

168 लाख से भी अधिक पंजीकृत प्रयोक्ताओं के साथ मोबाइल बैंकिंग चैनल ने मार्च 2020 तक ₹ 9,74,434.61 करोड़ रुपए के मूल्य के 13.82 करोड़ लेनदेन प्रोसेस किए हैं। डिजिटल चैनलों से किए जाने वाले निधि अंतरण अब निशुल्क हैं।

6. एसबीआई पे (भीम)

आपके बैंक का यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफेस आधारित एप अंतर-परिचालनीय उत्पाद है, जो वेर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए), बैंक खाता नंबर एवं आईएफएससी एवं क्यूआर कोड स्कैनिंग के उपयोग से विभिन्न बैंक खातों के बीच निधियों के अंतरण की सुविधा प्रदान करता है। 824 लाख से अधिक प्रयोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है और यूपीआई की सेवाएँ प्राप्त कर रहे हैं। इसके कारण एसबीआई यूपीआई चैनल के जरिए ₹ 7.31 लाख करोड़ से भी अधिक मूल्य के 333 करोड़ से भी अधिक लेनदेन किए गए। साथ ही प्रयोक्ताओं को भीम एसबीआई पे के जरिए बिल भुगतान करने, यात्रा की बुकिंग करने और खाना ऑर्डर करने की सुविधा मिलती है, जिससे यह आल इन वन यूपीआई एप बन गया है। कोविद-19 संकट के दौरान पीएम केर्स फंड तथा मुख्यमंत्री राहत निधि के लिए दान देने की सुविधा भी इस एप पर दी गई है। आपके बैंक ने तत्काल यूपीआई क्यूआर कोड सुविधा के साथ अपनी शाखाओं के जरिए झंझटमुक्त एवं त्वरित मर्चेन्ट ऑनबोर्डिंग इंटरफेस उपलब्ध कराया है। वित्त वर्ष 2020 की अंतिम तिमाही में 3 लाख से भी ज्यादा व्यापारियों को यूपीआई क्यूआर कोड सफलतापूर्वक आबंटित किए गए।

अन्य के अलावा गूगल एवं व्हाट्सएप जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कम नकद भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजिटल पेमेंट्स बैंडवैगन को लागू किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने यूपीआई मल्टी बैंक इंटग्रेशन मॉडल के तहत गूगल इंडिया के एप-गूगल पे प्रयोक्ताओं को यूपीआई सेवाएँ प्रदान करने के लिए गूगल इंडिया के साथ भागीदारी की है। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2020 तक 662 लाख से अधिक गूगल पे प्रयोक्ताओं ने अपने बैंक खातों को अपने @OKSBI हैंडल के साथ जोड़ दिया है।

निष्पादन विशेषताएँ

प्रयोक्ताओं की संख्या (करोड़ में)

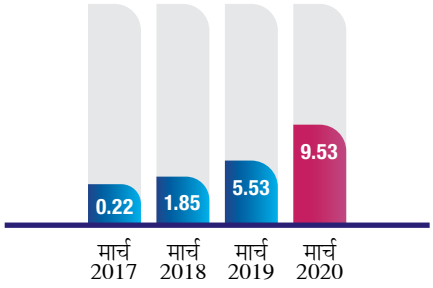

मात्रा (करोड़ में)

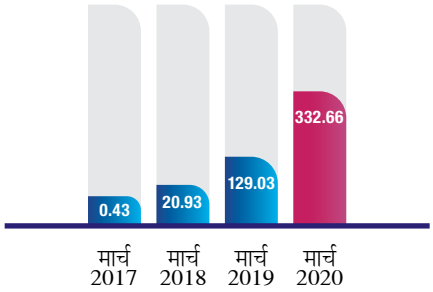

मूल्य (करोड़ में)

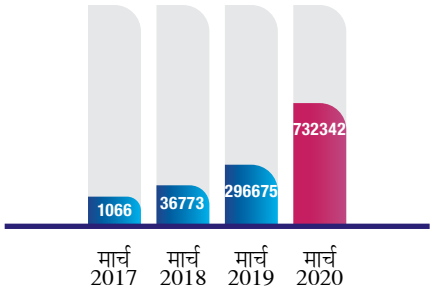

एसबीआई ईपे-आपके बैंक का पेमेंट एग्रीगेटर

मार्च 2014 में शुरू किया गया एसबीआई ई-पे भारत का पहला और एकमात्र बैंक आधारित पेमेंट एग्रीगेटर है। सही अर्थों में एसबीआई ई-पे मर्चेन्टों के लिए बैंक के विशाल ग्राहक आधार को खरीदने का मंच है और यह मर्चेंट के ऑनलाइन ग्राहकों को कई प्रकार के ऑनलाइन भुगतान विकल्प देता है। पिछले वर्ष के दौरान एसबीआई ई-पे को असाधारण वृद्धि हासिल हुई, जिसके परिणामस्वरूप ऑन-बोर्ड किए गए मर्चेन्टों की संख्या वित्त वर्ष 2019 के 225 से बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में 341 हुई। इसके अलावा, आपके बैंक ने अपने ऑनलाइन भुगतान उत्पादों में पाँच नए चैनल जोड़ दिए हैं यथा चेक/अंतरण चैनल, पेटीएम एवं कॉसमोस, एक्सिस बैंक एवं आईसीआईसीआई कॉरपोरेट बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के साथ सीधा समेकन। आपका बैंक भर्ती/सम्मेलन/विश्वविद्यालयों तथा टीएसपी हेतु कॉमन पोर्टल के साथ भी समेकित हुआ है। इसके कारण वित्त वर्ष 2019-20 में लेनदेनों की संख्या में 58% की वर्षानुवर्ष वृद्धि हुई। एसबीआई ई-पे को वित्त वर्ष 2020 में 60.70 करोड़ रुपए की कुल आय मिली, जो वर्ष 2019 की आय की तुलना में 22% से भी अधिक वर्षानुवर्ष वृद्धि है।

7. डिजिटल बैंकिंग

भारत में डिजिटल भुगतान क्षेत्र तेजी से विकसित होता जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण करके नए भारत के निर्माण को गति देने में जोरदार योगदान दे रहा है। भारत सरकार भी देश को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दे रही है। इसे देखते हुए आपका बैंक भी देश के कोने कोने में अपने बैंकिंग कारोबार में डिजिटलीकरण का विस्तार कर रहा है।

योनो: खुदरा ग्राहकों के लिए 24 नवंबर 2017 को प्रमुख डिजिटल ऐप 'योनो' शुरू किया गया था और तब से योनो ने कई मील के पत्थर पार कर लिए हैं। योनो, वित्तीय सुपर बाजार पर उपलब्ध 31 से अधिक उत्पादों, 5 जेवी भागीदारों (एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई कार्ड, एसबीआई कैप प्रतिभूतियां, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और एसबीआई म्युचुअल फंड) की 40 से अधिक से अधिक सेवाओं और बी 2 सी मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर 21 श्रेणियों में उपलब्ध 80 से अधिक मर्चेंट भागीदारों के साथ "लाइफ स्टाइल और बैंकिंग" अनुभव प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, हमने योनो को व्यापार में उच्चतर जुड़ाव और विकास के साथ योनो को अपनाने में महत्वपूर्ण गति प्राप्त की है। वर्ष के दौरान हासिल की गई मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

मार्च 2020 को योनो के प्रमुख प्रदर्शन की एक झलक :

- **एप्लिकेशन को अपनाना** : मार्च 2020 तक 15000 प्रतिदिन के औसत से दैनिक पंजीकरण में 70000 की वृद्धि हुई और पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या 7.75 मिलियन से बढ़कर 21.2 मिलियन हो गई। योनो ने 31 मार्च 2020 तक 46.4 मिलियन से अधिक डाउनलोड प्राप्त किए हैं।
- **उपयोगकर्ता जुड़ाव** : औसतन 3 मिलियन (2018-19 में औसत 1 मिलियन) के साथ 6 मिलियन लॉगिन प्रतिदिन की उच्च मात्रा प्राप्त हुई। एंड्रॉइड पर ऐप की रेटिंग 4.09 और आईओएस पर 2.8 है।
- **ग्राहक ऑन बोर्डिंग** : हमने देखा कि प्रतिदिन खोले गए 21,000 डिजिटल खातों के साथ नए ग्राहकों के शामिल होने में महत्वपूर्ण तेजी आई है। यह तेजी, बैंक द्वारा खोले जा रहे सभी पात्र खातों के 65% से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 43.5 लाख खाते, (लॉन्च के बाद से 71.43 लाख) डिजिटल खाते खोले गए। योनो के माध्यम से खोले गए बचत बैंक खातों में रुपये 7,859 करोड़ राशि एकत्र की गई। लगभग, 90% शाखाएँ अब योनो सक्रिय है (कम से कम 1 खाता योनो के माध्यम से खोला गया है)।
- **डिजिटल उधार:** योनो सबसे तेजी से बढ़ने वाला और व्यक्तिगत ऋण के लिए एक प्रमुख चैनल है। वर्ष में 7.34 लाख ऋण संवितरण के साथ ₹9,694 करोड़ मूल्य के पीएपीएल संवितरण देखे गए (संचयी बही आकार रुपए 13,797 करोड़)। 675 करोड़ रुपये के कार ऋण के लिए वित्तीय स्वीकृति। बैंक के लिए 830 करोड़ रुपये से अधिक आय का सृजन। 2019-20 के दौरान प्रभावी गृह ऋण लीड रूपांतरण, मार्च 2019 को 2% की तुलना में 9% है।
- **ऑनलाइन मार्केट प्लेस** : 80 से अधिक मर्चेंट भागीदार बी 2 सी मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर 21 श्रेणियों में उपलब्ध हैं, जो कि जीएमवी सृजित रुपये 320 करोड़ के साक्षी है (वित्तीय वर्ष 2019 से 6 गुना अधिक)।
- **क्रॉस सेलिंग:** गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा उत्पाद सूट यानी बीमा, म्यूचुअल फंड आदि मासिक आधार पर सभी उच्च स्तरों को प्राप्त कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020 में योनो के माध्यम से बैंक ने 19 करोड़ रुपये की समग्र कमीशन आय अर्जित की। वर्ष के दौरान 1.6 लाख एसबीआई क्रेडिट कार्ड योनो के माध्यम से बांटे गए थे। सकल एसबीआई म्यूचुअल फंड निवेश 600 करोड़ रुपये रहा। वर्ष के दौरान 10.19 करोड़ रुपये का जीवन बीमा प्रीमियम और 13.75 करोड़ रुपये का सामान्य बीमा प्रीमियम प्राप्त किया गया।
- **'योनो कैश':** मार्च 2019 में 'योनो कैश प्वॉइंट्स' (एटीएम) में कार्ड रहित, कागज रहित आहरण पैन इंडिया पर रोल आउट किया। एक दिन में अधिकतम 1.94 लाख लेनदेन के साथ वर्ष के दौरान 8.8 मिलियन योनो कैश लेनदेन किए गए। अभिनव योनो कैश सुविधा देश भर में लगभग

2,97,369 ग्राहक टच प्वाइंट पर कार्ड रहित, तेज, सुविधाजनक और सुरक्षित नकदी निकासी सुविधा प्रदान करती है (एटीएम - 56,384, पीओएस - 1,93,556, सीएसपी - 47,429)।

- **योनो कृषि :** जुलाई 2019 में शुरू किया गया योनो कृषि हमारे किसानों की प्रगति में डिजिटल भागीदार होगा। योनो कृषि के चार प्रमुख उत्पाद हैं- खाता, बचत, मित्रा एवं मंडी खंड। खाता खंड सातों दिन चौबीसों घंटों ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध करने के साथ कृषि ऋण समाधान की पूर्ति करता है। बचत किसानों की निवेश एवं बीमा जरूरतों का फाईनेंशियल सूपर स्टोर है। बटन क्लिक करने पर मित्रा उत्कृष्ट कृषि सलाहकार सेवाएँ प्रदान करता है। मंडी कृषि निविष्टियों एवं उपकरणों की खरीद का ऑनलाइन बाजार है। योनो कृषि को बिजनेस टुडे द्वारा शीर्ष बैंकों की सूची में सर्वश्रेष्ठ नवाचारों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया। यह सुविधा अंग्रेजी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। जुलाई 2019 को शुरू होने के बाद से 4.78 लाख से अधिक कृषि स्वर्ण ऋण (रुपये 5944 करोड़) योनो कृषि के माध्यम से मंजूर किए गए। जुलाई 2019 में किसान की बैंकिंग जरूरतों और कृषि संबंधी इनपुट, बीमा, निवेश, सलाहकार सेवाओं आदि से परे बैंकिंग की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इसकी 56% शाखाएँ हैं योनो कृषि स्वर्ण ऋण के लिए सक्रिय हैं। योनो कृषि पर ग्राहक की बढ़त 40.59 लाख, 4.2 लाख मित्रा खंड पर और 5.72 लाख मंडी खंड पर थी। पाइप लाइन में प्रमुख उत्पाद केसीसी एप्लीकेशन, केसीसी नवीनीकरण, पूर्व-अनुमोदित कृषि ऋण हैं।

कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान योनो ने देनदारियों के पक्ष में 2.6 गुना (डिजिटल खातों में 27 लाख से बढ़कर 70 लाख) की कुल वृद्धि हासिल की है, परिसंपत्तियों के पक्ष में 2.8 गुना वृद्धि हुई (डिजिटल ऋण बही का आकार 3400 करोड़ से बढ़कर 9600 करोड़ हो गया है।) और जेवी उत्पादों के क्रॉस-सेलिंग के माध्यम से कमीशन आय (2.7 करोड़ रुपये से 19 करोड़ रुपये) में वृद्धि हुई।

डेबिट कार्ड: भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों द्वारा एटीएम (नकद आहरणों के लिए) के बजाय प्वाइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल/ई-वाणिज्य वेबसाइटों पर डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित किया है। कार्ड धारकों द्वारा नकद की तुलना में डिजिटल लेनदेनों का प्रतिशत 21.99 प्रतिशत से बढ़कर 38.10 प्रतिशत हो गया है। प्वाइंट ऑफ सेल्स/ई-वाणिज्य पर एक दिन में किया गया अत्यधिक खर्च धनतेरस (25.10.2019 को) के दिन 1,208 करोड़ रुपए रहा।

आपके बैंक ने डेबिट कार्ड के मामले में एनसीएमसी अनुपालक रुपे कार्ड, रुपे जेसीबी (अंतर्राष्ट्रीय सुविधा हेतु), भूटान में रुपे कार्ड तथा प्रीमियर ग्राहकों के लिए मास्टरकार्ड वर्ल्ड शुरू करने जैसी कई नवोन्मेषन सुविधाएं शुरू की हैं। सह-ब्रांड वाले डेबिट कार्ड के मामले में आपके बैंक ने ईंधन संबंधी लेनदेनों को डिजिटल करने के लिए एसबीआई आईओसीएल सह ब्रांड डेबिट कार्ड शुरू किया है और सह-ब्रांड वाले डेबिट कार्ड शुरू करने के लिए मदुरै कामराज विश्वविद्यालय के साथ गठजोड़ किया है।

अपने ग्राहकों की सुरक्षा ही हमारा लक्ष्य है और आपके डेबिट कार्ड लेनदेनों को सुरक्षित करने के लिए आपके बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग, योनो एवं योनो लाइट तथा एसबीआई क्विक ऐप आदि के जरिए अंतर्राष्ट्रीय/देशी/एटीएम/ प्वाइंट ऑफ सेल्स एवं ई-वाणिज्य लेनदेनों को करने और बंद करने के लिए स्विच ऑन/ऑफ सुविधा प्रदान की है।

इन पहलों के कारण डेबिट कार्ड पर किए गए व्यय में अपने हिस्से की दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक बाजार अग्रणी बन गया है। 31 मार्च 2020 को बैंक का हिस्सा अत्यधिक 29.35% रहा। 31 मार्च 2020 तक सक्रिय रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग 27.81 करोड़ डेबिट कार्डों के साथ भारतीय स्टेट बैंक देश में डेबिट कार्ड जारी करने के मामले में अभी भी अग्रणी है।

स्टेट बैंक विदेशी यात्रा कार्ड: स्टेट बैंक विदेशी यात्रा कार्ड (एसबीएफटीसी) चिप आधारित ईएमवी अनुरूप प्री-पेड कार्ड है, जो विदेशी यात्रियों को सुरक्षा एवं सुविधा प्रदान करता है (यह भारत, नेपाल एवं भूटान को छोड़कर विश्वभर में वैध)।

वीजा पर यह कार्ड 8 मुद्राओं यथा अमरीकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, कनाडा डॉलर, आस्ट्रेलिया डॉलर, जापानी येन, सऊदी अरब रियाल एवं सिंगापुर डॉलर में एकल मुद्रा कार्ड के रूप में उपलब्ध है। मास्टरकार्ड पर यह कार्ड 7 मुद्राओं यथा अमरीकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, कनाडा डॉलर, आस्ट्रेलिया डॉलर, सिंगापुर डॉलर एवं यूएई दिरहम में बहु-मुद्रा कार्ड के रूप में उपलब्ध है। कॉरपोरेट ग्राहकों की विभिन्न जरूरतों की पूर्ति करने हेतु आपके बैंक के पास स्टेट बैंक विदेशी यात्रा कार्ड के कॉरपोरेट प्रकार भी हैं।

स्मार्ट सिटी : भारत के 100 चयनित स्मार्ट शहरों में भुगतान इकोसिस्टम को कैप्चर करने के लिए समर्पित दल है। 'एक शहर, एक कार्ड' के लिए ट्रांसिट समाधान/एकीकृत टिकट समाधान शुरू करने की योजना है, जो स्मार्ट शहरों के लिए भुगतान पहल है।

महानगरीय एवं मार्गस्थ परियोजनाएं: आपके बैंक ने रुपे प्री-पेड कार्ड आधारित नैशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के विनिर्देशों का प्रयोग करते हुए नागपुर मेट्रो परियोजना के लिए एंड टु एंड टिकटिंग समाधान को लागू किया है। यह नोएडा मेट्रो में टिकटिंग समाधान सफलतापूर्वक लागू करने के बाद बैंक की दूसरी परियोजना है। एनसीएमसी कार्ड विनिर्देशों के आधार पर ओपन लूप औटोमेटिक फेर कलेक्शन सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक को हैदराबाद मेट्रो परियोजना का कार्य भी दिया गया है।

फास्ट टैग्स: आपके बैंक ने ग्राहकों को 15 लाख से भी ज्यादा एसबीआई फास्ट टैग्स जारी किए हैं। इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 31 मार्च 2020 तक कुल 722 करोड़ रुपए से अधिक की लेनदेन राशि के साथ एसबीआई फास्ट टैग्स के जरिए किए गए कुल टोल लेनदेन 441 लाख से अधिक रहे। आपके बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ओड़िशा, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल के राज्य सड़क परिवहन निगमों के लिए फास्ट टैग संबंधी सेवाएँ प्रदान की गई हैं।

मर्चेंट अधिग्रहण: भारत में डिजिटल भुगतानों का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के जरिए भारत को रूपांतरित करने में तेजी ले आने में आपका बैंक प्रभावी भूमिका अदा कर रहा है। नकदी रहित अर्थव्यवस्था बनाने के भारत सरकार के ध्यान के अनुरूप भारतीय स्टेट बैंक ने पूरे देश में डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की आधारिक संरचना विस्तारित की। आपके बैंक ने पूरे देश में अपने डिजिटल फुटप्रिंट को विस्तारित करना जारी रखा। आपके बैंक ने 31 मार्च 2020 को 6.73 प्वाइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल, 3.33 लाख भारत क्यूआर कोड एवं भीम-आधार-एसबीआई ऐप पर 9.53 लाख मर्चेंटों को ऑनबोर्ड किया। 31 मार्च 2020 को मर्चेन्ट भुगतान स्वीकार करने वाले टच प्वाइंटों की संख्या 19.59 लाख पार हो गई। आपके बैंक ने 31 मार्च 2020 को वर्षानुवर्ष 10% वृद्धि के साथ लगभग 60 करोड़ लेनदेन अर्जित किए।

मूल अधिग्रहण सेवाओं के अलावा, एसबीआईपीएसपीएल मर्चेन्टों को निम्नलिखित सेवाएँ भी दे रहा है :

- प्वाइंट ऑफ सेल्स टर्मिनलों पर एनएफसी स्वीकृति
- डाइनामिक करेंसी कनवर्शन

- समान मासिक किस्त
- प्वाइंट ऑफ सेल्स पर नकद की सुविधा
- राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली
- योनो नकद एवं बिक्री की सुविधा

आपका बैंक मौजूदा कारोबार को मजबूत बनाने के अलावा प्रीमियम खंडों जैसे-ओएमसी, रिटेल चेन्स, लाइफ स्टाइल स्टोर्स और हॉलिडे रिसॉर्ट्स वाले मर्चेन्टों को बैंक के साथ जोड़ने के प्रयास निरंतर जारी रखे हुए हैं। बैंक ने प्रमुख कॉरपोरेटों एवं सरकारी विभागों से उनके नकद लेनदेन को डिजिटल माध्यम पर लाने के लिए गठजोड़ किया है। इसमें डिजिटल लेनदेन अबाधित रूप से चलने के लिए अपनी प्रणालियों को कॉरपोरेट एवं सरकारी विभागों की प्रणालियों के अनुरूप बनाना एवं उनके साथ समेकन करना शामिल हैं।

आपके बैंक ने सरकार की एक राष्ट्र एक कार्ड की पहल को लागू करने के लिए अपने पीओएस टर्मिनलों पर एनसीएमसी के लिए कार्ड स्वीकृति व्यवस्था विकसित की है।

8. ग्राहक मूल्य संवर्धन

आपका बैंक एक ही जगह पर बहुत सारे वित्तीय समाधान उपलब्ध कराके ग्राहकों तथा सभी हितधारकों के मूल्य संवर्धन पर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। एक वित्तीय सुपर स्टोर के रूप में बैंक, देश भर में फैले अपने शाखा नेटवर्क के माध्यम से म्यूचुअल फंड, सामान्य बीमा, जीवन बीमा, क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा डीमैट खाते जैसे वित्तीय उत्पाद पेश करता है।

तीसरे पक्ष के उत्पादों की बिक्री के लिए बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल यात्रा के मार्ग पर लाने का पथ अपनाया है। डिजिटलीकरण ने आवश्यकता आधारित बिक्री को सुदृढ़ किया है तथा ग्राहकों के जुड़े रहने को बेहतर किया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड तथा एसबीआई लाइफ के मामलों में क्रमशः 100% व 98% बिक्री डिजिटल रूप से की जाती है। बैंकएश्योरेंस का स्तर वित्त वर्ष 2018-19 में 81% से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 83% हो गया। हमने अपना ध्यान संरक्षण व्यवसाय पर बढ़ाया तथा संरक्षण व्यवसाय हिस्सेदारी में सुधार देखा गया।

बीमा व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका ग्राहकों तथा उनके परिवार को किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। हमें गर्व है कि जीवन बीमा व्यवसाय शुरू करने के बाद से बैंक ने मृत्यु दावों का समय पर निपटान करके लगभग 1.45 लाख परिवारों की सहायता की। इसी प्रकार एसबीआई जनरल ने ओडिशा में आए चक्रवात फनी के समय 35 करोड़ रुपये के दावों का निपटान रिकॉर्ड समय में किया।

ग्राहक की बदलती निवेश वरीयताओं को देखते हुए बैंक देश भर में अपने सभी ग्राहकों को एसबीआई म्यूचुअल फंड की व्यवस्थित निवेश योजना (सिप) व्यवस्थित आहरण योजना (सिस्टेमैटिक विथड्राल प्लान), डेब्ट, इक्विटी तथा लिक्विड फंड्स इत्यादि जैसे आवश्यकता आधारित वित्तीय उत्पादों की पेशकश कर रहा है। सिप (22.5 लाख सिप) तथा बही मूल्य (417 करोड़ ₹) के साथ बैंक ने अपनी नंबर 1 स्थिति बनाए रखी है।

प्लास्टिक मुद्रा के उपयोग के बढ़ते चलन के साथ चलते हुए बैंक ग्राहकों की मांग को पूरा कर रहा है तथा ग्राहकों को दूरस्थ स्थानों पर भी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा रहा है, वित्त वर्ष 2019-20 में दस लाख से अधिक कार्डों की बिक्री की गई। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य सेवानिवृति के बाद आय का स्थायी स्रोत देना है। बैंक अपने व्यापक शाखा नेटवर्क के माध्यम से एनपीएस खाते खोल रहा है तथा कुल 2.23 लाख (स्टाफ खातों को छोड़कर) एनपीएस खातों के साथ नंबर 1 खिलाड़ी बना हुआ है।

बेहतर ग्राहक अनुभव तथा आवश्यकता आधारित बिक्री पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बैंक इन सभी वित्तीय उत्पादों के विपणन में अग्रणी बना हुआ है तथा बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 में 2030.35 करोड़ रुपये की आय अर्जित की। प्रत्येक अनुषंगी का आय में योगदान निम्नानुसार है:

9. इंटरनेट बैंकिंग एवं ई कॉमर्स

आपके बैंक के सर्वोत्कृष्ट डिजिटल पोर्टल 'onlinesbi' ने 735 लाख से भी अधिक वर्तमान ग्राहकों के साथ अपनी आगे की यात्रा को जारी रखा, जो इस समय अँग्रेजी एवं हिंदी के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। वर्ष के दौरान चैनल पर 1,33,62,855 करोड़ रुपए के मूल्य के 158 करोड़ से भी अधिक लेनदेन हुए। उच्च मूल्य के लेनदेन करते हुए 'onlinesbi' ने बड़े कॉरपोरेट घरानों के बीच अपनी सर्वोच्च स्थिति एवं व्यापक स्वीकार्यता को बनाए रखा। बैंक और शॉपिंग दोनों की सुविधा आपको उँगलियों पर देने के लिए इस चैनल को अत्याधुनिक सुरक्षा विशेषताओं एवं सुविधाओं से लगातार अपग्रेड किया जा रहा है।

ग. लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई)

एसएमई वित्तपोषण में आपका बैंक बाजार में अग्रणी और सर्वश्रेष्ठ है। 31 मार्च 2020 को दस लाख ग्राहकों के साथ एसएमई पोर्टफोलियो 2,67,614 करोड़ रुपये का था, जो आपके बैंक के कुल अग्रिम का करीब 11.05 प्रतिशत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विनिर्माण, निर्यात और रोजगार सृजन में एसएमई के योगदान को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने इसे एक महत्वपूर्ण खंड के रूप में देखा है। सरल एवं नवोन्मेषी वित्तीय समाधान प्रस्तुत करने की अपनी प्रतिबद्धता स्वरूप आपके बैंक की एसएमई वृद्धि निम्नलिखित तीन स्तंभों पर आधारित है:

क) ग्राहक सुविधा

ख) जोखिम कम करना

ग) तकनीक आधारित डिजिटल उत्पाद एवं प्रक्रिया का सरलीकरण

(₹ करोड़ में)

संयुक्त उद्यम	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20	वर्ष दर वर्ष % परिवर्तन
एसबीआई लाइफ	951.9	1117.65	17%
एसबीआई म्यूचुअल फंड	502.61	376.45	-25%*
एसबीआई जनरल	270.86	314.53	16%
एसबीआई कार्ड्स	191.69	211.95	11%
एसएसएल	6.7	4.74	-29%**
एनपीएस	4.11	5.03	22%
कुल	**1926.87**	**2030.35**	**5%**

* एसबीआई म्यूचुअल फंड के संबंध में: आय में वर्ष दर वर्ष आधार पर ऋणात्मक वृद्धि दलाली (ब्रोकरेज) के भुगतान में विनियामक परिवर्तनों के कारण हुई है।

** एसबीआई कैप सिक्योरिटी लिमिटेड (एसएसएल) की आय: आय में वर्ष दर वर्ष आधार पर ऋणात्मक वृद्धि, डीमैट खातों की शिथिल मांग के कारण हुई।

1. ग्राहकों की सुविधा

बदलते भारत की गति बनाने और उसे बनाए रखने आपके बैंक नें शाखाओं एवं अन्य विधाओं के आधार पर सर्वाधिक टच प्वांइट बनाए हैं। लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार में आसानी बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय स्टेट बैंक ने लघु और मध्यम उद्यम केंद्र (SMEC) के अपने मौजूदा वितरण मॉडल को संशोधित किया है और 50 लाख तक के ऋणों के लिए ग्राहकों के साथ संपूर्ण कार्य एक साथ संपन्न करने के लिए एसेट मैनेजमेंट टीम्स (AMT) बनाई हैं। एसएमईसी को जनशक्ति के संदर्भ में भी मजबूत किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सेवा में सुधार हुआ है।

2. डिजिटल उत्पाद:

आपका बैंक व्यापार से गुणवत्ता वृद्धि के हर पहलू में प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है, उत्पादों को डिजाइन कर रहा है, प्रक्रिया को व्यवस्थित कर रहा है, वितरण में सुधार कर रहा है। इसके अतिरिक्त, इसने जोखिमपूर्ण तरीके से एसएमई पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए कई पहल की हैं और बैंकिंग में आसानी सुनिश्चित करने के लिए इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

ऋण जीवन-चक्र प्रबंधन

ऑनलाइन ऋण आवेदन और ऑनलाइन लीड स्थिति: आपका बैंक कॉरपोरेट वेबसाइट पर एमएसएमई (MSME) उधारकर्ताओं के लिए एक ऑनलाइन ऋण आवेदन और ट्रैकिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है। एक सीआरएम आईडी ग्राहक के ऋण आवेदन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) एप्लिकेशन द्वारा जारी की जाती है, जिसे ग्राहक के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ग्राहक इस सीआरएम आईडी और ऑनलाइन पोर्टल पर मोबाइल नंबर के माध्यम से अपने ऋण आवेदन सफल ओटीपी सत्यापन द्वारा ट्रैक कर सकते हैं।

ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम): बैंक ने ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने और बैंक के ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए अपने जीवनचक्र के दौरान ग्राहकों के साथ जुड़ने के लिए सीआरएम को एक एकीकृत मंच के रूप में प्रस्तुत किया है। सीआरएम पोर्टल विभिन्न चैनलों के माध्यम से सीआरएम आवेदन में लीड जेनरेट करने, विभिन्न चरणों में लीड की निगरानी और बेहतर ग्राहक संपर्क के माध्यम से कम टर्न एराउंड टाइम (टीएटी) के उद्देश्य से बनाया गया है।

ऋण उत्पत्ति सॉफ्टवेयर (LOS-SME) और ऋण जीवन चक्र प्रबंधन प्रणाली (LLMS): गुणवत्ता सुनिश्चित करने और कॉर्पोरेट मेमोरी को संरक्षित करने के लिए ऋण वितरण के समान मानकों को अपनाने के लिए, छोटे और उच्च मूल्य वाले ऋणों के लिए ऋण क्रमशः एलओएस और एलएलएमएस के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं।

संपर्क रहित ऋणान्वयन प्लेटफॉर्म

भारतीय स्टेट बैंक सिडबी के पीएसबी कंसोर्टियम के हितधारक में से एक है और आपके बैंक की नवोन्मेषी पहल, psbloanin59minutes.com, जीएसटी एवं आय कर फाइलिंग प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत एसएमई के लिए ऋण की आसान पहुंच प्रदान करता है। इस प्लेटफार्म से आपका बैंक रु 1.00 लाख से ₹ 500.00 लाख तक सोर्सिंग कर रहा है। वित्त वर्ष 2020 में पोर्टल पर 15550 लीड के सैद्धांतिक अनुमोदन दिए गए, जिसमें ₹ 3837 करोड़ के 10243 लीड संस्वीकृत किए गए हैं।

ई-मुद्रा:

आपके बैंक ने वेब एप्लिकेशन विकसित किया है, जो ₹ 50000 तक के ऋणों के मूल्यांकन, अनुमोदन और वितरण की सुविधा प्रदान करता है (शिशु श्रेणी)। यह टैट में भी कटौती करता है, ऋण प्रक्रिया को सहज बनाने के साथ ग्राहकों को अधिक संतुष्ट करता है। 31.03.2020 तक ₹ 194.24 करोड़ के कुल 40555 ई-मुद्रा ऋण संस्वीकृत किए गए।

उधारकर्ताओं के लिए सेवाओं का डिजिटलीकरण :

ग्राहक अनुभव और वित्तीय और अन्य विवरणों की परेशानी रहित प्रस्तुति के लिए आपके बैंक ने इस सेवा को अपने कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है।

ऋणों की सह-उत्पत्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए बैंकों और गैर-वित्तीय कंपनियों, या एनबीएफसी द्वारा ऋणों की सह-उत्पत्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के तहत, आपके बैंक ने पहले ही 4 एनबीएफसी के साथ टाई-अप कर लिया है और व्यवसाय की बुकिंग शुरू कर दी है।

प्रोजेक्ट विवेक

प्रोजेक्ट विवेक ने बैंक की मूल्यांकन पद्धति के प्रतिमान को बदल दिया है, जिसमें परंपरागत तुलन पत्र आधारित वित्तपोषण के बदले वस्तुपरक नकदी प्रवाह और अन्य सूचना स्रोतों को आधार बनाया गया है। यह नए क्रेडिट अंडरराइटिंग इंजन (सीयूई) को लागू करने की भारतीय स्टेट बैंक की अभिनव पहल है, जिससे जोखिम आकलन में वस्तुनिष्ठता आएगी। इसके अलावा, यह टर्न एराउंड टाइम (TAT) को कम करता है, जिससे ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि होती है। वित्त वर्ष 2020 में कुल 33618 प्रस्ताव प्रोजेक्ट विवेक के अंतर्गत संसाधित किए गए।

एमएसएमई के तरलता मुद्दों पर जोर देने और सहज परिचालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उत्पादों को लॉन्च किया गया था :

क) एमएसएमई के लिए एसएलसी:

आपके बैंक ने अस्थायी तरलता अंतर को दूर करने के लिए एमएसएमई के लिए नया उत्पाद 'स्टैंडबाय लाइन ऑफ क्रेडिट' लॉन्च किया है, जिसकी सीमा ₹ 5.00 करोड़ तक है। यह प्राप्तियों में होने वाली देरी, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (निर्यात सहित) की देरी तथा अन्य व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए है।

ख) एसएमई सहायता:

आपके बैंक ने तरलता की कमी का सामना करने वाली इकाइयों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए 'एसएमई असिस्ट' उत्पाद को भी बहाल किया है, जिसमें लंबित इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों (जीएसटी) के खिलाफ डब्ल्यूसीडीएल ऋण दिया जाता है।

ब्याज की प्रतिस्पर्धी दरें

आपके बैंक ने एमएसएमई की सभी फ्लोटिंग दर ऋण को बाहरी बेंचमार्क से 01.10.2019 से जोड़ दिया है।

पूर्व-अनुमोदित मर्चेंट लोन (PAML):

आपके बैंक ने अपने चालू खाता ग्राहकों जिनके पास एसबीआई पीओएस टर्मिनल है, के संपूर्ण समाधान के लिए डिजिटल प्री-अप्रूव्ड लोन ऑफर डिजाइन किया है। ऋण सीआइएनबी (कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग) प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया जाता है। सीआइएनबी के माध्यम से, ग्राहक कुछ ही क्लिक के भीतर अपने चालू खातों में ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

एसबीआई और क्यूसीआई ने एमएसएमई प्रमाणन के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए (जेड): आपका बैंक भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ एमएसएमई मंत्रालय की प्रमाणन योजना जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला बैंक बन गया है। इसमें आपका बैंक बेहतर जेड़ईडी रेटिंग वाले एमएसएमई के लिए मूल्य निर्धारण/प्रसंस्करण शुल्क में रियायतें दे रहा है।

व्यापार प्राप्य डिस्काउंट सिस्टम (TReDS)

भारतीय स्टेट बैंक एमएसएमई को वित्त प्रदान करने के लिए निर्धारित TReDS मंच RXIL और M1xchange पर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से रजिस्टर करने वाला पहला बैंक है। इसके साथ अब देश के सभी 3 TReDS प्लेटफार्मों पर हमारी उपस्थिति है। आपका बैंक एमएसएमई विक्रेताओं के बिलों/इनवाइसों की ऑनलाईन बोली में भी सक्रिय रूप से सहभागिता करता है और एमएसएमई को

प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है जिन्हें कॉरपोरेट खरीददार स्वीकार करते हैं। वित्त वर्ष 2020 में ₹ 282.65 करोड़ के बिल डिस्काउंट किए गए थे।

आपूर्ति श्रृंखला वित्त:

अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और शाखा नेटवर्क का लाभ उठाते हुए आपका बैंक विभिन्न क्षेत्रों में कॉरपोरेट जगत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके आपूर्ति श्रृंखला वित्त में एक प्रमुख बैंक है। आपके बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला वित्त 27500 डीलरों और 12300 विक्रेताओं को उपलब्ध कराया है, जिसकी कुल संस्वीकृत सीमा ₹ 40130 करोड़ है।

वित्त वर्ष के दौरान कॉरपोरेट के साथ 37 नए टाइअप किए गए हैं, जिसमें OPPO मोबाइल, बॉश लिमिटेड, हीरो इलेक्ट्रिक, आईटीसी लिमिटेड, डाबर लिमिटेड, इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड, अल्ट्रा टेक सीमेंट, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार लि. आदि हैं। 31 मार्च 2020 तक 4317 डीलरों को ₹ 4123 करोड़ ईडीएफएस संस्वीकृत किए गए। आपूर्ति श्रृंखला के पोर्टफोलियो को लुभाने के लिए, बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला पोर्टफोलियो के लिए उपयुक्त जोखिम शमन उपाय और जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण किया है।

3. बिजनेस पार्टनरशिप/टाई-अप

आपका बैंक संपार्श्विक प्रबंधकों और उद्योग प्रमुखों के साथ व्यावसायिक साझेदारी/सहयोग के माध्यम से रसीद वित्त और आपूर्ति श्रृंखला वित्त के अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है।

गोदाम रसीद वित्त:

आपके बैंक ने गोदाम रसीद वित्तपोषण योजना (WHR) शुरू की है, ताकि प्रसंस्करण के लिए व्यापारियों/माल के निर्माताओं/व्यापारियों को वित्त प्रदान किया जा सके, बशर्ते कि संपार्श्विक प्रबंधकों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के साथ टाई-अप जारी किया गया हो। इसके अलावा, केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी) द्वारा जारी किए गए डब्ल्यूएचआर भी डब्ल्यूएचआर वित्त के लिए पात्र होंगे। बैंक ने एनपीए/तनावग्रस्त खातों की ई-निलामी के लिए ई-एनडब्ल्यूआर और एनईएमएल (एनसीडीएक्स की सहायक) के खिलाफ वित्तपोषण के लिए रिपॉजिटरी एनईआरएल और सीसीआरएल के साथ करार किया।

4. जोखिम कम करना:

आपका बैंक तेजी से अपने जोखिम कम करने वाले उत्पादों की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें आस्ति समर्थित ऋण, बिल्स डिस्काउंटिंग सुविधा और सीजीटीएमएसई/सीजीएफएमयू कवर किए गए ऋण शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:

भारत सरकार की पहल के अनुरूप, आपके बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के विभिन्न उत्पादों के अंतर्गत पात्र इकाइयों को ऋण देने पर विशेष बल दिया है और 31 मार्च 2020 तक ₹ 35700 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹ 34977 करोड़ वितरित किए हैं।

सीजीटीएमएसई के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण प्रवाह:

भारतीय स्टेट बैंक सीजीटीएमएसई की गारंटी के तहत ₹ 2 करोड़ तक के संपार्श्विक रहित ऋण उपलब्ध करा कर एमएसएमई और सूक्ष्म और लघु व्यवसाय का समर्थन करने में अग्रणी है। 31 मार्च 2020 तक आपके बैंक का सीजीटीएमएसई के अंतर्गत पोर्टफोलियो ₹ 9,115 था।

घ. ग्रामीण बैंकिंग

1. कृषि व्यवसाय

वर्तमान में आपका बैंक विभिन्न कृषि अग्रिम उत्पादों के माध्यम से 1.42 करोड़ से अधिक किसानों की सेवा कर रहा है।

आपके बैंक का ध्यान अब निवेश ऋण संविभाग के निर्माण पर है, जिसमें डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्यपालन आदि गतिविधियों के लिए ऋण शामिल हैं, जो किसानों को दैनिक नकदी प्रवाह उत्पन्न करने में भी मदद करेंगे। भारत सरकार ने पशुपालन और मत्स्यपालन से संबंधित गतिविधियों के लिए किसानों को ब्याज छूट सुविधा भी प्रदान की है।

कुछ वर्षों में किसानों को जमीनी स्तर पर किया गया ऋण संवितरण निम्नानुसार है:

आपका बैंक ग्रामीण और अर्ध शहरी (आरयूएसयू) शाखाओं में ऋण प्रस्तावों के केंद्रीकृत अनुमोदन के लिए पहले ही खुदरा आस्ति ऋण केंद्र (आरएसीसी) लागू कर चुका है। इसके अलावा, आरयूएसयू शाखाओं में ऋण वितरण में सुधार के लिए एफ़आई और एमएम नेटवर्क का कार्यान्वयन वर्तमान में प्रगति पर है। कृषि उत्पादों के डिजिटलीकरण से बैंक को मौजूदा ग्राहक आधार से अधिक व्यापार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कृषि स्वर्ण ऋण की मंजूरी के लिए बैंक ने मोबाइल योनो कृषि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। योनो कृषि में 'सफल' लिंक के माध्यम से नये किसान क्रेडिट कार्ड ऋण और नए पशुपालन ऋण की उपयोगिता का विकास किया जा रहा है।

योनो-कृषि मंच के माध्यम से आपके बैंक ने पहले ही 4.70 लाख से अधिक एग्री गोल्ड लोन मंजूर किए हैं, जिनकी राशि लगभग 6000 करोड़ रुपये है। योनो-कृषि ऐप के मंडी और मित्रा पोर्टल में प्रति दिन 12,000 से अधिक क्लिक पंजीकृत किए जा रहे हैं। योनो प्लेटफॉर्म पर सभी स्वर्ण ऋणों के माइग्रेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(₹ करोड़ में)

कृषि के ऋण का प्रवाह

साल	लक्ष्य	संवितरण	% प्राप्ति
वित्तीय वर्ष 2016	89,781	1,02,423	114%
वित्तीय वर्ष 2017	95,168	1,25,270	132%
वित्तीय वर्ष 2018	1,05,741	1,66,819	158%
वित्तीय वर्ष 2019	1,16,315	1,56,385	134%
वित्तीय वर्ष 2020	1,27,947	1,77,473	139%

2. माइक्रो क्रेडिट (एसएचजी-बैंक लिंकेज):

आपका बैंक एसएचजी - बैंक लिंकेज कार्यक्रम के माध्यम से 1.32 करोड़ स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को ऋण प्रदान कर रहा है, जिनमें से 1.17 करोड़ से अधिक सदस्य महिला सदस्य हैं। एसएचजी के कवरेज को बढ़ाने के लिए आपका बैंक विभिन्न राज्यों में एनआरएलएम और एसआरएलएम एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में है।

आपका बैंक एमएफ़आई और एनबीएफ़सी से कृषि संपत्तियों के पूल खरीदने में सक्रिय है। इस वर्ष पूल खरीद की संख्या लगभग 28 हो गई, जिसकी समग्र राशि लगभग 9,600 करोड़ रुपये है, जो 38 लाख लाभार्थियों तक पहुंचाई गई।

3. अन्य पहलें

वफादार और नियमित कर्जदारों को सम्मानित करने और "किसानों के साथ संबंध" को मजबूत करने और नए किसानों को वित्त देने के लिए नियमित रूप से किसान मेला /किसान मिलन का आयोजन किया जा रहा है। आपके बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्तर के चार किसान मेले आयोजित किए हैं।

4. वित्तीय समावेशन (एफआई):

आपके बैंक को एहसास है कि एफआई गतिविधियों के आयोजन और संवर्धन में देश के सबसे बड़े बैंक के रूप में उसे क्या भूमिका निभानी चाहिए। डिजिटल बैंकिंग चैनलों का प्रसार और व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) नेटवर्क के विस्तार से आपके बैंक को अपनी एफआई गतिविधियों को और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। इस प्रकार, समावेशी विकास और वृद्धि प्राप्त करने के लिए आपके बैंक ने उन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाने के उद्देश्य से बैंकिंग सुविधा से वंचितों तक वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने हेतु कार्यनीतियों को तैयार किया है और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है।

आपके बैंक में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में 61,102 ऑपरेटिंग बीसी और 22,141 शाखाएं हैं। बीसी चैनल, जो शाखाओं में फुटफॉल्स को कम करते हुए बैंकिंग सुविधा रहित क्षेत्रों में विभिन्न बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है, ने 31.03.2020 तक 2,27,469 करोड़ रुपए के 49.29 करोड़ लेनदेन दर्ज किए हैं, जो औसतन प्रतिदिन 18 लाख लेनदेन से अधिक हैं।

भारत सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक ने इस कार्यक्रम को लागू करने में अग्रणी बनकर सार्वभौमिक वित्तीय पहुंच का मार्ग प्रशस्त किया है। आपके बैंक ने 31.03.2020 तक 12.05 करोड़ खाते खोले हैं और पात्र ग्राहकों को 11.28 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं। पिछले एक दशक में सरकार की प्रमुख आर्थिक नीति कार्यसूची के भाग के रूप में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत की गई इन पहलों से वंचित व्यक्तियों के लिए बैंक खातों तक पहुंच सुनिश्चित की गई है।

सामाजिक सुरक्षा उपायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए असंगठित क्षेत्र को बड़े पैमाने पर कम लागत वाले सूक्ष्म बीमा उत्पाद (पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई) और पेंशन योजनाएं (एपीवाई) प्रदान की जाती हैं, जिनमें लगभग 5 करोड़ ग्राहक शामिल हैं ।

प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते

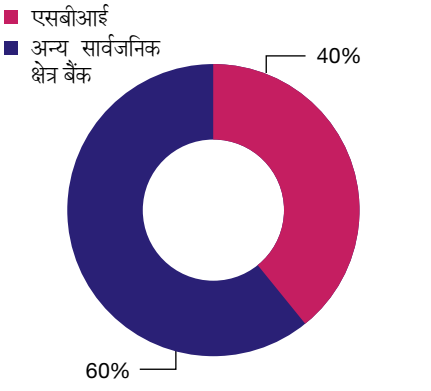

जमा खाते (प्रधानमंत्री जन धन योजना)

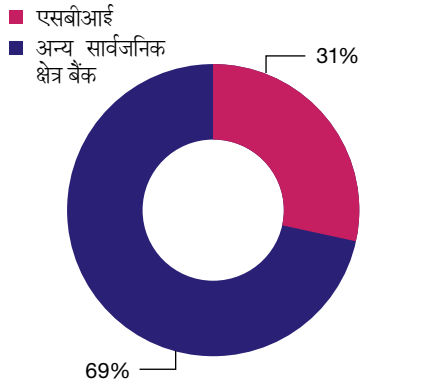

जारी किए गए रुपे कार्ड (प्रधानमंत्री जन धन योजना)

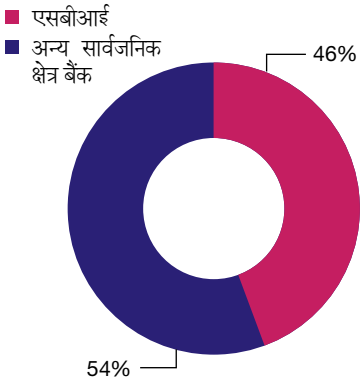

वित्तीय साक्षरता प्रदान करना

वित्तीय साक्षरता प्रदान करने और वित्तीय सेवाओं के प्रभावी उपयोग को सुगम बनाने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने देश भर में लगभग 341 वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) स्थापित किए हैं। वित्त वर्ष 2019-2020 में देश भर में इन एफएलसी द्वारा कुल 29,995 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए, जहां 16.59 लाख लोगों ने भाग लिया। आरबीआई द्वारा लागू पायलट परियोजना के एक भाग के रूप में, आपके बैंक ने आरबीआई द्वारा चिन्हित गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से ब्लॉक स्तर पर वित्तीय साक्षरता के लिए। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य में पांच-पांच केंद्र के हिसाब से 15 केंद्र (सीएफएल) स्थापित किए गए हैं ।

आरसेटी सामाजिक परिवर्तन एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से टिकाऊ आजीविका प्राप्त करने में सशक्त बना रहे हैं और उन्हें अपने सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में मदद कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण रोजगार और धन सृजन का निर्माण हो रहा है । आपके बैंक ने 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 152 आरसेटी की स्थापना की है। इस वर्ष के दौरान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल में 152वें आरएसटीआई की स्थापना की गई थी। इन 152 आरसेटी में वित्त वर्ष 2019-20 में 93009 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। आपके बैंक को 19 दिसंबर 2019 को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा आरसेटी पहल के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंक के रूप में चुना गया है।

ङ. एनबीएफसी गठबंधन

आपके बैंक ने अक्तूबर 2018 में एनबीएफसी गठबंधन विभाग बनाया है। यह विभाग सह-उत्पत्ति मॉडल के अंतर्गत ऋण के लिए विभिन्न एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। 7 एनबीएफसी पहले ही ऑनबोर्ड हो चुकी हैं। सह-उत्पत्ति मॉडल के अंतर्गत ऋण के लिए विशिष्ट नए उत्पाद विकसित किए गए हैं। इस मॉडल के अंतर्गत ₹ 1.00 लाख तक के ऋण हेतु शुरू से अंत तक एक डिजिटाइज्ड मॉडल भी विकसित किया गया है, जिसमें अक्तूबर 2019 से अब तक 11000 से अधिक खाते संस्वीकृत किए गए हैं।

इसी प्रकार, अन्य एनबीएफसी/बीसी को भी व्यवसाय सहयोगी मॉडल के अंतर्गत ऑनबोर्ड किया जा रहा है और इस मॉडल के लिए भी शुरू से अंत तक एक डिजिटाइज्ड प्रक्रिया बहुत जल्द प्रारंभ होने की उम्मीद हैं।

च. कार्यनीति

ग्राहकों, शेयरधारकों और कर्मचारियों के लिए मूल्य संवर्धन के उद्देश्य से शीर्ष प्रबंधन की दूरदर्शिता को साकार करने के लिए कई कार्यनीतिक पहल की गई हैं। वर्ष के दौरान सीएसओ द्वारा शुरू की गई कुछ परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं:

(i) संरचनात्मक परिवर्तन - एफआई एवं एमएम वर्टिकल का सृजन

वित्तीय समावेशन सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकता है, क्योंकि यह समावेशी विकास को संबल देने का काम करता है। यह निर्धनों को अपनी बचत राशि औपचारिक वित्तीय तंत्र में लाने का अवसर प्रदान करता है, यह गाँवों में रह रहे उनके परिवारों को धन भेजने का अवसर प्रदान करने के अलावा उन्हें सूदखोरों के चंगुल से बाहर निकालता है। वित्तीय समावेशन पर अधिक ध्यान देने के लिए, बैंक ने चंडीगढ़ मंडल में प्रायोगिक आधार पर सफल क्रियान्वयन के बाद 1 जून 2020 से संपूर्ण भारत (तिरुवनंतपुरम मंडल को छोड़कर) में लागू करने के लिए अलग से वित्तीय समावेशन एवं सूक्ष्म बाजार (एफआई एंड एमएम) वर्टिकल बनाने की योजना बनाई है। इस वर्टिकल का नेतृत्व उप प्रबंध निदेशक (एफआई एंड एमएम) करेंगे, जिन्हें मुख्य महाप्रबंधक (एबीयू), मुख्य महाप्रबंधक (एफआई एंड एमएम), मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन), एफआई एंड एमएम और महाप्रबंधक (एनबीएफसी अलायंस) का सहयोग मिलेगा। मंडलों के अंतर्गत आने वाले एफआई एंड एमएम नेटवर्क में निम्नलिखित संस्थापनाएँ शामिल होंगी;

(क) जिला बिक्री केंद्र (डीएसएसएच यानी डिस्ट्रिक्ट सेल्स हब): क्षेत्रीय प्रबंधक (आरबीओ), एफआई एंड एमएम के नियंत्रणाधीन डीएसएच के मुख्य कार्यों में मार्केटिंग करना एवं स्थानीय जिला प्रशासन के साथ बिक्री संपर्क पर विशेष रूप से ध्यान देना शामिल है। आम तौर पर एक डीएसएच में एक जिले या 2-3 जिलों की लगभग 30 शाखाएँ शामिल होंगी। डीएसएच मुख्य रूप से एक मार्केटिंग और सेल्स यूनिट होगा, जिसमें एक मुख्य प्रबंधक (शाखा चैनल) होंगे, और यह व्यवसाय संवर्धन के प्रयासों और एनपीए की रोकथाम में शाखाओं को सहायता प्रदान करेगा। इसी तरह, डीएसएच में एक मुख्य प्रबंधक (एफआई) होंगे, जिनके पास जिले के एफआई एंड एमएम और आर एंड डीबी के अंतर्गत आने वाली शाखाओं के सीएसपी नेटवर्क और वित्तीय समावेशन व्यवसाय का संपूर्ण दायित्व होगा। परिचालनगत और प्रशासनिक मामलों को क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के स्तर पर संभाला जाएगा। स्वतंत्र यूनिट के रूप में आरएसीसी भी डीएसएच वाले स्थान पर ही स्थित होगी।

(ख) क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय (आरबीओ): एफआई एंड एमएम नेटवर्क में आरबीओ द्वारा 3-4 डीएसएच यानी 100-125 शाखाएँ नियंत्रित होंगी। शाखाओं की बड़ी संख्या के मद्देनजर उनकी प्रभावी निगरानी के लिए, आरबीओ को पर्याप्त स्टाफ सदस्य उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ग) नेटवर्क स्तर पर महाप्रबंधक (जीएम) का कार्यालय: एफआई नेटवर्क द्वारा व्यवसाय प्रतिनिधियों, सीएसपी और मंडल के पूर्ण वित्तीय समावेशन की समग्र जिम्मेदारी उठाई जाएगी, जिसका नेतृत्व महाप्रबंधक करेंगे, सिवाय भुवनेश्वर एवं पूर्वोत्तर मंडलों के जहाँ इसका नेतृत्व उप महाप्रबंधक (एफआई एंड एमएम) करेंगे। मुंबई मेट्रो मंडल के लिए अलग से संरचना प्रस्तावित है।

(ii) एनीटाइम चैनल का नवीनीकरण - अलग वर्टिकल का निर्माण

एटीएम डाउनटाइम को कम करने और ग्राहक को बेहतर अनुभव देने के लिए अलग से एनीटाइम चैनल वर्टिकल बनाया गया है। वर्तमान में एनीटाइम चैनलों की रोजमर्रा की गतिविधियाँ मंडल के पदाधिकारियों और शाखाओं द्वारा संपादित की जाती हैं। इस वर्टिकल के निर्माण से मंडल के पदाधिकारियों को ऑन-साइट एटीएम की रोकड़ संबंधी गतिविधि को छोड़कर एटीएम, रिसाइक्लर, स्वयं, पासबुक प्रिंटर, जीसीसी आदि का अपटाइम बनाए रखने और अन्य किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त कर शाखाओं के माध्यम से मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार, शाखाएँ नेमी प्रकृति के गैर-परिचालन रखरखाव (नॉन-ऑपरेशनल मेंटनेंस) वाले मुद्दों से मुक्त होकर व्यवसाय विकास पर ध्यान केंद्रित कर पाएँगी। इसे सक्षम करने के लिए विभिन्न तकनीकी एनेबलर विकसित किए जा रहे हैं।

वर्तमान में चंडीगढ़ और जयपुर मंडलों में इन्हें पायलट आधार पर चलाया जा रहा है, और शीघ्र ही इन्हें सभी मंडलों में लागू किया जाएगा।

(iii) एलएचओ में केंद्रीकृत शिकायत समाधान केंद्र

ग्राहकों की लगातार बढ़ती जरूरतों का ख्याल रखने और बेहतर ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए, ग्राहकों की शिकायतों के कार्य को ठीक ढंग से संभालना आवश्यक है।

इसके लिए, मंडल की शाखाओं से जुड़ी सभी शिकायतों के कार्य को संभालने, शिकायतों के समाधान पर फीडबैक लेने और इस तरह के फीडबैक के आधार पर बंद शिकायतों को फिर से खोलने, शिकायतों को बंद करने से पहले ग्राहक से संपर्क करने, और सीआरएम-सीएमएस में इस तरह की कॉल की पुष्टि अनिवार्य रूप से दर्ज करने, ग्राहकों को अंतरिम जवाब भेजने और समाधान के विभिन्न चरणों के दौरान अपडेट भेजने के लिए एलएचओ में एक केंद्रीकृत शिकायत समाधान केंद्र (सीसीआरसी) बनाया गया है।

सभी शिकायतों को समाधान के लिए, सीआरएम द्वारा केंद्रीकृत रूप में इस केंद्र को मार्क किया जाएगा। यह बेहतर ग्राहक सेवा और व्यवसाय प्रदान करने के लिए शाखाओं और आरबीओ के बैंडविड्थ के बोझ को कम करेगा। समाधान की गुणवत्ता का मानकीकरण, निगरानी और विश्लेषण किया जाएगा, ताकि एक जैसे मुद्दे पर बार-बार मिलने वाली शिकायतों से बचा जा सके और ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित की जा सके। इसे दिल्ली मंडल में पहले ही लागू किया जा चुका है, और 7 अन्य मंडलों में लागू किया जा रहा है।

(iv) शाखाओं का एक समान लेआउट

शाखा परिवेश में सुधार करना, ताकि संपर्क बिंदुओं (टच पॉइंट) पर ग्राहकों की बेहतर सहभागिता और बेहतर अनुभव सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान में, 1476 मेट्रो और शहरी शाखाओं का काम पूरा हो चुका है।

(v) शाखाओं में फ्लोर कोऑर्डिनेटर

फ्लोर कोऑर्डिनेटर के रूप में एसएसएल अधिकारियों का उपयोग करना उन कुछ पहलों में से एक है, जिसे शाखाओं में ग्राहक सेवा संवर्धन के नजरिए से लागू किया गया था। उनके कर्तव्यों में निम्न शामिल हैं- शाखा में आने वाले ग्राहकों से मिलना और अभिवादन करना, और उन्हें संबंधित काउंटरों/चैनलों पर निर्देशित करना। वर्तमान में, लगभग 1352 एसएसएल अधिकारी विभिन्न शाखाओं में 3-इन-1 डीमैट खातों की बिक्री के लिए मौजूद हैं, और वे फ्लोर कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम कर रहे हैं। प्रथम चरण में, इसमें मार्च के अंत तक 3111 मेट्रो और शहरी शाखाओं को शामिल करना प्रस्तावित है, और इसके बाद द्वितीय चरण में सभी मेट्रो और शहरी शाखाओं को शामिल किया जाना है।

(vi) बैंक के कॉन्टैक्ट सेंटर का नवीनीकरण

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (आरएमएन) आधारित निम्नलिखित स्वचालित सेवाएं विकसित की जा रही हैं, और शीघ्र ही कॉन्टैक्ट सेंटर के माध्यम से इन्हें शुरू करने का प्रस्ताव है। हमारे स्टाफ के साथ पायलट आधार पर कोलकाता में आंतरिक कॉल सेंटर कार्यरत है। वर्तमान में, सीआरएम 360 एक्सेस प्रदान किया गया है।

(vii) महानगरों में बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना

महानगरों में हमारी कम बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए हमने मुंबई मेट्रो में पायलट अध्ययन किया था, और मंडल द्वारा सुधारपरक सुझावों को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता जैसे 5 अन्य महानगरीय बाजारों में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक अनुशंसापरक अध्ययन कर रहे हैं।

छ. सरकारी व्यवसाय

परंपरागत रूप से आपका बैंक सरकार का सर्वप्रिय बैंक रहा है तथा केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों और विभागों का मान्यता प्राप्त बैंकर रहा है। आपका बैंक भारत सरकार की ई-गवर्नेंस पहलों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है तथा केंद्र व राज्य सरकारों के ई-समाधान के विकास में सहायक है। इससे उन्हें ऑनलाइन होने, अधिक दक्षता व पारदर्शिता लाने, व्यवसाय सुगमता तथा नागरिक जीवन में सुगमता लाने में सुविधा प्राप्त हुई है।

भारतीय स्टेट बैंक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधान मंत्री श्रम मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना-जैसी भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल है।

सरकारी व्यवसाय टर्नओवर तथा कमीशन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20
टर्नओवर	57,47,997	52,62,643
कमीशन	3,974	3,742

आपका बैंक सरकार की नवीनतम पहलों में सक्रिय हितधारक है तथा अन्य समाधानों के साथ लगातार ई-टेंडरिंग, ई-बीजी, ई-व्यापार जैसे अनुकूलित प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने में लगा हुआ है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहलों को लागू किया गया :

1. जीईएस (सरकारी ई-मार्किटप्लेस)

भारतीय स्टेट बैंक, जीईएम पोर्टल के माध्यम से सामान्य वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद हेतु आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के वित्तीय एकीकरण के लिए बैंकों में अग्रणी है। आपके बैंक ने पाँच राज्यों और 105 स्वायत्त निकायों के जीईएम पूल खाते खोले हैं।

2. ई-टेंडरिंग

एसबीएमओपीएस के साथ एकीकृत करके 12 राज्य सरकारों को उत्पाद उपलब्ध कराए गए हैं। स्वतंत्र रूप से एकीकृत किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं- एनटीपीसी तथा ओएनजीसी (पूर्ण होने की प्रक्रिया में) हैं। आपके बैंक ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के लिए आरंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। भारतीय

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) तथा चिदंबरम पोर्ट ट्रस्ट का एकीकरण प्रक्रिया अधीन है।

3. भारतीय रेल

आपके बैंक ने सभी 216 रेलवे लेखा इकाइयों (आरएयू) द्वारा वेतन व विक्रेता भुगतानों को सितंबर-19 में सीएमपी प्लेटफ़ॉर्म पर केंद्रीय एवं एकीकृत भुगतान प्रणाली (सीआईपीएस) पर अंतरित कर दिया है। पोर्टल के माध्यम से रेलवे प्राप्तियों को संभालने के लिए एसबीएमओपीएस को रेलवे के केंद्रीकृत प्राप्ति पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा रहा है। लागू होने के बाद, इससे रेलवे की प्राप्ति व भुगतान व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण हो सकेगा, वर्तमान में यह अनेक बैंकों में बिखरा हुआ है।

4. डाक विभाग

भारतीय स्टेट बैंक, पूरे डाक भुगतान के लिए संपूर्ण समाधान की केंद्रीयकृत एकीकृत भुगतान प्रणाली (सीआईपीएस) को लागू करने की प्रक्रिया में है। डाक विभाग के दिल्ली खंड में वेतन भुगतान के लिए नवंबर-19 से इसे आरंभ किया जा चुका है।

5. एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (ईडीसीआईएल)

आपके बैंक ने 80 सार्वजनिक उपक्रमों/एबी की भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाले ईडीसीआईएल नामक मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम के भर्ती शुल्क के संग्रह का एसबीएमओपीएस के साथ एकीकरण कीया है।

6. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

एलपीजी सब्सिडी (डीबीटीएल) के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की प्रक्रिया के लिए भारतीय स्टेट बैंक एकमात्र बैंकर है। वित्त वर्ष में 31 मार्च 2020 तक में प्रक्रिया पूर्ण किए गए कुल लेनदेन एवं राशि निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	लेन देन की संख्या (करोड़ में)	राशि
डीबीटी	57.26	2,95,045
डीबीटीएल	139.01	25,122

7. माननीय प्रधान मंत्री को भेंट की गई वस्तुओं की नीलामी

आपके बैंक ने माननीय प्रधान मंत्री को उपहार में दी गई वस्तुओं की नई दिल्ली की राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में नीलामी से प्राप्त आय के संग्रह के लिए अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराई। कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था।

8. पेंशन भुगतान

भारतीय स्टेट बैंक अपने 16 केंद्रीकृत पेंशन प्रक्रिया इकाइयों (सीपीपीसी) के माध्यम से 57.17 लाख पेंशनरों को पेंशन भुगतान की व्यवस्था करता है, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1,64,580 करोड़ रुपये से अधिक की कुल पेंशन राशि का संवितरण किया गया। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 3.30 लाख पेंशनरों के नए पेंशन खाते जोड़े गए। आपके बैंक ने पेंशन सेवा वेबसाइट www.pensionseva.sbi शुरू की, इस वेबसाइट पर पेंशनभोगी आराम से अपने घर पर ही लेनदेन विवरण, पेंशन पर्ची सृजन, बकाया गणना शीट इत्यादि जैसे अपने पेंशन विवरण देख सकते हैं।

9. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मान्यता प्राप्त बैंक के रूप में आपके बैंक ने वर्ष के दौरान किसानों के लिए योजना के अंतर्गत 42,274 करोड़ रुपये का संवितरण किया।

आपके बैंक ने 02.01.2020 को आयोजित एक कार्यक्रम में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा केवल एक क्लिक से 6 करोड़ से अधिक किसानों को योजना के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अंतरण किया।

10. लघु बचत योजनाएँ

भारतीय स्टेट बैंक में 79.18 लाख से अधिक पीपीएफ तथा 18.24 लाख एसएसए खाते हैं, इन खातों के साथ हम सभी अधिकृत बैंकों में शीर्ष पर हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 5.39 लाख पीपीएफ खाते तथा 3.13 लाख एसएसए खाते जोड़े गए।

11. अन्य

आपके बैंक की एसबीआई ई-भुगतान एग्रीगेटर सेवा को दान संग्रह के लिए ओड़िशा सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष तथा कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। भारतीय स्टेट बैंक, कृषि मंत्रालय से अलग किए गए, नए मंत्रालय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन मंत्रालय के मान्यता बैंक का दर्जा प्राप्त करने में सफल रहा।

SBI

'क्विक ट्रांस्फर' के माध्यम से बेनेफिशियरी रजिस्ट्रेशन के बिना पैसा ट्रांस्फर करें

'क्विक ट्रांस्फर' सुविधा के माध्यम से आप प्रतिदिन ₹10000/- तक की छोटी राशि बेनेफिशियरी रजिस्ट्रेशन के बिना अन्य व्यक्ति को भेज सकते है।

'क्विक ट्रांस्फर' करने के लिए नैविगेशन

- ऑनलाइन एसबीआई में लॉग-इन करें
- पेमेंट / ट्रांसफर टैब का चयन करें
- 'क्विक ट्रांस्फर' लिंक को क्लिक करें

12. पुरस्कार

आपके बैंक को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया:

- सभी बैंकों (संपूर्ण भारत) में सबसे अधिक संख्या में सुकन्या समृद्धि खाते खोलने के लिए प्रथम पुरस्कार। यह पुरस्कार राष्ट्रीय बचत संस्थान, नई दिल्ली में 30 अक्तूबर, 2019 को "विश्व बचत दिवस" के आयोजन पर दिया गया।
- समय पर मनरेगा मजदूरी भुगतान के लिए प्रायोजक बैंक के रूप में सिक्किम में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु पुरस्कार। यह पुरस्कार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिया गया।

ज. लेनदेन बैंकिंग इकाई

लेनदेन बैंकिंग इकाई (टीबीयू) ने ग्राहकों की थोक लेनदेन अपेक्षाओं का व्यापक समाधान देने, उन्हें दक्ष निधि प्रबंधन सुविधा प्रदान करने, जिसमें कस्टमाइज्ड एमआईएस और दूसरे क्षेत्रों के बीच समर्पित एकल बिंदु ग्राहक सहयोग जैसी मूल्यवर्धित सेवाएं शामिल हैं, हेतु तकनीक को विस्तार दिया है। लेनदेन बैंकिंग सेवाएं बैंक को ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की सुविधा प्रदान करती हैं तथा ऋण, निधि प्रबंधन व क्रास सेलिंग जैसी उनकी अन्य बैंकिंग जरूरतों का पता करने में सहयोग करती हैं।

आपका बैंक कॉरपोरेट्स, सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थाओं और एसएमई ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने को तैयार कर अपनी 22,000 से भी अधिक शाखाओं के माध्यम से टीबीयू उत्पादों/सेवाओं की एक विस्तृत श्रेणी प्रदान करता है। आपका बैंक बाजार की प्रवृत्तियों के अनुरूप अपने टीबीयू उत्पादों/सेवाओं की बकेट को निरंतर अद्यतित, परिवर्धित करता आ रहा है, ताकि ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ बाजार में बेहतर उत्पाद उतारा जा सके।

टीबीयू की शुल्क आय में वित्त वर्ष 2019 के ₹ 1327.08 करोड़ की तुलना में 43.38% की वर्षानुवर्ष बढ़ोतरी हुई है और यह वित्त वर्ष 2020 में ₹ 1902.77 करोड़ हो गई है। पिछले कुछ वर्षों से शुल्क आय में 40% से अधिक बढ़ोतरी का रेकॉर्ड बना हुआ है।

वित्त वर्ष 2019 के ₹ 38,08,314 करोड़ टर्नओवर की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में 60.71% की वर्षानुवर्ष बढ़ोतरी हुई है और यह ₹ 61,20,331 करोड़ हो गया है।

आपके बैंक को एशियन बैंकर द्वारा वर्ष 2019 में लगातार तीसरी बार 'बेस्ट ट्रांजेक्शन बैंक इन इंडिया' के रूप में पुरस्कृत किया गया है। एशियन बैंकर ने आपके बैंक को वर्ष 2019 में 'बेस्ट पेमेंट बैंक इन इंडिया' का पुरस्कार भी दिया है तथा कॉरपोरेट ट्रेजरर ने इसे 'बेस्ट कैश मैनेजमेंट हाउस इन इंडिया' के सम्मान से अलंकृत किया है।

2. ग्लोबल बैंकिंग

क. कॉरपोरेट लेखा समूह (कैग)

कैग बैंक की एक समर्पित एसबीयू (स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट) है, जो विशिष्ट और कुशल डिलीवरी प्लेटफॉर्म की यूएसपी के साथ 'उच्च मूल्य क्रेडिट' के पोर्टफोलियो को संभालती है। कैग एसबीयू के पास भारत के शीर्ष 3 वाणिज्यिक केंद्रों - मुंबई, दिल्ली और चेन्नइ में स्थित 4 विशेषीकृत शाखाएँ हैं, जिनके अध्यक्ष महाप्रबंधक हैं।

एसबीआई में कैग वन स्टॉप शॉप है, जो विशेष रूप से शीर्षस्थ रेटिंग वाली कंपनियों को, उनकी विदेशी सहयोगी और सहायक कंपनियों सहित, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है।

कैग का व्यवसाय मॉडल संबंध प्रबंधन संकल्पना पर आधारित है और प्रत्येक ग्राहक/व्यवसाय समूह को एक संबंध प्रबंधक के पास मैप किया जाता है, जो एक क्रॉस-फंक्शनल क्लाइंट सर्विस टीम से जुड़ता है, जिसमें अत्यधिक कुशल ऋण और परिचालन पदाधिकारी होते हैं।

संबंध रणनीति, ग्राहकों को, एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, संरचित उत्पादों सहित एकीकृत, निर्दिष्ट और व्यापक समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है। रणनीति का मुख्य उद्देश्य एसबीआई को शीर्ष कंपनियों की पहली पसंद बनाना है। वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा प्रत्येक कॉर्पोरेट संबंध की नियमित समीक्षा कैग में संबंध प्रबंधन के लिए मानदंड निर्धारित करती है।

विभिन्न क्रेडिट उत्पादों के अलावा कैग, अन्य एसबीयू एवं एसबीआई की सहायक कंपनियों जैसे- एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, एसबीआई गिल्ट्स लिमिटेड आदि के साथ मिलकर ग्राहक विशिष्ट उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करता है जैसे कि नकदी प्रबंधन उत्पाद, ट्रेजरी और विदेशी मुद्रा उत्पाद और मर्चेंट बैंकिंग उत्पाद।

कैग शाखाओं में ग्राहक सेवा टीमें ग्राहकों को एसबीआई की सहयोगी और सहायक कंपनियों द्वारा दिए गए किसी भी उत्पाद/सेवा के चयन और वितरण में नीचे सूचीबद्धानुसार सहायता करती हैं :

- पूंजी बाजार की आवश्यकताओं के लिए - एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (एसबीआई कैप्स)
- ट्रेजरी और निवेश के लिए - एसबीआई गिल्ट्स और एसबीआई सिक्योरिटीज
- निवेश के लिए - एसबीआई म्यूचुअल फंड लिमिटेड
- सामान्य बीमा और जीवन बीमा के लिए - एसबीआई जनरल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई लाइफ इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड
- प्राप्य राशियों की फैक्टरिंग के लिए - एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लिमिटेड

बदलते बैंकिंग परिदृश्य के अनुरूप, बैंक ने कैग व्यवसाय वर्टिकल के अंदर दो विशेष व्यावसायिक इकाइयाँ बनाई हैं।

- क्रेडिट लाइट ग्रुप (सीएलजी) विशेष रूप से क्रेडिट लाइट क्षेत्रों - फार्मा, एफएमसीजी, आईटी, ऑटो आदि में ग्राहकों की 360 डिग्री बैंकिंग आवश्यकताओं को देखने के लिए।
- वित्तीय और संस्थागत समूह (एफ़आईजी) - बीमा कंपनियों, दलाली फर्मों, बैंकों (निजी और विदेशी) और म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय संस्थानों की ऋण और लेनदेन संबंधी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।

31 मार्च 2019 को कैग के कुल ऋण पोर्टफोलियो ₹ 5.36 लाख करोड़ (फंड आधारित - ₹ 3.61 लाख करोड़ और गैर-निधि आधारित - ₹ 1.75 लाख करोड़) की तुलना में 31 मार्च 2020 को कैग का कुल ऋण पोर्टफोलियो ₹ 5.38 लाख करोड़ (फंड आधारित - ₹ 3.63 लाख करोड़ और गैर-निधि आधारित - ₹ 1.75 लाख करोड़) रहा।

देश की प्रमुख शीर्ष कंपनियाँ और नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कैग व्यवसाय वर्टिकल के ग्राहक हैं।

ख. राजकोषीय परिचालन

विश्व बाजार इकाई (जीएमयू) आपके बैंक के राजकोषीय परिचालन करता है। वह अपेक्षित जोखिम-समायोजित प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिए अधिशेष निधियों का नियोजन बाजार में करने के लिए जिम्मेदार है। विश्व बाजार इकाई के संविभाग में एसएलआर एवं गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश, सार्वजनिक रूप से बेचे जाने वाली ईक्विटियाँ, उद्यम पूंजी निधियाँ, निजी ईक्विटी एवं कार्यनीतिक निवेश शामिल हैं। इसके अलावा वह ऐसे बहुविध उत्पाद और सेवाएँ देता है, जिनसे ग्राहकों की विदेशी मुद्रा जरूरतों की पूर्ति होती है।

1. आपके बैंक के ब्याज दर उतार-चढ़ाव एवं एसएलआर और गैर-एसएलआर संविभाग

विश्व बाजार इकाई आपके बैंक के निवेश संविभाग का प्रबंधन करता है और सीआरआर एवं एसएलआर विनियामक अपेक्षाओं की पूर्ति करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में फैले नॉवेल करोना वाइरस बीमारी को महामारी घोषित किया है। कोविद-19 का असर भारत में भी अनुभव किया गया। कोविद-19 महामारी को रोकने के लिए प्रधान मंत्री ने देश भर में लॉकडाउन घोषित किया।

इसके परिणामस्वरूप, उभरते बाजार मार्केट बॉन्डों एवं ईक्विटियों में भारी जोखिम विमुखता देखी गई। इसके अलावा ऋण एवं ईक्विटी आस्तियों से ₹ 1.21 लाख करोड़ का एफपीआई बहिर्वाह देखा गया। म्यूचुअल फंडों से प्रतिमोचन एवं निवेश मांग का अभाव भी देखा गया। विश्व स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा नीति दरें घटाई गई और आस्ति खरीद कार्यक्रम घोषित किए गए। सरकारों ने अर्थव्यवस्था की सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक पैकेजों की घोषणा की है।

27 मार्च 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक की मुद्रा नीति समिति ने रेपो दर में 75 आधार अंकों की कटौती कर उसे 4.40% किया, जबकि रिवर्स रिपो दर को घटाकर 4% किया। इससे ब्याज दर दायरा 50 आधार अंकों से बढ़कर 65 आधार अंक हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थितियों के तनाव को दूर करने के लिए कुछ उपाय भी घोषित किए। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीआरआर में 1% की कटौती की, अपेक्षित न्यूनतम दैनिक सीआरआर को घटकर 80% किया और लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन की नई योजना शुरू की, जो परिपक्वता तक धारित संविभाग में कॉरपोरेट बॉन्डों को निवेश करने की अनुमति देती है। इसके अलावा रिज़र्व बैंक ने मीयादी ऋणों की अधिस्थगन, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण को सरल बनाने एवं कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर ब्याज को स्थगन करने की घोषणा की।

देशी स्तर पर ब्याज दरों में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही। 9 मार्च 2020 को सबसे न्यूनतम के 6.07% स्तर पर पहुँचने से पहले बेंचमार्क 10वाई प्रतिभूति (6.45 सीजी-एसईसी 2029) अत्यधिक 6.80% पर पहुंची। कम आय के कारण लाभ कमाने और निवेशों पर प्रावधान घटाने के अवसर मिले हैं।

बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि जिसका वित्त वर्ष 2020 के आरंभ में अभाव रहा, वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही के अंत तक अधिशेष रही। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा खुले बाजार परिचालन किए जाने एवं विदेशी अंतर्वाह के कारण ऐसा हुआ। इसके अलावा ऋण संवृद्धि के अभाव से स्थिति खराब हुई और मार्च 2020 के अंत तक बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि ₹ 4.96 ट्रिलियन रही।

2. ईक्विटी बाजार

कोविद-19 संक्रमण तेजी से बढ़ना सुर्खियों में प्रमुख रूप से रहा, क्योंकि चीन के बाहर महामारी के तेजी से बढ़ने से यह भय होने लगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पूर्व अनुमान से भी गंभीर रूप से टूटेगी और इसी कारण से विश्व स्तर पर जोखिम आस्तियों की बिक्री तेज हो गई। कोविद-19 का धक्का बाजारों को ठीक होने के लिए ट्रिगर के रूप में काम आया। मार्च 2020 के दौरान ₹ 62,000 करोड़ के विदेशी संस्थागत निवेश के बहिर्वाह से भारतीय बाजारों में मार्च में भारी कमी देखी गई। वित्त वर्ष 2020 के दौरान निफ्टी 50 की आय (-)26.03 रही।

तथापि इस भारी सुधार के बाद बाजार मूल्यांकन आकर्षक रहे और विश्व भर में अधिकांश केंद्रीय बैंकों से चलनिधि सहायता मिलने के कारण ईक्विटी बाजार में सुधार के संकेत देखने को मिले। भविष्य की बात करें तो कोविद-19 के आ जाने से विश्व और देशी अर्थव्यवस्था की आर्थिक तनाव एवं वसूली पर नीतिगत प्रतिक्रिया कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ होंगी, जिनसे बाजारों की दिशा तय होगी।

आपके बैंक ने प्रमुख वैश्विक और देशी घटनाओं के बीच सक्रिय संतुलन की कार्यनीति अपनाकर ईक्विटी संविभाग का प्रबंधन किया। इसके अलावा आपका बैंक जोखिम-रिवार्ड परिप्रेक्ष्य से अपेक्षित लाभ प्राप्त करने हेतु संविभाग का इष्टतम उपयोग करने का प्रयास कर रहा है।

3. निजी ईक्विटी/जोखिम पूंजी निधि

आपके बैंक ने स्पेशल विंडो फॉर एफोर्डबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इनवेस्टमेंट फंड में निवेश के लिए ₹ 1,250 करोड़ संस्वीकृत किया, जो कि रुकी पड़ी रियल-इस्टेट परियोजनाओं के निधीयन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू और प्रायोजित की गई विशेष निधि है।

वित्त वर्ष 2020 में गैर-मुख्य आस्तियों का सक्रिय विनिवेश किया गया और आपका बैंक एक्विफैक्स क्रेडिट इन्फार्मेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड से पूरी तरह और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) से आंशिक रूप से बाहर आ गया।

4. विदेशी मुद्रा बाजार

विश्व बाजार इकाई आपके बैंक के विदेशी मुद्रा व्यवसाय का प्रबंधन करता है, जिससे बाजारों को चलनिधि उपलब्ध करने के साथ साथ ग्राहकों को अपने मुद्रा प्रवाहों का प्रबंधन करने और ऑप्शन, स्वैप एवं फार्वार्ड के जरिए जोखिम कम करने के समाधान उपलब्ध होते हैं। आपका बैंक रुपए स्पॉट एवं रुपए फार्वार्ड बाजारों का प्रमुख प्लेयर है और मर्चेन्ट विदेशी मुद्रा प्रवाहों में उसका पर्याप्त बाजार अंश है। सीसीआईएल एफएक्स क्लियर प्लेटफार्म पर चलनिधि प्रदान करने में आपका बैंक सबसे आगे है। मुद्रा फ्यूचर्स से सृजित मात्रा के हिसाब से आपका बैंक विदेशी मुद्रा गृहों के तीन सबसे बड़े ग्राहक बैंकों में से एक बन गया है।

आपका बैंक सीसीआईएल द्वारा शुरू किए गए एफएक्स-रीटेल प्लेटफॉर्म के साथ ग्राहकों को जोड़ने के मामले में सक्रिय है, जिसके द्वारा ग्राहकों को पारदर्शी एवं किफायती मूल्यनिर्धारण का लाभ मिलता है।

संविभाग प्रबंधन सेवाएँ

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार आपके बैंक ने 1 अप्रैल 2019 से सभी संविभाग प्रबंधन सेवाओं से संबंधित गतिविधियों को बंद कर दिया है।

SBI

सुरक्षित मोबाइल बैंकिंग टिप्स:

- अज्ञात स्रोतों से प्राप्त फ्लैश प्लैयर ऐप्लिकेशन को न तो खोलें और न ही इन्स्टाल करें
- किसी भी ऐप को इन्स्टाल करने से पहले ऐप परमिशंस से सत्यापन कर लें
- यदि कोई ऐप एडमिन प्रिविलेजिस की मांग करता है, तो उसे तुरंत अन-इन्स्टाल/डिलीट करें
- मोबाइल एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें
- थर्ड पार्टी के ऐप स्टोर्स या एसएमएस या ई-मेल में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड न करें
- किसी भी ऐप्लिकेशन को एडमिनिसट्रेटिव प्रिविलेजिस न दें
- मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) अपडेट रखें

सुरक्षित बैंकिंग के लिए शुभकामनाएं

आपका बैंक इस समय एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स एवं ब्याज दर फ्यूचर्स के साथ साथ काउंटर पर ब्याज दर एवं करेंसी डेरिवेटिव्स का सौदा कर रहा है। आपके बैंक द्वारा किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप (ओआईएस), विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप (आईआरएस), विदेशी मुद्रा से रुपया ब्याज दर स्वैप (एमआईएफओआर), फार्वार्ड दर करार (एफआरए), कैप्स, फ्लोर्स एवं कालर्स शामिल हैं। आपके बैंक द्वारा किए जाने वाले करेंसी डेरिवेटिव्स में क्रास करेंसी स्वैप (सीसीएस), यूएसडी/आईएनआर ऑप्शन एवं क्रास करेंसी आपशंस शामिल हैं। ये उत्पाद बैंक के ग्राहकों को अपने जोखिम करने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। कांट्रा पोजिशनों को ऑप्शन अथवा एमआईएफओआर पुस्तिका में रखा जाता है अथवा अंतर बैंक में बैक टु बैक रखा जाता है। आपके बैंक द्वारा डेरिवेटिव्स का उपयोग ट्रेडिंग के साथ साथ तुलन पत्र हेजिंग प्रयोजन के लिए किया जाता है।

डेरिवेटिव्स लेनदेन के साथ बाजार जोखिम अर्थात ब्याज दरों/विदेशी मुद्रा दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से आपके बैंक को होने वाला संभावित नुकसान से जुड़ा होता है। इसके साथ ऋण जोखिम अर्थात प्रतिपक्ष द्वारा अपनी देयताओं की पूर्ति में विफलता के कारण आपके बैंक को होने वाले संभावित नुकसान से जुड़ा होता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित आपके बैंक की "डेरिवेटिव्स निति" डेरिवेटिव्स लेनदेन करने के लिए बाजार जोखिम मापदंड (अन्य के साथ साथ ग्रीक लिमिट, लॉस लिमिट, कट लॉस ट्रिगर, खुली स्थिति सीमा, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी 01) और ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण रेटिंग, संस्वीकृत सीमाएं एवं ग्राहक उपयुक्तता नीति के अनुसार सीएएस रेटिंग) निर्धारित करता है। अंतर बैंक प्रतिपक्षों की जोखिम की निगरानी इस प्रयोजन के लिए निर्धारित सीमाओं के जरिए की जाती है। प्रतिपक्षों को हमारे साथ आईएसडीए निष्पादित करना होता है।

आपके बैंक में विभिन्न प्रकार की जोखिमों की निगरानी के लिए विभिन्न समितियां एवं विभाग मौजूद हैं। आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) कुशल चलनिधि प्रबंधन की निगरानी करती है। बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरिवेटिव्स लेनदेनों से जुड़ी बाजार जोखिम की पहचान, उपाय एवं निगरानी करता है। यह विभाग इन जोखिमों के नियंत्रण एवं प्रबंधन में भी आस्ति देयता प्रबंधन समिति की सहायता करता है और नियमित अंतरालों पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को निर्धारित नीति के अनुपालन की रिपोर्ट करता है।

डेरिवेटिव्स के लेखांकन की नीति भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है, जिसके विवरण वित्त वर्ष 2020-21 की अनुसूची 17 : प्रमुख लेखांकन नीतियों के अंतर्गत रखे गए हैं।

SBI
आप लॉटरी जीत गए!
आपका कार्ड ब्लॉक हो गया!
आपको स्पेशल बोनस मिला है!
इस प्रकार के नकली कॉल, एसएमएस व ईमेल जाली होते हैं.
अपना पासवर्ड/पिन/एमपिन/ओटीपी किसी से शेयर न करें.
बैंक कभी भी इसकी जानकारी नहीं मांगता.

ग. अंतराष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन
C. INTERNATIONAL BANKING OPERATIONS

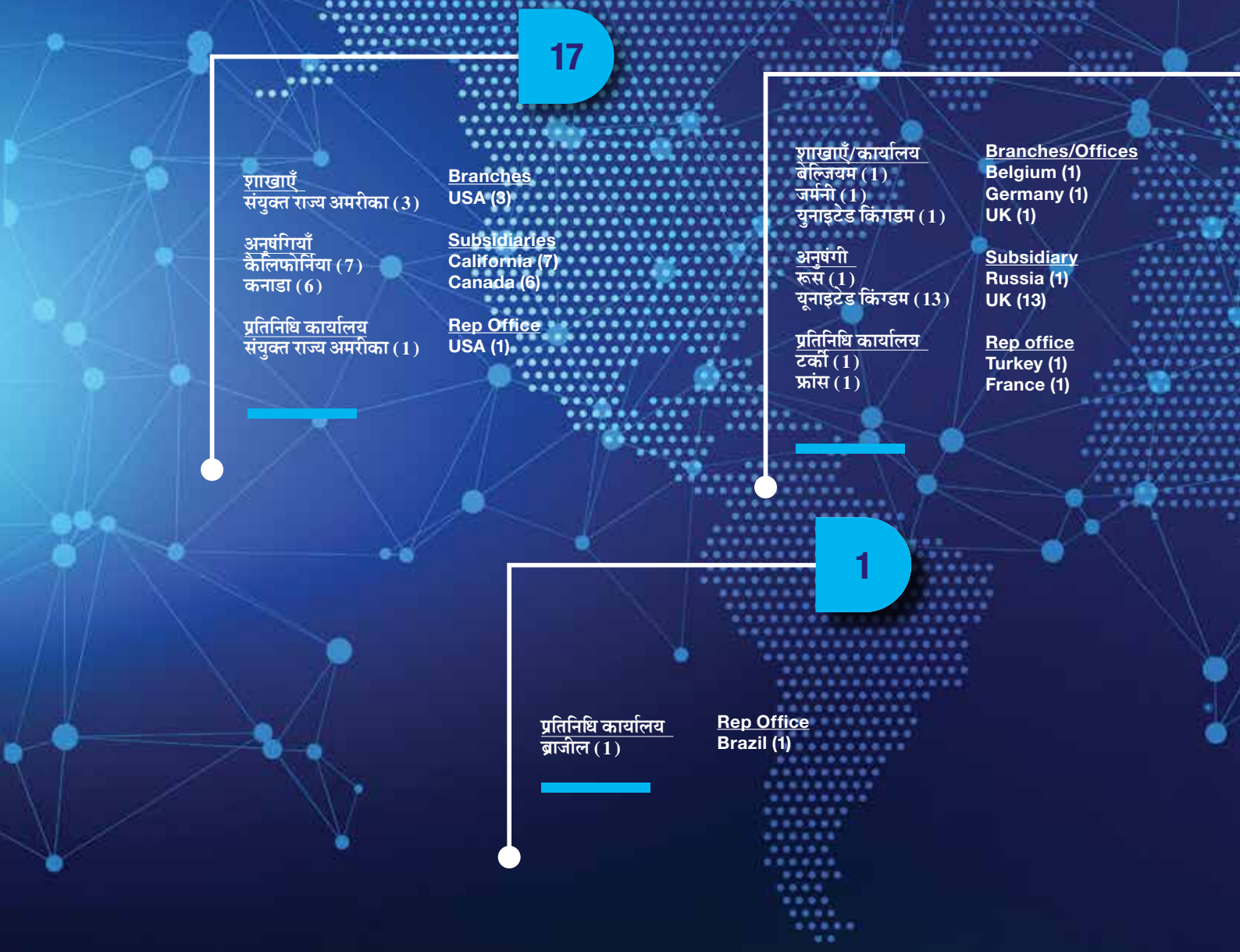

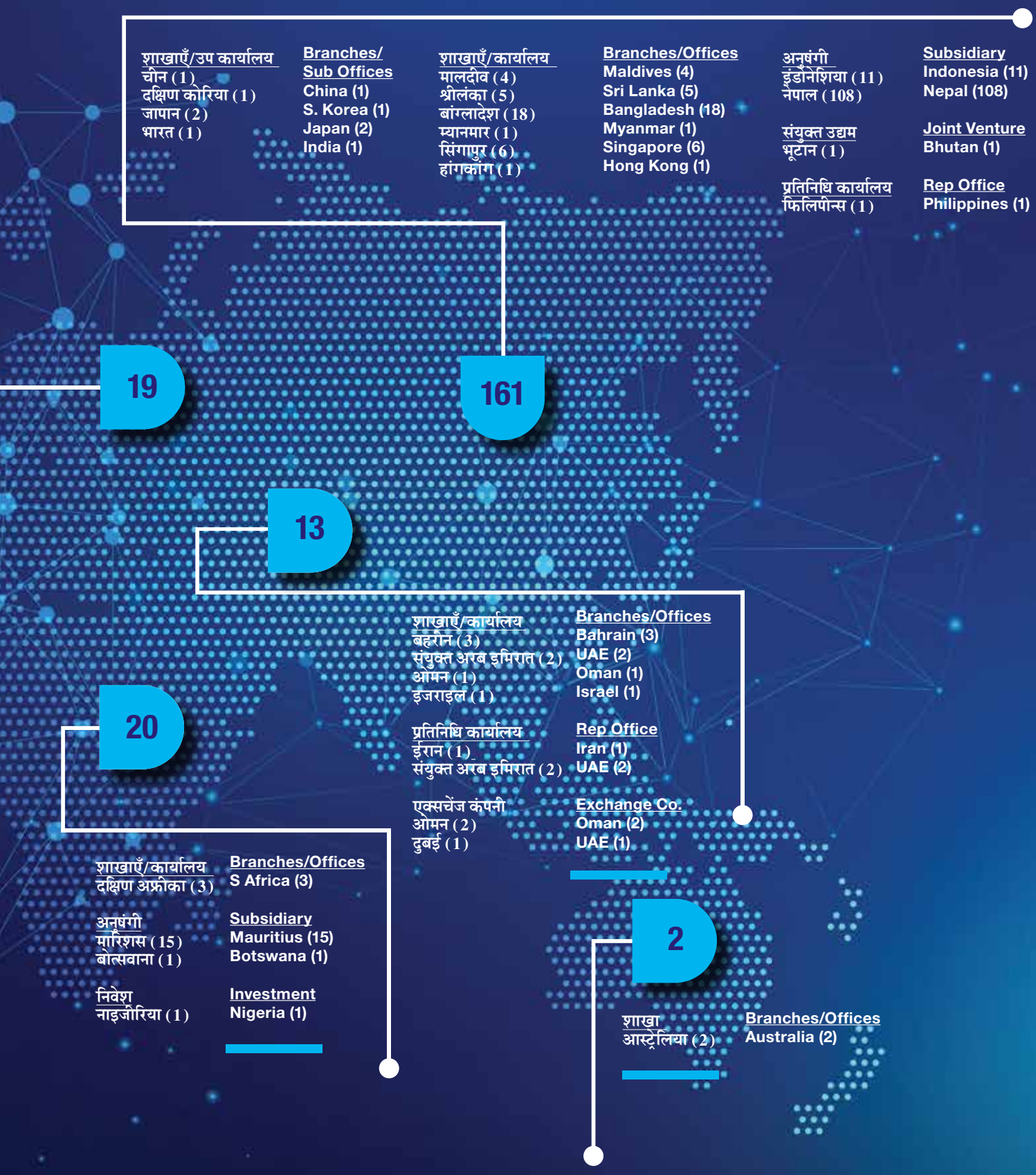
शाखाएँ/उप कार्यालय
चीन (1)
दक्षिण कोरिया (1)
जापान (2)
भारत (1)
Branches/ Sub Offices
China (1)
S. Korea (1)
Japan (2)
India (1)
शाखाएँ/कार्यालय
मालदीव (4)
श्रीलंका (5)
बांग्लादेश (18)
म्यानमार (1)
सिंगापुर (6)
हांगकांग (1)
Branches/Offices
Maldives (4)
Sri Lanka (5)
Bangladesh (18)
Myanmar (1)
Singapore (6)
Hong Kong (1)
अनुषंगी
इंडोनेशिया (11)
नेपाल (108)
संयुक्त उद्यम
भूटान (1)
प्रतिनिधि कार्यालय
फिलिपीन्स (1)
Subsidiary
Indonesia (11)
Nepal (108)
Joint Venture
Bhutan (1)
Rep Office
Philippines (1)
19
161
13
शाखाएँ/कार्यालय
बहरीन (3)
संयुक्त अरब इमिरात (2)
ओमन (1)
इजराइल (1)
Branches/Offices
Bahrain (3)
UAE (2)
Oman (1)
Israel (1)
प्रतिनिधि कार्यालय
ईरान (1)
संयुक्त अरब इमिरात (2)
Rep Office
Iran (1)
UAE (2)
एक्सचेंज कंपनी
ओमन (2)
दुबई (1)
Exchange Co.
Oman (2)
UAE (1)
20
शाखाएँ/कार्यालय
दक्षिण अफ्रीका (3)
Branches/Offices
S Africa (3)
अनुषंगी
मारिशस (15)
बोत्सवाना (1)
Subsidiary
Mauritius (15)
Botswana (1)
निवेश
नाइजीरिया (1)
Investment
Nigeria (1)
2
शाखा
आस्ट्रेलिया (2)
Branches/Offices
Australia (2)

विदेशी बैंकिंग अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम	शेयरधारिता (%)
अनुषंगियाँ	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलीफोर्निया)	100.00
एसबीआई कनाडा बैंक	100.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (युके) लिमिटेड	100.00
कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी	60.00
एसबीआई (मॉरिशस) लिमिटेड	96.60
बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया	99.00
बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	100.00
नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	55.00
विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगी	
एसबीआई सर्विकोस लिमिटाडा, ब्राजील	99.99
संयुक्त उद्यम	
बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड	20.00

आपके बैंक का अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह विश्व भर में फैले भारतीय कॉरपोरेट्स तथा भारतीय प्रवासियों को सहयोग प्रदान करने के सर्वप्रचलित सिद्धांत के अनुसार कार्य कर रहा है। हालांकि, आपके बैंक ने सही मायनों में अंतरराष्ट्रीय बैंक बनने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धीरे-धीरे अपना फोकस भारत आधारित व्यवसाय से कम कर विदेशों के स्थानीय बाजारों की ओर किया है। विदेशी कारोबार संचालित करने के लिए आपके बैंक की अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह नाम की अलग व्यवसाय यूनिट है, जिसका नेतृत्व प्रबंध निदेशक (जीबी एवं एस) संभालते हैं तथा उनकी सहायता के लिए उप प्रबंध निदेशक (आईबीजी) नियुक्त किए गए हैं।

विश्व भर में उपस्थिति

आपके बैंक ने विश्व स्तर पर पहली बार अपनी उपस्थिति जुलाई 1864 में दर्ज कराई थी। उस समय बैंक ऑफ मद्रास ने अपनी पहली शाखा कोलंबो, श्रीलंका में (भारतीय बैंकों में सबसे पहले) खोली थी। समय के साथ आपके बैंक ने विश्व स्तर पर अपने कार्यालयों का विस्तार किया। आज वह अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सभी भारतीय सरकारी बैंकों में अग्रणी है। आपके बैंक की उपस्थिति सभी समय क्षेत्रों (टाइम जोन) में स्थित 233 कार्यालयों के साथ 32 देशों में है। इन कार्यालयों का प्रबंध आईबीजी द्वारा संभाला जाता है।

हमारे बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों का विवरण इस प्रकार है:

	31.03.2019 को विदेश स्थित कार्यालय	गत 12 माह के दौरान खोले गए कार्यालय	गत 12 माह के दौरान बंद किए गए कार्यालय	31.03.2020 को विदेश स्थित कार्यालय	एसबीआई के विदेश स्थित कार्यालयों का कुल व्यवसाय
कुल शाखाएं/ उप-कार्यालय/ अन्य कार्यालय	57	8	7*	58	58,422 मिलियन यूएस डॉलर
सहायक कंपनियां	(9)	0	0	(9)	
सहायक कंपनियों के कार्यालय	140	23*	0	163	शुद्ध लाभ 471 मिलियन यूएस डॉलर
प्रतिनिधि कार्यालय	6	1	0	7	
संयुक्त उद्यम/सहयोगी/ प्रबंधित एक्सचेंज कंपनियां/निवेश	5	0	0	5	
कुल	208	32	7	208	

*इसमें एसबीआई यूके लिमिटेड (सहायक कंपनी) को अंतरित एक्सटेंशन काउंटर भी शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2020 के दौरान बैंक ने पूंजी संरक्षण, लागत दक्षता एवं विदेशी बाजारों में सहक्रिया को प्राप्त करने के लिए अपने विदेशी परिचालनों को समेकित किया। बैंक ने चार शाखाओं यथा-नसौ (बहमास), पेरिस (फ्रांस), जेड्डाह (सऊदी अरब), टियांजिन (चीन) को बंद कर तथा दो शाखाओं यथा-गुलशन (बांग्लादेश के ढाका के साथ) एवं वेर्डन रोड (सिंगपुर के लिटल इंडिया के साथ) का विलयन कर अपने विदेशी परिचालनों को युक्तिसंगत बनाया है। इस अवधि के दौरान विप्रेषण एवं व्यापार वित्त व्यवसाय में अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए मेलबोर्न में कार्यालय शुरू किया गया। पेरिस में एक प्रतिनिधि कार्यालय तथा मोतीझील (बांग्लादेश) में एक्सटेंशन काउंटर भी शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त सार्क क्षेत्र में अपनी संवृद्धि की कार्यनीति के अनुरूप नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड जो भारतीय स्टेट बैंक की अनुषंगी है, ने 22 कार्यालय खोले हैं। साथ ही बांग्लादेश के ठाकुरगांव, ब्रहमनबरिया, कोमीला, साथकिरा, बोगुरा एवं नौखली में 6 इंडिया वीसा एप्लिकेशन केंद्र भी खोले। इस प्रकार वित्त वर्ष में भारतीय स्टेट बैंक के 9 विदेशी कार्यालय एवं 23 विदेशी अनुषंगियों को जोड़ दिया गया।

1. ऋण सहयोग : व्यवसाय उत्प्रेरक

भारतीय कॉरपोरेटों को उनकी प्रगति की कार्य-योजना में सहायता करने के लिए आपके बैंक ने अन्य भारतीय एवं विदेशी बैंकों के साथ मिलकर द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत सर्वथा नए उद्यमों के लिए भी बाह्य वाणिज्यिक उधार के रूप में विदेशी मुद्रा में कर्ज उपलब्ध कराया है। ऐसे उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना स्वरूप एपीएलएमए (एशिया पैसिफिक लोन मार्केट एसोसिएशन) ने आपके बैंक को "सिंडिकेटिड लोन हाउस ऑफ द ईयर" - इंडिया पुरस्कार के लिए चुना है।

एसबीआई ने भारतीय कॉरपोरेट्स को 9.2 बिलियन तथा विदेश स्थित कंपनियों को 11.35 बिलियन यूएस डॉलर के विदेशी मुद्रा ऋण संस्वीकृत किए हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में कच्चे तेल एवं विदेशी मुद्रा की कीमतों में अस्थिरता के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने तेल कंपनियों को 1.82 बिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण दिए हैं।

2. व्यापार वित्त

भारतीय स्टेट बैंक देश तथा विदेशों में सभी टाइम जोनों में कार्यरत अपने विशाल, सुसज्जित नेटवर्क के माध्यम से निर्यातकों तथा आयातकों को व्यापार वित्त उत्पाद तथा सेवाएं उपलब्ध कराता है। वैश्विक व्यापार विभाग (जीटीडी) व्यापार वित्त संविभाग के सुव्यवस्थित विकास के लिए अपने विदेश स्थित कार्यालयों को सुविधा देता है और सहायता करता है। वैश्विक व्यापार विभाग बदलते विनियामक मानदंडों एवं बाजार की मांगों के अनुसार विदेश स्थित कार्यालयों के लिए नीतियाँ बनाता है और नए उत्पाद तैयार करता है। वह साख पत्र डिस्काउंटिंग, बैंक/कॉरपोरेट जोखिम में द्वितीयक बाजार सहभागिता, भारत केंद्रित व्यापर वित्त, ईसीए/एमएलए समर्थित व्यापार वित्त, आपूर्ति शृंखला वित्त कार्यक्रम, साख पत्र, बैंक गारंटी आदि जैसे व्यापार वित्त के उत्पादों की सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए नई तकनीक शुरू करने में अग्रणी है। ग्राहक इंटरफेस एवं उसके साथ समेकित एएमएल/सीएफटी अनुपालन समाधान के साथ बैक एंड परिचालनों के लिए सुदृढ़ व्यापार वित्त प्रौद्योगिकी समाधान सभी विदेश स्थित कार्यालयों में उपलब्ध है।

वैश्विक व्यापार विभाग भारतीय कंपनियों को उनके आयतों के लिए कोट प्रक्रिया को केंद्रीय रूप से करते हुए व्यापार वित्त की सुविधा देता है। वह अधिकतम लाभ के लिए देशी एवं विदेश स्थित कार्यालयों के बीच व्यवसाय प्रवाहों की सहक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वह बैंकर्स एसोशिएशन फॉर फाइनेंस एंड ट्रेड (बाफ्टा), ग्लोबल ट्रेड रिव्यू (जीटीआर) के साथ भागीदारी में व्यापार संबंधी कार्यशालाओं/सम्मेलनों का आयोजन भी करता है, जो व्यापार वित्त का परिचालन करने वाले अधिकारियों को वैश्विक व्यापार वित्त बाजार की नवीनतम प्रवृत्तियों से परिचित होने का अच्छा मंच प्रदान करता है। इसके अलावा निर्यातकों/विनियामकों/उद्योग प्रमुखों नेटवर्किंग मंच प्रदान करने हेतु आईसीसी, एफआईईओ आदि के साथ भागीदारी में कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है।

यह विभाग अपने विदेश स्थित कार्यालयों के जरिए रक्षा मंत्रालय के साथ उनकी बैंक गारंटियों एवं अन्य व्यापार उत्पाद सेवाओं के लिए समन्वयन करता है।

अंतरष्ट्रीय बैंकिंग समूह के अग्रिम संविभाग में व्यापार वित्त व्यवसाय का 27% का योगदान है और यह गैर ब्याज आय में 12% का योगदान देता है।

भारतीय स्टेट बैंक को हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा लगातार 8वी बार "द बेस्ट ट्रेड फाइनेंस प्रोवाइडर (इंडिया)-2020" का पुरस्कार प्रदान किया गया।

3. विदेशी ट्रेजरी प्रबंधन :

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह का ट्रेजरी प्रबंधन समूह विदेश स्थित कार्यालयों के लिए निम्नलिखित कार्य करता है :

- चलनिधि प्रबंधन
- डीलिंग रूम परिचालन
- निवेश

ट्रेजरी प्रबंधन समूह-अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह अंतराष्ट्रीय बैंकिंग समूह के समग्र चलनिधि संविभाग का प्रबंधन करता है और आस्ति देयता प्रबंधन अनुपातों की निगरानी करता है। ट्रेजरी प्रबंधन समूह बॉन्ड जारी करने (एमटीएन/स्टैंडअलोन 144ए), समूहन ऋण आदि के जरिए दीर्घावधि एवं मध्यावधि निधियां जुटाने के लिए नोडल विभाग है। वित्त वर्ष के दौरान हमारे बैंक ने किसी भी सार्वजनिक बॉन्ड जारी नहीं किया/ऋण समूहन नहीं किया। ट्रेजरी प्रबंधन विभाग ने संसाधनों की लागत को नियंत्रित

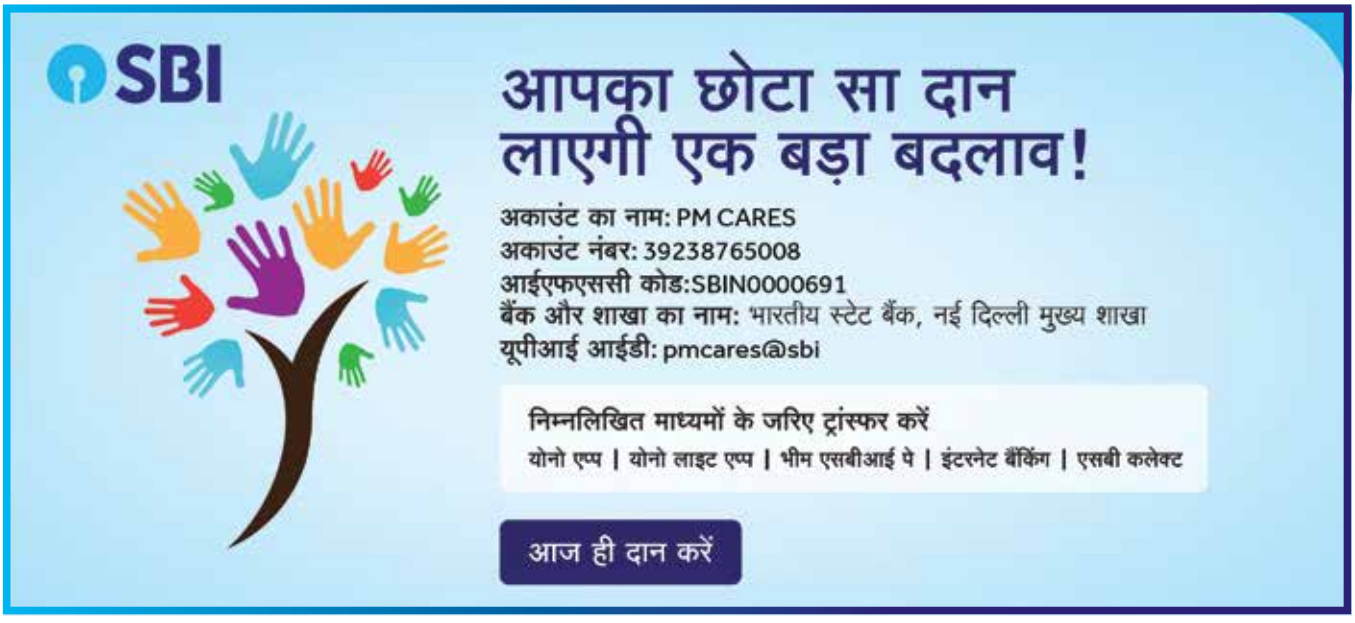

करने के लिए छोटी मात्राओं में ऋण के विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया है। इसके अलावा संसाधनों की लागत को इष्टतम करने के अपने प्रयासों के अंतर्गत 1.325 बिलियन के ऋण (चार भागों में) का समय पूर्व भुगतान किया है और उसके स्थान पर कम लागत के संसाधनों को रखा है। ट्रेजरी प्रबंधन विभाग ने 3 भागों में 380 मिलियन अमरीकी डॉलर के निजी नियोजन के जरिए बॉन्ड (जिनमें से 100 मिलियन अमरीकी डॉलर ग्रीन बॉन्ड के जरिए) जारी किए हैं, जिससे विभिन्न बाजार स्थितियों और निधीयन अपेक्षाओं को अपनाने की बैंक की क्षमता दिखाई देती है।

ट्रेजरी प्रबंधन विभाग अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह के निवेश बही का प्रबंधन करता है, जो इस समय 5.70 बिलियन अमरीकी डॉलर है। इन निवेशों को उच्च श्रेणी वाले एवं तरल शेयरों में रखा गया है, जिनसे न्यूनतम/मध्यम जोखिम के साथ अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह को स्थिर ब्याज आय प्राप्त होती है। विभाग प्रमुख केंद्रों के डीलिंग रूम की निगरानी करता है, जिससे विदेश स्थित कार्यालयों में मुद्रा बाजार, विदेशी मुद्रा एवं डेरिवेटिव्स कार्य किए जा सके। इस समय लंदन, न्यू यार्क, हांगकांग एवं बहरीन में चार प्रमुख डीलिंग रूम हैं, जो विदेश स्थित छोटे कार्यालयों को उनके परिचालनों में सहायता प्रदान करने के लिए हब एवं स्पोक मॉडल पर कार्य करते हैं। डीलिंग परिचालनों से तुलन पत्र के लिए इष्टतम रीति से हेजिंग समाधान मिलता है।

4. वित्तीय संस्था समूह - संपर्की संबंध

यह समूह आपके बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय अंशधारकों यथा प्रतिनिधि बैंक, विदेशी सरकारी एजेंसियां तथा विकास वित्त संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय चैंबर ऑफ़ कॉमर्स इत्यादि के बीच संयोजन कार्य करता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह तथा कॉरपोरेट लेखा समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह, ग्लोबल मार्केट इत्यादि जैसे अन्य व्यवसाय समूहों के बीच तालमेल बनाने में सहयोग करता है।

- वित्तीय संस्था समूह अपने वैश्विक ग्राहकों को उनकी जरूरत के अनुरूप वित्तीय समाधान उपलब्ध करने के लिए बैंक के 56 देशों के 227 बैंकों से युक्त प्रतिनिधि नेटवर्क का लाभ उठा रहा है।
- वित्तीय संस्था समूह कॉरपोरेटों एवं अंतिम ग्राहकों के लिए मूल्य प्रदान करने के लिए समान समस्या वाले प्रतिनिधि बैंकों के साथ व्यवसाय संबंध बढ़ाने के लिए आंकड़ों पर आधारित दृष्टिकोण अपनाता है। यह प्रतिनिधि बैंकों के साथ लेनदेन करते समय निरंतर प्रौदयोगिकी प्रगति एवं जोखिम ढांचे को विकसित करना स्वीकार करता है।
- वित्तीय संस्था समूह अपनी वैश्विक उपस्थिति के उपयोग से सभी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए भारतीय सटेट बैंक को प्रतिनिधि बैंक बनाने का प्रयास करता है।
- नियमित अंतरालों पर अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह प्रतिनिधि बैंकिंग नीति में सुधार किया जाता है और उसमें संपर्की बैंकिंग की नवीनतम प्रवृत्तियों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा सामना की जा रही प्रतिकूल परिचालन कमियों से प्राप्त अनुभवों को शामिल किया जाता है।
- खाता संबंधों के अलावा वित्तीय संस्था समूह के उत्पादों का ध्यान विस्तृत होकर व्यापार वित्त, ऋण, ट्रेजरी ऋण, पूंजी बाजार, विदेशी मुद्रा व्यवसाय, लेनदेन बैंकिंग, विप्रेषण एवं करेंसी क्लियरिंग पर भी आ गया है।

5. अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग-देशी (आईबीडी)

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह का अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग-देशी व्यापार वित्त एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संबंधी क्षेत्रों में देशी कार्यालयों एवं विदेश स्थित कार्यालयों के बीच एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है।

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग-देशी विदेश स्थित कार्यालयों/विदेशी प्रतिनिधि बैंकों एवं व्यापार समुदाय के बीच मजबूत संपर्क के रूप में कार्य करते हुए और संबंधित अंतरों को दूर करते हुए देशी कार्यालयों से विदेश स्थित कार्यालयों/विदेशी प्रतिनिधि बैंकों के विदेशी मुद्रा व्यससाय प्रवाहों के बीच तालमेल करता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग-देशी के तहत आवक एवं जावक विदेशी बैंक गारंटियों की प्रोसेसिंग के लिए केंद्रीकृत समन्वय कक्ष। यह अपनी काउंटर गारंटियों के आधार पर विदेशी बैंक गारंटियां चाहने वाले प्रतिनिधि बैंकों/विदेश स्थित बैंकों/देशी बैंकों/देशी कार्यालयों को एक ही स्थान पर समाधान प्रस्तुत करता है।

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग-देशी ने पूरे बैंक में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अनुपालन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग-देशी भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम संबंधी विवरणियों की प्रस्तुति सुनिश्चित करता है और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों से संबंधित प्रणालीगत परिवर्धनों एवं अद्यतन उपलब्ध करता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग-देशी नए प्रौद्योगिकी उपकरण एवं उत्पाद नवोन्मेष शुरू करने से भी जुड़ा रहा।

6. रिटेल एवं विप्रेषण कार्यनीति

विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए अपने विशेषीकृत रीटेल एवं विप्रेषण उत्पादों के जरिए आपका बैंक "विंडो टु इंडिया" रहा है। चूंकि रीटेल एवं विप्रेषण खंड में ग्राहकों के लिए उत्पादों को बेहतर बनाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी संरचना महत्वपूर्ण है, सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं को लागू करने के लिए विस्तृत सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति तैयार की गई है।

वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक/आईएमएफ वार्षिक बैठक 2019 के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के साथ भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार।

- योनो एसबीआई, जो बैंक का प्रतिष्ठात्मक एवं सुरक्षित डिजिटल उत्पाद है, की सुविधा अब विदेश स्थित कार्यालयों के ग्राहकों को दी गई है। योनो एसबीआई यूके को सितंबर 2019 में सफलतापूर्वक शुरू किया गया और इसे ग्राहकों की भारी स्वीकृति मिल चुकी है।
- वर्ष 2020 में 10 से भी अधिक देशों में योनो ग्लोबल को शुरू किया जाने वाला है।
- मॉरिशस से बांग्लादेश (बांग्लादेशी टका) एवं गल्फ से नेपाल (एनपीआर) जैसे विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट भुगतान एवं विप्रेषण कोरिडॉर विकसित करने पर ध्यान देते हुए विप्रेषण व्यवसाय कार्यनीति पर पुनर्विचार किया गया।
- वित्त वर्ष 2020 के दौरान एपीआई के जरिए बैंक के ग्राहक/खाता की सूचना तृतीय पक्ष के सेवाप्रदाताओं को देने के लिए ओपेन बैंकिंग परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन चार विदेश स्थित कार्यालयों (यूके, जर्मनी, एंटवर्प एवं बहरीन) में किया गया।

7. ग्लोबल पेमेंटस एंड सर्विसेज

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह (आईबीजी) की इकाई ग्लोबल पेमेंटस एंड सर्विसेज (जीपीएंडएस) में तीन शाखाएं/कार्यालय यथा -ग्लोबल लिंक सर्विसेज (जीएलएस), अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं शाखा मुंबई (आईएसबीएम) एवं अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं शाखा, एर्णाकुलम (आईएसबीई) शामिल हैं। यह विदेशी केंद्रों से भारत में ऑनलाइन आवक विप्रेषण, विदेशी मुद्रा चेक वसूली, वोस्ट्रो खाते खोलने एवं बनाए रखने, एशियन क्लियरिंग यूनियन (एसीयू) लेनदेन एवं यूएसएसआर सेक्शन के बैंक फॉर फॉरिन एकॉनमिक एफैर्स (बीएफईए) की सुविधा देता है। वर्ष की प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार रहीं :

- विदेश से भारत में आवक रुपया विप्रेषणों को चैनलाइज करने के लिए 55 विनिमय कंपनियों एवं एक मनी सर्विस बिजिनेस के साथ गठजोड़।
- वित्त वर्ष 2020 के दौरान ग्लोबल पेमेंट्स एंड सर्विसेज ने देशी शाखाओं की ओर से कुल 16.431 बिलियन मूल्य के 64,823 निर्यात बिल (अमरीकी डॉलर एवं यूरो में) एवं 35,454 विदेशी मुद्रा चेक वसूली का कार्य किया।
- इसी अवधि के दौरान ग्लोबल पेमेंट्स एंड सर्विसेज ने विभिन्न वैश्विक केन्द्रों से प्राप्त 6.797 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के 10.387 मिलियन ऑनलाइन आवक विप्रेषण लेनदेन किए।
- विभिन्न प्रतिनिधि बैंकों/विदेशी मुद्रा कंपनियों/भारतीय स्टेट बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों में 175 वोस्ट्रो खाते रखे गए।
- भारतीय स्टेट बैंक के लिए एसीयू लेनदेन करने के लिए पैन इंडिया नोडल कार्यालय।

8. विदेशी आई.टी. पहल

प्रक्रियाओं को स्वचालित करने, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने तथा जोखिम प्रबंधन के लिए आपका बैंक प्रौद्योगिकी का निरंतर उपयोग कर रहा है। हमारे विदेश स्थित कार्यालयों में निम्नलिखित पहल की गईं हैं :

- लेनदेनों की अतिरिक्त मात्रा अथवा ट्रैफिक का सुचारु इष्टतम वितरण सुनिश्चित करने के लिए हाई एवैलबिलिटी प्रोजेक्ट (एचए) शुरू की गई। विदेश स्थित सभी कार्यालयों में फिनैकल कोर एवं कनेक्ट 24 में हाई एवैलबिलिटी शुरू की गई। इससे प्रणालियों की उपलब्धता बढ़ने और व्यवधानों की संभावनाएं दूर होने की उम्मीद है।
- हमारे विदेश स्थित कार्यालयों के लिए ओराकल फाइनेंशियल सर्विसेस एनलिटिकल एप्लिकेशन (ओएफएसएए) के जरिए विनियामक रिपोर्टों का स्वचालन शुरू किया गया और इस वर्ष हमारे दक्षिण अफ्रीका के परिचालनों के लिए विनियामक रिपोर्टों का स्वचालन शुरू किया गया। अपनी विनियामक रिपोर्टों के स्वचालन के लिए इस परियोजना के अंतर्गत और अधिक विदेश स्थित कार्यालयों को अब लिया जा रहा है।

- पीएसडी2 निर्देशों के अनुसार अन्य पक्ष के सेवाप्रदाताओं के लिए बैंक के ग्राहकों/खातों की सूचना देने के लिए ओपेन बैंकिंग परियोजना वर्ष 2019-20 के दौरान चार विदेश स्थित कार्यालयों यथा यूके, जर्मनी, एंटवेर्प एवं बहरीन में सफलतापूर्वक लागू की गई।
- वर्ष के दौरान आईएनडी एएस वित्तीय विवरणों का स्वचालन कार्य शुरू किया गया। आईएफआरएस आईएनडी एएस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों में हमारे जोखिम विभाग द्वारा विकसित जोखिम मॉडल (पीडी/एलजीडी हेतु) का स्वचालन तथा ओएफएसएए के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह के तुलन पत्रों का समेकन शामिल हैं।
- पूंजी का इष्टतम उपयोग करने और कुशल मानव संसाधनों के नियोजन के जरिए व्यय घटाने की कार्यनीति के रूप में विदेश स्थित कार्यालयों के लिए केंद्रीकृत बैक ऑफिस शुरू किया जा रहा है। प्रस्तावित मॉडल के अंतर्गत बैंक के नेटवर्क के भीतर भारतीय स्टेट बैंक के अपने/पट्टे पर लिए गए परिसर में और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह के सीधे नियंत्रण में बीपीओ होगा। लेनदेन करने से जुड़े समस्त कार्य बीपीओ करेगा और डेटा एंट्री आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा की जाएगी। चेकर/आथराइजर के कार्य बैंक के अधिकारियों द्वारा किए जाएंगे।

3. वाणिज्यिक ग्राहक समूह (सीसीजी)

क. वाणिज्यिक ग्राहक

प्रबंध निदेशक वाणिज्यिक ग्राहक समूह वर्टिकल के प्रमुख हैं और दो उप प्रबंध निदेशक, पांच मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधकों की अध्यक्षता वाले नौ वाणिज्यिक ग्राहक समूह क्षेत्रीय कार्यालय इस वर्टिकल की सहायता करते हैं। यह वर्टिकल चयनित बड़े कारपोरेट ग्राहकों की ऋण जरूरतों की पूर्ति करता है। इस खंड के कॉरपोरेट ग्राहकों की सभी जरूरतों की पूर्ति करना, इनसे जुड़े जोखिमों का प्रबंधन करना और संवृद्धि को बनाए रखना इस वर्टिकल का आदेश है। वाणिज्यिक ग्राहक समूह की कुल 48 शाखाएं हैं, जिनमें से एक ब्रोकरेज हाउस भागीदारों की जरूरतों की पूर्ति करती है एवं आईपीओ का प्रबंधन करती है।

मुख्य महाप्रबंधकों को समूह संबंध विकसित करने की स्वतंत्रता दी गई है। संपूर्ण समूह के जोखिम आकलन, आमदनी आदि बढ़ाने के कार्य को एक साथ संपन्न करने के लिए नई दृष्टि मिल सकेगी। बैंक ने ऋणान्वयन, बॉन्ड, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग एवं उद्देश्यपूर्ण/मिलेजुले वित्तपोषण के बड़े प्रस्तावों वाले सौदों में सहायता करने के लिए उद्देश्यपूर्ण वित्तपोषण के अनुभवी विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है।

मार्च 2019 एवं मार्च 2020 के सीसीजी के स्तरों को नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

स्तर	वित्त वर्ष 2019	वित्त वर्ष 2020
गैर-खाद्य अग्रिम	400,909	409,589
कासा जमाराशियाँ (%)	24.73	26.12
प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय	146.69	153.56
अन्य आय (एयूसीए वसूली से आय को छोड़कर)	2,619	2,707
टीपीएम से पूर्व परिचालन लाभ	32,478	32,699

आपके बैंक ने हाल ही में अपने व्यवसाय ग्राहकों के लिए योनो शुरू किया है। कॉरपोरेट के लिए लेनदेन बैंकिंग के साथ साथ व्यापार वित्त व्यवसाय के लिए उत्कृष्ट एवं प्रयोक्ता अनुकूल डिजिटल मंच प्रदान करने के लिए इसकी अभिकल्पना की गई है।

यह समूह अपने ग्राहकों को व्यापार वित्त एवं विदेशी मुद्रा व्यवसाय के लिए मजबूत मंच प्रदान कर रहा है। आपका बैंक सभी व्यापार वित्त लेनदेनों को प्रोसेस करने के लिए केंद्रीकृत प्रोसेसिंग कक्ष खोलने जा रहा है। इन केंद्रीकृत प्रोसेसिंग कक्षों से क) सुपुर्दगी-बेहतर टर्न एराउंड टाईम, सूचना प्रवाह एवं ग्राहक संतुष्टि ख) विनियामक अनुपालन एवं ग) रखरखाव में दक्षता बढ़ेगी।

आपके बैंक ने "प्राइसिंग एंड नालेज" नामक डिजिटल इंटरफेस भी शुरू किया है, जो मूल्यनिर्धारण का नया उपकरण है और जिससे वाणिज्यिक ग्राहक समूह के परिचालन पदाधिकारियों में संस्वीकृतिकर्ता समितियों को बैंक के कॉरपोरेट ऋणों के लिए आंकड़ों से उन्मुख वस्तुपरक मूल्यनिर्धारण करने की मदद मिलती है। इसे वाणिज्यिक ग्राहक समूह की सभी शाखाओं में शुरू किया गया है।

ख. परियोजना वित्त एवं पुनर्रचना कार्यनीतिक व्यवसाय इकाई

आपके बैंक की परियोजना वित्त एवं पुनर्रचना कार्यनीतिक व्यवसाय इकाई ऊर्जा, सड़क, पोर्ट, रेल एवं एयरपोर्ट जैसी अत्यधिक पूंजी वाले आधारिक संरचना की बड़ी परियोजनाओं के लिए निधियों का मूल्यांकन एवं व्यवस्था करता है। इनमें धातु, उर्वरक, सिमेंट, तेल एवं गैस जैसे औद्योगिक क्षेत्र की अन्य गैर-आधारिक अत्यधिक पूंजी वाली परियोजनाएं भी शामिल हैं। परियोजना वित्त एवं पुनर्रचना कार्यनीतिक व्यवसाय इकाई अन्य विभागों को उनके बड़े मूल्य के मीयादी ऋण प्रस्तावों की जांच में भी सहायता प्रदान करती है। वित्तपोषण संरचना की नीति एवं विनियामक संरचना को मजबूत बनाने के लिए बैंक नई नीतियों, मॉडल रियायत करार एवं आधारिक संरचना वित्त क्षेत्र के भीतर आने वाली व्यापक समस्याओं पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ ऋणदाता के रूप में अपने विचार साझा करता है।

हाल ही में सरकार द्वारा विभिन्न सुधार एवं प्रोत्साहन के अलावा आधारिक संरचना में निवेश बढ़ाया गया, जिनके कारण अन्य क्षेत्रों के साथ साथ विशेषकर शहरी गैस संवितरण, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगों में नई परियोजनाओं का अंतर्वाह हुआ। विभिन्न क्षेत्रों की लगभग 6,500 आधारिक संरचनाओं में ₹ 102 लाख करोड़ के निवेश से राष्ट्रीय आधारिक संरचना पाईपलाइन शुरू किए जाने के कारण आधारिक संरचना क्षेत्र को और भी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। कोविद-19 का प्रकोप निर्विवाद रूप से मानवीय त्रासदी है और इसका अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर असर होने की संभावना है। आपका बैंक कार्यान्वयन के अंतर्गत की सभी परियोजनाओं की गहन निगरानी कर रहा है और इसके असर लघु एवं मध्यम अवधि में पार पा लेने की आशा है।

"ओरिजिनेट टु डिस्ट्रीब्यूट" व्यवसाय मॉडल की ओर जाते हुए आपके बैंक की परियोजना वित्त एवं संरचना व्यवसाय इकाई में एक संरचना दल का गठन किया गया। इस दल से ईक्विटी पर आय को बनाए रखते हुए परियोजनाओं के वित्तीयन की संरचना के लिए ग्राहक अनुकूल संरचना समाधान उपलब्ध किए जाने की आशा है। आपके बैंक के ग्राहकों को संरचना समाधान उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न उद्योगों के अनुभवी व्यावसायियों की भर्ती की जा रही है।

हमारे बैंक द्वारा वित्तपोषित केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु

हमारे बैंक द्वारा वित्तपोषित हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, सिंद्री यूरिया परियोजना

हमारे बैंक द्वारा वित्तपोषित मेट्रो रेल परियोजना

हमारे बैंक द्वारा वित्तपोषित पवन ऊर्जा परियोजना

4. तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन

1. पिछले चार वित्त वर्षों के दौरान एनपीए के उतार-चढ़ाव तथा अपलिखित खातों में हुई वसूली को नीचे दिखाया गया है:

(₹ करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2017*	वित्त वर्ष 2018	वित्त वर्ष 2019	वित्त वर्ष 2020
सकल एनपीए	1,77,866	2,23,427	1,72,750	1,49,092
सकल एनपीए%	9.11%	10.91%	7.53%	6.15%
निवल एनपीए%	5.19%	5.73%	3.01%	2.23%
नई बढ़ोतरी + बकाया में बढ़ोतरी	1,15,932	1,00,287	39,740	54,510
नकद वसूली/अपग्रेडेशन	32,283	14,530	31,512	25,781
अपलेखन	27,757	40,196	58,905	52,387
एयूसीए (AUCA) में वसूली	3,963	5,333	8,345	9,250
पीसीआर (%)	61.53%	66.17%	78.73%	83.62%

*विलयन के बाद

2. विगत कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र की समग्र अलाभकारी आस्तियों में अत्यधिक वृद्धि हुई। दिसंबर 2019 की भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट के अनुसार क्षतिग्रस्त आस्ति भार से संभावित वसूली के संकेत के रूप में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार आया, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल अलाभकारी आस्तियों का अनुपात मार्च 2019 की स्थिति की तुलना में 30 सितंबर 2019 में 9.3% पर स्थिर रहा। इसमें सितंबर 2018 के 10.8% के सकल अलाभकारी आस्ति अनुपात की तुलना में सुधार आया। इसके अलावा, व्यापक आर्थिक आघात को सहने के लिए भारतीय बैंकों की सहनशीलता के दबाव परीक्षणों द्वारा किया गया, जिसके परिणाम यह सूचित करते हैं कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल अलाभकारी आस्तियाँ सितंबर 2019 की 9.3% की स्थिति से बढ़कर मार्च 2020 तक 9.9% रहीं। यह स्थूल

आर्थिक परिदृश्य में बदलाव, स्लिपेज में थोड़ी सी वृद्धि एवं घटती ऋण संवृद्धि के डिनामिरेटर प्रभाव के कारण हुआ।

3. कोविद-19 के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अलाभकारी आस्तियों के स्तर में भारी वृद्धि होने की आशा है। इसे रोकने के लिए आपका बैंक उधारकर्ताओं को सहायता करने के लिए कई पूर्व उपाय कर रहा है, ताकि वे वर्तमान चुनौतियों का सामना कर सके और लाभकारी आस्तियों को जारी रख सके। निम्नलिखित कारणों से वित्त वर्ष 2019 एवं वित्त वर्ष 2020 में सकल अलाभकारी आस्तियों में लगातार कमी के परिणामस्वरूप मार्च 2020 के अंत तक अलाभकारी आस्तियों के स्तर में भारी कमी आई:

I. तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) 2016 से आपके बैंक को तनवग्रस्त आस्तियों से निपटने के लिए समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी प्रणाली मिली है। इस संहिता के तहत बैंक ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण को भेजे गए उच्च मूल्य के कुछ अलाभकारी खातों का समाधान किया गया है। इसी संहिता के तहत समाधान हेतु मामले राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण को भेजे जाते हैं। समाधान हेतु राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण को भेजे गए मामलों की निगरानी तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह की विशेषीकृत एनसीएलटी कक्ष में की जाती है। 31 मार्च 2020 को कुल 821 मामले एनसीएलटी को भेजे गए, जिनमें से 662 मामलों को स्वीकार किया गया है। आपका बैंक एनसीएलटी प्रक्रिया के जरिए एक बड़े ऋणी के खाते का समाधान कर उससे ₹12,024 करोड़ की राशि वसूल करने में सफल रहा है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की पहली एवं दूसरी संदर्भ सूचियों के कुछ उच्च मूल्य के खातों सहित 82 मामलों का समाधान किया जा चुका है।

II. उच्च मूल्य के तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के विवेकपूर्ण समाधान पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 7 फरवरी 2019 का परिपत्र इन खातों के समयबद्ध समाधान (एनसीएलटी प्रक्रिया से बाहर) के लिए नया अवसर प्रदान करता है। आपका बैंक इस पद्धति के अंतर्गत समाधान का सक्रिय लाभ उठा रहा है।

III. गैर-एनसीएलटी मामलों में वसूली वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत, ऋण वसूली अधिकरणों एवं न्यायालयों में मामले दायर कर वसूली की जाती है। बंधक रखी गई सम्पत्तियों की बिक्री भारतीय बैंक संघ के तत्वावधान में ई-नीलामी मंच https://ibpa.in से की जा रही ही है। पात्र मामलों में एकबारगी निपटान/समझौता के जरिए भी अवरुद्ध ऋणों की वसूली करने की कोशिश की जा रही है।

4. उत्तरदायी एवं जिम्मेदार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सुधार के भारत सरकार के एजेंडा के अनुरूप तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह का पुनर्गठन तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह के रूप में किया गया, जो क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण के साथ अलाभकारी आस्तियों के समाधान पर ध्यान देता है। इस समय प्रबंध निदेशक इस विभाग के प्रमुख हैं और दो उप प्रबंध निदेशक इस विभाग को सहायता प्रदान करते हैं तथा तीन मुख्य महाप्रबंधक क्षेत्र-वार संविभाग की निगरानी कर रहे हैं। सात महाप्रबंधकों के दिशानिर्देशों पर लेखा प्रबंधन दल कार्य कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2020 के दौरान तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह में देश भर की 19 तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखाएँ एवं 53 तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखाएँ शामिल रही, जो आपके बैंक की क्रमशः 61.26% एवं 86.03% अलाभकारी आस्तियों एवं ईयूसीए को कवर करती हैं।

अलाभकारी आस्ति संविभाग का उद्योग-वार संवितरण (31 मार्च 2020 तक) निम्नानुसार है :

अलाभकारी आस्तियां (संपूर्ण बैंक)

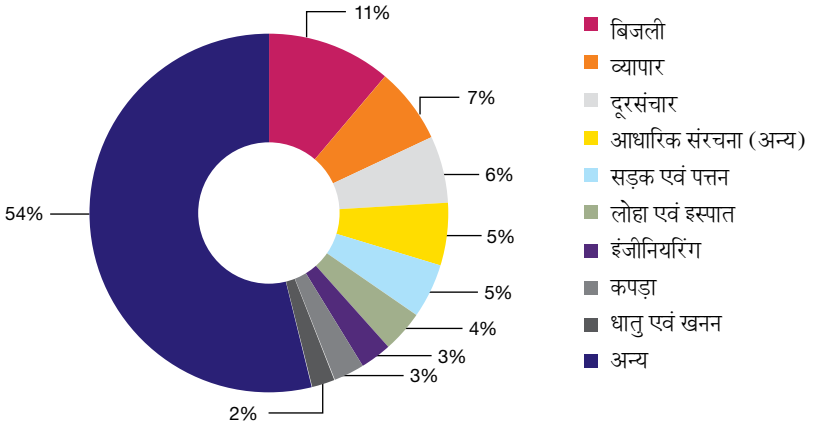

5. एसएआरजी में वसूली का बड़ा अंश समझौता और एआरसी को किए गए विक्रय से आता है। वर्टिकल समय-समय पर विशेष ओटीएस योजनाएँ (गैर-विवेकाधीन और गैर-भेदभावपूर्ण) लेकर आता है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को आस्तियों की बिक्री पर निगरानी रखने के लिए एक समर्पित टीम भी स्थापित की गई है।

वसूली विधि-संपूर्ण बैंक-वित्त वर्ष 2020

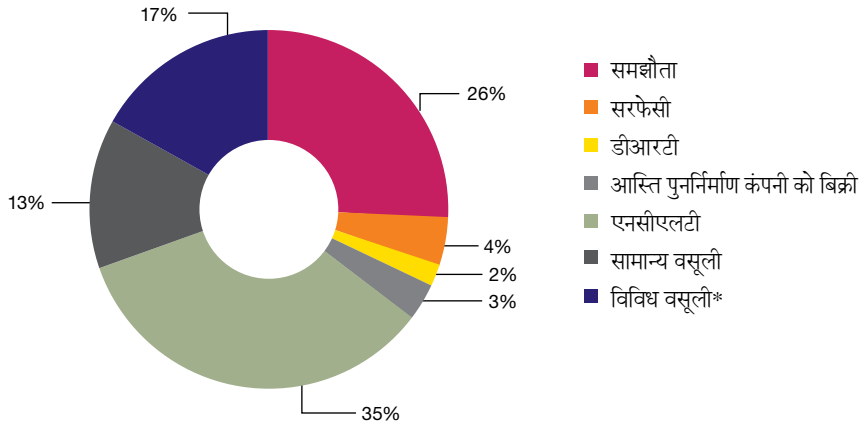

6. विशेष रूप से उल्लिखित खाते 2 एवं उससे अधिक श्रेणी में ₹ 500 करोड़ और उससे अधिक राशि के खातों के लिए तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह में ऋण निगरानी एवं समाधान में विशेष विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है। यह चूक के शुरुआत से ही निगरानी करने एवं समाधान योजना शुरू करने तथा चूक के शुरुआती चरण में सक्रिय समाधान उपाय लेने में सहायता करता है।

7. आज एसएआरजी आपके बैंक के सबसे महत्वपूर्ण वर्टिकल के रूप में खड़ा है। बैंक की सकल अलाभकारी आस्तियां अब अवरोहण के पथ पर हैं। एसएआरजी द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान निम्नलिखित रूप से बैंक की आमदनी में अप्रत्यक्ष अवसर प्रस्तुत करता है :

- एनपीए और औका में नकद वसूली
- ऋण हानि प्रावधानों में कमी
- आपके बैंक के बॉटम लाइन में योगदान
- ऋण विस्तारण के लिए पूंजी जुटाना

8. वित्त वर्ष 2020 के दौरान एसएआरजी ने विशिष्ट नवोन्मेषी तरीके भी अपनाए हैं। आपके बैंक को अखिल भारतीय आधार स्तर पर बड़ी संख्या में संपत्तियों की मेगा ई-नीलामी, ऋणकर्ता/गारंटीकर्ता की भार रहित संपत्तियों की पहचान तथा न्यायिक निर्णय से पहले संपत्तियों की कुर्की जैसे क्षेत्रों में अग्रणी रहने का लाभ प्राप्त है। तनावग्रस्त खाते की वसूली तेज करने हेतु की गई न्यायिक कार्रवाई की बेहतर निगरानी के लिए लिटमस (लिटिगेशन मेनेजमेंट सिस्टम) सहित कई नई सूचना प्रौद्योगिकी पहल शुरू करने की प्रक्रिया में हैं। संभावित ग्राहकों के लिए अपना समझौता आवेदन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल तथा बैंक तक उन्हें आसान पहुँच प्रदान करने का परीक्षण किया जा रहा है। इससे इन प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।

IV. सहायक एवं नियंत्रण परिचालन

1. मानव संसाधन और प्रशिक्षण

क. मानव संसाधन

आपके बैंक का यह मानना है कि उसके वर्तमान और भावी सभी संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति की कार्यनीतियों में उसके कर्मचारियों की अहम भूमिका है। आपके बैंक का मानव संसाधन प्रबंधन अपने नेमी कार्यों तक ही सीमित नहीं है, यह अपने कारोबारी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक ऐसी सकारात्मक कार्य संस्कृति बनाने के लिए कृत संकल्प है, जिसमें कार्मिक प्रबंधन के सभी पहलुओं का समावेश हो। हम यह मानते हैं कि हमारा मानव संसाधन ही हमारी ताकत है। यह हमें ज्ञान, टेक्नोलॉजी की नई चुनौतियों का सामना करने व राष्ट्रीय/वैश्विक अर्थव्यवस्था को बदलते दौर के अनुरूप अपने को ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

आपके बैंक का मानव संसाधन प्रबंधन मानव संसाधन की विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने, उन्हें कार्याविधियों करने व ज्ञान, कौशल, सृजनात्मकता, दृष्टिकोण और प्रतिभा विकास के उचित प्रबंधन और उसके बेहतर उपयोग के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। मानव संसाधन का ध्यान अब कर्मचारियों के कार्यनीतिक उपयोग और व्यवसाय पर कर्मचारियों के निष्पादन के परिमाणात्मक प्रभाव पर है। बैंक का मानव संसाधन प्रबंधन बैंक कर्मचारियों की अब तक की सर्वाधिक बदलती आकांक्षाओं के अनुरूप अपनी कार्यनीतियां निरंतर तैयार कर रहा है, जिससे संगठन में सहभागितापूर्ण कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिले और कार्यकुशलता भी बढ़े।

उठाया है। अब तक की अपनी एक छोटी और उपलब्धिपूर्ण यात्रा में इसने एक मजबूत सदाचार तंत्र की स्थापना, स्टेप्स (सेवा, पारदर्शिता, शिष्टता, सदाचार एवं निरंतरता) के मूल्यों के पुनर्निर्धारण व अंगीकरण और सदाचार संहिता का प्रकाशन कर दिखाया है। इस दृढ़ विश्वास के साथ कि सदाचारितापूर्ण संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति होती है, आपका बैंक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर 200,000 कर्मचारियों में दैनिक/साप्ताहिक आधार पर नैतिक मूल्यों को प्रसारित करने सहित अनेक पहल कर रहा है। इसके पीछे भावना यही है कि बड़े पैमाने पर सभी कर्मचारियों और हितधारकों के लिए एक नैतिक, समावेशी और समान वातावरण को बढ़ावा देकर अंतिम मील तक उनमें सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जाएं। इसके साथ ही, व्यवसाय आचरण और अनुशासन प्रबंधन के मोर्चे पर, बैंक ने कर्तव्यों के उचित निर्वहन व उचित वाणिज्यिक निर्णय लेने के लिए अपने कर्मचारियों में न केवल आवश्यक आत्मविश्वास जागृत करने, बल्कि उनमें प्रबंधकीय दक्षता और बैंक में प्रभावशीलता के स्तर को बढ़ाने के लिए भी कई उपाय किए हैं।

2. उत्पादकता बढ़ाने हेतु पहल

आपके बैंक ने कार्मिक नियोजन तथा मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ब्रांच मैन-पॉवर मॉडल अपनाया है। यह मॉडल शाखाओं में उत्पदकता मानदंडों जैसे 84 प्रचालन सबंधी वर्क-ड्राइवरों, ट्रांसेक्शन लोड फैक्टर्स, अग्रिम खातों की संख्या, प्रचालन इकाइयों के फीड-बैक तथा संस्था की संरचना आदि पर आधारित है।

दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार बैंक के मानव संसाधन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी	31.03.2019	31.03.2020
अधिकारी	1,08,113	1,06,361
सहयोगी	1,05,440	1,03,134
अधीनस्थ कर्मचारी व अन्य	43,699	39,953
कुल	**2,57,252**	**2,49,448**

1. लक्ष्य, ध्येय व मूल्य

तीन वर्ष बीत चुके हैं जब आपका बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का पहला ऐसा बैंक बना, जिसने बैंकिंग क्षेत्र में एक स्वतंत्र सदाचार एवं व्यवसाय आचरण विभाग मुख्य सदाचार अधिकारी के नेतृत्व में स्थापित करने का अभिनव कदम

आपके बैंक द्वारा पदोन्नति और स्थानांतरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है और इसे अब वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पूरा कर लिया जाता है। इससे शाखाओं तथा अन्य इकाइयों में स्थिरता और वर्ष के अधिकांश समय व्यावसायिक गतिविधियों पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्राप्त होगा।

प्रोजेक्ट 'सक्षम' के अधीन आपके बैंक की करियर विकास प्रणाली (सीडीएस) अत्यधिक सफल रही है, जिससे विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित हो पाई है। यह प्रणाली पर्याप्त जवाबदेही, दृष्यमान निष्पादन और व्यक्तिगत एवं संस्थागत लक्ष्यों के बीच पर्याप्त सामंजस्य सुनिश्चित करती है। सीडीएस द्वारा सिस्टम आधारित निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसकी सहायता से कर्मचारियों का विकास एक विस्तृत वार्षिक सक्षमता मैपिंग के जरिए किया जा सकता है।

आपके बैंक में एक सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से सभी अधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन मध्य वर्ष फीडबैक व्यवस्था शुरू की गई है। इससे वित्त वर्ष की शेष दो तिमाहियों में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इससे अधिकारियों की निपुणता को निर्धारित मानदंडों पर मापने में भी सहायता मिलती है।

एक बड़ी उपस्थिति और विविध भूमिकाओं वाले बैंक में सफलता हासिल करने के लिए विशेष कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों के ज्ञानक्षेत्र को विस्तारित करने और उनमें निपुणता बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने 7 जॉब-फैमिली अर्थात् ऋण एवं जोखिम, विक्रय, विपणन एवं परिचालन, मानव संसाधन, वित्त एवं लेखा, ट्रेजरी व फोरेक्स, सूचना प्रौद्योगिकी व एनालिटिक्स के आधार पर स्केल II से V तक के अधिकारियों के लिए करियर पथ निर्धारित किए गए हैं।

बैंक द्वारा उच्च मूल्य वाले कॉरपोरेटों/एसएमई क्रेडिट जैसे विशेष पदों पर काम करने वाले ऋण अधिकारियों के लिए 'विशेष भत्ते' का प्रावधान किया गया है। इससे बैंक को क्रेडिट के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों को आकर्षित करने, उसी क्षेत्र में उन्हें बनाए रखने, उन्हें प्रेरित व प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उन्हें अपने कौशल पर ध्यान केंद्रित करने व बैंक को क्रेडिट के क्षेत्र में ऐसे उत्साही अधिकारियों की टीम बनाने में मदद मिलेगी।

आपके बैंक में 'एसबीआई जैम्स' की एक ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है, जो असाधारण प्रदर्शन/प्रतिभाओं की यादों को बनाए रखने व उन्हें प्रेरित करने का कार्य करती है। यह वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए व असाधारण प्रदर्शन को प्रेरित करने में भी मदद करती है।

सभी वरिष्ठ व महत्वपूर्ण कार्यपालक स्तर के पदों के लिए 'उत्तराधिकारी योजना' नीति आपके बैंक द्वारा लागू की गई है। वर्ष 2019-20 के दौरान सभी उप प्रबंधक निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक एवं महत्वपूर्ण पदों के लिए उत्तराधिकारी योजना की शुरुआत की गई।

3. भर्ती

नियमित भर्ती कैलेंडर लागू कर और सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर आपके बैंक ने भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाया है। वित्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा 2201 परिवीक्षाधीन अधिकारियों और 8938 कनिष्ठ सहयोगियों की भर्ती की गई है। तेजी से बदलते व्यवसाय की जरूरतों की पूर्ति करने व विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपका बैंक संपदा प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना सुरक्षा, जोखिम, ऋण व्यवसाय आदि क्षेत्रों में लेटरल/ कॉन्ट्रैक्ट आधार पर विशेष योग्यता रखने वालों को भर्ती करने में भी आगे रहा है।

आपका बैंक भर्ती प्रक्रिया में डिजिटल प्लेटफार्म का व्यापक उपयोग कर रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को बैंक में लाया जा सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर हमारी भर्ती अधिसूचना प्रकाशित करने के अलावा लिंकडइन, नौकरी.कॉम, आईआईएम.जॉब्स आदि पर विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। हमारी भर्ती प्रक्रिया में सामाजिक और डिजिटल मीडिया के प्रयोग ने बैंक को तकनीक प्रेमी (टेकसेवी) और इच्छुक उम्मीदवारों के एक बड़े समूह तक पहुँचने में काफी मदद मिली है। साथ ही, विशेषज्ञ पदों की भर्ती के लिए बैंक ने आईसीएआई जैसी पेशेवर संस्थाओं के साथ करार किया है, जिससे योग्य और अच्छे उम्मीदवार मिल सकें।

4. कर्मचारी सहभागिता अभियान

'संजीवनी' : कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए 'संजीवनी' नामक हेल्पलाइन जनवरी 2018 में शुरू की गई, जिसे बैंक के पेंशनरों को भी वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही में उपलब्ध करा दिया गया। 'संजीवनी' नामक समन्वित पोर्टल जनवरी 2020 में एक्टिवेट किया गया, जिससे एक मजबूत कर्मचारी शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित की जा सके। 'संजीवनी' के तहत अब परामर्शदाता सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे कर्मचारियों का मनोबल और बढ़ने की उम्मीद है।

abhivyakti
अभिव्यक्ति कर्मचारी सहभागिता अभियान

"अभिव्यक्ति": आपके बैंक ने कर्मचारियों के मन को समझने के लिए "अभिव्यक्ति" नाम से सबसे व्यापक कर्मचारी सहभागिता कार्यक्रम आरंभ किया, जिसमें कर्मचारियों को यह बताना था कि बेहतर प्रदर्शन के लिए वास्तव में क्या क्या उन्हें प्रेरित करता है और उन्हें किन बातों से बचना चाहिए। इस पहल को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के अधिकारियों और लिपिक श्रेणी के कर्मचारियों को समाविष्ट कर सर्वेक्षण का आरंभ किया गया, जिसमें 1,91,881 कर्मचारियों की रिकार्ड सहभागिता रही, जो कि अब तक भारत के किसी संगठन में सबसे बड़ा सर्वेक्षण था। इससे हमें बड़ी संख्या में फीडबैक मिला, जो हमें जमीनी स्तर तक कार्यान्वयन के लिए वर्ष भर की कार्ययोजना बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। यह पहल बैंक में कर्मचारी सहभागिता एवं निष्पादन बढ़ाने की दिशा में एक

बड़ा कदम था। आपका बैंक अधिकतम कर्मचारी संतुष्टि और उन्हें खुशी प्रदान करने के उपाय आगे भी जारी रखेगा और उन्हें हमारे विजन को साकार करने हेतु निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा।

5. महिला-पुरुष अनुपात

लिंग संवेदनशीलता और समावेशिता हमेशा आपके बैंक की मानव संसाधन नीति की आधारशिला रही है। कुल कार्य बल में से महिलाओं का प्रतिनिधित्व 25.28% से अधिक है। महिला कर्मचारी पदानुक्रम के स्तरों के साथ साथ भौगोलिक विस्तार में भी उपस्थित हैं। वर्तमान में लगभग 3500 शाखाओं का महिला अधिकारियों द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। आपके बैंक ने महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण प्रदान करने और लैंगिक पक्षपात या यौन उत्पीड़न के डर के बिना काम करने के लिए सक्षम करने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। एक प्रभावी और समयबद्ध तरीके से यौन उत्पीडन के किसी भी शिकायत से निपटने के लिए तंत्र बनाई गई है।

6. आरक्षण एवं समान अवसर

आपका बैंक एससी/एसटी/ओबीसी/इड्ब्लूएस/दिव्यांगों के लिए आरक्षण नीति पर भारत सरकार के निर्देशों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। आपके बैंक के सभी संवर्गों के बीच एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आपके बैंक ने 1 फरवरी 2019 से सीधी भर्ती में "आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग" के लिए आरक्षण को लागू किया है।

दिनांक 31.03.2020 के अनुसार प्रतिनिधित्व

क्र सं.	संवर्ग	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	डीएपीएस*
1	अधिकारी	106361	18930	8810	21296	1973
2	लिपिकीय	103134	16625	8418	25496	2330
3	अधीनस्थ	39953	9867	2506	9617	251
	कुल	**249448**	**45422**	**19734**	**56409**	**4554**

*दिव्यांग (भिन्न क्षमताओं वाले व्यक्ति)

7. औद्योगिक संबंध एवं स्टाफ कल्याण

आपका बैंक कर्मचारी एवं अधिकारी संघों के साथ मैत्रीपूर्ण/सौहार्दपूर्ण संबंध रखता है। आपका बैंक कार्यस्थल पर अच्छे एवं स्वस्थ कार्य परिवेश, आपसी सम्मान एवं समानुभूति, अच्छे कार्य-जीवन संतुलन पर लगातार जोर देता आ रहा है, जिससे बैंककर्मी स्वस्थ और संपुष्ट रह सकें।

आपके बैंक ने वर्ष के दौरान कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में कई युगांतरकारी पहल की हैं। ये पहल यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि आपका बैंक भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सबसे आगे है और हमारे कर्मचारी कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। अपने कर्मचारियों के साथ दीर्घकालिक संबंध को मजबूत करने और उनके बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिए, बैंक अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की देखभाल करने के लिए प्रतिबद्ध है, सेवा के दौरान भी और उसके बाद भी, बैंक ने एक योजना शुरू की है "अटूट" जो सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उस परिवार को तत्काल सहायता के लिए इस योजना के तहत अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, यदि अन्य स्थान पर मृत्यु होती है, तो मृत कर्मचारी के पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

8. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देखभाल

आपके बैंक ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण को निरंतर महत्व दिया है। बैंक द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ के लिए वर्ष के दौरान विविध उपाय किए गए हैं और कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। बैंक द्वारा सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए चिकित्सा लाभ योजना में सुधार कर स्वास्थ्य सेवा पेन्शनरों और फैमिली पेन्शनरों के लिए किफ़ायती लागत पर उपलब्ध कराई गई है। पूर्व सहयोगी बैंकों के कर्मचारियों के पेन्शन, भविष्य निधि एवं ग्रेच्युटी आदि की प्रक्रिया/भुगतान को एचआरएमएस में शुरू किया गया है, ताकि सेवांत लाभों का आसान, सुव्यवस्थित ढंग से समय पर प्रक्रिया और भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

ख. कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई

संगठनात्मक मानसिकता में सीखने की संस्कृति पैदा करना

बैंक द्वारा प्रशिक्षण विशेषज्ञता और बुनियादी संरचना का एक प्रामाणिक विशाल परिवेश का सृजन किया गया है, जिसमें, प्रतिदिन 4,200 कर्मचारियों की क्लास रूम प्रशिक्षण क्षमता के छह डोमेन विशिष्ट एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स (एटीआई) और 51 क्षेत्रीय स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट (एसबीआईएलडी) शामिल हैं। डोमेन विशिष्ट एटीआई, आंतरिक व्यावसायिक आवश्यकताओं और बाहरी मांग के अनुसार प्रशिक्षणों को डिजाइन करते हैं। उनके ग्राहकों में, विभिन्न सरकारी एजेंसी, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंक और कॉरपोरेट सहित कई क्षेत्र तथा संगठन शामिल हैं।

वेबिनार और क्लास रूम प्रशिक्षणों के माध्यम से क्षमता निर्माण के अलावा, एटीआई एसबीआई के लिए प्रबुद्ध मंडल (थिंक टैंक) के रूप में और एसबीआईएलडी के लिए परामर्शदाता के रूप में भी कार्य करते हैं। वे एसबीआईएलडी के संकाय को प्रशिक्षित करते हैं, जो आगे जाकर प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख कर्मचारियों को समग्र प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

प्रशिक्षण संसाधनों को समेकित और अनुकूलित करने और कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए, आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 में प्रशिक्षण प्रणाली में विभिन्न नई पहल और व्यापक बदलाव शुरू किए हैं :

1. विशेष कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन प्रोग्राम:

जबकि नई दिशा के चरण-I में कर्मचारी केंद्रितता पर ध्यान रखा गया था, नई दिशा के चरण II को वित्त वर्ष 2019-20 में प्रारंभ किया गया था, जो सेवा चक्र के हर चरण पर उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक कुशलताओं के साथ कर्मचारियों को सुसज्जित करने पर केंद्रित था। इसमें 2.34 लाख कर्मचारी कवर किए गए थे।

2. सरकारी पहल की अगुवाई :

प्रशिक्षुता : देश में अग्रणी बैंक के रूप में, हमने बी.एफ.एस.आई. क्षेत्र में कुशल कार्यबल का एक पूल बनाने के लिए भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन पर जोर देने के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को लागू करने का बीड़ा उठाया है। पायलट योजना को चंडीगढ़ मंडल के एफ.आई.एम.एम. वर्टिकल में शुरू किया गया था।

उच्च शक्ति उद्योग गतिविधियाँ : आपके बैंक ने, प्रमुख बीएफएसआई संगठनों के मुख्य वित्तीय अधिकारियों (सी एफ़ ओ) की संगोष्ठी, बाहरी संगठनों के साथ वर्धित इंटरफेस, विचारों के परस्पर-परागण और नीति एवं अभ्यासों के दो-तरफ़ा आदान-प्रदान के लिए एम एस एम ई कॉन्क्लेव भारत सरकार, सी आई आई, सिडबी आदि के लिए समावेशी विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है।

बीएफएसआई पेशेवरों के लिए अनुकूलित कार्यक्रम : आपके बैंक ने, नामांकन शुल्क के साथ, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों तथा सरकारी विभागों सहित अन्य

बाहरी संस्थानों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष के दौरान अनुकूलित कार्यक्रम प्रदान करने द्वारा 9.60 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

3. नई भर्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना

परिवीक्षाधीन/प्रशिक्षु अधिकारियों का विकास करना : क्रेडिट डोमेन पर विशेष जोर देते हुए, परिवीक्षाधीन अधिकारियों और प्रशिक्षु अधिकारियों से संबंधित संपूर्ण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया को समग्र परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया है। नव नियुक्त स्टाफ को क्लास रूम प्रशिक्षण के अलावा संगठन संस्कृति की ओर उन्मुख किया गया और उनकी तैयारी पर भी जोर दिया गया। परिवीक्षा अवधि के दौरान नजदीकी संपर्क बनाए रखने और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए परामर्शदाई नीति पर पुनः विचार किया गया।

लिपिकीय स्टाफ (जूनियर एसोसिएट्स) की ऑनबोर्डिंग: जूनियर एसोसिएट्स के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और दृष्टिकोण का दो-चरण के संस्थागत प्रशिक्षण में पुनः निर्धारण किया गया है। इन कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम में डिजिटल सोच को विकसित करने पर अधिक जोर देते हुए बेसिक बैंकिंग को शामिल किया गया है। उनके प्रशिक्षण के लिए क्लासरूम गतिविधियों से परे मानक परिचालन कार्याविधि (एसओपी) स्थापित की गई है, जो कि लगभग परिवीक्षाधीन अधिकारियों और प्रशिक्षु अधिकारियों के समान है।

सिस्टम अधिकारियों की नियुक्ति : बैंक, आई टी संबंधित बैंक कार्यों के लिए विविध तकनीकी कौशल रखने वाले विशेषज्ञों को नियुक्त करता है। तदनुसार, सिस्टम अधिकारियों के "इंडक्शन-सह-प्रशिक्षण" पर एक नीति बनाई गई है और उनके निर्बाध ऑनबोर्डिंग को सुचारु बनाने के लिए उसे कार्यान्वित किया गया है।

4. मध्य प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण

भूमिका प्रासंगिक प्रमाणपत्र : भूमिका आधारित प्रमाणन कार्यक्रमों की संख्या को बढ़ाया गया है, जिसमें 59 घरेलू (इन-हाउस) और 41 बाहरी प्रमाणन शामिल हैं। डिजिटल बैंकिंग और नेतृत्व जैसे शीर्ष क्षेत्रों के लिए सहयोगात्मक मान्यताओं की परिकल्पना की गई और उन्हें शुरू किया गया। 2019-20 में 95% अधिकारियों और 93% अवॉर्ड स्टॉफ ने भूमिका प्रासंगिक प्रमाणन पूरी कर ली है।

अनिवार्य ई-पाठ : अनुपालन संस्कृति तथा नैतिक रूप से अच्छे व्यवसाय प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, ए जी एम स्तर तक के सभी कर्मचारियों को के वाई सी/ए एम एल, नैतिकता, अनुपालन और सी आर एम के डोमेन पर ई-पाठ निर्धारित किए गए।

बाहरी योग्यताओं (क्रेडेंशियल्स) का अधिग्रहण: आला क्षेत्रों को संभालने वाले अधिकारियों की पेशेवर विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए तकनीकी डोमेन में बाहरी पाठ्यक्रमों की संख्या को 41 तक बढ़ाया गया।

अनुपूरक प्रमाणन: वेतनमान III से V तक की पदोन्नति के लिए पात्र सभी अधिकारियों के कौशल में वृद्धि करने के लिए "डिजिटल परिवर्तन एवं नेतृत्व विकास" पर एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया। लगभग 75% पात्र कर्मचारियों ने इस प्रमाणन को पूरा कर लिया है।

5. एक मजबूत कार्यकारी टीम का निर्माण करना :

ऑनलाइन मूल्यांकन केंद्र (ओ ए सी): उच्च कार्यपालकों की दक्षता मूल्यांकन के लिए एक ऑनलाइन मूल्यांकन केंद्र का सृजन किया गया है। वैयक्तीकृत प्रबंधकीय और नेतृत्व विकास योजना यानि बल और विकास के क्षेत्रों को दर्शानेवाले व्यक्तिगत विकास योजनाएँ, प्रत्येक प्रतिभागी को उपलब्ध कराए गए। 174 नए पदोन्नत डी जी एम ऑनलाइन दक्षता परीक्षा में भाग ले चुके हैं।

उत्तराधिकार योजना: भविष्य के नेताओं का एक समूह तैयार करने के लिए वरिष्ठ पदों के लिए चिह्नित संभावित उत्तराधिकारियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं। प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पाँच डोमेन - उच्च मूल्य ऋण और जोखिम, मानव संसाधन, डिजिटल बैंकिंग और आई टी, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और वैश्विक बाजार, खुदरा व्यवसाय और परिचालन की पहचान की गई। 318 अधिकारियों की पहचान की गई है और संबंधित डोमेन में उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

टी ई जी अधिकारियों के लिए अनिवार्य ज्ञानार्जन: व्यवसाय विश्लेशण (बिज़नेस एनेलिटिक्स), सॉफ्ट स्किल्स, परियोजना प्रबंधन (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट), नेतृत्व (लीडरशिप), डिजिटल, अर्थव्यवस्था एवं वित्त के क्षेत्र में उभरती अवधारणाओं के बारे में शीर्ष कार्यपालकों को निरंतर जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से, अन्य आंतरिक एवं बाह्य प्रमाणनों के अलावा उन्हें 125 एड-एक्स प्रमाणनों का एक बास्केट उपलब्ध कराया गया है।

बाहरी प्रशिक्षण: वरिष्ठ पदधारियों को उच्च स्तर/विषय केंद्रित बाह्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस तरह का प्रशिक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके प्रबंधन दर्शन, दृष्टिकोण और प्रकृति का, बैंक में नीति निर्माण और कर्मचारियों की बड़ी संख्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सुरक्षा कर्मियों की समीक्षा

6. अंतर्निहित नेतृत्व कौशल को विकसित करना :

नेतृत्व वाले पदों के लिए अधिकारियों को तैयार करना शुरुआत से ही प्रारम्भ हो जाता है। अधिकारियों को उनके कैरियर पथ के विभिन्न चरणों पर विभिन्न नेतृत्व कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है। वित्त वर्ष 2019-20 में कनिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम के माध्यम से आपके बैंक ने अपने युवा नेताओं को तैयार किया है। पहली बार क्षेत्रीय प्रबंधक बनने वालों को परिचालनात्मक नेतृत्व (ऑपरेशनल लीडरशिप) का प्रशिक्षण दिया गया। सभी नए पदोन्नत डी जी एम और जी एम को व्यवसाय एवं कार्यनीतिक नेतृत्व प्रशिक्षण (बिजनेस एंड स्ट्रैटेजिक लीडरशिप ट्रेनिंग) प्रदान किया गया।

7. ज्ञानार्जन का सुदृढ़ीकरण :

'जस्ट इन टाइम लर्निंग' आस्क एसबीआई :

बढ़ती बैंकिंग जटिलता के साथ, फ्रंटलाइन पदधारी हर दिन नई समस्याओं का सामना करते हैं। तत्काल (रियल टाइम) सर्च इंजन आस्क एसबीआई की सुविधाओं और ज्ञान भंडार (नालेज बैंक) का उन्नयन करके उनकी तत्काल ज्ञान की आवश्यकता को पूरा किया गया है। इसके साथ-साथ, बेहतर सुगमता के लिए, ज्ञान भंडार को ईएमएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से मोबाइल पर उपलब्ध कराया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 में, 85% शाखाओं ने इस सुविधा का उपयोग किया है।

सोशल लर्निंग "ऑनलाइन केस स्टडी डिस्कशन बोर्ड":

डोमेन विशेषज्ञों के एक आभासी समुदाय के निर्माण और कर्मचारियों के बीच सम-स्तर के सामूहिक सीख (ग्रुप लर्निंग) को बढ़ावा देने के लिए, एसबीआई ने रियल लाइफ केस स्टडीज के आधार पर एक डिस्कशन बोर्ड प्लेटफॉर्म शुरू किया है। डिस्कशन बोर्ड को कई उपकरणों के माध्यम से सुलभता के साथ मंच के अनुसरणीय बनाया गया है। प्रारंभ करने के 4 महीने के भीतर 36,000 से अधिक कर्मचारियों ने 3.5 लाख + साइट विजिट के साथ फोरम को एक्सेस किया है।

ज्ञानार्जन का सरलीकरण:

दैनिक क्विज़ कैप्सूल "माई क्वेस्ट टुडे" : क्रेडिट, उभरते क्षेत्रों और बैंक के दिशानिर्देशों पर ज्ञान को ताज़ा करने का एक संक्षिप्त दैनिक क्विज़ प्लेटफ़ॉर्म प्रारंभ किया गया है। इसके प्रारंभ होने के दो महीनों के भीतर "माई क्वेस्ट" में प्रतिभागी हिट्स की संख्या 31000 को पार कर गई है।

प्ले टू लर्न ऐप : बेहतर अनुभव और वर्धित अवधारणा के लिए 2019-20 में एक क्विजिंग ऐप आरंभ किया गया था। "प्ले टू लर्न ऐप" के लिए 21,250 प्रश्नों का एक ज्ञान भंडार बनाया गया है और पंजीकरण की संख्या 10,000 के मील के पत्थर को पार कर गई है।

डोरस्टेप प्रशिक्षण - "विजिटिंग फैकल्टी स्कीम" : कार्यस्थल में व्यवधान को कम करने के लिए वी एफ एस का संवर्धन किया गया है। ग्राहक के साथ दिन-प्रति दिन किए जाने वाले परिचालनों के परिचालनगत संदेहों के निराकरण के लिए एस बी आई एल डी के संकाय अब क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालयों (आरबीओ) की समीक्षा बैठकों में भाग लेते हैं।

8. प्रभावी पहुंच के लिए डिजिटल को अपनाना

वेबिनार: कार्यस्थल पर व्यवधान पैदा किए बिना कर्मचारियों के कौशल के उन्नयन के लिए मुख्य विषयों पर ऑनलाइन वेबिनार आयोजित करने के लिए सभी ए टी आई सुसज्जित थे।

मोबाइल फ़ोन से प्रमाणन: विषय-सामग्री के वितरण और मूल्यांकन के लिए मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म पर एक ऐप शुरू किया गया है - शिक्षार्थियों को सीखने के "मील के पत्थर" सौंपे जाते हैं और उसके बाद मूल्यांकन के लिए क्विज आयोजित किए जाते हैं। समय के सर्वोत्कृष्ट उपयोग के कारण यह कर्मचारियों के लिए बेहद सफल साबित हुआ है।

क्लाउड आधारित एल एम एस: सभी ई-सामग्री को क्लाउड आधारित एल एम एस - मेघदूत में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसमें कहीं पर भी, उपयोगकर्ता के अनुकूल (यूजर फ्रेंड्ली) सुविधाओं के साथ स्व-निर्धारित गति के साथ सीखने की सुविधा है।

डिजिटल पुस्तकालय : स्व-मूल्यांकन के लिए एक प्रश्न बैंक सहित 754 ई-पाठ, 477 ई-कैप्सूल और 739 मोबाइल नगेट्स का एक डिजिटल भंडार बनाया गया है। कर्मचारी, अपने ज्ञानवर्धन के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल (यूजर फ्रेंड्ली) विशेषताओं के साथ, नए क्लाउड-आधारित शिक्षण प्रबंधन प्रणाली 'मेघदूत' पर सभी ई-पाठों का एक्सेस कर सकते हैं।

ई-भंडार:

प्रकरण अध्ययन: कुल 1329 सोच-उत्तेजक प्रकरण अध्ययनों को इन-हाउस विकसित किया गया है और कर्मचारियों द्वारा व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराया गया है। वास्तविक जीवन बैंकिंग परिदृश्यों और खाता अनुभवों पर प्रकरण अध्ययन आधारित हैं। इनके कर्मचारी के उपयोग के लिए उपलब्ध कराने से पहले उन्हें, विषय सामयिकता, उपयोगिता, रुचि संबद्धता और डेटा सटीकता के लिए एक सामग्री वेटिंग समिति द्वारा शुद्ध कराया गया है।

बुकलेट: ग्राहक अभिमुख (फ्रंटलाइन) कर्मचारियों के लिए विविध बैंकिंग गतिविधियों पर दिशानिर्देशों के साथ 713 पुस्तिकाओं को इंट्रानेट पर उपलब्ध कराए गए हैं ।

ई-प्रकाशन : सभी ए टी आई कर्मचारी उपयोग के लिए इन-हाउस जर्नल और पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं, जैसे बैंकिंग ब्रीफ, एक पुरस्कृत प्रकाशन रहा है, जिसका, प्रबंधन के विभिन्न स्तरों द्वारा व्यापक रूप से बैंकिंग और वित्त विषयों के त्वरित सिंहावलोकन के लिए अनिवार्यतया सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास प्रकाशन के रूप में मांगी जाती है।

9. समावेशी प्रशिक्षण

परिचालन इकाइयों में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए "हैंडलिंग पीडब्ल्यूडी एम्प्लाईस" पर नई सामग्री विकसित

की जा रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एसबीआई फाउंडेशन के समन्वय के साथ 237 दृष्टिबाधित और 73 बधिर कर्मचारियों को विशेषीकृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

10. अनुसंधान उपलब्धि (रीसर्च कौशंट) का निर्माण

डोमेन विशेषज्ञ अनुसंधान खंड बनाना: व्यवसाय से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए सभी ए टी आई में डोमेन विशेषज्ञ अनुसंधान खंड बनाए गए हैं। अनुसंधान अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 65 से अधिक खोजी अध्ययन किए गए थे और इन अध्ययनों में किए गए 102 सिफारिशों को व्यवसाय इकाइयों (बी यू) ने कार्यान्वयन के लिए स्वीकार किया गया।

पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च फेलो: बी एफ एस आई क्षेत्र के लिए प्रासंगिक अभिनव और उच्च शैक्षणिक अनुसंधान गतिविधियों के लिए पी डी आर एफ भर्ती किए गए हैं। पी डी आर एफ ने राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने शोध निष्कर्षों को साझा किया है और बी एफ एस आई अनुसंधान के डोमेन में भारतीय स्टेट बैंक के प्रभाव स्थापित करने के लिए प्रमुख जर्नल/पत्रिकाओं में अपने शोध कार्यों को प्रकाशित किया है।

ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप नीति को बेहतर बनाना: वर्ष के दौरान, ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप नीति पर दुबारा गौर किया गया और छात्रों को व्यावसाय प्रासंगिक परियोजनाओं में समर्पित करने के लिए इसे बेहतर बनाया गया। सभी शीर्ष स्तर के यूजीसी/ए आई सी टी ई द्वारा निजी और सरकारी संस्थानों में विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले 305 छात्र ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत जुड़े हुए थे।

11. गति बनाए रखना

वित्त वर्ष के अंत में कोविड-19 ने प्रहार किया परंतु आपके बैंक के वर्चुअल लर्निंग टूल्स के कारण प्रशिक्षण की निरंतरता को अधिक प्रभावित नहीं किया। कभी-भी सीखने और ऑन-डिमांड वेबिनार कक्षाओं के लिए एक निर्बाध माध्यम को प्रोत्साहित किया गया।

2. सूचना प्रौद्योगिकी

क. नेटवर्क, आर्किटेक्चर एवं इंफ्रास्ट्रक्चर

कम डाउनटाइम और निर्बाध स्थायी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए आपके बैंक ने दो और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को अपने साथ जोड़कर कुल टीएसपी की संख्या ग्यारह कर ली है।

नेटवर्क के नियंत्रण और निगरानी का सिंगल पॉइंट स्थापित करने के लिए वर्ष के दौरान नेटवर्क सुरक्षा नीति प्रबंधक (एनएसपीएम) बनाया गया है।

आईटी कार्यनीति के सही विकास और निष्पादन के लिए आपके बैंक ने एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर उद्यम विश्लेषण, डिजाइन, योजना और कार्यान्वयन के लिए उद्यम आर्किटेक्चर (ईए) की शुरुआत की है। बैंक के पास बेहतरीन टूल उपलब्ध हैं, जो, योजना बनाने, विश्लेषण, डिजाइन और निष्पादन के लिए उद्यम आर्किटेक्ट्स, व्यवसाय और आईटी हितधारकों को सहयोग प्रदान करते हैं।

वर्ष 2014 में बैंक का निजी क्लाउड "मेघदूत" आरंभ किया गया था, जो 1000 + एप्लीकेशनों को सफलतापूर्वक आईएएएस उपलब्ध करा रहा है। इसकी स्केलेबल आर्किटेक्चर के साथ 15000 वर्चुअल सर्वरों को मांग पर इंफ्रा उपलब्ध कराने की क्षमता है। और यही अपनी पीएएएस (प्लेटफार्म के रूप में सेवा) तैयार करने की ओर अग्रसर है। आपके बैंक का अपना पहला "नवीनतम तकनीक" युक्त "टियर-3" डेटा सेंटर हैदराबाद में एक सुरक्षित भूकंपीय क्षेत्र (Zone2) में सुरक्षा की 9 परतों से तैयार किया गया है।

आपका बैंक 22,100 + एसबीआई शाखाओं में स्थित सभी भौतिक सर्वरों को डेटा सेंटर सुरक्षा के साथ आभासी वातावरण में केंद्रीकृत स्थान पर परिवर्तित कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बिजली की बचत होगी और ग्रीनहाउस गैसों में कमी आएगी।

आपके बैंक को उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ओरेकल डेटाबेस होने पर गर्व है, जिसे ओरेकल डीबी संस्करण 12c में सफलतापूर्वक अपग्रेड किया गया है।

ख. उत्पादकता और दक्षता

एंटरप्राइज मोबिलिटी मैनेजमेंट (ईएमएम): आंतरिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने ईएमएम समाधान अपनाया है, जो कर्मचारियों की उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को कहीं भी 'ऑफिस-ऑन-द-गो' टूल प्रदान करता है।

ऑफिस 365: ऑफिस 365 बैंक के कर्मचारियों को बहुत से एप्लीकेशन्स प्रदान करता है। यह आंतरिक एप्लीकेशन/वर्कफ्लो का ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, जो आपके बैंक के वर्कफ्लो का ऑटोमेशन कर पेपरलेस कार्य करने में मदद कर रहा है।

आईटी सेवा प्रबंधन (आईटीएसएम): यह प्रयोक्ताओं के लिए आईटी सेवाओं का एक निगरानी टूल है, जो समाधान हेतु जरूरी अलर्ट जनरेट करने के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निगरानी रखता है।

एसएमएस सेवा - एप्लीकेशन आधारित एसएमएस गेटवे: आपके बैंक में एक एकीकृत प्रणाली है, जो 5,000 एसएमएस प्रति सेकंड और 12 करोड़ एसएमएस प्रति दिन की मौजूदा क्षमता के मुकाबले 50,000 एसएमएस प्रति सेकंड और 40 करोड़ एसएमएस प्रति दिन संभालने में सक्षम है, जिससे ग्राहक को लेनदेन के लिए जरूरी एसएमएस अलर्ट मिलना सुनिश्चित होता है।

उपयोगकर्ता अनुभव डिजाइन केंद्र (यूएक्सडीसी): आपके बैंक में अत्याधुनिक यूएक्सडीसी का प्रयोग किया जाता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग उद्योग में अपनी तरह का पहला प्रयोग है। इसका उद्देश्य प्रयोक्ताओं को उद्देश्यपूर्ण और संगत अनुभव प्रदान करना है। इसमें ब्रांडिंग, डिजाइन, उपयोगिता और कार्यात्मकता के विभिन्न पहलुओं सहित उत्पाद तैयार और एकीकृत करने की पूरी प्रक्रिया का डिजाइन शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारी प्रक्रियाएं और उत्पाद वास्तव में ग्राहक उन्मुखी हैं और हम समय के साथ इनमें सुधार कर रहे हैं। हम अधिक इमर्सिव डिजाइन तैयार करने और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए संवर्धित और आभासी वास्तविकता (एआर/वीआर) के लिए भी कार्य कर रहे हैं। आनंदपूर्ण ग्राहक अनुभव के लिए आपका बैंक प्रत्येक एप्लीकेशन का कई प्रकार की टेस्टिंग से गुजरना सुनिश्चित करता है, जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है।

एप्लिकेशन टेस्टिंग : आपका बैंक प्रत्येक एप्लिकेशन के कई टेस्टिंग सुनिश्चित करता है। आपका बैंक सख्त निष्पादन टेस्टिंग करता है, जिससे कार्य की अत्यधिक मात्रा में भी अनुक्रियता, मापनीयता, विश्वसनीयता, संसाधन उपयोग एवं स्थायित्व की दृष्टि से या एप्लिकेशन आशयित मापदण्डों की पूर्ति कर सके। चूंकि आपके बैंक का नेटवर्क देशभर में फैला हुआ है जहां अलग-अलग बैंडविड्थ की उपलब्धता है। इसलिए अलग-अलग नेटवर्कों की स्पीड के तहत एप्लीकेशनों का प्रदर्शन निर्धारित करने के लिए थ्रॉटल टैस्टिंग शुरू की गई है। यह कम बैंडविड्थ पर एप्लीकेशन के प्रदर्शन का विश्लेषण करने में मदद करता है।

रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) टूल: आपका बैंक आरपीए टूल का भी उपयोग करता है। यह डिजिटल सिस्टम में इंसानी कार्यों का अनुकरण और एकीकृत करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या "रोबोट" को संबद्ध करना संभव बनाता है। आरपीए रोबो डेटा कैप्चर करने और मनुष्यों की तरह एप्लीकेशनों में परिवर्तन करने के लिए उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस का उपयोग करते हैं। यह बार-बार किए जाने वाले कार्यों के लिए अन्य प्रणालियों

के साथ संपर्क करता है। आपका बैंक विभिन्न एप्लीकेशनों के ऑटोमेडिट रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए यूआईपाथ का उपयोग कर रहा है। यह टूल पारंपरिक ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स की तुलना में 20-30% तेज है और इसे विशेषीकृत ऑटोमेशन इंजीनियरों की आवश्यकता नहीं है, जिससे लंबी अवधि में समय और पैसे की बचत होती है।

मोबाइल ऑटोमेटेड टेस्टिंग (मैट) टूल: आपका बैंक मोबाइल ऐप्स के ऑटोमेडेट टेस्टिंग के लिए ऐपियम, ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल का उपयोग करता है। ऐपियम का उपयोग करके मोबाइल उपकरणों (एंड्रॉइड और आईओएस), टैबलेट और आईपैड आदि पर ऑटोमेडेट टैस्टिंग चलाई जा सकती है। नई सुविधाओं और कार्यक्षमताओं के साथ अपडेट किए जाने पर ऐपियम मोबाइल ऐप रिग्रेशन आसान बनाता है।

ग. योनो

सभी आवश्यकताओं के लिए एक उत्पाद YONO में कई ग्राहक केंद्रित उत्पादों को जोड़ा गया है जैसे:

- शाखा में जाने और कागजी कार्रवाई के बिना प्री-अप्रूव्ड ऑनलाइन वैयक्तिक ऋण।
- भीम यूपीआई और क्यूआर कोड के माध्यम से सुविधाजनक फंड ट्रांसफर।
- एटीएम और पीओएस से बिना कार्ड नकद निकासी के साथ ही पीओएस में बिना कार्ड खरीदारी।
- धारण योग्य (वियरेबल)/स्मार्ट वॉच का उपयोग करके टैप और तुरंत भुगतान।
- बैंक की संयुक्त उद्यम कंपनियों (एसबीआई लाइफ, एसबीआई कैप्स, एसबीआई कार्ड्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस) के विभिन्न वित्तीय उत्पादों की एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन खरीद की सुविधा। ग्राहक तुरंत 20 लाख रुपये तक के जीवन बीमा कवर का लाभ उठा सकते हैं।

घ. विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धि (एआई) और मशीन लर्निंग

प्रणाली के भीतर के प्रमुख अड़चनों का समाधान करते हुए आपके बैंक का विश्लेषण विभाग उत्कृष्टता केंद्र और उपयोगिता सृजन विभाग बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह विभाग भविष्य के लिए उपयोगी एआई/एमएल आधारित विविध पूर्वानुमेय मॉडल विकसित करने संबंधी बैंक के लिए महत्वपूर्ण मदों पर ध्यान देता है। पिछले पांच वर्षों में विश्लेषण टीम ने नवीनतम टूल्स, एल्गोरिदम आदि का उपयोग करके बैंक के लगभग सभी क्षेत्रों के लिए विभिन्न उपयोगी मॉडल तैयार किए हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान 30 + मशीन लर्निंग मॉडल आंतरिक रूप से विकसित किए गए हैं। ऐसे उत्पादों और मॉडलों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

व्यवसाय क्षेत्र: विभिन्न वैयक्तिक खंड ऋणों में लीड्स के लिए अनुमोदन इंजन, प्रवृत्ति आधारित पूर्णतया डिजिटल "प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन (PAPL)", 4-क्लिक एसएमई लोन उत्पाद "प्री-अप्रूव्ड मर्चेंट लोन (पीएएमएल)"।

धोखाधड़ी और जोखिम क्षेत्र: संदिग्ध एटीएम धोखेबाजों, बचत खातों में संभावित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का पता लगाने के लिए विकसित मॉडल।

क्रेडिट जोखिम क्षेत्र: एसएमई और वैयक्तिक खंड ऋणों में पूर्व चेतावनी स्ट्रेस सिग्नल की पहचान करने के लिए विकसित मॉडल।

अन्य क्षेत्र: आय रिसाव, क्रॉस-सेल और अप-सेल की पहचान करने के लिए मॉडल।

बैंक एआई/एमएल आधारित मॉडल विकसित करने की ओर भी अग्रसर है जैसे कि प्री-अप्रूव्ड बिजनेस लोन (पीएबीएल) के माध्यम से एसएमई ग्राहकों को डिजिटल रूप से ऋण, बीएसबीडी ग्राहकों को ऋण आदि।

आपके बैंक द्वारा एआई/एमएल को लागू करना गार्टनर हाइप साइकल के अनुसार है। यह इंडस्ट्री द्वारा मान्यता प्राप्त टूल है, जो एआई/एमएल में वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों को दर्शाता है। बैंक ने निर्देशानुसार "आपके बैंक में एआई और एमएल को लागू करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित तीन वर्ष का रोडमैप" प्रस्तुत किया है।

ङ व्यवसाय आसूचना

व्यवसाय आसूचना अत्याधुनिक विश्लेषण का अग्रगामी है। इसे ध्यान में रखते हुए आपका बैंक दृश्यों, ग्राफिक्स, अंतर्निर्मित इंटेलिजेंस आदि के साथ अत्यधिक उपयोगी डैशबोर्ड्स तैयार कर रहा है, जिससे सभी क्षेत्रों को जरूरी जानकारी और सही निर्णय लेने में सहायता मिल रही है। यह डैशबोर्ड इंट्रानेट, इंटरनेट, आईपैड, मोबाइल जैसे सभी प्लेटफार्मों में उपलब्ध हैं। बैंक में सही निर्णय लेने के लिए विभाग एकल स्रोत बनने की दिशा में अग्रसर है। इस प्रसार में विभाग ने डेटा गुणवत्ता को कम करने, आरबीआई की तत्व आधारित रिपोर्टिंग और विभिन्न अनुपालन और जोखिम अपेक्षाओं की शर्त को पूरा करने के लिए मास्टर डैशबोर्ड और ऑटोमेडेट डेटा पॉइंट विकसित किए हैं। परिणामस्वरूप आपके बैंक की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सरकार के विजन के अनुरूप रूपरेखा डैशबोर्ड तैयार करने में भी विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

च. ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम)

आपके बैंक ने बिक्री, सेवा और विपणन कार्यकलापों के एकीकृत प्रबंधन के लिए एक अत्याधुनिक सीआरएम समाधान लागू किया है। यह विभिन्न सिस्टमों और चैनलों में की गई ग्राहक बातचीत को कैप्चर करता है और 360o दृश्य उपलब्ध कराता है। इसमें अंतर्निर्मित कैंपेन प्रबंधन मॉड्यूल हैं और यह सेवा की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करता है। सीआरएम समाधान का बैंक भर में प्रति माह 30 लाख उपयोगकर्ता लॉगिन के साथ व्यापक उपयोग किया गया है, जो कुल उपयोकर्ताओं का 65% से अधिक है।

छ. डेटा वेयरहाउस (डीडब्ल्यूएच)

पिछले दस वर्षों में आपके बैंक के डेटा वेयरहाउस ने टी+1 आधार पर डेटा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह 71+ सोर्स प्रणालियों को जोड़ता है। डेटा वेयरहाउस बैंक के केंद्रीय डेटा भंडार के रूप में कार्य करते हुए आरबीआई के नए निर्देशानुसार "तत्व आधारित रिपोर्टिंग" करने में सक्षम है।

आंकड़ों की अत्यधिक वृद्धि के साथ, विशेष रूप से लगातार विस्तारित डिजिटल इकोसिस्टम के कारण, आपका बैंक मांग पर डेटा प्रदान करने और डेटा गुणवत्ता और डेटा अखंडता को ध्यान में रखते हुए दिसंबर-2020 तक अत्याधुनिक आर्किटेक्चर युक्त "अत्याधुनिक डेटा-वेयरहाउस" स्थापित करने जा रहा है। इसकी स्थापना से आने वाले दिनों में आपकी बैंक की विश्लेषण टीम ज्यादा से ज्यादा नमोन्मेषी समाधान देने में सक्षम होगी।

ज. डेटा प्रबंधन कार्यालय (डीएमओ)

आपका बैंक एक मजबूत डेटा संचालन ढांचा स्थापित करके भारतीय बीएफएसआई क्षेत्र में अग्रणी बन गया है और मुख्य डेटा प्रबंधन अधिकारी के तहत डेटा प्रबंधन कार्यालय की स्थापना की गई है। डेटा गवर्नेंस तंत्र को डेटा गवर्नेंस काउंसिल (डीजीसी) द्वारा समर्थित एक शीर्ष स्तर की डेटा गवर्नेंस काउंसिल (एडीजीसी) के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। यह संरचित दृष्टिकोण जटिलता को कम करेगा और पूरे बैंक में डेटा की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, परिणामस्वरूप डेटा परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

झ. रिपोर्टिंग, जोखिम और अनुपालन के लिए विश्लेषणात्मक प्लैटफॉर्म

वित्तीय रिपोर्टिंग का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और इसके जोखिम और वित्त कार्यों को सक्रिय करने के लिए आपके बैंक ने एक अत्याधुनिक वित्तीय विश्लेषण समाधान अपनाया है। यह डेटा की सटीकता सुनिश्चित करता है और लाभप्रदता, एएलएम और विनियामक अनुपालन में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह आर्थिक पूंजी, एफटीपी और विनियामक पूंजी जैसे विश्लेषणात्मक व्यावसायिक कार्यों में भी सुधार करता है। आपका बैंक आईनएडी-एएस मानक अपनाने की तैयारी में है, जिसके अप्रैल-2020 से लागू होने की उम्मीद है।

ञ. दक्षता

आपके बैंक ने अपने आईटी इकोसिस्टम तंत्र में वेंडर केंद्रित जोखिम और वेंडर निर्भरता कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाकर आंतरिक आईटी एप्लीकेशन तैयार किए हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हैं:

- बजट और व्यय ट्रैकिंग एप्लीकेशन (बीटा)
- पार्टनर संबंध प्रबंध सॉफ्टवेयर (पीआरएमएस)
- जेनेरिक समाधान सॉफ्टवेयर
- सीआरआईएमएमएआर (सूचना और निगरानी की केंद्रीय रिपॉजिटरी - विनियामक रिपोर्टों के ऑटोमेशन के लिए टूल)

ट. पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे (ई-पे और पीजी)

आपका बैंक व्यवसाय, व्यापारियों, ग्राहकों और वित्तीय संस्थानों के बीच निर्बाध ई-कॉमर्स लेनदेनों को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के भुगतान मोड्स पर स्वदेशी, अद्वितीय, पीसीआइडीएसएस प्रमाणित सुरक्षित प्लैटफॉर्म उपलब्ध कराता है। यह प्लैटफॉर्म हमारे भुगतान एग्रीगेटर (एसबीआई ई-पे) और पेमेंट गेटवे (एसबीआईपीजी) एप्लीकेशनों के माध्यम से हजारों व्यापारियों और बैंकों, वॉलेट एवं कार्ड जैसे भुगतान चैनलों से जुड़कर प्रदान किया जाता है। एसबीआईपीजी भुगतान एग्रीगेटर एसबी कलेक्ट, एसबीआई-एमओपीएस और योनो के सभी डेबिट/क्रेडिट कार्ड लेनदेनों को प्रोसेस करता है।

ठ. भुगतान प्रणाली (पीएस) और नकद प्रबंधन उत्पाद

आपका बैंक 9.38% से अधिक बाजार हिस्सेदारी तथा 25.73 करोड़ लेनदेन* के साथ कुल एनईएफटी आउटवार्ड विप्रेषण में एक प्रमुख हिस्सेदारी रखता है। आरटीजीएस में 1.79 करोड़ आउटवार्ड लेनदेन किए गए अर्थात् बैंक की 11.95% से अधिक बाजार हिस्सेदारी है। आपका बैंक अब 24x7 अपने सभी ग्राहकों को एनईएफटी सुविधा प्रदान करता है और सीमा पार वित्तीय और गैर-वित्तीय संदेशों के प्रेषण के लिए सुरक्षित स्विफ्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है।

आपके बैंक ने कॉर्पोरेट्स और सरकारों के थोक लेनदेनों की बिना रुकावट प्रोसेसिंग के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्लैटफॉर्म उपलब्ध कराया है। वर्ष के दौरान बैंक ने रेलवे, डाक विभाग, राज्य सरकारों (एमपी और छत्तीसगढ़) जैसे प्रतिष्ठित ग्राहकों और इंडिया बुल्स, रेलिगेयर, टेक प्रोसेस, बजाज फिनसर्व आदि जैसे अधिदेश ग्राहकों को अपने साथ जोड़ा है, ताकि शुल्क आय अर्जित की जा सके और शाखाओं का लोड कम हो सके।

ड़. वैकल्पिक वितरण चैनल

निर्बाध ऑनलाइन अनुभव प्रदान करने के लिए आपका बैंक 681 लाख रिटेल प्रयोक्ताओं, 26 लाख कॉर्पोरेट प्रयोक्ताओं, 54 करोड़ डेबिट कार्ड ग्राहकों को विविध डिजिटल बैंकिंग सेवाएं और 9 क्षेत्रीय भाषाओं (गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, ओडिया और बांग्ला) में मोबाइल ऐप की सुविधा प्रदान कर रहा है।

आपके बैंक ने कई नई सेवाएं शुरू की हैं जैसे:

- आरआइएनबी पोर्टल में ई-कॉमर्स लेनदेनों के लिए रियल टाइम डिमांड लोन, निवासी भारतीयों को ईमेल पर ओटीपी सुविधा जोड़ी गईं
- सीआइएनबी में पूर्व अनुमोदित मर्चेंट लोन, सरल ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड अधिप्रमाणन ऑनबोर्डिंग और गैर-वैयक्तिक खातों के लिए खाता खोलने की सुविधा जोड़ी गई
- ईएमआई के भुगतान के लिए ऑनलाइन ई-अधिदेश तैयार करना;
- ऑनलाइन और क्यूआर एप्लीकेशनों के माध्यम से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए यूपीआई प्लेटफॉर्म के साथ व्यापारियों को जोड़ना;
- EMI@POS सुविधा
- देश भर के यात्रियों की बिना रुकावट गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए क्यूस्पार्क विशेषताओं युक्त राष्ट्रीय साझा गतिशीलता रुपे कार्ड।

डिस्किट (लद्दाख) शाखा का शुभारंभ अध्यक्ष महोदय द्वारा

ढ. साइबर सुरक्षा

आपका बैंक ऑनलाइन/ऑफलाइन लेनदेन करते समय आपकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय करने में अग्रणी है जैसे लॉगिन (छवि और आवाज) में कैप्चा की शुरुआत, आईएनबी एक्सेस को लॉक/अनलॉक करने का प्रावधान, सीबीएस, ग्राहक अनुरोध एवं शिकायत फॉर्म (नया), इंटरनेट बैंकिंग और योनो लाइट जैसे विभिन्न माध्यमों से यूपीआई को सक्रिय/निष्क्रिय करना, प्रीपेड कार्डधारकों को उनकी आवश्यकतानुसार लिमिट निर्धारित करने की सुविधा देना, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 10000 रुपये से अधिक की नकद निकासी लेनदेन के लिए ओटीपी आधारित कार्ड निकासी सुविधा को आरंभ करना, एटीएमों में एक समान ग्राहक इंटरफेस तथा त्वरित समाधान देने के लिए मानकीकृत और सुरक्षा विनियमित नीतियों के तहत एमवीएस-ईपीएस-ओपीएस समाधान लागू करना शामिल हैं। आपके बैंक ने सांसदों को प्रीपेड कार्ड प्रदान करके संसद के कैंटीनों को डिजिटाइज्ड किया है।

ण. विदेश स्थित कार्यालय और ट्रेजरी सहायता सेवाएं

आपके बैंक ने फिनकल कोर, ट्रेजरी एवं कनेक्ट 24 जैसे एप्लीकेशनों की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वातावरण तैयार किया है, जिनसे एप्लीकेशनों की विश्वसनीयता, दक्षता, उत्पादकता, सुरक्षा और स्केलेबिलिटी बढ़ती है और निर्बाध ग्राहक सेवा सुनिश्चित की जाती है। आपके बैंक ने आपदा स्थितियों के दौरान परिचालन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए डीलिंग रूम के लिए नवीनतम बुनियादी ढांचे से सुसज्जित बीसीपी साइट भी स्थापित की है।

विभिन्न आकर्षक सुविधाओं के साथ एक व्यापक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन योनो एसबीआई ग्लोबल यूके तथा मॉरीशस में लॉन्च किया गया है।

आपके बैंक ने गत वित्तीय वर्ष के दौरान ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम और बहरीन में ओपन बैंकिंग सुविधा और श्रीलंका एवं जर्मनी में कॉरपोरेट प्रयोक्ताओं के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा शुरू की है।

आपके बैंक ने योनो प्लेटफॉर्म पर एक्जिम बिलों के साथ कॉरपोरेट विदेशी मुद्रा व्यवसाय को एकीकृत करने की सुविधा प्रदान की है और दस्तावेज प्रबंधन और वर्कफ़्लो को ऑटोमेट किया है।

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक वैकल्पिक चैनलों का हिस्सा % में

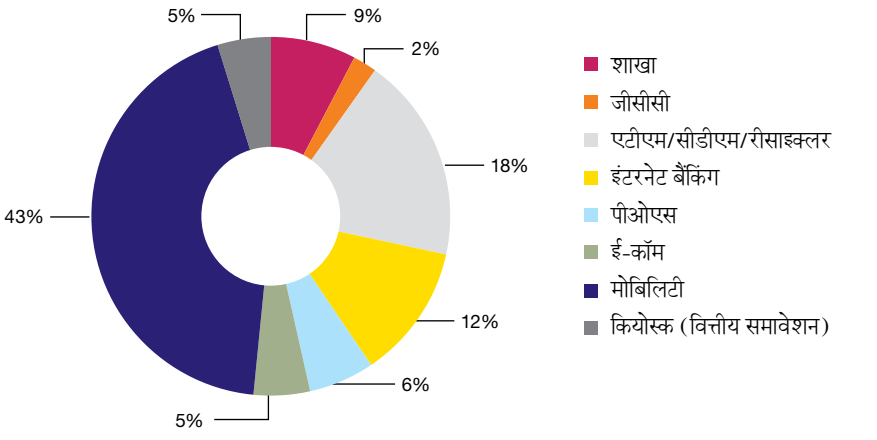

लेनदेन की संख्या करोड़ रुपये में

शाखा	जीसीसी	एटीएम/सीडीएम/ रीसाइकलर	आईएनबी	पीओएस	ईकॉम	मोबिलिटी	कियोस्क
106.32	24.88	246.53	158.16	77.62	67.10	578.00	63.13

त. मर्चेंट अर्जन व्यवसाय -परिचालन (एमएबी-ऑप्स)

वर्ष के दौरान मर्चेंट अर्जन व्यवसाय परिचालन के तहत योनो Cash@PoS और योनो Sale@PoS, व्यापारियों को भुगतान करते समय ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए मेट्रो परियोजनाएं, पाइनलैब्स संचालित टर्मिनलों पर एसबीआई डेबिट कार्ड पर ईएमआई। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार जैसी ग्राहक केंद्रित परियोजनाएं शुरू की गई। आपका बैंक 31-03-2020 तक देश के कुल पीओएस टर्मिनलों में से 6.73 लाख टर्मिनल (13.43% बाजार हिस्सेदारी) उपलब्ध कराकर बाजार हिस्सेदारी में तीसरे नंबर पर है।

थ. विशेष परियोजना

अपने ग्राहकों का बैंकिंग अनुभव बेहतर बनाने के लिए आपका बैंक विशेष परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। कुछ परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

वेबसाइट: आपके बैंक ने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को नया रूप दिया है और बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए इसका हिंदी संस्करण भी लॉन्च किया है। हमारी संवहनीयता पहल को प्रदर्शित करने के लिए संवहनीयता वेबसाइट शुरू की गई है।

जीएसटी टैक्स इंजन: ग्राहकों की जीएसटी संबंधी सभी जरूरतों का केंद्रीकृत समाधान जैसे जीएसटी आर1, जीएसटीआर7, जीएसटीआर3बी आदि रिटर्नों की फाइलिंग, क्रय डेटा के साथ जीएसटी 2ए का मिलान, समेकित GSTIN वार इनवॉयस का जनरेशन, रियल टाइम इनवॉयस और ई-वे बिल जनरेशन।

एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली): राष्ट्रिय पेंशन प्रणाली को सेवा प्रदान करने के लिए आपके बैंक ने केंद्रीकृत एप्लीकेशन का अखिल भारतीय रोल आउट किया।

सीकेवाईसी: सीकेवाईसी एप्लीकेशन का उपयोग करके लगभग 1.23 करोड़ सीकेवाईसी नंबर जनरेट किए गए थे और 12.00 लाख सीकेवाईसी रिकॉर्ड अपडेट किए गए थे।

एसबीआई वेल्थ: विविध बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाली हमारी व्यक्तिगत सेवा जो हमारे प्रीमियम ग्राहकों के लिए सर्वश्रेष्ठ जीवनशैली लाभों से परिपूर्ण है, शुरू की गई। ग्लोबल एनआरआई ई-वेल्थ सेंटर शुरू किया गया है।

एपीवाई (अटल पेंशन योजना) में एसटीपी (सीधी प्रोसेसिंग) की शुरुआत करना: एनएसडीएल सीआरए प्रणाली में एसबीआई नोडल कार्यालय द्वारा बिना इंसानी हस्तक्षेप के एसटीपी सेवा का उपयोग कर उपभोक्ता पंजीकरण और अंशदान फाइलों को अपलोड करना।

द. कॉरपोरेट और एसएमई ऋण

आंतरिक रूप से विकसित एप्लीकेशन ऋण जीवन चक्र प्रबंधन प्रणाली (एलएलएमएस) के माध्यम से क्रेडिट प्रक्रिया के पूरे जीवन चक्र को ऑटोमेट किया गया है। बेहतर जोखिम प्रबंधन द्वारा क्रेडिट प्रक्रिया का मानकीकरण हुआ है और परिणामस्वरूप टैट में सुधार होने से उपयोगकर्ता अनुभव बेहतर हुआ है।

ई-मुद्रा: आम आदमी के लिए 24 x7 उपलब्ध, आवेदन/प्रोसेसिंग से संवितरण तक मुद्रा लोन की संपूर्ण प्रक्रिया को बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के डिजिटल करना।

एनबीएफसी सह-सृजन: एनबीएफसी की लीड्स के आधार पर पूर्व निर्धारित अनुपात में एसबीआई द्वारा संवितरित किए गए मांग और मीयादी ऋणों के सह-सृजन के लिए एनबीएफसी के साथ एकीकरण की स्वचालित प्रक्रिया शुरू करके हमने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम पोर्टफोलियो में वृद्धि की है। भारतीय स्टेट बैंक पूर्व-निर्धारित अनुपात में ऋण संवितरित करता है, जबकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आवश्यक अनुवर्तन एवं वसूलियां करती हैं।

सीपीएम विश्लेषण टूल (पीएसएम):
स्वीकृति बाद प्रभावी निगरानी के लिए डेटा का विश्लेषण करके नई सुविधा शुरू की गई है।

उन्नत पेस टूल: ग्राहक के सभी बैंकिंग लेनदेनों को समेकित करना और लॉजिक इनबिल्ट के आधार पर इसे वर्गीकृत करना, ताकि सभी गैर-व्यावसायिक लेनदेनों को हटाकर शुद्ध व्यावसायिक कारोबार का आकलन किया जा सके।

ध. खुदरा ऋण (आरएलएमएस)

पांच एप्लीकेशनों एलओएस (पीबी), एलओएस (कृषि), ओसीएएस, ओपीएएस और एलसीएस के माध्यम से पूरा क्रेडिट विवरण उपलब्ध कराकर बैंक स्तर पर रिटेल लोन अंडरराइटिंग तथा अनुवर्ती कार्य करता है।

एलओएस पीबी: यह 21000 से अधिक शाखाओं/आरएसीपीसी/आरएएसएमइसीसी/आरबीओ और 100000 से अधिक उपयोगकर्ताओं को जोड़ता है। चालू वित्त वर्ष 2019-20 में एलओएस पीबी से कुल 30,36,112 ऋण खातों में 2,66,449 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

एलओएस कृषि: यह 21000 से अधिक शाखाओं/आरएसीसी/आरबीओ और 149000 से अधिक उपयोगकर्ताओं को जोड़ता है। वर्तमान वित्त वर्ष में कुल 41,77,068 ऋण खातों में 62,976.54 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

कृषि गोल्ड लोन: वित्त वर्ष 2020 में एक ऐसी ऋण योजना शुरू की गई, जो ऋण के आवेदन से ऋण संवितरण तक का समय कम करके 7 मिनट कर देता है।

ऑटो ऋण के लिए सीएलपी: मशीन आधारित विश्लेषण और क्रेडिट निर्णय के आधार पर तुरंत सैद्धांतिक मंजूरी के लिए सीएलपी में एक संपर्क रहित मॉड्यूल वित्त वर्ष 2020 में शुरू किया गया।

न. वित्तीय समावेशन और सरकारी योजनाएं (एफआई एवं जीएस)

वित्तीय समावेशन का दायरा बढ़ाने और ग्राहकों की सुविधा के लिए वर्ष के दौरान निम्नलिखित नई सुविधाएं जोड़ी गईं:

एफआई चैनल (बीबीपीएस) के माध्यम से बिल भुगतान: सीएसपी आउटलेट्स पर उपयोगिता बिलों का भुगतान करने के लिए ग्राहकों के लिए एक अतिरिक्त चैनल।

योनो नकद: एफआई और गैर एफआई ग्राहक सीएसपी आउटलेट्स पर एमएटीएम का उपयोग कर बिना एटीएम कार्ड योनो ऐप के माध्यम से नकदी निकाल सकते हैं।

बीसी चैनल में आधार डेटा वॉल्ट: इकोसिस्टम में आधार का प्रयोग कम करने के लिए बीसी चैनल में आधार डेटा वॉल्ट की विनियामक अपेक्षा लागू की गई है।

द्वारस्थ (डोर स्टेप) बैंकिंग: नया एप्लीकेशन जिसमें ग्राहक अपने घर/कार्यस्थल से नकदी प्राप्ति, नकद सुपुर्दगी, चेक लेने के लिए अनुरोध कर सकता है।

आधार डेटा वॉल्ट:
आधार डाटा वॉल्ट आधार नंबर धारकों की निजता की रक्षा के लिए बैंक की एक बड़ी पहल है, जिसे यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आधार अधिप्रमाणन इको सिस्टम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। यह न केवल आधार नंबर को उपयोग में लाने को कम करता है बल्कि आधार नंबरों तक केवल विश्वसनीय और अधिकृत पहुंच सुनिश्चित करता है।

प. नवोन्मेष (इनोवेशन) अनुभाग

आपके बैंक में बैंकिंग क्षेत्र में नवोन्मेषी विकास, सहयोग और अनुभव तथा अभिनव विचारों का परीक्षण करने के लिए एक अत्याधुनिक अनुभाग है। नवोन्मेष अनुभाग बैंक की निम्नलिखित पहलों पर कार्य कर रहा है:

स्टार्ट-अप्स संबद्धता कार्यक्रम: फिनटेक स्टार्ट-अप्स से ऐसे नवोन्मेषी उत्पादों/समाधानों खरीदना, जो उभरती/आला प्रौद्योगिकियों पर आधारित हैं और रोजगार सृजन या धन सृजन की क्षमता रखने वाले बैंक के लिए उपयोगी हैं।

हैकाथॉन/क्राउड सोर्सिंग: इसका उद्देश्य स्टार्ट-अप और इन-हाउस डेवलपर्स के बीच एक परिणाम आधारित प्रौद्योगिकी संस्कृति को बढ़ावा देना है, जिसमें बैंक के लिए अत्याधुनिक समाधानों को चुस्त तरीके से विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

उद्यमिता योजना: उद्यमिता (एंटरप्रेन्योरशिप) योजना का उद्देश्य अपने आंतरिक कर्मचारियों को उनके विचारों/अवधारणाओं या उत्पादों को आंतरिक वातावरण में लागू करने के लिए प्रेरित करना है।

फ. ग्राहक सेवा

आपके बैंक ने व्यापक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) के एक अभिन्न अंग के रूप में अत्याधुनिक सीआरएम समाधान लागू किया है। सीआरएम समाधान ग्राहक के प्रति वचनबद्धता बढ़ाने के लिए सर्वांगीण दृष्टिकोण के साथ हमारे हितधारकों की सहायता करता है। सीएमएस के अंतर्गत ग्राहक हमारे विभिन्न चैनलों जैसे संपर्क केंद्र, वेबसाइट, एसएमएस, ईमेल के साथ-साथ हमारी शाखाओं/कार्यालयों के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं तथा अपनी प्रतिक्रिया व सुझाव दे सकते हैं तथा प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे संपर्क केंद्र देश के चार अलग-अलग भौगोलिक स्थानों पर वर्ष भर चौबीसों घंटे सप्ताह के सातों दिन कार्य करते हैं, ये केंद्र ग्राहकों को हिंदी, अंग्रेजी तथा 10 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में सेवा प्रदान करते हैं।

ग्राहक शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता में सुधार के लिए, हमने स्थानीय प्रधान कार्यालय स्तर पर विशेष रूप से केंद्रीकृत शिकायत समाधान केंद्र स्थापित किए हैं। ग्राहक शिकायतों का उचित ढंग से समय पर समाधान हमारा उच्च फोकस क्षेत्र है। अतः, हमने ग्राहक शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता पर ग्राहकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने की प्रणाली शुरू की है। शाखाओं में ग्राहक सेवा स्तर के आकलन तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई के लिए हमने शाखाओं में गोपनीय रूप से जाने की प्रणाली विकसित की है। हम शिकायतों के प्रमुख क्षेत्रों के मूल कारणों का लगातार विश्लेषण करते हैं तथा शिकायतों को कम करने के लिए अपने उत्पादों व प्रक्रियाओं में आवश्यक सुधार करते हैं।

हम डिजिटल बैंकिंग को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं तथा निकट भविष्य में डिजिटलीकरण की अनेक और प्रक्रियाएँ शुरू की जाएंगी। डेटा एनालिटिक्स तथा कृत्रिम बुद्धि से समर्थित हमारा सीआरएम टूल ग्राहकों को अनोखा अनुभव प्रदान करता है और ग्राहकों के संतुष्टि स्तर को बढ़ाता है। वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने बृहत ग्राहक संपर्क (मेगा कस्टमर मीट) व ग्राहक टाउन हॉल संपर्क जैसे अनेक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए। वर्ष के दौरान हमने ग्राहक सेवा सर्वेक्षण भी किए तथा उन सर्वेक्षणों के परिणामों का उपयोग ग्राहक सेवा में सुधार करके ग्राहक का अनुभव बेहतर बनाने के लिए किया। शिकायतों में कमी लाने के लिए वर्ष के दौरान हमने कुछ अभियान चलाए, जिनके परिणाम उत्साहवर्धक रहे।

3. जोखिम प्रबंधन

क. जोखिम प्रबंधन विहंगावलोकन

आपके बैंक में जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत लाभ और पूंजी पर जोखिम के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के मुख्य उद्देश्य के साथ साथ जोखिम की पहचान, जोखिम का मापन, जोखिम का मूल्यांकन एवं उसका न्यूनीकरण शामिल है।

आपका बैंक किसी भी बैंकिंग व्यवसाय में अंतर्निहित विभिन्न जोखिमों से अच्छी तरह अवगत है। प्रमुख जोखिमों में ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, चलनिधि जोखिम, एवं आईटी जोखिम शामिल हैं।

आपका बैंक सभी स्तरों पर जोखिम जागरूकता बढ़ाने का माहौल बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य विभिन्न जोखिमों से बचने या उनका न्यूनीकरण सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा उपायों सहित उपयुक्त सुरक्षा उपायों को लगातार उन्नत करना भी है।

आपके बैंक के पास अपने सभी विभागों में व्यवस्थित रूप से इन जोखिमों के मापन, मूल्यांकन, निगरानी एवं प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं, जो इस ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोणों का कार्यान्वयन करने वाले शीर्ष कंपनियों की श्रेणी में खड़ा करता है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का लक्ष्य रखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने उद्यम और समूह जोखिम प्रबंधन परियोजनाएँ शुरू की हैं एवं इसके कार्यान्वयन के लिए बाहरी सलाहकारों का सहयोग भी लिया जा रहा है।

बैंक ने बेसल III के कैपिटल रेगुलेशन्स पर भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों को लागू कर दिया है और आपके बैंक को बेसल III की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त रूप से पूंजीकृत किया गया है। कर्तव्यों के पृथकीकरण तथा जोखिम मापन, निगरानी एवं नियंत्रण कार्यों की निरपेक्षता को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन संरचना स्थापित की गई है।

यह ढांचा परिचालन स्तर पर व्यावसायिक इकाइयों के सशक्तिकरण को दृष्टि में रखता है, जिसमें प्रौद्योगिकी प्रमुख कारक है, जिससे उत्पत्ति के स्थान पर जोखिम की पहचान और प्रबंधन संभव हो पाता है। आपके बैंक और एसबीआई समूह में विभिन्न जोखिमों की निगरानी और समीक्षा कार्यकारी स्तर की समितियों और बोर्ड (आरएमसीबी) की जोखिम प्रबंधन समिति के माध्यम से की जाती है, जो नियमित रूप से बैठक करती हैं। परिचालन इकाई और व्यावसायिक इकाई स्तर पर भी जोखिम प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं।

1. क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण उपाय

आपके बैंक ने क्रेडिट एक्सपोजर में जोखिमों की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण के लिए मजबूत ऋण मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन ढांचे को लागू किया है। औद्योगिक वातावरण को एक समर्पित टीम द्वारा चिन्हित किए गए 39 उद्योगों/क्षेत्रों में, जो आपके बैंक के कुल अग्रिमों का लगभग 72% है (खुदरा और कृषि को छोड़कर), से प्रत्येक के लिए अपने दृष्टिकोण और विकास की संभावना तय करने के लिए एक संरचित तरीके से स्कैन, शोध और विश्लेषण किया जाता है। इन क्षेत्रों में जोखिमों की लगातार निगरानी की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, संबंधित उद्योगों की तत्काल समीक्षा की जाती है। दूरसंचार क्षेत्र में लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क पर उच्चतम न्यायालय के फैसले, एनबीएफसी के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचे, चीनी उद्योग में निर्यात सब्सिडी, इस्पात क्षेत्र में गिरती कीमतों और एफटीए देशों से बढ़ते आयात जैसी घटनाओं के प्रभाव का विश्लेषण किया गया और संभावित जोखिमों को कम करने के लिए आपके बैंक द्वारा इन स्थितियों पर उचित प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण भी किया गया। रियल एस्टेट/टेलीकॉम जैसे संवेदनशील/तनावग्रस्त क्षेत्रों को प्रदत्त ऋणों की समीक्षा छमाही अंतराल पर की जा रही है। पावर, टेलीकॉम, आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्र, जो एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, को लगातार देखा जाता है और नए घटनाक्रमों का विश्लेषण व्यापार समूहों के साथ साझा किया जाता है, ताकि वे उचित ऋण निर्णय ले सकें। विभिन्न स्तरों पर ऑपरेटिंग स्टाफ के लाभ के लिए ज्ञान साझाकरण सत्र आयोजित किए जाते हैं।

प्रत्येक उद्योग के लिए क्रेडिट रेटिंग थ्रेसहोल्ड उसके आउटलुक के आधार पर तय किए जाते हैं। आपका बैंक उधारकर्ता वार क्रेडिट जोखिम का आकलन करने के लिए विभिन्न आंतरिक क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन मॉडल और स्कोर कार्ड का उपयोग करता है। उधारकर्ताओं की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग के लिए मॉडल बैंक द्वारा स्वयं ही विकसित किए गए हैं। व्यापक सत्यापन और बैक टेस्टिंग

फ्रेमवर्क प्रणालियों के माध्यम से उनकी समीक्षा की जाती है। बैंक के पास 'डायनामिक रिव्यू ऑफ इंटरनल रेटिंग' फ्रेमवर्क भी है, जो तनाव और न्यूनीकरण तंत्र की शीघ्र पहचान की सुविधा प्रदान करता है।

बैंक ने ऋण उत्पत्ति सॉफ्टवेयर/ऋण जीवनचक्र प्रबंधन प्रणाली (एलओएस/एलएलएमएस) के माध्यम से ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं के लिए एक आईटी प्लेटफॉर्म का आश्रय लिया है। आपके बैंक द्वारा विकसित मॉडल इन प्लेटफार्मों पर होस्ट किए जाते हैं, जो सिबिल और आरबीआई डिफॉल्टर्स की सूचियों के साथ इंटरफेस की क्षमता सम्पन्न हैं।

बैंक ने जोखिम समायोजित रिटर्न ऑन कैपिटल (आरएआरओसी) फ्रेमवर्क कार्यान्वित किया है। ग्राहक स्तर की आरएआरओसी गणना को भी डिजिटाइज्ड किया गया है। इसके अलावा, खुदरा उधारकर्ता चुकौती की निगरानी और स्कोरिंग के लिए व्यवहार मॉडल विकसित किए गए और क्रेडिट जोखिम डेटा मार्ट पर होस्ट किए गए। आपके बैंक ने क्रेडिट जोखिम प्रबंधन सिस्टम के लिए ओरेकल "ओफसा" प्लेटफॉर्म की खरीद की है और सिस्टम का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

भारतीय स्टेट बैंक ने एकल और समूह उधारकर्ताओं के लिए जोखिम संवेदनशील आंतरिक प्रूडेंशियल एक्सपोजर लिमिट फ्रेमवर्क के माध्यम से क्रेडिट केन्द्रीकरण जोखिम प्रबंधन के लिए बेहतर तंत्र लागू किया है। ये उधार सीमाएं उधारकर्ता की आंतरिक जोखिम रेटिंग के आधार पर तय की जाती हैं।

यह ढांचा प्रूडेंशियल एक्सपोजर मानदंडों के विनियामक दिशानिर्देशों से एक कदम आगे है, जो प्रकृति में 'एक आकार सभी पर फिट बैठता है' का दृष्टिकोण रखता है। इन एक्सपोजर मानदंडों की नियमित रूप से एक निश्चित अवधि पर निगरानी की जाती है।

आपका बैंक अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो पर हर 6 महीने में तनाव परीक्षण करता है। तनाव परिदृश्यों को नियमित रूप से आरबीआई दिशानिर्देशों, उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं और मैक्रो-इकोनॉमिक स्थितियों में परिवर्तन के अनुरूप अपडेट किया जाता है।

आपका बैंक एनपीए के उतार चढ़ाव के रुझानों का पता लगाने, ऋण मंजूरी की त्रैमासिक समीक्षा, तय समय-से-चूक आदि की पहचान करने के लिए विशिष्ट विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है, ताकि नियमित आधार पर परिसंपत्ति पोर्टफोलियो की गुणवत्ता का ट्रैक रखा जा सके।

आरबीआई ने आपके बैंक को ऋण जोखिम के लिए एडवांस अप्रोच के तहत फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग्स बेस्ड (एफआईआरबी) के लिए समानांतर रन प्रोसेस में हिस्सा लेने की अनुमति दी है। एफआईआरबी के समानांतर रन के तहत आंकड़े आरबीआई को सौंपे जा रहे हैं। डिफ़ॉल्ट की संभावना (पीडी), हानि दे चुके डिफ़ॉल्ट (एलजीडी) और एक्सपोजर एट डिफॉल्ट (ईएडी) की संभावना के अनुमान के लिए मॉडल आईआरबी पूंजी की गणना के लिए ऋण जोखिम डेटा मार्ट में होस्ट किए जाते हैं।

जोखिम प्रबंधन विभाग के अंतर्गत पोर्टफोलियो प्रबंधन की नई भूमिका बनाई गई। ऋण पोर्टफोलियो प्रबंधन कार्य समूह पोर्टफोलियो प्रबंधन गतिविधियों का आकलन करते समय लाभप्रदता और जोखिम दृश्य दोनों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इनके प्रमुख कार्यों में पोर्टफोलियो जोखिम संभावना और लक्ष्य परिभाषा, पोर्टफोलियो पैकेजिंग, जोखिम आकलन और समीक्षा, और पोर्टफोलियो अनुकूलन आदि शामिल हैं।

2. बाजार जोखिम न्यूनीकरण उपाय

बाजार जोखिम को एक सुपरिभाषित बोर्ड अनुमोदित निवेश नीति, व्यापार नीति और बाजार जोखिम नीति के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, जो व्यापार जोखिम सीमा/ट्रिगर के माध्यम से विभिन्न ट्रेडिंग डेस्क या विभिन्न प्रतिभूतियों में जोखिम की ऊपरी सीमा तय करता है। इन जोखिम उपायों में स्थिति सीमा, अंतर सीमा, अवधि प्रतिबंध, संवेदनशीलता सीमा जैसे PV01, संशोधित अवधि, मूल्य-पर-जोखिम (VaR) सीमा, स्टॉप लॉस ट्रिगर स्तर, ऑप्शन ग्रीक्स शामिल हैं और प्रतिदिन व्यवसाय की समाप्ति के आधार पर इसकी निगरानी की जाती है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा अंतर सीमा की गणना पर इंट्राडे आधार पर नज़र रखी जाती है ।

मूल्य जोखिम (वीआर) बैंक के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में जोखिम की निगरानी के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। आपके बैंक के एंटरप्राइज लेवल वीआर की गणना और बैक टेस्ट प्रतिदिन किया जाता है। बाजार जोखिम के लिए तनावग्रस्त वीएआर की गणना भी रोजाना की जाती है। इसके पूरक के रूप में बोर्ड द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति और ढांचा भी उपलब्ध है, जो तनाव के नुकसान को मापने और उपचारात्मक उपायों को शुरू करने के लिए विभिन्न बाजार जोखिम परिदृश्यों का अनुकरण करता है।

विनियामक कारकों को लागू करने वाले मानकीकृत माप विधि (एसएमएम) का उपयोग करके आपके बैंक की बाजार जोखिम पूंजी की गणना की जाती है।

बैंक अपने घरेलू और विदेशी विभागों का जोखिम समायोजित निष्पादन विश्लेषण करता है। यह निर्णय लेने के लिए एक उपकरण के रूप में गैर एसएलआर बांड के क्रेडिट रेटिंग माइग्रेशन का भी विश्लेषण करता है।

3. परिचालन जोखिम न्यूनीकरण उपाय

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान का जोखिम है। आपके बैंक के परिचालन जोखिम प्रबंधन के प्रमुख तत्वों में समय पर घटना रिपोर्टिंग और सिस्टम और नियंत्रण की

लगातार समीक्षा, जोखिम और नियंत्रण का स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) एवं जोखिम जागरूकता कार्यशाला (ओं) के माध्यम से जोखिम जागरूकता को बढ़ाना, प्रमुख जोखिम संकेतकों (KRIs) की निगरानी और व्यापार रणनीति के साथ जोखिम प्रबंधन गतिविधियों को संचालित करना शामिल है।

बैंक के पास व्यवधानों के दौरान शाखाओं और कार्यालयों में संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत व्यावसायिक निरंतरता योजना (बीसीपी) है। बीसीपी ने हमें वर्ष के दौरान हुई प्राकृतिक आपदाओं जैसे कोविद-19 रोग का प्रसार आदि के दौरान न्यूनतम व्यापार व्यवधान सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया। इस महामारी के दौरान बैंक ने न केवल कर्मचारियों में इस बीमारी से रोकने के लिए कदम उठाए हैं बल्कि ग्राहकों को निर्बाध आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर समाज की मदद की है। साथ ही बैंक ने चौबीसों घंटे एटीएम की उपलब्धता सुनिश्चित की और नेट बैंकिंग, योनो, मोबाइल बैंकिंग आदि का सुचारू संचालन किया।

ये सभी घटक विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के अलावा विभिन्न उत्पादों और प्रक्रियाओं में बैंक के परिचालन जोखिम को कम करते हैं।

वित्त वर्ष 2020 के लिए बैंक ने बेसिक इंडिकेटर अप्रोच (बीआईए) के अनुसार परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आबंटित की है।

बैंक में जोखिम संस्कृति में सुधार के लिए प्रतिवर्ष 1 सितंबर को जोखिम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। संवेदीकरण के हिस्से के रूप में सभी स्टाफ सदस्यों को जोखिम जागरूकता दिवस प्रतिज्ञा दिलाई जाती है और बैंक कर्मचारियों के लिए एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके अलावा हर स्तर पर प्रशिक्षण प्रणाली के माध्यम से जोखिम जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है। हमने मंडल वित्त अधिकारियों, बिजनेस यूनिट्स और सर्कल ओआरएम के डीजीएम (जोखिम) के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां न केवल डीएमडी (सीआरओ) और डीएमडी (सीओओ) ने प्रतिभागियों को संबोधित किया बल्कि नए और उभरते जोखिमों पर बाहरी सलाहकार द्वारा प्रस्तुति भी दी गई।

4. एंटरप्राइज जोखिम न्यूनीकरण उपाय

एंटरप्राइज जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य पूरे बैंक के स्तर पर जोखिम अनुरूप रणनीति का प्रबंधन करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करना है। इसमें जोखिम संभावना, वास्तविक जोखिम आकलन और जोखिम केन्द्रीकरण जैसी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया गया है।

जोखिम की भूमिका को रणनीतिक कार्य में बदलने के लिए आपके बैंक के विजन के हिस्से के रूप में, एक बोर्ड अनुमोदित एंटरप्राइज जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) नीति कार्यान्वित की गई है।

एक मजबूत जोखिम प्रोफ़ाइल बनाए रखने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने प्रमुख जोखिम मैट्रिक्स के लिए ऋण सीमाओं को शामिल करते हुए एक जोखिम संभावना फ्रेमवर्क विकसित किया है। आपके बैंक में एक मजबूत जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, जोखिम संस्कृति फ्रेमवर्क को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। वास्तविक जोखिम आकलन ढांचे के भाग के रूप में, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और चलनिधि जोखिम से बचाव के लिए जोखिम आधारित मापदंडों के त्रैमासिक विश्लेषण को अन्य लोगों के अलावा, बोर्ड की एंटरप्राइज एंड ग्रुप जोखिम प्रबंधन कमेटी (ईजीआरएमसी)/जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को प्रस्तुत किया जाता है।

आपका बैंक सामान्य और तनाव की स्थितियों में पूंजी की पर्याप्तता के संबंध में वार्षिक आधार पर एक व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) की पूर्ति करता है। आईसीएएपी में, पिलर 1 जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम के अलावा, पिलर 2 जोखिम जैसे चलनिधि जोखिम, इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी), केन्द्रीकरण जोखिम और अन्य जोखिमों का भी आकलन किया जाता है और जरूरत पड़ने पर इसके लिए पूंजी भी उपलब्ध कराई जाती है। आइसीएएपी में नए और उभरते जोखिमों की पहचान और चर्चा की जाती है।

जोखिम प्रबंधन संरचना

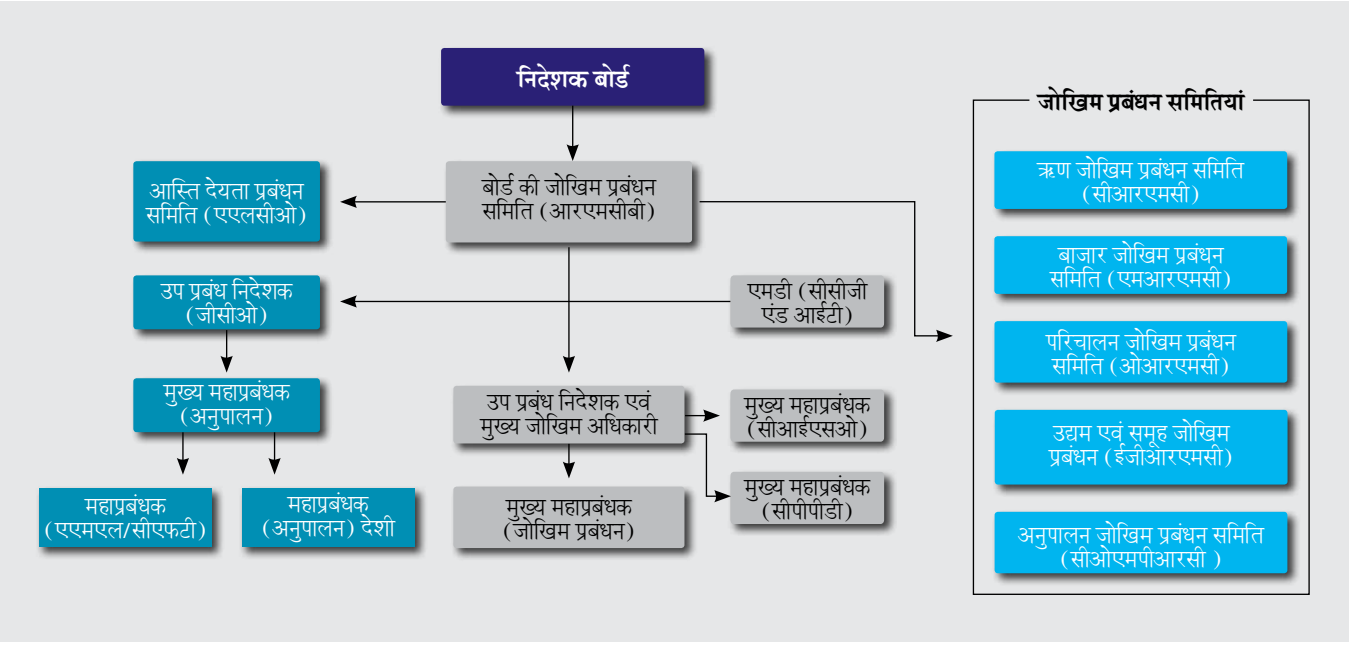

5. समूह जोखिम न्यूनीकरण उपाय

समूह जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य समूह संस्थाओं में मानकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं लागू करना है । समूह में जोखिम प्रबंधन, समूह चलनिधि एवं आकस्मिक निधीयन योजना (सीएफपी), आर्म्स लेंथ और इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन और एक्सपोजर से संबंधित नीतियां भी कार्यान्वित हैं।

समेकित प्रूडेंशियल एक्सपोजर और समूह जोखिम घटकों पर नियमित रूप से नजर रखी जा रही है। समूह आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (समूह आईसीएएपी) दस्तावेज में सामान्य और तनाव की स्थितियों में समूह संस्थाओं द्वारा चिन्हित किए गए जोखिमों, आंतरिक नियंत्रणों और न्यूनीकरण उपायों और पूंजी मूल्यांकन का आकलन शामिल है। सभी समूह संस्थाएं जहां एसबीआई के पास गैर-बैंकिंग संस्थाओं सहित 20% या उससे अधिक हिस्सेदारी और प्रबंधन नियंत्रण है, आइसीएएपी एक्सरसाइज को अंजाम देते हैं और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक समूह आइसीएएपी नीति भी कार्यान्वित की गई है।

6. बेसल कार्यान्वयन

आपके बैंक का निर्धारण नियामक द्वारा डी-एसआईबी के तहत किया गया है और चरणबद्ध तरीके से 1 अप्रैल, 2016 से लागू आरडब्ल्यूए के 0.60% अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटीपी1) को रखना आवश्यक है। यह 1 अप्रैल, 2019 से पूरी तरह प्रभावी हो गया है। इसके अतिरिक्त, इसने चरणबद्ध तरीके से पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) को भी बनाए रखना शुरू कर दिया है, जो 30 सितंबर, 2020 तक 2.5% के स्तर तक पहुंच जाएगा।

ख. आंतरिक नियंत्रण

आपके बैंक में आंतरिक लेखापरीक्षा (आईए) एक स्वतंत्र कार्यकलाप है। इसे बैंक में पर्याप्त मान्यता, महत्व और अधिकार प्राप्त है। उप प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में गठित आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में काम करता है। आपके बैंक का आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन विभागों के समन्वय से कार्य करता है, ताकि प्रभावी नियंत्रण का आकलन, नियंत्रण के साथ अनुपालन का आकलन और आंतरिक प्रक्रियाओं तथा कार्यविधियों का पालन किया जा सके। आपके बैंक का आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग जोखिम आधारित पर्यवेक्षण से संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक की सभी परिचालन इकाइयों की व्यापक जोखिम आधारित लेखापरीक्षा की देख-रेख करता है।

आपके बैंक में तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण के साथ गति बनाए रखने के लिए लेखापरीक्षा विभाग ने प्रौद्योगिकी आधारित सिस्टम पर चलने वाली तथा विश्लेषण आधारित लेखा-परीक्षा की शुरुआत की है, ताकि अधिक दक्षतापूर्ण तथा प्रभावी लेखा-परीक्षा संभव हो सके।

कुछ मुख्य पहल निम्नवत हैं:

- नियंत्रण सहित अनुपालन का शुरुआती स्तर पर आकलन करने के लिए वेब आधारित, ऑनलाइन जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आर.एफ़.आई.ए.) करना।
- बड़े डेटा के रिमोट आकलन के माध्यम से विश्लेषण आधारित, अनुपालन योग्य नियंत्रणों का आकलन करना।
- लेनदेन पर सिस्टम जनित, विश्लेषण आधारित ऑफसाइट निगरानी रखना।
- व्यवसाय यूनिटों की संगामी लेखा-परीक्षा करना, जिससे अनुपालनों की अद्यतन या वास्तविकता के नजदीक संवीक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- संस्वीकृतियों के तुरंत बाद समीक्षा ताकि ₹ 1 करोड़ तथा उससे अधिक के ऋणों की गुणवत्ता का समय रहते आकलन किया जा सके।
- शाखाओं द्वारा ऑनलाइन स्व-लेखा-परीक्षा करना, जिसमें शाखाओं द्वारा स्व आकलन तथा नियंत्रकों द्वारा पुनरीक्षण किया जा सके।

जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग अलग-अलग प्रकार की लेखा-परीक्षा करता है जैसे ऋण लेखा-परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा, साइबर सुरक्षा लेखा-परीक्षा, होम ऑफिस लेखा-परीक्षा (विदेश स्थित कार्यालयों की लेखा-परीक्षा), संगामी लेखा-परीक्षा, फेमा लेखा-परीक्षा, बैंक के आउटसोर्स्ड कार्यकलाप की लेखा-परीक्षा, व्यय लेखा-परीक्षा तथा अनुपालन लेखा-परीक्षा।

बैंक की सकल जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के लेखापरीक्षा संबंधी अवलोकन को सुदृढ़ बनाने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग में एक नए अनुभाग का गठन किया है।

इसके अतिरिक्त यह विभाग विभिन्न खंडों के कारगर होने संबंधी आकलन के लिए प्रबंधन लेखा-परीक्षा तथा लेखा-परीक्षा समितियों एवं विनियामकों के निर्देशों पर विषय अनुरूप लेखा-परीक्षा भी करता है।

शाखा की लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा विभाग आर.एफ़.आई.ए. के माध्यम से लेखा-परीक्षित यूनिटों के संपूर्ण परिचालनों का गहन निरीक्षण करता है। आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के लिए यह आवश्यक है। घरेलू शाखाओं को उनके व्यवसाय प्रोफाइल तथा अग्रिमों के एक्सपोजर के आधार पर तीन समूहों (समूह I,II और III) में बांटा गया है। आपके बैंक ने लेखा-परीक्षा के लिए शाखाओं का चयन करने के लिए सिस्टम आधारित प्रक्रिया आरंभ की है, जिसके तहत विश्लेषणात्मक अल्गोरिद्म लगाकर अलग तरह से व्यवहार कर रही यूनिटों की पहचान की जाती है। इससे बैंक को ऐसी शाखाओं में समस्या के कारणों की पहचान कर सुधार की कार्रवाई करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर लेखा-परीक्षा करने में मदद मिलती है।

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग ने 31.03.2020 तक आरएफआइए के अंतर्गत देश में स्थित लगभग 12,803 शाखाओं एवं बीपीआर इकाइयों और ट्रिगर आधारित ऑफसाइट लेखापरीक्षा के तहत 1,837 शाखाओं/इकाइयों की लेखापरीक्षा की।

ऋण लेखापरीक्षा

ऋण लेखापरीक्षा का उद्देश्य 20 करोड़ रुपए तक के वार्षिक एक्सपोज़र वाले व्यक्तिगत वाणिज्यिक ऋणों की गहन समीक्षा कर आपके बैंक के वाणिज्यिक ऋण संविभाग (पोर्टफोलिओ) की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना है।

ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली व्यवसाय इकाइयों को ऋण संविभाग की गुणवत्ता के बारे में फीडबैक प्रदान करती है और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देती है।

संस्वीकृति के तुरंत बाद समीक्षा

'संस्वीकृति के तुरंत बाद समीक्षा (ईआरएस)' के तहत रु 1 करोड़ से अधिक के ऋण वाले सभी पात्र संस्वीकृत प्रस्तावों की समीक्षा की जाती है। ईआरएस संस्वीकृत प्रस्तावों के प्रारंभिक चरण में ही महत्वपूर्ण जोखिमों का पता लगा लेता है और इसे कम करने के लिए इस तरह के जोखिमों से व्यवसाय इकाइयों को अवगत कराता है। ईआरएस सोर्सिंग की गुणवत्ता, संस्वीकृति-पूर्व और संस्वीकृति प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहायता करता है। ईआरएस की संपूर्ण प्रक्रिया सिस्टम संचालित है और लोन लाइफ साइकल प्रबंधन समाधान के माध्यम से कार्य करती है।

फेमा लेखापरीक्षा

विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत (प्राधिकृत डीलर) शाखाएं, जिसमें व्यापार वित्त केंद्रीकृत प्रसंस्करण कक्ष- टीएफसीपीसी शामिल है, की फेमा लेखापरीक्षा की जाती है। उच्च ऋण वाली शाखाएं और साथ ही व्यापार वित्त केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र की प्रतिवर्ष कम से कम एक बार फेमा के तहत लेखापरीक्षा की जानी है। अन्य प्राधिकृत शाखाओं की उनके जोखिम के आधार पर अधिकतम 21 माह की अवधि के भीतर लेखापरीक्षा की जाती है। वित्त वर्ष 2020 के दौरान 386 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की फेमा लेखापरीक्षा की गई।

सूचना प्रणाली और साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा

आर.एफ़.आई.ए. के भाग के रूप में भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं में आईटी से संबद्ध जोखिमों का आकलन करने के लिए सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा ("आइएस ऑडिट्स") की जाती है। केंद्रीकृत आई.टी. संस्थानों की आई.एस. लेखा-परीक्षा योग्यता-प्राप्त अधिकारियों की टीम द्वारा की जाती है, जिनमें सीधी भर्ती से नियुक्त आई.एस. लेखा-परीक्षक सम्मिलित होते हैं। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि के दौरान 87 केंद्रीकृत आईटी संस्थापनाओं की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त आपके बैंक की साइबर सुरक्षा नीति के अनुसार प्रतिवर्ष आपके बैंक की साइबर-सुरक्षा लेखापरीक्षा भी की जाती है।

विदेशी कार्यालयों की लेखापरीक्षा

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान गिफ्ट सिटी सहित विदेश स्थित 20 कार्यालयों की लेखापरीक्षा की गई और दो अनुषंगियों, चार प्रतिनिधि कार्यालयों और एक प्रधान/क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय की प्रबंधन लेखापरीक्षा की गई।

संगामी लेखापरीक्षा प्रणाली (सीएएस)

आपके बैंक की संगामी लेखापरीक्षा प्रणाली, विनियामक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित ऋण और अन्य जोखिम को कवर करता है। सीएएस को और मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मैट्रिक्स के अनुसार वर्गीकृत किए गए सभी अत्यंत उच्च जोखिम, बहुत उच्च जोखिम/उच्च जोखिम वाली शाखाएं/ इकाइयों को सीएएस के तहत कवर किया गया है। सभी ऋण केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र में ग्राहक संबंध के प्रारंभिक चरण में ही जोखिम अंकन की कमियों की पहचान करने हेतु संगामी लेखापरीक्षक की तैनाती की गई है। आपके बैंक में सेवानिवृत्त अनुभवी बैंक अधिकारियों और नियमित अधिकारियों के अतिरिक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म भी लेखापरीक्षा कर रही हैं।

ऑफ-साइट लेनदेन निगरानी प्रणाली (ओटीएमएस)

ऑफसाइट लेनदेन की निगरानी करने के उद्देश्य से परिस्थितियों के अनुसार अलर्ट जारी किए जाते हैं और सुधारात्मक कार्रवाई हेतु व्यवसाय इकाइयों को इनसे अवगत कराया जाता है। वर्तमान में, सिस्टम में 45 प्रकार की परिस्थितियाँ सन्निहित हैं, जिसके विरुद्ध नियमित अंतराल पर लेनदेन की जांच की जाती है और जहां संबंधित अनुपालन की पुष्टि हेतु सिस्टम द्वारा अनियमित लेनदेन की पहचान की जाती है। इन परिस्थितियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जरूरत एवं कतिपय ट्रिगर्स के आधार पर इनका विस्तार किया जाता है।

विधिक लेखापरीक्षा

आपके बैंक में विधिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत ₹ 5 करोड़ और उससे अधिक की राशि के ऋण और प्रतिभूति संबंधित दस्तावेजों को कवर किया जाता है। विधिक लेखापरीक्षा अतिरिक्त नियंत्रण के लिए की जाती है, जो आंतरिक लेखापरीक्षक की आतंरिक टीम द्वारा की गई संवीक्षा के साथ-साथ अधिवक्ताओं के पैनल द्वारा भी की जाती है, ताकि बैंक के पक्ष में दस्तावेजों या प्रतिभूति सृजन में कोई अनियमितता न हो। वित्तीय वर्ष 2020 की समाप्ति तक 12,300 खाताओं की विधिक लेखापरीक्षा की गई है।

बाहरी एजेंसियों को सौपें गए (आउटसोर्सड) कार्यकलाप की लेखापरीक्षा

आपका बैंक इस बात की जरूरत समझता है कि बैंक के लिए कार्यरत सेवाप्रदाता बैंक की तरह विधिक और विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करें। यही कारण है कि आउटसोर्स कार्यकलापों का नियमित अंतराल पर लेखापरीक्षा की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि सही प्रणालियों और कार्यविधियों का अनुपालन किया जा रहा है तथा बैंक के लिए किसी प्रकार की विधिक, वित्तीय और एवं साख संबंधी जोखिम न रहे।

आपके बैंक में आउटसोर्सड कार्यकलापों की लेखापरीक्षा के तहत एटीएम सेवा प्रदान करने वाले वेंडरों, कॉरपोरेट व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी), अलग-अलग बीसी और ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी), वसूली और समाधान एजेंटों, नकदी प्रबंधन सेवा, चेक बुक प्रिंटिंग, संपार्श्विक प्रबंधन, ऋण प्रस्तावों के विपणन, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट शामिल हैं।

आपके बैंक ने वित्तीय समावेशन योजना के तहत 57,728 अलग-अलग बीसी और सीएसपी की सेवा ली है। वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान 28,864 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई है।

कॉरपोरेट केंद्र के विभागों का आरएफआइए

आपके बैंक ने सकल जोखिम के आकलन और बृहत स्तर पर लेखापरीक्षा निरीक्षण करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग में एक नए लेखापरीक्षा अनुभाग के गठन की पहल की है। यह आपके बैंक को सुरक्षित रखने के लिए आपके बैंक द्वारा किए गए विभिन्न विनियामक अनुपालन और जोखिम को कम करने के लिए किए गए उपायों की लेखापरीक्षा करता है।

प्रबंधन लेखापरीक्षा

प्रबंधन लेखापरीक्षा में कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाएं/मंडलों के स्थानीय प्रधान कार्यालय और बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) शामिल हैं। इनकी लेखापरीक्षा में कार्यनीति, प्रक्रिया और जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणालियों की समीक्षा की जाती है।

ग. अनुपालन जोखिम प्रबंधन

आपका बैंक विनियामक और सांविधिक अनुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इस दिशा में आपके बैंक ने अपनी अनुपालन संरचना की पूर्ण रूप से पुनर्रचना की है, जिससे उन ट्रैकिंग क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा सके, जिनसे अनुपालन जोखिम बढ़ते हैं और त्वरित समाधान के उपाय किए जा सके।

अपनी अनुपालन जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए आपके बैंक में गहन अनुपालन संस्कृति का होना जरूरी है। संगठन में विभिन्न प्रकार के संप्रेषण और बातचीत के जरिए इसे मजबूत किया जा रहा है।

किसी भी अनुपालन जोखिम को पहले से ही रोकने के लिए सभी उत्पादों, प्रक्रियाओं एवं नीतियों को लागू करने से पहले ही विनियामक परिप्रेक्ष्य में इनकी वेटिंग की जाती है। अनुपालन जोखिम प्रबंधन समिति, जिसमें सभी व्यवसाय वेर्टिकलों एवं सहायता कार्यों के वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं, अनुपालन संबंधी सभी मामलों पर नजर रखती है। समिति की बैठकें नियमित रूप आयोजित की जाती है और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समिति सभी आंतरिक हितधारकों को आवश्यक दिशानिर्देश देती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों के अनुपालन का परीक्षण किया जाता है और इस संबंध में कोई कमी पाई जाने पर नियमित रूप से उसका समाधान किया जाता है। परीक्षण के दायरे को बढ़ाया जा रहा है, ताकि सभी विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित किया जा सके।

घ. केवाईसी/एएमएल-सीएफटी उपाय :

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान मास्टर दिशानिर्देशों के अनुरूप आपके बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित केवाईसी नीति विद्यमान है। इस नीति में केवाईसी, एएमएल एवं सीएफटी मामलों के प्रति बैंक का नजरिया शामिल है। बैंक ने समय-समय पर संशोधित धन-शोधन निवारक अधिनियम, 2002 एवं धन-शोधन निवारक नियम (अभिलेखों का रखरखाव) 2005 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कदम उठाया है।

इस नीति में ग्राहक स्वीकार्यता, जोखिम प्रबंधन, ग्राहक की पहचान एवं लेनदेनों की निगरानी शामिल है। केवाईसी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक में एक ऐसी मजबूत प्रणाली विद्यमान है, जिसमें मैनुअल एवं प्रणाली समर्थित पद्धति शामिल है। गुमनाम अथवा काल्पनिक/बेनामी नाम पर अथवा कोई भी शाखा/व्यवसाय इकाई उपयुक्त सीडीडी उपाय लागू करने में असमर्थ है, तो कोई भी खाता खोला नहीं जाता है। तथापि इस नीति को लागू करते समय बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि वित्तीय अथवा सामाजिक रूप से अल्प सुविधप्राप्त लोग बैंकिंग सेवाएँ प्राप्त करने से वंचित न हो।

बैंक का एएमएल एवं सीएफटी विभाग लेनदेन निगरानी के जरिए यथोचित सावधानी बरतता है। बैंक जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जहां पर निर्धारण एवं जोखिम अवधारणा के आधार पर ग्राहकों का वर्गीकरण न्यूनतम, मध्यम एवं उच्च जोखिम वाले ग्राहक के रूप में किया जाता है। बैंक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया को अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर भी ध्यान देता है। खातों का संबंध आतंकवादियों से होने का संदेह होने पर प्राथमिक आधार पर उपयुक्त रिपोर्टें भी दायर की जाती है।

केवाईसी और एएमएल/सीएफटी अनुपालन के बारे में स्टाफ में अधिक जागरूकता लाने के लिए आपके बैंक ने कई पहल की हैं। हर साल 2 नवंबर को एएमएल-सीएफटी दिवस मनाया जाता है, जिसमें सभी शाखाओं/प्रसंस्करण केन्द्रों और प्रशासनिक कार्यालयों में उस दिन शपथ ली जाती है। इसी तरह 1 अगस्त को केवाईसी अनुपालन और धोखाधड़ी रोकथाम दिवस मनाया जाता है।

ङ. बीमा

भारतीय स्टेट बैंक ने बीमा कवरेज की उचित खरीद के द्वारा आपके बैंक की संपत्ति और अन्य जोखिमों को कवर करने के लिए एक बीमा कक्ष की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, 10 करोड़ अमरीकी डॉलर के साइबर जोखिमों को कवर करने के लिए बीमा पॉलिसी ली जाती है। इसी तरह, आपके बैंक के जोखिम/लागत को कवर करने के लिए डेबिट कार्ड/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के लिए बीमा कवर लिया जाता है। डेबिट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन पर ग्राहक की देयता को सीमित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है।

4. राजभाषा

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राजभाषा के प्रसार के लिए नवोन्मेषी पहल किए गए।

भारतीय स्टेट बैंक अपनी 22 हज़ार से अधिक शाखाओं, 58 हज़ार से अधिक एटीएम, करीब दो सौ विदेश स्थित कार्यालयों एवं विभिन्न बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पूरे विश्व में उपस्थित है। स्टेट बैंक के 2 लाख 6 हज़ार के करीब स्टाफ सदस्य (अधीनस्थ स्टाफ को छोड़कर) बैंक द्वारा स्थापित समस्त चैनलों के माध्यम से बैंकिंग उद्योग में राजभाषा का प्रसार कर रहे हैं।

पूरे बैंकिंग जगत के लिए किए गए प्रयास

- वित्तीय सेवाएं विभाग के निर्देश पर भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षता में गठित आई टी समिति की बैठक का आयोजन स्टेट बैंक भवन, कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई में किया गया, जिसमें सभी बैंकों के महाप्रबंधक (आई टी) ने सहभागिता की। इसी बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए कार्य के आधार पर तय की गई ग्राहक सेवा/वेबसाइट संबंधी 16 मदों के कार्यान्वयन के लिए सभी बैंकों ने योजनाबद्ध रूप से प्रयास किए और इस क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं।
- हमने हाल ही में वित्तीय सेवाएं विभाग के निर्देश पर आईबीए की ओर से सभी बैंकों के लिए खाता खोलने का फार्म (बेसिक बचत बैंक और चालू खाता फार्म) विकसित किया है, जो द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराया गया है।

- ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता के लिए ग्राहक अनुरोध फार्म हिंदी में तैयार किया गया है।
- वित्तीय सेवाएं विभाग के तत्वावधान में स्टेट बैंक द्वारा 'स्टेट बैंक नेतृत्व संस्थान', कोलकाता में सभी बैंकों के कार्यपालकों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए नेतृत्व क्षमता पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- बैंक की नवोन्मेषी परिकल्पना एवं बैंकिंग जगत की प्रसिद्ध पत्रिका 'प्रयास' के ऑडियो का शुभारंभ। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने इसे अपनी साइट पर 'अनुकरणीय कार्यों' में स्थान दिया है।

तकनीकी प्लेटफार्म पर नवोन्मेषी कदम :

भारतीय स्टेट बैंक ने डिजिटल प्लेटफार्म को डिजिटल भारत की अपेक्षाओं के अनुरूप लगातार विकसित किया है। हमारे विभिन्न उत्पाद हिंदी के साथ-साथ विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

- बैंक की सीडीएस व्यवस्था में राजभाषा अधिकारियों की मासिक निष्पादन रिपोर्टिंग प्रणाली का विकास किया गया है।
- बैंक की नई वेबसाइट 'BANK.SBI' प्रारंभ से ही पूर्णतः हिंदी और अंग्रेज़ी में शुरू की गई है।
- भीम पे एसबीआई हिंदी, तमिल और अंग्रेज़ी में उपलब्ध है।
- योनो कृषि ऐप हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम चार भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है।
- हमारे कॉल सेंटर वर्तमान में 13 भाषाओं में समाधान उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक भारतीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक ने सीबीएस के साथ हिंदी का सुंदर समायोजन किया है। ग्राहकों को हिंदी एवं अंग्रेज़ी का विकल्प दिया गया है। उसी आधार पर उन्हें अपेक्षित भाषा में एसएमएस भेजे जाते हैं। ऋण करार पत्र सीबीएस में हिंदी में जारी किए जाते हैं। यह मूल डाटाबेस के साथ समायोजित है। इसमें गृह ऋण, वाहन ऋण, एसएमई ऋण आदि शामिल हैं।
- वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा अपेक्षित एटीएम स्क्रीन तथा उसकी पर्ची में हिंदी एवं स्थानीय भाषा का विकल्प उपलब्ध है। साथ ही पासबुक प्रिंटिंग, नेट बैंकिंग, खाता विवरणी आदि भी हिंदी में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

बैंकिंग साहित्य का हिंदी में विकास

बैंक द्वारा प्रचुर मात्रा में हिंदी में बैंकिंग साहित्य का प्रकाशन और इसे ऑनलाइन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें प्रमुख हैं:

- सदाचार संहिता, सूचना का अधिकार अधिनियम (1 मार्च 2019 तक अद्यतन), मार्केटिंग मैनुअल खंड 2, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परिचालन दिशानिर्देश, राजभाषा मैनुअल, ऋण देने के उचित व्यवहार के लिए संहिता, एसएमई ग्राहकों के लिए 'व्यवसाय हमारा-साथ आपका' पुस्तक का प्रकाशन किया गया है।
- सभी सरकारी योजनाओं के फार्म व प्रक्रिया साहित्य राजभाषा में उपलब्ध कराए गए हैं।

राजभाषा के प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम

राजभाषा पखवाड़ा और विश्व हिंदी दिवस का देश में स्थित कार्यालयों के साथ साथ विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा भी आयोजन किया गया। मुंबई स्थित कॉलेजों के लिए सितंबर 2019 में हिंदी क्विज का आयोजन किया गया। राजभाषा अधिकारियों का सम्मेलन जून 2019 में कोलकाता में आयोजित किया गया। ऑफिस 365 के लिए पहली बार हिंदी में ज्ञान-वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिष्ठित विद्वान एवं माइक्रोसॉफ्ट के निदेशक (स्थानीयकरण) श्री बालेन्दु शर्मा दाधीच उपस्थित हुए।

- गुवाहाटी तथा भुवनेश्वर में अक्तूबर 2019 में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन।
- देशभर में 417 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन।

राजभाषा अधिकारियों के लिए अलग वर्टिकल

राजभाषा अधिकारियों के लिए अलग वर्टिकल बनाया गया है, जिसमें वित्तीय सेवाएं विभाग के अनुदेशानुसार उप महाप्रबंधक-सह-मुख्य राजभाषा अधिकारी स्तर तक के विशेषज्ञ अधिकारी पदस्थ हैं।

सम्मान एवं पुरस्कार

उपर्युक्त उल्लेखनीय कार्यों के परिणामस्वरूप बैंक को भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संस्थाओं से निम्नलिखित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए -

1. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से सर्वोत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार
2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार से हमारे बैंक के संयोजकत्व में संचालित नराकास, भुवनेश्वर को राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों में द्वितीय स्थान
3. गृह मंत्रालय, भारत सरकार से हमारे जबलपुर प्रशासनिक कार्यालय को प्रथम, हमारे सूरत, जम्मू, निज़ामाबाद प्रशासनिक कार्यालयों के संयोजकत्व में संचालित नराकास को क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कारों में तृतीय स्थान
4. भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और दो प्रोत्साहन पुरस्कार
5. आशीर्वाद सर्वश्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार, राजभाषा रत्न पुरस्कार व प्रयास पत्रिका को श्रेष्ठ गृहपत्रिका पुरस्कार
6. देश भर में पहली बार प्रयास पत्रिका के ऑडियो संस्करण को भारत सरकार, गृह मंत्रालय की वेबसाइट में अनुकरणीय कार्य में स्थान

5. विपणन और संचार

विपणन और संचार (एमएंडसी) विभाग बैंक के ब्रांड और मार्केटिंग पहल को चलाने के लिए जिम्मेदार है, जो कि देश भर में हमारे व्यापक नेटवर्क के माध्यम से हर व्यक्ति की जरूरतों के लिए वित्तीय समाधान प्रदान कर रहा है, जिससे आपका बैंक परिवर्तनशील भारत का पसंदीदा बैंक हो। उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने में अपने प्रयासों के अनुकूलन के उद्देश्य से, हमने युवाओं के साथ जुड़कर डिजिटल पहलों को गति देने के लिए एक एकीकृत विपणन दृष्टिकोण अपनाया है।

अपने प्रमुख उत्पाद YONO को बढ़ावा देने के लिए डाउनलोड दरों और योनो के उपयोग को बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया गया है। विभिन्न विपणन पहल YONO के लिए तैयार की गई हैं:

- YONO शॉपिंग फेस्टिवल (YSF), देश में किसी भी बैंक द्वारा आयोजित किया गया अपनी तरह का पहला शॉपिंग फेस्टिवल है।

- एटीएम और मर्चेंट आउटलेट से कैशलेस निकासी के लिए YONO कैश को बढ़ावा देने के लिए 360-डिग्री मार्केटिंग अभियान की योजना बनाई गई है।
- न्यूमरो योनो के दूसरे संस्करण को अंजाम दिया गया है, जोनल फाइनल्स और फाइनल के साथ 17 शहरों में कॉलेज के छात्रों के लिए एक अंतर महाविद्यालय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें सभी मंडलों की 3,040 टीमों ने सहभागिता की।

हमारे बैंक ने एक महत्वपूर्ण पहल ग्रीन रिवार्ड्स पॉइंट - YONO और डिजिटल उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और ग्रीनर पर्यावरण की ओर योगदान प्रदान करने हेतु शुरूकी। यह ग्राहक को प्रेरित करने की एक अनूठी दूरगामी पहल है।

होम लोन, पर्सनल लोन, करंट अकाउंट, एनआरआई सर्विसेज और डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए प्रमुख मार्केटिंग अभियानों की योजना बनाई गई है और उन्हें क्रियान्वित किया गया है। विभाग ने फोकस किए गए लक्ष्य के साथ विभिन्न मीडिया वाहनों का उपयोग करके खुदरा ऋण उत्पादों को पसंदीदा बनाने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है।

स्थिरता के लिए बैंक की प्रतिबद्धता के अनुसरण में, टीम ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान छह शहरों में मैराथन कार्यक्रम आयोजित करके एसबीआई ग्रीन मैराथन संपत्ति निर्माण पर काम किया और वित्त वर्ष 2019-20 में इसे 15 शहरों भुवनेश्वर, त्रिवेंद्रम, भोपाल, जयपुर सहित कोलकाता, लखनऊ, पटना और गुवाहाटी में ले जाया गया।

कोविद 19 के प्रकोप के कारण दुनिया एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है, एम एंड सी पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण और सुविचारित विपणन के माध्यम से ग्राहक जुड़ाव बढ़ाकर संवेदनशील समय से रुबरू होने के लिए तैयार है। एसबीआई डिजिटल उत्पादों और समाधानों को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों को डिजिटल, सोशल मीडिया और टीवी प्लेटफार्मों के माध्यम से जुटाया जा रहा है। एसबीआई के स्वामित्व वाले प्लेटफार्मों - वेबसाइट, ईमेल, सोशल मीडिया, इन-ऐप सूचना, एटीएम और हमारे मंडलों और शाखाओं के विशाल नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों से हर संभव संपर्क स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से आवश्यक जानकारी, घोषणाओं का तत्काल प्रसारण किया जा रहा है।

बैंक का प्रयास संचार के अन्य माध्यमों के साथ-साथ डिजिटल, सोशल मीडिया और एसबीआई के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग को जारी रखना है। इस प्रकार, विभाग का जोर प्रतिस्पर्धा में आगे रहना और ब्रांड "भारतीय स्टेट बैंक" को एक अधिक जीवंत और प्रतिस्पर्धी ब्रांड के रूप में विकसित करना है।

6. सतर्कता

सतर्कता के तीन आयाम हैं - निवारक, दंडात्मक एवं सहभागिता। इस वर्ष "सत्यनिष्ठा - एक जीवन पद्धति" विषय पर दिनांक 28 अक्तूबर से 2 नवंबर 2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह में सभी स्टाफ सदस्यों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई एवं जनसामान्य को विभिन्न वैकल्पिक माध्यमों, आईवीआर, सोशल मीडिया, वॉकेथॉन, नुक्कड़ नाटक, रेडियो जिंगल्स एवं अन्य विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा इस संबंध में जागरूक किया गया। जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, देश भर की विभिन्न ग्राम सभाओं में भी सत्यनिष्ठा की शपथ ली गई। हमने कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से केस स्टडी एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों को समाहित करते हुए "सतर्कता बुलेटिन" का प्रकाशन किया। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान, अद्यतन सतर्कता मैनुअल 2019 भी लॉच किया गया।

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, सतर्कता की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए:

1. केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बैंकिंग एवं वित्तीय धोखाधड़ी के लिए सलाहकार समिति (एबीबीएफएफ) का गठन किया है। बोर्ड ₹ 50 करोड़ एवं अधिक के सभी बड़े धोखाधड़ी के मामले जिनमें महाप्रबंधक एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारी शामिल होंगे, को जांच एजेंसियों, अर्थात सीबीआई को संस्तुत/प्रेषण करने से पूर्व प्रथम दृष्ट्या जाँच करेगा। इस प्रकार प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच करने से, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निर्णय लेने वाले उच्च अधिकारियों को होने वाली अवांछनीय कठिनाई की आशंका कम होगी।
2. वित्त मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 28.12.2019 को आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों की बैठक में अनुशासनात्मक एवं आंतरिक सतर्कता के लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा हेतु अनुशासनात्मक एवं सतर्कता मामले की समीक्षा समिति (डीवीसीआरसी) का गठन किया गया है। प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग) की अध्यक्षता में समिति (डीवीसीआरसी) के 8 स्थायी सदस्य हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं मुख्य सदाचार अधिकारी को इसकी प्रत्येक बैठक में आमंत्रित किया जाएगा। समिति की बैठक प्रत्येक दो माह पर होगी।
3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन के बाद, अनुशासनात्मक मामलों में कर्मचारी पर कार्रवाई के संदर्भ में सतर्कता पहलू का निर्धारण काफी महत्वपूर्ण है। यद्यपि सीवीसी दिशानिर्देश

"कुंभकार जीवन को देता आकार" विषय पर बैंक की तिमाही हिंदी गृहपत्रिका "प्रयास" के कुंभकार विशेषांक का श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष, स्टेट बैंक समूह तथा प्रबंध निदेशक गण द्वारा विमोचन।

सतर्कता दृष्टिकोण या अन्य प्रकार के निर्धारण हेतु स्पष्ट निदेश प्रदान करते हैं तथापि यह देखा गया है कि कभी-कभी, संबंधित अधिकारियों द्वारा इसे सही तरीके से समझा नहीं जाता है और कर्मचारियों पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती है। इस कारण दिशानिर्देशों और अनुदेशों का सही तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इस विषय में और अधिक परिचालनगत स्पष्टता की जरूरत महसूस की गई। सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार कड़ाई से सतर्कता दृष्टिकोण के निर्धारण के लिए एक मानक परिचालन कार्यविधि (एसओपी) बनाई गई है।

4. सीवीसी के मौजूदा दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, अनुशासनात्मक मामलों की संवीक्षा करने व सतर्कता दृष्टिकोण या अन्य दृष्टिकोण का निर्धारण करने और सीवीओ को पत्राचार द्वारा सूचित करने के लिए आंतरिक सलाहकार समिति (आइएसी) का गठन किया गया है। वर्तमान में, बैंक में एक द्विस्तरीय संरचना है, जैसे एक आईएसी कॉरपोरेट केंद्र में है जो टीईजीएस-VI और ऊपर के सभी अधिकारियों और सीसीजी/सीएजी/आईबीजी/पीएफएसबीयू से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों की जाँच करता है और दूसरा आईएसी प्रत्येक मंडल में है, जो अवार्ड स्टाफ और स्केल V तक के अधिकारियों से संबंधित मामलों की जांच करता है। आइएसी देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आपके बैंक में कार्यरत हैं, अतः कई बार यह देखा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में चूक समान स्तर का होने के बावजूद उनके सतर्कता दृष्टिकोण में अंतर होता है। इसे देखते हुए, आइएसी को कॉरपोरेट केंद्र में केंद्रीकृत किया गया है, ताकि सतर्कता या गैर-सतर्कता के रूप में मामलों के वर्गीकरण में किसी भी प्रकार का पक्षपात न हो सके। एक स्वतंत्र और केंद्रीकृत व्यवस्था उचित निर्णय लेने में सहायक होगी और यह मामलों के समुचित निपटान पर विशेष ध्यान देगी, जिससे अंततः समय-सीमा में सुधार होगा।

5. सतर्कता विभाग ने 214 निवारक सतर्कता कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 4005 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। निवारक उपायों को प्रभावी बनाने के लिए 764 शाखाओं में स्वतः संज्ञान लेकर जांच की गई है।

6. वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान, हमने प्रौद्योगिकी आधारित वीसीटीएस (विजिलेंस केस ट्रैकिंग सिस्टम) की शुरूआत की है। वीसीटीएस मामलों को समय पर बंद करने के लिए एमआइएस सृजन करने में सक्षम होगा। यह सतर्कता मामलों के विश्लेषण के लिए और प्रभावी ढंग से प्रकरणों की निगरानी के लिए उनके इतिहास पर भी नज़र रखेगा।

7. वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान, कुल 1993 मामलों (1278 नए मामलों सहित) की जांच की गई थी, जिनमें से 1185 मामले बंद हो चुके हैं।

7. आस्ति एवं देयता प्रबंधन

बैंकों के सतत और गुणात्मक विकास के लिए आस्तियों और देयताओं (एएलएम) का कुशल प्रबंधन महत्वपूर्ण है। एएलएम का उद्देश्य बाजार की गतिशीलता की सक्रिय रूप से समीक्षा करके, तुलन पत्र को मजबूत करना है, जिसमें से निकलने वाले संकेतों पर कब्जा करना और मूल्य सृजन सुनिश्चित करने के लिए विनियामक आवश्यकताओं का आकलन करना है।

उत्तम जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के एक हिस्से के रूप में, आपका बैंक 'जमाओं', 'आस्ति एवं देयता प्रबंधन', 'तरलता एवं ब्याज दर जोखिमों पर दबाव जांच', 'आकस्मिकता निधीयन योजना' पर अपनी आंतरिक नीतियों की लगातार समीक्षा कर रहा है और बाजार की स्थितियों में बदलावों को अपना रहा है। बैंक सबसे खराब स्थिति के रूप में सामने आने वाले संभावित जोखिम का ध्यान रखने के लिए 'विपरीत दबाव जांच' करवा रहा है।

तरलता की स्थिति का आकलन करते हुए आस्तियों और देयताओं की गैर-संविदात्मक मदों के उचित उपचार के लिए ग्राहकों के व्यवहार पैटर्न (ग्राहकों के लिए उपलब्ध विकल्प) का आकलन करने के लिए नियमित अंतराल पर अध्ययन किए जाते हैं। तरलता और ब्याज दर संवेदनशीलता बयानों की रिपोर्टिंग के लिए तुलनपत्र इतर प्रदर्शन, संभावित ऋण नुकसान आदि के कारण बहिर्वाह/अंतर्वाह की सटीक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार विश्लेषण भी किया जाता है। आस्तियों और देयताओं की गैर-संविदात्मक मदों से संबंधित प्रचलित धारणाएँ नवीनतम अध्ययनों के परिणामों के आधार पर समय-समय पर अद्यतन की जाती हैं।

उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) और नकदी बहिर्वाह के स्टॉक पर गतिशील बाजार के वातावरण के तहत दैनिक आधार पर प्रभावी रूप से निगरानी रखी जाती है, ताकि बैंक की एएलएम पॉलिसी बेंचमार्क के साथ-साथ विनियामक द्वारा निर्धारित एलसीआर का रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके।

आपके बैंक ने तरलता के मामले में बैंक के दीर्घकालिक लचीलेपन को मापने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के एनएसएफ़आर दिशानिर्देशों को सक्रियता से लागू किया है, जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो रहा है।

श्री हरीश भिमानी, लेखक, प्रस्तोता और फिल्म निर्माता को हिंदी के प्रचार - प्रसार में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए बैंक के अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार प्रशस्ति पत्र प्रदत्त कर रहे हैं

आपके बैंक ने पूर्व-परिभाषित सहिष्णुता सीमाओं के साथ आय पर जोखिम (ईएआर) और इक्विटी के बाज़ार मूल्य (एमवीई) पर प्रभाव का आकलन करने के लिए एक उन्नत तरीका अपनाया है, जो उनके साथ जुड़े जोखिमों को निर्धारित करता है और प्रबंधन को शुद्ध ब्याज आय में क्षरण की संभावना वाले परिदृश्य में उचित निवारक कदम उठाने में सक्षम बनाता है।

शाखाओं को स्थिर निधियां प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने और धन की लागत के आधार पर उनकी लाभप्रदता का आकलन करने के लिए, आपके बैंक द्वारा एक समतुल्य परिपक्वता आधारित निधि अंतरण मूल्यन को लागू किया गया था।

आपके बैंक की, आस्ति एवं देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), तुलन पत्र में आस्ति और देयता प्रबंधन मिश्रण को लगातार संशोधित करके तरलता और ब्याज दर का प्रबंधन करती है। इसके साथ-साथ, एएलसीओ, समय-समय पर ब्याज दरों के परिदृश्यों, देयता उत्पादों के विकास पैटर्न, ऋण वृद्धि, प्रतिस्पर्धी लाभ, तरलता प्रबंधन, विनियामक के निर्देशों के पालन और देयताओं और आस्तियों के मूल्य निर्धारण की समीक्षा करता है।

तुलन पत्र संरचना में अंतर्निहित कठोरता और 1 मई 2019 से प्रभावी आरबीआई की पॉलिसी दरों में त्वरित बदलाव के मुद्दे से निपटने के लिए आपके बैंक ने, बचत बैंक जमाओं (1 लाख रुपये से अधिक शेष वाली) और अल्पावधि ऋण (1 लाख रुपये से अधिक की सीमा वाले नकदी ऋण खाते और ओवरड्राफ्ट) के मूल्य निर्धारण को बाहरी बेंचमार्क यानी पॉलिसी रेपो रेट जोड़ने का बीड़ा उठाया।

1 अक्तूबर 2019 से प्रभावी, बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार दर पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के बाद, सभी फ्लोटिंग दर वाले खुदरा और एमएसएमई ऋणों का मूल्य निर्धारण बाहरी बेंचमार्क यानी पॉलिसी रेपो रेट से जोड़ दिया गया है। हालांकि, बचत बैंक जमा दरों को रेपो रेट से जोड़ना जारी है।

आस्ति एवं देयता प्रबंधन (देशी स्थिति) के क्षेत्र से संबंधित विनियामक रिपोर्टें/विवरणियाँ अब से ओएफएसएए के माध्यम से स्वचालित हो गए हैं और शीघ्र ही पूरे बैंक की स्थिति स्वचालित होने की उम्मीद है।

8. सदाचार और व्यवसाय आचरण

सदाचार और व्यवसाय आचरण विभाग की स्थापना के बाद से ही आपका बैंक सभी स्तरों पर सदाचार मूल्यों के उत्सर्जन एवं उनके प्रसार तथा उच्च व्यवहार मानदंडों के अनुरूप विभिन्न पहलों एवं कार्यक्रमों का कर्ता-धर्ता बना हुआ है। चाहे हमारे नए विजन, मिशन व मूल्यों के अभिकथन और सदाचार संहिता जैसे आधारभूत मूल मार्गदर्शी सिद्धांतों का निर्माण हो, अथवा परिणाम प्रबंधन, यौन उत्पीड़न निवारण (पॉश) या सोशल मीडिया जैसे विभिन्न क्षेत्रों के वर्तमान परिचालन दिशानिर्देश हों, आपके बैंक की कार्यशैली का मूल दर्शन तत्काल व दूरंदेशी दोनों ही स्थितियों में सजग, सचेत व सामंजस्यपूर्ण रहा है। पुनः, बैंक में सदाचार के एक मजबूत ढाँचे को आकार देने के लिए इसके समर्थन में विभिन्न प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं, ताकि हमारी क्षमता को महत्तर नैतिक बल प्रदान किया जा सके। बैंक ने खुद को भविष्य हेतु तैयार करने के लिए हर वर्ष सुचिंतित उपाय-नीति अपनाकर नियमित और निर्बाध रूप से अपने सुसंचालित कार्यक्रमों और परिचालन प्रक्रियाओं में नवीनतम तकनीकी प्लेटफॉर्म को अपनाया है। निश्चय ही इससे बैंक में संचालित और प्रस्तावित सदाचार की विभिन्न वर्धमान पहलों के विस्तार, आकार और पहुँच में भारी असर पड़ा है।

वर्ष 2019-20 में हमारे द्वारा सदाचार और व्यवसाय आचरण की एक व्यापक वेबसाइट विकसित और प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत वन स्टाप प्लेटफॉर्म पर सुविचारित सदाचार स्रोतों की विस्तृत सरणी दी गई है, ताकि बड़ी संख्या में कर्मचारीगण इसका लाभ उठा सकें। अनुशासन प्रबंधन कार्य की निपुणता और प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने के लिए कुछ नई पहलें शुरू की गई हैं और बैंक की अनुशासन प्रबंधन पारिस्थितिकी की दक्षता को बढ़ाने संबंधी समर्थक प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। इस संदर्भ में, बैंक में एक रियल टाइम तथा व्यापक व्यवसाय आचरण एवं अनुशासन प्रबंधन ऑनलाइन प्रोसेसिंग पोर्टल तथा डैशबोर्ड की कल्पना की गई, उसे डिजाइन किया गया और चालू किया गया। ज्ञानवर्धन और मार्गदर्शन के अगले संवर्धन/अनुपूरक प्रयासों के रूप में अनुशासन प्रबंधन फ्रेमवर्क के विशेष कार्यक्षेत्र में कार्य करने वाले सभी अधिकारियों के लिए वर्ष भर नियमित रूप से एक विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया।

यह दोहराना आवश्यक नहीं होगा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण के मामले में आपका बैंक बिल्कुल भी सहन न करने (जीरो टोलरेंस) वाली नीति का पक्षधर है और वह लिंग के आधार पर भेदभाव रहित कार्य परिवेश प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। इसके लिए बैंक ने कार्य-स्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न निवारण संबंधी अपनी नीति व प्रक्रिया को 'गरिमा' नाम से अभिहित किया है। इस नीति व प्रक्रिया को कारगर और सरल बनाने के लिए बैंक ने रियल टाइम 'गरिमा' ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का भी शुभारंभ किया है, जो इससे संबंधित शिकायतों को दूर करने के साथ ही इस प्रक्रिया से जुड़े लोगों में कौशल निर्माण का कार्य भी करेगा।

आपके बैंक जैसे विशाल आकार और विस्तार वाले संगठन के लिए सदाचार मूल्यों को आत्मसात् करना तथा सदाचारमयी अनुगुंजित संस्कृति का निर्माण करना एक दीर्घ-कालिक प्रक्रिया है। तथापि, अपनी तीन वर्षों की संक्षिप्त यात्रा में ईमानदार इरादों तथा बेहिचक कदमों के चलते इसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं, जो हमारे हर पिछले कदम की सफलता की कहानी बयां करते हैं और सुबह से शाम तक हमारी ब्रांड को सशक्त बनाने में अपना अवदान करते हैं।

9. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

एसबीआई की संस्कृति में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गहरे रूप से समा गया है। बैंक 1973 से सीएसआर गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। बैंक के सीएसआर दर्शन का प्राथमिक उद्देश्य देश के आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से चुनौती प्राप्त समुदायों के जीवन पर सार्थक और मापने योग्य प्रभाव बनाना है। बैंक की सीएसआर गतिविधियां देश भर में लाखों गरीबों और जरूरतमंदों के जीवन को छूती हैं।

बैंक के सीएसआर गतिविधियों के केंद्र में स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, राष्ट्रीय धरोहरों का पर्यावरण संरक्षण, महिला, युवा तथा वरिष्ठ नागरिकों का सशक्तिकरण इत्यादि शामिल हैं।

प्रोजेक्ट के तौर पर की जानेवाली सीएसआर गतिविधियां एसबीआई फाउंडेशन के तहत की जाती हैं, जो 2015 में स्थापित एसबीआई का सीएसआर पक्ष है, जिसे "सेवा से परे बैंकिंग" की बैंक की परंपरा के माध्यम से भारत में एक प्रमुख सीएसआर संस्थान बनने की दृष्टि से स्थापित किया गया था। अपने अस्तित्व के पिछले चार वर्षों के दौरान,

एसबीआई फाउंडेशन पिरामिड के निचले हिस्से पर जीने वाले लोगों के लिए एक सकारात्मक अंतर लाने के उद्देश्य से कार्यक्रमों की पहचान और समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एसबीआई को अपने लाभ का 1% सीएसआर पर खर्च करना होता है। पूरे भारत में बैंक के कार्यालय अपने कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता के साथ समाज को वापस देने के लोकाचार पर खरा उतरने के लिए विभिन्न सीएसआर गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर पर व्यय

वित्त वर्ष 2018-19 में बैंक का निवल लाभ ₹ 862 करोड़ रहा तथा 8.62 करोड़ रुपए को जो लाभ का 1% वर्ष 2019-20 के लिए बैंक के सीएसआर कोष के रूप में बजट किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से बैंक ने विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के लिए ₹ 27.47 करोड़ खर्च किया/दान में दिया।

क्र. सं	विवरण	(₹ करोड़ में)
1	राष्ट्रीय स्तर पर दान (विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्री राहत निधि)	9.00
2	सामान्य दान और आरएसईटीआई को शामिल करके अन्य प्रत्यक्ष गतिविधियों के लिए (कैपेक्स व्यय के लिए)	6.09
3	एसबीआई फाउंडेशन	12.38
	सीएसआर हेतु कुल खर्च	27.47

2019-20 में प्रमुख क्षेत्रवार खर्च (% में)

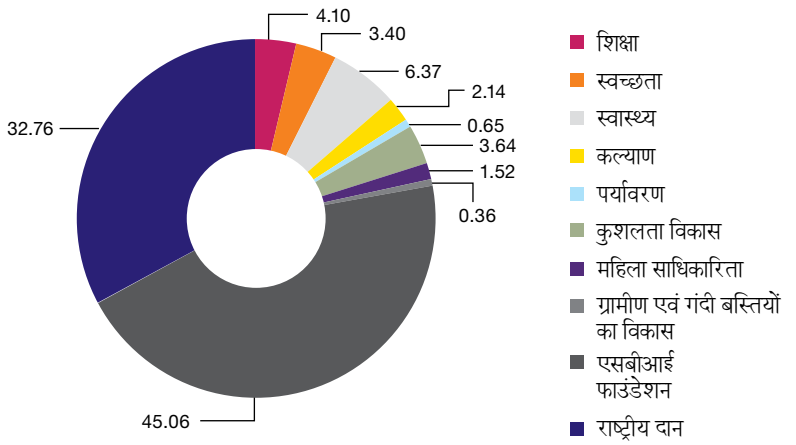

शिक्षा

बैंक हमेशा दूरदराज, अनभिगम्य और अविकसित क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा की सहायता देने का प्रयास करता है। शिक्षा सहायता के लिए 1.13 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

- वंचित बच्चों के विभिन्न विद्यालयों को 52.57 लाख रुपए के 6 स्कूल बस दान किए गए थे।
- वंचित बच्चों की सेवा में लगे स्कूलों को लैपटाप, प्रोजेक्टरों, बेंचों, मेज़, कुर्सियाँ, लाईब्रेरी कैबिनेट इत्यादि का वितरण।
- पिछड़े इलाकों में स्थित स्कूलों में बच्चों को पीने का पानी के लिए जल शुद्धीकरण यंत्र उपलब्ध कराना।

स्वास्थ्य रक्षा

इसके तहत एसबीआई समाज के वंचितों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के लिए अस्पतालों और गैर सरकारी संगठनों को बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए, 1.75 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। बैंक ने विभिन्न अस्पतालों, एनजीओ और ट्रस्टों को 9 एंबुलेंस दान कीं। इसके साथ ही किडनी की समस्या से पीड़ित गरीब मरीजों के इलाज के लिए डायलिसिस मशीन भी दान की गई है। इसी तरह, मुफ्त डायलिसिस के लिए बैंगलोर किडनी फाउंडेशन को और मानसिक रूप से पीडित बच्चों को सहायता देने के लिए रामकृष्ण आश्रम, अहमदाबाद को दान दिया गया है।

कौशल विकास

भारत दुनिया के सबसे युवा राष्ट्रों में से एक है, जिसकी 50% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है। बढ़ती युवा जनसांख्यिकी की रोजगारपरकता को देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है। एसबीआई ने प्रशिक्षित मानव संसाधन की आपूर्ति में सहायता के लिए एक फोकस क्षेत्र के रूप में कौशल विकास पहल शुरू की है। बैंक ने देश में युवाओं की बेरोजगारी और अल्परोजगार की समस्याओं में मदद और उसे कम करने के लिए देशभर में 152 आरसेटी की स्थापना की है। वर्ष 2019-20 के दौरान एसबीआई ने दो आरसेटी को कैपेक्स खर्च के लिए 1.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की।

महिला एवं वरिष्ठ नागरिक सशक्तिकरण

2019-20 में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिक के सशक्तिकरण के लिए 0.42 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। शुरू की गई प्रमुख पहल इस प्रकार हैं-

- द सोसाइटी आफ सिस्टर्स आफ दि डेस्टिट्यूट शांतिसदन, ओरमांझी, रांची को 13 सीटों वाला टाटा विंगर वाहन का दान।
- श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर आने वाले वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रियों के लिए एक बस का दान।

स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा स्वच्छता

एसबीआई "स्वच्छ भारत" के सरकार के मिशन के लिए प्रतिबद्ध है और उसने देश भर में कई पहल की हैं, जिनमें सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन, डम्पर बिन, प्लास्टिक रिसाइकिल के लिए मशीनें आदि उपलब्ध कराना शामिल हैं। पर्यावरण संरक्षण के तहत सभी पहल कार्बन पदचिह्न को कम करने में सकारात्मक योगदान देते हैं। वर्ष 2019-20 में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की दिशा में 1.10 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। बैंक ने भारत के विभिन्न स्थानों पर रीसाइक्लिंग के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक की बोतलों के संग्रह के लिए स्मार्ट क्रशिंग डिब्बे लगाने की व्यवस्था की। वृक्षारोपण की प्रमुख पहल शुरू की गई और पूरे भारत में 4 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए।

एसबीआई बाल कल्याण कोष

"दान देने की प्रक्रिया घर से शुरू होती है" की अवधारणा के साथ एसबीआई ने स्टाफ सदस्यों की पहल के रूप में वर्ष 1983 में एसबीआई बाल कल्याण कोष नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की थी। ट्रस्ट वंचितों और अनाथ बच्चों की बेहतरी के लिए एसबीआई के कर्मचारियों के स्वैच्छिक योगदान से धन प्राप्त करता है। निधि के कोष पर अर्जित ब्याज का उपयोग वंचित बच्चों यथा अनाथ, दिव्यांग, बेसहारा और वंचित आदि के कल्याण में लगे संस्थानों को अनुदान देने के लिए किया जाता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान कर्मचारियों से 0.45 करोड़ रुपये का कुल अंशदान प्राप्त हुआ है और भारतीय स्टेट बैंक ने दिव्यांगों सहित गरीब और दलित बच्चों के कल्याण के लिए काम कर रहे देश भर के 6 संस्थानों/संगठनों को 0.53 करोड़ रुपये की राशि दान की है।

राष्ट्रीय दान

भारत के कई हिस्से हाल ही में तूफान और बाढ़ से तबाह हो गए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर संपत्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर का विनाश हुआ है। वर्ष 2019-20 में, विभिन्न मुख्यमंत्री राहत कोष में दान के लिए 9.00 करोड़ रुपये का उपयोग राष्ट्रीय दान के रूप में किया गया था।

क्र. सं	विवरण	(₹ करोड़ में)
1	असम	1.00
2	बिहार	1.00
3	ओडिशा	5.00
4	महाराष्ट्र	1.00
5	कर्नाटक	1.00
	कुल राष्ट्रीय दान	9.00

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राष्ट्रीय दान

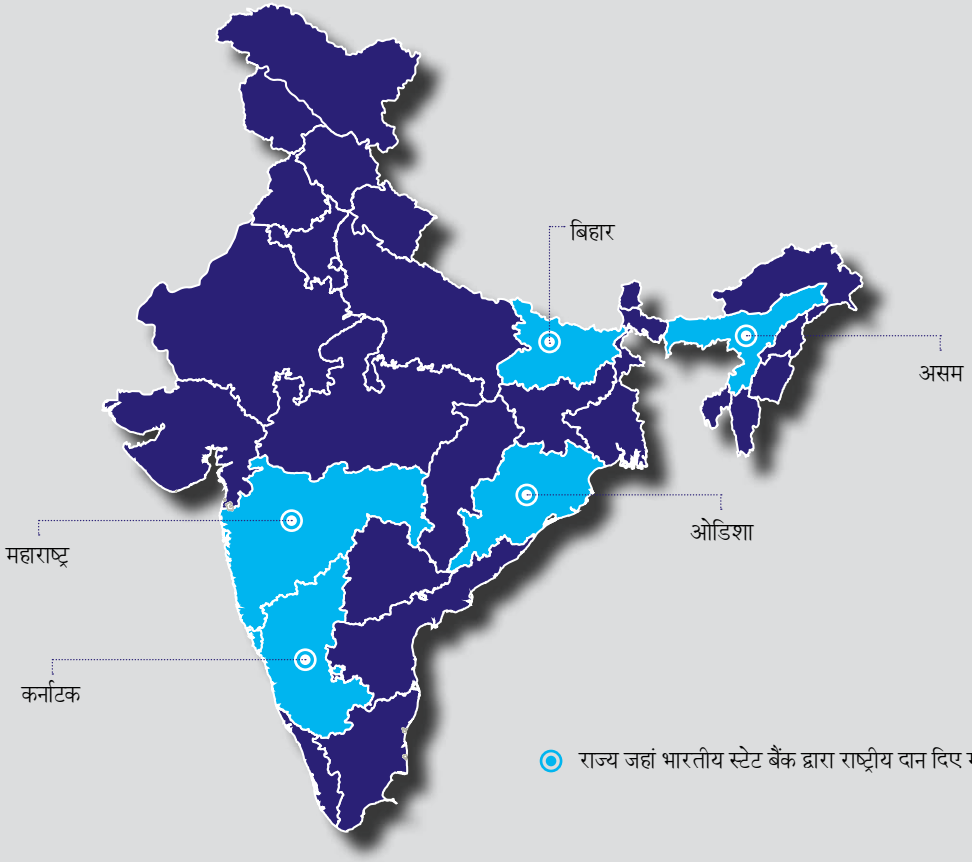

10. भारतीय स्टेट बैंक में संवहनीयता

बैंक कार्यनीतिक निर्णय लेने, ऋण देने और अभिनव उत्पादों और सेवाओं के विकास में सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिमों के प्रबंधन जैसे बहु गुना दृष्टिकोण को अपनाकर संवहनीयता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। बैंक में संवहनीयता प्रथाओं को चरणबद्ध रूप से बढ़ाने के लिए, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित "संवहनीयता और व्यावसायिक उत्तरदायित्व (बीआर) नीति" तैयार किया है। इस नीति को बैंक की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। बैंक ने पर्यावरण-सामाजिक-अभिशासन (ईएसजी) मापदंडों पर अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं।

बैंक ने बैंक के समग्र संवहनीयता लक्ष्य की देखरेख का कार्य उप प्रबंध निदेशक (मानव संसाधन) और कॉरपोरेट विकास अधिकारी को सौंपा है। बैंक के पर्यावरण और सामाजिक लक्ष्यों के निष्पादन की निगरानी कॉरपोरेट सेंटर सस्टेनेबिलिटी कमेटी (सीसीएससी) द्वारा की जाती है, जिसमें विभिन्न वर्टिकल/विभागों के व्यवसाय और कार्यात्मक प्रमुख शामिल हैं। सीसीएससी समय-समय पर बैठक बुलाकर बैंक स्तर पर प्रभावी संवहनीयता प्रबंधन के लिए विचार-विमर्श करता है और मार्ग प्रशस्त करता है।

वित्त वर्ष 2016 से बैंक अपने गैर-वित्तीय प्रकटीकरणों को वार्षिक संवहनीयता रिपोर्ट के माध्यम से प्रकाशित कर रहा है। वित्त वर्ष 2016-17 तथा और उसके बाद के लिए, बैंक ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) फ्रेमवर्क के अनुसार अपनी संवहनीयता रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। संवहनीयता रिपोर्टें भी बैंक की वेबसाइट पर रखी जाती हैं। बैंक सीडीपी का सदस्य हस्ताक्षरकर्ता भी है और 2012 के बाद से अपने निष्पादन का खुलासा कर रहा है।

बैंक के संवहनीयता पहल

पहले से शुरू किए गए तथा विचाराधीन कुछ प्रमुख पहल निम्नानुसार हैं:

- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में जलवायु परिवर्तन मामले को पहचानने के लिए बैंक ने एक चरणबद्ध तरीके से निर्धारित अवधि के अंतर्गत कार्बन तटस्थ संगठन बनने के लिए कार्बन तटस्थता रणनीति तैयार किया है। बैंक ने वर्ष 2030 तक "कार्बन तटस्थ" स्थिति प्राप्त करने की परिकल्पना की है। जनरेटर सेट के बदले शाखाओं (ग्रामीण/अर्ध-शहरी) में रिमोट मॉनिटरिंग आधारित सौर ऊर्जा प्रणाली की पहल की जा रही है। बैंक अपनी कैप्टिव आरई बिजली क्षमता को बढ़ाने के लिए देश भर में शाखाओं/कार्यालयों में सौर ऊर्जा यंत्र/उपकरण भी स्थापित कर रहा है। वर्तमान में कैप्टिव उपयोग के लिए बैंक की आरई क्षमता लगभग 35 एमडब्ल्यूपी है।
- बैंक के स्वामित्व वाले परिसर में सौर एटीएम, सौर रूफ टॉप परियोजनाओं की स्थापना। गति सक्रिय प्रकाश व्यवस्था की स्थापना के अलावा बैंक के परिसर में ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था और एयर कंडीशनिंग सिस्टम। शाखाओं से सर्वर हटाना और एक सुरक्षित आभासी वातावरण पर डेटा रखने के लिए शाखा सर्वर समेकन (बीएससी) परियोजना, बिजली की बचत के लिए प्रत्येक डेस्कटॉप पर बिजली प्रबंधन उपयोगिता की स्थापना आदि।
- हमारे सात (7) परिसरों को विभिन्न श्रेणियों (प्लेटिनम/गोल्ड/सिल्वर) के तहत भारतीय हरित भवन परिषद (आईजीबीसी) द्वारा "ग्रीन परिसर/परियोजनाएं" के रूप में आंका गया है।
- हमारे सभी डिजिटल चैनल ग्राहकों के लिए, बैंक ग्रीन रिवार्ड पॉइंट्स की पेशकश कर रहा है, जिसका एसबीआई ग्रीन फंड को क्रेडिट के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिसे संवहनीय गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाएगा।
- हमारी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया और व्यावसायिक निर्णयों में पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएमएसएम) के एकीकरण को महत्वपूर्ण आयाम मिला है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, बैंक ने 100 मिलियन अमरीकी डॉलर के अतिरिक्त ग्रीन बांड जारी किए, जिससे बैंक के कुल ग्रीन बॉन्ड आकार 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- बैंक अपने उत्पाद और सेवाओं को 17 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप मैप करने की प्रक्रिया में भी है। बैंक के आठ (8) उत्पादों को एसडीजी को मैप किया गया है, जिसमें दो प्रमुख ऋण उत्पाद शामिल हैं-आवास ऋण और कार ऋण। व्यवसाय प्रथाओं में सतत विकास लक्ष्यों को एकीकृत करने के विषय पर, सहकर्मी भागीदारी और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक उद्योग व्यापी गोलमेज चर्चा का आयोजन किया गया था।
- एसबीआई ग्रीन मैराथन-पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता पैदा करने के लिए बैंक की ऐतिहासिक नवोन्मेषी पहल ने इस वर्ष अपने तीसरे चरण में प्रवेश किया है। इस पहल ने पिछले कुछ वर्षों में भारी प्रसिद्धि और भागीदारी अर्जित की है और महत्वपूर्ण ब्रांड मूल्य के साथ एक अभिनव संपत्ति के रूप में खुद को तैनात किया है।
- वर्ष के दौरान, बैंक ने बैंक के आंतरिक संवहनीयता उपायों और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित बुनियादी संवहनीयता मुद्दों पर अपने कर्मचारियों के लिए एक समर्पित ऑनलाइन ट्यूटोरियल "अस्तित्व" शुरू किया। इसके अतिरिक्त, एक त्रैमासिक ई-न्यूज़लेटर "सस्टैन ऑन" शुरू की गई है और सभी कर्मचारियों को भेज दिया जा रहा है, जिससे उन्हें संवहनीयता संबंधित मुद्दों और समाचार पर जागरूक किया जा सके।

V. अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (एसबीआईकैप)

(₹ करोड़)

सहायक कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई शेयर)	स्वामित्व %	वित्त वर्ष 2020 के लिए शुद्ध लाभ (हानियां)
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	58.03	100%	215.42
एसबीआई कैप सिक्यूरिटीज लिमिटेड (एसएसएल)	लागू नहीं		84.94
एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड (एसवीएल)			11.01
एसबीआई कैप (युके) लिमिटेड (एसयूएल)			(2.57)
एसबीआई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड (एसएसजीएल)			0.46
एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)			20.51

एसबीआईकैप भारत का एक अग्रणी निवेश बैंकर हैं, जो तीन उत्पाद समूहों - प्रोजेक्ट एड्वाइजरी एंव स्ट्रक्चर्ड फाइनैंस, इक्विटी कैपिटल मार्केट्स एवं डैट कैपिटल मार्केट्स के अलग-अलग ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की निवेश बैंकिंग एवं कॉरपोरेट सलाहकार सेवाएं उपलब्ध कराता हैं। इन सेवाओं में परियोजना परामर्श, ऋण समूहन, स्ट्रक्चर्ड डैट प्लेसमेंट, विलयन एवं अधिग्रहण, प्राइवेट इक्विटी, पुनःसंरचना परामर्श, दबावग्रस्त आस्ति समाधान, आईपीओ, एफपीओ, राइट्स इश्यू, डैट एवं हाईब्रिड कैपिटल जुटाना, निवेश आईटी एडवायसरी, आरइआईटी एडवायसरी और सीओसी एडवायसरी (उधारदाताओं की समिति) शामिल है। अकेले एसबीआई कैप्स ने वित्त वर्ष 2019 के दौरान ₹242.60 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में ₹275.56 करोड़ का कर-पूर्व लाभ दर्ज किया तथा वित्त वर्ष 2019 के दौरान ₹168.19 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में ₹215.42 करोड़ का कर-पश्चात लाभ दर्ज किया। पूरे एसबीआई कैप समूह ने पिछले वर्ष ₹236.38 करोड़ की तुलना में चालू वर्ष में ₹334.04 करोड़ का लाभ दर्ज किया।

क. एसबीआई कैप सिक्युरिटीज़ लिमिटेड (एसएसएल)

एसएसएल, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो खुदरा एवं संस्थागत ग्राहकों को नकदी एवं फ्यूचर तथा ऑप्शन सेग्मेंट दोनों में इक्विटी ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करती है, तथा यह म्यूचुअल फंड, टैक्स फ्री बॉन्ड, गृह ऋण, ऑटो ऋण, जैसे अन्य वित्तीय उत्पादों की बिक्री एवं वितरण का कार्य भी करती है।

एसएसएल की 100 से अधिक शाखाएं हैं, जो खुदरा एवं संस्थागत ग्राहकों को डीमैट, ई-ब्रोकिंग, ई-आईपीओ एवं ई-एमएफ जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। वर्तमान में एसएसएल के लगभग 20 लाख ग्राहक हैं। कंपनी को वित्त वर्ष 2019 में ₹404.52 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में ₹495.95 करोड़ की कुल आमदनी हुई।

ख. एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड (एसवीएल)

एसवीएल, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एसवीएल, आस्ति प्रबंधन कंपनी के रूप में काम कर रही है। वर्तमान में एसवीएल द्वारा तीन फंड - 'नीव (एनईईवी) फंड, एसडबल्यूएएमआईएच निवेश फंड I तथा एसवीएल-एसएमई का प्रबंधन किया जा रहा है।

नीव फंड

नीव फंड, एआईएफ श्रेणी I इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। इस निधि की 31 मार्च 2019 की आखिरी संग्रह राशि ₹430.23 करोड़ थी, जो 10 से अधिक पोर्टफोलियों कंपनियों में निवेश की गई हैं।

एसडबल्युएएमआईएच निवेश निधि I

14 सितंबर, 2019 को माननीय वित्त मंत्री ने रुकी हुई किफायती/मध्य आय वाली आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अंतिम मील वित्त प्रदान करने के लिए एक विशेष खिड़की स्थापित करने की घोषणा की। इस खिड़की (विंडो) के तहत गठित सर्वप्रथम वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के निवेश प्रबंधक के रूप में एसबीआईकैप वेंचर्स ने सेबी विनियमों के तहत द्वितीय एआईएफ श्रेणी के रूप में एसडबल्युएएमआईएच निवेश निधि I ("फंड") का पंजीकरण पूरा किया।

एआईएफ के पास 12,500 करोड़ रुपये की लक्ष्य राशि (टारगेट साइज) है और 12,500 करोड़ रुपये का ग्रीन शू ऑप्शन मौजूद है। इस फंड ने 6 दिसंबर 2019 को अपनी पहली क्लोजिंग 10,037.50 करोड़ रुपये में भारत सरकार, एसबीआई, एलआईसी, एचडीएफसी लिमिटेड और सभी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को फंड में निवेशक के रूप में हासिल किया है। एसडब्लूएमआइएच फंड टीम डेवलपर्स से मिलने और फंड के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पहले ही प्रमुख शहरों में कई बैठके आयोजित कर चुकी है।

एसएमई फंड

एसएमई फंड भी 19/11/2018 को शुरू किया गया था, एसएमई फंड के लिए कानूनी और कर सलाहकार और ट्रस्टी नियुक्त किए गए हैं और यह निवेश प्रबंधन समझौते और योगदान समझौते का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है। ट्रस्ट का पंजीकरण हो चुका है और फंड के लिए सेबी के पास पंजीकरण पूरा होने की सूचना 25/09/2019 को मिली थी। कंपनी एसएमई फंड में निवेश के लिए संभावित निवेशकों से चर्चा करने की प्रक्रिया में है।

ग. एसबीआईकैप (यूके) लिमिटेड (एसयूएल)

एसयूएल, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एसयूएल अपने आपको यूके एवं यूरोप में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के रिलेशनशिप आउटफिट के रूप में स्थापित कर रही है। एसबीआईकैप के व्यवसाय उत्पादों के विपणन के लिए इसने विदेशी संस्थागत निवेशकों, वित्तीय संस्थानों, कानूनी फर्मों, लेखा फर्मों आदि के साथ संबंध बनाए रखा है। एसबीआई लंदन के पास भी एसयूएल द्वारा किए जानेवाले कार्यों को अंजाम देने के लिए अपेक्षित विनियामक अनुमोदन प्राप्त है। परिचालन दक्षता में बढ़ोतरी और लागत को कम करने के लिए, एसयूएल को बंद करने और एसबीआई लंदन के माध्यम से एसयूएल द्वारा संचालित व्यवसाय को पूरा करने का निर्णय लिया गया है।

घ. एसबीआईकैप (सिंगापुर) लिमिटेड (एसएसजीएल)

एसएसजीएल, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एसएसजीएल ने दिसंबर 2012 में व्यवसाय आरंभ किया। एसबीआईकैप के व्यवसाय उत्पादों के विपणन हेतु विदेशी संस्थागत निवेशकों, वित्तीय संस्थानों, कानूनी फर्मों, लेखा फर्मों आदि के साथ संबंध बनाए जा रहे हैं। इसे विदेशी मुद्रा बॉन्ड के विपणन तथा एसबीआईकैप सिक्युरिटीज़ के लिए ग्राहक लाने में विशेषज्ञता हासिल है।

ङ. एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)

एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल), एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एसटीसीएल ने 01 अगस्त 2008 से सिक्युरिटी ट्रस्टी व्यवसाय आरंभ किया। एसटीसीएल ने वित्त वर्ष 2019 में ₹14.90 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में ₹20.51 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। एसटीसीएल इंफ्रा परियोजनाओं, बड़े और मध्यम कॉरपोरेटों को उच्च मूल्य ऋण देने के लिए सुरक्षा ट्रस्टी सेवाएं प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाता है और उद्योग में अग्रणी सुरक्षा ट्रस्टी है। डिबेंचर/बॉन्ड मार्केट में डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में भी उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। एसटीसीएल ने वर्चुअल डेटा रूम (वीडीआर) प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जो तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के संभावित खरीदारों को एआरसी और उधारदाताओं द्वारा जानकारी के प्रसार में मदद करेगा।

2. एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड (एसबीआई डीएफएचआई)

(₹ करोड़)

सहायक कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई शेयर)	स्वामित्व %	वित्त वर्ष 2020 के लिए शुद्ध लाभ (हानियां)
एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	131.52	69.04%	176.34

एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ सबसे बड़े स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों में से एक हैं। प्राथमिक डीलर होने के कारण, यह अनिवार्य है कि प्राथमिक नीलामियों में पुस्तक निर्माण प्रक्रिया का समर्थन करे और सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजारों को गहराई और चलनिधि प्रदान करे। सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा, यह मुद्रा बाजार साधनों, गैर सरकारी प्रतिभूति ऋण लिखतों पर भी सौदा करते हैं। पीडी के रूप में , इनके व्यापार कार्यकलाप को आरबीआई द्वारा विनियमित किया जा रहा है।

कंपनी में भारतीय स्टेट बैंक समूह का 72.17% (एसबीआई-69.04% और एसबीआई कैपिटल मार्केट लि. 3.13%) हिस्सा है, जो 31 मार्च 2019 के ₹76.85 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2020 को ₹176.34 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। कुल तुलन पत्र का आकार 31 मार्च 2019 के ₹ 7,357.25 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2020 को ₹ 11,383.36 करोड़ रहा।

3. एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (एसबीआईसीपीएसएल) (इससे पहले एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राईवेट. लिमिटेड)

(₹ करोड़)

सहायक कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई शेयर)	स्वामित्व %	वित्त वर्ष 2020 के लिए शुद्ध लाभ (हानियां)
एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लि	652.63	69.51%	1,245 (कोविड पूर्व 1,662)

नोटः कोविड पूर्वः वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में अतरिक्त ऋण प्रावधान के लिए 489 करोड़ रुपये एवं विलंब शुल्क रिवर्सल के लिए 90 करोड़ रुपये को छोड़ने और कर के लिए समायोजन करने के बाद

एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लि. (एसबीआईसीपीएसएल) भारतीय स्टेट बैंक की अनुषंगी है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक का 69.51% हिस्सा है। एसबीआई कार्डस एंड पेमेंट्स (इससे पहले एसबीआई कार्डस एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.) (एसबीआई कार्ड) एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जिसका व्यक्तियों और कॉरपोरेट ग्राहकों को लाइफस्टाइल, रिवार्ड्स, यात्रा और ईंधन तथा बैंकिंग पार्टनरशिप कार्ड सहित व्यापक क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलिओ है। कॉरपोरेट कार्ड में आय प्रोफाइल और लाइफस्टाइल के अनुरूप सभी प्रकार के प्रमुख कार्डधारक वर्ग को शामिल किया गया है। उसके पास विविध प्रकार के ग्राहक जोड़ने का व्यापक नेटवर्क उपलब्ध है, जो संभावित ग्राहकों को विविध प्रकार के चैनलों के माध्यम से सेवाएं देती है।

इसके अलावा, एसबीआई कार्ड्स के आईपीओ द्वारा महत्वपूर्ण मूल्य सृजन की सूचना मिली है और आने वाले समय में मूल्य सृजन की मजबूत क्षमता के साथ भविष्य के उद्योग अग्रणियों को बनाने और पोषित करने की बैंक

श्री हरदयाल प्रसाद, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, एस.बी.आई कार्डस एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड दिनांक 16 मार्च 2020 को बम्बई स्टॉक एक्स्चेंज में एस बी आई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेस लिमिटेड के शेयरों की लिस्टिंग के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करते हुए

की क्षमता का एक मजबूत संकेत है । 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान, कंपनी ₹ 10 के 137,149,314 इक्विटी शेयरों के प्रारंभिक पब्लिक इश्यु निर्गमित किया, जिसमें 6,622,516 इक्विटी शेयरों का नया इश्यु और 130,526,798 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था। निर्गम की कुल राशि ₹ 1,034,078.82 लाख रही (शेयरधारकों की ₹ 984,146.35 लाख और कंपनी के ₹ 49,932.47 लाख की बिक्री)। कंपनी के इक्विटी शेयर 16 मार्च, 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर सूचीबद्ध किए गए थे।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2019 के ₹ 865 करोड़ की तुलना में 44% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर पर वित्त वर्ष 2020 में ₹ 1,245 करोड़ का कर-पश्चात (पीएटी) लाभ दिया (वित्त वर्ष 2020 में 92% की वर्षानुवर्ष वृद्धि पर कोविड पूर्व पीएटी ₹ 1,662 करोड़)।

वित्तीय प्रदर्शन (वित्त वर्ष 2020)

- पीएटी 44% से बढ़कर ₹ 1,245 करोड़ रहा (कोविड पूर्व ₹1,662 करोड़; 92% वृद्धि)।
- आरओएए 64 आधार अंक से बढ़कर 5.5 % रहा (कोविड पूर्व 7.2 %)
- आरओएई 27.4% पर (वित्त वर्ष 19: 28.4%; वित्त वर्ष 20 कोविड पूर्व 35.0% पर)
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 22.4% पर (वित्त वर्ष 2019: 20.1%); टियर 1 17.7% पर (वित्त वर्ष 2019: 14.9%)

महत्वपूर्ण मेट्रिक्स

- कार्ड की संख्या में 28% वृद्धि होकर ₹ 1.05 करोड़ हुई, खर्च 27% बढ़कर ₹130,915 करोड़ रुपये हो गया, प्राप्य राशियां 30% से बढ़कर ₹24,141 करोड़ हुईं।
- बाजार अंश- कार्ड 18.2%, 68 आधार अंक की बढ़ोतरी; खर्च 17.9% पर, 77 आधार अंक बढ़ोतरी (जनवरी 20 तक)
- लागत की तुलना में आय अनुपात में 388 आधार अंक वृद्धि के फलस्वरूप 56.6%
- सकल एनपीए में 43 आधार अंक कमी के कारण 2.01% तक सुधार

वित्त वर्ष 20 के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण पुरस्कार:

- सबसे कारगर व्यवस्था: लंदन में वैश्विक 'अनुपालन रजिस्टर प्लेटिनम पुरस्कार 2019' में वित्तीय अपराध रोकथाम और प्रतिबंध अनुपालन पुरस्कार।
- सैन फ्रांसिस्को में 2019 में वर्ष के ग्राहक सेवा विभाग की श्रेणियों में गोल्डन ब्रिज पुरस्कार
- वियाना में अंतरराष्ट्रीय बिजनेस अवार्डस द्वारा 2019 में वर्ष के ग्राहक सेवा कार्यपालक के लिए स्टीव (गोल्ड अवार्ड) और वर्ष के ग्राहक सेवा विभाग के लिए स्टीव (रजत पुरस्कार)
- शंघाई, चीन में आयोजित वीजा सुरक्षा सम्मिट 2019 में दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए चैंपियन सुरक्षा पुरस्कार।

4. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ)

(₹ करोड़)

सहायक कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई शेयर)	स्वामित्व %	वित्त वर्ष 2020 के लिए शुद्ध लाभ (हानियां)
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	575.99	57.60%	1,422

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत की अग्रणी सूचीबद्ध जीवन बीमा कंपनी में से एक है। 2001 में स्थापित यह कंपनी विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत और समूह बीमा समाधान मुहैया कराती है, जो ग्राहकों के जीवन काल के विभिन्न चरणों की जरूरतों को पूरा करती है। उत्पादों में बचत, संरक्षण, पेंशन, स्वास्थ्य आदि शामिल हैं। 31 मार्च, 2020 तक भारतीय स्टेट बैंक और बीएनपी पारिबास कार्डिफ जैसे प्रमोटरों के पास क्रमशः 57.6% और 5.2% इक्विटी शेयर पूंजी मौजूद थी। इस कंपनी के ईक्विटी शेयर नेशनल स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएससी) एवं बंबई स्टाक एकस्चेंज लिमिटेड (बीएससी) में सूचीबद्ध किए गए हैं।

एसबीआई लाइफ के पास बहुविध संवितरण नेटवर्क है, जिसमें स्टेट बैंक भारत का बड़ा बैंक एश्योरेंस भागीदार है, सहित व्यापक बैंक एश्योरेंस चैनल, 31 मार्च 2020 को 130,418 एजेंटों वाला वैयक्तिक एजेंट नेटवर्क तथा सीधी बिक्री एवं कॉरपोरेट एजेंटों, ब्रोकरों, बीमा विपणन संस्थाओं एवं अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं के जरिए बिक्री सहित अन्य संवितरण चैनल शामिल हैं।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने बीमा व्यापार को विस्तारित करने और व्यावहारिक एवं विवेकपूर्ण कार्यनीति के जरिए वैयक्तिक नियमित बिजनेस पर ध्यान देने, बिक्री दल द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा बनाए रखने के एकमात्र उद्देश्य से सुदृढ़ एवं स्थायी रीति से कार्य किया और स्थायी बाजार स्थिति बनाई। कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में निजी बीमा कंपनियों के बीच नए बिजनेस प्रीमियम में प्रथम स्थान पर रहते हुए यह साबित कर दिया कि वह बाजार में अग्रणी है।

वैयक्तिक व्यवसाय हमेशा से ही कंपनी की प्रमुख कार्यनीति का हिस्सा रहा है। 4% उद्योग वृद्धि दर की तुलना में वैयक्तिक नए बिजनेस प्रीमियम में कंपनी की 17% वृद्धि परिलक्षित हुई। 31 मार्च 2020 को सभी निजी बीमाकर्ताओं के बीच एसबीआई लाइफ रिटेल नया व्यवसाय प्रीमियम का हिस्सा 22.4% रहा। वित्त वर्ष 2020 के लिए कंपनी का कुल नया व्यवसाय ₹16,592 करोड़ रहा, जो 26% अधिक है।

जारी की गई पॉलिसियों की संख्या के अनुसार निजी बीमाकर्ताओं के बीच कंपनी की स्थिति अग्रणी रही, वित्त वर्ष में जीवन बीमाकर्ताओं के बीच पूरे देश में व्यापक कवरेज एवं मजबूत बाजार स्वीकृति परिलक्षित होती है। इस अवधि में कुल 15,51,862 नई वैयक्तिक पॉलिसियां जारी की गईं और इसमें 2% की वृद्धि हुई।

एसबीआई लाइफ ने वित्त वर्ष 2019 में ₹1,327 करोड़ के शुद्ध लाभ की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में ₹1,422 करोड़ का लाभ दर्ज किया, जो 7% की वृद्धि है। यह निजी जीवन बीमा कंपनियों में प्रबंधन के तहत सबसे बड़ी संपत्ति है। कंपनी के एयूएम ने 31 मार्च 2020 तक 14% की वृद्धि दर्ज की, जिससे यह ₹1,60,363 करोड़ रही, जबकि 31 मार्च 2019 तक यह ₹1,41,024 करोड़ थी। 31 मार्च 2020 को 20.5% के एम्बेडेड मूल्य पर परिचालन प्रतिलाभ, अपने वर्ग में सबसे अच्छे में से एक है।

अपने 937 कार्यालय नेटवर्क के माध्यम से अपनी व्यापक पहुंच का उपयोग करते हुए, एसबीआई लाइफ ने व्यवस्थित ढंग से अपने व्यापक ग्रामीण नेटवर्क को बीमा सुविधाएँ उपलब्ध कराईं।

वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कार और सम्मान:

1. आईसीसी इमर्जिंग एशिया इंश्योरेंस कॉन्क्लेव एंड अवाड्र्स 2019 में 'सर्वश्रेष्ठ जीवन बीमा कंपनी' पुरस्कार।
2. गोल्ड अवार्ड विजेता - आउटलुक मनी कॉन्क्लेव एंड अवाड्र्स में वर्ष 2019 (निजी क्षेत्र) के जीवन बीमा प्रदाता पुरस्कार।
3. ईटी इंश्योरेंस सम्मिट 2019 में बृहद् श्रेणी में "स्मार्ट लाइफ इंश्योरेंस अवार्ड" पुरस्कार।
4. आईसीएआई पुरस्कार 2019 में "वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता" के लिए स्वर्ण शील्ड पुरस्कार।
5. डून एंड ब्रैडस्ट्रीट द्वारा बीएफएसआई सम्मिट एंड अवार्डस 2019 में 'भारत की अग्रणी जीवन बीमा कंपनी - निजी' श्रेणी के तहत कंपनी प्रदर्शन पुरस्कार।

5. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईएफएमपीएल)

(₹ करोड़)

सहायक कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई शेयर)	स्वामित्व %	वित्त वर्ष 2020 के लिए शुद्ध लाभ (हानियां)
एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	31.50	63%	603.45
एसबीआई म्युचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.	0.10	100%	1.95
एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा.लि.	100% एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा.लि. द्वारा	63%	2.41

एसबीआईएफएमपीएल, एसबीआई और अमुंडी (फ्रांस) के बीच का संयुक्त उद्यम है, जो दुनिया की अग्रणी फंड प्रबंधन कंपनियों में से एक है। 2019-20 में 10.4% के औद्योगिक औसत की तुलना में 31.5% से ज्यादा वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली एएमसी में से एक है। पिछले तीन वर्षों में एसबीआईएफएम ने करीब 13.9% के औद्योगिक औसत की तुलना में 33.4% का सीएजीआर हासिल की है।

क्यूएएयूएम के अनुसार 31 मार्च को समाप्त तिमाही को यह फंड दो रैंक का सुधार करते हुए भारत के सबसे बड़ी म्युचुअल फंड मैनेजर रही, जिसके तिमाही औसत प्रबंध के तहत परिसंपत्तियाँ ₹3,73,537 करोड़ रहीं। 31 मार्च 2020 को एसबीआईएफएमपीएल के प्रबंध तथा परामर्श के तहत ₹10,33,663 करोड़ की कुल संपत्तियां थीं।

एसबीआईएफएमपीएल के पास वर्ष के दौरान जोड़े गए 13 लाख ग्राहकों सहित लगभग 109 लाख निवेशकों का सबसे बड़ा निवेशक आधार मौजूद है। कंपनी के पास 1236 रिटायरमेंट फंडों को मिलाकर 14.5 लाख प्रत्यक्ष निवेशक और 2.5 लाख संस्थागत निवेशक हैं। एसबीआईएफएमपीएल देश का सबसे बड़ा ईटीएफ प्रबंधक है।

भारतीय लेखा मानक (आईएडीएएस) के तहत एसबीआईएफएमपीएल ने मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान अर्जित किए ₹427.54 करोड़ की तुलना में मार्च 2020 वर्ष की समाप्ति के दौरान ₹603.45 करोड़ का कर पश्चात लाभ अर्जित किया। मार्च 2019 की तिमाही के दौरान 11.59% बाजार में हिस्सेदारी के साथ ₹2,83,807 करोड़ की औसतन प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों की तुलना में कंपनी के औसतन प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (एयूएम) मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान 13.82% बाजार में हिस्सेदारी के साथ ₹3,73,537 करोड़ थी। इस कंपनी के पास एसबीआई फंड प्रबंधन (अंतरराष्ट्रीय) प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक पूरी स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी है, जो मॉरीशस में स्थित है और ऑफ-शोर फंड का प्रबंधन करती है। एसबीआईएफएमपीएल पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं (पीएमएस) और विकल्प निवेश फंड उपलब्ध कराती है।

6. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड (एसबीआईजीएफएल)

(₹ करोड़)

सहायक कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई शेयर)	स्वामित्व %	वित्त वर्ष 2020 के लिए शुद्ध लाभ (हानियां)
एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	137.79	86.18%	16.77

एसबीआईजीएफएल घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अग्रणी फैक्टरिंग सेवाएँ मुहैया कराती है। एसबीआई की इस कंपनी में 86.18% शेयरधारिता है। कंपनी की सेवाएं ऐसे एमएसएमई ग्राहकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं, जो बही ऋणों में फंसे संसाधनों को मुक्त कराना चाहते हैं। फैक्टर्स चेन इंटरनेशनल (एफसीआई) का सदस्य होने के कारण कंपनी निर्यात प्राप्य राशियों से होने वाले क्रेडिट जोखिम को 2-फैक्टर मॉडेल के तहत कम करने में सक्षम है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2019 में ₹ 4.28 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में ₹40.28 करोड़ का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) रिपोर्ट किया। गत वर्ष में ₹ 4.28 करोड़ की तुलना में चालू वर्ष में कर पश्चात लाभ (पीएटी) ₹ 16.77 करोड़ है (आईएनडी एएस के अनुसार)। वित्त वर्ष 2019 के ₹ 4,387 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में 12 माह के दौरान ₹ 4,394 करोड़ टर्नओवर रहा है। 31 मार्च 2019 को ₹ 1,374 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2020 के दौरान ₹ 1,317 करोड़ फंड इन यूस (एफआईयू) रहा। यद्यपि पिछले वर्ष के ₹1211 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में औसत फंड इन यूस बढ़कर ₹1305 करोड़ रहा। गत वर्ष के ₹108.64 करोड़ की तुलना में कंपनी की कुल आय बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में ₹118.65 करोड़ रही।

7. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआईजीआईसी)

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनी का नाम	स्वामित्व (शेयर पूँजी - एसबीआई की हितधारिता)	स्वामित्व का %	वित्त वर्ष 2020 में शुद्ध लाभ (हानि)
एसबीआई जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड	151 करोड़	70%	412

एसबीआईजीआईसी, भारतीय स्टेट बैंक एवं आस्ट्रेलिया की आईएजी लिमिटेड की अनुषंगी आईएजी इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के बीच का संयुक्त उद्यम है। वर्ष 2018 के मध्य में लघु विनिवेश के बाद अब कुल पूंजी में से एसबीआई की 70% हिस्सेदारी है, जबकि आईएजी जो पूर्व का 26% का संयुक्त उद्यम भागीदार था, ने अपने पूरे हिस्से का विनिवेश कर मार्च 2020 में पूर्ण रूप से बाहर आ गया। 4% की एसबीआई की विनिवेश ईक्विटी पीआई आपर्चुनिटीज फंड-1 (2.35%) एवं एक्सिस न्यू आपर्चुनिटीज फंड-एआईएफ-1 (1.65%) रखी गई है, जबकि आईएजी के 26% हिस्से को नेपियन आपर्चुनिटीज एलएलपी (16.01%) एवं हनी वीट इन्वेस्ट्मेंट्स लिमिटेड (9.99%) द्वारा खरीदा गया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस भारत की पहली गैर-जीवन बीमा कंपनी बन गई है, जिसने अपने एक दशब्दी के परिचालनों में 6000 करोड़ रुपए को पार किया है।

कंपनी की प्रगति की आकांक्षा की आधारशिला, व्यवसाय उद्देश्यों को पूरा करने तथा लाभप्रदता बढ़ाने हेतु अन्य चैनलों एवं उत्पादों को विकसित करते हुए बैंक चैनल पर केंद्रित है। वित्त वर्ष 2020 में कोविद-19 के कारण उत्पन्न संकट का सामना करने के लिए एसबीआई जनरल ने सख्त व्यवसाय निरंतरता योजना पर ध्यान दिया है और क्षमताएँ भी विकसित किया है। कंपनी ने लाभप्रद संवृद्धि, कुशल व्यय प्रबंधन एवं व्यवसाय निरंतरता योजना का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियाँ भी बनाई है, जिनका वित्त वर्ष 2020 में पर्याप्त लाभ मिला।

एसबीआई जनरल ने वित्त वर्ष 2020 में 6,840 करोड़ रुपए का कुल लिखित प्रीमियम (जीडब्ल्यूपी) दर्ज किया है, जो 12% की उद्योग संवृद्धि की तुलना में 45% वृद्धि है।

वित्त वर्ष में एसबीआई जनरल ने 412 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया। कंपनी ने वित्त वर्ष के 470 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में 564 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया, जो 20% वृद्धि है।

वित्त वर्ष 2020 में कंपनी का कुल मार्केट शेयर सभी सामान्य बीमा कंपनियों के बीच 3.59% रहा, जबकि वित्त वर्ष 2019 में यह 2.77% रहा। एसबीआई जनरल निजी बीमा कंपनियों में 8वे स्थान और उद्योग में 13वे स्थान पर है। एसबीआईजीआईसी वित्त वर्ष 2020 में 'व्यक्तिगत दुर्घटना' एव "आग" के मामले में गैर-सरकारी बीमा कंपनियों और समग्र इंडस्ट्री दोनों में अग्रणी रहा है।

एसबीआई जनरल को लगातार चौथी बार अत्यधिक दावों के भुगतान की क्षमता रखने के लिए आईसीआरए की एएए रेटिंग प्राप्त हुई। कंपनी को आउटलुक मनी पुरस्कारों में "वर्ष के गैर-जीवन बीमा सुविधाप्रदाता" श्रेणी में "सिल्वर" पुरस्कार मिला। साथ ही कंपनी को छठे ईटी इन्श्युरेंस सम्मिट के दौरान बीमा खंड के अंतर्गत दूसरे बीमा पुरस्कारों में से स्मार्ट जीआई कंपैक्ट पुरस्कार भी मिला। उपर्युक्त पुरस्कारों के अलावा, कंपनी को वित्त वर्ष 2020 के दौरान कई प्रतिष्ठात्मक पुरस्कार भी मिले।

8. एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआई-एसजी)

एसबीआई-एसजी भारतीय स्टेट बैंक और सोसाइटी जेनरल के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें एसबीआई की हिस्सेदारी 65% है। कंपनी की स्थापना एसबीआई समूह द्वारा प्रस्तावित प्रमुख वित्तीय सेवाओं की श्रृंखला को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कस्टोडियल एवं फंड प्रशासन की पेशकश करने के लिए की गई थी। एसबीआई-एसजी ने 2010 में वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। 31 मार्च 2020 को कंपनी का निवल लाभ ₹ 61.96 करोड़ था, जबकि 31 मार्च 2019 को ₹ 34.45 करोड़ था। संचित लाभ 141.86 करोड़ रुपए है।

मार्च 2020 तक एसेट्स अंडर कस्टडी ₹ 7,33,983 करोड़ हो गई, जबकि मार्च 2019 तक ये ₹ 5,40,919 करोड़ थी। औसत एसेट्स अंडर एडमिनिस्ट्रेशन मार्च 2020 में ₹ 5,43,697 करोड़ था, जबकि मार्च 2019 में यह ₹ 3,18, 198 करोड़ था।

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई ब्याज)	स्वामित्व का%	शुद्ध लाभ वित्तीय वर्ष 2019-20
एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	52	65%	61.96

9. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईपीएफपीएल)

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई की हिस्सेदारी)	स्वामित्व का %	वित्त वर्ष 2020 को निवल लाभ (हानियाँ)
एसबीआई पैंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड *	18	60%	2.28

*एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड तथा एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड में से प्रत्येक की कंपनी में 20% इक्विटी होल्डिंग है।

नैशनल पेंशन फंड सिस्टम (एनपीएस) के अंतर्गत पेंशन निधि के प्रबंध का कार्य एसबीआईपीएफपीएल तथा छह अन्य पेंशन फंड मैनेजरों (पीएफएम) को सौंपा गया है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा केंद्रीय सरकार (सशस्त्र बलों को छोड़कर) तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के पेंशन फंडों के प्रबंध के लिए नियुक्त तीन पीएफएम में तथा निजी क्षेत्र के पेंशन फंडों के लिए नियुक्त सात पीएफएम में एसबीआईपीएफपीएल शामिल है। 31 मार्च 2019 को ₹ 1,21,959 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2020 को कंपनी की कुल प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) ₹ 1,60,491 करोड़ (वर्षानुवर्ष 32% की संवृद्धि) थीं।

प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) के मामले में सरकारी तथा निजी क्षेत्र पीएफएम के बीच कंपनी की अग्रणी स्थिति बनी हुई है। प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) में कंपनी का कुल मार्केट शेयर निजी क्षेत्र में 58% तथा सरकारी सैक्टर में 35% था।

आउटलुक मनी ने वर्ष 2019 के दौरान पेंशन फंड मैनेजर श्रेणी में कंपनी को "सिल्वर अवार्ड" विजेता घोषित किया है। आउटलुक मनी से कंपनी को यह पुरस्कार लगातार पाँचवी बार प्राप्त हुआ है।

कंपनी ने नैशनल पेंशन प्रणाली के अंतर्गत प्वाइंट ऑफ प्रेसेंस के रूप में कार्य करने के लिए विनियामक (पीएफआरडीए) से लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। इस संबंध में कंपनी ने डिजिटल पीओपी प्लेटफार्म तैयार किया है और यह मार्च 2020 से पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। कंपनी ने अपने पहले कॉरपोरेट ग्राहक का सफलतापूर्वक पंजीकरण किया है।

10. एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईआईएमएस)

एसबीआईआईएमएस आपके बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, जिसका गठन 17 जून 2016 को किया गया। यह कंपनी अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय वाले केंद्रों पर 17 मंडल कार्यालयों के साथ कार्य कर रही है। भारतीय स्टेट बैंक के परिसरों और एस्टेट संबंधी मामलों में विशेषीकृत सेवाएँ देना तथा भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों को गैर-मुख्य गतिविधियों से संबंधित कार्य से मुक्ति दिलाना कंपनी का उद्देश्य है।

एसबीआईआईएमएस ने आपके बैंक से जहां है, जैसा है आधार पर सभी चल रही परियोजनाओं को ले लिया है और उनका कार्य कुशलतापूर्वक कर रहा है। एसबीआईआईएमएस ने पूरे भारत में भारतीय स्टेट बैंक के पुराने साइनेज के स्थान पर "एकसमान साइनेज परियोजना" को सफलतापूर्वक पूरा किया है। एसबीआईआईएमएस ने आपके बैंक की प्रतिष्ठात्मक "एकसमान शाखा सुंदरीकरण परियोजना" को पूरा करने की चुनौती भी ली है, जिससे भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं और भी सुंदर एवं आकर्षक बन जाएंगी।

11. एसबीआई फाउंडेशन

एसबीआई एवं उसके सहयोगियों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों से जुड़े कार्यों पर योजनाबद्ध तरीके से ध्यान केंद्रित करने के लिए कंपनी अधिनियम (2013) की धारा VIII की कंपनी के तौर पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वर्ष 2015 में एसबीआई फाउंडेशन की स्थापना की गई।

एसबीआई फाउंडेशन का लक्ष्य वंचित एवं कमज़ोर समुदाय के सामाजिक-आर्थिक कल्याण की दिशा में काम करते हुए समाज से अर्जित संसाधनों में से कुछ राशि सामाजिक कार्यों में लगाना है। आपका बैंक पूरे देश में 'बैंकिंग से परे सेवा' उपलब्ध कराने की दृष्टि से जनसाधरण के जीवन को प्रभावित करने की दिशा में सक्रियता से कार्यरत है।

वर्तमान में एसबीआई फाउंडेशन किसी क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी भारतीयों की सेवा के लिए समावेशी विकास प्रतिमान सृजित करने की दृष्टि से तथा अग्रसर भारत को गति देने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहा है। वित्त वर्ष 2020 के लिए एसबीआई फाउंडेशन ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत कुल ₹ 14.65 करोड़ व्यय किए हैं। बैंक एवं उसके सहयोगियों से ₹ 27.81 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था। शेष/व्यय न की गई निधियों को चल रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए रखा गया है और इनका उपयोग आने वाले महीनों में किया जाएगा।

एसबीआई फाउंडेशन द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य नीचे दिए गए हैं:

- **प्रमुख कार्यक्रम**: एसबीआई फाउंडेशन के तीन प्रमुख कार्यक्रम हैं:
  - i) एसबीआई यूथ फॉर इंडिया: एसबीआई यूथ फॉर इंडिया (वाईएफआई) एक 13 महीनों का ग्रामीण कार्यक्रम है, जो भारत के बेहतरीन युवा लोगों को ग्रामीण समुदायों के लिए कार्य करने हेतु जोड़ देता है।
  - ii) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र: यह दिव्यांग व्यक्तियों को साधिकार देने के लिए उन्हें केंद्रीकृत सहायता प्रदान करने का कार्यक्रम है।
  - iii) एसबीआई ग्राम सेवा-इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 6 राज्यो के 50 गाँवों का समग्र विकास करना है। एसबीआई फाउंडेशन को आबंटित राशि में से लगभग 55% राशि का व्यय प्रमुख कार्यक्रमों के लिए किया गया।
- **शिक्षा के अंतर्गत कार्यक्रम:** वंचित वर्ग के विकास में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा सबसे शक्तिशाली और परखा हुआ तरीका है। इस दिशा में भारत के शिक्षा क्षेत्र के प्रमुख अवरोधों को दूर करना भारतीय स्टेट बैंक का लक्ष्य है। इसके लिए अहमदाबाद की गंदी बस्तियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा देने, मेघालय के 3,000 आंगनवाडी केन्द्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने जिससे 60,000 छात्रों को लाभ मिलेगा और बच्चों एवं उनकी देखरेख करने वालों को वैयक्तिक सुरक्षा शिक्षा एवं शिशु यौन शोषण रोकने का प्रशिक्षण देने जैसे कार्य आपके बैंक द्वारा किए गए हैं। वित्त वर्ष 2020 में शिक्षा परियोजनाओं पर 11% निधियों का उपयोग किया गया।
- **स्वास्थ्य सेवा परियोजनाएं:** एसबीआई फाउंडेशन समाज के वंचित वर्ग के जीवन में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। वह इसके लिए अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु गुणवत्ता वाली मुफ्त एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रकार के पहल कर रहा है। इनमें अंग दान,

घर पर मरणासन्न रोगियों की सेवा एवं रोगनाशक उपचार सेवाएँ, न सुन पाने वाले बच्चों के लिए सुनने के यंत्र देने, कैंसर रोगियों के लिए चिकित्सा सहायता, चार पहिया वाहनों पर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने एवं स्किलिंग परीक्षण का समर्थन कर लाल खून की कोशिका के नुकसान को कम करने जैसे पहल शामिल हैं। वित्त वर्ष 2020 में स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं पर 13% निधियों का उपयोग किया गया।

- **स्वास्थ्य रक्षा पर फ्लैगशिप प्रोग्राम की शुरुआत:** कोविड-19 से उत्पन्न गंभीर चुनौती और स्वास्थ्य क्षेत्र पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए फाउंडेशन ने हेल्थकेयर पर एक नया प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य समान विचारधारा वाले संगठनों के सहयोग से भारत में कोविड-19 को हराने के लिए सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के संभावित क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें लागू करना है, जिससे कि स्वास्थ्य संरचना और निदान सुविधाओं, रोगी प्रबंधन को बेहतर बनाया सके, स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाया जा सके और जनता के लिए सामान्य जागरूकता पैदा किया जा सके।

एसबीआई द्वारा प्रायोजित आरआरबी

हमारे देश की दो तिहाई आबादी ग्रामीण - भारत में निवास करती है, और यह भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए विशाल लेकिन कम पहुंच वाला क्षेत्र है। हमारे द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विशाल नेटवर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सुस्थापित है तथा उसके पास इस परिदृश्य से निपटने की पूरी संभावना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने विशाल खाता आधार एवं दशकों की अर्जित विश्वास सेवा परंपरा के कारण अन्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। इसमें ग्रामीण ग्राहकों के साथ उनकी निकटता बढ़ती जाती है।

- भारतीय स्टेट बैंक के 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जो कि 15 विभिन्न राज्यों में कारोबार कर रहे हैं। इन आरआरबी की कुल 5,318 शाखाएं हैं, जो 226 जिलों (31 दिसंबर 2020 तक) में फैली हैं।
- इलाकाई देहाती बैंक (36.27%), मध्यांचल ग्रामीण बैंक (35.46%) एवं उत्कल ग्रामीण बैंक (36.51%) को छोड़कर प्रत्येक आरआरबी में 31 मार्च 2020 को भारतीय स्टेट बैंक की 35% हिस्सेदारी है, जबकि भारत सरकार के पास 50% तथा बकाया 15% की हिस्सेदारी संबंधित राज्य सरकार के पास है।
- एसबीआई प्रायोजित आरआरबी भी देश में परिचालित वाणिज्यिक बैंकों के समान ही बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। इन बैंकों ने बेहतरीन कार्यप्रणाली अपनाई है तथा अपने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण द्वारा ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने की स्थिति में हैं।

12. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक के स्वामित्व का प्रतिशत

क्र	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	%
1	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	35.00%
2	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	35.00%
3	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	35.00%
4	इलाकाई देहाती बैंक $$	36.27%
5	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	35.00%
6	मध्यांचल ग्रामीण बैंक##	35.46%
7	मेघालय ग्रामीण बैंक	35.00%
8	मिजोरम ग्रामीण बैंक	35.00%
9	नागालैंड ग्रामीण बैंक	35.00%
10	पूर्वांचल बैंक	35.00%
11	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	35.00%
12	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	35.00%
13	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	35.00%
14	उत्कल ग्रामीण बैंक**	36.51%
15	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	35.00%

$$ प्रयोजक बैंक एवं राज्य सरकार ने अनुमोदित नई शेयर पूंजी में अपने हिस्से के रूप में क्रमशः 5.48 करोड़ रुपए एवं 2.35 करोड़ रुपए ले आए हैं। चूंकि केंद्र सरकार द्वारा अपने हिस्से के रूप में 7.83 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी ले आना बाकी है, अतः केंद्र सरकार द्वारा शेष पूंजी ले आने पर हमारा हिस्सा 35% होगा।

प्रयोजक बैंक एवं भारत सरकार ने अनुमोदित नई शेयर पूंजी में अपने हिस्से के रूप में क्रमशः 8.91 करोड़ रुपए एवं 12.73 करोड़ रुपए ले आए हैं। चूंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शेयर पूंजी के आनुपातिक हिस्से के रूप में 3.82 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी ले आना बाकी है, अतः मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शेष पूंजी ले आने पर हमारा हिस्सा 35% होगा।

**प्रायोजक बैंक एवं भारत सरकार ने अनुमोदित नई शेयर पूंजी में अपने हिस्से के रूप में क्रमशः 93.856 करोड़ रुपए एवं 134.08 करोड़ रुपए ले आए हैं। चूंकि ओडिशा सरकार द्वारा शेयर पूंजी के आनुपातिक हिस्से के रूप में 40.22 करोड़ रुपए ले आना बाकी है, अतः ओड़ीसा सरकार द्वारा शेष पूंजी ले आने पर हमारा हिस्सा 35% होगा।

वित्त वर्ष 2020 के व्यवसाय के उल्लेखनीय तथ्य:

- 31 मार्च 2020 को 15 आरआरबी की समग्र जमाराशियां एवं अग्रिम क्रमशः ₹1,07,539 करोड़ एवं ₹ 62,469 करोड़ थी।
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लगातार चुनौतीपूर्ण व्यापक आर्थिक परिवेश के बाद भी पिछले वर्ष की तुलना में बैंक के कारोबार में सुधार हुआ। जमाराशियों में 11.59% तथा अग्रिमों में 11.65% की वर्षानुवर्ष वृद्धि हुई। संविभाग को विविधीकृत करने की विनियोजित कार्यनीति के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने आवास ऋण में 30.84% की वृद्धि की, जिससे यह 7,492.21 करोड़ रुपए हो गया।
- वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1,589.63 करोड़ रुपए के पेंशन के प्रावधान के बावजूद सभी आरआरबी ने मिलकर ₹260.29 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। बैंकों ने अपने प्रमुख बैंकिंग व्यवसाय पर केंद्रित रहकर, शुल्क आय को बेहतर करके एवं परिचालन लागत पर नियंत्रण रखते हुए अपनी आय में सुधार किया है।
- वर्तमान वित्त वर्ष में सभी आरआरबी का कुल मिलाकर सकल अनर्जक आस्ति अनुपात सुधरकर 6.37% हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में यह 6.97% था। पिछले वित्त वर्ष में शुद्ध एनपीए 3.32% था, जो अब 2.78% प्रतिशत रह गया है।
- चालू वित्त वर्ष में प्रति कर्मचारी व्यवसाय में ₹ 8.44 करोड़ (31 मार्च 2020 तक) का सुधार हुआ है, जो पिछले वित्त वर्ष में ₹ 7.35 करोड़ था।

वित्त वर्ष 2020 की प्रमुख घटनाएं:

समीक्षाधीन वर्ष में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

- जनवरी 2019 में, झारखंड राज्य में संचालित सभी आरआरबी के समामेलन संबंधी भारत सरकार के निर्देशानुसार बैंक की 35% हिस्सेदारी वाले 'वनांचल ग्रामीण बैंक' का समामेलन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के तहत की गई व्यवस्था के माध्यम से झारखंड ग्रामीण बैंक में कर दिया गया, जिसका प्रायोजक बैंक ऑफ इंडिया है। 1 अप्रैल 2019 से भारतीय स्टेट बैंक के प्रयोजन में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम "झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक होगा"।
- भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 26 नवंबर 2019 की अधिसूचना के अनुसार हमारे द्वारा प्रायोजित पूर्वांचल बैंक का समामेलन 1 अप्रैल 2020 से बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रायोजन में बड़ौदा यूपी बैंक के साथ किया जाएगा।
- 4,718 शाखाओं के नेटवर्क वाले 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आगामी वर्षों में दक्षतापूर्वक कार्य करने की आशा है। यह एसेट मेनेजमेंट हब नामक केंद्रीकृत ऋण संसाधन प्रणाली शुरू जाने के कारण हुआ।

अनुसूची V, भाग-ख, प्रबंध मंडल विवेचन एवं विश्लेषण :

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) (संशोधन) विनियम 2018 के अनुपालन में निम्नलिखित अनुपातों में 25% से अधिक परिवर्तन हुआ है, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है :

(% में)	मार्च 19	मार्च 20	परिवर्तन (आधार अंक)	% परिवर्तन
शुद्ध लाभ मार्जिन	0.31	4.79	448	1453.11
शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ	0.48	7.74	725	1495.77

शुद्ध लाभ मार्जिन :

शुद्ध लाभ में वर्षानुवर्ष 1580.31% (वित्त वर्ष 19 के 862 करोड़ रुपए के लाभ की तुलना में वित्त वर्ष 20 में 14,488 करोड़ रुपए का निवल लाभ) की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कुल आय में वर्षानुवर्ष केवल 8.19% (वित्त वर्ष 19 में 2,79,644 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 20 में 3,02,545 करोड़ रुपए) की वृद्धि हुई।

शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ :

शुद्ध लाभ में वर्षानुवर्ष 1580.31% (वित्त वर्ष 19 के 862 करोड़ रुपए के लाभ की तुलना में वित्त वर्ष 20 में 14.488 करोड़ रुपए का निवल लाभ) की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि बैंक की शुद्ध मालियत में वर्षानुवर्ष मात्र 9.79% (वित्त वर्ष 19 में 1,78,552 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 20 में 1,96,037 करोड़ रुपए) की वृद्धि हुई।

मोहाली (पंजाब) प्रशासनिक कार्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए बैंक के अध्यक्ष माननीय श्री रजनीश कुमार

VI. उत्तरदायित्व वक्तव्य

निदेशक बोर्ड एतदद्वारा सूचित करता है कि :

i. वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू लेखा मानकों का समुचित अनुपालन किया गया है और महत्वपूर्ण विचलनों की स्थिति में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ii. उन्होंने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं उनका सुसंगत प्रयोग किया है और ऐसे निर्णय तथा प्राक्कलन किए हैं, जो 31 मार्च 2020 को बैंक के कार्यकलाप और उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु बैंक की लाभ और हानि की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाने के लिए पर्याप्त एवं विवेकसम्मत हैं;

iii. उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखने हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

iv. उन्होंने वार्षिक लेखों को वर्तमान और भावी सतत अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया है;

v. बैंक द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं; और

vi. सभी प्रयोज्य क़ानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार की गई है तथा ऐसी प्रणाली पर्याप्त है और प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

VII. आभार

वर्ष के दौरान, श्री रवि मित्तल जो श्री रवि कुमार के स्थान पर 8 अगस्त 2019 से निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए थे, के स्थान पर श्री देवाशीष पांडा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 (ग) के तहत 24 जनवरी 2020 से शेयरधारकों के निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए। श्री संजीव माहेश्वरी भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 (घ) के तहत 20 दिसंबर से निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए तथा श्री चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी 20 जनवरी 2020 से बोर्ड में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।

श्रीमती अंशुला कान्त, प्रबंध निदेशक 31 अगस्त 2019 से बोर्ड से त्यागपत्र दिया तथा श्री पी के गुप्ता, प्रबंध निदेशक अधिवर्षिता आयु पर सेवानिवृत्त हुए। भारत सरकार द्वारा धारा 19 (घ) के अंतर्गत नियुक्त डॉ गिरीश आहुजा, निदेशक का कार्यकाल 5 फरवरी 2020 को पूरा हुआ। डॉ पुष्पेंद्र राय को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 (घ) के तहत भारत सरकार द्वारा 6 फरवरी 2019 से दो वर्षों की अवधि के लिए निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया।

निदेशक बोर्ड ने प्रबंध निदेशक श्रीमती अंशुला कान्त तथा निदेशक श्री राजीव कुमार, श्री रवि मित्तल एवं डॉ गिरीश आहुजा द्वारा बोर्ड की चर्चाओं में दिए गए योगदान की सराहना की है। निदेशकों ने नए निदेशक श्री संजीव महेश्वरी, श्री देवाशीष पांडा एव प्रबंध निदेशक श्री चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी का बोर्ड में स्वागत किया।

निदेशकों ने भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, आईआरडीए और अन्य सरकारी एवं विनियामक एजेंसियों से प्राप्त मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी अपनी कृतज्ञता प्रकट की है।

निदेशकों ने सभी महत्वपूर्ण ग्राहकों, शेयरधारकों, बैंक और वित्तीय संस्थाओं, शेयर बाज़ारों, रेटिंग एजेंसियों और अन्य हितधारकों को भी उनके संरक्षण एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और बैंक के कर्मचारियों के समर्पण भाव एवं प्रतिबद्धता की उन्होंने सराहना की है।

केंद्रीय निदेशक बोर्ड के
लिए और उनकी ओर से

अध्यक्ष

दिनांक : 5 जून 2020

कॉरपोरेट अभिशासन

अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

कॉरपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक प्रतिबद्ध है। बैंक मानता है कि उपयुक्त कॉरपोरेट अभिशासन विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन तक ही सीमित नहीं है। उपयुक्त अभिशासन से व्यवसाय के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण में सुविधा होती है, जिससे बैंक व्यावसायिक नैतिकता का उच्च स्तर बनाए रख सकता है और अपने हितधारकों को इष्टतम परिणाम दे सकता है। संक्षेप में इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- शेयरधारकों की पूंजी सुरक्षित रखना और उसमें वृद्धि करना।
- अन्य सभी हितधारकों, जैसे ग्राहक, कर्मचारी तथा समग्र समाज के हितों की रक्षा करना।
- संवाद में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित पक्षों को पूरी, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- निष्पादन तथा ग्राहक सेवा के लिए उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- उच्चतम स्तर का कॉरपोरेट नेतृत्व प्रदान करना, जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

बैंक निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करे, व्यवसाय एवं संचालन में प्रभावी नेतृत्व तथा अंतर्दृष्टि प्रदान करे और बैंक के निष्पादन की निगरानी करे।
- कार्यनीतिक नियंत्रण की रूपरेखा तय करना तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की निरंतर समीक्षा करना।
- नीति विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए स्पष्टतः प्रलेखित पारदर्शी-प्रबंधन-प्रणालियां स्थापित करना।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना, ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि कार्यकारी प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति अध्यक्ष उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदेह हों। अध्यक्ष तथा निदेशक बोर्ड की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों से भी निर्देशित होती है।
- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हों, तो उनकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 और सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ संशोधन विनियम 2018 के अनुसार बैंक ने कॉरपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। केवल वे मामले अपवाद हैं, जहाँ इन विनियमों के प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं। कॉरपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है:

केंद्रीय बोर्ड: भूमिका एवं संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955) से हुआ। केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन इस अधिनियम के अनुसार किया गया था।

बैंक का केंद्रीय बोर्ड एसबीआई अधिनियम और विनियम 1955 के प्रावधानों के अनुपालन में अपने कार्यों को पूरा करता है और उससे अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। इसकी प्रमुख भूमिकाओं में अन्य बातों के अलावा,

- बैंक के जोखिम प्रोफाइल की देखरेख करना शामिल है;
- अपने व्यापार और नियंत्रण तंत्र की अखंडता की निगरानी;
- विशेषज्ञ प्रबंधन सुनिश्चित करना, और
- अपने हितधारकों के हितों को अधिकतम करना।

केंद्रीय बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष कर रहे हैं, जो एसबीआई अधिनियम की धारा 19 (ए) के तहत नियुक्त किए गए हैं; एसबीआई अधिनियम की धारा 19 (बी) के तहत चार प्रबंध निदेशकों को भी बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक होते हैं। 31 मार्च, 2020 तक बोर्ड में नौ अन्य निदेशक थे जो प्रौद्योगिकी, लेखा, वित्त, अर्थशास्त्र और शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रख्यात पेशेवर हैं। 31 मार्च 2020 तक केंद्रीय बोर्ड की संरचना इस प्रकार थी:

- धारा 19 (क) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष,
- धारा 19 (ख) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त चार प्रबंध निदेशक,
- धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित चार निदेशक,
- धारा 19 (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन निदेशक*,
- धारा 19 (ङ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक (भारत सरकार का अधिकारी),
- और धारा 19 (च) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकारी)।

*डॉ. पुष्पेंद्र राय को भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.नंबर 6/19/2019-बीओ-आई दिनांक 29.04.2020 द्वारा 05.02.2020 के बाद दो वर्ष के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले है, के माध्यम से फिर से नामित किया गया था ।

निदेशक मंडल का गठन सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 17 (1) में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप है जो इस हद तक प्रभावी है जहां तक वह एसबीआई अधिनियम 1955 की धारा 19 का उल्लंघन नहीं करता है। निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है।

गैर - कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक - I में दिया गया है। विभिन्न बोर्डों/समितियों में सभी निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक-II में और बैंक में उनकी शेयरधारिता का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकें

बैंक के केंद्रीय बोर्ड की वर्ष में कम से कम छह बैठकें होती हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की सोलह बैठकें हुई थीं। बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है ।

2019-20 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की तारीखें और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की सं	:	16
बैठकों की तारीखें	:	24.04.2019, 10.05.2019, 29.05.2019, 20.06.2019, 01.07.2019, 24.07.2019, 02.08.2019, 04.09.2019, 25.10.2019, 27.11.2019, 18.12.2019, 08.01.2020, 31.01.2020, 18.02.2020, 05.03.2020, 27.03.2020

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद /पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	भाग लिए हुए बैठकों की सं.
श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष	16	16
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी- आरएंडडीबी (31.03.2020 तक)	16	16
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस	16	16
श्री अरिजित बसु, एमडी-सीसीजीएंडआईटी	16	15
श्रीमती अंशुला कांत एमडी-एसएआरसी (31.08.2019 तक)	07	06
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी (20.01.2020 से प्रभावी)	04	04
श्री संजीव मल्होत्रा	16	16
श्री भास्कर प्रामाणिक	16	13
श्री बसंत सेठ	16	16
श्री बी. वेणुगोपाल	16	12
डॉ. गिरीश के आहूजा (05.02.2020 तक)	13	10
डॉ. पुष्पेंद्र राय (05.02.2020 तक)*	13	13
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	16	16
श्री संजीव माहेश्वरी(20.12.2019 से प्रभावी)	05	05
श्री राजीव कुमार (08.08.2019 तक)	07	00
श्री रवि मित्तल (08.08.2019 से 24.01.2020 तक)	05	01
श्री देवाशीष पांडा (24.01.2020 से प्रभावी)	04	01
श्री चंदन सिन्हा	16	13

*भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.नं. 06/19/2019-बीओ-आई दिनांक 29.04.20 द्वारा 05.02.2020 के बाद दो वर्ष के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो पुनः निदेशक नामित

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 30 के अनुसार किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड की परिधि में आने वाले किसी भी मामले पर विचार कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) और भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल होते हैं। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जाती है। वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है -

2019-20 के दौरान ईसीसीबी बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की सं : 52

क्र. सं	निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद /पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	भाग लिए हुए बैठकों की सं.
1	श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष	52	50
2	श्री पी. के. गुप्ता, एमडी- आरएंडडीबी (31.03.2020 तक)	52	43
3	श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस	52	46
4	श्री अरिजित बसु, एमडी-सीसीजीएंडआईटी	52	48
5	श्रीमती अंशुला कांत -एमडी-एसएआरसी (31.08.2019 तक)	22	16
6	श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी (20.01.2020 से प्रभावी)	09	08
7	श्री संजीव मल्होत्रा	52	40
8	श्री बी. वेणुगोपाल	52	37
9	श्री संजीव माहेश्वरी (20.12.2019 से प्रभावी)	14	09
10	श्री चंदन सिन्हा	52	34
निदेशक जो आम तौर पर बैठकों के स्थान के निवासी नहीं हैं, लेकिन उस दिन उस स्थान पर मौजूद थे जहां बैठक आयोजित की गई थी/वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया गया था:			
11	श्री भास्कर प्रामाणिक	-	29
12	श्री बसंत सेठ	-	05
13	डॉ. पुष्पेंद्र राय	-	17
14	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	-	14

अन्य बोर्ड स्तरीय समितियाँ:

एसबीआई अधिनियम और सामान्य विनियमों, 1955 और सरकार/आरबीआई/सेबी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के संदर्भ में, केंद्रीय बोर्ड ने बोर्ड की अन्य दस बोर्ड स्तरीय समितियां गठित की है। ये हैं- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, हितधारकों की संबंध समिति, बड़े मूल्य धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति, आईटी रणनीति समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, बोर्ड की निगरानी के लिए बोर्ड समिति और समिति का गठन किया है ताकि विलफुल डिफॉल्टरों/ गैर-सहकारी उधारकर्ताओं की पहचान की समीक्षा की जा सके । ये समितियां ऑडिट और लेखा, जोखिम प्रबंधन, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का समाधान, धोखाधड़ी की समीक्षा और नियंत्रण, ग्राहक सेवा की समीक्षा और ग्राहक शिकायतों के निवारण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों, प्रोत्साहन का भुगतान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बोर्ड निरीक्षण में प्रभावी पेशेवर सहायता प्रदान करती हैं । कार्यकारी निदेशकों को प्रोत्साहन का भुगतान, ऋण और अग्रिमों की वसूली पर निगरानी, विलफुल डिफॉल्टरों/गैर-सहकारी उधारकर्ताओं की पहचान की समीक्षा और निदेशक के रूप में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के उपयुक्त होने की स्थिति का पता लगाने के लिए समिति का गठन किया गया है। जबकि नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक आवश्यकता पड़ने पर वर्ष मे कम से कम एक बार होती है, अन्य समितियां केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षाओं के कैलेंडर के अनुसार नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और/या डोमेन प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए आम तौर पर एक तिमाही में एक बार बैठक करती हैं। जब भी जरूरत होती हैं, समितियां बैंक के शीर्ष अधिकारियों की सेवाओं पर ध्यान देने के अलावा बाहरी विशेषज्ञों को भी बुलाती हैं। नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन आवश्यक उचित परिश्रम करने और शेयरधारकों द्वारा निदेशकों के रूप में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की फिट और उचित स्थिति पर पहुंचने के लिए किया जाता है और जरूरत पड़ने पर बैठक करता है । नामांकन समिति और पारिश्रमिक समिति भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर पूरे समय के निदेशकों को प्रोत्साहन के भुगतान को भी मंजूरी देती है । समितियों की बैठकों में हुई चर्चाओं के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट वाले मिनटों और कार्यवाहियों को केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति

बोर्ड (एसीबी) की ऑडिट कमेटी का गठन 27 जुलाई 1994 को और आखिरी बार 18 फरवरी 2020 को फिर से गठित किया गया था। एसीबी आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करती है और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और एलओडीआर संशोधन विनियमन 2018 के प्रावधानों का इस हद तक अनुपालन करती है कि वे आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों/दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

एसीबी के कार्य

क. एसीबी बैंक में कुल लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली के संचालन की देखरेख के साथ-साथ निर्देश प्रदान करती है । समस्त लेखा परीक्षा कार्य का तात्पर्य बैंक के भीतर आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के संगठन, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण और सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा, आरबीआई निरीक्षण के अनुपालन पर अनुवर्ती कार्रवाई से है । यह बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों की भी नियुक्ति करता है और समय-समय पर उनके प्रदर्शन की समीक्षा करता है ।

ख. एसीबी ने अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंक की वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा नीतियों और लेखा नीतियों/प्रणालियों की समीक्षा की।

ग. यही समिती बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा-परीक्षा कार्यप्रणाली, उसकी गुणवत्ता एवं अनुवर्तन की दृष्टि से प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह समिती निम्नलिखित के अनुवर्तन पर भी विशेष ध्यान देती है:

- के वाईसी-एएमएल दिशानिर्देश;
- हाउसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्र;
- सेबी का अनुपालन (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015; लेखा-परीक्षा समिती की कार्य प्रणाली और शर्तो की केंद्रीय समिती द्वारा 06.03.19 की बैठक मे सेबी (एलओडीआर) संशोधन विनियम 2018 के आधार पर समीक्षा की गई।

घ. यह बैंक में अनुपालन विभाग से रिपोर्ट प्राप्त करता है और समीक्षा करता है।

ड. एसीबी ने बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के तहत आरबीआई के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण में उठाए गए सभी मुद्दों और सांविधिक लेखा परीक्षकों और अन्य आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की लंबी फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई की। यह वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत करता है । लेखा परीक्षा समिति के एक औपचारिक 'लेखा परीक्षा चार्टर' या 'विचारार्थ विषय' को केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाने वाली समीक्षाओं का एक कैलेंडर भी लागू है, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है, अंतिम संशोधन 18 दिसंबर 2014 से प्रभावी होता है।

संरचना एवं 2019-20 के दौरान उपस्थिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में 31.03.2020 को आठ सदस्य हैं, जिनमें दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी निदेशक (भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) तथा चार गैर-सरकारी, गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक (चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इसके विधान तथा कोरम संबंधी अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की तेरह बैठकें आयोजित की गईं।

2019-20 के दौरान आयोजित एसीबी बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की सं. : 13

बैठकों की तारीखें : 10.04.2019, 09.05.2019, 04.06.2019, 17.07.2019, 01.08.2019, 26.09.2019, 10.10.2019, 24.10.2019, 20.11.2019, 27.12.2019, 30.01.2020, 27.02.2020, 18.03.2020

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद /पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	भाग लिए हुए बैठकों की सं.
श्री बसंत सेठ- 18.02.2020 से समिति के अध्यक्ष	13	12
डॉ. गिरीश के आहूजा - समिति के अध्यक्ष (05.02.2020 तक)	11	08
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी-आरएंडडीबी (31.03.2020 तक)	13	10
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (वैकल्पिक सदस्य के रूप में)	-	03
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (25.10.2019 से प्रभावी)	05	04
श्री अरिजित बसु-एमडी (सीसीजी एंड आईटी) (वैकल्पिक सदस्य के रूप में)	-	04
श्रीमती अंशुला कांत- एमडी-एसएआरसी- (31.08.2019 तक)	05	05
श्री भास्कर प्रामाणिक	13	08
श्री बी. वेणुगोपाल	13	12
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता (29.05.2019 से प्रभावी एवं 18.02.2020 तक)	09	05
श्री संजीव माहेश्वरी (18.02.2020 से प्रभावी)	02	01
श्री राजीव कुमार (08.08.2019 तक)	05	00
श्री रवि मित्तल (08.08.2019 से प्रभावी एवं 24.01.2020 तक)	05	01
श्री देवाशीष पांडा (24.01.2020 से प्रभावी)	03	01
श्री चंदन सिन्हा	13	12

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन 23 मार्च 2004 को किया गया था। यह समिति ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम के लिए समन्वित जोखिम प्रबंधम नीति और कार्यनीति करने हेतु गठित की गई है। समिति का पुनर्गठन पिछली बार 18 फरवरी 2020 को किया गया था। गैर-कार्यकारी निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं और इसमें सात सदस्य हैं। (आरएमसीबी) की बैठक एक साल में कम से कम चार बार होती है, प्रत्येक तिमाही में एक बार। 2019-20 के दौरान आरएमसीबी की सात बैठकें हुईं। आरएमसीबी की कार्यप्रणाली और शर्तों की बैठक मे सेबी (एलओडीआर) संशोधन विनियम 2018 के आधार पर समीक्षा की गई जो 01 अप्रैल 2019 से लागू हुआ।

2019-20 के दौरान आयोजित आरएमसीबी बैठकों की तारीख एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की सं. : 7

बैठकों की तारीखें : 12.06.2019, 18.06.2019, 11.09.2019, 15.11.2019, 26.12.2019, 17.02.2020, 26.03.2020

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद /पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	भाग लिए हुए बैठकों की सं.
श्री संजीव मल्होत्रा- समिति के अध्यक्ष	07	07
श्री पी के गुप्ता, एमडी-आरएंडडीबी (31.03.2020 तक)	07	05
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (वैकल्पिक सदस्य के रूप में)	-	03
श्री अरिजित बसु-एमडी (सीसीजी एंड आईटी) (वैकल्पिक सदस्य के रूप में)	-	01
श्री अरिजित बसु-एमडी (सीसीजी एंड आईटी) (25.10.2019 से प्रभावी)	04	04
श्रीमती अंशुला कांत - एमडी - एसएआरसी (31.08.2019 तक)	02	01
श्री भास्कर प्रामाणिक	07	05
श्री बसंत सेठ	07	06
श्री बी. वेणुगोपाल	07	07
डॉ. पुष्पेंद्र राय (05.02.2020 तक)*	05	05
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता (18.02.2020 से प्रभावी)	01	00

*भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.नं. 06/19/2019-बीओ-आई दिनांक 29.04.20 द्वारा 05.02.2020 के बाद दो वर्ष के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो पुनः निदेशक नामित

हितधारक संबंध समिति

सेबी के विनियमन 20 (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के अनुपालन में, हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी) (जिसे पहले शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति के रूप में जाना जाता था) बोर्ड (एसआईजीसीबी) का गठन किया गया था, जो शेयरों के हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होने, बांड/घोषित लाभांश आदि पर ब्याज प्राप्त न करने के संबंध में शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों की जांच करने के लिए बनाया गया था । समिति का अंतिम पुनर्गठन 18 फरवरी 2020 को किया गया था और इसमें छह सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता एक गैर-कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है। समिति की संरचना और उसकी भूमिका सेबी विनियमों का अनुपालन करती है। समिति ने 2019-20 के दौरान तीन बार बैठक की और शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की। एसआरसी की शर्तों में परिवर्तन 06.03.2019 को सेबी (एलओडीआर) संशोधन विनियम 2018 के आधार पर किया गया जो 01 अप्रैल 2019 से लागू हुआ।

2019-20 के दौरान आयोजित एसआरसी बैठकों की तारीख एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की सं. : 3

बैठकों की तारीखें : 18.04.2019, 17.07.2019, 16.10.2019

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद /पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	भाग लिए हुए बैठकों की सं.
श्री संजीव मल्होत्रा, समिति के अध्यक्ष (18.02.2020 से)	03	03
डॉ. पुष्पेन्द्र राय - समिति के अध्यक्ष(05.02.2020 तक)*	03	03
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी - आरएंडडीबी (31.03.2020 तक)	03	03
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (25.10.2019 से 18.02.2020 तक)	00	00
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (वैकल्पिक सदस्य)	--	01
श्रीमती अंशुला कान्त, एमडी-एसएआरस (31.08.2019 तक)	02	02
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी (18.02.2020 से)	00	00
श्री बी.वेणुगोपाल	03	02
डॉ. गिरीश के. आहूजा (05.02.2020 तक)	03	02
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	03	02
श्री संजीव माहेश्वरी (18.02.2020 तक)	00	00

*भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.नं. 06/19/2019-बीओ-आई दिनांक 29.04.20 द्वारा 05.02.2020 के बाद दो वर्ष के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो पुनः निदेशक नामित

अब तक प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या (वर्ष के दौरान)	:	193
शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुसार हल नहीं किए गएशिकायतों की संख्या	:	शून्य
लंबित शिकायतों की संख्याः (विचाराधीन शिकायत)	:	शून्य
अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम	:	श्री संजय अभ्यंकर, उपाध्यक्ष अनुपालन (कंपनी सचिव)

बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति:

बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का गठन 29 मार्च 2004 को किया गया था।

इस समिति का प्रमुख कार्य बड़ी राशि के धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करना है। समीक्षा का प्रयोजन है - प्रणालीगत खामियों (हों तो) तथा धोखाधड़ी के मामलों का और ऐसे मामलों की सूचना में देरी के कारणों का पता लगाना, सीबीआई/पुलिस जाँच कार्रवाई पर निगरानी रखना तथा स्टाफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय करते हुए धोखाधड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशाली ढंग से समीक्षा करते हुए उपयुक्त निवारक उपाय लागू कराना। समिति का अंतिम पुनर्गठन 18 फरवरी 2020 को किया गया था और इसमें सात सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता एक गैर-कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है। समिति की बैठक 2019-20 के दौरान छह बार हुईः

2019-20 के दौरान आयोजित एससीबीएमएफ़ बैठकों की तारीख एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की सं. : 6

बैठकों की तारीखें : 22.05.2019, 28.08.2019, 31.10.2019, 06.11.2019, 20.01.2020, 27.03.2020

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद /पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	भाग लिए हुए बैठकों की सं.
श्री बसंत सेठ, समिति के अध्यक्ष	06	06
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी - आरएंडडीबी (31.03.2020 तक)	06	05
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (वैकल्पिक)	--	01
श्री अरिजित बसु - एमडी (सीसीजी एड आईटी) (25.10.2019 से)	04	03
श्रीमती अंशुला कांत, एमडी - सार्क (31.08.2019 तक)	02	02
श्री संजीव मल्होत्रा	06	04
श्री भास्कर प्रामाणिक	06	03
श्री बी.वेणुगोपाल (18.02.2020 तक)	05	03
डॉ.गिरीश के. आहूजा (05.02.2020 तक)	05	04
डॉ.पुष्पेंद्र राय (05.02.2020 तक)*	05	02
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता(18.02.2020 तक)	01	01
श्री संजीव माहेश्वरी (18.02.2020 तक)	01	01

*भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.नं. 06/19/2019-बीओ-आई दिनांक 29.04.20 द्वारा 05.02.2020 के बाद दो वर्ष के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो पुनः निदेशक नामित

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर आधार पर चल रहे सुधारों को लाने के लिए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का गठन 26 अगस्त 2004 को किया गया था।

समिति का अंतिम पुनर्गठन 18 फरवरी 2020 को किया गया था और इसमें आठ सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता एक गैर-कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है। वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की चार बैठकें हुई।

2019-20 के दौरान आयोजित सीएससीबी बैठकों की तारीख एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की सं. : 4

बैठकों की तारीखें : 15.05.2019, 22.08.2019, 04.12.2019, 07.02.2020

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद /पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	भाग लिए हुए बैठकों की सं.
श्री बी.वेणुगोपाल, समिति के अध्यक्ष (18.02.2020 तक)	00	00
डॉ.पुष्पेंद्र राय, समिति के अध्यक्ष (05.02.2020 तक)*	03	03
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी - आरएंडडीबी (31.03.2020 तक)	04	03
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (वैकल्पिक सदस्य)	--	01
श्री अरिजित बसु - एमडी (सीसीजी एंड आईटी)	04	04
श्री संजीव मल्होत्रा	04	02
श्री भास्कर प्रामाणिक	04	04
श्री बसंत सेठ	04	03
डॉ गिरीश के. आहूजा (05.02.2020 तक)	03	03
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	04	04
श्री संजीव माहेश्वरी (18.02.2020 से)	00	00

*भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.नं. 06/19/2019-बीओ-आई दिनांक 29.04.20 द्वारा 05.02.2020 के बाद दो वर्ष के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो पुनः निदेशक नामित

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति

बैंक की आईटी पहलों की प्रगति पर नजर रखने के उद्देश्य से बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की एक प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया। प्रौद्योगिकी समिति को 24 अक्टूबर 2011 से बोर्ड की आईटी रणनीति समिति का नाम दिया गया है। समिति ने बैंक के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रणनीतिक भूमिका निभाई है। समिति को निम्नलिखित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का जिम्मा सौंपा गया है:

(i) आईटी रणनीति और नीतिगत दस्तावेजों को मंजूरी देना, यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया लागू की है;

(ii) यह सुनिश्चित करना कि आईटी संगठनात्मक संरचना व्यापार मॉडल और इसकी दिशा का पूरक है;

(iii) यह सुनिश्चित करना कि आईटी निवेश जोखिमों और लाभों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं और बजट स्वीकार्य हैं;

(iv) आईटी जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और बैंक स्तर पर आईटी के कुल वित्तपोषण की देखरेख करना; और

(v) आईटी प्रदर्शन माप और व्यवसायों के लिए आईटी के योगदान की समीक्षा (यानी वादा किया मूल्य देने)।

इस समिति का अंतिम पुनर्गठन 18 फरवरी 2020 को सात सदस्यों के साथ किया गया था और इसकी अध्यक्षता एक गैर-कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है। समिति की बैठक 2019-20 के दौरान छह बार हुई।

2019-20 के दौरान आयोजित आईटीएससी बैठकों की तारीख एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की सं.	:	6
बैठकों की तारीखें	:	15.05.2019, 26.06.2019, 18.09.2019, 14.11.2019, 19.11.2019, 13.02.2020

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद /पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	भाग लिए हुए बैठकों की सं.
श्री भास्कर प्रामाणिक, समिति के अध्यक्ष	06	06
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी - आरएंडडीबी (31.03.2020 तक) (वैकल्पिक सदस्य)	--	01
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (वैकल्पिक सदस्य)	--	02
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (25.10.2019 से)	03	02
श्री अरिजित बसु - एमडी (सीसीजी एड आईटी)	06	06
श्रीमती अंशुला कांत, एमडी - सार्क (31.08.2019 तक)	02	01
श्री संजीव मल्होत्रा	06	03
श्री बी.वेणुगोपाल	06	04
डॉ.पुष्पेंद्र राय (05.02.2020 तक)*	05	03
डॉ.पूर्णिमा गुप्ता	06	04
श्री संजीव माहेश्वरी (18.02.2020 से)	00	00

*भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.नं. 06/19/2019-बीओ-आई दिनांक 29.04.20 द्वारा 05.02.2020 के बाद दो वर्ष के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो पुनः निदेशक नामित

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति के तहत बैंक द्वारा शुरू की गई गतिविधियों की समीक्षा के लिए अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उपाय के रूप में 24 सितंबर 2014 को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी (सीएसआरसी) का गठन किया गया था। इस समिति का अंतिम पुनर्गठन 18 फरवरी 2020 को किया गया था और इसमें सात सदस्य हैं। समिति में वरिष्ठ प्रबंध निदेशक अध्यक्ष हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की चार बैठकें हुई।

2019-20 के दौरान आयोजित सीएसआरसी बैठकों की तारीख एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की सं.	:	4
बैठकों की तारीखें	:	03.04.2019, 10.07.2019, 16.10.2019, 15.01.2020

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद /पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	भाग लिए हुए बैठकों की सं.
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी - आरएंडडीबी , समिति के अध्यक्ष (31.03.2020 तक)	04	03
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी- जीबीएंडएस	04	04
श्री अरिजित बसु, एमडी- सीसीजी एंड आईटी (वैकल्पिक सदस्य)	--	01
श्री संजीव मल्होत्रा	04	03
श्री भास्कर प्रामाणिक	04	02
श्री बसंत सेठ	04	04
श्री बी.वेणुगोपाल	04	04
डॉ. पुष्पेंद्र राय (05.02.2020 तक)*	04	03
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	04	04

*भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.नं. 06/19/2019-बीओ-आई दिनांक 29.04.20 द्वारा 05.02.2020 के बाद दो वर्ष के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो पुनः निदेशक नामित

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति

आरबीआई ने अपने मास्टर डायरेक्शन डीबीआर एपीपीटी सं: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 और भारत सरकार ने अपने पत्र फा.संख्या एफ 16/19/2019-बो दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से बैंक को एकल नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। इसके अनुसार एकल समिति का गठन 25 अक्तूबर 2019 को किया गया।

समिति का अंतिम पुनर्गठन 27 मार्च 2020 को किया गया था। समिति में चार सदस्य हैं जिनमें गैर कार्यकारी निदेशक- श्री बसंत सेठ, श्री संजीव मल्होत्रा, डॉ पूर्णिमा गुप्ता और श्री संजीव माहेश्वरी शामिल हैं। समिति पूर्णकालिक निदेशकों की जांच करती है और प्रोत्साहनों के भुगतान की सिफारिश करती है। यह शेयरधारकों द्वारा निदेशकों के रूप में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की सावधानीपूर्वक जाँच करती है और उपयुक्त एवं समुचित का प्रमाणपत्र जारी करती है। समिति वर्ष में कम-से-कम एक बार अवश्य बैठक करती है।

वसूली निगरानी के लिए बोर्ड समिति

भारत सरकार की सलाहों के संदर्भ में, केंद्रीय बोर्ड द्वारा ऋण और अग्रिमों की वसूली पर निगरानी के लिए 20 दिसंबर 2012 को हुई बैठक में वसूली की निगरानी के लिए एक बोर्ड समिति का गठन किया गया था। समिति का अंतिम पुनर्गठन 18 फरवरी 2020 को किया गया था, जिसमें दस सदस्य हैं जिनमें अध्यक्ष, चार प्रबंध निदेशक और पांच गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं जिनमें सरकार नामित निदेशक शामिल हैं। समिति ने साल भर में चार बार बैठक कर बैंक के एनपीए प्रबंधन और बड़े एनपीए खातों की समीक्षा की।

इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों का पता लगाने के कार्य की समीक्षा करने के लिए समिति

आरबीआई के निर्देशों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड ने समिति का गठन किया था। प्रबंध निदेशक-एसए इस समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में पांच गैर-कार्यकारी निदेशक हैं । इस समिति की भूमिका इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों का पता लगाने के कार्य की समीक्षा करने के लिए गठित समिति (एक ऐसी समिति, जिसमें उप प्रबंध निदेशक और बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं जो इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणी के बयान की पड़ताल और बयान को दर्ज करती है) के आदेश की समीक्षा करके आदेश को अंतिम समझे जाने के रूप में पुष्टि करती है।

वर्ष 2019-20 के दौरान दो बार समिति की बैठक हुई

स्थानीय बोर्ड

एसबीआई अधिनियम और सामान्य विनियम 1955 के प्रावधानों के संदर्भ में, प्रत्येक केंद्र में जहां बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय (एलएचओ) है, स्थानीय बोर्डों/समितियों का गठन होता है। स्थानीय बोर्ड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और केन्द्रीय बोर्ड द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित ऐसे अन्य कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं । 31 मार्च 2020 तक, शेष तेरह एलएचओ में स्थानीय बोर्डों के तीन एलएचओ और समितियों में स्थानीय बोर्ड कार्यशील थे। स्थानीय बोर्डों के स्थानीय बोर्डों/समितियों की बैठकों के मिनट और कार्यवाही को केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

बैठक-शुल्क

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैठक शुल्क का भुगतान बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-कार्यकारी निदेशकों को किया जाता है । बोर्ड और/या इसकी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक गैर-कार्यकारी निदेशकों को नहीं दिया जाता है । 25 अक्टूबर 2019 से, केंद्रीय बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए 70,000 रुपये की बैठक की फीस और अन्य बोर्ड स्तर की समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए 30,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान भुगतान की गई बैठक की फीस का विवरण अनुलग्नक-4 में रखा गया है।

बैंक की सदाचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केंद्रीय बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के निदेशकों ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है । अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलग्नक-V में रखी गई है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है।

वर्ष के दौरान गतिविधियाँ

1. इस वर्ष के दौरान नव मनोनीत निदेशकों के लिए ऑन-बोर्डिंग कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई थी । इसमें, अन्य बातों के साथ, संगठन संरचनाओं, बैंक के विभिन्न व्यापारिक समूहों और एसोसिएट्स और सहायक कंपनियों का अवलोकन, आईटी विकास, आईटी सुरक्षा, मानव संसाधन और प्रशिक्षण आदि शामिल थे ।

2. बोर्ड का प्रदर्शन मूल्यांकन: बोर्ड के अभिशासन में लगातार सुधार करने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने एक प्रतिष्ठित बाहरी परामर्श संगठन को नियुक्त किया है, जिसने निदेशकों, अध्यक्ष, बोर्ड स्तर की समितियों और केंद्रीय बोर्ड के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए मापदंडों को निर्धारित करने में सहायता की है और समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में भी सहायता की है। मूल्यांकन के मापदंडों और समग्र प्रक्रिया को बोर्ड मूल्यांकन, 2017 पर सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और नए सेबी मार्गदर्शन नोट के प्रावधानों के अनुरूप किया गया था। वित्त वर्ष 2019-20 के प्रदर्शन मूल्यांकन को वित्त वर्ष के दौरान ही पूरा किया गया।

   मूल्यांकन प्रक्रिया ने बैंक के शासन मूल्यों में निदेशक मंडल के विश्वास, निदेशक मंडल के बीच मौजूद तालमेल और अध्यक्ष, बोर्ड और प्रबंधन के बीच सहयोग को मान्य किया ।

3. शासन और अर्थव्यवस्था में हमारे बैंक द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में बैंकों के बोर्डों में तेजी से रखी जा रही विभिन्न मांगों को देखते हुए, 6 और 7 जनवरी, 2020 को मुंबई में एक वार्षिक रणनीति कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें प्रतिष्ठित फिनटेक कंपनियों ने अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों पर प्रस्तुतियां दी थीं। उक्त कार्यशाला आयोजन बोर्ड के सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन को उद्योग में नवीनतम प्रवृत्ति के अनुरूप रखने और आगे के रास्ते पर निर्णय लेने की बैंक की रणनीति के अनुरूप किया गया था ।

कार्यशाला का विषय बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग और क्रेडिट जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसकी प्रभावशीलता थी । कार्यशाला में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था, वे अर्थात क) साइबर सुरक्षा के विकासशील आयाम और साइबर जोखिम के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की संभावना। ख) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन - मोबाइल ऐप सुरक्षा, निधियों का विपथन रोकथाम। ग) प्रौद्योगिकी के माध्यम से जोखिम प्रबंधन को सशक्त बनाना। घ) तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन - तनाव का समय पर पता लगाना, प्रभावी समाधान। ङ) धीमी गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बैलेंस शीट अनुकूलन। च) व्यवसाय संभाव्यता का पता लगाने मे एनालिटिक्स के अनुप्रयोग छ) डेटा इंटेलिजेंस, डेटा और एनालिटिक्स समाधान।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्रेडिट डिलीवरी, सूचना सुरक्षा आदि के क्षेत्रों में बेहतर समझ के साथ निदेशकों को अद्यतन रखने के प्रयास में, बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहल की:

i) गैर कार्यकारी निदेशकों के लिए सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग सीएएफआरएएल द्वारा गोवा में 14-15 अक्टूबर 2019 तथा मुंबई में 05-06 फरवरी 2020 को क्रेडिट समिति पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निदेशकों को ऋण मूल्यांकन, वित्तीय अनुपात और संकेतकों, परियोजना और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में जोखिम आकलन, खुदरा ऋण आदि से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक करना था ।

ii) इसी तरह आईडीआरबीटी द्वारा आईटी और साइबर सिक्योरिटी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें दो गैर कार्यकारी निदेशकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रबंधन को बैंक की साइबर सुरक्षा रणनीति की योजना बनाने और निष्पादन में प्रभावी योगदान देने में सक्षम बनाना था।

iii) समय-समय पर उभरने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रख्यात क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने की परंपरा के अनुरूप, वाणिज्यिक रियल एस्टेट (सीआरई) और इसके दृष्टिकोण पर एक प्रस्तुति 18 सितंबर 2019 को लियास फोरस द्वारा की गई थी।

01 अक्टूबर 2019 को बोर्ड को एनबीएफसी-ट्रेंड्स एंड रिस्क असेसमेंट के एक्सपोजर पर प्रस्तुति दी गई थी। रियल एस्टेट डेवलपर फाइनेंसिंग पर प्रस्तुति वाणिज्यिक ग्राहक समूह द्वारा 12 जून 2019 को आरएमसीबी के समक्ष की गई थी।

आईएल एंड एफएस (आई-फिन) सहित एनबीएफसी पर बैंक के एक्सपोजर पर प्रस्तुति वाणिज्यिक ग्राहक समूह द्वारा 12 जून 2019 को आरएमसीबी के समक्ष की गई थी।

आईएल एंड एफएस (आई-फिन) सहित एनबीएफसी पर बैंक के एक्सपोजर पर प्रस्तुति वाणिज्यिक ग्राहक समूह द्वारा 12 जून 2019 को आरएमसीबी के समक्ष की गई थी।

एसबीआई एमएफ द्वारा 12 जून 2019 को आरएमसीबी के समक्ष एमएमसीबी और 11 सितंबर 2019 को आरएफबी के समक्ष एमएमएफ सेक्टर्स क्रेडिट फंड संभाव्यता पर विशेष रूप से एनबीएफसी सेक्टर और एमएफ इंडस्ट्री एलएएस पोर्टफोलियो बकाया/इंडस्ट्री एसओ पोर्टफोलियो पर प्रस्तुति दी गई थी।

स्ट्रेस्ड एसेट्स रिजॉल्यूशन ग्रुप (एसएआरजी) द्वारा 15 नवंबर 2019 को आरएमसीबी के समक्ष वित्तीय परिसंपत्तियों और सुरक्षा प्राप्तियों (एसआर) की बिक्री पर प्रस्तुति दी गई थी।

एसएमई बिजनेस यूनिट द्वारा 15 नवंबर 2019 को आरएमसीबी के समक्ष प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) पर प्रस्तुति दी गई थी।

19 नवंबर 2019 को आईटीसी के समक्ष रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) पर प्रस्तुति दी गई थी।

मूल्य संवर्धन के लिए डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाने पर प्रस्तुति डीएमडी और सीआईओ द्वारा 18 दिसंबर 2019 को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष की गई थी।

डीएमडी एंड सीआईओ द्वारा 18 दिसंबर 2019 को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष सीबीएस संस्करण 2.0 पर प्रस्तुति दी गई थी।

डीएमडी एंड सीआईओ द्वारा 18 दिसंबर 2019 को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष नेटवर्किंग और एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पर प्रस्तुति दी गई थी।

डीएमडी और सीआईओ द्वारा 18 दिसंबर 2019 को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष डेटा गवर्नेंस आर्किटेक्चर पर प्रस्तुति दी गई थी।

अर्ली वार्निंग सिस्टम पर प्रस्तुति- कॉर्पोरेट, एसएमई ग्राहकों और पी-सेगमेंट ग्राहकों के लिए डीएमडी और सीआईओ द्वारा 18 फरवरी 2020 को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष किया गया था।

डीएमडी और सीआईओ द्वारा 18 फरवरी 2020 को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष आईटी वेंडर कंसंट्रेशन रिस्क पर प्रस्तुति दी गई थी।

डीएमडी और सीओओ द्वारा 18 फरवरी 2020 को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष ग्राहक अनुभव बढ़ाने के लिए पहलों पर प्रस्तुति दी गई थी।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को प्रदत्त वेतन एवं भत्ते (रु.)

नाम	पीएफ़ सूचकांक	मूल वेतन	मभ	अन्य	कुल	टिप्पणी
अध्यक्ष						
रजनीश कुमार	7619901	2700000	425250	1000	3126250	
प्रबंध निदेशक						
प्रवीण कुमार गुप्ता	7619715	2614800	411831	1105753	4132384	रु.1,104,753.00 मार्च 2020 के महीने में सेवानिवृत्ति पर भुगतान किया गया लीव एंकैशमेंट है। यह राशि अन्य में शामिल है।
दिनेश कुमार खारा	8702764	2539200	399924	1000	2940124	
अरिजित बसु	7847890	2464800	388206	1000	2854006	
अंशुला कांत	7848420	1027000	123240		1150240	प्रदान की गई वेतन विवरण अवधि - 01.04.2019 से 31.08.2019 तक हैं।
चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी	8598630	490309.68	83352.65	1000	574662.33	प्रदान की गई वेतन विवरण अवधि - 20.01.2020 से 31.03.2020 तक है।

वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति

वर्ष 2018-19 की अंतिम वार्षिक आम सभा (एजीएम) में 20 जून, 2019 को आयोजित बैठक में आठ निदेशको श्री रजनीश कुमार, श्री पीके गुप्ता, श्री दिनेश कुमार खारा, श्री अरिजीत बसु, श्रीमती अंशुला कांत, श्री भास्कर प्रामाणिक, डॉ पुष्पेंद्र राय और डॉ पूर्णिमा गुप्ता ने भाग लिया। एजीएम (2017-18) का आयोजन 28 जून, 2018 को और एजीएम (2016-17) का आयोजन 27 जून, 2017 को किया गया था। एसबीआई एक्ट और एसबीआई जनरल रेगुलेशन 1955 में पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं है। वार्षिक साधारण बैठक सामान्यतया मुंबई में आयोजित किए जाते हैं जहां कॉरपोरेट कार्यालय स्थित है। एसबीआई अधिनियम के अनुसार केवल एक एजेंडा तुलन पत्र तथा लाभ हानि खाते पर वार्षिक साधारण बैठक में चर्चा तथा अंगीकृत किया जाना आवश्यक है।

प्रकटीकरण

1. बैंक ने अपने प्रोमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ किसी भी भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है, जिससे बैंक के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है ।

2. बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान शेयर बाजारों, सेबी, आरबीआई या पूंजी बाजारों से संबंधित किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लागू नियमों और विनियमों का पालन किया है। उनके द्वारा बैंक पर कोई दंड या सख्ती नहीं लगाई गई है। सिवाय आरबीआई द्वारा लगाए गए जुमाने के जिसका उल्लेख सचिवालयीन लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में किया गया है।

3. बैंक की व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी भारत सरकार के प्रस्ताव ऑन पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फार्मर (पीआईडीपीआई) के मानदंडों पर आधारित है। जो भारत सरकार के 04.11.2011 के परिपत्र के आधार पर लागू किया गया है। इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 'व्हिसल ब्लोअर नीति' नामक नीति की स्थापना का अनुदेश देता है जो बैंक की आचरण नीति के उल्लंघन या धोखाधड़ी की सूचना प्रबंधन को देता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 11.03.2019 के अपने पत्र के माध्यम से बैंक को सलाह दी है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुरूप मौजूदा व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म को संशोधित करे और बैंकिंग विनियम अधिनियम की धारा 35 (ए) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों और तदनुसार मौजूदा नीति को प्रतिस्थापित और अधिक्रमित करें। 27.11.2019 को केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित नई नीति को बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर उपलब्ध कराई गई है। उक्त नीति के अनुसार किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंचने से मना नहीं किया गया है।

4. संबद्ध पक्ष लेनदेन के महत्व संबंधी नाति और महत्वपूर्ण अनुषंगी निर्धारण नीति बैंक की वेबसाईट www.sbi.co.in/bank.sbi कॉरपोरेट अभिशासन नीतियां लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

5. सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियमन 25 (9) के संदर्भ में 28-05.2020 को हुई बैठक में केंद्रीय बोर्ड ने अपनी बैठक में सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 के विनियमन 25 (8) के तहत स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त घोषणा और पुष्टि को रिकॉर्ड पर लिया है और स्वतंत्र निदेशक सेबी (एल) विनियमों के विनियमन 16 (1) (बी) विनियमों के तहत निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

6. सेबी (एलओडीआर) की अनुसूची II के भाग ई में निर्दिष्ट विवेकाधीन आवश्यकताएं इस प्रकार हैं- (i) बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 19 (ए) के तहत नियुक्त किया गया है। (ii) निवेशकों/विश्लेषकों की जानकारी के लिए बैंक तिमाही आधार पर वित्तीय प्रदर्शन की प्रस्तुति तैयार करता है और इसकी प्रति निवेशकों की जानकारी के लिए स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करता है जो बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। (iii) बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को एक घोषणा प्रस्तुत की है कि बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए असंशोधित राय के साथ लेखा परीक्षा वित्तीय परिणामों (एकल और समेकित) पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है । (iv) बैंक के पास अलग आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है जो समय-समय पर बैंक की लेखा परीक्षा समिति को सीधे रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

7. बैंक ने विनियमन 17 से 27 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट अभिशासन आवश्यकताओं और विनियम 46 (2) और अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई के खंड

(बी) को इस हद तक अनुपालन किया है कि खंड की आवश्यकताएं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नियमों और दिशानिर्देशों या निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती हैं।

संप्रेषण के साधन

बैंक का दृढ़ विश्वास है कि सभी हितधारकों को अपनी गतिविधियों, प्रदर्शन और उत्पाद पहलों के बारे में पूरी जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए । वर्ष 2019-20 के बैंक के वार्षिक, छमाही और त्रैमासिक परिणाम देश के अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। परिणाम बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in या https://bank.sbi पर भी प्रदर्शित किए गए । पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाती हैं जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत किया है या तो बैंक के साथ या जमाकर्ताओं के साथ और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति अन्य शेयरधारकों को भेजी जाती है । बैंक की वेबसाइट पर बैंक के कार्यालयीन समाचारों के साथ-साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्टें, छमाही और तिमाही परिणाम तथा बैंक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न उत्पादों का विश्लेषण भी प्रदर्शित किया जाता है। प्रति वर्ष वार्षिक और छमाही परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुति और मीडिया के प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद एक अन्य बैठक रखी जाती है जिसमें अनेक निवेश विश्लेषकों को आमंत्रित किया जाता है। इस बैठक में बैंक के निष्पादन पर विश्लेषकों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचना जारी की जाती है।

साधारण शेयरधारक सूचना

शेयरधारकों की वार्षिक साधारण बैठक	:	दिनांकः 14.07.2020, समय 11.00 a.m. स्थानः स्टेट बैंक ऑडिटोरियम, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई- 400021 वीसी/ओएवीएम द्वारा बैठक आयोजित करने के विकल्प के साथ
वित्तीय कैलेंडर	:	01.04.2019 to 31.03.2020
स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग	:	बीएसई लिमिटेड मुंबई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई), सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड (बांड) पर सूचीबद्ध जीडीआरएस। एलएसई सहित सभी स्टॉक एक्सचेंजों को लिस्टिंग फीस का भुगतान अद्यतन तारीख तक किया गया है।
स्टॉक कोड/सीयूएसआईपी	:	स्टॉक कोड 500112 (बीएसई) एसबीआईएन (एनएसई) सीयूएसआईपी यूएस 856552203 (एलएसई)
शेयर ट्रांसफर सिस्टम	:	शेयर ट्रांसफर सिस्टमः भौतिक रूप में शेयर हस्तांतरण की प्रक्रिया की जाती है और निर्धारित समय के भीतर शेयरधारकों को वापस कर दिया जाता है। तिमाही शेयर ट्रांसफर ऑडिट और शेयर कैपिटल ऑडिट का सामंजस्य नियमित रूप से एक स्वतंत्र कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है। हालांकि सेबी ने 1 अप्रैल, 2019 से शेयरों के भौतिक ट्रांसफर पर रोक लगा दी है।
रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (मौजूदा)	:	मेसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड .
यूनिट पता	:	205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, ई/7, झंडेवालान एक्स्टेंसन, नई दिल्ली-110055
फोन नंबर	:	011-42541234, 7290071335
ईमेल पता	:	sbi.igr@alankit.com
पत्राचार के लिए पता	:	एसबीआई शेयर्स एंड बोण्ड्स विभाग, कॉर्पोरेट केंद्र, 14 तल मैडम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400021
टेलीफोन नंबर	:	(022) 2274 0841 to 2274 0848
फैक्स	:	(022) 2285 5348
ईमेल पता	:	gm.snb@sbi.co.in / investor.complaints@sbi.co.in
पूर्ण संपर्क विवरण के साथ डिबेंचर ट्रस्टियों का नाम (रु. में जारी कैपिटल इन्स्ट्रुमेंट)	:	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड, एशियन बिल्डिंग, तल मंजिल, 17, आर. कामानी मार्ग, बलार्ड इस्टेट, मुंबई-400 001 फोन नंबरः 91-22-4080 7006 फैक्स नंबरः 91-22-6631 1776

पहलः सेबी परिपत्र संख्या के अनुसार सेबी/हो/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, एलओडीआर के विनियम 36 (1) (ख) और (सी) और विनियमन 58 (1) (बी) और (सी) की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया जाएगा और इसलिए वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अपने पंजीकृत मेल पते पर शेयरधारकों को भेजी जाएगी। इसके अलावा वार्षिक रिपोर्ट हमारी वेबसाइट www.sbi.co.in >>>>>>>>>>>>>>>>शेयरधारक जानकारी से डाउनलोड की जा सकती है ।

निवेशकों के लिए

निवेशकों की धारिता संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक में मुंबई में एक संपूर्ण शेयर एवं बॉन्ड विभाग कार्यरत है। निवेशकों की शिकायतें, चाहे सीधे प्राप्त हुई हों या रजिस्ट्रार एवं ट्रासफर कार्यालय के माध्यम से, तत्काल निपटाई जाती हैं एवं शीर्ष प्रबंधन स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम के विनियम 44(5) के अनुसार बैंक वार्षिक महासभा की कार्यवाही का वनवे लाईव वेबकास्ट करता हैं । वेबकास्ट की सुविधा 11.00 बजे से दिनांक 14.07.2020 को शेयरधारकों को https://www.evoting.nsdl.com/ https://bank.sbi पर उपलब्ध होगी। कोविड-19 महामारी के प्रसार, सोशल डिस्टेंसिंग और देश में बाधित गतिशीलता के कारण बैंक ने आमसभा वी सी /ओ ए वी एम के माध्यम से कराने तथा बैंक के शेयर धारकों को ई-वोटिंग सुविधा देने का निर्णय लिया है।

वित्त वर्ष 2020 के दौरान पूंजी वृद्धि

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कोई इक्विटी कैपिटल नहीं बढ़ाई गई थी।

बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें (जीडीआर)

1996 में जीडीआर जारी करने के समय सरकार/आरबीआई द्वारा दो तरफा समरूपता की अनुमति नहीं दी गई थी, यानी जीडीआर के धारक ने भारतीय कंपनी के अंतर्निहित इक्विटी शेयर प्राप्त करने की इच्छा जताई तो ऐसे जीडीआर को भारतीय कंपनी के शेयरों में परिवर्तित किया जाना था, लेकिन इसके विपरीत नहीं। बाद में, भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एडीएम/जीडीआरएस की दो तरफा समरूपता की अनुमति दी गई बैंक ने बैंक के जीडीआर कार्यक्रम में दो तरफा समरूपता की अनुमति दी है।

बैंक के पास 31 मार्च 2020 तक 1,10,342,880 जीडीआर थे जो शेयर1,103,428,800 का प्रतिनिधित्व करते थे

दावारहित शेयर

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	बकाया शेयर
वर्ष के आरंभ में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों और शेयर धारकों की संख्या	988	2,37,760
जोड़ें - वर्ष के दौरान जोड़े गए शेयरधारकों की संख्या	1	140
जोड़ें - e-SBBJ के शेयर तथा वर्ष के आरंभ में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयर और शेयरधारकों की कुल संख्या	144	16,954
योग	**1133**	**2,54,854**
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से शेयर अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	6	1,022
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए, उन शेयरधारकों की संख्या	6	1,022
वर्ष के अंत में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	1127	2,53,832

इस के दावा रहित शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक रोक लगी रहेगी जबतक इन शेयरों के वास्तविक स्वामी दावा प्रस्तुत नहीं कर देते।

लाभांश की परंपरा/ लाभांश वितरण नीति

शेयरधारकों की लाभांश वितरण नीति लागू है। यह नीति बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in के लिंक Corporate Governance > Policies के अंतर्गत उपलब्ध है।

डेरिवेटिव लेनदेन पर गुणात्मक प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2019-20

बैंक वर्तमान में ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरिवेटिव के साथ-साथ ब्याज दर वायदा और एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा डेरिवेटिव में भी सौदों करता है । बैंक द्वारा निपटाए गए ब्याज दर डेरिवेटिव रुपये ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, कैप, फ्लोर और कॉलर हैं । बैंक द्वारा निपटाए गए मुद्रा डेरिवेटिव मुद्रा स्वैप, रुपये डॉलर के विकल्प और क्रॉस-करेंसी विकल्प हैं। उत्पादों को बैंक के ग्राहकों को अपने जोखिम से बचाव के लिए इसकी पेशकश कर रहे है और इस तरह के जोखिम को कवर करने के लिए बैंक भी व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश करती है । डेरिवेटिव का उपयोग बैंक द्वारा ट्रेडिंग के साथ-साथ बैलेंस शीट के मदों के हेजिंग करने दोनों के लिए किया जाता है। बैंक यूएसडी/ आईएनआर में विकल्प की स्थिति भी चलाता है, जिसे विभिन्न प्रकार की हानि सीमाओं और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है ।

डेरीवेटिव लेन-देन में बाजार जोखिम होता है यानी ब्याज दरों/विनिमय दरों और ऋण जोखिम में प्रतिकूल गतिशीलता के परिणामस्वरूप बैंक को संभावित नुकसान उठाना पड़ सकता है अर्थात यदि प्रतिपक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो बैंक को संभावित नुकसान उठाना पड़ सकता है । बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की ठडेरिवेटिव के लिए नीतिड में डेरिवेटिव लेनदेन में प्रवेश करने के लिए बाजार जोखिम मापदंडों (ग्रीक सीमा, हानि सीमा, कट-लॉस ट्रिगर, ओपन पोजीशन सीमा, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी01 आदि) के साथ-साथ ग्राहक पात्रता मानदंड (क्रेडिट रेटिंग, संबंध की अवधि, सीमा और ग्राहक उपयुक्तता और उपयुक्तता नीति (सीएएस) आदि निर्धारित की गई है । क्रेडिट जोखिम को केवल नीति में निर्धारित मानदंडों को संतुष्ट करने वाले प्रतिपक्षों के साथ व्युत्पन्न लेनदेन में प्रवेश करके नियंत्रित किया जाता है। दायित्वों का सम्मान करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्षों के लिए उपयुक्त सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और बैंक प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आईएसडीए समझौते में प्रवेश करता है।

डेरीवेटिव सौदों में केवल उन्हीं इंटरबैंक प्रतिभागियों के साथ किया जाता है जिनके लिए प्रतिपक्ष एक्सपोजर सीमा स्वीकृत की जाती है। इसी प्रकार, डेरीवेटिव सौदे केवल उन्हीं कंपनियों के साथ किए जाते हैं जिनके लिए क्रेडिट एक्सपोजर सीमा स्वीकृत की जाती है। जमानत की आवश्यकताएं ऋण स्वीकृति प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

बैंक की परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन की देखरेख करती है। बैंक का बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरिवेटिव लेनदेन से जुड़े बाजार जोखिम की निगरानी करता है, इन जोखिमों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने में एल्को की सहायता करता है और नियमित अंतराल पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नीति नुस्खे के अनुपालन की रिपोर्ट करता है ।

डेरिवेटिव्स के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी आरबीआई के दिशा-निर्देशों के मुताबिक तैयार की गई है, जिसका ब्योरा अनुसूची 17: वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रिंसिपल अकाउंटिंग पॉलिसी (पीएपी) के तहत पेश किया गया है ।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (संशोधन) विनियम 2018 (सूचीकरण विनियम) के अंतर्गत

1. बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने पिछली बार बोर्ड स्तर की समितियों का पुनर्गठन किया था, जिसमें लेखा परीक्षा, हितधारकों के संबंध, जोखिम प्रबंधन की बैठक क्रमशः 18.02-2020 को हुई थी और 27.03.2020 को सेबी (एलओडीआर) विनियमों के संदर्भ में आयोजित बैठक में नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकें हुई थीं।
2. लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 24ए के संदर्भ में वित्तीय वर्ष के लिए एक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट समाप्त 31.03.2020 वार्षिक रिपोर्ट के लिए संलग्न है.
3. सभी ऋण साधनों के लिए प्राप्त क्रेडिट रेटिंग में कोई संशोधन नहीं किया गया है।
4. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने तरजीही आवंटन या योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से पूंजी नहीं जुटाई है। इसलिए जरूरत के मुताबिक राशि के उपयोग का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया।
5. बैंक ने विनियमों के विनियमन 34 और अनुसूची V के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और बैंक के किसी भी निदेशक को किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने से वर्जित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है । (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न)
6. स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रदान किए गए परिचित कार्यक्रमों के विवरण वेब लिंक के तहत बैंक की वेबसाइट पर प्रकट किया जाता है: https://sbi.co.in/por tal/ web/corporate-governance/regulatory-disclosures.
7. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान मौजूदा सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) को दी गई कुल फीस अनुसूची V पैरा सी के अनुसार, लिस्टिंग विनियमों का खंड 10 (के) केवल ₹ 676,86,528.20 है।
8. हमारेबोर्ड सदस्यों के बीच कोई संबंध नही है। बैंक का किसी गैर कार्यकारी निदेशक से धन संबंधी संबंध नही हैं।

शेयर-कीमत में उतार चढ़ाव

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव और बीएसई सेंसेक्स/ एनएसई निफ्टी में उतार चढ़ाव को निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है। बैंक के शेयरों का 31.03.2020 को बीएसई सेंसेक्स तथा एनएसई में बाजार पूंजीकरण भार 1.78% रहा।

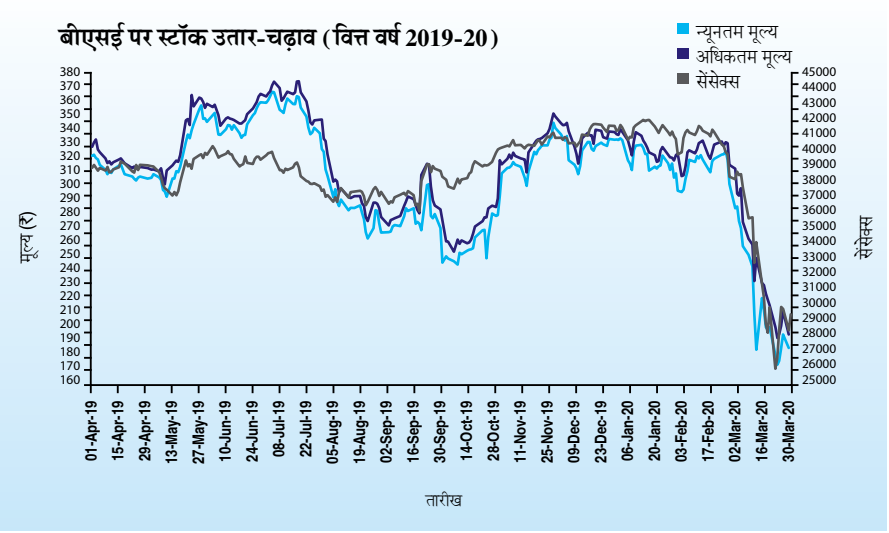

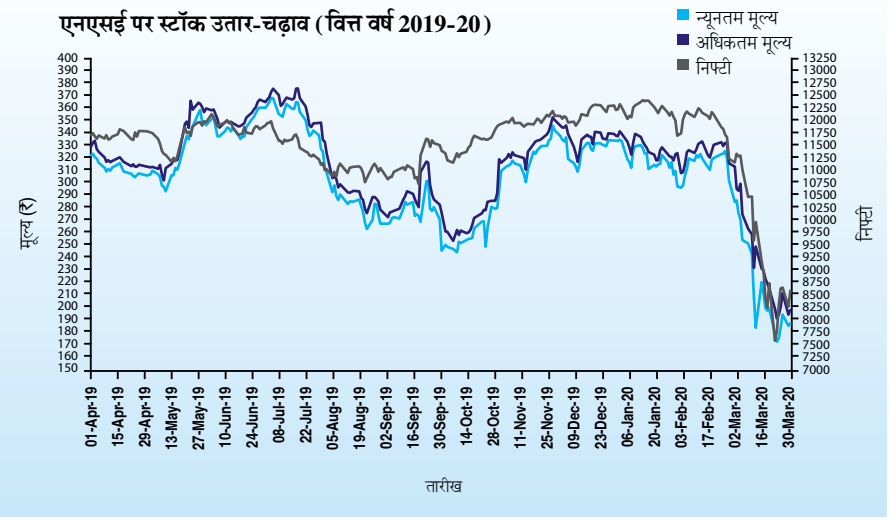

बाजार मूल्य आंकड़े

माह	बीएसई (₹)		एनएसई (₹)		एलएसई (जीडीआर) US$	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल-19	332.65	303.60	332.45	303.60	47.80	43.65
मई-19	364.00	292.20	364.00	292.45	51.10	42.65
जून-19	364.85	333.75	365.00	333.80	52.30	48.00
जुलाई-19	373.30	323.90	373.80	323.90	54.00	47.30
अगस्त-19	331.55	262.70	331.50	262.70	46.45	37.60
सितंबर-19	315.50	267.15	316.00	266.95	44.25	37.35
अक्तूबर-19	318.00	244.35	317.80	244.35	43.30	35.15
नवंबर-19	351.00	299.85	351.00	299.70	48.05	42.40
दिसंबर-19	344.35	308.10	344.35	308.00	48.20	43.90
जनवरी-20	339.85	305.70	339.85	305.65	47.60	44.00
फरवरी-20	331.90	295.50	331.90	295.35	46.05	42.00
मार्च-20	311.95	173.60	312.00	173.55	40.65	22.55

बही मूल्य प्रति शेयर ₹219.66

शेयरधारिता का विवरण 31 मार्च 2020

क्र.सं.	विवरण	कुल शेयरों का प्रतिशत %
1	भारत के राष्ट्रपति	56.92
2	अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक/अन्य कॉरपोरेट निकाय/ अनिवासी भारतीय/वैश्विक निक्षेपगार रसीदें)	10.94
3	म्यूचुअल फंड और यूटीआई	13.72
4	निजी कॉरपोरेट निकाय	1.85
5	बैंक/ वित्तीय संस्थाएं/ बीमा कंपनियां आदि	10.63
6	अन्य (निवासी व्यक्तियों सहित)	5.94
योग		**100.00**

31.03.2020 को बैंक के दस शीर्ष शेयरधारक

क्र.सं.	नाम	कुल इक्विटी में शेयरों का प्रतिशत %
1	भारत के राष्ट्रपति	56.92
2	भारतीय जीवन बीमा निगम - (वित्तीय संस्थान)	9.13
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (म्यूचुअल फंड)	3.62
4	एसबीआई-ईटीएफ एनआईएफटी बैंक	2.83
5	रिलायंस कैपीटल ट्रस्टी कं लिमिटेड (म्यूचुअल फंड)	1.52
6	बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन	1.24
7	आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल म्यूचुअल फंड	1.16
8	गवर्मेंट ऑफ सिंगापुर	0.87
9	कोटक म्यूचुअल फंड	0.81
10	एनपीएस ट्रस्ट- A/c यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन योजना	0.78

शेयरों को डीमैट करना और चलनिधि: बैंक के ईक्विटी शेयरों की ट्रेडिंग अनिवार्यत: इलेक्ट्रॉनिक रूप में की जाती है।
31.03.20 को कुल ईक्विटी पूंजी का 99.13% अर्थात् 884,77,35,542 शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में थे।

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयर का प्रतिशत %
एनएसडीएल	12,09,094	5,29,00,75,399	59.27
सीडीएसएल	11,29,724	3,55,76,60,143	39.86
भौतिक रूप में	1,87,094	7,68,75,992	0.87
कुल	**25,25,912**	**8,92,46,11,534**	**100.00**

31.03.2020 को संवितरण सूची (अंकित मूल्य रू.1 प्रति शेयर)

शेयरों की सं. की सीमा	कुल शेयरधारक	कुल शेयधारकों का प्रतिशत %	रू. में कुल धारिता	कुल पूंजी का प्रतिशत %
1-5000	2517697	99.67	455332168	5.10
5001-10000	4288	0.17	30346751	0.34
10001-20000	1688	0.07	23570852	0.26
20001-30000	525	0.02	13057491	0.15
30001-40000	243	0.01	8542127	0.10
40001-50000	148	0.01	6770258	0.08
50001-100000	339	0.01	24458428	0.27
100001-ABOVE	984	0.04	8362533459	93.70
कुल	**2525912**	**100.00**	**8924611534**	**100.00**

अनुलग्नक I

31 मार्च 2020 को बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

श्री संजीव मल्होत्रा

(जन्म तिथिः 1 अक्टूबर 1951)
श्री मल्होत्रा को 26 जून 2017 से प्रभावी तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा पुनः निदेशक निर्वाचित किया गया है। वह एक सनदी लेखाकार हैं और जोखिम प्रबंधन, कॉर्पोरेट और निवेश बैंकिंग, उपभोक्ता वित्त और माइक्रो एंटरप्राइज ऋण, निजी इक्विटी में वरिष्ठ पदों में वैश्विक बैंकिंग और वित्त में 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है ।

श्री भास्कर प्रामाणिक

(जन्म तिथिः 20 मार्च 1951)
श्री प्रामाणिक 26 जून 2017 से प्रभावी तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक निर्वाचित किया गया है। वह आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। श्री प्रामाणिक को भारतीय आईटी उद्योग में 45 वर्ष से अधिक का अनुभव है। बैंक के बोर्ड में शामिल होने से पहले उन्होंने भारत में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया । वह ओरेकल और सन माइक्रोसिस्टम्स के साथ प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम कर रहे थे ।

श्री बसंत सेठ

(जन्म तिथिः 16 फरवरी 1952)
श्री सेठ को 26 जून 2017 से प्रभावी तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक निर्वाचित किया गया है। वह सनदी लेखाकार हैं और उनके पास बैंकिंग और फाइनेंस में 40 साल से ज्यादा का अनुभव है, जिसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के फाइनेंसिंग शामिल हैं । बैंक के बोर्ड में शामिल होने से पहले वह केंद्रीय सूचना आयुक्त थे। वह सिंडिकेट बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे । वह सिडबी और बैंक ऑफ इंडिया में वरिष्ठ पदों पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

श्री बी वेणुगोपाल

(जन्म तिथि- 18 मई 1959)
श्री वेणुगोपाल को 7 जून 2018 से 25 जून 2020 तक की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक निर्वाचित किया गया है। उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से कॉमर्स एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी में स्नातक किया है। वह भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत हुए है। उन्हें बीमा, वित्त और आईटी में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है ।

डॉ पुष्पेंद्र राय

(जन्म तिथिः 02 जून 1953)
डॉ पुष्पेंद्र राय दो वर्ष की अवधि के लिए 06 फरवरी 2020 को एसबीआई अधिनियम धारा 19 (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा पुनः नामित निदेशक हैं। उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में करीब 38 साल का पेशेवर अनुभव है।

21 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में, वह नीति निर्धारण कार्यक्रम और बजट तैयार करना; कार्यान्वयन रणनीतियों का निर्धारण; कार्यान्वयन की निगरानी; और ग्रामीण और औद्योगिक विकास एजेंसियों, बिजली उत्पादन और वितरण विभागों, पेट्रोलियम कंपनियों और बौद्धिक संपदा कार्यालयों जैसे संस्थानों के एक विविध सेट के लिए कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार थे । उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना निदेशक-यूएनडीपी/विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के रूप में भी काम किया है; सदस्य, शासी परिषद, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान; सदस्य सचिव, विदेश निवेश संवर्धन परिषद; कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय नवीकरण कोष; डब्ल्यूटीओ/डब्ल्यूआईपीओ में राष्ट्रीय वार्ताकार; और भारतीय गुणवत्ता परिषद के महासचिव।

इसके बाद, डॉ राय ने 16 वर्षों तक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिनेवा (यूएन) में काम किया, तकनीकी सहयोग बढ़ाने, आईपी और परिसंपत्ति निर्माण के आर्थिक पहलुओं को बढ़ावा देने जैसी जिम्मेदारियों को संभाला; विकास एजेंडा प्रक्रिया का नेतृत्व; और सिंगापुर में एशिया प्रशांत के लिए क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व किया।

डॉ राय ने आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की है; हार्वर्ड विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री और दुनिया के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर व्याख्यान दिया है।

डॉ. पूर्णिमा गुप्ता

(जन्म दिनांकः 20 नवंबर 1949)
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 1 फरवरी 2018 से 3 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के गणित की प्रोफेसर हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से गणित में पीएचडी डिग्री प्राप्त की है और उन्होंने बीएससी (गणित) एवं एमए (गणित) दोनों में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उनका मुख्य योगदान थियोरी ऑफ डोमिनेशन इन ग्राफ एंड हाइपर ग्राफ्स, ग्राफोड़ियल कवर्स एंड पार्टिशन ग्राफ्स के क्षेत्र में है।

श्री संजीव माहेश्वरी

(जन्म तिथिः 26 अगस्त, 1964)
श्री संजीव माहेश्वरी 20 दिसंबर 2019 से तीन वर्षों के लिए एसबीआई अधिनियम धारा 19 (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं।

श्री माहेश्वरी, जो पेशे से सनदी लेखाकार और इनसोल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हैं को लेखा परीक्षा, कराधान और प्रबंधन सलाह का 33 वर्षों का अनुभव है। वह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकांउटेंट्स ऑफ इंडिया की केंद्रीय समिति की नौ वर्षों तक सदस्य रह चुके हैं और अकांउटिंग स्टैंडर्डस् बोर्ड ऑफ आईसीएआई के तीन वर्षों तक चेयरमैन रह चुके हैं जिस दौरान इंड एएस के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्होंने आईसीएआई के चेयरमैन या सदस्य के रूप में अधिकांश तकनीकी समितियों को सेवाएं दी हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड के सदस्य तथा साउथ एशियन फेडेरेशन ऑफ अकांउटेंट्स के सदस्य के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं।

श्री देवाशीष पांडा

(जन्म : 05 जनवरी 1962)
श्री देवाशीष पांडा दिनांक 24 जनवरी 2020 से अगले आदेश तक के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(ई) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निदेशक नामित किए गए हैं। श्री पांडा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव हैं। श्री देबाशीष पांडा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं और उड़ीसा प्रांत के निवासी हैं। उन्होंने 23.03.2018 को वित्तीय सेवाएं विभाग में अतिरिक्त सचिव का पदभार ग्रहण किया और 13.12.2019 को विशेष सचिव के रूप में पदोन्नत हुए। वे भौतिकी, विकास प्रबंधन में परास्नातक हैं और पर्यावरण विज्ञान में एम.फिल की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने यूएसए तथा फिलीपींस से लोक प्रशासन में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

1987 में सरकारी सेवा ग्रहण करने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है जैसे देवरिया, टिहरी, उत्तरकाशी और गाजियाबाद के जिलाधिकारी के पद पर तथा प्रधान सचिव (गृह एवं सामान्य प्रशासन)। उन्होंने भारत सरकार में संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) और एम्स में उप निदेशक (प्रशासन) के पद पर भी कार्य किया है। वित्तीय सेवाएं विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करने से पूर्व उनके पास दिल्ली में उत्तर प्रदेश का स्थानीय आयुक्त तथा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का दोहरा पदभार था।

श्री चंदन सिन्हा

(जन्म दिनांकः 15 अगस्त 1957)
श्री चंदन सिन्हा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत 28 सितंबर 2016 से केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री चंदन सिन्हा सीएएफआरएएल मुंबई के अपर निदेशक हैं।

अनुलग्नक II

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 26 (1) के उचित अनुपालन में 31.03.2020 को सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों और बैंकों/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों एव लेखा-परीक्षा/ हितधारक समिति (यों) में धारित अध्यक्षता/सदस्यता का ब्योरा

क्र. सं.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति/समाप्ति की तारीख	बैंक सहित सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या
1.	श्री रजनीश कुमार	अध्यक्ष नं.5, डुनेडिन, जे.एम. मेहता मार्ग, मुंबई-400 006	07.10.2017 / 06.10.2020	अध्यक्ष : 03
2.	श्री पी.के.गुप्ता	प्रबंध निदेशक एम-1 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	01.11.2015 / 31.03.2020	निदेशक : 02 समिति सदस्य : 02
3.	श्री दिनेश कुमार खारा	प्रबंध निदेशक एम-II किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	09.08.2019 / 08.08.2021	निदेशक : 03 समिति सदस्य : 03
4.	श्री अरिजित बसु	प्रबंध निदेशक डी-10 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	25.06.2018 / 31.10.2020	निदेशक : 01
5.	श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी	प्रबंध निदेशक डी-11 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	20.01.2020 / 19.01.2023	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 01
6.	श्री संजीव मल्होत्रा	सनदी लेखाकार 6 मोटाभाई मेंशन, 130 महर्षि कर्वे मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - 400020	26.06.2017 / 25.06.2020	निदेशक : 01 समिति के अध्यक्ष:01
7.	श्री भास्कर प्रामाणिक	आईटी व्यवसायिक 01-पी एच ई, स्काइकोर्ट लेबरनम, सुशांत लोक, सेक्टर:-28 गुरुग्राम-122002	26.06.2017 / 25.06.2020	निदेशक : 02 समिति सदस्य : 02
8.	श्री बसंत सेठ	सनदी लेखाकार फ्लैट क्र. 304, कल्पना टावर: 3/16 विष्णुपुरी, कानपुर-208002	26.06.2017 / 25.06.2020	निदेशक : 03 समिति के अध्यक्ष:01 समिति सदस्य : 02
9.	श्री बी. वेणुगोपाल	बीमा, वित्त एवं आईटी विशेषज्ञ (भूतपूर्व एमडी भारतीय जीवन बीमा निगम) फ्लैट सं.2बी, 2रा तल विंड क्लिफ, पेडर रोड मुंबई - 400 026	07.06.2018 / 25.06.2020	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 02
10.	डॉ. पुष्पेंद्र राय	विकास विशेषज्ञ (भूतपूर्व राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय लोक सेवक) 50, पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली-110 057	06.02.2020 / 05.02.2022	निदेशक : 01
11.	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	अकादमिशियन-गणित ए-1/2 पंचशील एनक्लेव नई दिल्ली - 110017	01.02.2018 / 31.01.2021	निदेशक : 01 समिति सदस्य :01
12.	श्री संजीव माहेश्वरी	सनदी लेखाकार 622, गिरि शिखर एवं सेंटर सीएचएस लि. गोयनका हाल, जे.बी.नगर अंधेरी (पू), मुंबई - 400 059	20.12.2019 / 19.12.2022	निदेशक : 02 समिति के अध्यक्ष:01 समिति सदस्य : 02
13.	श्री देवाशीष पांडा भारत सरकार के नामित	सचिव (वित्तीय सेवाएं) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (बैंकिंग डिवीजन), जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001	24.01.2020 / अगले आदेश तक	निदेशक : 01 समिति सदस्य :01
14.	श्री चंदन सिन्हा भारतीय रिजर्व बैंक नामित	अतिरिक्त निदेशक सीएएफआरएएल,भारतीय रिजर्व बैंक , सी-8, 8वां तल,बांद्रा कुर्ला परिसर बांद्रा (पू), मुंबई - 400051.	28.09.2016 / अगले आदेश तक	निदेशक : 01 समिति सदस्य :01

अनुलग्नक-II ए

31.03.2020 को निदेशकों द्वारा बैंकों/ अन्य कंपनियों की बोर्ड / बोर्ड स्तरीय समितियों में धारित अध्यक्षता/ सदस्यता का ब्योरा

1. श्री रजनीश कुमार

क्र.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - अध्यक्ष बोर्ड की वसूली निगरानी समिती - अध्यक्ष
2	एसबीआई लाइफ इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष	--
3	एसबीआई जेनेरल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	--
4	एसबीआई फाउंडेशन	अध्यक्ष	--
5	एसबीआई कैपिटल मार्केटस् लिमिटेड	अध्यक्ष	--
6	एसबीआई कार्डस एवं पेमेंट सर्विसेस लिमिटेड	अध्यक्ष	--
7	भारतीय निर्यात-आयात बैंक	निदेशक	--
8	बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान	सदस्य, शासी बोर्ड (गवर्निंग बोर्ड)	--
9	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे	सदस्य गवर्निंग बोर्ड	एनआईबीएम वित्त समिति - अध्यक्ष एनआईबीएम स्टैंडिंग समिति - सदस्य
10	भारतीय बैंक संघ	अध्यक्ष, प्रबंधन समिति	भारतीय बैंक संघ की कानूनी एवं बैंकिंग परिचालनों पर स्टैंडिंग समिति - अध्यक्ष
11	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	सदस्य	--
12	इंडियन इंस्टीट्यट ऑफ बैंकिंग एंड फ़ाइनेंस	निदेशक /अध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल	--
13	मैनेजमेंट डेव्लपमेंट इंस्टीट्यूट	सदस्य, गवर्नर बोर्ड	--
14	ईसीजीसी लि.	निदेशक, गवर्नर बोर्ड	--
15	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लि. (एनसीजीटीसी)	निदेशक (पदेन आईबीए के अध्यक्ष के रूप में)	--
16	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेशी व्यापार महानिदेशालय	व्यापार बोर्ड - सदस्य	--
17	वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय	वित्तीय समावेशन फंड (एफआईएफ) परामर्श बोर्ड - सदस्य	--
18	नैशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड	गवर्निंग काउंसिल- सदस्य	--
19	महाराष्ट्र सरकार	फिंटेक के माननीय मुख्य मंत्री के परामर्श काउंसिल - सदस्य	--
20	स्विफ्ट यूजर ग्रुप इन इंडिया - स्विफ्ट	अध्यक्ष (पदेन आईबीए के अध्यक्ष के रूप में)	--
21	लघु एवं मध्यम उद्यम गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएसएमई) - भारत सरकार	सदस्य - सलाहकार बोर्ड (पदेन आईबीए के अध्यक्ष के रूप में)	--
22	क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर लो इनकम हाउसिंग (सीआरजीएफटीएलआईएच)	सदस्य- बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (पदेन आईबीए के अध्यक्ष के रूप में)	--
23	सेंटर फॉर इंटरनेशनल कोपरेशन एंड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर बैंकिंग (सीआईसीटीएबी), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य- गवर्निंग कौंसिल (पदेन आईबीए के अध्यक्ष के रूप में) सदस्य- प्रबंधन समिति (पदेन आईबीए के अध्यक्ष के रूप में)	--
24	क्वालिटी कौंसिल ऑफ इंडिया	सदस्य गवर्निंग कौंसिल (पदेन आईबीए के अध्यक्ष के रूप में)	--

2. श्री पी.के.गुप्ता

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) का/के नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति-सदस्य बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य बड़ी :मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी करने के लिए बोर्ड की धोखाधड़ी समिति-सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
2	एसबीआई लाइफ इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	--
3	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	एसबीआई फाउंडेशन की कार्यकारी समिति-सदस्य सीएसआर समिति - सदस्य
4	एसबीआई जनरल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य पॉलिसीधारक संरक्षण समिति-सदस्य निवेश समिति-सदस्य कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य प्रौद्योगिकी समिति-सदस्य बैंक एश्योरेंस समिति-सदस्य
5	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	सदस्य	एनसीडीसी सामान्य परिषद -सदस्य
6	भारत सरकार, पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	सदस्य	जल एवं स्वच्छता सेक्टर में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण पर अध्ययन समिति (वाश)

3. श्री दिनेश कुमार खारा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) का/के नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति-सदस्य बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य बोर्ड की आईटी स्ट्रेटजी समिति-सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
2	एसबीआई कार्डस एंड पेमेंट सर्विसेस लिमिटेड	निदेशक	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य
3	एसबीआई लाइफ इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य निवेश समिति-सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य पॉलिसीधारक संरक्षण समिति-सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य बोर्ड की लाभ समिति- सदस्य प्रौद्योगिकी समिति-सदस्य सुरक्षा समिति - सदस्य
4	एसबीआई कैपिटल मार्केटस लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य निदेशक समिति-अध्यक्ष जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति-सदस्य
5	एसबीआई कैप सिक्योरिटिज प्रा. लि.	निदेशक	--
6	एसबीआई कैप वेंचर लि.	निदेशक	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-अध्यक्ष
7	एसबीआई कैप (यूके) लि.	निदेशक	--
8	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.	निदेशक	--
9	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	अध्यक्ष	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य मानव संसाधन समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
10	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	--

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
11	एसबीआई फंडस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	शेयर आबंटन एवं मानव संसाधन समिति - सदस्य
12	एसबीआई जेनेरल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति-सदस्य पालिसी धारक संरक्षण समिति-अध्यक्ष जोखिम प्रबंधन समिति-अध्यक्ष निवेश समिति - अध्यक्ष बैंक एश्यूरेंस समिति- अध्यक्ष नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य प्रौद्योगिकी समिति-सदस्य
13	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	अध्यक्ष	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य
14	एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट प्रा.लि.	अध्यक्ष	-
15	एसबीआई पेंशन फंडस प्राइवे' लिमिटेड	अध्यक्ष	-

4. श्री अरिजित बसु

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति-सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति-सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवासमिति- सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति-सदस्य

5. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति - सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति-सदस्य इरादतन चूककर्ता/ असहयोगी लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति- अध्यक्ष
2	एसएएसएफ ट्रस्ट	अध्यक्ष	--

6. श्री संजीव मल्होत्रा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-अध्यक्ष बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति-सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति-अध्यक्ष नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य इरादतन चूककर्ता/ असहयोगी लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति
2	कोटक महेन्द्रा आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड	निदेशक	--
3	फेयर फस्ट इन्शोरेंस लिमिटेड (श्रीलंका)	निदेशक	--
4	प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन	निदेशक	--

7. श्री भास्कर प्रामाणिक

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति-अध्यक्ष बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति-सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य इरादतन चूककर्ता/ असहयोगी लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति
2	टीसीएनएस क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य प्रौद्योगिकी समिति-अध्यक्ष

8. श्री बसंत सेठ

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति - अध्यक्ष बोर्ड की जोखिम् प्रबंधन समिति-सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-अध्यक्ष बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति-सदस्य बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति- अध्यक्ष बोर्ड की वसूली निगरानी समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य इरादतन चूककर्ता/ असहयोगी लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य
2	रोटो पंप्स लिमिटेड	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति-सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य
3	एकांउटस स्कोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
4	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स)	निदेशक	जोखिम समिति - सदस्य निवेश समिति - सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति -सदस्य निवेश सरंक्षण निधि समिति-सदस्य निवेश समिति सदस्य
5	धर्मपाल सत्यपाल लि.	निदेशक	लेखा परीक्षा समिति - अध्यक्ष नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य
6	डीएस कनफेक्शनरी प्रोडक्ट्स प्रा.लि.	निदेशक	लेखा परीक्षा समिति - अध्यक्ष नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य

9. श्री बी.वेणुगोपाल

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य लेखापरीक्षा समिति-सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी रणनीति समिति - सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - अध्यक्ष हितधारक संबंध समिति - संबंध कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
2	नैशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड	निदेशक	--

10. डॉ. पुष्पेंद्र राय

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	--

11. डॉ. पूर्णिमा गुप्ता

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी रणनीति समिति - सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य वसूली निगरानी हेतु बोर्ड की समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य इरादतन चूककर्ता/ असहयोगी लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य

12. श्री संजीव माहेश्वरी

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी रणनीति समिति - सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति- सदस्य हित धारक संबंध समिति-सदस्य बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य वसूली की निगरानी हेतु बोर्ड की समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/ असहयोगी लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य
2	कमादगिरि फैशन लि	निदेशक	लेखा परीक्षा समिति - अध्यक्ष नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति- सदस्य
3	ट्रस्ट एएमसी ट्रस्टी प्रा.लि.	निदेशक	लेखा परीक्षा समिति - सदस्य
4	मुद्रा शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लि.	निदेशक	-

13. श्री देवाशीष पांडा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति - सदस्य वसूली की निगरानी की बोर्ड समिति - सदस्य
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	निदेशक	--
3	आईआरडीएआई	निदेशक	--

14. श्री चंदन सिन्हा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति - सदस्य

(नोटः केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में वे सभी निदेशक या अन्य कोई निदेशक शामिल हैं जो सामान्यतः भारत में ऐसे किसी स्थान पर निवास करते हैं, या उस समय उपस्थित रहते हैं जहाँ एसबीआई साधारण विनियम के विनियम 46 के अनुसार ईसीसीबी की बैठक आयोजित की जाती है।)

अनुलग्नक - III

31.03.2020 को बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शेयरधारिता का विवरण

क्र. सं.	निदेशक का नाम	शेयरों की संख्या
1	श्री रजनीश कुमार	3,000
2	श्री पी. के. गुप्ता	4,900
3	श्री दिनेश कुमार खारा	3,100
4	श्री अरिजित बसु	710
5	श्री चल्ला श्रीनिवास शेट्टी	500
6	श्री संजीव मल्होत्रा	15,400
7	श्री भास्कर प्रामाणिक	10,000
8	श्री बसंत सेठ	5,000
9	श्री बी वेणुगोपाल	5,000
10	डॉ. पुष्पेंद्र राय	0
11	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	0
12	श्री संजीव माहेश्वरी	0
13	श्री देवाशीष पांडा	0
14	श्री चंदन सिन्हा	500

अनुलग्नक IV

वर्ष 2019-20 के दौरान केंद्रीय बोर्ड एवं बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण

क्र. सं.	निदेशक का नाम	केंद्रीय बोर्ड की बैठक	अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकें (₹)	कुल (₹)
1	श्री संजीव मल्होत्रा	8,50,000.00	15,55,000.00	24,05,000.00
2	श्री भास्कर प्रामाणिक	7,30,000.00	14,35,000.00	21,65,000.00
3	श्री बसंत सेठ	8,50,000.00	9,60,000.00	18,10,000.00
4	श्री बी वेणुगोपाल	6,60,000.00	17,80,000.00	24,40,000.00
5	डॉ. गिरीश के. आहूजा	4,90,000.00	4,20,000.00	9,10,000.00
6	डॉ. पुष्पेंद्र राय	6,40,000.00	9,05,000.00	15,45,000.00
7	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	8,50,000.00	9,10,000.00	17,60,000.00
8	श्री संजीव माहेश्वरी	3,50,000.00	3,60,000.00	7,10,000.00
9	श्री चंदन सिन्हा	7,00,000.00	11,20,000.00	18,20,000.00

अनुलग्नक V

बैंक की आचार संहिता (2019-20) के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करता हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2019-20 की बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

रजनीश कुमार
अध्यक्ष

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम वर्ष 2019-20 के लिए रोकथाम, निषेध और निवारण स्थिति

वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतें	9
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	44
मामलों की कुल संख्या	53
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	43
वर्ष के अंत में लबित मामलों की संख्या	10

31 मार्च 2020 को बोर्ड का हिस्सा रहे निदेशकों के कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं का विवरण इस प्रकार है-

क्र. सं.	नाम	योग्यता	कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताएं
1	श्री रजनीश कुमार अध्यक्ष	एम.एससी. (भौतिकी)	बैंकिंग के विभिन्न संप्रभाग जैसे रिटेल, कॉर्पोरेट निवेश, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, अनुपालन एवं जोखिम, मध्य कॉर्पोरेट समूह आदि का अनुभव।
2	श्री पीके गुप्ता प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)	बी.कॉम. कंपनी सचिव, आईसीएसआई, (नई दिल्ली)	वह रिटेल और डिजिटल बैंकिंग का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें अनुपालन और जोखिम, ट्रेजरी परिचालन के क्षेत्रों का अनुभव है। वह बैंक के उप प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी रहे हैं।
3	श्री दिनेश कुमार खारा प्रबंध निदेशक (ग्लोबल बैंकिंग एवं अनुषंगियां)	एम.कॉम. एमबीए	उन्हें वाणिज्यिक बैंकिंग सहित रिटेल क्रेडिट, लघु एवं मध्यम उद्यम/कॉर्पोरेट क्रेडिट, जमा मोबिलाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन, शाखा प्रबंधन क्षेत्र के कार्य का अनुभव है।
4	श्री अरिजित बसु प्रबंध निदेशक (वाणिज्यिक ग्राहक समूह और आईटी)	बीए (अर्थशास्त्र) एमए (इतिहास)	उन्होंने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नेतृत्व किया है। उन्हें कॉर्पोरेट बैंकिंग, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और मानव संसाधन के क्षेत्र में अनुभव है और वे बैंक द्वारा शुरू की गई व्यावसायिक प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग पहल का भी हिस्सा रहे हैं।
5	श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी प्रबंध निदेशक (दबावग्रस्त आस्तियां)	बी.एससी. (कृषि)	उन्हें विकसित बाजारों में कॉर्पोरेट क्रेडिट, रिटेल बैंकिंग और बैंकिंग का समृद्ध अनुभव है। श्री शेट्टी बैंक के दबावग्रस्त आस्तियां समाधान समूह का नेतृत्व कर रहे थे । वह रिटेल और डिजिटल बैंकिंग की कार्य देखेंगे।
6	श्री संजीव मल्होत्रा	चार्टर्ड अकाउंटेंट	ग्लोबल बैंकिंग और फाइनेंस, जोखिम प्रबंधन, कॉर्पोरेट एवं निवेश बैंकिंग, कंज्यूमर फाइनेंस एंड माइक्रो एंटरप्राइज लेंडिंग, प्राइवेट इक्विटी में 40 से ज्यादा वर्षों का अनुभव।
7	श्री भास्कर प्रामाणिक	बी.टेक, आईआईटी (कानपुर)	उन्हें भारतीय आईटी उद्योग में 45 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्होंने भारत में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह ओरेकल और सन माइक्रोसिस्टम्स के साथ प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं।
8	श्री बसंत सेठ	चार्टर्ड अकाउंटेंट	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वित्तपोषण और प्रशासनिक मामलों सहित बैंकिंग और वित्त में 40 वर्षों से अधिक का अनुभव। बैंक के बोर्ड में शामिल होने से पहले वह केंद्रीय सूचना आयुक्त थे। वह सिंडिकेट बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। वह सिडबी और बैंक ऑफ इंडिया में वरिष्ठ पदों पर भी अपनी सेवाएं कर चुके हैं।
9	श्री बी वेणुगोपाल	उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से कॉमर्स एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी में ग्रेजुएशन किया है।	बीमा, वित्त और आईटी में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव। वह भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के पद से रिटायर हुए हैं।
10	डॉ पुष्पेंद्र राय	उन्होंने आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय से पोस्टग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की है।	उन्होंने आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय से पोस्टग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने 21 साल से अधिक समय तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में कार्य किया है। उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना निदेशक-यूएनडीपी/विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ); सदस्य, शासी परिषद, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, सदस्य सचिव, विदेशी निवेश संवर्धन परिषद, कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय नवीकरण कोष, डब्ल्यूटीओ/डब्ल्यूआईपीओ में राष्ट्रीय वार्ताकार और भारतीय गुणवत्ता परिषद के महासचिव के रूप में भी काम किया है। इसके बाद डॉ राय ने 16 साल तक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा (यूएन) में काम किया।
11	डॉ पूर्णिमा गुप्ता	एमए (गणित) और गणित में पीएचडी	वह दिल्ली विश्वविद्यालय से गणित की प्रोफेसर थीं। उनका मुख्य योगदान ग्राफ और हाइपर ग्राफ, ग्राफोडियल कवर और विभाजन ग्राफ में वर्चस्व के सिद्धांत में रहा है।

क्र. सं.	नाम	योग्यता	कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताएं
12	श्री संजीव माहेश्वरी	आईसीएआई से चार्टर्ड अकाउंटेंट	लेखा-परीक्षा, कराधान और प्रबंधन परामर्श के क्षेत्र में विस्तृत अनुभव।
13	श्री देवाशीष पांडा	भौतिकी, विकासात्मक प्रबंधन में स्नातकोत्तर और पर्यावरण विज्ञान में एमफिल की डिग्री प्राप्त की	श्री देवाशीष पांडा 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं।
14	श्री चंदन सिन्हा	भौतिकी में पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीए (फाइनेंस)।	बैंकिंग एवं वित्त, अतिरिक्त निदेशक, सीएएफआरएल-आरबीआई।

नीचे दी गई तालिका में एसबीआई अधिनियम 1955 और आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक 02.08.2019 के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा पहचान की गई प्रमुख विशेषताओं और कौशल मैट्रिक्स को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर निदेशक का चयन करते समय विचार किया जाना है:

1. **उद्योग ज्ञान/अनुभव:** उद्योग अनुभव, क्षेत्र का ज्ञान, व्यापक नीतिगत मामलों का ज्ञान, सरकारी विधि/विधायी प्रक्रिया की समझ
2. **तकनीकी कौशल/अनुभव:** लेखांकन, वित्त, कानून, विपणन अनुभव, सूचना प्रौद्योगिकी, जनसंपर्क, पूंजी आवंटन, लागत, बजटीय नियंत्रण, रणनीति विकास और कार्यान्वयन।
3. **गवर्नेंस दक्षताएं:** पूर्व निदेशक अनुभव, वित्तीय साक्षरता, अनुपालन फोकस, रणनीतिक सोच/शासन के नजरिए से योजना।
4. **निदेशक के लिए आरबीआई और एसबीआई की योग्यता:** इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में विशेषज्ञता। निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक या अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या अनुभव अर्थात्-(i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहयोग, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) कानून, (vii) लघु उद्योग, (8) किसी अन्य क्षेत्र का विशेष ज्ञान और अनुभव, जो रिजर्व बैंक की राय में भारतीय स्टेट बैंक के लिए उपयोगी होगा। जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

	विशेषताएँ			
निदेशक	**उद्योग ज्ञान/ अनुभव**	**तकनीकी कौशल/ अनुभव**	**शासन दक्षता**	**निदेशक के लिए आरबीआई और एसबीआई योग्यता**
श्री रजनीश कुमार	✓	✓	✓	✓
श्री पी के गुप्ता	✓	✓	✓	✓
श्री दिनेश कुमार खारा	✓	✓	✓	✓
श्री अरिजित बसु	✓	✓	✓	✓
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी	✓	✓	✓	✓
श्री संजीव मल्होत्रा	✓	✓	✓	✓
श्री भास्कर प्रामाणिक	✓	✓	✓	✓
श्री बसंत सेठ	✓	✓	✓	✓
श्री बी. वेणुगोपाल	✓	✓	✓	✓
डॉ. पुष्पेंद्र राय	✓	✓	✓	✓
डॉ.पूर्णिमा गुप्ता	✓	✓	✓	✓
श्री संजीव माहेश्वरी	✓	✓	✓	✓
श्री देवाशीष पांडा	✓	✓	✓	✓
श्री चंदन सिन्हा	✓	✓	✓	✓

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसार जो सेबी परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 8 फरवरी 2019 के साथ पढ़ा जाए)

प्रति
सदस्य गण,
भारतीय स्टेट बैंक

हमने भारतीय स्टेट बैंक (इसके पश्चात "बैंक'' कहा गया है) पर लागू सांविधिक प्रावधानों और सुशासन व्यवहारों के उनके द्वारा अनुपालन की सचिवालयीन लेखापरीक्षा की है। सचिवालयीन लेखापरीक्षा इस ढंग से की गई है कि इससे हमें कॉरपोरेट व्यवहारों/सांविधिक अनुपालनों की स्थिति के मूल्यांकन के लिए और उस पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला है।

बैंक की बहियों, कागजात, कार्यविवरण बही, फॉर्मों और दायर विवरणियों तथा बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर और सचिवालयीन लेखापरीक्षा के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमत में, बैंक द्वारा लेखापरीक्षा अवधि अर्थात 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान यहाँ इसके नीचे दी गई सूची के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और यह भी रिपोर्ट करते हैं कि उचित बोर्ड-कार्यप्रणालियों और अनुपालन-तंत्र की यहाँ इसके पश्चात की गई रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं, ढंग और उसके अधीन व्यवस्था की गई है:

हमने बहियों, कागजात, कार्यविवरण बही, फॉर्मों और दायर की गई विवरणियों तथा बैंक द्वारा 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान रखे गए अन्य अभिलेखों की जांच-पड़ताल की है:

i. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 ("अधिनियम") और उनके तहत बनाए गए भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 ("विनियम");

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') और उनके तहत बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उनके तहत बनाई गई उप-विधियां;

iv. विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 और उनके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों जहाँ तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों का संबंध है;

v. निम्नलिखित भारतीय विनियम और दिशानिर्देश जहाँ तक भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") का संबंध है:-

क. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अर्जन) विनियम, 2011;

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (भेदिया व्यापार प्रतिबंध) विनियम, 2015;

ग. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2018;

घ. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ) विनियम, 2014;#

ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (कर्ज प्रतिभूत निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

च. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (निर्गम पंजीकार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में;

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009 # ;

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 # ;

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स) विनियम, 1996;

ञ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेश सलाहकार) विनियम, 2013;

ट. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स और सब-ब्रोकर्स) विनियम, 1992;

ठ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंडरराइटर) विनियम, 1993;

ड़. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो मैनेजर) विनियम, 1993;

ढ़. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बैंकर्स टू ए इशू) विनियम, 1994;

ण. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993;

त. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों के अभिरक्षक) विनियम, 1996; तथा

थ. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015.

विनियम या दिशानिर्देश, जैसा भी मामला हो समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं हो सकता है।

बैंक के लिए विशेष रूप से लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों की सूची नीचे दी गई है:

vi. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, के रूप में संशोधन।

vii. आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मास्टर निर्देश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश ।

हमने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 ठसूचीकरण विनियमड के लिए लागू खंड के अनुपालन की जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित को छोड़कर कुछ हद तक लागू हैं:

क) बैंक के केंद्रीय बोर्ड में चौदह (14) निदेशक शामिल हैं, जो पांच (05) कार्यकारी निदेशकों (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित) का गठन करते हैं; छह (06) स्वतंत्र निदेशक और तीन (03) गैर-कार्यकारी और गैर-स्वतंत्र निदेशक । लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 17 (1) के अनुसार, अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक होने के नाते, निदेशक मंडल का कम से कम आधा स्वतंत्र निदेशकों में शामिल होना चाहिए, जबकि बैंक के केंद्रीय बोर्ड में केवल छह (06) स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं । तथापि, लिस्टिंग विनियमों के विनियम 15 में यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 और उसके तहत बनाए गए सामान्य नियमों और विनियमों के संदर्भ में केन्द्रीय बोर्ड के गठन के संबंध में लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17 के प्रावधान बैंक पर इस हद तक लागू होंगे कि वह संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए अपने संबंधित संविधियों और दिशा-निर्देशों या निर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है।

ख) बैंक की लेखा परीक्षा समिति में नौ (09) निदेशक शामिल हैं, जिनमें चार (04) स्वतंत्र निदेशक और दो (02) कार्यकारी निदेशक सहित सात (07) गैर-कार्यकारी निदेशकों का गठन 31 मार्च 2020 को किया गया है। बैंक ने लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 18 (1) के तहत आवश्यक समीक्षाधीन अवधि के दौरान अपनी लेखा परीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशक की अपेक्षित संख्या नहीं थी।

ग) बैंक की नामांकन और पारिश्रमिक समिति ("एनआरसी") का विधिवत गठन किया जाता है और इसने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है, हालांकि लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 19 के तहत आवश्यक समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोजित बैंक के एनआरसी की कोई बैठक नहीं हुई। बैंक के एनआरसी ने 23 जनवरी, 2020 को परिपत्र संकल्प के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बोर्ड, बोर्ड समितियों और निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए ढांचे/मानदंडों को मंजूरी दे दी है;

घ) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आय मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों पर जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए 7,00,00,000 रुपये (केवल सात करोड़ रुपये) का कुल जुर्माना लगाया है और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के संबंध में जारी किए गए अपने निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए 50,00,000 रुपये (केवल पचास लाख रुपये) लगाया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

उपर्युक्त को देखते हुए, बैंक के केन्द्रीय निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुई केंद्रीय निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे। केंद्रीय बोर्ड की बैठकों का कार्यक्रम तय करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई थी, एजेंडा और एजेंडे में विस्तृत नोटों को बैठकों के लिए पहले से भेजा गया था और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए और मिनटों की समीक्षा करते हुए कोई असहमति विचार नहीं देखा गया। हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं। हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, बैंक ने घटनाओं/कार्यों का अनुसरण किया है:

i) बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति ने 24 अप्रैल, 2019 को हुई बैठक में नियम 144A/विनियमन- एस ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1933 के तहत एकल/बहु किस्तों में दीर्घकालिक निधि जुटाने को 2.5 अरब डॉलर तक बढ़ाने की मंजूरी दी थी। बैंक ने अपनी लंदन शाखा के माध्यम से बांड जारी किए और बांड सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, गिफ्ट सिटी पर सूचीबद्ध हैं।

ii) बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति ने 29 मई, 2019 को हुई बैठक में निजी प्लेसमेंट मुद्दे के माध्यम से डिबेंचर की प्रकृति में अपरिवर्तनीय, असुरक्षित, बेसल-III अनुरूप, अतिरिक्त टियर-II बांड के मुद्दे को मंजूरी दी थी। अतिरिक्त टियर-2 बांड डिबेंचर की प्रकृति में 50,00,00,00,000 रुपये (केवल पांच हजार करोड़ रुपये) निजी प्लेसमेंट अंक के माध्यम से एकत्रित।

iii) बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 01 जुलाई, 2019 को हुई अपनी बैठक में निजी प्लेसमेंट मुद्दे के माध्यम से 70,00,00,00,000 रुपये (सात हजार करोड़ रुपये) के डिबेंचर की प्रकृति में गैर-परिवर्तनीय, असुरक्षित, बेसल- 3 अनुरूप, अतिरिक्त टियर-1 बांड जारी करने को मंजूरी दी थी।

iv) केंद्र सरकार की अधिसूचना संख्या के अनुसार सीजीडीएल-ई-13032020-218653 दिनांक 13 मार्च, 2020 और यस बैंक लिमिटेड पुनर्निर्माण योजना, 2020 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी यस बैंक लिमिटेड के 6,05,00,00,000 (छहसौ एवं पाच करोड़) इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण ₹ 2 प्रति शेयर के ₹ 8 प्रति शेयर के प्रीमियम पर कुल ₹ 60,50,00,00,000/- (छह हजार एवं पचास करोड़) किया गया है। 14 मार्च, 2020 को उक्त अधिग्रहण के अनुसार, बैंक ने यस बैंक लिमिटेड में कुल 48.21% हिस्सेदारी हासिल की है।

कृते भंडारी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

एस एन भंडारी
पार्टनर
एफसीएस नं: 761; सी पी नं:366
मुंबई: 05 जून, 2020
आईसीएसआई UDIN: F000761B000318441

इस रिपोर्ट को हमारे यहां तक कि तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो एनेक्सचर 'ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

अनुलग्नक 'क'

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट सम-तिथि को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए है।

1. सचिवालयीन रिकॉर्ड का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवालयीन रिकॉर्ड पर अभिमत व्यक्त करना है।

2. हमने लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवालयीन रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। परीक्षण के आधार पर सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवालयीन रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा विश्वास है कि प्रक्रियाओं और प्रथाओं के पालन द्वारा हम अपने अभिमत को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।

3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बही की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।

4. जहाँ भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉरपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता से संबंधित है, जिसके द्वारा प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते भंडारी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

एसएन भंडारी
पार्टनर
एफसीएस संख्याः 761; सीपी नंबरः 366
मुंबईः 05 जून, 2020
आईसीएसआई यूडीईडीः F000761B000318441

निदेशकों के योग्यता प्रमाण पत्र

[विनियमन 34 (3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i) सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के अनुसार]

प्रति
सदस्यगण
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड
मुंबई 400021

हमने भारतीय स्टेट बैंक के निदेशकों से प्राप्त संबंधित रजिस्टरों, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है (इसके बाद जिसे बैंक के रूप में संदर्भित किया जाता है) स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400021 में स्थित केंद्रीय कार्यालय में विनियमन 34 (3) के अनुसार भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के अनुसूची V पैरा-सी उप खंड 10 (i) के साथ पढ़े गए इस प्रमाण पत्र को जारी करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया। हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार और इसके अनुसार सत्यापित (निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) सहित) पोर्टल www.mca.gov.in में के अनुसार और बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर हम प्रमाणित है कि बैंक के केंद्रीय बोर्ड में शामिल निदेशकों में से किसी निदेशक को 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से रोकने के लिए या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्र. स.	निदेशकों के नाम	डीआईएन	बैंक मे नियुक्ति की तिथि
1.	श्री रजनीश कुमार	05328267	26/05/2015
2.	श्री पी के गुप्ता	02895343	02/11/2015
3.	श्री दिनेश कुमार खारा	06737041	09/08/2016
4.	श्री अरिजित बसु	06907779	25/06/2018
5.	श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी	08335249	20/01/2020
6.	श्री संजीव मल्होत्रा	03435955	26/06/2014
7.	श्री भास्कर प्रामाणिक	00316650	26/06/2017
8.	श्री बसंत सेठ	02798529	26/06/2017
9.	श्री बी. वेणुगोपाल	02638597	07/06/2018
10.	डॉ. पुष्पेंद्र राय	07506230	28/01/2016
11.	डॉ.पूर्णिमा गुप्ता*	------	01/02/2018
12.	श्री संजीव माहेश्वरी	02431173	20/12/2019
13.	श्री देवाशीष पांडा	06479085	20/01/2020
14.	श्री चंदन सिन्हा	06921244	28/09/2016

*डॉ. पूर्णिमा गुप्ता को निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) आवंटित नहीं किया गया है क्योंकि कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने पत्र फाइल नंबर 17/02/2015-सीएल V-पीटी-II दिनांक 05 सितंबर, 2019 के माध्यम से बताया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों में उन संस्थाओं से जुड़े व्यक्तियों को डीआईएन आवंटित करने का प्रावधान नहीं है जिनके पास कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) नहीं है।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/ जारी रखने की पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर राय व्यक्त करना है। यह प्रमाण पत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

भंडारी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

एस एन भंडारी
पार्टनर
एफसीएस नंबर: 761; सी पी नं.: 366
मुंबई 30 मई 2020
आईसीएसआई यूडीईडी: एफ000761B000303844

कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय स्टेट बैंक

हम,जे.सी.भल्ला एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 001111 एन), और भारतीय स्टेट बैंक, इसका कारपोरेट केंद्र स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई, महाराष्ट्र, पिन 400021 में स्थित है, के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है,जो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए सूचीकरण विनियम के विनियम 15 (2) में यथा संदर्भित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों में निर्धारित की गई है।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है। हमारी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन के प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुसार की गई है और यह कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यविधियों तथा उनके कार्यालय तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरण पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और जहां तक हमें जानकारी है, उसके अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक में उपर्युक्त सूचीकरण करार में निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश करते हुए अनुपालन किया है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में आश्वासन है न ही वह उस कुशलता अथवा प्रभावकारिता से संबंधित है,जिसके द्वारा प्रबंधन वर्ग ने बैंक के कारोबार का संचालन किया है।

कृते एवं की और से
जे.सी. भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 001111 N

राजेश सेठी
पार्टनर
मेंबरशिप नं. 085669
यूडीआईएनः 20085669AAAABA7352

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 05 जून, 2020

व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट
BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के बारे में:

बैंक की व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट वित्त वर्ष 2012-13 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है।

भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 34 (2) (एफ) को सेबी परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी /सीएमडी/10/2015 दिनांक 4 नवंबर, 2015 के साथ पढ़ा गया, में बीएसई और एनएसई में बाजार पूंजीकरण (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक गणना) के आधार पर शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। बैंक की संवहनीयता रिपोर्ट जिसमें 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट शामिल है, को बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in इन्वेस्टर्स रिलेशंस लिंक के तहत रखा गया है। इसकी भौतिक प्रति प्राप्त करने में रुचि रखने वाला कोई भी शेयरधारक बैंक को लिख सकता है (ईमेल आईडी: gm.snb@sbi.co.in और डाक पता: महाप्रबंधक, शेयर और बांड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, कॉर्पोरेट सेंटर, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400 021)।

हरित मैराथन

भारतीय स्टेट बैंक

तुलन - पत्र, 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी एवं देयताएँ			
पूंजी	1	892,46,12	892,46,12
आरक्षित निधियाँ व अधिशेष	2	231114,96,63	220021,36,33
जमा राशियाँ	3	3241620,73,43	2911386,01,07
उधार राशियाँ	4	314655,65,21	403017,11,82
अन्य देयताएँ व प्रावधानीकरण	5	163110,10,41	145597,29,55
योग		**3951393,91,80**	**3680914,24,89**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और जमाराशियाँ	6	166735,77,90	176932,41,75
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	7	84361,22,64	45557,69,40
निवेश	8	1046954,51,75	967021,94,75
अग्रिम	9	2325289,56,07	2185876,91,77
अचल आस्तियाँ	10	38439,28,18	39197,56,94
अन्य आस्तियाँ	11	289613,55,26	266327,70,28
योग		**3951393,91,80**	**3680914,24,89**
आकस्मिक देयताएँ	12	1214994,60,69	1116081,45,94
वसूली के लिए बिल	-	55758,16,19	70022,53,97
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एंव डिजिटल बैंकिंग)

श्री अरिजित बसु
प्रबंध निदेशक
(सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(ग्लोबल बैंकिंग एवं अनुषंगियां)

निदेशक:

श्री संजीव मल्होत्रा	उदगमंडलम
श्री भास्कर प्रामाणिक	नई दिल्ली
श्री बसंत सेठ	कानपुर
डॉ. पुष्पेंद्र राय	नई दिल्ली
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	नई दिल्ली
श्री बी. वेणुगोपाल	मुंबई
श्री चंदन सिन्हा	मुंबई
श्री देवाशीष पांडा	नई दिल्ली
श्री संजीव महेश्वरी	मुंबई

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 05 जून, 2020

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.सी. भल्ला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

राजेश सेठी
भागीदार: स. क्र. 085669
फर्म पंजी सं. 001111 एन
स्थान: नई दिल्ली

कृते रे एंड रे
सनदी लेखाकार

अरविन्द नारायण येन्नमडी
भागीदार: स.क्र. 031004
फर्म पंजी सं.301072 ई
स्थान: मुंबई

कृते के. वेंकटाचलम अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ए. गोपालकृष्णन
भागीदार: स.क्र. 018159
फर्म पं.क्र.004610 एस
स्थान: एर्नाकुलम

कृते जी.पी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

सुनीता केडिया
भागीदार: स.क्र. 60162
फर्म पं.क्र. 302082 ई
स्थान: कोलकाता

कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

जी. शिव रामकृष्ण प्रसाद
भागीदार: स.क्र. 024860
फर्म प. क्र. 004453 एस
स्थान: हैदराबाद

कृते चतुर्वेदी एंड शाह एलएलपी
सनदी लेखाकार

विठेश डी. गांधी
भागीदार: स.क्र. 110248
फर्म पं.क्र.101720 डबल्यू / डबल्यू 100355
स्थान: मुंबई

कृते ओ.पी. तोतला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस.आर. तोतला
भागीदार: स.क्र. 071774
फर्म पं.क्र. 000734 सी
स्थान: इन्दौर

कृते एस.के. कपूर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. बी. सिंह
भागीदार: स.क्र. 073124
फर्म पं.क्र. 000745 सी
स्थान : कानपुर

कृते एससीवी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार

संजय वासुदेवा
भागीदार: स.क्र. 090989
फर्म पं.क्र. 000235 एन / एन500089
स्थान: नई दिल्ली

कृते खंडेलवाल जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार

पंकज जैन
भागीदार: स.क्र. 48850
फर्म प. क्र. 105049 डबल्यू
स्थान: मुंबई

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस मूर्ति
भागीदार: स.क्र. 072290
फर्म पं.क्र. 001135 एन
स्थान: नई दिल्ली

कृते एन.सी. राजगोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. चंद्रशेखरन
भागीदार: स.क्र. 024844
फर्म पं.क्र. 003398 एस
स्थान: चेन्नई

कृते कर्णावट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विरल जोशी
भागीदार: स.क्र. 137686
फर्म पं.क्र.104863 डबल्यू
स्थान: मुंबई

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विपुल के चोकसी
भागीदार: स.क्र. 37606
फर्म पं.क्र.109574 डबल्यू
स्थान: मुंबई

दिनांक: 5 जून 2020

अनुसूची

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी : 5000,00,00,000 शेयर, ₹ 1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 5000,00,00,000 ₹ 1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी : 892,54,05,164 इक्विटी शेयर, ₹ 1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,54,05,164 इक्विटी शेयर, ₹ 1 प्रति शेयर)	892,54,05	892,54,05
अभिदत्त तथा संदत्त पूंजी : 892,46,11,534 इक्विटी शेयर, ₹ 1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,46,11,534 इक्विटी शेयर, ₹ 1 प्रति शेयर)	892,46,12	892,46,12
उपर्युक्त में प्रति ₹ 1 के 11,03,42,880 इक्विटी शेयर भी शामिल हैं (पिछले वर्ष प्रति ₹ 1 के 12,10,71,350 इक्विटी शेयर) इन्हें 1,10,34,288 वैश्विक जमा रसीद के रूप में व्यक्त किया गया है (पिछले वर्ष 1,21,07,135)		
योग	**892,46,12**	**892,46,12**

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ व अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I.	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	65595,65,26		65336,98,37	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	4346,43,32		258,66,89	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			69942,08,58		65595,65,26
II.	**पूंजी आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	9770,86,64		9391,65,88	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3985,83,93		379,20,76	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			13756,70,57		9770,86,64
III.	**शेयर प्रीमियम**				
	अथशेष	79115,47,05		79124,21,51	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		37,92	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		9,12,38	
			79115,47,05		79115,47,05
IV.	**निवेश अस्थिरता आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	-		-	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1119,88,09		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			1119,88,09		-

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
V.	**विदेशी मुद्रा रूपांतर आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	6730,96,89		5720,58,73	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	2844,98,23		1077,13,19	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	301,34,68		66,75,03	
			9274,60,44		6730,96,89
VI.	**आय एवं अन्य आरक्षित निधियाँ***				
	अथशेष	49380,51,95		48893,23,87	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	793,96,19		563,88,56	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	5532,62,60		76,60,48	
			44641,85,54		49380,51,95
VII.	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	24653,94,08		24847,98,65	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	379,57,78		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1270,85,29		194,04,57	
			23762,66,57		24653,94,08
VIII.	**लाभ-हानि खाते का अधिशेष**		(10498,30,21)		(15226,05,54)
योग			**231114,96,63**		**220021,36,33**

* नोटः आय एवं अन्य आरक्षितियों में निम्नलिखित शामिल है

(i) एकीकरण एवं विकास निधि (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखी गई) के ₹ 5,00,00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 5,00,00 हजार)

(ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियाँ ₹ 14032,22,76 हजार (पिछले वर्ष ₹ 13421,76,76 हजार)

(iii) निवेश आरक्षित निधियाँ चालू वर्ष ₹ 69,58,40 (पिछला वर्ष ₹ 371,84,01)

अनुसूची 3 - जमा-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	**I.**	**मांग जमा-राशियाँ**		
		(i) बैंकों से	5129,65,75	6894,62,06
		(ii) अन्यो से	222205,92,69	198980,62,74
	II.	बचत बैंक जमा-राशियाँ	1206371,98,79	1091751,97,36
	III.	सावधि जमा-राशियाँ		
		(i) बैंकों से	5973,24,84	8234,15,28
		(ii) अन्यो से	1801939,91,36	1605524,63,63
योग			**3241620,73,43**	**2911386,01,07**
ख.	**I.**	**भारत में शाखाओं की जमा-राशियाँ**	3124615,86,05	2814243,42,48
	II.	**भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमा-राशियाँ**	117004,87,38	97142,58,59
योग			**3241620,73,43**	**2911386,01,07**

अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में उधार-राशियाँ**				
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक		33533,00,00		94319,00,00
	(ii) अन्य बैंक		40,00,00		260,00,00
	(iii) अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण		6165,75,42		27853,89,24
	(iv) पूंजीगत लिखत :				
	क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखते (आईपीडीआई)	23535,70,00		19152,30,00	
	ख) गौण ऋण	32006,73,80		28256,73,80	
			55542,43,80		**47409,03,80**
योग			**95281,19,22**		**169841,93,04**
II.	**भारत के बाहर उधार-राशियाँ**				
	(i) भारत के बाहर उधार-राशियाँ तथा पुनर्वित्त		217104,50,99		231100,53,78
	(ii) पूंजीगत लिखते :				
नवोन्मेषी सतत ऋण लिखते (आईपीडीआई)			2269,95,00		2074,65,00
योग			**219374,45,99**		**233175,18,78**
कुल योग			**314655,65,21**		**403017,11,82**
उपर्युक्त I व II में प्रतिभूत उधार-राशियाँ सम्मिलित हैं।			**42790,93,47**		**124028,25,70**

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ व प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	संदेय बिल	26822,90,16	23875,66,31
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	21735,74,61
III.	उपचित ब्याज	15697,16,19	14479,87,48
IV.	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	6,16,17	2,33,15
V.	अन्य (प्रावधानो सहित)*	120583,87,89	85503,68,00
योग		**163110,10,41**	**145597,29,55**

* मानक आस्तियों के लिए ₹ 11544,24,43 हजार का विवेकशील प्रावधान शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 12396,67,91 हजार)

अनुसूची 6 - नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट तथा स्वर्ण सहित)	20104,58,40	18777,94,34
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
	(i) चालू खाते में	146631,19,50	158154,47,41
	(ii) अन्य खातों में	-	-
योग		**166735,77,90**	**176932,41,75**

अनुसूची 7 - बैंकों में जमाराशियाँ व मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में**		
	(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
	(क) चालू खातों में	22,59,77	870,270
	(ख) अन्य जमा खातों में	-	-
	(ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन राशि		
	(क) बैंकों में	44747,71,31	4608,88,73
	(ख) अन्य संस्थानों में	-	-
योग		**44770,31,08**	**4695,91,43**
II.	**भारत के बाहर**		
	(i) चालू खातों में	28303,47,50	19667,07,18
	(ii) अन्य जमा खातों में	1379,28,32	2870,14,73
	(iii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन राशि	9908,15,74	18324,56,06
योग		**39590,91,56**	**40861,77,97**
कुल योग (I एवं II)		**84361,22,64**	**45557,69,40**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में निवेश :**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	803270,12,10	761883,12,15
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
	(iii) शेयर	8221,43,31	9878,74,38
	(iv) डिबेंचर और बांड	102363,82,19	84948,36,68
	(v) अनुषंगियों तथा/अथवा संयुक्त उद्यमों में (इसमें सहयोगियाँ सम्मिलित हैं)	11744,07,18	5608,00,04
	(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड की यूनिट, कमर्शियल पेपर इत्यादि)	74057,22,82	53388,53,85
योग		**999656,67,60**	**915706,77,10**

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
II. भारत के बाहर निवेश			
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)		17062,82,86	11644,84,99
(ii) विदेश में स्थापित अनुषंगियाँ तथा/अथवा संयुक्त उद्यम		4298,49,28	4298,49,28
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)		25936,52,01	35371,83,38
योग		**47297,84,15**	**51315,17,65**
कुल योग (I एवं II)		**1046954,51,75**	**967021,94,75**
III. भारत में निवेश :			
(i) निवेशों का सकल मूल्य		1010599,04,40	926650,59,97
(ii) घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास		10942,36,80	10943,82,87
(iii) निवल निवेश (उपर्युक्त I के अनुसार)	**योग**	**999656,67,60**	**915706,77,10**
IV. भारत के बाहर निवेश :			
(i) निवेशों का सकल मूल्य		47448,66,41	51473,39,76
(ii) घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास		150,82,26	158,22,11
(iii) निवल निवेश (उपर्युक्त II के अनुसार)	**योग**	**47297,84,15**	**51315,17,65**
कुल योग (III एवं IV)		**1046954,51,75**	**967021,94,75**

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	I.	क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	84017,46,96	80278,87,21
	II.	कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	708726,92,91	776633,45,81
	III.	सावधि ऋण	1532545,16,20	1328964,58,75
योग			**2325289,56,07**	**2185876,91,77**
ख.	I.	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम शामिल है)	1673925,40,51	1582764,41,50
	II.	बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा संरक्षित	92117,72,36	80173,16,17
	III.	अप्रतिभूत	559246,43,20	522939,34,10
योग			**2325289,56,07**	**2185876,91,77**
ग.	I.	भारत में अग्रिम		
	(i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	526675,87,35	520729,77,60
	(ii)	सार्वजनिक क्षेत्र	287504,28,69	240295,89,39
	(iii)	बैंक	812,52,23	9174,06,50
	(iv)	अन्य	1154187,79,39	1114679,73,28
योग			**1969180,47,66**	**1884879,46,77**
	II.	भारत के बाहर अग्रिम		
	(i)	बैंकों से प्राप्य	80372,75,07	69975,74,47
	(ii)	अन्यों से प्राप्य		
		(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	31091,11,08	26740,94,11
		(ख) सिंडीकेट ऋण	172482,45,21	138191,25,40
		(ग) अन्य	72162,77,05	66089,51,02
योग			**356109,08,41**	**300997,45,00**
कुल योग (C-I एवं C-II)			**2325289,56,07**	**2185876,91,77**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I.	**परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसरों सहित)**				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर पुनर्मूल्यांकित	30831,77,23		30201,53,82	
	परिवर्धन:				
	- वर्ष के दौरान	299,15,09		669,84,09	
	- पुनर्मूल्यांकन हेतु	3936,14,00		-	
	कटौतियाँ:				
	- वर्ष के दौरान	14,17,04		39,60,68	
	- पुनर्मूल्यांकन हेतु	4735,02,74		-	
	अद्यतन मूल्यह्रास				
	- लागत पर	833,18,06		714,18,98	
	- पुनर्मूल्यांकन पर	670,54,22		497,17,97	
			28814,14,26		**29620,40,28**
II.	**अन्य अचल आस्तियां (इसमें फर्नीचर तथा फिक्सचर सम्मिलित हैं)**				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर पुनर्मूल्यांक्ति	31074,77,30		30114,90,96	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3352,06,86		2404,25,97	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	929,22,06		1444,39,63	
	अद्यतन मूल्यह्रास	24288,37,20		22186,23,44	
			9209,24,90		**8888,53,86**
III.	**निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)**		**415,89,02**		**688,62,80**
योग (I, II एवं III, IV)			**38439,28,18**		**39197,56,94**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	1936,15,88	-
II.	प्रोद्भूत ब्याज	26252,46,38	26141,97,03
III.	अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती	34450,84,01	24376,29,42
IV.	आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	2933,44,38	10422,49,17
V.	लेखन सामग्री तथा स्टैम्प	92,02,77	102,14,03
VI.	दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियां	56,10	73,71
VII.	अन्य *	223948,05,74	205284,06,92
योग		**289613,55,26**	**266327,70,28**

*नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में जमा रखे गए ₹ 163238,91,62 हजार (पिछले वर्ष ₹ 138245,29,37 हजार) की जमाराशियाँ शामिल हैं।

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	71642,48,25	43357,92,57
II.	अंशतः प्रदत्त निवेशों/ वेंचर फंड्स के लिए देयता	1682,66,59	472,87,61
III.	बकाया वादा विनिमय संविदाओं के संबंध में देयता	635813,45,45	596621,66,74
IV.	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
	(क) भारत में	165584,80,13	157186,66,27
	(ख) भारत के बाहर	70636,18,96	72425,94,84
V.	प्रतिग्रहण,पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	132364,00,65	124194,94,04
VI.	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है*	137271,00,66	121821,43,87
योग		**1214994,60,69**	**1116081,45,94**

* ₹132209,26,69 हजार के डेरिवेटिव्स (पिछले वर्ष ₹ 117435,24,87 हजार) शामिल हैं।

भारतीय स्टेट बैंक

लाभ और हानि खाता 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

		अनुसूची संख्या	31.03.2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	257323,59,22	242868,65,35
	अन्य आय	14	45221,47,80	36774,88,78
योग			**302545,07,02**	**279643,54,13**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	159238,76,57	154519,77,80
	परिचालन व्यय	16	75173,69,02	69687,73,74
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		53644,50,37	54573,79,61
योग			**288056,95,96**	**278781,31,15**
III.	**लाभ**			
	हानि वर्ष के लिए निवल लाभ		14488,11,06	862,22,98
	आगे लाया गया लाभ / (हानि)		(15226,05,54)	(15078,56,86)
योग			**(737,94,48)**	**(14216,33,88)**
IV.	**विनियोजन**			
	सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरण		4346,43,32	258,66,89
	पूंजी आरक्षित निधियों को अंतरण		3985,83,93	379,20,76
	निवेश अस्थिरता आरक्षित निधियों को अंतरण		1119,88,09	-
	आय एवं अन्य आरक्षित निधियों को अंतरण		308,20,39	371,84,01
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई शेष राशि		(10498,30,21)	(15226,05,54)
योग			**(737,94,48)**	**(14216,33,88)**
V.	**प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य ₹ 1 प्रति शेयर)**			
	मूल आय (₹)		16.23	0.97
	कम की गई आय (₹)		16.23	0.97
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
	लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ और हानि लेखा का अभिन्न अंग हैं।

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एंव डिजिटल बैंकिंग)

श्री अरिजित बसु
प्रबंध निदेशक
(सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(ग्लोबल बैंकिंग एवं अनुषंगियां)

निदेशक:
श्री संजीव मल्होत्रा
श्री भास्कर प्रामाणिक
श्री बसंत सेठ
डॉ. पुष्पेंद्र राय
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता
श्री बी. वेणुगोपाल
श्री चंदन सिन्हा
श्री देवाशीष पांडा
श्री संजीव महेश्वरी

स्थान:
उदगमंडलम
नई दिल्ली
कानपुर
नई दिल्ली
नई दिल्ली
मुंबई
मुंबई
नई दिल्ली
मुंबई

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 05 जून, 2020

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.सी. भल्ला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

राजेश सेठी
भागीदार: स. क्र. 085669
फर्म पंजी सं. 001111 एन
स्थान: नई दिल्ली

कृते रे एंड रे
सनदी लेखाकार

अरविन्द नारायण येन्नमडी
भागीदार: स.क्र. 031004
फर्म पंजी सं.301072 ई
स्थान: मुंबई

कृते के. वेंकटाचलम अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ए. गोपालकृष्णन
भागीदार: स.क्र. 018159
फर्म पं.क्र.004610 एस
स्थान: एर्नाकुलम

कृते जी.पी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

सुनीता केडिया
भागीदार: स.क्र. 60162
फर्म पं.क्र. 302082 ई
स्थान: कोलकाता

कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

जी. शिव रामकृष्ण प्रसाद
भागीदार: स.क्र. 024860
फर्म प. क्र. 004453 एस
स्थान: हैदराबाद

कृते चतुर्वेदी एंड शाह एलएलपी
सनदी लेखाकार

विठेश डी. गांधी
भागीदार: स.क्र. 110248
फर्म पं.क्र.101720 डबल्यू / डबल्यू 100355
स्थान: मुंबई

कृते ओ.पी. तोतला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस.आर. तोतला
भागीदार: स.क्र. 071774
फर्म पं.क्र. 000734 सी
स्थान: इन्दौर

कृते एस.के. कपूर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. बी. सिंह
भागीदार: स.क्र. 073124
फर्म पं.क्र. 000745 सी
स्थान : कानपुर

कृते एससीवी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार

संजय वासुदेवा
भागीदार: स.क्र. 090989
फर्म पं.क्र. 000235 एन / एन500089
स्थान: नई दिल्ली

कृते खंडेलवाल जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार

पंकज जैन
भागीदार: स.क्र. 48850
फर्म प. क्र. 105049 डबल्यू
स्थान: मुंबई

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस मूर्ति
भागीदार: स.क्र. 072290
फर्म पं.क्र. 001135 एन
स्थान: नई दिल्ली

कृते एन.सी. राजगोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. चंद्रशेखरन
भागीदार: स.क्र. 024844
फर्म पं.क्र. 003398 एस
स्थान: चेन्नई

कृते कर्णावट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विरल जोशी
भागीदार: स.क्र. 137686
फर्म पं.क्र.104863 डबल्यू
स्थान: मुंबई

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विपुल के चोकसी
भागीदार: स.क्र. 37606
फर्म पं.क्र.109574 डबल्यू
स्थान: मुंबई

दिनांक: 5 जून 2020

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	179748,83,55	161640,23,23
II.	निवेशों पर आय	68204,72,38	74406,16,37
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य अंतर-बैंक निधियों के अधिशेष पर ब्याज	2920,40,56	1179,06,59
IV.	अन्य	6449,62,73	5643,19,16
योग		**257323,59,22**	**242868,65,35**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	23725,05,94	23303,89,22
II.	निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) 1	8575,65,21	3146,86,06
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ (हानि) (निवल)	-	(2124,03,82)
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(28,37,38)	(34,98,24)
V.	विनिमय लेनदेनों पर लाभ/ (हानि) (निवल)	2516,41,29	2155,75,29
VI.	विदेश/भारत में अनुषंगियों/कंपनियों तथा/या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों इत्यादि के रूप में अर्जित आय	212,03,35	348,01,18
VII.	विविध आय[2]	10220,69,39	9979,39,09
योग		**45221,47,80**	**36774,88,78**

[1] निवेशों की बिक्री पर (निवल) लाभ/(हानि) में ₹ 6,215.64 करोड़ की विशेष मदें शामिल हैं।(पिछले वर्ष ₹ 473.12 करोड़)

[2] विविध आय में असाधारण मद में शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,087.43) तथा अपलिखित खातों में की गई ₹ 9,250.23 करोड़ की वसूली शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 8,344.61 करोड़)

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	जमाराशियों पर ब्याज	147398,96,33	140272,36,59
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	6891,11,73	9838,95,98
III.	अन्य	4948,68,51	4408,45,23
योग		**159238,76,57**	**154519,77,80**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	45714,96,78	41054,70,68
II.	भाड़ा, कर और लाइटिंग	5339,11,88	5265,65,95
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री	526,20,36	498,94,99
IV.	विज्ञापन व प्रचार	246,16,76	354,05,58
V.	बैंक की संपति पर मूल्यह्रास	3303,81,33	3212,30,65
VI.	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	1,86,42	1,34,65
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस तथा व्यय सहित)	244,67,58	293,67,65
VIII.	विधि प्रभार	266,66,85	261,84,28
IX.	डाक व्यय, तार, टेलीफोन इत्यादि	349,13,89	387,01,81
X.	मरम्मत और अनुरक्षण	924,32,58	904,08,56
XI.	बीमा	3212,71,45	2845,44,78
XII.	अन्य व्यय	15044,03,14	14608,64,16
योग		**75173,69,02**	**69687,73,74**

अनुसूची 17-
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार :

बैंक के वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, अवधिगत लागत परिपाटी के तहत लेखा की निरंतर प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी); जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, विनियामक मानदंड/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, बैंककारी विनियमन अधिनियम-1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती हैं; के अनुरूप हैं।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन-मंडल को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन-मंडल का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं तर्कसंगत हैं। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं। इन अनुमानों में किसी भी संशोधन के असर को परिवर्तन की अवधि से भावी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. आय निर्धारण :

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय एवं व्यय को उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार शामिल किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।

1.2 ब्याज/छूट आय को लाभ और हानि खाते में प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है जो इनके अतिरिक्त है: (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय जिसे वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया है, को "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया जाता है। तथापि "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली निवल राशि) "आरक्षित पूंजी खाते" में विनियोजित किया जाता है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे में बकाया निवल निवेश पर पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल निवेश के समान राशि को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 19 - "पट्टे" के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित किया गया है, जो कि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के रुझान पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है :

क) ब्याज युक्त प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय हिसाब में लिया जाता है।

ख) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 लाभांश प्राप्त करने का अधिकार लागू होने पर, लाभांश आय को हिसाब में लिया जाता है।

1.7 इस अवधि में साख-पत्र/बैंक गारंटी, आस्थगित भुगतान गारंटियों, सरकारी व्यवसाय, एटीएम इंटरचेंज शुल्क और 'पुनर्संरचित खाते पर अग्रिम शुल्क' पर कमीशन को प्रोद्भवन आधार पर आनुपातिक रूप से हिसाब में लिया गया है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय उनकी प्राप्ति के आधार पर हिसाब में ली गई है।

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है।

1.9 बॉन्ड/जमापत्र जारी करने के लिए अदा की गई गई दलाली, कमीशन को संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को अग्रिम रूप से प्रभारित किया गया है।

1.10 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है,:-

i. जब बैंक अपनी वित्तीय आस्तियों का विक्रय प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को करता है, तो इसे अपने खातों से हटा देता है।

ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटा कर) से कम है, तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते को नामे किया जाता है।

iii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान की राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

2. निवेश

सभी प्रतिभूतियों में लेनदेन को "निपटान तिथि" (सेटलमेंट डेट) पर दर्ज किया गया है।

2.1 वर्गीकरण :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "ट्रेडिंग के लिए धारित" (एचएफटी)। तुलनपत्र की अनुसूची 8 (I) में प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए 'भारत में निवेशों' को छह समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, (iii) शेयर, (iv) बॉन्ड एवं डिबेंचर, (v) अनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यम और (vi) अन्य एवं (II) 'भारत के बाहर के निवेशों' को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) विदेश स्थित अनुषंगियाँ एवं/अथवा संयुक्त उद्यम और (iii) अन्य निवेश।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, उन्हें "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. जिन निवेशों को सिद्धांततः क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, उन्हें "ट्रेडिंग के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", ठविक्रय के लिए उपलब्धड या "ट्रेडिंग के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परिवर्तन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

v. अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों सहयोगियों में किए गए निवेश को "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन निवेशों को छोडकर जिनको क्रय करके तत्पश्चात विक्रय के लिए विशेष रू से रखा गया है। इन निवेशों को विक्रय के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 मूल्यांकन :

i. किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में:

(क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

(ख) निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय के व्यय में शामिल कर लिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

(घ) लागत का निर्धारण, "विक्रय के लिए उपलब्ध" एवं "ट्रेडिंग के लिए रखे गए" श्रेणी के तहत निवेश हेतु भारित औसत लागत प्रणाली के अनुसार एवं 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के लिए फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर किया गया है।

ii. एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम के आधार पर किया गया है। ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो तो, उस हेतु पूर्णतः प्रावधान किया गया है। परंतु एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य पर किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है एवं किसी भी प्रकार के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है ।

iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

iv. **"परिपक्वता तक धारित" श्रेणी:** क) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर ब्याज" शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है। (ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों) में निवेश को अवधिगत लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है। अस्थायी से इतर प्रत्येक निवेश के मामले में कमी की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है। (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश जिसे रखाव लागत (यानी बही मूल्य) आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

v. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणियाँ:** एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से संबद्ध प्रत्येक समूह (जैसे (i) (सरकारी प्रतिभूतियाँ) (ii) (अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ) (iii) (शेयर) (iv) (बांड एवं डिबेंचर) (v) (अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम) और (vi) अन्य) के सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात् अपरिवर्तित रहा है।

vi. प्रतिभूति रसीदों पर प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में प्रतिभूति रसीद में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) ii) प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य, दोनों में जो भी कम हो, को हिसाब में लिया जाता है। प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के मूल्य का नॉन एसएलआररिलखतों के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन संबंधित योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे निवेश के मूल्यन के लिए की गई है।

vii. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशानिर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशी कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:

(क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

(ख) ईक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे ईक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

(ग) यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उस इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

(घ) उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा, जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

(ङ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

(च) विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों, इनमें से जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

viii. रेपो/रिवर्स रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरण:

(क) रेपो /रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेनदेन के रूप में लेखांकित किया गया है। परंतु एकमुश्त विक्रय/क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है और इस तरह के अंतरणों को रिपो/ रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करके दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 4 (उधार-राशियाँ) एवं रिवर्स रिपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/ विक्रय की गई प्रतिभूतियों पर व्यय/ अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

ix. बाजार पुनर्खरीद और प्रतिवर्ती पुनर्खरीद लेनदेन के साथ-साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ लेनदेन को मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार उधार लेने और उधार देने के लेनदेन के रूप में माना गया है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान:

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों एवं अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ :

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकदी-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता ("आउट ऑफ आर्डर)" रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के जब (अ) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल-मौसमों के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ब) दीर्घावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है।

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि होने की जानकारी मिली है किंतु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

अवमानक आस्तियाँ :	i. कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान ii. प्रारंभ से ही अप्रतिभूत ऋण जोखिमों के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है) iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ एस्क्रो खाते आदि जैसे कुछ बचाव उपाय उपलब्ध हैं, से संबंधित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20 %
संदिग्ध आस्तियां :	
-प्रतिभूत हिस्सा :	i. एक वर्ष तक - 25% ii. एक से तीन वर्ष-40% iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%
-अप्रतिभूत हिस्सा	100%
हानिप्रद आस्तियां :	100%.

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों इनमें से जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्संरचनागत/पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप संबंधित ऋणों/अग्रीमो के लिए प्रावधान के अलावा पुर्नसंरचना के पहले एवं बाद ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य के अंतर के लिए भी प्रावधान किया जाता है। उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य में कमी में एवं त्याग किए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है, तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षो में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएँ और प्रावधान- अन्य" शीर्ष के अंतर्गत प्रदर्शित हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

3.10 अनर्जक आस्तियों में वसूली का समायोजन निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है:

क. प्रभार, लागत, कमीशन आदि

ख. अप्राप्त ब्याज/ब्यान

ग. मूलधन

तथापि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)के जरिए समझौता एवं समाधान/निपटान के मामलों में वसूलियों का समायोजन संबंधित समझौता/समाधान/निपटान की शर्तों के अनुसार किया जाता है। वाद दायर किए गए खातों में वसूली का समायोजन संबंधित न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4. अस्थिर प्रावधान:

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु पृथक् रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग की नीति विद्यमान है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा।

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स:

6.1 बैंक तुलनपत्र की/तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है ।

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती, जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता कुल प्राप्य" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरिवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गई हो, तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता सकारात्मक एमटीएम" में प्रतिवर्तित किया जाता है।

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दी गई प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ, मूल्यह्रास और परिशोधन :

7.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन घटाकर किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई प्रोफेशनल फीस शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय/व्ययों को केवल तभी पूंजीकरण किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 इन देशी परिचालनों के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यह्रास/परिशोधन दर
1	कंप्यूटर	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
4	ऑटोमेटेड टैलर मशीन/कैश डिपॉजिट मशीन/ क्वाइन डिस्पेंसर/ क्वाइनवेंडिंग मशीन	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
5	सर्वर	सीधी रेखा पद्धति	25.00% प्रति वर्ष
6	नेटवर्क उपकरण	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
7	अन्य अचल आस्तियां	सीधी रेखा पद्धति	आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर। प्रमुख अस्थायी आस्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार रहता है: परिसर 60 वर्ष; वाहन 5 वर्ष; जमा सुरक्षा लॉकर 20 वर्ष; फर्नीचर व फिक्सचर 10 वर्ष

7.4 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

7.5 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000/- से कम था, उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से संबद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001 को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेश स्थित कार्यालयों की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

7.9 बैंक पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल अचल आस्तियों पर ही विचार करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहीत आस्तियों का पुनर्मूल्यन नहीं किया गया है। इसके बाद हर तीन वर्षों में पुनर्मूल्यन की गई आस्ति का मूल्यांकन किया जाता है।

7.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल बही मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्ति के मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों से अन्य राजस्व आरक्षिति को विनियोजित किया जाता है।

7.11 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन के समय यथामूल्यांकित आस्तियों की शेष उपयोगी अवधि पर किया जाता है।

8. पट्टे :

ऊपर पैरा 3 में निर्धारित किए गए अनुसार आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड वित्तीय पट्टों पर भी लागू हैं।

9. आस्तियों की अपसामान्यता:

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता की समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयुक्त आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति की रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है, तो अपसामान्यता का माप-समावेश उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है, जो आस्ति की रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर होता है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

10.1. विदेशी मुद्रा लेनदेन :

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (हाजिर/ वायदा) दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम हाजिरी दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वताके लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निपटान से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को आरंभ से दर्ज की गई दरों से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन :

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओ बी यू) को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित तिमाही की औसत अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii. निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर- राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है।

iv. विदेशी कार्यालयों की विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) तुलनपत्र की तिथि उस देश पर लागू हाजिर दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं हाजिर (स्पॉट) दर पर रूपांतरित की गई हैं।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रनीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ :

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजनाएं :

क. बैंक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है। बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो, तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है।

(i) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि होती है, जो सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन रहती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

(ii) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। निहितीकरण नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में संपन्न होता है। बैंक एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है और बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है।

ग. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रनीत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया जाता है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

ii. नियत अंशदान योजना :

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और नए कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। इस योजना (एनपीएस) के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10% राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन वार्षिक अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को संबंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ :

क. बैंक का प्रत्येक पात्र कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा-रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरंत शामिल कर दिया जाता है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया जाता है।

12. खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुसार व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्ट खंड तथा भौगोलिक खंड को गौण रिपोर्टिंग खंड के रूप में मानता है।

13. आय पर कर :

बैंक द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर व्यय की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो 'आय पर कर के लेखा' से संबंधित है, के अनुसार किया जाता है और ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट हैं। आस्थगित कर-आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष की कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रनीत हानि के बीच के अवधिगत अंतर के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को कर दरों और कर नियमों द्वारा आंका जाता है, जो तुलनपत्र की तारीख को लागू है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन-मंडल के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है/होना निश्चित है। आस्थगित कर आस्तियों को अनवशोषित मूल्यह्रास और कर घाटा के रूप में कैरी फॉरवर्ड तभी किया जाए जब यह निश्चित रूप से प्रमाण द्वारा समर्थित हो कि इस तरह की आस्थगित कर संपत्ति को भविष्य के लाभ के रूप में वसूल किया जा सकता है।

14. प्रति शेयर आय:

14.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना ईक्विटी शेयरधारकों को प्राप्य उस वर्ष के करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष ईटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

14.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले ईक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

15.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, संसाधनों के संभावित बहिर्गमन के परिणामस्वरूप दायित्व के निपटान आर्थिक लाभ को समाविष्ट कर, इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन कर किया जा सकता है।

15.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है:

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी संभावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किंतु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख. दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितांत दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

15.3 बैंक के डेबिट कार्डधारकों को दिए जाने वाले रिवार्ड प्वाइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

15.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

16. सर्राफा लेनदेन:

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते हैं और ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता के द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। बैंक इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर कुछ फीस के रूप में आय प्राप्त करता है। इस फीस की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक सोना जमा करने के लिए लेता है और इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा / अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्वर्ण जमा, धातु ऋण अग्रिम तथा अंतिम स्वर्ण शेष को तुलन-पत्र की तिथि पर उपलब्ध बाजार दर पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

17. विशेष आरक्षित निधियां:

राजस्व एवं अन्य निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

18. शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते को प्रभारित किया जाता है।

19. नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास का नकद एवं शेष, बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय धन शामिल है।

अनुसूची - 18:
लेखा टिप्पणियां

18.1 पूंजी

1. पूंजी अनुपात

बेसल - II के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मदें	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	अप्रयोज्य	
(ii)	टियर 1 पूंजी-अनुपात (%)	10.71%	10.38%
(iii)	टियर 2 पूंजी-अनुपात (%)	2.42%	2.47%
(iv)	कुल पूंजी-अनुपात- (%)	13.13%	12.86%

बेसल - III के अनुसार

क्र. सं.	मदें	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	9.77%	9.62%
(ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	11.00%	10.65%
(iii)	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	2.06%	2.07%
(iv)	कुल पूंजी अनुपात (%)	13.06%	12.72%
(v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	56.92%	57.13%
(vi)	भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या*	507,97,75,288	509,88,82,979
(vii)	बाजार से प्राप्त इक्विटी पूंजी	निरंक	0.38
(viii)	अतिरिक्त टियर -1 (एटी 1) पूंजी द्वारा उगाही गई राशि में सम्मिलित है क) पीएनसीपीएस: ख) पीडीआई:	 निरंक 6,918.40	 निरंक 7,317.30
(ix)	उगाही गई टियर-2 पूंजी में सम्मिलित है: क) ऋण पूंजी लिखत: ख) अधिमान शेयर पूंजी लिखत: ज्बेमियादी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)/ मोचनीय असंचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)/मोचनीय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)	 5,000.00 निरंक	 4,115.90 निरंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 1 मार्च 2016 के परिपत्र सं. डीबीआर.न.बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015-16 के माध्यम से बैंकों को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि, विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षित निधि और आस्थगित कर आस्तियों को सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना करने हेतु विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपरोक्त गणना में इस विकल्प का उपयोग किया है।

2. शेयर पूंजी

शेयरों के इश्यू के संबंध में खर्च: ₹ शून्य (पिछला वर्ष ₹ 9.12 करोड़) प्रीमियम खाते को साझा करने के लिए डेबिट किया जाता है।

3. नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई)

जारी आईपीडीआई जो संमिश्र टियर-I पूंजी के लिए पात्र है और बकाया आईपीडीआई का ब्योरा निम्नानुसार है:

क) विदेशी

(₹ करोड़ में)

विवरण	निर्गम तिथि	अवधि	राशि	31.03.2020 को के समतुल्य	31.03.19 को के समतुल्य
एमटीएन कार्यक्रम - 29वीं श्रृंखला के तहत जारी अतिरिक्त टीयर-1 (एटी1) बॉण्ड -	22.09.2016	परपेचुअल नॉन कॉल 5 वर्ष	300 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2,269.95	2,074.65

यह बॉण्ड सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज (एसजीएक्स) में सूचीबद्ध किए गए हैं।

ख) देशीय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि	वार्षिक ब्याज% प्र.व.
1.	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर-1 श्रृखला XII	200.00	20.09.2010	9.05
2.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 बेसल III एटी I	2,100.00	06.09.2016	9.00
3.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 बेसल III एटी I - सिरीज II	2,500.00	27.09.2016	8.75
4.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 बेसल III एटी I- सिरीज III	2,500.00	25.10.2016	8.39
5.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2017 अप्रतिभूत बेसल ।।। एटी1 श्रृंखला IV	2,000.00	02.08.2017	8.15
6.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बॉण्ड 2018 अप्रतिभूत बेसल ।।। एटी1	4,021.00	04.12.2018	9.56
7.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बॉण्ड 2018 अप्रतिभूत बेसल ।।। एटी1 श्रृंखला II	2,045.00	21.12.2018	9.37
8.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बॉण्ड 2018 अप्रतिभूत बेसल ।।। एटी1 श्रृंखला III	1,251.30	22.03.2019	9.45
9.	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत, बेसल III-एटी I बांड्स 2019-20 श्रृंखला I	3,104.80	30.08.2019	8.75
10.	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत, बेसल III-एटी I बांड्स 2019-20 श्रृंखला II	3,813.60	22.11.2019	8.50
	योग	**23,535.70**		

4. गौण ऋण

बॉण्ड पर अप्रतिभूत, दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय एवं अमोचनीय है और सममूल्य पर प्रतिदेय हैं। बकाया गौण ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तिथि	वार्षिक ब्याज दर %	परिपक्वता अवधि (माह में)
1	पूर्ववर्ती एसबबीबीजे निम्न टियर II, (श्रृंखला VI)	500.00	20.03.2012 20.03.2022	9.02	120
2	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2013-14 (टियर II)	2,000.00	02.01.2014 02.01.2024	9.69	120
3	पूर्ववर्ती एसबीएम उच्च टियर II बेसल III अनुपालक	500.00	17.12.2014 17.12.2024	8.55	120
4	पूर्ववर्ती एसबीपी टियर II बेसल III अनुपालक (श्रृंखला I)।	950.00	22.01.2015 22.01.2025	8.29	120
5	पूर्ववर्ती एसबीबीजे टियर II बेसल III अनुपालक	200.00	20.03.2015 20.03.2025	8.30	120
6	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II बेसल III अनुपालक (श्रृंखला XIV)	393.00	31.03.2015 31.03.2025	8.32	120
7	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (पब्लिक निर्गम) बॉण्ड 2010 (श्रृखला - II) (निम्न टियर II)	866.92	04.11.2010 04.11.2025	9.50	180
8	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट), बेसल-III - अनुपालक टियर II बांड्स 2015-16 (श्रृंखला I)	4,000.00	23.12.2015 23.12.2025	8.33	120
9	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला XV)	500.00	30.12.2015 30.12.2025	8.40	120
10	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II बेसल-III - अनुपालक	300.00	31.12.2015 31.12.2025	8.40	120
11	पूर्ववर्ती एसबीएम, टियर II बेसल III अनुपालक	200.00	18.01.2016 18.01.2026	8.45	120

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तिथि	वार्षिक ब्याज दर %	परिपक्वता अवधि (माह में)
12	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला XVI)	200.00	08.02.2016 08.02.2026	8.45	120
13	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट), बेसल-III - अनुपालक टियर II बांड्स 2015-16 (श्रृंखला II)	3,000.00	18.02.2016 18.02.2026	8.45	120
14	एसबीआई अपरिवर्तनीय (पब्लिक इश्यू) बांड्स 2011 रिटेल (श्रृंखला IV) (निम्न टियर II)	3,937.60	16.03.2011 16.03.2026	9.95	180
15	(पब्लिक इश्यू) बांड्स 2011 रिटेल (श्रृंखला IV) (निम्न टियर II बॉण्ड)	828.32	16.03.2011 16.03.2026	9.45	180
16	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत निजी प्लेसमेंट टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला III)	3,000.00	18.03.2016 18.03.2026	8.45	120
17	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट), बेसल-III - अनुपालक बेसल-III - अनुपालक टियर II बांड्स 2015-16 (श्रृंखला IV)	500.00	21.03.2016 21.03.2026	8.45	120
18	पूर्ववर्ती एसबीटी टियर II बेसल III अनुपालक (श्रृंखला I)	515.00	30.03.2016 30.03.2026	8.45	120
19	पूर्ववर्ती एसबीटी टियर II उच्च टियर II(श्रृंखला III)	500.00	26.03.2012 26.03.2027	9.25	180
20	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत बेसल - III टियर- 2 बॉण्ड्स 2018	4,115.90	02.11.2018 02.11.2028	8.90	120
21	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत बेसल III - टियर II बॉण्ड 2018	5,000.00	28.06.2019 28.06.2029	7.99	120
	योग	**32,006.74**			

18.2. निवेश

1. बैंक के निवेशों तथा निवेशों पर हुए मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों के उतार-चढ़ाव का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
I.	निवेशों का मूल्य		
i)	निवेशों का सकल मूल्य		
	(क) भारत में	10,10,599.04	9,26,650.60
	(ख) भारत से बाहर	47,448.66	51,473.40
ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
	(क) भारत में	9,430.13	9,094.19
	(ख) भारत से बाहर	150.82	158.22
iii)	पुनर्संरचित खातों के पूंजीकृत ब्याज पर देयता(एलआईसीआरए)	1,512.24	1,849.64
iv)	निवेशों का निवल मूल्य		
	(क) भारत में	9,99,656.67	9,15,706.77
	(ख) भारत से बाहर	47,297.84	51,315.18
2.	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
i)	वर्ष के प्रारंभ में अधिशेष	9,252.41	10,206.45
ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	5,237.78	1,863.13
iii)	घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	33.48	-
iv)	घटाएं/जोड़ें: विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यांकन समायोजन	(38.04)	(22.24)
v)	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन	4,913.80	2,839.41
vi)	वर्ष की समाप्ति पर अधिशेष	9,580.95	9,252.41

टिप्पणियां :

क. ₹ 4,225 करोड़ की प्रतिभूतियों (पिछले वर्ष ₹ 21,219.41 करोड़) को मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)/एनएससीसीएल/एमसीएक्स/एनएसईआईएल/बीएसई के पास प्रतिभूति निपटान के लिए रखा गया।

ख. वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी सहयोगियों में अतिरिक्त पूंजी लगाई अर्थात i) उत्कल ग्रामीण बैंक ' 143.77 करोड़, ii) झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक ₹ 86.68 करोड़, iii) मध्यांचल ग्रामीण बैंक ₹ 8.91 करोड़, iv) इलाकाई देहाती बैंक ₹ 5.48 करोड़, v) नागालैंड ग्रामीण बैंक ₹ 0.48 करोड़ तथा पूंजी निवेश के बाद बैंक की हिस्सेदारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ग. बैंक ने यस बैंक लिमिटेड में ₹ 6,050.00 करोड़ का निवेश किया है, जो कि निवेश उपरांत ईक्विटी पूंजी का 48.21% है। एएफएस श्रेणी में इस निवेश के वर्गीकरण एवं इस संबंध में लेखांकन नीति में बदलाव के कारण वर्ष के लाभ पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं रहा।

घ. वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित अनुषंगियों में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है।

- ₹ 3,484.30 करोड़ के लाभ के साथ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 4,50,00,000 ईक्विटि शेयर। तद्नुसार बैंक की अंशधारिता 62.10 % से कम होकर 57.60 % हो गई है।
- ₹ 2,731.34 करोड़ के लाभ के साथ एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेस लिमिटेड के 3,72,93,371 ईक्विटि शेयर। तद्नुसार बैंक की अंशधारिता 74.00 % से कम होकर 69.51 % हो गई है।

ङ एनसीएलटी द्वारा 4 जून 2019 को पारित आदेश के अनुसार एसबीआई बिज़नस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड (अनुषंगी) का समामेलन 01 अप्रैल 2018 से एसबीआई कार्ड्स एंड पायमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (अनुषंगी) के साथ किया गया, जिसमें उत्तरार्ध वाली अस्तित्व रखने वाली इकाई है।

एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम 20.08.2019 से बदलकर एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेस लिमिटेड कर दिया गया है।

च. बैंक ने नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपना हिस्सा वापस लिया :

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	राशि
लंगपी देहांगी रुरल बैंक	10.83
कावेरी ग्रामीण बैंक	18.89

छ. भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, एसबीआई द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) तथा अन्य बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के बीच निम्नलिखित समामेलन हुआ है।

आरआरबी के समामेलन का ब्यौरा, जहां ट्रांसफरी आरआरबी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित नहीं हैं, नीचे हैं: -

	ट्रांसफरर आरआरबी का नाम	ट्रांसफरर आरआरबी का प्रायोजक बैंक	आरआरबी के समामेलन के बाद नया नाम	ट्रांसफरी आरआरबी के प्रायोजक बैंक	ट्रांसफरी आरआरबी के प्रायोजक बैंक
1.	प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक	कैनरा बैंक	कर्नाटक ग्रामीण बैंक	Canara Bank	1 अप्रैल 2019
	कावेरी ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक			
2.	असम ग्रामीण विकास बैंक	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	असम ग्रामीण विकास बैंक	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1 अप्रैल 2019
	लंगपी डेहंगपी ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक			

आरआरबी के समामेलन का विवरण, जहां ट्रांसफरी आरआरबी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित है: -

	ट्रांसफरर आरआरबी का नाम	ट्रांसफरर आरआरबी का प्रायोजक बैंक	आरआरबी के समामेलन के बाद नया नाम	ट्रांसफरी आरआरबी के प्रायोजक बैंक	ट्रांसफरी आरआरबी के प्रायोजक बैंक
1.	झारखंड ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	1 अप्रैल 2019
	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक			

2. रेपो लेनदेन (तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित) (अंकित मूल्य पर)

वर्ष के दौरान एलएएफ सहित रेपो और रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि	31 मार्च 2020 को शेष राशि
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	1,12,595.20	9,166.64	34,576.69
	(-)	(1,31,364.16)	(48,101.62)	(1,12,793.84)
ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	15,795.87	10,778.12	8,696.38
	(-)	(12,382.91)	(7,742.36)	(10,264.00)
रिवर्स रेपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	1,13,000.00	38,332.97	38,000.00
	(-)	(43,507.94)	(5,202.46)	(1,963.89)
ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	3,292.71	592.93	3,292.71
	(-)	(860.43)	(816.74)	(859.81)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

3. गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन -एसएलआर) निवेश पोर्टफोलियो

क) गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉनएसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना:

बैंक के गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन -एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निर्गमकर्ता	राशि	निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) की सीमा (राशि)	"निम्न निवेश श्रेणी" वाली प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	"बिना रेटिंग वाली" प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	"असूचीगत" प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*
i	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	62,047.29	45,135.13	-	-	-
		(48,324.45)	(18,145.75)	(356.64)	(-)	(-)
ii	वित्तीय संस्थाएं	86,460.61	74,871.30	2,754.24	-	1,150.00
		(67,836.16)	(55,738.02)	(-)	(-)	(-)
iii	बैंक	24,856.99	12,624.53	585.10	23.62	23.62
		(19,374.89)	(1,457.62)	(1,177.32)	(23.62)	(23.62)
iv	निजी कारपोरेट	35,680.14	25,758.70	901.99	-	-
		(41,791.89)	(23,398.59)	(826.18)	(341.30)	(24.70)
v	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम**	16,045.43	-	-	-	-
		(9,909.36)	(-)	(-)	(-)	(-)
vi	अन्य	29,687.12	2,196.19	3,558.08	46.68	4.84
		(24,977.19)	(623.66)	(2,383.40)	(53.47)	(3.17)
vii	मूल्यह्रास के लिए रखा गया प्रावधान, एलआईसीआरए सहित	11,093.19	11.65	236.96	-	-
		(7,075.11)	(-)	(25.21)	(30.60)	(-)
	योग	**2,43,684.39**	**1,60,574.20**	**7,562.45**	**70.30**	**1,178.46**
		(2,05,138.83)	**(99,363.64)**	**(4,718.33)**	**(387.79)**	**(51.49)**

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

* इक्विटी, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों, वेंचर कैपिटल, नियत आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों और एआरसीआईएल में किए गए निवेशों को इन श्रेणियों के अंतर्गत अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें रेटिंग/ सूची दिशा-निर्देशों से छूट मिली हुई है।

** अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेशों को विभिन्न वर्गों में इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं।

ख) अनर्जक गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन-एसएलआर) निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	5,609.66	4,595.25
वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	3,686.05	1,986.35
वर्ष के दौरान कमी	299.91	971.94
इतिशेष	8,995.80	5,609.66
रखे गए कुल प्रावधान	**7,970.83**	**5,209.17**

4. एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण

एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

5. प्रतिभूत रसीदों (एस आर) में निवेश का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		पिछले 5 वर्षों में जारी एसआर	5 वर्षों से अधिक पहले और 8 वर्षों के भीतर जारी एसआर	8 वर्ष से पहले जारी एसआर	कुल
i	आधार के रूप में बैंक द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	2,657.86	6,077.67	25.78	8,761.31
	(i) के लिए रखा गया प्रावधान	300.47	1,329.99	25.78	1,656.24
ii	आधार के रूप में अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान/ गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	0.54	3.92	2.68	7.14
	(ii) के लिए रखा गया प्रावधान	-	0.78	2.68	3.46
योग (i) + (ii)		**2,658.40**	**6,081.59**	**28.46**	**8,768.45**

6. प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) /पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को बेचे गए एनपीए के लिए प्रतिभूत रसीदों में निवेश का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	आधार के रूप में बैंक द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित बही मूल्य		आधार के रूप में अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थानों/गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित बही मूल्य		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
31 मार्च, 2020 को प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	8,761.31	9,834.83	7.14	7.15	8,768.45	9,841.98
वर्ष के दौरान प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेश का बही मूल्य	0.06	16.58	-	-	0.06	16.58

18.3. डेरिवेटिव्स

क. वायदा दर करार (एफआरए)/ ब्याज दर स्वैप (आईआरएस)

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
i)	विनिमय करारों की आनुमानिक मूल राशि#	2,98,843.36	3,74,120.04
ii)	करार के अधीन प्रतिपक्षों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर होने वाली हानियां	8,063.30	3,342.37
iii)	विनिमय में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	निरंक	निरंक
iv)	विनिमय से उद्भूत ऋण-जोखिम का संकेन्द्रण	कोई महत्वपूर्ण नहीं	कोई महत्वपूर्ण नहीं
v)	विनिमय-बही का उचित मूल्य	7,908.68	125.32

#बैंक के अपने विदेशी कार्यालयों तथा अन्य बैंकों के साथ किए गए आईआरएस/एफआरए की ₹32134.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 19,022.25 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है और बाजार मूल्य को बही में अंकित नहीं किया गया है।

31 मार्च 2020 को वायदा दर करार तथा ब्याज दर स्वैप की प्रकृति और शर्तें नीचे दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)

लिखत	प्रकृति	सं.	आनुमानिक मूलधन	आधार (बेचमार्क)	शर्तें
आईआरएस	हेजिंग	175	7,089.25	लिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	1	192.94	लिबोर	अस्थिर प्राप्य/स्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	हेजिंग	121	1,490.92	अन्य	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	39	25,615.09	लिबोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	हेजिंग	26	2,973.54	लिबोर	स्थिर भुगतान योग्य/ अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	2	832.31	लिबोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	1993	1,06,806.98	लिबोर	स्थिर भुगतान योग्य/ अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	2171	1,42,354.97	लिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	70	2,853.50	मिबोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	126	5,297.00	मिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	4	3,336.86	लिबोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
	योग		**2,98,843.36**		

ख) बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	वर्ष के दौरान बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूलराशि		
	क) ब्याज दर वायदे	निरंक	निरंक
	ख) भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूति	63,670.92	42,099.96
2	31 मार्च, 2020 को बाजार(एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूलराशि		
	क) ब्याज दर वायदे	निरंक	निरंक
	ख) भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूति	निरंक	निरंक
3	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूलराशि जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है।	लागू नहीं	लागू नहीं
4	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है।	N.A.	N.A.

ग. डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोज़र

(क) गुणात्मक जोखिम एक्सपोज़र

I बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरिवेटिव्स तथा ब्याज दर फ्यूचर्स तथा एक्सचेंज में ट्रेड किए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स का लेनदेन करता है। बैंक द्वारा लेनदेन किए जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप और वायदा दर करार, कैप, फ्लोर व कॉलर शामिल हैं। बैंक द्वारा लेनदेन किए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स, मुद्रा मुद्रा स्वैप, रुपया डॉलर ऑप्शन्स और क्रास मुद्रा ऑप्शन्स शामिल हैं। बैंक के ग्राहकों को इन उत्पादों का स्वैप प्रस्ताव, उनके निवेशों को हेज करने के लिए किया जाता है और बैंक ऐसे जोखिमों से सुरक्षा के लिए डेरिवेटिव्स संविदाएं निष्पादित करता है। बैंक द्वारा डेरिवेटिव्स का प्रयोग क्रय-विक्रय के साथ-साथ तुलन-पत्र की मदों की हेजिंग हेतु भी किया जाता है। बैंक यूएसडी/ भारतीय रुपए में भी ऑप्शन्स की स्थिति रखता है जिसका प्रबंधन विविध प्रकार की हानि सीमा और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से किया जाता है।

ii. डेरिवेटिव्स लेनदेन में बाजार जोखिम शामिल होता है, अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों/इक्विटी का मूल्य में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को होने वाली संभावित हानि उठानी पड़ सकती है, साथ ही डेरिवेटिव्स लेनदेन में ऋण जोखिम भी शामिल है, अर्थात यदि प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता, तो बैंक को ऋण जोखिम के रूप में संभावित हानि उठानी पड़ सकती है। बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की "डेरिवेटिव्स नीति" में बाजार जोखिम मानदंड (ग्रीक सीमा, हानि सीमा, कट-लोस ट्रिगर, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी01, आदि) निर्धारित किए गए हैं। इस नीति के अंतर्गत ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण पात्रता निर्धारण, बैंकिंग संबंध अवधि, सीमाएं ग्राहक उपयुक्तता तथा नीति की उपयुक्तता (सीएएस) आदि) भी निर्धारित किए गए हैं। इस नीति में निर्धारित मानदंडों

पर खरे उतरने वाले प्रतिपक्षों से ही डेरिवेटिव लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण किया जाता है। देयताओं को पूरा करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्ष के लिए समुचित सीमा निर्धारित की जाती है और बैंक प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आईएसडीए करार करता है।

iii. इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन की निगरानी बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) करती है। बैंक का ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरीवेटिव लेनदेन से सम्बद्ध बाजार जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी करता है तथा इन जोखिमों को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की सहायता करता है और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नियमित अंतराल पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

iv. डेरिवेटिव्स के लिए लेखांकन-नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसका ब्योरा वित्त वर्ष 2019-20 की महत्वपूर्ण लेखा नीति (एसएपी): अनुसूची-17 में दिया गया है।

v. ब्याज दर स्वैप का उपयोग मुख्यतः विदेश स्थित कार्यालयों में आस्ति और देयताओं की हेजिंग के लिए किया जाता है।

vi. हेजिंग स्वैप के अतिरिक्त, विदेशी कार्यालयों में किए जाने वाले स्वैप में हमारे विदेश स्थित कार्यालयों में किए गए बैक टू बैक (दुतरफा) स्वैप किए जाते हैं। इन्हें मुख्यतः ग्लोबल मार्केट्स, कोलकाता में विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआर) जमा राशियों की हेजिंग हेतु किया जाता है।

vii. अधिकांश स्वैप प्रथम श्रेणी के प्रतिपक्षी बैंकों के साथ किए गए हैं।

viii. डेरिवेटिव्स लेनदेन में स्वैप शामिल हैं जिन्हें आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया गया है। स्वैप को ट्रेडिंग या हेजिंग के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

ix. डेरिवेटिव्स सौदे केवल उन्हीं अंतर बैंक प्रतिभागियों के साथ किए गए जिनके लिए प्रतिपक्षी एक्सपोजर सीमाएं स्वीकृत है। इसी प्रकार, डेरिवेटिव सौदे केवल उन कॉरपोरेट के साथ किए गए जिनके लिए क्रेडिट एक्सपोजर सीमा स्वीकृत की गई है। डेरिवेटिव लेनदेन के लिए संपार्श्विक आवश्यकताओं को, मामले दर मामले आधार पर क्रेडिट स्वीकृति शर्तों के हिस्से के रूप में रखा जाता है। बैंक कुछ मामलों में जोखिम शमन उपाय के रूप में लेनदेन को समाप्त करने का अधिकार रखता है। डेरिवेटिव्स लेनदेनों के लिए संपार्श्विक आवश्यकताएं मामला दर मामला आधार पर ऋण संस्वीकृति शर्तों के साथ निर्धारित की जाती हैं। ऐसे संपार्श्विक आवश्यकताओं को नेमी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कतिपय मामलों में जोखिम न्यूनिकरण उपाय के रूप में लेन-देनों को समाप्त करने का अधिकार बैंक के पास है।

(ख) मात्रात्मक जोखिम एक्सपोज़र:

(₹ करोड़ में)

मद		मुद्रा डेरिवेटिव्स		ब्याज दर डेरिवेटिव्स	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(I)	डेरिवेटिव्स (आनुमानिक मूल राशि)				
	(क) हेजिंग के लिए	14,407.12 @	8,983.92 @	35,421.64 #	41,908.78 #
	(ख) क्रय-विक्रय के लिए*	6,55,991.56	2,47,198.72	2,77,804.99	3,37,642.76
(II)	बाजार के बही-मूल्य के अनुसार स्थिति				
	(क) आस्ति		3,555.69	8,063.30	3,365.55
	(ख) देयता		3,130.82	6,086.78	3,240.23
(III)	ऋण जोखिम	36,850.85	12,665.30	11,026.29	7,037.75
(IV)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन (100*पीवी01) का संभाव्य प्रभाव				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव्स पर	1.07	1.08	4.60	150.90
	(ख) क्रय-विक्रय डेरिवेटिव्स पर	86.72	15.83	146.20	136.08
(V)	वर्ष के दौरान 100*पीवी01 का अधिकतम एवं न्यूनतम				
	क) हेजिंग पर - अधिकतम	1.07	1.08	460.31	255.40
	- न्यूनतम	-	-	-	-
	(ख) क्रय-विक्रय पर - अधिकतम	2.91	24.41	1.85	149.73
	- न्यूनतम	-	(-) 129.75	0.03	0.08

@ बैंक के अपने विदेश स्थित कार्यालयों और अन्य बैंकों के साथ किए गए स्वैप की ₹1725.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹245.10 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है और बाजार के लिए चिन्हित नहीं की गई है।

#बैंक के अपने कार्यालयों के साथ प्रविष्ट आइआरएस/एफआरए की ₹32,134,.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 19,022.25 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है और इसलिए बाजार के लिए चिन्हित नहीं की गई है।

* बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों से किए गए वायदा लेनदेन इसमें शामिल नहीं है। मुद्रा डेरिवेटिव्स ₹ 867.18 (पिछले वर्ष ₹ 867.18 और ब्याज दर डेरिवेटिव्स शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

1. मार्च 31, 2020 तक ग्लोबल मार्केट्स यूनिट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ग्रुप के बीच डेरिवेटिव्स व्यापार की बकाया आनुमानिक राशि ₹ 34727.19 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 19,694.47 करोड़) है और 31 मार्च 2020 तक भारतीय स्टेट बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के बीच किए गए डेरिवेटिव्स व्यापार की राशि ₹10,222.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8929.28 करोड़) है।

2. ब्याज दर डेरिवेटिव्स की बकाया आनुमानिक राशि, जो बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं की गई है, किन्तु जहाँ 31 मार्च 2020 तक विचाराधीन आस्ति/देयताओं, जिनका बाजार-बहीमूल्य के अनुसार अंकन नहीं किया गया है, की राशि ₹60,632.85 करोड़ (पिछले वर्ष ₹45,661.89 करोड़) है।

18.4.आस्ति गुणवत्ता

क) अनर्जक आस्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण			31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
i)	कुल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)		2.23%	3.01%
ii)	अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (सकल)			
	(क)	अथशेष	1,72,750.36	2,23,427.46
	(ख)	वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (नया एनपीए)	49,826.28	32,738.05
		उप-योग(I)	2,22,576.64	2,56,165.51
	घटाएं:			
	(घ)	वर्ष के दौरान अपग्रेडेशन के कारण कमी	3,339.79	4,794.34
	(ङ)	वसूलियों के कारण कमी (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	17,782.63	19,715.63
	च)	तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाता	-	5,139.76
	(छ)	वर्ष के दौरान अपलेखन के कारण कमी	52,362.37	53,765.42
		उप-योग (ii)	73,484.79	83,415.15
	(च)	इतिशेष(I-II)	1,49,091.85	1,72,750.36
III)	निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव			
	(क)	अथशेष	65,894.74	1,10,854.70
	(ख)	वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	6,758.88	27,008.89
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	20,782.32	71,968.85
	(घ)	इतिशेष	51,871.30	65,894.74
IV)	निवल अनर्जक आस्तियों की प्रावधान राशि में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के लिए किए प्रावधानों को छोड़कर)			
	(क)	अथशेष	1,06,855.62	1,12,572.76
	(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	43,067.40	54,844.57
	(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन	52,702.47	60,561.71
	(घ)	इतिशेष	97,220.55	1,06,855.62

टिप्पणियां :

(क) एनपीए के प्रावधानों के अथशेष एवं इतिशेष में ईसीजीसी/ सीजीएफएमयू से प्राप्त दावे शामिल है और रखी गई बकाया समायोजन राशि क्रमशः ₹235.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8.72 करोड़) और ₹305.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹235.61 करोड़) है। पिछले वर्ष की बढ़ोतरी/प्रावधानों में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों तथा बीएमबीएल के अधिग्रहण से प्राप्त प्राप्तियां शामिल हैं।

(ख) आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र सं. डीबीआर.बी.पी.बी.सी. नं. 32/21.04.018/2018-19 दिनांक 01 अप्रैल 2019 के अनुसार यदि आरबीआई द्वारा मूल्यांकित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान रिपोर्ट किए गए प्रावधान पूर्व लाभ से 10% से अधिक है तथा/या आरबीआई द्वारा अवधि विशेष के दौरान चिह्नित सकल एनपीए घोषित किए गए वृद्धिशील एनपीए से 15% अधिक है तो बैंकों को आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण में किए गए विचलन का प्रकटीकण करना पड़ेगा।

तदनुसार, चूंकि उपरोक्त सीमा में नहीं आने के कारण वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विचलन की स्थिति अलग से दर्शाई नहीं गई है।

एनपीए के लिए परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में भिन्नता

	विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)
1	बैंक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2019 को सकल एनपीए	1,72,750
2	आरबीआई द्वारा मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2019 तक सकल एनपीए	1,84,682
3	सकल एनपीए में फर्क (2-1)	11,932
4	बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2019 को शुद्ध एनपीए	65,895
5	आरबीआई द्वारा मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2019 को शुद्ध एनपीए	77,827
6	नेट एनपीए में फर्क (5-4)	11,932
7	बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2019 तक एनपीए के प्रावधान	1,06,856
8	आरबीआई द्वारा मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2019 तक एनपीए के प्रावधान	1,18,892
9	प्रोविजनिंग में फर्क (8-7)	12,036
10	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कर (पीएटी) के बाद शुद्ध लाभ की सूचना दी गई	862
11	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कर (पैट) के बाद समायोजित (काल्पनिक) शुद्ध लाभ प्रावधान में भिन्नता को ध्यान में रखने के बाद	(-) 6,968

बैंक ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान हुए उपरोक्त सभी विचलनों के लिए पूर्ण प्रावधान किया है।

क) पुनर्संरचित खाते

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पुनर्संरचना के तरीके / आस्ति वर्गीकरण विवरण		सीडीआर व्यवस्था के अधीन(1)					एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अधीन (2)				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल
1	1अप्रैल 2019 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	4	-	44	9	57	28	167	142	17	354
			(8)	(3)	(65)	(8)	(84)	(48)	(169)	(171)	(18)	(406)
		बकाया राशि	146.04	-	6,236.10	656.53	7,038.67	46.11	307.32	415.80	6.65	775.88
			(607.77)	(380.51)	(15,840.78)	(248.84)	(17,077.90)	(75.59)	(377.84)	(2,559.80)	(6.82)	(3,020.05)
		संबंधित प्रावधान	0.96	-	-	-	0.96	10.26	6.43	24.88	0.27	41.84
			(7.06)	(28.17)	(106.20)	(-)	(141.43)	(18.23)	(26.85)	(115.41)	(0.39)	(160.88)
2	चालू वित्त वर्ष में नए पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की सं.	-	-	-	-	-	790	6	1	-	797
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(28)	(4)	(3)	(35)
		बकाया राशि	26.57	-	-	-	26.57	154.84	4.44	1.38	-	160.66
			(68.59)	(-)	(95.32)	(-)	(163.91)	(42.73)	(42.82)	(27.70)	(0.27)	(113.52)
		संबंधित प्रावधान	0.02	-	-	-	0.02	0.24	2.72	0.40	-	3.36
			(0.09)	(-)	(-)	(-)	(0.09)	(-)	(3.74)	(0.45)	(0.27)	(4.46)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की सं.	-	-	-	-	-	1	-1	-	-	-
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	18.11	-18.11	-	-	-
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		संबंधित प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान तथा/अथवा जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है, और इसलिए उनको अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की सं.	-2				-2	-				-
			(-1)				(-1)	(-2)				(-2)
		बकाया राशि	-155.08				-155.08	-				-
			(-23.05)				(-23.05)	(-4.56)				(-4.56)
		संबंधित प्रावधान	-				-	-				-
			(-)				(-)	(-0.23)				(-0.23)
5	वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की सं.	-	-	-	-	-	-9	-7	16	-	-
			(-2)	(-2)	(1)	(3)	(-)	(-2)	(2)	(-)	(-)	(-)
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-2.38	-67.31	69.69	-	-
			(-332.43)	(-221.77)	(-87.04)	(641.24)	(-)	(-38.02)	(38.02)	(-)	(-)	(-)
		संबंधित प्रावधान	-	-	-	-	-	-0.05	-8.78	8.83	-	-
			(-)	(-9.52)	(9.52)	(-)	(-)	(-0.35)	(0.35)	(-)	(-)	(-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की सं.	-	-	-22	-1	-23	-24	-53	-34	-3	-114
			(-1)	(-1)	(-22)	(-2)	(-26)	(-16)	(-32)	(-33)	(-4)	(-85)
		बकाया राशि	-2.08	-	-4,309.80	-165.50	-4,477.38	-9.75	-8.84	-34.41	-0.27	-53.27
			(-174.83)	(-158.74)	(-9,612.97)	(-233.55)	(-10,180.09)	(-29.63)	(-151.36)	(-2,171.70)	(-0.44)	(-2,353.13)
		संबंधित प्रावधान	-0.07	-	-	-	-0.07	-1.95	-0.37	-17.85	-0.27	-20.44
			(-6.19)	(-18.65)	(-115.72)	(-)	(-140.56)	(-7.39)	(-24.51)	(-90.98)	(-0.39)	(-123.27)
7	31 मार्च 2020 तक कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	2	-	22	8	32	786	112	125	14	1,037
			(4)	(-)	(44)	(9)	(57)	(28)	(167)	(142)	(17)	(354)
		बकाया राशि	15.45	-	1,926.30	491.03	2,432.78	206.93	217.50	452.46	6.38	883.27
			(146.04)	(-)	(6,236.10)	(656.53)	(7,038.67)	(46.11)	(307.32)	(415.80)	(6.65)	(775.88)
		संबंधित प्रावधान	0.91	-	-	-	0.91	8.50	-	16.26	-	24.76
			(0.96)	(-)	(-)	(-)	(0.96)	(10.26)	(6.43)	(24.88)	(0.27)	(41.84)

क्र. सं.	पुनर्संरचना के प्रकार / आस्ति वर्गीकरण विवरण		अन्य (3)					कुल (1 + 2 + 3)				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल
1	1 अप्रैल 2019 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	300	227	786	171	1484	332	394	972	197	1,895
			(360)	(335)	(1,094)	(45)	(1,834)	(416)	(507)	(1,330)	(71)	(2,324)
		बकाया राशि	3,909.81	29.83	8,004.74	803.16	12,747.54	4,101.96	337.15	14,656.64	1,466.34	20,562.09
			(4,179.74)	(3,933.96)	(29,631.18)	(966.41)	(38,711.28)	(4,863.08)	(4,692.31)	(48,031.77)	(1,222.07)	(58,809.23)
		संबंधित प्रावधान	319.57	0.85	15.23	4.05	339.70	330.79	7.28	40.11	4.32	382.50
			(350.99)	(80.14)	(170.62)	(0.64)	(602.39)	(376.27)	(135.15)	(392.24)	(1.03)	(904.69)
2	चालू वित्त के दौरान नई पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की सं.	4,813	61	21	1	4,896	5,603	67	22	1	5,693
			(7)	(111)	(291)	(66)	(475)	(7)	(139)	(295)	(69)	(510)
		बकाया राशि	578.77	1.81	32.88	0.02	613.48	760.18	6.25	34.26	0.02	800.71
			(9,347.86)	(2.96)	(94.95)	(3.95)	(9,449.72)	(9,459.18)	(45.78)	(217.96)	(4.23)	(9,727.15)
		संबंधित प्रावधान	-	65.61	2.09	0.24	67.94	0.26	68.33	2.49	0.24	71.32
			(43.41)	(0.47)	(8.02)	(2.26)	(54.16)	(43.49)	(4.21)	(8.47)	(2.53)	(58.70)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की सं.	17	-7	-10	-	-	18	-8	-10	-	-
			(7)	(-7)	(-)	(-)	(-)	(7)	(-7)	(-)	(-)	(-)
		बकाया राशि	0.62	-0.36	-0.26	-	-	18.73	-18.47	-0.26	-	-
			(0.29)	(-0.29)	(-)	(-)	(-)	(0.29)	(-0.29)	(-)	(-)	(-)
		संबंधित प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान तथा/ अथवा जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है और इसलिए उनको अगले वित्त वर्ष के पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की सं.	-16				-16	-18				-18
			(-22)				(-22)	(-25)				(-25)
		बकाया राशि	-1,130.83				-1,130.83	-1,285.91				-1,285.91
			(-9,421.29)				(-9,421.29)	(-9,448.90)				(-9,448.90)
		संबंधित प्रावधान	-28.19				-28.19	-28.19				-28.19
			(-4.31)				(-4.31)	(-4.54)				(-4.54)
5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की सं.	-5	-73	47	31	-	-14	-80	63	31	-
			(-9)	(-1)	(-79)	(89)	(-)	(-13)	(-1)	(-78)	(92)	(-)
		बकाया राशि	-675.75	631.60	43.65	0.50	-	-678.13	564.29	113.34	0.50	-
			(-39.38)	(-1,256.52)	(-42.68)	(1,338.58)	(-)	(-409.83)	(-1,440.27)	(-129.72)	(1,979.82)	(-)
		संबंधित प्रावधान	-11.57	10.62	0.45	0.50	-	-11.62	1.84	9.28	0.50	-
			(-1.17)	(-15.18)	(10.96)	(5.39)	(-)	(-1.52)	(-24.35)	(20.48)	(5.39)	(-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की सं.	-5	-24	-162	-41	-232	-29	-77	-218	-45	-369
			(-43)	(-211)	(-520)	(-29)	(-803)	(-60)	(-244)	(-575)	(-35)	(-914)
		बकाया राशि	-483.01	-126.56	-5,601.59	-454.17	-6,665.33	-494.84	-135.40	-9,945.80	-619.94	-11,195.98
			(-157.41)	(-2,650.27)	(-21,678.71)	(-1,505.78)	(-25,992.17)	(-361.87)	(-2,960.38)	(-33,463.39)	(-1,739.76)	(-38,525.40)
		संबंधित प्रावधान	-95.96	-0.28	-2.36	-2.19	-100.79	-97.98	-0.65	-20.21	-2.46	-121.30
			(-69.35)	(-64.58)	(-174.37)	(-4.24)	(-312.54)	(-82.93)	(-107.73)	(-381.07)	(-4.63)	(-576.36)
7	31 मार्च 2020 तक कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	5,104	184	682	162	6,132	5,892	296	829	184	7,201
			(300)	(227)	(786)	(171)	(1484)	(332)	(394)	(972)	(197)	(1895)
		बकाया राशि	2,199.61	536.32	2,479.42	349.51	5,564.86	2,421.99	753.82	4,858.18	846.92	8,880.91
			(3,909.81)	(29.83)	(8,004.74)	(803.16)	(12,747.54)	(4,101.96)	(337.15)	(14,656.62)	(1,466.35)	(20,562.08)
		संबंधित प्रावधान	183.85	76.80	15.41	2.60	278.66	193.26	76.80	31.67	2.60	304.33
			(319.57)	(0.85)	(15.23)	(4.05)	(339.70)	(330.77)	(7.29)	(40.11)	(4.32)	(382.49)

टिप्पणी :

1. बकाया में ₹ 572 करोड़ की वृद्धि (पिछले वर्ष ₹ 8,263.39 करोड़) नई वृद्धि में सम्मिलित है।
2. ₹ 5,616 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 27,360.50 करोड़) की बंदी और ₹597 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,133.75 करोड़) की बकाया शेष में घटाई गयी राशि को बट्टे खाते में शामिल किया गया है।
3. उच्च प्रावधान नहीं की गई मानक आस्तियाँ योग के कालम में शामिल नहीं की गयी है।

घ) आरबीआई के परिपत्र क्रमांक डीबीआर क्र. बीपी. बीसी. 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1.01.2019 के अनुसार पुनर्संरचित एमएसएमई खातों का विवरण निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पुनर्संरचित की संख्या	60,057	17,419
कुल बकाया	2,872.49	627.64

ङ) तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते और उनके संबंध में की गई वसूलियों का विवरण :

(₹ करोड़ में)

क्रं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i	1 अप्रैल को तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों का अथशेष	5,139.76	4,537.11
ii	जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	-	5,139.76
iii	उप योग (क)	5,139.76	9,676.87
iv	घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूली वास्तविक अपलेखन(ख)		
v	31 मार्च तक इतिशेष (क - ख)	-	5,139.76

च) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i	खातों की संख्या	32	47
ii	प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसी) को बिक्री किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान का निवल)	101.17	2,227.88
iii	समग्र प्रतिफल	1,236.62	4,330.99
iv	पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल)#	-	-
v	निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ/(हानि	1,135.45	2,103.11

*भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिफल के भाग स्वरूप प्राप्त प्रतिभूति रसीदों को निवल बही मूल्य/अंकित मूल्य कीमत से कम आंका गया है।

#इसमें प्रभार/(ब्याज) के रूपये में जमा की गई ₹ निरक (पिछले वर्ष ₹ 4.11 करोड़) की राशि शामिल है।

छ) प्रतिभूतीकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई अनर्जक आस्तियों के कारण हुए लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया गया अतिरिक्त प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनर्जक आस्तियों की बिक्री के मामले में लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया गया अतिरिक्त प्रावधान	170.82	1,075.12

ज) क्र की गई अनर्जक आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	(क) वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की सं.	निरंक	निरंक
	(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक
2)	(क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचनागत खातों की संख्या	निरंक	निरंक
	(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक

झ) बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्री किए गए खातों की सं.	15	29
2) कुल बकाया राशि	551.59	6,545.21
3) प्राप्त की गई कुल प्रतिफल राशि	271.15	3,155.43

ञ) मानक आस्तियों पर प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान	11,544.24	12,396.68

18.5 व्यवसाय अनुपात:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत	6.45%	6.55%
ii. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत	1.13%	0.99%
iii. कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत	1.71%	1.49%
iv. आस्तियों पर आय*	0.38%	0.02%
v. प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशियाँ एवं अग्रिम जोड़कर) (₹ करोड़ में)	21.05	18.77
vi. प्रति कर्मचारी लाभ (₹ हजार में)	578.98	33.39

* (निवल आस्ति आधार पर)

18.6 आस्ति देयता प्रबंधन: 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

	1दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से अधिक किंतु 2 मास तक	2 से अधिक किंतु 3 मास तक	3 से अधिक किंतु 6 मास तक	6 से अधिक किंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमाराशियाँ	50,412.96	89,018.26	48,210.68	82,393.15	1,26,563.94	1,09,843.95	3,16,203.23	6,02,960.92	5,92,806.58	3,24,913.60	8,98,293.46	32,41,620.73
	(20,801.66)	(67,397.57)	(38,395.92)	(70,124.55)	(1,09,112.89)	(1,04,290.94)	(2,80,613.69)	(5,56,965.57)	(5,31,671.81)	(3,03,630.51)	(8,28,380.90)	(29,11,386.01)
अग्रिम	57,442.98	14,151.74	16,608.14	31,096.94	42,616.30	44,774.93	75,159.25	1,16,239.21	10,82,113.87	2,09,766.10	6,35,320.10	23,25,289.56
	(23,338.39)	(13,259.37)	(10,239.57)	(38,815.39)	(31,390.31)	(33,817.93)	(69,805.47)	(1,00,265.25)	(10,91,890.56)	(2,90,220.65)	(4,82,834.03)	(21,85,876.92)
निवेश	188.13	4,423.08	3,965.20	17,133.59	20,404.80	33,033.97	45,189.57	70,272.40	182,741.13	1,55,126.51	5,14,476.14	10,46,954.52
	(22.36)	(6,432.46)	(2,525.26)	(13,582.82)	(8,105.72)	(22,921.96)	(25,099.70)	(42,890.15)	(1,66,758.51)	(1,81,538.37)	(4,97,144.64)	(9,67,021.95)
उधार-राशियाँ	915.24	13,829.39	4,180.76	9,892.09	20,370.67	27,941.89	41,265.36	55,907.52	78,368.05	49,093.15	12,891.53	3,14,655.65
	(16,679.67)	(89,536.61)	(3,684.07)	(20,965.35)	(57,773.72)	(20,810.07)	(27,681.37)	(34,911.01)	(47,258.20)	(28,896.05)	(54,821.00)	(4,03,017.12)
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ#	44,464.27	5,354.64	8,137.20	20,603.01	25,000.46	23,193.94	36,944.55	43,842.32	1,12,403.17	83,445.52	47,435.08	4,50,824.16
	(43,190.02)	(3,268.05)	(3,451.22)	(10,523.17)	(18,236.76)	(16,732.11)	(35,576.40)	(41,045.46)	(95,815.96)	(83,623.23)	(39,988.32)	(3,91,450.70)
विदेशी मुद्रा देयताएँ	25,950.88	15,075.64	8,027.84	18,994.07	29,216.63	35,828.10	54,776.09	62,965.89	64,113.98	46,576.87	13,758.15	3,75,284.14
	(24,255.18)	(17,027.04)	(4,671.82)	(29,440.95)	(23,767.03)	(29,231.40)	(40,986.24)	(65,749.56)	(59,114.18)	(47,839.17)	(15,742.68)	(3,57,825.25)

विदेशी मुद्रा आस्तियाँ, अग्रिम एवं निवेश(निवल का प्रावधान व्यगकर) को दर्शाते हैं

$ विदेशी मुद्रा देयताएँ, ऋण एवं जमा को दर्शाते हैं

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2019 के हैं)

18.7 एक्स्पोजर (ऋण-जोखिम)

बैंक आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को भी ऋण प्रदान करता है।

क) स्थावर संपदा क्षेत्र

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I	**प्रत्यक्ष एक्सपोजर**		
	i) आवासीय बंधक	3,58,599.62	3,28,969.21
	ऋणकर्ता के कब्जे में या कब्जे में आने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा ऋण पूरी तरह प्रतिभूत।	3,58,599.62	3,28,969.21
	जिसमें से आवासीय इकाई खरीदने/निर्माण के लिए प्रति परिवार महानगरीय क्षेत्रों (जनसंख्या >= 10 लाख) में (i) 35 लाख रुपए तक व्यक्तिगत आवास ऋण (पिछला वर्ष 35 लाख रुपए) तथा अन्य केंद्रों पर 25 लाख रुपए (पिछला वर्ष 25 लाख रुपए)।	1,50,689.19	1,54,846.41
	ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
	वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा प्रतिभूत (कार्यालय भवन, खुदरा क्षेत्र, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण इत्यादि) गैर- निधि आधारित सीमा भी इस एक्सपोजर में शामिल है।	31,607.67	38,764.19
	iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर:	9,781.26	-
	क) आवासीय	-	-
	ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	9,781.26	-
II	**अप्रत्यक्ष एक्सपोजर**		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	1,07,004.65	96,683.37
	स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोजर	**5,06,993.20**	**4,64,416.77**

ख) पूंजी बाजार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डो, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए ऐसे प्रत्यक्ष निवेश जिनकी राशि विशेष रूप से कारपोरेट-ऋण में निवेश नहीं की गई है।	8,534.42	8,438.87
2)	शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रतिभूति पर अथवा शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्डो, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को बेजमानती आधार पर दिए गए अग्रिम	19.16	24.41
3)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डो या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	93.49	26.07
4)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जिनके लिए शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति दी गई है, अर्थात जहाँ शेयरों/परिवर्तनशील बांडों/ परिवर्तनशील डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम की राशि की पूर्ण प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त है।	975.44	8,114.07
5)	शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं बाजार-नियामकों (मार्केट मेकर्स) की ओर से जारी गारंटियाँ	14.09	135.91
6)	संसाधन वृद्धि की अपेक्षा से नई कंपनी की इक्विटी में प्रवर्तक (प्रमोटर) के हिस्से को पूरा करने के लिए कॉरपोरेटों को शेयरों/बॉन्डो/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर अथवा बिना जमानत के संस्वीकृत किए गए ऋण।	13.82	1.68
7)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण।	Nil	Nil
8)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा किया गया हामीदारी कारोबार।	Nil	Nil
9)	शेयर दलालों को मार्जिन क्रय-विक्रय के लिए वित्तपोषण	Nil	0.13
10)	उद्यम-पूंजी निधियों से संबंधित एक्सपोजर (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों)	3,352.74	2,185.02
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	**13,003.16**	**18,926.16**

ग) जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निदेशों के अनुसार, बैंक के देशवार एक्सपोजर का वर्गीकरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए विभिन्न जोखिम वर्गों में किया गया है। यूएसए को छोड़कर किसी भी अन्य देश में बैंक का देशगत जोखिम (निवल निधिकृत) कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है अतः यूएसए के लिए देशगत जोखिम का प्रावधान किया गया है।

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	निवल निधिकृत जोखिम		किया गया प्रावधान	
	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
नगण्य	16,716.77	90,015.33	निरंक	121.06
बहुत कम	1,56,986.73	53,189.73	145.81	निरंक
कम	20,546.89	11,366.00	निरंक	निरंक
मध्यम	8,326.76	17,523.32	निरंक	निरंक
अधिक	21,883.14	7,126.62	निरंक	निरंक
अत्यधिक	10,242.33	8,314.33	निरंक	निरंक
प्रतिबंधित	318.01	1,299.06	निरंक	निरंक
कुल	**2,35,020.63**	**1,88,834.39**	**145.81**	**121.06**

घ) एकल ऋणकर्ता तथा समूह ऋणकर्ता को दिए गए ऋणों में बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ऋण

बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकशील जोखिम सीमा में ही एकल ऋणकर्ता तथा समूह ऋणकर्ता को ऋण दिया है।

ङ) अप्रतिभूत अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
क)	बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	5,59,246.43	5,22,939.34
i)	इनमें से अधिकार शेयर, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि जैसी अमूर्त प्रतिभूतियों पर प्रभार के प्रति देय अग्रिम बकाया	निरंक	निरंक
ii)	ii) इन अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य (उपर्युक्त (i) के अनुसार)	निरंक	निरंक

18.8 विविध

क. अर्थदंडों का प्रकटीकरण

- भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके बैंक द्वारा आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों आदि पर जारी निर्देशों का अनुपालन न करने पर बैंक पर कुल 7.00 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग से संबंधित अपने निर्देशों का पालन न करने पर बैंक पर 0.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

ख एसजीएल फार्म्स की बाउंसिंग के लिए अर्थदंड

एसजीएल फार्म्स की बाउंसिंग के लिए कोई अर्थ दंड नहीं लगाया गया है।

18.9 लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताएँ

क) लेखा मानक - 5 "अवधि के निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि के मदों तथा लेखा मानकों में परिवर्तन"

- वर्ष के दौरान पूर्व अवधि के आय/खर्च की कोई भी महत्वपूर्ण मदें नहीं रहीं।
- पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की तुलना में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान सहयोगियों में निवेश को छोडकर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में कोई भी बदलाव नहीं है। इस बदलाव का 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों पर कोई भी प्रभाव नहीं रहा।

क) लेखा मानक - 15 "कर्मचारी हितलाभ"

i. नियत हितलाभ योजनाएँ

1. कर्मचारी पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना :

नीचे दी गई तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना तथा ग्रेच्युटी की स्थिति को स्पष्ट करती है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2019 को आरंभिक नियत हितलाभ दायित्व	95,362.15	87,786.56	12,189.05	12,872.60
वर्तमान सेवा लागत	953.34	1,060.57	447.17	410.51
ब्याज लागत	7,428.71	6,812.24	947.09	1,001.49
विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	13,619.61	6,434.95	1,224.38	(107.62)
प्रदत्त लाभ	(3,914.34)	(3,966.53)	(1,955.13)	(1,987.93)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(3,619.10)	(2,765.64)	-	-
31 मार्च 2020 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	1,09,830.37	95,362.15	12,852.56	12,189.05
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2019 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	90,399.61	85,249.60	10,326.00	9,140.76
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	7,015.01	6,615.37	803.36	711.15
नियोक्ता द्वारा अंशदान	2,407.68	2,391.18	1,146.88	2,359.86
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान	0.28	0.34	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(3,914.34)	(3,966.53)	(1,955.13)	(1,987.93)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	1,550.28	109.65	249.84	102.16
31 मार्च 2020 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	97,458.52	90,399.61	10,570.95	10,326.00
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2020 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,09,830.37	95,362.15	12,852.56	12,189.05
31 मार्च 2020 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	97,458.52	90,399.61	10,570.95	10,326.00
कमी/(अधिशेष)	12,371.85	4,962.54	2,281.61	1,863.05
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	12,371.85	4,962.54	2,281.61	1,863.05
तुलन-पत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	1,09,830.37	95,362.15	12,852.56	12,189.05
आस्तियाँ	97,458.52	90,399.61	10,570.95	10,326.00
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	12,371.85	4,962.54	2,281.61	1,863.05
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष	-	-	-	-
कुल देयताएँ/(आस्तियाँ)	12,371.85	4,962.54	2,281.61	1,863.05
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	953.34	1,060.57	447.17	410.51
ब्याज लागत	7428.71	6,812.24	947.09	1,001.49
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(7,015.01)	(6,615.37)	(803.36)	(711.15)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान	(0.28)	(0.34)	-	-
लेखे में ली गई (परिशोधित) विगत सेवा लागत	-	-	-	-
लेखे में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	2,707.50
लेखे में शामिल की गई वर्ष के दौरान निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	12,069.33	6,325.30	974.54	(209.78)
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत	13,436.09	7,582.40	1,565.44	3,198.57
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और बीमांकिक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	7,015.01	6,615.37	803.36	711.15
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	1,550.28	109.65	249.84	102.16
योजना आस्तियों पर बीमांकिक प्रतिलाभ	8,565.29	6,725.02	1,053.20	813.31
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के आरंभिक अधिशेष व इतिशेष का समाधान				
1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता/(आस्ति)	4,962.54	2,536.96	1,863.05	1,024.34
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	13,436.09	7,582.40	1,565.44	3,198.57
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(3,619.10)	(2,765.64)	-	-
अन्य प्रावधानों को डेबिट	-	-	-	-
आरक्षित निधियों में शामिल	-	-	-	-
नियोक्ता का अंशदान	(2,407.68)	(2,391.18)	(1,146.88)	(2,359.86)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता/ (आस्ति)	12,371.85	4,962.54	2,281.61	1,863.05

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार पेंशन निधि तथा ग्रेच्युटी निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत किए गए निवेश निम्नानुसार हैं :

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	23.60%	19.42%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	36.89%	36.84%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा राशियाँ	30.68%	26.35%
म्यूचुअल फंड	3.36%	3.53%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	2.56%	10.85%
अन्य	2.91%	3.01%
योग	**100.00%**	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	पेंशन योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.83%	7.79%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	6.83%	7.79%
वेतन बढ़ोतरी दर	5.40%	5.20%
पेंशन बढ़ोतरी दर	0.80%	0.40%
अट्रीशन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु संख्या सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.84%	7.77%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	6.84%	7.77%
वेतन बढ़ोतरी	5.40%	5.20%
सेवा त्याग दर	2.00%	2.00%
मृत्यु संख्या सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

योजना में अधिशेष / कमी

ग्रेच्युटी योजना

(₹ करोड़ में)

तुलन - पत्र में ली गई राशि	31-03-2016 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2019 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	7,332.14	7,291.02	12,872.60	12,189.05	12,852.56
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6,879.77	7,281.18	9,140.76	10,326.00	10,570.95
अंतर	452.37	9.84	3,731.84	1,863.05	2,281.61
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत	-	-	2,707.50	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	452.37	9.84	1,024.34	1,863.05	2,281.61

विगत (एक्सपिरियंस) समायोजन

(₹ करोड़ में)

तुलन - पत्र में ली गई राशि	31-03-2016 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2019 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
योजना देयता पर (लाभ)/ हानि	326.09	10.62	399.62	(212.11)	382.17
योजना आस्ति (हानि)/ लाभ	(43.09)	182.34	(25.96)	102.16	249.84

योजना में अधिशेष / कमी

पेंशन

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में ली गई राशि	31-03-2016 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2019 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	59,151.41	67,824.90	87,786.56	95,362.15	1,09,830.37
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	53,410.37	64,560.42	85,249.60	90,399.61	97,458.52
अंतर	5,741.04	3,264.48	2,536.96	4,962.54	12,371.85
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	5,741.04	3,264.48	2,536.96	4,962.54	12,371.85

एक्सपिरियंस समायोजन

(₹ करोड़ में)

योजना देयता पर (लाभ)/हानि	5,502.35	3,007.59	4,439.54	3,642.57	4,078.53
योजना आस्ति पर (हानि)/लाभ	(162.93)	2,246.60	(135.07)	109.65	1,550.28

आगामी वर्ष की पेंशन और ग्रेच्युटी निधि हेतु अनुमानित अंशदान क्रमशः ₹2,348.90 करोड़ और ₹1383.89 करोड़ है।

चूँकि योजना आस्तियों को सरकारी प्रतिभूतियों के उत्पादकता कर्व के आधार पर बाजार के लिए मार्क किया गया है, अनुमानित प्राप्तियों की दर को डिस्काउंट दर के बराबर रखा गया है।

बीमांकिक मूल्यन में प्रतिफलित भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति जैसे अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखकर किया गया है। ये अनुमान बहुत लंबी अवधि के हैं तथा सीमित विगत अनुभव/ निकट भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में लगातार, उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है। लेखा-परीक्षकों ने तथा पूर्वानुमानुमानो को स्वीकार किया है।

पेंशन फंड को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि कुछ धारणाओं में उर्ध्वमुखी संशोधन किया जाए। धारनाओं में धारणाओं को संशोधित किया गया है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में नियतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार संचालित बीमांकिक मूल्यांकन "निरंक" देयता दर्शाता है। अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए या किया गया बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2019 को नियत हितलाभ दायित्व योजना की आरंभिक राशि	30,487.93	29,934.63
वर्तमान सेवा लागत	1,017.99	943.07
ब्याज लागत	2,455.49	2,475.08
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	1,104.84	1,330.76
बिमाकिंक हानिक / (लाभ)	208.49	-
प्रदत्त लाभ	(4,086.25)	(4,195.61)
31 मार्च 2020 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	31,188.49	30,487.93
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2019 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	32,179.93	31,502.49
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,455.49	2,475.08
अंशदान	2,122.82	2,273.83
अनर्णक निवेश को परिपक्वता हानि का प्रावधान	(467.66)	-
प्रदत्त हितलाभ	(4,086.25)	(4,195.61)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(100.11)	124.14
31 मार्च 2020 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	32,104.22	32,179.93
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2020 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	31,188.49	30,487.93
31 मार्च 2020 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	32,104.22	32,179.93
कमी/(अधिशेष)	(915.73)	(1,692.00)
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	915.73	1,692.00
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	1,017.99	943.07
ब्याज लागत	2,455.49	2,475.08
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,455.49)	(2,475.08)
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	-	-
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत।	1,017.99	943.07
तुलन-पत्र में शामिल की गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक निवल देयता	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	1,017.99	943.07
नियोक्ता का अंशदान	(1,017.99)	(943.07)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता /(आस्ति)	-	-

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधि
	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	34.72%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	28.12%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमा राशियाँ	31.20%
म्यूचुअल फंड	2.62%
अन्य	3.34%
योग	100.00%

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
डिस्काउंट दर	6.84%	7.77%
गारंटी कृत प्रतिलाभ	8.50%	8.55%
अट्रीशन दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.40%	5.20%
मृत्यु दर सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

एसबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत देयता पर सुनिश्चित प्रतिलाभ दर लागू है, जो नीचे बताई गई दो दरों में से किसी से कम नहीं होगी :

(क) पूर्ववर्ती वर्ष (पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त) में बारह माह के लिए नई सावधि जमाओं के लिए बैंक द्वारा उद्धृत औसत मानक दर (एक चौथाई प्रतिशत ऊपर या नीचे समायोजित) से आधा प्रतिशत अधिक : या

(ख) तीन प्रतिशत वार्षिक, बशर्ते कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए।

ii. नियत अंशदान योजना

01 अगस्त 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में आने वाले सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए बैंक ने नियत अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की है। इस योजना का प्रबंधन नई पेंशन योजना (एनपीएस) न्यास द्वारा पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्त्वावधान में किया जाता है। एनपीएस के लिए, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20, ₹ 541.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 451.39 करोड़ का अंशदान किया।

iii. दीर्घावधि कर्मचारी- हितलाभ (अनिधिकृत देयताएँ)

(क) संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका में बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थितियां दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार परिभाषित प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	6,870.40	6,242.18
वर्तमान सेवा लागत	284.97	259.33
ब्याज लागत	533.83	485.64
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	769.88	741.53
प्रदत्त लाभ	(926.04)	(858.28)
31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार इतिशेष परिभाषित निवल देयता	7,533.04	6,870.40
लाभ एवं हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	284.97	259.33
ब्याज लागत	533.83	485.64

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीमांकिक (लाभ)/हानियां	769.88	741.53
अनुसूची 16 -"कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान" में शामिल परिभाषित हितलाभ योजनाओं की कुल लागत	1,588.68	1,486.50
तुलन-पत्र में शामिल प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	6,870.40	6,242.18
उपरोक्तानुसार व्यय	1,588.68	1,486.50
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(926.04)	(858.28)
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	7,533.04	6,870.40

प्रमुख बीमांकिक अनुमान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.84%	7.77%
वेतन वृद्धि	5.40%	5.20%
अट्रीशन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु दर सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

(ख) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक के वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार ₹21.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹21.53 करोड़) की राशि का प्रावधान अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभों के लिए किया गया है जिसे "कर्मचारीयों को भुगतान व उनके लिए प्रावधान" शीर्षक के अंतर्गत लाभ एवं हानि खाता में रखा गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभों के लिए किए गए प्रावधानों के विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवकाश यात्रा और गृह यात्रा रियात (नकदीकरण / सुविधा प्राप्त करना)	20.00	35.00
2	रुग्ण अवकाश	-	-
3	सिल्वर जुबली अवार्ड	3.91	(1.47)
4	सेवानिवृति पर पुनर्वास व्यय	1.01	(4.15)
5	आकस्मिक अवकाश	-	-
6	सेवानिवृति पुरस्कार	(3.21)	(7.85)
योग		**21.71**	**21.53**

प्रमुख बीमांकिक अनुमान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.84%	7.77%
वेतन में वृद्धि	5.40%	5.20%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%
मृत्यु दर सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

ग) लेखा मानक - 17 "खंडवार सूचना"

1. खंड अभिनिर्धारण

I. प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड हैं:-

- खजाना (ट्रेजरी)
- कारपोरेट/ थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा एवं सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों के लिए अलग से आंकड़े संग्रहण व एक्ट्रेक्ट करने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय रिपोर्टिंग संरचना एवं प्राथमिक खंडों में निहित जोखिम व प्रतिलाभ के आधार पर निम्नलिखित के अनुसार उनकी गणना की गई है :-

ii. ट्रेजरी

ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय व डेरिवेटिव्स संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल हैं। ट्रेजरी खंड की आय में मुख्य रूप से फीस तथा ट्रेडिंग परिचालनों से होने वाले लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज-आय शामिल होती है।

iii. कारपोरेट/थोकबैंकिंग-

कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कारपोरेट लेखा समूह, वाणिज्यिक लेखा समूह तथा तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह की ऋण गतिविधियाँ शामिल हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऋण व लेन-देन सेवाएँ तथा विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-कोष परिचालन भी शामिल हैं।

iv. खुदरा बैंकिंग-

खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ आती हैं, जिसमें प्राथमिक रूप से इन शाखाओं से बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय व एटीएम भी शामिल हैं।

v. अन्य बैंकिंग व्यवसाय

उपर्युक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत न किए गए खंड इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

II. द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

i) देशी परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएँ/कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालित शाखाएँ/ कार्यालय तथा भारत में परिचालन करने वाली समुद्र पारीय बैंकिंग इकाइयाँ।

III. अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खंड मुख्य संसाधन संग्रहण (मोबिलाईसिंग) इकाई है। कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग तथा ट्रेजरी खंड खुदरा बैंकिंग से निधि प्राप्त करते हैं। बाजार संबंधित निधि अंतरण मूल्य निर्धारण (एमआरएफटीपी) का पालन किया जाता है जिसके अंतर्गत निधियन केंद्र नामक एक पृथक्क इकाई सृजित की गई है। निधियन केंद्र व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमा अथवा उधार के रूप में सृजित की जाने वाली निधियों का कल्पित क्रय करती है तथा आस्तियां सृजित करने में संलिप्त व्यवसाय इकाइयों को निधियों का कल्पित विक्रय करती है।

IV. व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

सीधे कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए खर्च को उसी अनुसार आबंटित किया गया है। सीधे-सीधे न जुड़े हुए खर्च को प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किया गया है।

बैंक में कुछ ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ होती हैं जिन्हें किसी खंड में शामिल नहीं किया जा सकता, उन्हें अन-आबंटित श्रेणी में रखा गया है।

2. खंडवार सूचना

भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
आय (विशेष मदों से पूर्व) #	75,054.51	90,248.46	1,30,906.66	-	2,96,209.63
	(77,651.11)	(78,599.78)	(1,20,968.24)	(-)	(2,77,219.13)
अन-आबंटित आय #					119.80
					(863.86)
कुल आय #					2,96,329.43
					(2,78,082.99)
परिणाम (विशेष मदों से पूर्व)#	9,446.53	(-) 3,996.75	18,058.78	-	23,508.56
	(6,831.17)	(-16,262.12)	(12,730.51)	(-)	(3,299.56)
जोडें: अतिरिक्त मदें	6,215.64				6,215.64
	(473.12)				(473.12)
परिणाम (विशेष मदों के बाद)#	15,662.17	(-) 3,996.75	18,058.78	-	29,724.20
	(7304.29)	(-16,262.12)	(12,730.51)	(-)	(3,772.68)
अन-आबंटित आय (+) / व्यय (-) - निवल #					(-) 4,661.44
					(-2,165.20@)
कर पूर्व लाभ #					25,062.76
					(1,607.48)
कर #					10,574.65
					(745.25)
असाधारण लाभ #					निरंक
					निरंक
निवल लाभ #					14,488.11
					(862.23)
अन्य सूचना :					
खंड आस्तियां *	11,34,532.91	11,77,636.15	15,80,600.47	-	38,92,769.53
	(10,02,841.57)	(11,33,271.13)	(14,91,676.59)	(-)	(36,27,789.29)
अन-आबंटित आस्तियां *					58,624.39
					(53,124.96)
कुल आस्तियां *					39,51,393.92
					(36,80,914.25)
खंड देयताएं *	10,18,341.71	11,62,918.88	14,60,117.68	-	36,41,378.27
	(8,37,911.69)	(11,64,572.02)	(13,89,432.28)	(-)	(33,91,915.99)
अन-आबंटित देयताएँ*					78,008.22
					(68,084.44)
कुल देयताएँ *					37,19,386.49
					(34,60,000.43)

(कोष्ठक के आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

@ में ₹ 1,087.43 करोड़ की विशेष मद भी शामिल है

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

(₹ करोड़ में)

	देशीय		विदेशी		योग	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय (विशेष मदों से पूर्व) #	2,81,486.59	2,63,866.57	14,842.84	14,216.42	2,96,329.43	2,78,082.99
निवल लाभ #	10,332.81	(-) 3,075.19	4,155.30	3,937.42	14,488.11	862.23
आस्तियाँ*	35,11,389.86	32,85,791.00	4,40,004.06	3,95,123.25	39,51,393.92	36,80,914.25
देयताएँ *	32,79,382.43	30,64,877.18	4,40,004.06	3,95,123.25	37,19,386.49	34,60,000.43

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

* 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार

ग) लेखा मानक - 18 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण"

1. संबंधित पक्ष

ए) अनुषंगियाँ

i. विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को
2. बैंक एसबीआई (बोत्सवाना) लिमिटेड
3. एसबीआई कनाडा बैंक
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके लिमिटेड)
6. एसबीआई (मॉरीशस) लि.
7. पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
8. नेपाल एसबीआई बैंक लि.

ii. देशीय गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
2. एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.
3. एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.
4. एसबीआईकैप वैंचर्स लि.
5. एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
6. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
7. एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सोल्यूशन्स प्रा. लि.
8. एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.
9. एसबीआई पेमेंटस सर्विसेज प्रा. लि.
10. एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लि.
11. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
12. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
13. एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
14. एसबीआई- एसजी ग्लोबल सिक्यूरीटीज सर्विसेज प्रा.लि.
15. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
16. एसबीआई फाउंडेशन

iii. विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.
2. एसबीआई कैप (यूके) लि.
3. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा
5. नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड

ख. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ

1. सी-ऐज टेकनोलॉजी लि.
2. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
3. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीस प्रा. लि.
4. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि.
5. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
6. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
8. जियो पेमेंट्स बैंक लि.

ग. सहयोगी

i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
6. मेघालय ग्रामीण बैंक
7. मिजोरम ग्रामीण बैंक
8. नागालैंड ग्रामीण बैंक
9. पूर्वांचल बैंक
10. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
11. उत्कल ग्रामीण बैंक
12. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
13. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक
14. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
15. तेलंगाना ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

1. एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)
2. क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड
4. यस बैंक लिमिटेड (14 मार्च 2020 से प्रभावी)

घ. बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष
2. श्री पी.के.गुप्ता, प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)
3. श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक (ग्लोबल बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ)
4. श्री अरिजीत बसू, प्रबंध निदेशक (वाणिज्यिक ग्राहक समूह एवं आईटी)
5. श्रीमती अंशुला कांत, प्रबंध निदेशक (दबावग्रस्त आस्तियां, जोखिम एवं अनुपालन) (01.04.2019 से 31.08.2019 तक)
6. श्री चेल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, प्रबंध निदेशक (दबावग्रस्त आस्तियां) 20.01.2020 से

2 वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए

लेखा मानक लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत "सरकार-नियंत्रित उद्यम" के संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3. लेनदेन एवं शेष राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
31 मार्च 2020 को बकाया			
उधार राशि	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
जमा राशि	746.45	निरंक	746.45
	(46.09)	निरंक	(46.09)
अन्य देयताएँ	0.06	निरंक	0.06
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
बैंकों में अधिशेष	300.00	निरंक	300.00
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
अग्रिम	113.50	निरंक	113.50
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
निवेश	11,003.36	निरंक	11,003.36
	(106.06)	(निरंक)	(106.06)
अन्य आस्तियां	212.33	निरंक	212.33
	(200.38)	(निरंक)	(200.38)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया			
उधार राशि	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
जमा राशि	767.06	निरंक	767.06
	(206.16)	(निरंक)	(206.16)
अन्य देयताएँ	0.06	निरंक	0.06
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
जमाराशियां और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	300.00	निरंक	300.00
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
अग्रिम	113.50	निरंक	113.50
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
निवेश	11,003.36	निरंक	11,003.36
	(106.06)	(निरंक)	(106.06)
अन्य आस्तियां	212.33	निरंक	212.33
	(200.38)	(निरंक)	(200.38)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान			
ब्याज आय	4.89	निरंक	4.89
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
ब्याज व्यय	0.82	निरंक	0.82
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
लाभांश से अर्जित आय	17.88	निरंक	17.88
	(21.78)	(निरंक)	(21.78)
अन्य आय	0.74	निरंक	0.74
	(0.73)	(निरंक)	(0.73)
अन्य व्यय	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
भूमि/भवन व अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि)	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
प्रबंधन संविदाएँ	निरंक	1.38	1.38
	(निरंक)	(1.32)	(1.32)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकार के बहुत महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हैं।

ऐ) लेखा-मानक - 19 "पट्टा"

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

परिचालन पट्टे पर परिसरों में मुख्यतः कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं, इन पट्टों को नवीकृत करने का विकल्प बैंक के पास है :-

(i) गैर-निरस्तीकरण योग्य परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की देयता का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष तक	116.77	136.94
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	399.69	485.41
5 वर्ष के पश्चात	104.46	110.90
योग	**620.92**	**733.25**

(ii) परिचालन पट्टों के संबंध में लाभ एवं हानि खाते में शामिल की गई राशि ₹ 3,338.41 करोड़ (₹3,309.41 करोड़).

घ) लेखा मानक -20 "प्रति शेयर उपार्जन"

बैंक, लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना, वर्ष के दौरान, कर पश्चात निवल आय को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर निकाली गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल तथा कम किए गए		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,45,87,534
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	निरंक	24,000
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,45,91,479
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,45,91,479
निवल लाभ/ (हानि) (₹ करोड़ में)	14,488.11	862.23
प्रति शेयर मूल आय (₹)	16.23	0.97
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	16.23	0.97
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	1	1

ऑ) लेखा मानक - 22 "आय पर कर का लेखांकन"

क. वर्तमान कर :-

बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते में ₹3,063.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 208.87 करोड़ क्रेडिट) वर्तमान कर के रूप में क्रेडिट किए हैं। भारत में वर्तमान कर की गणना, विदेशी अधिकार क्षेत्र में भुगतान किए गए कर के लिए उपयुक्त छूट प्राप्त कर लेने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

ख. आस्थगित कर :-

बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते से ₹7,510.99 करोड़ आस्थगित कर के रूप में डेबिट किए हैं। (पिछले वर्ष ₹954.12 करोड़)

बैंक की बकाया निवल आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) ₹2,927.28 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीए ₹ 10,420.16 करोड़) रहीं, जिसमें 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान' के अंतर्गत ₹ 6.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.33 करोड़) की डीटीएल तथा 'अन्य आस्तियाँ' के अंतर्गत ₹ 2,933.44 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीए ₹ 10,422.49 करोड़) की 'आस्थगित कर आस्तियां' (डीटीए) शामिल है। डीटीए और डीटीएल की प्रमुख मदों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए)		
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	6,425.50	5,321.84
अग्रिमों के लिए प्रावधान	2,757.68	4,142.69
अन्य आस्तियों/अन्य देयताओं के लिए प्रावधान	665.72	753.11
संचित हानि पर (पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों सहित)	-	10,741.74
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि पर	809.99	235.77
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	116.18	29.53
विदेशी कार्यालयों से	253.17	277.67
योग	**11,028.24**	**21,502.35**
आस्थगित कर देयताएँ (डीटीएल)		
प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रोद्भूत किंतु देय नहीं	4,563.17	6,389.76
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	3,531.63	4,690.10
विदेशी कार्यालयों से	6.16	2.33
योग	**8,100.96**	**11,082.19**
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयताएँ)	**2,927.28**	**10,420.16**

ग. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर के लिए प्रावधान को मान्य करते हुए बैंक ने कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा लागू अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15 बीएए के अंतर्गत अनुमत निचली कर दर के विकल्प को चुना है। तदनुसार, बैंक ने उल्लिखित धारा में निर्धारित कर दर के आधार पर 31 मार्च, 2019 को अपनी आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया तथा उस एमएटी क्रेडिट को पलट दिया जो अब उसके पास उपलब्ध नहीं है। इस परिवर्तन का प्रभाव ₹ 3,392.31 का एक-बारगी प्रभार है।

छ) लेखा मानक-27 संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में निवेश

निवेशों में ₹ 97.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹97.66 करोड़) शामिल हैं जो संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों में बैंक के हिस्से को दर्शाता है:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	राशि ₹ करोड़ में	देश	धारिता %
1	सी-ऐज टेक्नोलॉजीज लि.	4.90 (4.90)	भारत	49%
2	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि	18.57 (18.57)	भारत	45%
3	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.	0.03 (0.03)	भारत	45%
4	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि.	2.25 (2.25)	सिंगापुर	45%
5	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.#	- (-)	बरमुडा	45%
6	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड- मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.	2.30 (2.30)	भारत	50%
7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	0.01 (0.01)	भारत	50%
8	जियो पेमेंट्स बैंक	69.60 (69.60)	भारत	30%

मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट पीटीई लि. के माध्यम से अप्रत्यक्ष होल्डिंग के आधार पर कम्पनी ने निवेश पर 100% प्रावधान किया है।

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

लेखांकन मानक 27 की अपेक्षा के अनुरूप, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं व प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
देयताएँ		
पूंजी और आरक्षितियाँ	242.72	214.01
जमा-राशियाँ	6.25	5.50
उधार-राशियाँ	-	8.04
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	59.47	56.99
योग	**308.44**	**284.54**
आस्तियाँ		
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा-राशियाँ	1.28	0.65
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	88.68	70.48
निवेश	104.74	90.95
अग्रिम	-	-
अचल आस्तियाँ	32.19	28.53
अन्य आस्तियाँ	81.55	93.93
योग	**308.44**	**284.54**
पूँजी प्रतिबद्धताएँ	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएँ	0.56	2.63
आय		
अर्जित ब्याज	9.75	8.70
अन्य आय	184.37	188.09
योग	**194.12**	**196.79**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	0.28	0.20
परिचालन व्यय	133.69	120.78
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ	14.70	22.95
योग	**148.67**	**143.93**
लाभ	**45.45**	**52.86**

ज) लेखा मानक -28 "आस्तियों की क्षति"

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की क्षति का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की क्षति" लागू होती हो।

झ) **लेखांकन मानक-29 "प्रावधान,आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां"**

आकस्मिक देयताओं का विवरण:

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है। बैंक आशा नहीं करता कि इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ मामलों में कर निर्धारण अपीलें विचाराधीन हैं तथा बैंक उन विभिन्न मामलों में भी एक पक्ष है।
2	अंशतः प्रदत्त निवेशों/उद्यम निधि पर देयताएँ	यह मद, अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए अप्रदत्त शेष राशि की देयता को दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप के भाग के रूप में, भविष्य की किसी तारीख को पूर्व-निर्धारित दर पर मुद्रा परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं करता है। वायदा मुद्रा विनिमय संविदाएँ, संविदागत दर पर निर्धारित तारीख को विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्धता होती है। कल्पित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में संतुलन साधने के लिए सामान्यतः बैंक अंतर-बैंक बाजार में प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसका परिणाम बड़ी संख्या में बकाया लेनदेन होता है, और इसलिए संविभाग की सकल कल्पित मूल राशि की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है, जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम होता है।
4	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	अपनी सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में बैंक, अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण तथा गारंटियाँ जारी करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः बैंक की ओर से अप्रतिसंहरणीय (जिसे वापस न लिया जा सके) आश्वासन होता है कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है तो बैंक उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	बैंक अपने लिए तथा ग्राहकों की ओर से अंतर-बैंक सहभागियों के साथ मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर स्वैप में शामिल होता है। मुद्रा स्वैप, पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/मूल राशि के माध्यम से एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में विनिमय का नकदी प्रवाहों के परिवर्तन की प्रतिबद्धता हैं। ब्याज दर स्वैप, ब्याज की स्थिर तथा अस्थिर दर नकदी प्रवाहों के विनिमय की प्रतिबद्धताएँ हैं। कल्पित राशियां, जो आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज की जाती हैं, संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के लिए बेंचमार्क के रूप में प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट राशियाँ हैं। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी अनुमानित राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, बैंक द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि खाते के अंतर्गत बैंक की देयताएँ और अन्य विविध आकस्मिक देयताएँ भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/ न्यायालय के बाहर समझौते, अपीलों के निपटान, राशियों की मांग, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, संबंधित पक्षों द्वारा माँग और उसे उद्भूत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

ञ) **आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव**

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अधिशेष	525.26	503.16
वर्ष के दौराह जोड़ी गई राशि	137.17	112.81
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	5.30	51.51
वर्ष के दौरान उपयोग न की गई राशि की वापसी	28.51	39.20
इतिशेष	**628.62**	**525.26**

18.10 अतिरिक्त प्रकटन

1. प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़ में)

लाभ एवं हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए "प्रावधान एवं आकस्मिकताओं" का ब्यौरा	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कराधान हेतु प्रावधान		
- वर्तमान कर	2,803.14	491.13
- आस्थगित कर	7,510.99	954.12
- आय कर का प्रतिलेखन / आयकर का अतिरिक्त प्रावधान	260.53	(-) 700.00
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	538.55	(-) 762.09
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान	42,997.50	54,617.72
पुनर्रचित आस्तियों के लिए प्रावधान	(-) 221.54	(-) 88.66
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(-) 877.40	(-) 74.55
अन्य प्रावधान	632.73	136.13
योग	**53,644.50**	**54,573.80**

2. अस्थिर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अधिशेष	193.75	193.75
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	-	-
वर्ष के दौरान आहरण	-	-
इतिशेष	**193.75**	**193.75**

3. आरक्षित निधि से आहरण

वर्ष के दौरान, आरक्षित निधि से कोई आहरण नहीं किया गया।

4. शिकायतों की स्थिति:

क. ग्राहक शिकायतें (एटीएम से संबंधित शिकायतों सहित)

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1,39,029	79,259
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	38,08,400	42,21,491
वर्ष के दौरान समाधान की गई शिकायतों की संख्या	37,71,372	41,61,721
वर्ष के अंत में विचाराधीन/ लंबित शिकायतों की संख्या	1,76,057	1,39,029

एक कार्यदिवस के भीतर समाधान की गई शिकायतें शामिल नहीं

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	5	8
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	15	19
वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	16	22
वर्ष के अंत तक कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	4	5

5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मूल राशि या ब्याज के विलम्बित भुगतान का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

6. चुकौती आश्वासन पत्र :

31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसा कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है जिसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्ज न किया गया हो।

7. प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर):

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार के बैंक सकल अनर्जक आस्ति अनुपात हेतु 83.62% का प्रावधान किया गया। (पिछला 78.73%)

8. बैंक-बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राप्त फीस/पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1,116.93	951.90
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	314.52	270.86
एनटीयूसी एवं मनु लाइफ फाइनैंसियल लि.	0.86	1.20
टोकियो मैरिन एण्ड एसीई	2.31	1.63
यूनिट ट्रस्ट / एवं एलआइसी	0.35	0.47
एआईए सिंगापुर	1.12	0.64
योग	**1,436.09**	**1,226.70**

9. जमाराशियों, अग्रिमों, जोखिमों एवं अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार गणना)

क. जमाराशियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	95,385.85	90,609.54
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	2.94%	3.11%

ख. अग्रिमों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को कुल ऋण राशि	3,10,707.52	2,89,222.17
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं के ऋण का प्रतिशत	12.82%	12.61%

ग. ऋण जोखिमों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सबसे बड़े बीस उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल ऋण-जोखिम	5,25,714.23	4,47,140.43
बैंक के कुल ऋण जोखिम में सबसे बड़े बीस उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल ऋण-जोखिम का प्रतिशत	13.93%	12.80%

घ. अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सबसे बड़े चार अनर्जक आस्ति खातों का कुल ऋण-जोखिम	25,880.11	30,314.49

10. क्षेत्र-वार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत
क	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	2,04,185.71	32,558.27	15.95	1,99,789.60	23,335.83	11.68
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा वृहद)	1,01,080.54	18,738.88	18.54	97,116.64	12,545.61	12.92
3	सेवाएँ	83,870.61	5,289.20	6.31	99,232.43	9,674.48	9.75
4	वैयक्तिक ऋण	1,66,800.34	3,131.18	1.88	1,59,419.70	2,882.01	1.81
	उप-योग (क)	**5,55,937.20**	**59,717.53**	**10.74**	**5,55,558.37**	**48,437.93**	**8.72**
ख	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	2,235.29	229.81	10.28	19,403.93	89.00	0.46
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा वृहद)	10,54,285.42	74,644.63	7.08	9,75,896.74	1,12,411.63	11.52
3	सेवाएं	2,21,642.21	9,686.06	4.37	2,47,541.38	8,007.30	3.23
4	वैयक्तिक ऋण	5,88,744.65	4,813.82	0.82	4,95,053.70	3,804.50	0.77
	उप-योग (ख)	**18,66,907.57**	**89,374.32**	**4.79**	**17,37,895.75**	**1,24,312.43**	**7.15**
ग	**योग (क)+(ख)**	**24,22,844.77**	**1,49,091.85**	**6.15**	**22,93,454.12**	**1,72,750.36**	**7.53**

11. विदेशों में आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कुल आस्तियाँ	4,40,004.06	3,95,123.25
2	कुल अनर्जक आस्तियाँ (सकल)	1,650.16	1,937.19
3	कुल राजस्व	14,842.84	14,216.42

12. तुलन-पत्र बाह्य प्रायोजित की गई विशेष प्रयोजन संस्थाएं (एसपीवी)

	प्रायोजित विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) का नाम	
	देशीय	**विदेशी**
चालू वर्ष	निरंक	निरंक
पिछला वर्ष	निरंक	निरंक

13. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमएमआर अनुपालन में बैंक द्वारा रखी गई कुल जोखिम राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) तुलन पत्र बाह्य जोखिम				
	i) प्रथम हानि				
	ii) अन्य				
	ख) तुलन पत्र जोखिम				
	i) प्रथम हानि				
	ii) अन्य				
4.	एमएमआर से अतिरिक्त प्रतिभूतिकरण लेनदेन से संबंधित जोखिम की राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) तुलन पत्र बाह्य जोखिम				
	i) अपनी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				
	ii) अन्य पक्ष प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				
	ख) तुलन पत्र जोखिम				
	i) अपनी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				
	ii) अन्य पक्ष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				

14. ऋण चूक स्वैप

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में	संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में
1.	वर्ष के दौरान हुए लेन-देन की संख्या	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) इनमें से जो भौतिक रूप से निपटाए गए/जाएंगे				
	ख) नकद निपटान				
2.	वर्ष के दौरान क्रय/विक्रय किए गए संरक्षण की राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) इनमें से जो भौतिक रूप से निपटाए गए/जाएंगे				
	ख) नकद निपटान				
3.	वर्ष के दौरान लेन-देन की संख्या जहां क्रेडिट इवेंट भुगतान प्राप्त/प्रदत्त किया गया	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) चालू वर्ष के लेनदेन से संबंधित				
	ख) पिछले वर्ष (वर्षों) के लेनदेन से संबंधित				
4.	अब तक पिछले वर्ष दौरान सीडीएस लेनदेन से संबंधित निवल आय/लाभ (खर्च/हानि)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) अदा किया गया/प्राप्त किया गया प्रीमियम				
	ख) क्रेडिट इवेंट भुगतान :				
	• अदा (आस्तियों के मूल्य की वसूली का निवल)				
	• प्राप्त (पूर्तियोग्य प्रतिबद्धता के मूल्य का निवल)				
5.	31 मार्च को बकाया लेनदेन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) लेनदेनों की संख्या				
	ख) संरक्षण की राशि				
6.	वर्ष के दौरान लेनदेन का उच्चतम बकाया	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) लेनदेनों की संख्या (1 अप्रैल को)				
	ख) संरक्षण की मात्रा (1 अप्रैल को)				

15. अंतरा-समूह एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i	अंतरा-समूह एक्सपोज़र की कुल राशि	32,578.25	27,765.01
ii	शीर्ष बीस अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	32,577.04	27,765.01
iii	बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के संबंध में कुल एक्सपोज़र की तुलना में अंतरा-समूह एक्सपोज़र का प्रतिशत	0.86%	0.79%
iv	अंतरा-समूह एक्सपोज़र की सीमाओं के उल्लंघन तथा उन पर की गई विनियामक कार्रवाई का विवरण	निरंक	निरंक

16. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ़) को अंतरित की गई दावा न की गई देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
डीईए निधि को अंतरित राशियों का प्रारंभिक अथशेष	2,852.66	2,125.62
जमा : वर्ष के दौरान डीईए निधि में अंतरित राशि	557.22	736.65
घटाः दावों की प्रतिपूर्ति के लिए डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	22.23	9.61
डीईए निधि को अंतरित राशियों का इतिशेष	3,387.65	2,852.66

17. बचाव नहीं (अनहेड्ज) किया गया विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर

'संस्थाओं को एक्सपोजर हेतु पूंजी एवं प्रावधानीकरण आवश्यकताएँ' पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीओडी संख्या बीपी.बीसी 85/21.06.200 /2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 के अनुसार, बैंक ने हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान किया।

31 मार्च 2020 के अनुसार ₹108.84 करोड़ की राशि (पिछला वर्ष ₹ 98.13 करोड़) मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए तथा ₹28.54 करोड़ की राशि (पिछला वर्ष ₹43.19 करोड़) मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए पूंजी आबंटन किया गया।

18. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डी ओ आर संख्या बीपी. बीसी. 63/21.04.048 / 2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 के अनुसार कोविड 19 विनियामक पैकेज के संबंध में आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	चालू वर्ष
i.	संबंधित राशियाँ जहां अधिस्थगन/स्थगन की सुविधा दी गई	5,63,896.15
ii.	उपर्युक्त (i) में से वह राशि जहां आस्ति वर्गीकरण लाभ दिया गया	6,250.31
iii.	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,172.00

19. चलनिधि सुरक्षा अनुपात (एलसीआर):

क) स्टैण्डअलोन एलसीआर

चलनिधि सुरक्षा अनुपात (एलसीआर) मानक को इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है कि बैंक भार-रहित उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर बनाए रखें जिन्हें अत्यधिक गंभीर तरलता दबाव परिदृश्य में 30 कैलेन्डर दिनों की समयावधि के लिए तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में बदला जा सके। एलसीआर को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:-

$$\frac{\text{'उच्च गुणवत्तायुक्त तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)' का स्टॉक}}{\text{अगले 30 कैलेन्डर दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्वाह}}$$

तरल आस्तियों में उच्च गुणवत्ता वाली ऐसी आस्तियाँ शामिल है जिन्हें तुरंत नकदी में बदला जा सकता है या दबाव की स्थिति में निधि प्राप्त करने के लिए जिन्हें संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एचक्यूएलए के स्टॉक में दो श्रेणियों की आस्तियों को शामिल किया जाता है, अर्थात स्तर-1 तथा स्तर-2 आस्तियाँ। स्तर-1 0% मार्जिन (हेयरकट) वाली है, स्तर-2ए तथा स्तर-2बी आस्तियाँ क्रमशः 15% तथा 50% हेयरकट वाली हैं। आगामी 30 कलैंडर दिनों के लिए कुल अपेक्षित नकदी प्रवाह में से कुल प्रत्याशित नकदी बर्हिप्रवाह घटाने के बाद कुल निवल नकदी प्रवाह निकाला जाता है। कुल प्रत्याशित नकदी प्रवाह की गणना विभिन्न श्रेणियों के बकाया अधिशेषों या देयताओं के प्रकारों तथा तुलन पत्र बाह्य प्रतिबद्धताओं के प्रत्याशित प्रवाह या आहरण की दर से गुणा करके की जाती है। कुल प्रत्याशित नकदी प्रवाह की गणना संविदागत प्राप्यों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया अधिशेषों तथा कुल प्रत्याशित नकदी प्रवाह के कुल 75% की अधिकतम सीमा तक प्रत्याशित प्रवाह की दर से गुणा करके की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

चलनिधि कवरेज अनुपात

भारतीय स्टेट बैंक

(₹ करोड़ में)

		मार्च 2020 तिमाही की समाप्ति पर		31 दिसंबर, 2019 तिमाही की समाप्ति पर		30 सितंबर, 2019 तिमाही की समाप्ति पर		30 जून, 2019 तिमाही की समाप्ति पर		31 मार्च, 2019 तिमाही की समाप्ति पर	
एलसीआर घटक		**कुल अभारित मूल्य (औसत)**	**कुल भारित मूल्य (औसत)**	**कुल अभारित मूल्य (औसत)**	**कुल भारित मूल्य (औसत)**	**कुल अभारित मूल्य (औसत)**	**कुल भारित मूल्य (औसत)**	**कुल अभारित मूल्य (औसत)**	**कुल भारित मूल्य (औसत)**	**कुल अभारित मूल्य (औसत)**	**कुल भारित मूल्य (औसत)**
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ											
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएएल)		8,92,622		8,55,661		7,78,396		7,14,428		6,99,153
नकदी बहिर्गमन											
2	फुटकर जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जिनमें:										
(i)	स्थिर जमाराशियाँ	3,15,743	15,787	3,32,079	16,604	3,29,339	16,467	3,25,871	16,294	3,23,269	16,163
(ii)	कम स्थिर जमाराशियाँ	20,30,618	2,03,062	19,93,593	1,99,359	19,18,518	1,91,852	18,81,901	1,88,190	18,50,120	1,85,012
3	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमें से:										
(i)	परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	757	189	813	203	712	178	908	227	1,208	302
(ii)	गैर परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	7,27,791	4,42,254	6,85,022	4,05,434	6,77,795	4,04,580	6,65,501	3,97,642	6,35,727	3,73,978
(iii)	अप्रतिभूत उधार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	प्रतिभूत थोक निधीयन	1,652	18	128	-	163	-	23,601	9	72,120	54
5	अतिरिक्त आवश्यकताएँ, जिनमें से:										
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	1,56,235	1,56,235	1,39,378	1,39,378	1,36,479	1,36,479	1,56,233	1,56,233	1,70,833	1,70,833
(ii)	उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधाएं	42,467	6,050	46,145	6,787	42,098	6,396	42,285	6,309	39,337	6,053
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	34,641	34,641	33,046	33,046	31,839	31,839	30,176	30,176	35,561	35,561
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	5,56,385	19,965	5,66,220	20,252	5,46,604	19,520	5,53,283	19,955	5,72,831	20,941
8	कुल नकदी बहिर्गमन	38,66,288	8,78,200	37,96,424	8,21,063	36,83,547	8,07,311	36,79,759	8,15,033	37,01,005	8,08,896
नकदी अंतर्वाह											
9	प्रतिभूति ऋणान्वयन (उदाहराणार्थ प्रतिवर्ती रेपों)	48,756	-	41,132	-	42,876	-	6,415	-	7,938	-
10	पूर्णत: निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह	2,41,553	2,21,788	2,11,675	1,97,465	2,02,274	1,86,506	2,21,243	2,04,882	2,39,416	2,22,009
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	42,453	34,750	50,232	42,212	53,284	44,462	49,555	41,558	37,977	31,086
12	कुल नकदी अंतर्वाह	3,32,762	2,56,538	3,03,038	2,39,677	2,98,434	2,30,968	2,77,213	2,46,440	2,85,331	2,53,095
13	कुल एचक्यूएलए		8,92,622		8,55,661		7,78,396		7,14,428		6,99,153
14	कुल निवल नकदी बहिर्गमन		6,21,662		5,81,386		5,76,343		5,68,594		5,55,801
15	चल निधि सुरक्षा अनुपात (%)		143.59%		147.18%		135.06%		125.65%		125.79%

नोट 1: भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआइ/2014-15/529 डीबीआर स. बीपी. बीसी. 80/21.06.201/2014-15 दिनांकित 31 मार्च, 2015 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, औसत भारित तथा अभारित राशियों की गणना 1 जनवरी 2017 से साधारण दैनिक औसत को ध्यान में रखते हुए तथा जनवरी- मार्च 2020 तिमाही के लिए 68 दिनों के डाटा प्वाईंट लेकर की गई है।

नोट 2 : बैंक ने ओएफएसएए प्रणाली को लागू किया है, जहां देशीय 1 मार्च 2018 से एलसीआर की दैनिक गणना स्वचालित है।

एलसीआर स्थिति आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 100% की सीमा से अधिक है। बैंक की एलसीआर तीन माह (वित्त वर्ष 19-20 की चौथी तिमाही) के दैनिक औसत के आधार पर 143.59% हैं। तिमाही के लिए औसत एचक्यूएलए ₹ 8,92,622 करोड़ था, जिसमें से स्तर-1 आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 94.50% थीं। सरकारी प्रतिभूतियां कुल स्तर 1 आस्तियों का 96.99% थी। स्तर-2ए आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 4.99% तथा स्तर-2बी आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 0.51% थीं। इस अवधि में एचक्यूएलए में संसाधनों के अत्यधिक नियोजन के कारण एचक्यूएलए स्तर में ₹36,961 करोड़ की वृद्धि हुई है। खुदरा जमाराशियों. में वृद्धि एवं पीएसई, एनएफसी, सॉवरिन, अन्य कानूनी संस्थाओं से गैर - परिचालन जमाराशियां बढ़ने के कारण खुदरा जमाराशियों में निवल ₹40,276 करोड़ की वृद्धि हुई है। अंतर्वाह तथा बहिर्प्रवाह की लगभग एक समान स्थिति के कारण डेरिवेटिव एक्सपोजर को महत्वपूर्ण नहीं माना गया। तिमाही के दौरान, औसत एलसीआर के लिए यूएसडी (विदेशी मुद्रा की महत्वपूर्ण मात्रा जो बैंक के तुलन पत्र का 5% से अधिक है, 103.31% रहा।

बैंक में तरलता प्रबंधन की व्यवस्था आस्ति एवं देयता प्रबंधन (एएलएल) नीति तथा विनियामक निर्धारण द्वारा सुनिश्चित की जाती है। देशी और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग ट्रेजरियाँ, आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अल्को) को रिपोर्ट करती हैं। बैंक के बोर्ड द्वारा आल्को को निधियन कार्यनीतियाँ निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधीयन के स्रोत सुविभाजित हो तथा बैंक की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

अल्को के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को आवधिक रूप में बोर्ड को रिपोर्ट किया जाता है। बैंक की तरलता आवश्यकताओं के निरंतर मूल्यांकन के लिए दैनिक/मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के अतिरिक्त बैंक दैनिक संरचनात्मक तरलता विवरण तैयार किया जाता है।

बैंक अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिक एसएलआर निवेशों के रूप में एचक्यूएलए अनुरक्षित करता रहा है। भली भांति विविधीकृत खुदरा जमाएँ कुल निधीयन स्रोतों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रबंधन का विचार है कि बैंक के पास संभावित भावी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त तरलता कवर उपलब्ध है।

ख. समेकित एलसीआर

31 मार्च 2015 को जारी किए गए पूरक दिशानिर्देशों के माध्यम से आरबीआई ने 1 जनवरी 2016 से समेकित स्तर पर एलसीआर लागू करना निर्धारित किया है। तदनुसार, एसबीआई समूह समेकित एलसीआर की गणना कर रहा है।

एलसीआर समूह में शामिल की गई संस्थाएं हैं: भारतीय स्टेट बैंक और आठ विदेशी बैंकिंग अनुषंगियां: बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि., कोमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को, नेपाल एसबीआई बैंक लि., स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया), एसबीआई कनाडा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मारीशस) लि., पीटी बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि।

जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2020 तीन महीनों के औसत के आधार पर 31 मार्च 2020 को भारतीय स्टेट बैंक समूह का एलसीआर 144.09% बैठता है।

चलनिधि कवरेज अनुपात

भारतीय स्टेट बैंक समूह

(₹ करोड़ में)

		मार्च 2020 तिमाही की समाप्ति पर		31 दिसंबर, 2019 तिमाही की समाप्ति पर		30 सितंबर, 2019 तिमाही की समाप्ति पर		30 जून, 2019 तिमाही की समाप्ति पर		31 मार्च, 2019 तिमाही की समाप्ति पर	
एलसीआर घटक		**कुल अभारित मूल्य (औसत)**	**कुल भारित मूल्य (औसत)**	**कुल अभारित मूल्य (औसत)**	**कुल भारित मूल्य (औसत)**	**कुल अभारित मूल्य (औसत)**	**कुल भारित मूल्य (औसत)**	**कुल अभारित मूल्य (औसत)**	**कुल भारित मूल्य (औसत)**	**कुल अभारित मूल्य (औसत)**	**कुल भारित मूल्य (औसत)**
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ											
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएएल)		8,97,905		8,60,122		7,81,476		7,17,540		7,01,837
नकदी बहिर्गमन											
2	फुटकर जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जमाराशियां जिनमें:										
(i)	स्थिर जमाराशियाँ	3,23,204	16,160	3,37,819	16,891	3,36,278	16,814	3,32,633	16,632	3,30,107	16,505
(ii)	कम स्थिर जमा राशियाँ	20,39,846	2,03,985	20,02,188	2,00,219	19,27,051	1,92,705	18,90,551	1,89,055	18,59,217	1,85,922
3	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमें से:										
(i)	परिचालन जमा राशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	882	220	939	235	822	205	1,024	256	1,333	333
(ii)	गैर-परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	7,29,630	4,43,520	6,86,540	4,06,511	6,79,780	4,05,906	6,67,367	3,98,988	6,37,579	3,75,202
(iii)	अप्रतिभूत उधार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	प्रतिभूत थोक निधीयन	1,721	87	128	-	163	-	23,601	9	72,120	54
5	अतिरिक्त आवश्यकताएँ, जिनमें से:										
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	1,56,243	1,56,243	1,39,379	1,39,379	1,36,480	1,36,480	1,56,236	1,56,236	1,70,834	1,70,834
(ii)	उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधाएं	44,002	7,007	48,086	7,707	44,661	7,409	44,642	7,334	41,230	6,839
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	36,069	36,069	34,086	34,086	32,662	32,662	31,404	31,404	36,556	36,556
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	5,58,222	20,021	5,68,053	20,308	5,48,431	19,576	5,55,308	20,017	5,74,764	21,000
8	कुल नकदी बहिर्गमन	38,89,820	8,83,313	38,17,217	8,25,335	37,06,328	8,11,757	37,02,767	8,19,930	37,23,741	8,13,245
नकदी अंतर्वाह											
9	प्रतिभूति ऋणान्वयन (उदाहरणार्थ प्रतिवर्ती रेपो)	48,756	-	41,132	-	42,876	-	6,415	-	7,938	-
10	पूर्णतः निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह	2,46,736	2,24,450	2,15,832	1,98,971	2,06,377	1,88,101	2,25,721	2,06,750	2,44,205	2,24,094
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	43,430	35,712	51,102	43,069	53,894	45,051	50,368	42,344	38,892	31,972
12	कुल नकदी अंतर्वाह	3,38,922	2,60,162	3,08,066	2,42,039	3,03,148	2,33,152	2,82,504	2,49,094	2,91,034	2,56,066
13	कुल एचक्यूएलए		8,97,905		8,60,122		7,81,476		7,17,540		7,01,837
14	कुल निवल नकदी बहिर्गमन		6,23,152		5,83,296		5,78,605		5,70,836		5,57,179
15	चल निधि सुरक्षा अनुपात (%)		144.09%		147.46%		135.06%		125.70%		125.96%

नोट 1 : 3 महीने के मासिक औसत डेटा विदेशी बैंकिंग अनुषंगियों के समझे गए हैं और दैनिक औसत एसबीआई (एकल) के लिए समझा गया है।

समूह अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिक एसएलआर निवेशों के रूप में एचक्यूएलए अनुरक्षित कर रहा है। भली भांति विविधीकृत खुदरा जमाएँ कुल निधीयन स्रोतों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रबंधन का विचार है कि बैंक के पास संभावित भविष्यत अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त तरलता कवर उपलब्ध है।

20. वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियाँ तथा किए गए प्रावधान

वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई कुल 6,964 मामलों में ₹44,622.45 करोड़ की धोखाधड़ियों (पिछला वर्ष 2,616 मामलों में ₹12,387.13 करोड़) में से 651 मामलों में ₹12,310.90 करोड़ (पिछला वर्ष 581 मामलों में ₹ 12,310.90 करोड़) अग्रिमों को धोखाधड़ियाँ घोषित किया गया है। वर्ष के दौरान धोखाधड़ी के रूप में घोषित अग्रिम खाते को छोड़कर वर्ष के दौरान सूचित धोखाधड़ी के संबंध में 31 मार्च 2020 तक बकाया शेष राशि के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है जहाँ बैंक ने चार तिमाहियों में प्रावधान करने का फैसला किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 18 अप्रैल 2016 के परिपत्र डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 में दिए गए निदेशों के अनुसार 31 मार्च 2020 की ₹ 5,230.37 करोड़ की गैर -परिशोधित प्रावधान राशि को "अन्य प्रावधान" को नामें और ऋण को "प्रावधान" में जमा किया गया है।

21. अंतर कार्यालय खाते

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतर कार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है तथा चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते की राशि पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

22. पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री

वर्ष के दौरान पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री के कारण हुई ₹0.84 करोड़ (पिछला वर्ष ₹173.37 करोड़) कमी को चालू वर्ष में प्रभारित किया गया है।

23. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र क ऋणान्वयन प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित पीएसएलसी की खरीदारी की है :-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	चालु वर्ष	पिछला वर्ष
1.	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम	47,525.75	16,272.75
2.	पीएसएलसी कृषि	-	1,223.00
3.	पीएसएलसी सामान्य	30,451.25	33,557.50
4.	पीएसएलसी लघु एवं सीमांत किसान	9,352.00	553.00
	योग	**87,329.00**	**51,606.25**

31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान बैंक ने किसी भी पीएसएलसी की बिक्री नहीं की है।

24. प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर (सीसीपीबी)

""अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर के उपयोग" पर अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.संख्या बीपी. बीसी. 21.04.048/2014-15 दिनांक 30 मार्च 2015 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु 31 दिसंबर 2014 को बैंकों द्वारा रखे गए सीसीपीबी के 50% को उपयोग में लाने की अनुमति दी गई।

वर्ष के दौरान बैंक ने एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधानों हेतु सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया है।

25. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिपत्र संख्या डीबीआर. क्र. बीपी 15199/21.0404-B/2016-17 तथा डीबीआर बीपी 1906/21.4048/2017-18 दिनांक 23 जून 2017 और 28 अगस्त 2017 के अग्रसर दिवाला और दिवालीया पत्र अस्ति (आईबीसी) के प्रावधानों के आधीन खातो कें लिए बैंक के द्वारा ₹ 5761.46 करोड़ की राशि का प्रावधान कल बकाया राशि 93.53% में दिनांक 31 मार्च 2020 तक की स्थिति के अनुसार किया गया है।

26. बैंक ने 01 नवम्बर 2017 से प्रभावी तौर पर संचीवन के अधीन देय वेतन के लिए ₹ 2,999.00 करोड़ रुपयों (31 मार्च 2020 तक संचयी ₹ 8,64241 करोड़) की राशि का प्रावधान किया है।

27. अनुसूची 14 के तहत निवेश की विक्री (निवल) पर लाभ/(हानि) क संबंध में अन्य आय में निम्म लिखित शामिल है।

- बैंक की अनुषंगी एसबीआई लाइक इंसुरैस कंपनी लिमिटेड में निवेश के कुछ हिस्से की विक्र पर ₹ 3,484.30 करोड़
- बैंक की अनुषंगी एसबीआई कार्ड्स एंड पेमैंट सर्विसेस लि. में निवेश के कुछ हिस्से की बिक्री पर ₹ 42 2731.34 करोड़

28. तनावग्रस्त आस्तियों का समाधान: बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जून 2019 के परिपत्र डीबीआर क्र.बीपी.बीसी. 45/21.04.048/2018-19 के अनुसार अपने 9 उधारकर्ताओं के लिए समाधान योजना को कार्यान्वित किया है, जिनसे 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ 14,487.28 करोड़ का जोखिम है।

इसके अलावा बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17 अप्रैल 2020 के परिपत्र डीओआर. क्र. बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 में निहित शर्तों के अनुसार अपने 4 उधारकर्ताओं की समाधान अवधि को बढ़ा दिया है, जिनकी 31 मार्च 2020 तक की स्थिति के अनुसार जोखिम राशि रु. 1006.91 करोड़ रुपए है।

29. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 19 मई 2020 के अपने ई-मेल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह निदेश दिए गए हैं कि वर्ष 2019-20 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट में निहित "क्या बैंक के पास वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रणों की संचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं" की रिपोर्टिंग को वैकल्पिक कर दिया है।

बैंक ने वित्त वर्ष 2020-2021 से इस अपेक्षा को पूरा करने का विकल्प लिया है।

30. दुनिया भर में कोविड-19 के प्रसार के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई है और वित्तीय बाजारों की अस्थिरता में वृद्धि हुई है। इस स्थिति में, हालांकि, चुनौतियों का सामना करना जारी है, बैंक इसे पूरा करने के लिए सभी मोर्चों पर खुद को तैयार कर रहा है । स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक अनवरत आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। बैंक के लिए बड़ी चुनौतियां विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्र और नकदी प्रवाह को कम करने से पैदा होंगी । इन शर्तों के बावजूद, बैंक की तरलता और लाभप्रदता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 मार्च 2020 की अधिसूचना क्र. डीओआर. क्र. बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों से बढ़े ऋण के ब्याज के बोझ को कम करने और व्यवहार्य व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित करने के उपायों की घोषणा की है। इन उपायों में भुगतान अवधि के ऋणों और कार्यशील पूंजी सुविधाओं का पुनर्निर्धारण, विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) के रूप में कार्यशील पूंजी वित्तपोषण वर्गीकरण को आसान बनाना और गैर-अनर्जक आस्तियां आदि शामिल हैं। तदनुसार बैंक द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :

- 6250 करोड़ रुपए के बकाया वाले उन खातों के लिए 15% की दर से 938 करोड़ रुपए का प्रावधान जो 29 फरवरी 2020 तक मानक खाते थे, लेकिन 31 मार्च 2020 तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध राहत को हिसाब में न लेने पर 31 मार्च 2020 तक अनर्जक आस्ति/अवमानक श्रेणी में आ गए होंगे।
- उपर्युक्त खातों के संबंध में, 234 करोड़ रुपए की ब्याज आय को परिचालन लाभ में हिसाब में लिया गया है, पर मानक आस्तियों के लिए 234 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

31. बैंक ने बाहरी स्वतंत्र मूल्यांककों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 30 जून 2019 (इससे पूर्व जून 2016 में पुनर्मूल्यांकन किया गया था) को अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है और 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार पुनर्मूल्यांकन (निवल राशि सामान्य आरक्षित निधि को अंतरित की गई) आरक्षित निधि का इति शेष ₹23,762.67 करोड़ रुपए है (पिछले वर्ष ₹ 24,653.94 करोड़)

32. वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहन/पुनर्वर्गीकरण किया गया है। ऐसे मामलों में जहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों/लेखा मानकों के संदर्भ में पहली बार आंकड़ं दर्शाए गए हैं, वहाँ पिछले वर्षों के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ / हानि		25062,76,50	1607,48,31
समायोजन :			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		3303,81,33	3212,30,65
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ) / हानि (निवल)		28,37,38	34,98,24
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि (निवल)		-	2124,03,82
अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों, सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (लाभ)/हानि		(6215,64,59)	(473,12,00)
अनर्जक आस्तियों और उचित मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान		42775,96,26	54529,06,14
मानक आस्तियों पर प्रावधान		(877,40,17)	(74,55,42)
निवेशों पर मूल्यह्रास / (मूल्यवृद्धि) के लिए प्रावधान		538,55,05	(762,09,23)
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान सहित अन्य प्रावधान		632,73,80	136,12,79
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेश से आय		(212,03,35)	(348,01,18)
पूंजीगत लिखतों पर प्रदत्त ब्याज		4781,23,16	4112,28,55
		69818,35,37	64098,50,67
समायोजन :			
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)		330234,72,36	205042,72,57
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)		(96690,16,61)	37722,44,37
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(74335,04,91)	94719,11,74
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		(182188,60,56)	(305525,79,00)
अन्य देयताओ में वृद्धि / (कमी)		13206,59,82	(21247,50,61)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(21255,66,60)	(33604,14,67)
		38790,18,87	41205,35,07
कर वापसी / (प्रदत्त कर)		(13102,32,71)	(6577,83,79)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(क)**	**25687,86,16**	**34627,51,28**
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(6136,07,14)	(2116,29,59)
अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर लाभ/(हानि)		6215,64,59	473,12,00
अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों के निवेशों से आय		212,03,35	348,01,18
अचल आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(3268,37,96)	(2663,43,31)
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ख)**	**(2976,77,16)**	**(3958,59,72)**

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
शेयर प्रीमियम सहित इक्विटी शेयर के निर्गम से प्राप्त राशि (निवल)		-	(8,74,21)
पूंजीगत लिखतों का निर्गम / (मोचन)		8133,40,00	3033,20,00
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज		(4781,23,16)	(4112,28,55)
लाभांशों पर कर सहित प्रदत्त लाभांश		-	-
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ग)**	**3352,16,84**	**(1087,82,76)**
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवर्तनों का प्रभाव	**(घ)**	**2543,63,55**	**1010,38,16**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी)	**(क)+(ख)+(ग)+(घ)**	**28606,89,39**	**30591,46,96**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**222490,11,15**	**191898,64,19**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**251097,00,54**	**222490,11,15**
टिप्पणी :			
(1) नकदी और नकदी समतुल्यों के घटकों की स्थिति :		**31.03.2020**	**31.03.2019**
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियां		166735,77,90	176932,41,75
बैंकों के पास जमाराशियां और मांग एवं अल्पसूचना पर प्राप्य राशि		84361,22,64	45557,69,40
		251097,00,54	**222490,11,15**
(2) परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति से रिपोर्ट किया गया।			

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एंव डिजिटल बैंकिंग)

श्री अरिजित बसु
प्रबंध निदेशक
(सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(ग्लोबल बैंकिंग एवं अनुषंगियां)

निदेशक:

श्री संजीव मल्होत्रा	उदगमंडलम
श्री भास्कर प्रामाणिक	नई दिल्ली
श्री बसंत सेठ	कानपुर
डॉ. पुष्पेंद्र राय	नई दिल्ली
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	नई दिल्ली
श्री बी. वेणुगोपाल	मुंबई
श्री चंदन सिन्हा	मुंबई
श्री देवाशीष पांडा	नई दिल्ली
श्री संजीव महेश्वरी	मुंबई

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 05 जून, 2020

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.सी. भल्ला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

राजेश सेठी
भागीदार: स. क्र. 085669
फर्म पंजी सं. 001111 एन
स्थान: नई दिल्ली

कृते रे एंड रे
सनदी लेखाकार

अरविन्द नारायण येन्नमडी
भागीदार: स.क्र. 031004
फर्म पंजी सं.301072 ई
स्थान: मुंबई

कृते के. वेंकटाचलम अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ए. गोपालकृष्णन
भागीदार: स.क्र. 018159
फर्म पं.क्र.004610 एस
स्थान: एर्नाकुलम

कृते जी.पी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

सुनीता केडिया
भागीदार: स.क्र. 60162
फर्म पं.क्र. 302082 ई
स्थान: कोलकाता

कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

जी. शिव रामकृष्ण प्रसाद
भागीदार: स.क्र. 024860
फर्म प. क्र. 004453 एस
स्थान: हैदराबाद

कृते चतुर्वेदी एंड शाह एलएलपी
सनदी लेखाकार

विठेश डी. गांधी
भागीदार: स.क्र. 110248
फर्म पं.क्र.101720 डबल्यू / डबल्यू 100355
स्थान: मुंबई

कृते ओ.पी. तोतला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस.आर. तोतला
भागीदार: स.क्र. 071774
फर्म पं.क्र. 000734 सी
स्थान: इन्दौर

कृते एस.के. कपूर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. बी. सिंह
भागीदार: स.क्र. 073124
फर्म पं.क्र. 000745 सी
स्थान : कानपुर

कृते एससीवी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार

संजय वासुदेवा
भागीदार: स.क्र. 090989
फर्म पं.क्र. 000235 एन / एन500089
स्थान: नई दिल्ली

कृते खंडेलवाल जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार

पंकज जैन
भागीदार: स.क्र. 48850
फर्म प. क्र. 105049 डबल्यू
स्थान: मुंबई

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस मूर्ति
भागीदार: स.क्र. 072290
फर्म पं.क्र. 001135 एन
स्थान: नई दिल्ली

कृते एन.सी. राजगोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. चंद्रशेखरन
भागीदार: स.क्र. 024844
फर्म पं.क्र. 003398 एस
स्थान: चेन्नई

कृते कर्णावट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विरल जोशी
भागीदार: स.क्र. 137686
फर्म पं.क्र.104863 डबल्यू
स्थान: मुंबई

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विपुल के चोकसी
भागीदार: स.क्र. 37606
फर्म पं.क्र.109574 डबल्यू
स्थान: मुंबई

दिनांक: 5 जून 2020

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
भारत के राष्ट्रपति,

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक ("बैंक") के संलग्न केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2020 के तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण, केवल बैंक के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष की निम्नलिखित की विवरणियों के साथा-साथ अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है:

i. केंद्रीय कार्यालय, 17 स्थानीय प्रधान कार्यालय, 1 प्रशासनिक कार्यालय एवं व्यवसाय इकाई, विश्व बाजार इकाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समूह, कॉरपोरेट लेखा समूह (केंद्रीय), वाणिज्यिक ग्राहक समूह (केंद्रीय), तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह (केंद्रीय), केंद्रीय लेखा कार्यालय और 42 शाखाओं की, जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है;

ii. 9135 भारतीय शाखाएं, जिनकी लेखापरीक्षा उनके सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों ने की है;

iii. विदेश स्थित 34 शाखाएं जिनकी लेखा-परीक्षा स्थानीय लेखा-परीक्षकों ने की है।

हमारे एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। तुलनपत्र, लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण में उन 14021 भारतीय शाखाओं (अन्य लेखा इकाइयों सहित) की विवरणियां तथा वे जो लेखापरीक्षा के विषय नहीं थे, भी शामिल हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में 9.54 प्रतिशत, जमाराशियों में 24.70 प्रतिशत, ब्याज आय में 10.98 प्रतिशत तथा ब्याज व्ययों में 23.37 प्रतिशत है।

हमारे अभिमत में तथा जहाँ तक हमें जानकारी है व हमें दी गई विवरणात्मक जानकारी के अनुसार, उपर्युक्त केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (दोनों इसमें "अधिनियम" के रूप में उल्लिखित) के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी बैंक द्वारा उसी ढंग से दी गई है जैसी उससे अपेक्षित है और यह भारत में सामान्यतया मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क. 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में बैंक की सही और उचित स्थिति;

ख. इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि खाते में लाभ की सही जानकारी;

ग. इसी तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण की सही और उचित स्थिति

अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों की और अधिक जानकारी हमारी रिपोर्ट के केवल बैंक के वित्तीय विवरणों के 'लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां' भाग में दी गई है। आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधित नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र रूप से की गई है। हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हम आश्वस्त हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं अपना अभिमत देने के लिए वे पर्याप्त और उचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

मामले पर ज़ोर

3. हम आपका ध्यान कोविद-19 महामारी के प्रभाव के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 के नोट क्रमांक 10.30 की ओर आकर्षित करते हैं। स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक चुनौतियों के संबंध में निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है ।

इस मामले में हमारे अभिमत में संशोधन नहीं किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले

4. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में इन मामलों का समग्र रूप से समाधान कर लिया गया है और इनके बारे में जानकारी हमने अपने अभिमत में शामिल कर ली है और हमने इन मामलों पर कोई अलग अभिमत नहीं दिया है। हमने निम्नलिखित मामलों का आकलन अत्यंत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में अपनी रिपोर्ट में किया है:

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
i	अग्रिमों का वर्गीकरण, आय निर्धारण और अनर्जक अग्रिमों की पहचान एवं उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 की टिप्पणी 3 के साथ पठित अनुसूची 9 को देखें) अग्रिमों में खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, मांग पर देय ऋण तथा मीयादी ऋण शामिल हैं। इन्हें आगे मूर्त आस्तियों (बही ऋणों के प्रति ऋण सहित), बैंक/सरकारी गारंटी युक्त एवं प्रतिभूति रहित अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।	हम अग्रिमों की लेखापरीक्षा आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण मानदंडों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अन्य संबंधित परिपत्रों/निदेशों तथा बैंक की आंतरिक नीतियों एवं कार्यविधियों के अनुसार करते हैं। हमारी लेखापरीक्षा में ये भी शामिल हैं : क. हमें लेखापरीक्षा के लिए आबंटित शाखाओं के संबंध में आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, अर्जक और अनर्जक अग्रिम के रूप में वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के लिए सिस्टम में दर्ज किए गए आंकड़ों की यथार्थता;

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
	अग्रिमों में बैंक की कुल परिसंपत्तियों का हिस्सा 58.85% है। इन पर अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड तथा अन्य परिपत्र और निदेश लागू होते हैं। इनमें अग्रिमों के अर्जक और अनर्जक वर्गीकरण संबंधी दिशानिर्देश दिए गए हैं, सिवाय विदेश स्थित कार्यालयों, अग्रिम वर्गीकरण और उनके प्रावधानीकरण स्थानीय विनियमों और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लेखांकन नीति सं.3 के अनुसार आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के आधार पर करता है। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। बैंक अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों का हिसाब अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) यानी कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में रखता है, जिससे अर्जक या अनर्जक अग्रिमों की पहचान भी होती है। इसके अतिरिक्त एनपीए का वर्गीकरण और प्रावधान राशि की गणना अन्य आईटी सिस्टम यानी सेन्ट्रलाइज्ड क्रेडिट डेटा प्रोसेसिंग (सीसीडीपी) ऐप्लीकेशन के माध्यम से की जाती है। आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण मानदंडों का उचित रूप से पालन न किए जाने पर इन अग्रिमों के रखरखाव मूल्य (प्रावधान घटाकर) को या तो अलग-अलग रूप से या समग्र रूप से गलत बताया जा सकता है। लेनदेन की प्रकृति, विनियामक अपेक्षाओं, वर्तमान व्यवसाय परिवेश, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन से जुड़े प्राक्कलन/निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह केवल बैंक के वित्तीय विवरण के प्रयोक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। इन पहलुओं को देखते हुए, हमने इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना है। अग्रिमों की शेष राशियों में भारी अंतर के कारण तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा के अंतर्गत आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।	ख. बैंक की नीतियों और कार्यविधियों के अनुसार उपलब्ध आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रणाली लेखापरीक्षा, ऋण लेखापरीक्षा और संगामी लेखापरीक्षा जैसी निगरानी व्यवस्था और उसकी प्रभावकारिता; ग. भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में तनावग्रस्त अग्रिमों सहित अग्रिमों की जांच; घ. हमने बाहरी आईटी सिस्टम लेखापरीक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्टों की भी सहायता ली है। हमने यह सहायता विशेषकर एनपीए का पता लगाने, पहचान करने तथा अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण करने एवं सीबीएस में प्रयुक्त बिजनेस लॉजिक्स/पैरामीटर्स के संबंध में ली है। ङ भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त परिपत्र/निदेशों के अनुसार प्रस्तुति एवं प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हमने सीसीडीपी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर तथा वित्तीय विवरण तैयार करने के सॉफ्टवेयर के साथ अग्रिमों की मैपिंग की जांच की है। च. हमने अग्रिमों के विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों के कारगर होने की भी जांच की है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि सारभूत कार्यविधियों की प्रकृति, समय और व्याप्ति कैसी है और बैंक की मॉनीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत की गई विभिन्न लेखापरीक्षाओं एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण की टिप्पणियों का किस प्रकार अनुपालन किया जा रहा है; छ. हमें लेखापरीक्षा के लिए आबंटित की गई शाखाओं में मूलभूत कार्यविधियों के पालन में हमने बड़े अग्रिमों/दबाव वाले अग्रिमों की जांच की है, जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच की गई है। हमने बैंक प्रबंध मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वतंत्र मूल्यांकन कर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा के आधार पर भी जांच की है। ज. हमने अनर्जक निवेशों की पहचान करने और तदनुरूपी आय को रिवर्स करने एवं प्रावधान करने की प्रक्रिया की जांच और मूल्यांकन किया है। झ. हमने इसमें अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की भी सहायता ली है, जिनके साथ हमने इस विषय में विशेष रूप से पत्र व्यवहार भी किया।
ii	निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (अनुसूची 8 को वित्तीय विवरण की अनुसची 17 की टिप्पणी 2 के साथ पढ़ा जाए।) निवेश में बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूति रसीद और अन्य अनुमोदित प्रतिभूति में किया गया निवेश शामिल हैं। निवेशों का बैंक की कुल परिसंपत्तियों में 26.50% हिस्सा है। इन पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के परिपत्र और निदेश लागू होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, हिसाब में न ली गई तदनुरूपी आय एवं उसका प्रावधान शामिल हैं।	निवेशों की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/निदेशों के अनुसार की गई है। इसमें आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन एवं परिचालन प्रभावकारिता को समझना, उनकी समीक्षा एवं जांच करना तथा अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, पहचान संबंधी महत्वपूर्ण लेखा कार्यविधियाँ, निवेशों से संबंधित प्रावधानीकरण/मूल्यह्रास शामिल हैं। विशेष रूप से इंसमें क. हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा, ताकि अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, पहचान, निवेशों के प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा सके। ख. हमने इन निवेशों का उचित मूल्य जानने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया;

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
	उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी (टाइप) की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा/सूचना जैसे कि एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/एनएसई में कोट की गई दरें, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों आदि के वित्तीय विवरण प्राप्त करना शामिल है। मूल्यांकन की जटिलताओं, मूल्यांकन से जुड़े निर्णय, लेनदेनों की मात्रा और हस्तगत निवेशों की मात्रा को देखते हुए इसे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों में शामिल किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान और अनर्जक निवेश के प्रावधान पर केंद्रित रही।	ग. हस्तगत निवेशों के चुनिंदा नमूने के लिए इनके ठीक होने और भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों का अनुपालन किए जाने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र में प्रत्येक श्रेणी की प्रतिभूति का मूल्यांकन फिर से करने संबंधी निदेशों के पालन की स्थिति की भी हमने जांच की। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद ही किया गया है कि सभी श्रेणियों के निवेशों को (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में शामिल किया गया है; घ. हमने अनर्जक निवेशों की पहचान करने और तदनुरूपी आय को रिवर्स करने एवं प्रावधान करने की प्रक्रिया की जांच और मूल्यांकन किया; ङ. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा कार्यविधियों का पालन किया गया है, जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों के अनुसार किए जाने वाले प्रावधान की राशि और मूल्यह्रास की राशि की फिर से गणना की जा सके। तदनुसार हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों के चुनिंदा नमूने एकत्रित किए और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार अनर्जक निवेशों की जांच की। साथ ही हमने उन चुनिंदा अनर्जक निवेशों के नमूनों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त परिपत्र/निदेशों के अनुसार किए गए प्रावधान की राशि की भी फिर से गणना की है; च. हमने इनवेस्टमेंट एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के बीच निवेशों की मैपिंग की जांच की, जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा सका।
iii	प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, अन्य पक्षों द्वारा दायर वे विविध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया, सहित कतिपय मुकद्दमों के मामले में प्रावधानों एवं आकस्मिक देयताओं का निर्धारण (अनुसूची 12 जिसे वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 की टिप्पणी 18.9 के साथ पढ़ा जाए) : प्रावधानीकरण के स्तर का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय विवेक की आवश्यकता होती है। बैंक द्वारा आकलन करते समय मामले के तथ्यों, अपने स्वयं के विवेक, विगत अनुभव एवं जहाँ आवश्यक था, कानूनी एवं स्वतंत्र कर सलाहकारों के परामर्श का भी सहारा लिया गया है। तदनुसार बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन-पत्र की स्थिति पर अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इन मामलों के परिणामों जिनके लिए कानून की विवेचना में निर्णय लेना जरूरी होता है, से जुड़ी अनिश्चितता को देखते हुए हमने उपर्युक्त क्षेत्र को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा का मामला माना है। तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा समीक्षाधीन विषय के विश्लेषण और विधि निर्णयों/विश्लेषणों पर केंद्रित रही।	हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि में निम्नलिखित शामिल हैं: क. लेखापरीक्षा संबंधी आंतरिक नियंत्रण को समझना, जिससे हम परिस्थितियों के अनुरूप अपनी लेखापरीक्षा कार्यविधियाँ निर्धारित कर सकें, ख. मुकद्दमों/कर निर्धारण की वर्तमान स्थिति को समझना; ग. विभिन्न कर प्राधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त सूचना और/अथवा हाल ही के आदेशों को पढ़ना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना; घ. प्रस्तुत किए गए आधार और आंतरिक कर विशेषज्ञ के अभिमत सहित उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/कर सहायता के संबंध में विचाराधीन मामले के गुणों का मूल्यांकन; ङ. चर्चा के जरिए बैंक के तकरारों की समीक्षा एवं विश्लेषण, विचाराधीन विषय के विवरण, संभावित परिणाम एवं इन मामलों पर परिणामी संभावित बहिर्वाह आदि के विवरण प्राप्त करना। च. महत्वपूर्ण तकरारों एवं कराधान मामलों से संबंधित प्रकटीकरणों का सत्यापन करना।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
iv	कोविद-19 महामारी फैलने की वजह से लेखापरीक्षा कार्यविधियों में संशोधन : कोविद 19 महामारी के कारण केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन एवं यात्रा प्रतिबंध के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को दूरस्थ व्यवस्था द्वारा लेखापरीक्षा कार्य करने के निदेश दिए गए, जहां भौतिक रूप से जाना संभव नहीं था। शाखाओं/मंडल/प्रशासनिक/कॉरपोरेट कार्यालयों के अधिकारियों के साथ व्यक्तिशह/आमुख वार्ता/चर्चाओं एवं वैयक्तिक बातचीत के जरिए लेखापरीक्षा का प्रमाण हमारे द्वारा प्राप्त नहीं किए जाने के कारण हमने संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि को प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना है। तदनुसार दूर से लेखा परीक्षा को पूरा करने के लिए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में संशोधन किया ।	कोविद 19 महामारी के कारण केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन एवं यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हम शाखाओं/मंडल/प्रशासनिक/कॉरपोरेट कार्यालयों की यात्रा कर नहीं पाएँ और संबद्ध कार्यालयों पर भौतिक रूप से लेखापरीक्षा प्रक्रिया पूरी कर नहीं पाएँ। जहां कहीं भी जाना संभव नहीं था, वहाँ डिजिटल माध्यम, ई-मेल एवं दूरस्थ व्यवस्था से सीबीएस, सीसीडीपी एवं अन्य संबद्ध एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की सुविधा के जरिए हमें आवश्यक अभिलेख/रिपोर्ट/दस्तावेज़/प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए गए। हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों एवं अभिलेखों के आधार पर लेखापरीक्षा कार्य किया गया। वर्तमान अवधि के दौरान लेखापरीक्षा कार्य करने और रिपोर्टिंग के लिए इन पर लेखापरीक्षा प्रमाण का सहारा लिया गया। तदनुसार हमने अपनी लेखापरीक्षा कार्यविधियों में निम्नानुसार संशोधन किए हैं : क. जहां जाना संभव नहीं था, वहाँ बैंक की कुछ शाखाओं/स्थानीय प्रधान कार्यालयों/प्रशासनिक कार्यालयों एवं अन्य कार्यालयों का दूरस्थ व्यवस्था से/ई-मेल के जरिए आवश्यक अभिलेखों/दस्तावेजों/सीबीएस/सीसीडीपी का सत्यापन किया। ख. ई-मेल के जरिए एवं बैंक के सुरक्षित नेटवर्क के दूर से उपयोग की सुविधा से हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, विलेखों, प्रमाणपत्रों एवं संबद्ध अभिलेखों की स्कैन की गई प्रतियों का सत्यापन किया। ग. वीडियो कान्फरेंसिंग, मोबाइल पर बातचीत एवं चर्चा, ई-मेल एवं ऐसे संवाद माध्यमों के जरिए पूछताछ करना एवं आवश्यक लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना। घ. हमारी लेखा परीक्षा टिप्पणियों का समाधान नामित अधिकारियों के साथ आमने-सामने की बातचीत के बजाय टेलीफोन/ईमेल के माध्यम से किया गया।

अन्य मामले

5. हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 9169 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसमें 31 मार्च 2020 को समाप्त बैंक के कुल अग्रिमों रु. 3087788.72 करोड़ और कुल ब्याज आय रु. 120151.17 करोड़ शामिल है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा, शाखा के लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिसे हमें उपलब्ध कराया गया है और हमारे अभिमत में इन शाखाओं के संबंध में दी गई जानकारियां एवं प्रकटीकरण पूर्णतः उन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

उपर्युक्त विषयों के संदर्भ में हमारा अभिमत विचार सापेक्ष नहीं है।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचना

6. अन्य सूचना तैयार करने में बैंक का निदेशक बोर्ड जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (पर इसमें केवल बैंक के वित्तीय विवरणों और उन पर हमारे लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट शामिल नहीं है) सम्मिलित है, जो हम लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट जारी करते समय प्राप्त कर चुके हैं, यह हमें उस तिथि के बाद प्राप्त होने की आशा है।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना एवं बासेल III प्रकटीकरणों के अंतर्गत स्तंभ 3 को कवर नहीं करता और हम उस पर कोई आश्वासन-निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं/नहीं करेंगे।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर चिह्नित अन्य सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य सूचना केवल बैंक के वित्तीय विवरणों से वस्तुपरक रूप से असंगत है अथवा लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा प्राप्त की गई हमारी जानकारी वस्तुपरक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।

यदि हमें इस लेखापरीक्षा की तिथि से पहले प्राप्त अन्य सूचना पर किए गए हमारे कार्य के आधार पर निष्कर्ष देना हो, तो इस अन्य सूचना को वस्तुगत दृष्टि से त्रुटिपूर्ण कहा जा सकता है। हमसे अपेक्षित है कि हम इस तथ्य की सूचना दें। हमें इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं देनी है।

यदि हम अनुलग्नकों सहित निदेशक रिपोर्ट पढ़ते हैं और यह निष्कर्ष देते हैं कि यह वस्तुगत रूप से त्रुटिपूर्ण है, तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि इसकी सूचना गवर्नेंस से जुड़ों को दें और प्रयोज्य कानूनों व विनियमों के अनुसार लागू कार्रवाई बताएं।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों के लिए गवर्नेंस से जुड़ों और प्रबंध मंडल के दायित्व

7. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानकों सहित भारत में सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांतों, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 की शर्तों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों व दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के नकदी प्रवाह और उसकी वित्तीय स्थिति व वित्तीय निष्पादन की सही व सटीक जानकारी प्रस्तुत करने वाले इन केवल बैंक के विवरणों को तैयार करने का दायित्व बैंक के निदेशक बोर्ड का है। इस दायित्व में यह भी शामिल है कि बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम की शर्तों के अनुसार लेखा अभिलेखों का समुचित रखरखाव किया जाए, धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचा जाए तथा उनका पता किया जाए, ऐसे निर्णय और आकलन किए जाएं जो औचित्यपूर्ण व विवेकपूर्ण हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन व रखरखाव करें जो हम लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कर रहे थे, वित्तीय विवरणियों की तैयारी व प्रस्तुति सुसंबद्ध हो जो सही एवं सटीक छवि प्रस्तुत करे और वस्तुगत गलतबयानी से परे हों, चाहे ऐसा धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंध मंडल का दायित्व है कि वह बैंक को एक कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करे और जहाँ लागू हो, कार्यशील संस्था से संबंधित विषय प्रकट करते हुए, कार्यशील संस्था के स्वरूप के आधार पर लेखा तैयार करे, जब तक बैंक का परिसमापन या परिचालन समाप्त करने की प्रबंध मंडल की मंशा नहीं हो, या ऐसा करने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प उसके पास न हो।

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नजर रखना निदेशक बोर्ड की जिम्मेदारी भी है।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करनेवाले लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

8. केवल बैंक के वित्तीय विवरण, संपूर्ण रूप में धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हों, इसका उचित आश्वासन प्राप्त करना और हमारे अभिमत के साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना हमारा उद्देश्य है। उचित आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन माना जाता है, मगर यह गारंटी नहीं देता कि सांविधिक लेखापरीक्षा के आधार पर की गई लेखापरीक्षा में पाई गई गलत बयानी का दोष निकल पाएगा। गलत बयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न होती है और अलग या समग्र रूप से इन केवल बैंक के वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ने की स्थिति में इन्हें ठोस माना जाएगा।

सांविधिक लेखापरीक्षा के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा के अनुसार हम लेखापरीक्षा के सभी स्तरों पर व्यावसायिक विवेक और व्यावसायिक संशय बनाए रखते हैं। निम्नलिखित भी इसके दायरे में है:

- केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में निहित गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा कार्यविधि डिजाइन करना और उस पर कार्रवाई करना और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो कि हमारे अभिमत का पर्याप्त तथा संगत आधार बने। धोखाधड़ी के कारण की गई गलत बयानी की पहचान न करने का जोखिम, त्रुटिवश की गई गलत बयानी से भारी हो सकता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की भरमार भी हो सकती है।
- परिस्थितियों के उपयुक्त लेखा कार्यविधियों को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को समझें, न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्राभकारिता पर अभिमत देने के प्रयोजन से।
- उपयोग में लाई गई लेखा नीतियों की युक्तिसंगतता तथा प्रबंध मंडल द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों और संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- प्रबंध मंडल द्वारा कार्यशील बैंक आधार पर लेखांकन के उपयोग तथा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण की उपयुक्तता निश्चित करें, जिसके आधार पर ऐसी घटना या परिस्थिति के कारण कोई भारी अनिश्चितता विद्यमान हो और जिससे कार्यशील बैंक के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर संशय होता हो। यदि हम यह निष्कर्ष के रूप में मानते हैं कि भारी अनिश्चितता पाई गई है, तो केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान देना या ऐसे प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं होने पर हमारे अभिमत को संशोधित करना हमारे लिए अपेक्षित होगा। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक के लेखापरीक्षा प्रमाण पर निर्भर हैं। हालांकि भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण बैंक कार्यशील संस्थान के रूप में नहीं भी बना रह सकता है।
- प्रकटीकरण सहित, केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति तथा विषयवस्तु तथा केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है, इसका मूल्यांकन करना।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में गलत बयानी की मात्रा, अलग-अलग रूप से या समग्र रूप से जिससे कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णय लेनेवाले जानकार यूज़र संभवतः प्रभावित हो सकता है। (i) हमारी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाते समय और हमारे कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करते समय तथा (ii) वित्तीय विवरणों में पाई गई गलत बयानी का मूल्यांकन करते समय हम मात्रात्मक विषयवस्तु और गुणात्मक घटकों पर विचार करते हैं।

हम, गवर्नेंस से जुड़ों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध क्षेत्र और उसकी अवधि, लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते हैं।

हम, गवर्नेंस से जुड़ों को इस आशय का विवरण प्रस्तुत करते हैं कि स्वतंत्रता के विषय में एवं ऐसे संबंधों एवं अन्य मामलों की सूचना देने के लिए हमारे द्वारा नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, जिनका हमारी स्वतंत्रता एवं जहां लागू हो तत्संबंधी बचाव पर प्रभाव पड़ सकता है।

गवर्नेंस से जुड़ों को सूचित मामलों से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं, जो चालू अवधि के केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये मामले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख करते है, बशर्ते कि लागू कानून या विनियमों में इनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक नहीं लगाई गई हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्णय लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस मामले की सूचना न दी जाए, क्योंकि उसके विपरीत नतीजे जनहित के लिए घातक साबित हो सकते है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पैराग्राफ 5 से 6 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटीकरणों की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अपेकषा के अनुसार हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि:

क. हमने सभी प्रकार की ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त की, जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन आवश्यक था और हमने इस जानकारी और स्पष्टीकरण को संतोषजनक पाया है;

ख. हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं;

ग. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

10. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमारे अभिमत में, कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियाँ बैंक द्वारा रखी गई हैं, क्योंकि ऐसा उन खाता बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त विवरणियां हमें उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं, जहां हम नहीं गए।

ख) इस रिपोर्ट में सम्मिलित तुलन-पत्र, लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं, जिनका दौरा हमारे द्वारा नहीं किया गया।

ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित कार्यालयों के खातों की रिपोर्टें हमें भेजी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा ठीक से शामिल किया गया है; तथा

घ) हमारे अभिमत के अनुसार, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के इस सीमा तक अनुरूप हैं कि ये आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं।

11. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति पर वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए की रिपोर्टिंग दायित्व के लिए आरबीआई द्वारा जारी पत्र सं.डीओएस/एआरजी/सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 की अपेक्षानुसार और बाद में दिनांक 19 मई 2020 की सूचना के अनुसार हम उपरोक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों के बारे में नीचे रिपोर्ट करते हैं।

क. हमारे अभिमत में उपर्युक्त केवल बैंक के वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों के उस सीमा तक अनुरूप है कि ये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप नहीं हैं।

ख. वित्तीय लेन-देन या ऐसे मामलों पर कोई पर्यवेक्षण या टिप्पणियां नहीं हैं जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

ग. 31 मार्च 2020 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों जिन्हें बोर्ड के निदेशकों ने रिकार्ड में लिया है, के आधार पर 31 मार्च 2020 से किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु अपात्र नहीं पाया गया।

घ. खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई अर्हता आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं हैं ।

ङ. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 19 मई 2020 को दी गई अनुमति के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 से "वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" की रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षा को लागू करने के बैंकों के विकल्प के अलावा, देने के लिए हमारी कोई टिप्पणी नहीं है।

कृते जे.सी. भल्ला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

राजेश सेठी
भागीदार: स. क्र. 085669
फर्म पंजी सं. 001111 एन
यूडीआईएन: 20085669AAAABA7352
स्थान: नई दिल्ली

कृते रे एंड रे
सनदी लेखाकार

अरविन्द नारायण योनेमडी
भागीदार: स.क्र. 031004
फर्म पंजी सं.301072 ई
यूडीआईएन: 20031004AAAABW9223
स्थान: मुंबई

कृते के. वेंकटाचलम अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ए. गोपालकृष्णन
भागीदार: स.क्र. 018159
फर्म पं.क्र.004610 एस
यूडीआईएन: 20018159AAAAAF4367
स्थान: एर्नाकुलम

कृते जी.पी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

सुनीता केडिया
भागीदार: स.क्र. 60162
फर्म पं.क्र. 302082 ई
यूडीआईएन: 20060162AAAABC8718
स्थान: कोलकाता

कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

जी. शिव रामकृष्ण प्रसाद
भागीदार: स.क्र. 024860
फर्म प. क्र. 004453 एस
यूडीआईएन: 20024860AAAAAJ5174
स्थान: हैदराबाद

कृते चतुर्वेदी एंड शाह एलएलपी
सनदी लेखाकार

विठ्ठेश डी. गांधी
भागीदार: स.क्र. 110248
फर्म पं.क्र.101720 डबल्यू / डबल्यू 100355
यूडीआईएन: 20110248AAAAAP1448
स्थान: मुंबई

कृते ओ.पी. तोतला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस.आर. तोतला
भागीदार: स.क्र. 071774
फर्म पं.क्र. 000734 सी
यूडीआईएन: 20071774AAAAAQ6602
स्थान: इन्दौर

कृते एस.के. कपूर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. बी. सिंह
भागीदार: स.क्र. 073124
फर्म पं.क्र. 000745 सी
यूडीआईएन: 20073124AAAABV9783
स्थान : कानपुर

कृते एससीवी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार

संजय वासुदेवा
भागीदार: स.क्र. 090989
फर्म पं.क्र. 000235 एन / एन500089
यूडीआईएन: 20090989AAAAAC6930
स्थान: नई दिल्ली

कृते खंडेलवाल जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार

पंकज जैन
भागीदार: स.क्र. 48850
फर्म प. क्र. 105049 डबल्यू
यूडीआईएन: 20048850AAAAAB9318
स्थान: मुंबई

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस मूर्ति
भागीदार: स.क्र. 072290
फर्म पं.क्र. 001135 एन
यूडीआईएन: 20072290AAAABD1545
स्थान: नई दिल्ली

कृते एन.सी. राजगोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. चंद्रशेखरन
भागीदार: स.क्र. 024844
फर्म पं.क्र. 230448 एस
यूडीआईएन: 20024844AAAABB9243
स्थान: चेन्नई

कृते कर्णावट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विरल जोशी
भागीदार: स.क्र. 137686
फर्म पं.क्र.104863 डबल्यू
यूडीआईएन: 20137686AAAACM1164
स्थान: मुंबई

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विपुल के चोकसी
भागीदार: स.क्र. 37606
फर्म पं.क्र.109574 डबल्यू
यूडीआईएन: 20037606AAAAAW5094
स्थान: मुंबई

दिनांक: 5 जून 2020

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च, 2020 को समेकित तुलन पत्र

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी एवं देयताएँ			
पूंजी	1	892,46,12	892,46,12
आरक्षित निधियाँ व अधिशेष	2	250167,66,30	233603,19,93
जमा राशियाँ		7943,82,20	6036,99,13
उधार राशियाँ	3	3274160,62,54	2940541,06,11
Borrowings	4	332900,67,03	413747,66,10
अन्य देयताएँ व प्रावधानीकरण	5	331427,10,24	293642,82,22
योग		4197492,34,43	3888464,19,61
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और जमाराशियाँ	6	166968,46,05	177362,74,09
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	7	87346,80,31	48149,52,30
निवेश	8	1228284,27,77	1119269,81,62
अग्रिम	9	2374311,18,12	2226853,66,72
अचल आस्तियाँ	10	40078,16,81	40703,05,26
अन्य आस्तियाँ	11	300503,45,37	276125,39,62
योग		**4197492,34,43**	**3888464,19,61**
आकस्मिक देयताएँ	12	1221083,11,09	1121246,27,83
वसूली के लिए बिल		55790,69,54	70047,22,64
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
एमडी
(आर एंड डीबी)

श्री अरिजित बसु
एमडी
(सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
एमडी
(जीबीएस)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जे.सी.भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार

श्री राजेश सेठी
पार्टनर
स.सं. : 085669
फर्म पं.सं.. : 001111N

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 05 जून, 2020

स्थान: नई दिल्ली

अनुसूची

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी : 5000,00,00,000 इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 5000,00,00,000 इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी : 892,54,05,164 इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,54,05,164 क्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर)	892,54,05	892,54,05
अभिदत्त तथा संदत्त पूंजी : 892,46,11,534 इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,46,11,534 इक्विटी शेयर, ₹ 1 प्रति शेयर)	892,46,12	892,46,12
उपर्युक्त में प्रति ₹ 1 के 11,03,42,880 इक्विटी शेयर भी शामिल हैं (पिछले वर्ष प्रति ₹ 1 के 12,10,71,350 इक्विटी शेयर) इन्हें 1,10,34,288 वैश्विक जमा रसीद के रूप में व्यक्त किया गया है (पिछले वर्ष 1,21,07,135)		
योग	**892,46,12**	**892,46,12**

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ व अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I.	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	66344,10,03		65958,04,13	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	4538,17,61		386,05,90	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			70882,27,64		66344,10,03
II.	**पूंजी आरक्षित निधियाँ #**				
	अथशेष	9957,28,52		9578,07,76	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3985,83,93		379,20,76	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			13943,12,45		9957,28,52
III.	**शेयर प्रीमियम**				
	अथशेष	79115,47,05		79124,21,51	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		37,92	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		9,12,38	
			79115,47,05		79115,47,05
IV.	**उतार चढ़ाव रिज़र्व**				
	अथशेष	-		-	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1119,88,09		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			1119,88,09		-

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
V.	**निवेश और उतार-चढ़ाव रिजर्व**				
	अथशेष	7455,38,21		6379,09,54	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3069,98,94		1143,03,70	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	301,34,68		66,75,03	
			10224,02,47		7455,38,21
VI.	**राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां**				
	अथशेष	24653,94,08		24847,98,65	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	379,57,78		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1270,85,29		194,04,57	
			23762,66,57		24653,94,08
VII.	**राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां**				
	अथशेष	54405,42,03		53483,27,03	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3767,84,51		1213,96,33	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	5691,30,26		291,81,33	
			52481,96,28		54405,42,03
VIII.	**लाभ और हानि खाते की शेष**		(1361,74,25)		(8328,39,99)
योग			**250167,66,30**		**233603,19,93**

समेकन पर निवेश आरक्षित निधियाँ चालू वर्ष ₹176,5।27 हजार (पिछला वर्ष ₹123,66,46 हजार)
शुद्ध समेकन समायोजन

अनुसूची 3 - जमा-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	**I.**	**माँग जमाराशियाँ**		
	(i)	बैंकों से	4750,67,24	6722,18,31
	(ii)	अन्य से	224677,63,39	201073,14,59
	II.	**बचत बैंक जमाराशियाँ**	1216783,00,49	1102172,37,48
	III.	**सावधि जमाराशियाँ**		
	(i)	बैंकों से	6071,72,75	8235,22,81
	(ii)	अन्य से	1821877,58,67	1622338,12,92
योग			**3274160,62,54**	**2940541,06,11**
ख.	**I.**	**भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ**	3122567,41,87	**2812134,71,07**
	II.	भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	151593,20,67	128406,35,04
योग			**3274160,62,54**	**2940541,06,11**

अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में उधार-राशियाँ**				
(i)	भारतीय रिज़र्व बैंक		34981,75,00		96089,00,00
(ii)	अन्य बैंक		10041,13,63		4741,05,31
(iii)	अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण		11419,94,71		32112,46,32
(iv)	पूंजीगत लिखत				
	क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	23535,70,00		19152,30,00	
	ख) गौण ऋण एवं बांड	32929,05,15	56464,75,15	29153,93,90	48306,23,90
योग			**112907,58,49**		**181248,75,53**
II.	**भारत के बाहर से उधार-राशियाँ**				
(I)	भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित		217066,00,49		229909,13,07
(II)	पूंजीगत लिखत				
	क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	2269,95,00		2074,65,00	
	ख) गौण ऋण एवं बांड	657,13,05	2927,08,05	515,12,50	2589,77,50
योग			**219993,08,54**		**232498,90,57**
कुल योग (I व II)			**332900,67,03**		**413747,66,10**
उपरोक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार-राशियाँ			50555,91,20		127177,07,29

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
i.	संदेय बिल	26889,76,23	23914,03,90
ii.	अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	85,41,80	-
iii.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	10,35,41	21735,79,14
iv.	उपचित ब्याज	15477,09,06	14232,96,48
v.	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	6,60,61	4,17,10
vi.	इंश्योरेंश व्यवसाय में पॉलिसीधारक संबंधी देयताएं	159661,49,04	140095,62,31
vii.	स्टैंडर्ड आस्ति के लिए प्रावधान	12444,21,66	12709,13,43
viii.	अन्य (प्रावधान सहित)	116852,16,43	80951,09,86
योग		**331427,10,24**	**293642,82,22**

अनुसूची 6 - नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट तथा स्वर्ण सहित)	20334,94,93	19144,28,44
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
I.	चालू खाते में	146633,51,12	158197,60,63
II.	अन्य खाते में	-	20,85,02
योग		**166968,46,05**	**177362,74,09**

अनुसूची - 7 बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में**		
	(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
	(क) चालू खातों में	638,49,62	971,83,35
	(ख) अन्य जमा खातों में	1429,61,02	1959,46,21
	(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
	(क) बैंकों में	44747,71,31	4608,88,73
	(ख) अन्य संस्थाओं में	8,69,42	-
योग		**46824,51,37**	**7540,18,29**
II.	**भारत के बाहर**		
	(i) चालू खातों में	30104,93,22	20571,96,27
	(ii) अन्य जमा खातों में	1672,52,29	3205,38,56
	(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	8744,83,43	16831,99,18
योग		**40522,28,94**	**40609,34,01**
कुल योग (i एवं ii)		**87346,80,31**	**48149,52,30**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में निवेश:**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	872769,55,20	817674,70,52
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	19106,17,68	13769,53,82
	(iii) शेयर	42165,97,57	42825,92,12
	(iv) डिबेंचर और बांड	145276,27,74	123765,40,08
	(v) सहयोगी एवं अनुषंगियां	12365,01,58	3383,71,53
	(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड के यूनिट, कमर्शियल पेपर आदि)	85958,98,41	63902,23,56
योग		**1177641,98,18**	**1065321,51,63**

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
II. **भारत के बाहर निवेश**		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकरणों की भी सम्मिलित हैं)	20791,80,59	14513,99,84
(ii) सहयोगी	147,64,44	136,33,52
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर आदि)	29702,84,56	39297,96,63
योग	**50642,29,59**	**53948,29,99**
कुल योग (I एवं II)	**1228284,27,77**	**1119269,81,62**
III. भारत में निवेश		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	1190907,75,38	1076615,05,40
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	13265,77,20	11293,53,77
निवल निवेश (ऊपर I के अनुसार)	1177641,98,18	1065321,51,63
IV. भारत के बाहर निवेश		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	50809,67,49	54146,46,58
(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	167,37,90	198,16,59
निवल निवेश (ऊपर II के अनुसार)	50642,29,59	53948,29,99
कुल योग (III एवं IV)	1228284,27,77	1119269,81,62
एसोसिएट्स में इक्विटी निवेश		
जोड़ें: एसोसिएट्स के अधिग्रहण पर सद्भावना	8872,23,62	706,97,00
घटाएं: एसोसिएट्स के अधिग्रहण पर पूंजी रिजर्व	-	-
(कृपया अनुसूची 18 का नोट क्र.1.1(h) देखें)	1947,52,79	-
घटाएं: कमी के लिए प्रावधान	-	-
एसोसिएट्स में निवेश की लागत	6924,70,83	706,97,00
जोड़े: अधिग्रहण के बाद लाभ/(हानि) और एसोसिएट्स के रिजर्व (इक्विटी विधि)	5583,95,19	2809,08,05
योग	**12508,66,02**	**3516,05,05**

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
क)	I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	85155,97,89	81528,37,41
	II. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	729647,05,50	799218,03,33
	III. सावधि ऋण	1559508,14,73	1346107,25,98
योग		**2374311,18,12**	**2226853,66,72**
ख)	I. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	1697284,07,32	1603654,21,87
	II. बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	92305,71,86	80289,66,46
	III. अप्रतिभूत	584721,38,94	542909,78,39
योग		2374311,18,12	2226853,66,72
ग)	**I. भारत में अग्रिम**		
	(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	526675,87,35	520729,77,60
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	287505,82,43	240295,89,39
	(iii) बैंक	975,10.49	9494,93,60
	(iv) अन्य	1171958,80,62	1127585,24,83
योग		**1987115,60,89**	**1898105,85,42**

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
II.	**भारत के बाहर अग्रिम**		
	(i) बैंकों से प्राप्य	80561,91,32	69802,85,72
	(ii) अन्यों से प्राप्य		
	(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	31106,22,11	26741,06,57
	(ख) सिंडीकेट ऋण	186697,53,45	150765,88,72
	(ग) अन्य	88829,90,35	81438,00,29
योग		**387195,57,23**	**328747,81,30**
कुल योग [(ग -i एवं ग -ii)]		**2374311,18,12**	**2226853,66,72**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
I.	**परिसर**				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/ पुनर्मूल्यांकित परिसर	31600,97,61		30933,23,37	
	परिवर्धन:				
	- वर्ष के दौरान	307,09,16		707,34,92	
	- पुनर्मूल्यांकन के लिए	3936,14,00		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
	- लागत पर	14,82,49		39,60,68	
	- पुनर्मूल्यांकन पर	4735,02,74		-	
	Depreciation to date:				
	- on cost	927,92,12		793,71,67	
	- on Revaluation	670,54,22	29495,89,20	497,17,97	30310,07,97
II.	**अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)**				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पुनर्मूल्यांकन पर	33185,43,15		31649,29,47	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3768,90,47		3018,06,52	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	933,14,28		1481,92,84	
	अद्यतन मूल्यह्रास	26053,57,37	9967,61,97	23627,73,26	9557,69,89
III.	**लीज्ड आस्तियां**				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पुनर्मूल्यांकन	155,09,22		120,02,20	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	102,00,56		35,64,65	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	16,70,94		57,63	
	अद्यतन मूल्यह्रास (प्रावधानों सहित)	95,49,35		82,11,57	
		144,89,49		72,97,65	
	घटाएं : लीज़ समायोजन खाता	-	144,89,49	-	72,97,65
IV.	**निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)**		469,76,15		762,29,75
योग (I, II, III एवं IV)			**40078,16,81**		**40703,05,26**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	1936,15,88	7,71,53
II.	अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	-	123,67,98
III.	प्रोद्भूत ब्याज	29344,58,26	29047,16,58
IV.	अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती	35004,45,14	24699,95,89
V.	लेखन सामग्री तथा स्टैम्प	105,33,37	133,99,80
VI.	दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियां	14,54,49	23,65,84
VII.	आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	3500,19,46	10983,19,07
VIII.	नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी गई जमाराशियां	163238,91,62	138245,29,37
IX.	अन्य #	67359,27,15	72860,73,56
योग		**300503,45,37**	**276125,39,62**

इसमें समेकन आधार पर साख ₹1549,98,82 हजार (पिछले वर्ष ₹1734,07,01 हजार)

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताए

(000s omitted)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
I.	समूह के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	72055,46,41	43964,90,09
II.	अंशत: प्रदत्त निवेशों/जोखिम निधि के लिए देयता	2555,80,84	1127,87,61
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता	637499,92,10	597800,34,53
IV.	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
	(क) भारत में	165739,85,02	157417,08,56
	(ख) भारत के बाहर	70998,07,06	72739,27,63
V	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	132630,74,41	124526,15,33
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	139603,25,25	123670,64,08
योग		**1221083,11,09**	**1121246,27,83**
Bills for collection		**55790,69,54**	**70047,22,64**

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2020 को समेकित लाभ/हानि खाता

(000 को छोड़ दिया गया है)

		अनुसूची संख्या	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
I.	आय			
	अर्जित ब्याज	13	269851,65,54	253322,17,41
	अन्य आय	14	98158,99,38	77365,18,53
	योग		**368010,64,92**	**330687,35,94**
II.	व्यय			
	व्यय किया गया ब्याज	15	161123,79,86	155867,46,03
	परिचालन व्यय	16	131781,56,30	114800,30,80
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		56928,45,91	56950,51,70
	योग		**349833,82,07**	**327618,28,53**
III.	लाभ/(हानि)			
	निवल लाभ/(हानि) वर्ष के लिए (एसोसिएट एवं आधे से कम हिस्सेदारी वाली संस्थाओं के लाभ में अंश के समायोजन से पूर्व)		18176,82,85	3069,07,41
	जोड़ें: एसोसिएट के लाभ में शेयर		2963,14,04	281,47,94
	घटाएं: आधे से कम हिस्सेदारी वाली संस्थाओं का/की		1372,16,67	1050,91,44
	समूह का निवल लाभ/(हानि)		19767,80,22	2299,63,91
	आगे लाया गया लाभ/(हानि)		(8328,39,99)	(9941,19,94)
	योग		**11439,40,23**	**(7641,56,03)**
IV.	विनियोजन			
	सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरण		4538,17,61	386,05,90
	वर्ष के दौरान डिविडेंड		8254,91,35	243,79,58
	डिविडेंड पर कर		8,05,52	56,98,48
	तुलन पत्र में आगे लाया गया शेष		(1361,74,25)	(8328,39,99)
	योग		**11439,40,23**	**(7641,56,03)**
	प्रति शेयर मूल आय		₹ 22.15	₹ 2.58
	प्रति शेयर कम की गई आय		₹ 22.15	₹ 2.58
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
	लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग है।

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
एमडी
(आर एंड डीबी)

श्री अरिजित बसु
एमडी
(सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
एमडी
(जीबीएस)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जे.सी.भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार

श्री राजेश सेठी
पार्टनर
स.सं. : 085669
फर्म पं.सं.. : 001111N

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 05 जून, 2020

स्थान: नई दिल्ली

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	185494,19,47	166124,58,30
II.	निवेशों पर आय	74812,87,02	80243,50,66
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य अंतर-बैंक निधियों के अधिशेष पर ब्याज	3066,24,77	1324,75,88
IV.	अन्य	6478,34,28	5629,32,57
योग		**269851,65,54**	**253322,17,41**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	23571,28,64	22801,37,60
II.	निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल)#	9202,71,19	3933,13,61
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ (हानि) (निवल)	-	(2124,03,82)
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों लीज़्ड आस्तियों सहित की बिक्री पर लाभ/(हानि) (निवल)	(28,33,75)	(32,35,82)
V.	विनिमय लेनदेनों पर लाभ/ (हानि) (निवल)	2581,57,85	2209,07,07
VI.	विदेश/भारत में अनुषंगियों/से लाभांश	14,66,77	11,71,87
VII.	वित्तीय पट्टे से आय	-	-
VIII.	क्रेडिट कार्ड सदस्यता/ सेवा शुल्क	4122,14,91	3179,78,08
IX.	इंश्योरेंस प्रीमियम आय (निवल)	43176,55,90	35225,02,54
X.	बट्टे खाते से की गई वसूली	9568,52,52	8607,44,37
XI.	विविध आय	5949,85,35	3554,03,03
योग		**98158,99,38**	**77365,18,53**

निवेशों की बिक्री पर (निवल) लाभ/(हानि) असाधारण मदों सहित ₹5781.56 करोड़ (पिछला वर्ष ₹ 466.48 करोड़)

Schedule 15 - Interest Expended

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	जमाराशियों पर ब्याज	148136,84,44	140920,19,82
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	7191,76,51	10103,57,61
III.	अन्य	5795,18,91	4843,68,60
योग		**161123,79,86**	**155867,46,03**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	48850,94,64	43795,01,41
II.	भाड़ा, कर और लाइटिंग	5630,95,83	5553,08,91
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री	651,58,62	595,00,09
IV.	विज्ञापन और प्रचार	2830,69,52	2360,81,37
V.	(क) अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास (लीज्ड आस्तियों के अतिरिक्त)	3631,44,29	3479,97,41
	(ख) लीज्ड आस्ति पर मूल्यह्रास	30,11,56	15,91,80
VI.	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	11,15,54	9,71,04
VII.	लेखा/परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	256,01,79	307,00,17
VIII.	विधि प्रभार	488,83,43	578,53,06
IX.	डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	571,68,38	568,56,57
X.	मरम्मत और अनुरक्षण	1121,27,27	1057,77,33
XI.	बीमा	3235,50,89	2860,59,09
XII.	क्रेडिट कार्ड परिचालन से संबंधित अन्य परिचालन व्यय	1542,56,89	1105,59,01
XIII.	बीमा व्यवसाय से संबंधित अन्य परिचालन व्यय	46728,37,12	37907,82,48
XIV.	अन्य व्यय	16200,40,53	14604,91,06
योग		**131781,56,30**	**114800,30,80**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार

बैंक के वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, अवधिगत लागत परिपाटी के तहत लेखा की निरंतर प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी); जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंड/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 बैंककारी विनियमन अधिनियम-1949, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), सेबी म्यूचुअल फंड्स) विनियम, 1996, कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारत में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती हैं; के अनुरूप हैं। विदेशी संस्थाओं के मामले में विदेशी संस्थाओं पर लागू सामान्यतया स्वीकृत सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंध-मंडल को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंध-मंडल का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं तर्कसंगत हैं। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते है। इन अनुमानों में किसी भी संशोधन के प्रभाव को परिवर्तन की अवधि से संभावित रूप से मान्यता दी जाती है ।

ग. समेकन का आधार

1. समूह (जिसमें 28 अनुषंगियां, 8 संयुक्त उद्यम और 18 सहयोगी शामिल हैं) के वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

क. भारतीय स्टेट बैंक (मूल कंपनी) के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण।

ख. लेखा मानक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी लेखा मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार सभी अंतः समूह महत्वपूर्ण बकाया/लेनदेन, अवसूल लाभ/हानि को अलग करके तथा असमरूप लेखा नीतियों के लिए जहां आवश्यक हुआ है, वहां आवश्यक समायोजन करने के उपरांत अनुषंगियों की ऑस्ति/देयता/आय/व्यय का (मूल कंपनी की इन्हीं मदों से) क्रमशः अक्षरशः समेकन किया गया है।

ग. संयुक्त उद्यमों का समेकन - भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी लेखा मानक -27 "संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना " के अनुसार समानुपातिक समेकन किया गया है।

घ. सहयोगियों में किए गए निवेश का लेखाकरण "इक्विटी पद्धति" के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 23 "समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखाकरण" के अनुसार किया गया है।

2. अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूंजी आरक्षितों के रूप में दिखाया गया है।

3. समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत है:

क. जिस तिथि को अनुषंगी में निवेश किया गया है, उस तिथि को अल्पांश हित की इक्विटी - राशि, और

ख. मूल कंपनी और अनुषंगी के स्थापित होने की तिथि से आय आरक्षितियों/ हानि(इक्विटी) में अल्पांश शेयर का उतार चढ़ाव।

घ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. आय निर्धारण:

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय एवं व्यय

को उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार शामिल किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।

1.2 ब्याज/ छूट आय का लाभ और हानि खाते में प्रोद्भवन आधार पर निर्धारण दिखाया गया है जो इनके अतिरिक्त है: (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक/ विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय जिसे वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया है को ठट्रेडिंगड नाम दिया गया है।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया जाता है। तथापि ठपरिपक्वता तक धारितड श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली राशि को घटाकर) "आरक्षित पूंजी खाते" में विनियोजित किया जाता है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे में बकाया निवल निवेश पर पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल निवेश के समान राशि को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 19 - "पट्टे" के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित किया गया है जोकि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के रुझान पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 ठपरिपक्वता तक धारितड श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है :

i) ब्याज सहित प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय मान्य किया गया है।

ii) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 लाभांश प्राप्त करने का अधिकार लागू होने पर, लाभांश आय को शामिल किया गया है।

1.7 इस अवधि में एलसी / बीजी, आस्थगित भुगतान गारंटियों, सरकारी व्यवसाय, एटीएम इंटरचेंज शुल्क और ज्पुनर्संरचित खाते पर अग्रिम शुल्कट पर कमीशन को प्रोद्भवन आधार पर आनुपातिक रूप से शामिल किया गया है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय उनकी प्राप्ति के आधार पर शामिल की गई है।

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है।

1.9 बॉन्ड/जमापत्र जारी करने के लिए किए गए भुगतान/खर्च को, दी गई दलाली, कमीशन व संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को अग्रिम रूप से खर्च में दिखाया गया है।

1.10 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है,:-

i. जब बैंक अपनी वित्तीय आस्तियों का विक्रय प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को करता है तो इसे अपने खातों से हटा देता है।

ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटा कर) से कम है तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाता है।

iii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है तो आरबीआई की अनुमति के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान की राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

1.11 गैर-बैंकिंग इकाइयां

मर्चेण्ट बैंकिंग :

क. ग्राहक के साथ हुए करार के अनुसार और सुपुर्द कार्य को पूर्ण करने के चरण के आधार पर निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क प्रभाव अंतरण को घटाकर शामिल किया गया है।

ख. सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद निजी स्थानन शुल्क को शामिल किया गया है।

ग. शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टांप शुल्क एवं लेनदेन संबंधी व्यय शामिल है तथा योजना के लिए दी गई प्रोत्साहन राशियां शामिल नहीं है।

घ. सार्वजनिक निर्माण से संबंधित कमीशन को सार्वजनिक निर्गम के आवंटन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात बिचौलियों से सूचना प्राप्त होने पर लेखे में लिखा गया है।

ङ. सार्वजनिक निर्गम/म्यूचुअल फंड/अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित दलाली आय को ग्राहकों/बिचौलियों से राशि और सूचना प्राप्त होने के बाद लेखे में लिया गया है।

च. निक्षेपागार आय-वार्षिक अनुरक्षण प्रभार प्रोद्भवन आधार पर शामिल किए गए हैं और लेनदेन प्रभार लेनदेन की संव्यवहार तिथि को शामिल किए गए हैं।

आस्ति प्रबंधन

क. संबंधित योजनाओं में विशिष्ट दरों पर प्रबंधन शुल्क को आय से शामिल किया गया है। उन दरों को प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर लगाया गया है। (इसमें जहां लागू हो, अंतर-योजना विनिधान और संबंधित योजनाओं में कंपनी द्वारा किए गए विनिधानों को शामिल नहीं किया गया है) और यह सेबी (म्युचुअल-फंड) विनियम, 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।

ख. संविदा के शर्तों के अनुसार, संविभाग प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय और वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) से प्राप्त प्रबंधन शुल्क को प्रोद्भवन आधार पर शामिल किया गया है।

ग. प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगृहीत योजनाओं के अंतरित निवेशों की वसूली प्राप्ति आधार पर लेखे में ली गई है। निधिक गारंटी योजनाओं से होने वाली वसूली को प्राप्ति के वर्ष के आय के रूप मे माना गया है।

घ. निर्धारित दरों से अधिक योजना व्ययों और नई फंड पेशकश से संबंधित व्ययों को सेबी (म्युचुअल-फंड) विनियम, 1996 की अपेक्षाओं के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में उसी वर्ष में शामिल किया गया है, जिसमें वे वहन किए गए।

असीमित अवधि वाली इक्विटी सम्बद्ध कर बचत योजनाओं और सुव्यवस्थित निवेश (एस आई पी) से संबंधित निवेशों पर प्रदान दलाली तथा/अथवा प्रोत्साहन राशि को 36 महीनों की अवधि के दौरान और अन्य योजनाओं के मामले में रियायत वापसी अवधि के दौरान परिशोधित किया है। सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में, दलाली की राशि को योजनाओं की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

क. सदस्यता ग्रहण शुल्क केवल सदस्यता ग्रहण का अधिकार प्रदान करती है और न कि अन्य कोई अधिकार/विशेषाधिकार और इसलिए प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ख. विनिमय आय को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ग. कुल अनिर्धारित प्राप्तियों को, जिन्हें पूर्ण एवं सही सूचना के अभाव में ग्राहकों के खातों में जमा या समायोजित नहीं किया जा सका, तुलनपत्र में देयता के रूप में समझा गया है। अपलिखित किए गए खातों वाले ग्राहकों के संबंध में 6 महीने से अधिक और 3 वर्षों तक की अनुमानित अनिर्धारित प्राप्तियों को तुलनपत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। इसके अतिरिक्त, 3 वर्षों से अधिक की समाधान नहीं हुई अनिर्धारित प्राप्तियों को भी तुलनपत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। तीन वर्षों से अधिक की गत अवधि वाले चेक की देयता को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है।

घ. अन्य सभी आय/सेवा शुल्क संबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए गए हैं।

फैक्टरिंग :

फैक्टरिंग प्रभार कंपनी द्वारा निर्धारित लागू दरों पर ऋणों को फैक्टरिंग पर उपचित हुए हैं। प्रक्रिया प्रभारों को तभी आय के रूप में शामिल किया गया है जब प्रलेखों के निष्पादन के पश्चात इसके प्राप्त होने की पर्याप्त निश्चितता है। सभी सक्रिय मानक खातों के संबंध में सुविधा निरंतरता शुल्क (एफसीएफ) की गणना की गई है और अगले संपूर्ण वित्त वर्ष के लिए उसे मई महीने में प्रभारित किया गया है। 01 मई को एसीफ के प्रोद्भवन की तिथि के रूप में समझा गया है।

जीवन बीमा :

क. पॉलिसी धारकों से देय होने पर, असंबद्ध व्यवसाय प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में, एसोसिएटेड इकाइयों के आवंटन के समय प्रीमियम आय का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न बीमा उत्पादों के मामले में प्रीमियम आय को उस तारीख से आय के रूप में लिया जाता है, जिस तारीख से पॉलिसी मूल्य जमा किया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुनः प्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

ख. टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप मे समझा गया है।

ग. संबद्ध निधियों से आय जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रबंधन प्रभार, मृत्यु प्रभार आदि शामिल हैं : पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूल किए गए हैं और वसूली होने पर शामिल किए गए हैं।

घ. इक्विटि प्रतिभूतियों और म्यूचुअल फंड की इकाइयों के संबंध में वसूल हुए लाभ एवं हानियों की गणना निवल बिक्री आगम राशियों और उनकी लागत के बीच अंतर के रूप में की जाती है। ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में, वसूल हुए लाभ एवं हानि की गणना निवल बिक्री आगम राशियों या मोचन अगाम राशियों और भारित औसत परिशोधित लागत के बीच अंतर के रूप में की जाती है। इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड की इकाइयों के संबंध में लागत की गणना भारित औसत पद्धति से की जाती है।

ङ. प्रतिभूतियाँ उधार देने और लेने की योजना के तहत इक्विटी शेयर उधार देने पीआर प्राप्त शुल्क को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उधार देने की अवधि के दौरान आय के रूप में माना जाता है।

च. पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम के पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुई सीधे अथवा सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

छ. दिए गए लाभ :

- जहां प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं।
- मृत्यु और अनुवृद्धि से संबंधित दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। अवधि के अंत की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है।
- परिपक्वता से संबंधित दावों को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है।
- उत्तरजीविता और वार्षिकी लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब से देय होते हैं।
- अभ्यर्पणों को सूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों में व्यपगत पॉलिसियों पर देय राशि सम्मिलित होती है और इसे देय होने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों और पॉलिसी व्यपगत होने पर प्रकटीकरण वसूली योग्य प्रभारों को घटाकर किया जाता है।
- न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विवादित दावों का उनके द्वारा निराकृत करने पर प्रबंधन के विवेकानुसार इन दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करके निपटान करने के लिए प्रावधान किया गया है।
- पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।

ज. कमीशन जैसे अधिग्रहण खर्च, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित होते हैं और इनका भुगतान व्यय के समय ही कर दिया जाता है।

झ. **जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए देयता :** सभी जीवन बीमा पॉलिसियों की बीमांकिक देयता की गणना बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीएआई द्वारा जारी नियमों व विनियमों तथा परिपत्रों के अनुसार और इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चूअरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सबंधित मार्गदर्शी नोटों के अनुसार नियुक्त किए गए बीमांकनकर्ता द्वारा की जाती है।

गैर-संबद्ध व्यवसाय के संबंध में देयता की गणना भावी सकल प्रीमियम मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके की जाती है। वर्तमान और भावी अनुभव को ध्यान में रखते हुए भावी अनुमानों के आधार पर एक सुनिश्चित देयता की गणना की जाती है। संबद्ध व्यवसाय से संबंधित इक्काई देयता को मूल्यन तिथि को लागू निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग करके पॉलिसी धारकों के नाम में विद्यमान इक्काइयों के मूल्य के अनुरूप लिया जाता है। विभिन्न बीमा पॉलिसियों का मूल्यांकन यूएलआईपी व्यवसाय का मूल्यांकन पद्धति के अनुरूप ही किया जाता है कारण कि पॉलिसी धारक के खाते में पड़ी हुई जमा राशि को और खर्च पूरा करने के लिए खर्चों की पर्याप्तता के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान को देयता के रूप में समझा जाता है।

साधारण बीमा :

क. प्रीमियम जिसमें स्वीकृत की गई पुनर्बीमा शामिल है, को जोखिम प्रारंभ होने की तिथि से बहियों में दर्ज किया जाता है। यदि प्रीमियम किस्तों में वसूल किया जाता है, तो देय किश्त की सीमा तक की राशि को किस्त की देय तिथि पर दर्ज किया जाता है। प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम (पुनर्नियोजन प्रीमियम सहित) की सेवा कर घटाने के बाद 1/365 पद्धति के अनुसार सकल आधार पर संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में आय के रूप में दिखाया गया है। पॉलिसियों के रद्द होने से प्रीमियम आय में होने वाले समायोजनों को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह रद्द की गई है।

ख. बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अविध में आय के रूप में दिखाया गया है जिस अवधि में पुनर्बीमा जोखिम बंद की गई है। पुनर्बीमा संधियों के अंतर्गत लाभ कमीशन, जहां कहीं लागू हो, को लाभ के अंतिम निर्धारण वाले वर्ष में आय के रूप में दिखाया गया है, जिस प्रकार पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है।

ग. बंद की गई आनुपातिक पुनर्बीमा पॉलिसी के संबंध में, बंद की गई पुनर्बीमा पॉलिसी की लागत जोखिम के शुरुआत होने के आधार पर उपचित हुई है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को देय होने के समय दिखाया गया है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के अनुसार हिसाब लिया गया है। अन्य कोई अनुवर्ती संशोधन होने पर, प्रीमियमों को वापस या निरस्त करने को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह देय होता है।

घ. पुनर्बीमा प्राप्य स्वीकृतियों को बीमाकर्ताओं से वापस प्राप्त मात्र में हिसाब में लिया गया है।

ड. अधिग्रहण लागतें जैसे कमीशन, पॉलिसी निर्गम व्यय आदि ऐसी लागतें हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकरण व्यवसाय संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं और उस अवधि में व्यय की गई है जिसमें वे उपस्थित हुई हैं। अधिग्रहण लागत निर्धारण मुख्यतया लागतों और बीमा संविदाओं के निष्पादन (अर्थात जोखिम की शुरूआत) के आधार पर किया जाता है।

च. दावे को नुकसान होने की सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध सूचना और विगत अनुभव के आधार पर प्रबंधन द्वारा यथा अनुमानित देय दावा राशि के लिए प्रावधान करके हिसाब लगाया जाता है। तुलनपत्र को देय बकाया दावों से संबंधित प्रावधान में से पुनर्बीमा अवशिष्ट मूल्य और प्रबंधन द्वारा अनुमानित अन्य वसूलियों को घटाया जाता है। पुनर्बीमा एवं सह-बीमा व्यवस्था से क्रमशः पुनर्बीमाकर्ताओं/सह- बीमाकर्ताओं से प्राप्त राशि को एक साथ दावे के अंतर्गत लिया गया है। प्रबंधन के द्वारा तुलन पत्र की तिथि को पुनर्बीमा, निस्तारण मूल्य और अन्य प्राप्तियां बकाया दावा के रूप में प्रावधान किया गया है।

छ. दावा देयताओं के संबंध में प्रावधान जो किसी लेखा वर्ष की समाप्ति के पूर्व उत्पन्न हुए होते परंतु

- जिसे लेखा अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचित या दावा नहीं किया गया है (आईबीएनआर) या
- पर्याप्त रूप से सूचित नहीं किया गया है, (अर्थात् इस टिप्पणी के साथ सूचित किया गया है कि संभावित दावा राशि का एक उचित अनुमान लगाने के लिए सूचना अपर्याप्त के साथ सूचित की गई है (आईबीएनईआर)।

प्रावधान वह राशि है जो आईआरडीएआई की सहमति से भारतीय बीमांकिक सोसायटी द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार बीमांकिक व्यवहार सिद्धांतों के आधार पर नियुक्त बीमांकनकर्ता द्वारा निर्धारित की गई है।

अभिरक्षा एवं निधि लेखांकन सेवाएं :

आय का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है और इस आय का विश्वासपूर्वक मापन किया जा सकेगा।

पेंशन निधि परिचालन :

प्रबंधन शुक्ल की गणना संबंधित योजनाओं के तहत स्वीकृत विशिष्ट दरों पर जो प्रत्येक योजना की दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर लगाई गई है। यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। कंपनी सेवा कर / वस्तू एवं सेवा कर को घटाकर लेखों में आय प्रस्तुत करती है।

न्यासी परिचालन :

क. म्यूचुअल फंड ट्रस्टीशिप फीस की गणना संबंधित योजनाओं के लिए सहमत की गई विशिष्ट दरों पर की गई है और प्रत्येक योजना की औसत दैनिक आस्तियों के आधार पर लागू की गई है (अंतर योजना निवेश, स्थायी जमाराशियों में निवेश, आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा किए गए निवेश और आस्थगित राजस्व व्यय, जहां कहीं लागू हो, को छोड़कर), तथा सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई सीमाओं के अनुरूप है।

ख. कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप एक्सेप्टेंस फीस की गणना ट्रस्टीशिप असाइनमेंट की स्वीकृति या के निष्पादन, जो भी पहले हो, पर की गई है। कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप सेवा प्रभार की गणना ग्राहकों के साथ हुई ट्रस्टीशिप संविदाओं/करारों के अनुसार की गई है / प्रोद्भूत हुई है।

ग. ऑनलाइन "वसीयतनामा" सेवाओं से प्राप्त आय की गणना तब की जाती है जब शुल्क प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, इसलिए ऐसी आय की निश्चित गणना इस समय ऐसे अधिकार प्राप्त होने पर की जाती है।

आंतरिक संरचना और सुविधा प्रबंधन :

उक्त संविदागत कार्य जब भी वेंडर को दिया जाता है और वेडंर द्वारा कार्य तय करार के अनुसार पूरा किया जाता है तो प्रबंधन से प्राप्त आय और परामर्श फीस को हिसाब में लिया जाता है।

व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय:

क. छूट, जीएसटी और अन्य लागू करों को छोड़कर, प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्त होने के आधार पर आय की गणना जाती है और सेवाओं के पूरा किए जाने आय को हिसाब में लिया है।

ख. पीओएस स्थापित करने पर होने वाली आय या तो सेवा देने की अवधि के दौरान या तय की गई दरों और शर्तों में निर्दिष्ट के अनुसार अवधि के दौरान संसाधित लेनदेन की संख्या के आधार पर हिसाब में लिय जाता है।

ग. आय प्राप्त लेकिन रखरखाव तैनाती अनुबंध के खाते द्वारा अर्जित नहीं मानी जाती है। आय को आस्थगित किया और देनदारियों में शामिल तब माना जाता जब तक कि आय मान्यता मानदंड पूरा नहीं किया जाता है। अर्जित आय, लेकिन बिल नहीं की गयी का अर्थ है किए गए कार्य पर प्राप्त आय, लेकिन अनुबंध की शर्तों के आधार पर बाद की अवधि में बिल की गई मानी जाती है ।

घ. मर्चेंट एक्वायरिंग की सेवाएं प्रदान करने की आय को पूरी लागत और ऐसी लागतों की बढ़ी हुई लागत के रूप में दर्शाया जाता है।

ङ आय उस सीमा तक मान्य है बशर्ते है की आर्थिक लाभ होगा और आय को ठीक से मापा जा सकता है

2. निवेश:

सभी प्रतिभूतियों में लेन-देन को "निपटान तिथि" (सेटलमेंट डेट) पर दर्ज किया गया है ।

2.1 वर्गीकरण

निवेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसे कि परिपक्वता (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और ट्रेडिंग के लिए रखे गए (एचएफटी) । भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूची 8 में बैलेंस शीट में प्रकटीकरण के उद्देश्य से, (I) भारत में निवेशट को छह समूहों (i) सरकारी प्रतिभूतियों, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, (iii) शेयरों, (iv) डिबेंचर एंड बांड, (v) सहायक कंपनियों और एसोसिएट्स और (vi) अन्य और (II) ञ्भारत के बाहर निवेशट तीन श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया जाता है - (i) सरकारी प्रतिभूतियां, द्वितीय) एसोसिएट्स और (iii) अन्य निवेश

2.2 वर्गीकरण का आधार:

i. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, उन्हें ठपरिपक्वता तक धारित (एचटीएम)ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. जिन निवेशों को सिद्धांततः क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है उन्हें "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है उन्हें ठविक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय ठपरिपक्वता तक धारितड, ठविक्रय के लिए उपलब्धड या ठव्यवसाय के लिए रखे गएड के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परिवर्तन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है।

v. सहयोगियों में निवेश को एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है सिवाय उन निवेशों के संबंध में जो अधिग्रहीत किए जाते हैं और इसके बाद के निपटान की दृष्टि से विशेष रूप से रखे जाते हैं । इन निवेशों को एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 मूल्यांकन:

क. बैंकिंग व्यवसाय

i. किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में:

क. अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

ख. निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय के व्यय में शामिल कर लिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

ग. ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

घ. निवेश की लागत का निर्धारण, समूह की संस्थाओं द्वारा ठविक्रय के लिए उपलब्धड एवं ठव्यवसाय के लिए रखे गएड श्रेणी के तहत निवेश हेतु भारित औसत लागत प्रणाली के अनुसार एवं एसबीआई द्वारा ञ्परिपक्वता तक धारितट श्रेणी के लिए फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर किया गया है तथा समूह की अन्य संस्थाओ द्वारा भारित औसत लागत प्रणाली के तहत किया गया है।

ii एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम के आधार पर किया गया है। ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो तो, उस हेतु पूर्णतः प्रावधान किया गया है। परंतु एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य पर किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है एवं किसी भी प्रकार के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है ।

iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

iv. **परिपक्वता तक धारित श्रेणी:** "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को ठनिवेश पर ब्याजड शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है। अस्थायी से इतर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग, कमी की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश जिसे रखाव लागत (यानी बही मूल्य) आधार पर आईसीएआई के लेखा मानक 23 के अनुरूप मूल्यांकित किया गया है।

v. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँ:** एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन

विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह जैसे (i) (सरकारी प्रतिभूतियाँ) (ii) (अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ) (iii) (शेयर) (iv) (बांड एवं ऋणपत्र) (v) (अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम) और (vi) अन्य के सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात् अपरिवर्तित रहा है।

vi. प्रतिभूति रसीद जारी करने के बदले प्रतिभूतिकरण कंपनी / आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में प्रतिभूति रसीद में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) ii) प्रतिभूति के मोचन, दोनों में जो भी कम हो, मान्य किया जाता है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के मूल्य का नॉन एसएलआर के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे निवेश के मूल्यन के लिए की गई है।

vii. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशी कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:

क. ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

ख. इक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

ग. यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

घ. उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ. ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, उन पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

च. विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों, जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

viii. रेपो/रिवर्स रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरण:

क. रेपो /रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेन-देन के रूप में लेखांकित किया गया है। परंतु एकमुश्त विक्रय / क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है और इस तरह के अंतरणों को रिपो/ रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करके दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची 4 (उधार-राशियाँ) एवं रिवर्स रिपो खाते की शेष राशि को अनुसूची 7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/ विक्रय की गई प्रतिभूतियों पर व्यय/ अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

बाजार पुनर्खरीद और प्रतिवर्ती पुनर्खरीद लेनदेन के साथ-साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत आरबीआई के साथ लेनदेन को मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार उधार लेने और उधार देने के लेनदेन के रूप में माना गया है।

ख. बीमा व्यवसाय :

जीवन और साधारण बीमा अनुषंगियों के मामले में, निवेश बीमा अधिनियम, 1938, आईआर डीएआई (निवेश) विनियम, 2016, कंपनी और आईआरडीए (बीमा कपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण) विनियम, 2002, कंपनी का निवेश नीति और समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा तथा निर्गमित विभिन्न अन्य परिपत्रों/अधिसूचनाओं के अनुसार किए गए हैं।

(i) गैर-संबद्ध जीवन बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :

- सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत के आधार पर प्रीमियम के परिशोधन या डिस्काउंट की अभिवृद्धि के अध्यधीन उल्लेख किया गया है।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रुमेंट्स और प्रेफ्रेन्स शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, 'एनएसई' पर बाजार बंद होने के समय शामिल किया जाता है। यदि एनएसई का बाजार बंद होने का मूल्य उपलब्ध न हो तो द्वितीयक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') के बंद होने के मूल्य को शामिल किया जाता है।
- असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, इक्विटी संबंधित लिखतों और अधिमान शेयरों का आंकन अवधिगत लागत आधार पर किया जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन उपर्युक्तानुसार इक्विटी शेयरों की मूल्यांकन पद्धति के आधार पर किया जाता है।
- आईआरडीएआई द्वारा यथा निर्दिष्ट 'इक्विटीट के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-I (बेसल-III अनुपालक) बेमियादी बॉण्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेश का जीवन बीमा में पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर और साधारण बीमा में तुलनपत्र की तारीख को मूल्यांकन किया जाता है।
- वैकल्पिक निवेश निधियों के निवेश का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध एनएवी के आधार किया जाता है।

शेयरधारकों के निवेशों और गैर-संबद्ध पॉलिसी धारकों के निवेशों के संबंध में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण होने वाले अवसूल लाभ या हानियाँ "आय और अन्य आरक्षितियां (अनुसूची 2)" में और "बीमा व्यवसाय में पॉलिसी धारकों से संबंधित देयताएं (अनुसूची 5)" क्रमशः तुलनपत्र में लिए गए हैं।

(ii) संबद्ध व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :

- एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इन्फोर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है एक वर्ष से कम परिपक्वत अवधी वाली सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियों परिपक्वता पर प्रतिफल आधार पर किया जाता है यदि प्रतिफल का मूल्य क्रिसिल द्वारा प्रदत उस बाजार मूल्य का उपयोग किया जाता है जो प्रतिभूति को अल्पवादी के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले दिनका होता हैं। यदि प्रतिभूति उसकी अल्पावादी के दौरान खरीदी जाती है तो परिपक्वता पर प्रतिफल पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत का मूल्यांकन किया जाता है। अगर प्रतिभूति में ऑप्शन हो तो प्रारंभिक कॉल ऑप्शन/ पुट ऑप्शन की तिथि को परिपक्वता तिथि के रूप में लिया जाता है। प्रीमियम के परिशोधन या परिपक्वता आधार पर बट्टा की दशा में मुद्रा बाजार प्रतिभूति को ऐतिहासिक दर पर मूल्य अंकित किया जाता है।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धत मूल्य का उपयोग किया जाता है। एनएसई में सूचीबद्ध किए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बीएसई के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धत मूल्य पर किया गया है।
- असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का आंकन अवधिगत लागत आधार पर किया जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन नीति के अनुसार किया जाता है जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।
- आईआरडीएआई द्वारा यथा निर्दिष्ट 'इक्विटीट के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-I (बेसल-III अनुपालक) बेमियादी बॉण्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में किए गए निवेशों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है।
- इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले अवसूल लाभों या हानियों को लाभ एवं हानि खाते में दिखाया जाता है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान:

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँः

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता ठअसंगतड (ठआउट ऑफ आर्डर)ड रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में जब (अ) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल- ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ब) दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया हैः

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक वर्ग में रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि होने की जानकारी मिली है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा - निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

अवमानक आस्तियाँ :	i. कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान ii. ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है) iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्क्रो खाते आदि उपलब्ध हैं, से सम्बन्धित प्रतिभूति-रहित जोखिम - 20%
संदिग्ध आस्तियाँ:	
- प्रतिभूत भाग	i. एक वर्ष तक - 25%
	ii. एक से तीन वर्ष तक - 40%
	iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%
- अप्रतिभूत भाग	100%
हानिप्रद आस्तियाँ :	100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्संरचनागत/पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप पुनर्संरचना के पहले एवं बाद में हुए ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य का अंतर प्रावधान के तौर पर संबंधित ऋण/अग्रिम के लिए व्यवस्था की जाती है।

उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य में कमी में एवं त्याग किए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के ठअन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्यड शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

3.10 एनपीए में वसूली का समायोजन निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता हैः

क. प्रभार

ख. अप्राप्त ब्याज/ब्याज

ग. मूलधन

तथापि, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मामलों के माध्यम से समझौता और समाधान/निपटान में वसूली संबंधित समझौते /समाधान/निपटान की शर्तों के अनुसार विनियोजित की जाती है । वाद दायर खातों के मामले में, संबंधित अदालतों के निर्देशों के अनुसार वसूली विनियोजित की जाती है

4. अस्थिर प्रावधान:

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु पृथक् रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा।

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स:

6.1 बैंक तुलनपत्र की/तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है ।

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता कुल प्राप्य" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरिवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गई हो तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता सकारात्मक एमटीएम" में प्रतिवर्तित किया जाता है।

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दिए गए प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ मूल्यह्रास और परिशोधन:

7.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यह्रास / परिशोधन घटाकर किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई प्रोफेशनल फीस शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय / व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 घरेलू परिचालन के संदर्भ में मूल्यह्रास की दर और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति निम्नलिखित है:

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यह्रास/परिशोधन दर
1	कंप्यूटर	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
4	ऑटोमेटेड टैलर मशीन/ कैश डिपॉजिट मशीन/ क्वाइन डिस्पेंसर/ क्वाइन वेंडिंग मशीन	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
5	सर्वर	सीधी रेखा पद्धति	25.00% प्रति वर्ष
6	नेटवर्क उपकरण	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
7	अन्य अचल आस्तियां	सीधी रेखा पद्धति	आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर। प्रमुख अस्थायी आस्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार रहता है: परिसर - 60 वर्ष वाहन - 5 वर्ष सुरक्षित जमा लॉकर - 20 वर्ष फर्नीचर व फिक्सचर - 10 वर्ष

7.4 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

7.5 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000/- से कम था उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेश स्थित कार्यालयों की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

7.9 बैंक पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल अचल आस्तियों पर ही विचार करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहीत आस्तियों का पुनर्मूल्यन नहीं किया गया है। इसके बाद हर तीन वर्षों में पुनर्मूल्यन की गई आस्ति का मूल्यांकन किया जाता है।

7.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल बही मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है। निवल बही मूल्य में वृद्धि पर किए गए मूल्यह्रास की भरपाई पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते से की गई है।

7.11 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन के समय यथामूल्यांकित आस्तियों की शेष उपयोगी अवधि पर काटा गया है।

8. पट्टे:

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड, जैसाकि उपरोक्त पैरा 3 में दिया गया है, वित्तीय पट्टों पर भी लागू है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता:

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति की रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-समावेश उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति की रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर होता है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

10.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (स्पॉट/ वायदा) दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के

प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन:

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओ बी यू) को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii. निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है ।

iv. विदेशी कार्यालयों की आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) को तुलनपत्र की तिथि लागू स्पॉट दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं स्पॉट दर पर रूपांतरित की गई हैं।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रनीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

क. एसबीआई एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है। भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। एसबीआई निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नियत कर्मचारी हित लाभ योजना भविष्य निधि में अंशदान करता है। भविष्य निधि का प्रबंधन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कर्मचारी पीएफ ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। अवधि के दौरान दिए गए या देय अंशदान लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है जिसके लिए कर्मचारी ने संबंधित सेवा ली है। साथ ही स्वतंत्र बीमांकिक के द्वारा प्रति वर्ष बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है और सांविधिक दर से देयता की तुलना में अंशदान के लिए देय ब्याज की कमियों की पहचान (यदि कोई हो) करता है।

ख. समूह अलग से ग्रेच्युटी योजना परिचालित करता है जिसके नियत हितलाभ हैं। समूह सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूलवेतन के समतुल्य राशि होती है, जो सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अधीन रहती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

ग. एसबीआई सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। निहितीकरण नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में सम्पन्न होता है। बैंक एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है और बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है।

घ. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रनीत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया जाता है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

ii. नियत अंशदान योजनाएँ:

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और नए कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10% राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को सम्बन्धित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ:

क) बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा - रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया जाता है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

113 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को सम्बन्धित देशों के स्थानीय कानूनों / विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया जाता है।

12. सेगमेंट रिपोर्टिंग

यह समूह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड के रूप में मान्यता देता है ।

13. आय पर कर:

समूह द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर, आस्थगित कर तथा अनुषंगी लाभ कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो "आय पर कर लेखा" से संबंधित है, ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट हैं। आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष की कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रनीत हानि के बीच के अवधिगत अंतर के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को कर दरों और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जो तुलन-पत्र की तिथि को लागू है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंध-मंडल के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है/ होना निश्चित है। आस्थगित कर आस्तियों को अनवशोषित मूल्यह्रास और कर घाटा के रूप में कैरी फॉरवर्ड तभी किया जाए जब यह निश्चित रूप से प्रमाण द्वारा समर्थित हो कि इस तरह की आस्थगित कर संपत्ति को भविष्य के लाभ के रूप में वसूल किया जा सकता है।

समेकित वित्तीय विवरण में आय कर पर खर्च मुख्य एवं अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों द्वारा कर पर खर्च का लागू विनियमों के अनुरूप कुल योग है।

14. प्रति शेयर आय:

14.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 ठप्रति शेयर आयड के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों का प्राप्य उस वर्ष के करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

14.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

15.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, संसाधनों के संभावित बहिर्गमन के परिणामस्वरूप दायित्व के निपटान आर्थिक लाभ को समाविष्ट कर, इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन कर किया जा सकता है।

15.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख. दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता.

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है।

इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

15.3 एसबीआई के डेबिट कार्डधारकों को दिए जाने वाले रिवार्ड प्वाइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

15.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

16. सर्राफा लेनदेन:

एसबीआई अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते हैं और ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता के द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। एसबीआई इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर कुछ फीस के रूप में आय प्राप्त करता है। इस फीस की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। एसबीआई सोना जमा करने के लिए लेता है और इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा / अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए / प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्वर्ण जमा, धातु ऋण अग्रिम तथा अंतिम स्वर्ण शेष को तुलन-पत्र की तिथि पर उपलब्ध बाजार दर पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

17. विशेष आरक्षित निधि:

राजस्व एवं अन्य निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

18. शेयर जारी करने पर व्यय:

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाए गए हैं।

19. नकद और नकद समकक्ष

नकदी जमा राशि में भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशियां शामिल हैं।

अनुसूची 18

लेखा-टिप्पणियां

1. उन अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों की सूची जिन्हें शामिल करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

1.1 28 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यम और 18 एसोसिएट्स 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित जो वर्ष के दौरान विलय /एक्जिट की संबंधित तिथियों तक/ से (जो भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य संस्था के साथ-साथ समूह का गठन) समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में शामिल किया गया है, वे हैं

क. अनुषंगियां :

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	समूह की हिस्सेदारी (%)		
		निगमन-देश	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	100.00	100.00
2)	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	100.00	100.00
3)	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	100.00	100.00
4)	एसबीआई कैप वेंचर्स लि.	भारत	100.00	100.00
5)	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड	सिंगापुर	100.00	100.00
6)	एसबीआई कैप (यूके) लि.	यूके	100.00	100.00
7)	एसबीआई डीएचएफआई लि.	भारत	72.17	72.17
8)	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	86.18	86.18
9)	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रा. लि.	भारत	100.00	100.00
10)	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.	भारत	100.00	100.00
11)	एसबीआई पेमेंट सर्विसज प्रा.लि. @	भारत	74.00	74.00
12)	एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लि.	भारत	92.60	92.60
13)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	57.60	62.10
14)	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड @	भारत	70.00	70.00
15)	एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड @	भारत	69.51	74.00
16)	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्वि. प्रा.लि.@	भारत	65.00	65.00
17)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.@	भारत	63.00	63.00
18)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड @	मॉरीशस	63.00	63.00

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	समूह की हिस्सेदारी (%) वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
19)	कमर्शियल इंडो बैंक एलआईसी, मास्को @	रूस	60.00	60.00
20)	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	बोत्सवाना	100.00	100.00
21)	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	100.00	100.00
22)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	अमेरिका	100.00	100.00
23)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	यूके	100.00	100.00
24)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राजील	100.00	100.00
25)	एसबीआई (मॉरीशस) लिमिटेड	मॉरीशस	96.60	96.60
26)	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	99.00	99.00
27)	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	55.00	55.00
28)	नेपाल एसबीआई मर्चेंट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	55.00	55.00

@ उन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है जो शेयरधारकों के समझौते के संदर्भ में संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं हैं। हालाँकि, इन्हें एएस 21 ठसमेकित वित्तीय विवरणड के अनुसार सहायक कंपनियों के रूप में समेकित किया गया है क्योंकि इन कंपनियों में एसबीआई की हिस्सेदारी 50% से अधिक है।

पिछले साल एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सब्सिडियरी) को भी शामिल किया गया था । इसे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के साथ 1 अप्रैल, 2018 से मिलाया गया था। कृपया नोट नंबर 1.1 का उल्लेख करें। (क) नीचे

ख. संयुक्त उद्यम :

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%) वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1)	सी - ऐज टेक्नोलॉजीस लि.	भारत	49.00	49.00
2)	एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्राइवेट लि.	भारत	45.00	45.00
3)	एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	भारत	45.00	45.00
4)	मैक्वेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई. लिमिटेड	सिंगापुर	45.00	45.00
5)	मैक्वेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लिमिटेड	बेरमुडा	45.00	45.00
6)	ओमान इंडिया ज्वाइंट इनवेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड	भारत	50.00	50.00
7)	ओमान इंडिया ज्वाइंट इनवेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड	भारत	50.00	50.00
8)	जियो पेमेंट्स बैंक लि.	भारत	30.00	30.00

ग. सहयोगी:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%) वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1)	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00	35.00
2)	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
3)	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
4)	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	35.00	35.00
5)	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
6)	मेघालय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
7)	मिजोरम ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
8)	नागालैंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
9)	पूर्वांचल बैंक	भारत	35.00	35.00
10)	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
11)	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	समूह का हिस्सा (%)		
		निगमन-देश	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
12)	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
13)	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
14)	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
15)	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
16)	दि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	भारत	20.05	20.05
17)	यस बैंक लिमिटेड (14 मार्च 2020 से)	भारत	48.21	-
18)	बैंक ऑफ भूटान लि.	भूटान	20.00	20.00

- पिछले वर्ष कावेरी ग्रामीण बैंक, लंगपी देहांगी ग्रामीण बैंक और मालवा ग्रामीण बैंक (31 दिसंबर, 2018 तक) को भी शामिल किया गया था। इन्हें अब आरआरबी में मर्ज कर दिया गया है जो एसबीआई द्वारा प्रायोजित नहीं हैं।

कृपया नीचे नोट नंबर 1.1 (f) देखें जिसमें एसबीआई द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के विलय से संबंधित विवरण है।

क) एनसीएलटी के 04 जून, 2019 के आदेश के अनुसार एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एक अनुषंगी) को एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एक सहायक) के साथ 01 अप्रैल, 2018 से विलय किया हैतक जीवित इकाई के साथ मिलाया गया है और बाद में यही उत्तरजीवी ईकाई रहेगी।

दिनांक 20.08.2020 से एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर एसबीआई काड्र्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड कर दिया गया है।

मार्च 2020 के महीने में एसबीआई ने सार्वजनिक ऑफर के जरिए एसबीआई काड्र्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड में अपनी 4.00% हिस्सेदारी बेची थी। इसी पब्लिक ऑफर में एसबीआई काड्र्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के 10-10 के फेस वैल्यू के 6,622,516 इक्विटी शेयरों का नया इश्यू आया।

नतीजतन एसबीआई काड्र्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड में एसबीआई ग्रुप की हिस्सेदारी 74.00% से घटकर 69.51% रह गई है।

ख) जून 2019 के महीने के दौरान एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। (एक सहायक कंपनी) ने एसबीआईकैप (यूके) लिमिटेड (एक स्टेप डाउन सब्सिडियरी) में जीबीपी 2 लाख रुपये के बराबर 1.77 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी का संचार किया है।

अगस्त 2019 के महीने के दौरान, एसबीआईकैप (यूके) लिमिटेड के बोर्ड ने एसबीआईकैप (यूके) लिमिटेड के संचालन को समाप्त करने और यूके में वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) को अपना लाइसेंस सरेंडर करने को मंजूरी दे दी। एसबीआईकैप (यूके) का परिचालन 30.11.2019 को बंद हुआ था। मार्च 2020 के महीने में एसबीआईकैप (यूके) ने अपनी पूंजी और भंडार में शेष राशि को एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को वापस भेज दिया है।

ग) अगस्त 2019 के महीने के दौरान एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (एक सहायक कंपनी) ने एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड (एक स्टेप डाउन सब्सिडियरी) में 10.40 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी का संचार किया है। एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड में एसबीआई ग्रुप की हिस्सेदारी जस की तस बनी हुई है।

घ) सितंबर 2019 के महीने में एसबीआई ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एक अनुषंगी) में अपनी 4.50% हिस्सेदारी बेची। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एसबीआई ग्रुप की हिस्सेदारी 62.10% से घटकर 57.60% रह गई है।

ङ) दिसंबर 2019 के महीने में नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड ने एसबीआई को 27,88,253 बोनस शेयर जारी किए हैं, जो 27.88 करोड़ हैं और। 17.47 करोड़ रुपये के बराबर है। नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड में एसबीआई ग्रुप की हिस्सेदारी जस की तस बनी हुई है।

च) वर्ष के दौरान, एसबीआई ने प्रायोजित निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) में अतिरिक्त पूंजी का संचार किया है

छ) फरवरी 2019 में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि (एक सहायक) ने एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड (एक सहायक कंपनी) में ₹10.70 करोड़ लगाए। एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड में एसबीआई समूह की हिस्सेदारी समान है।

(₹करोड़ में)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राशि
उत्कल ग्रामीण बैंक	143.78
इलाकाई देहाती बैंक	5.48
राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	8.91
नागालैंड ग्रामीण बैंक	0.48
योग	**158.65**

एसबीआई समूह का उक्त इस पूंजी निवेश के बाद भी वही है।

ज. भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित एसबीआई प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा अन्य बैंकों द्वारा प्रायोजित आरआरबी का समामेलन हुआ।

आरआरबी के समामेलन का ब्योरा, जहां ट्रांसफर किए गए आरआरबी को एसबीआई द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया है, नीचे दिए गए हैं: -

	ट्रांसफर करने वाले आरआरबी का नाम	ट्रांसफर करने वाले आरआरबी का प्रायोजक बैंक	समामेलन के बाद आरआरबी का नया नाम	ट्रांसफरी आरआरबी के प्रायोजक बैंक का नाम	समामेलन की प्रभावी तिथि
1.	प्रगति कृष्ण ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक	कर्नाटक ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक	1 अप्रैल 2019
	कावेरी ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया			
2.	असम ग्रामीण विकास बैंक	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	असम ग्रामीण विकास बैंक	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1 अप्रैल 2019
	लांगपी देहांगी ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया			
3.	बड़ोदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ोदा			
	काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	बड़ौदा यूपी बैंक	बैंक ऑफ बड़ोदा	1 अप्रैल 2020
	पूर्वांचल बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया			

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के पत्र 06 फरवरी, 2019 और 14 फरवरी, 2019 के आधार पर प्रायोजक बैंकों की हिस्सेदारी का हस्तांतरण शेयरों के अंकित मूल्य पर हुआ है और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान 207.93 करोड़ रुपये के नुकसान को ञ्अन्य आयट शीर्ष के तहत समेकित वित्तीय विवरणों में दिया गया है।

ii) आरआरबी के समामेलन का विवरण, जहां ट्रांसफरी आरआरबी एसबीआई द्वारा प्रायोजित है, निम्नलिखित हैं:-

	ट्रांसफर करने वाली आरआरबी का नाम	ट्रांसफर करने वाले आरआरबी का प्रायोजक बैंक	समामेलन के बाद आरआरबी का नया नाम	ट्रांसफरी आरआरबी के प्रायोजक बैंक का नाम	समामेलन की प्रभावी तिथि
1.	झारखंड ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	एसबीआई	01.04.2019
	वनांचल ग्रामीण बैंक	एसबीआई			

झ.) वर्ष 2020 के मार्च माह में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पुनर्निर्माण योजना के अनुसार एसबीआई ने यस बैंक लिमिटेड में 6,050 करोड़ रुपये का निवेश किया है। एसबीआई ग्रुप की हिस्सेदारी 48.21% है।

यस बैंक लिमिटेड एसबीआई समूह का सहयोगी बन गया है। 14 मार्च, 2020 और एएस-23 ठसमेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकनड के अनुसार इक्विटी विधि का उपयोग करके समेकित किया गया है। एसस 23 के अनुसार, यस बैंक लिमिटेड में हिस्सेदारी अधिग्रहण के बाद कैपिटल रिजर्व प्रापधान 1947.53 करोड़ का किया गया है।

ञ) एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड एसबीआई की एक सहायक कंपनी है जिसमें एसबीआई की हिस्सेदारी 25.05% है वह लिक्वीडेशन के अधीन है और इसलिए, लेखा परीक्षा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी में समेकन के लिए शामिल नहीं किया जा रहा है।

ट) चूंकि एसबीआई फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी कंपनी है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7 (2) के तहत शामिल), उस पर लेखांकन मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में समेकन के लिए विचार नहीं किया जा रहा है।

1.2 समूह के वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणों में एक अनुषंगी (एसबीआई कनाडा बैंक) और तीन सहयोगियों (बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड और दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिनके परिणाम महत्वपूर्ण नहीं हैं।

2. शेयर पूंजी:

शेयर जारी करने के व्यय के संबंध में ₹ निरक (पिछले वर्ष: ₹ 9.12 करोड़) शेयर प्रीमियम खाते में डेबिट किए गए।

3. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

3.1 लेखांकन मानक 5 - अवधि के लिए शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मद और लेखांकन में परिवर्तन ।

- वर्ष के दौरान, मैटिरियल पूर्व अवधि के आय/व्यय के कोई मद नहीं थे
- सहयोगियों में निवेश के संबंध में पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में अपनाए गए वर्ष की तुलना में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस बदलाव का 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

3.2 लेखा मानक- 15 "कर्मचारी हितलाभ":

3.2.1 नियत हितलाभ योजनाएं

3.2.1.1 पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना

नीचे दी गई तालिका लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना तथा ग्रेच्युटी की स्थिति को स्पष्ट करती है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2019 को आरंभिक नियत हितलाभ दायित्व	95,362.15	87,786.56	12,378.30	13,025.81
वर्तमान सेवा लागत	953.34	1,060.57	471.10	430.32
ब्याज लागत	7,428.71	6,812.24	960.76	1,012.43
विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
बीमांकिक हानि / (लाभ)	13,619.61	6,434.95	1,247.21	(89.76)
प्रदत्त लाभ	(3,914.34)	(3,966.53)	(1,967.24)	(2,000.50)
एसबीआई द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(3,619.10)	(2,765.64)	-	-
31 मार्च 2020 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	1,09,830.37	95,362.15	13,090.13	12,378.30
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2019 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	90,399.61	85,249.60	10,493.46	9,263.16
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	7,015.01	6,615.37	815.36	721.37
नियोक्ता द्वारा अंशदान	2,407.68	2,391.18	1,183.65	2,404.93
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	0.28	0.34	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(3,914.34)	(3,966.53)	(1,967.24)	(2,000.50)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	1,550.28	109.65	249.87	104.50
31 मार्च 2020 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	97,458.52	90,399.61	10,775.10	10,493.46
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2020 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,09,830.37	95,362.15	13,090.13	12,378.30
31 मार्च 2020 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	97,458.52	90,399.61	10,775.10	10,493.46
कमी/(अधिशेष)	12,371.85	4,962.54	2,315.03	1,884.84
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) समापन शेष	-	-	-	-
गैर-मान्यता प्राप्त संक्रमणकालीन देयता समापन शेष	-	-	-	-
शुद्ध देयता / (परिसंपत्ति)	12,371.85	4,962.54	2,315.03	1,884.84
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि				
देयताएं	1,09,830.37	95,362.15	13,090.13	12,378.30
संपत्ति	97,458.52	90,399.61	10,775.10	10,493.46
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त नेट लायबिलिटी / (एसेट)	12,371.85	4,962.54	2,315.03	1,884.84
गैर-मान्यता प्राप्त विगत सेवा लागत (निहित) समापन शेष	-	-	-	-
गैर-मान्यता प्राप्त संक्रमणकालीन देयता समापन शेष	-	-	-	-
शुद्ध देयता / (परिसंपत्ति)	12,371.85	4,962.54	2,315.03	1,884.84
शुद्ध लागत लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है				
वर्तमान सेवा लागत	953.34	1,060.57	471.10	430.32
ब्याज लागत	7,428.71	6,812.24	960.76	1,012.43
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(7,015.01)	(6,615.37)	(815.36)	(721.37)
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित योगदान	(0.28)	(0.34)	-	-
विगत सेवा लागत (परिशोधित) मान्यता प्राप्त	-	-	-	-
लेखे में लिया गया विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	2,707.50
वर्ष के दौरान लेखे में शामिल शुद्ध बीमांकिक हानि /लाभ	12,069.33	6,325.30	997.34	(194.26)
अनुसूची 16 में शामिल परिभाषित लाभ योजनाओं की कुल लागत "कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान"	13,436.09	7,582.40	1,613.84	3,234.62

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
योजनागत आस्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ और वास्तविक प्रतिलाभ का सामंजस्य				
योजनागत आस्ति पर अपेक्षित लाभ	7,015.01	6,615.37	815.36	721.37
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानियाँ)	1,550.28	109.65	249.87	104.50
योजना आस्ति पर वास्तविक लाभ	8,565.29	6,725.02	1,065.23	825.87
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के आरंभिक अधिशेष व इतिशेष का समाधान				
1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता/(आस्ति)	4,962.54	2,536.96	1,884.84	1,055.15
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	13,436.09	7,582.40	1,613.84	3,234.62
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(3,619.10)	(2,765.64)	-	-
अन्य प्रावधानों को डेबिट	-	-	-	-
आरक्षित निधियों में शामिल	-	-	-	-
नियोक्ता का अंशदान	(2,407.68)	(2,391.18)	(1,183.63)	(2,404.93)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता/ (आस्ति)	12,371.85	4,962.54	2,315.05	1,884.84

31 मार्च, 2020 तक ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
	योजना आस्तियों का%	योजना आस्तियों%
केंद्र सरकार की प्रतिभूति	23.60%	19.05%
राज्य सरकार की प्रतिभूति	36.89%	36.14%
डेट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट सिक्योरिटीज और बैंक डिपॉजिट्स	30.68%	25.85%
म्यूचुअल फंड्स	3.36%	3.46%
बीमाकर्ता प्रबंधित फंड	2.56%	12.54%
अन्य लोग	2.91%	2.96%
योग	100.00%	100.00%

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

Particulars	पेंशन योजनाएँ	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.83%	7.79%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	6.83%	7.79%
वेतन बढ़ोतरी दर	5.40%	5.20%
पेंशन वृद्धि दर	0.80%	0.40%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%

	ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.84%	7.77%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	6.84%	7.77%
वेतन बढ़ोतरी दर	5.40%	5.20%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%

अगले वर्ष के लिए पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में अपेक्षित योगदान क्रमशः 2,348.90 करोड़ रुपये और 1,420.97 करोड़ रुपये है।

भारतीय स्टेट बैंक के मामले में चूँकि योजनागत आस्ति को सरकारी प्रतिभूतियों के उत्पादकता कर्व के आधार पर बाजार के लिए मार्क किया गया है, अनुमानित प्राप्तियों की दर को डिस्काउंट दर में गणना की गई है।

बीमांकिक मूल्यन में प्रतिफलित भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति जैसे अन्य संगत कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है। ये अनुमान बहुत लंबी अवधि के हैं तथा सीमित विगत अनुभव/ निकट भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में लगातार, उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है, लेखा-परीक्षकों ने इन्हें स्वीकार किया है।

पेंशन फंड को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि कुछ धारणाओं में धीरे-धीरे उर्ध्वमुखी संशोधन किया जाए।

3.2.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन ठशून्यड देयता दर्शाता है। अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए या किया गया बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2019 को नियत हितलाभ दायित्व योजना की आरंभिक राशि	30,928.72	30,298.65
वर्तमान सेवा लागत	1,045.98	965.04
ब्याज लागत	2,495.99	2,507.55
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	1,166.46	1,377.59
बीमांकिक हानि (लाभ)	220.06	-
प्रदत्त लाभ	(4,112.66)	(4,220.11)
31 मार्च 2020 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	31,744.55	30,928.72
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2019 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	32,630.54	31,874.25
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,495.99	2,507.55
अंशदान	2,212.43	2,342.63
अन्य कंपनियों से हस्तांतरित	(467.66)	-
प्रदत्त हितलाभ	(4,112.66)	(4,220.11)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(109.92)	126.22
31 मार्च 2020 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	32,648.72	32,630.54
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2020 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	31,744.55	30,928.72
31 मार्च 2020 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	32,648.72	32,630.54
कमी/(अधिशेष)	(904.17)	(1,701.82)
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	904.17	1,701.82

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	1,045.98	965.04
ब्याज लागत	2,495.99	2,507.55
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,495.99)	-2,507.55
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	-	-
अनुसूची 16 ठकर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधानड में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत।	1,045.98	965.04
तुलन-पत्र में शामिल की गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक निवल देयता	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	1045.98	965.04
नियोक्ता का अंशदान	(1045.98)	(965.04)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता /(आस्ति)	-	-

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधि योजना आस्तियों का % % of Plan Assets
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	34.56%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	28.16%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमा	31.28%
म्यूचुअल फंड	2.58%
अन्य	3.42%
योग	100.00%

प्रमुख बीमांकिक आकलन

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.84%	7.77%
सुनिश्चित प्रतिलाभ	8.50%	8.55%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.40%	5.20%

i) एसबीआई कर्मचारी भविष्यनिधि के अंतर्गत देयता पर सुनिश्चित प्रतिलाभ दर लागू है, जो नीचे बताई गई दो दरों में से किसी से कम नहीं होगी:

क. पूर्ववर्ती वर्ष (पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त) में बारह माह के लिए नई सावधि जमाओं के लिए बैंक द्वारा उद्धृत औसत मानक दर (एक चौथाई प्रतिशत ऊपर या नीचे समायोजित) से आधा प्रतिशत अधिकः या

ख. तीन प्रतिशत वार्षिक, बशर्ते कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए।

ii) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की भविष्य निधि जिसका प्रबंध एक न्यास द्वारा किया जाता है, के नियमों में यह दिया गया है कि यदि न्यास बोर्ड इस कारण से कि निवेश पर आय कम हुई है या अन्य किसी कारण से उस दर से ब्याज अदा करने में असमर्थ हैं जो दर कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 60 के तहत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के लिए घोषित की जाती है तब कम पड़ने वाली राशि की पूर्ति इस कंपनी द्वारा की जाएगी।

3.2.2 नियत अंशदान योजना

3.2.2.1 कर्मचारी भविष्य निधि

समूह (नोट 3.2.1.2 में शामिल की गई इकाइयों को छोड़कर) द्वारा भविष्य निधि योजना के लिए ₹47.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹32.79 करोड़) की राशि अंशदान की गई है और उसे लाभ एवं हानि खाते में "कर्मचारी को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

3.2.2.2 नियत अंशदान पेंशन योजना

अगस्त 1, 2010 या उसके बाद एसबीआई की सेवा में आने वाले सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एसबीआई ने नियत अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की है। इस योजना का प्रबंध नई पेंशन योजना एनपीएस न्यास द्वारा पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में किया जाता है। एनपीएस के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹451.97 करोड़ का अंशदान किया (पिछले वर्ष ₹541.79 करोड़) था।

3.2.2.3 परिभाषित अंशदान योजनाओं की दिशा में निम्नलिखित राशि समूह द्वारा प्रदान की जाती है (एसबीआई को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	पीएफ अधिनियम के तहत कर्मचारी पेंशन योजना	28.33	21.36
2	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	5.78	3.86
3	अन्य	8.41	9.89
योग		**42.52**	**35.11**

3.2.3 दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ (वित्त रहित दायित्व):

3.2.3.1 संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका में बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकिक के द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थितियां दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार निर्धारित प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	6,876.64	6,248.59
Current Service Cost	288.00	261.33
ब्याज लागत	534.13	485.98
देयता में हस्तांतरित / अधिग्रहण	772.70	741.84
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	(929.32)	(861.10)
31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार इतिशेष परिभाषित निवल देयता	7,542.15	6,876.64
लाभ एवं हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	288.00	261.33
ब्याज लागत	534.13	485.98
बीमांकिक (लाभ)/हानियां	772.70	741.84
अनुसूची 16 -"कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान" में शामिल परिभाषित हितलाभ योजनाओं की कुल लागत	1,594.83	1,489.15
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	6,876.64	6,248.59
उपरोक्तानुसार व्यय	1,594.83	1,489.15
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(929.32)	(861.10)
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	7,542.15	6,876.64

प्रमुख बीमांकिक अनुमान :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.84%	7.77%
वेतन वृद्धि	5.40%	5.20%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%

संचित प्रतिपूरक अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश) (उपर्युक्त तालिका में शामिल की गई इकाइयों को छोड़कर)

सेवानिवृत्ति पर किए जाने वाले अवकाश नकदीकरण सहित अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए समूह द्वारा ₹28.85 करोड़ का प्रावधान किया गया है (पिछले वर्ष ₹3.76 करोड़) का प्रावधान किया गया है और उसे लाभ एवं हानि खाते में कर्मचारियों को 'भुगतान एवं उसके लिए प्रावधान शीर्षट में शामिल किया गया है।

3.2.3.2 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

बैंक द्वारा दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए ₹26.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 38.55 करोड़) की राशि का प्रावधान/(अपलेखन) किया गया तथा इसे लाभ एवं हानि लेखा में "कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान" शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए किए गए प्रावधान का विवरणः

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवकाश यात्रा एवं गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण/उपयोग)	20.67	35.80
2	रुग्ण अवकाश	(0.26)	2.11
3	रजत जयंती / दीर्घावधि सेवा अवार्ड	7.96	12.64
4	अधिवर्षिता पर पुनर्वास व्यय	1.01	(4.15)
5	आकस्मिक अवकाश	-	-
6	सेवानिवृत्ति अवार्ड	(3.21)	(7.85)
	योग	26.17	38.55

3.1.4 उपर्युक्त सूचीबद्ध कर्मचारी हित लाभ भारत में स्थित समूह के कर्मचारियों के संबंध में है। विदेश स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को उक्त योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है।

3.3 लेखा मानक - 17 'खंडवार सूचना'

3.3.1. खंड अभिनिर्धारण

ए) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड है:-

- खजाना (ट्रेजरी)
- कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा एवं सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों के लिए अलग से आंकड़े संग्रहण व एक्सट्रेक्ट करने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय रिपोर्टिंग संरचना एवं प्राथमिक खंडों में निहित जोखिम व प्रतिलाभ के आधार पर निम्नलिखित के अनुसार उनकी गणना की गई है :-

क. **ट्रेजरी-** ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय व डेरिवेटिव्स संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल हैं। ट्रेजरी खंड की आय में मुख्य रूप से फीस तथा ट्रेडिंग परिचालनों से होने वाले लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज-आय शामिल होती है।

ख. **कॉरपोरेट/थोकबैंकिंग-** कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कारपोरेट लेखा समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह तथा तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह की ऋण गतिविधियाँ शामिल हैं। इनमें कॉरपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऋण व लेन-देन सेवाएँ तथा विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-कोष परिचालन भी शामिल हैं।

ग. **खुदरा बैंकिंग-** खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ आती हैं, इन शाखाओं की गतिविधियों में संबद्ध कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय व एटीएम भी शामिल हैं।

घ. **बीमा व्यवसाय** - बीमा व्यवसाय खंड में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं.लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. के परिणाम शामिल हैं।

ङ. **अन्य बैंकिंग व्यवसाय** - उपर्युक्त (क) से (घ) के अंतर्गत वर्गीकृत न किए गए खंड इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। इस खंड में भी समूह की एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं.लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. को छोड़कर सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन शामिल हैं।

बी. द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

क) देशी परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएँ/कार्यालय

ख) विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालित शाखाएँ/कार्यालय तथा भारत में परिचालन करने वाली समुद्र पारीय बैंकिंग इकाइयाँ।

ग. अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खंड मूलतः प्राथमिक संसाधन संग्रहण इकाई है। कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं ट्रेजरी खंड, खुदरा बैंकिंग खंड से ही निधियां प्राप्त करते हैं। बाजार संबद्ध निधि अंतरण मूल्यन (एमआरएफटीपी) का अनुसरण किया जाता है, इसके अंतर्गत निधीयन केंद्र (फंडिंग सेंटर) नामक एक अलग इकाई बनाई गई है। निधीयन केंद्र व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमाओं और उधारियों के रूप में उगाही गई निधियों को कल्पित (नोशनल) रूप से खरीदता है तथा आस्ति सृजन में लगी वसाय इकाइयों को कल्पित विक्रय करता है।

घ. आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

सीधे कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए खर्च को उसी अनुसार आबंटित किया गया है। सीधे-सीधे न जुड़े हुए खर्च को प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किया गया है।

ऐसी आय, व्यय, सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ होती हैं जो समग्रतः उद्यम से संबंधित होती है और जिन्हें किसी खंड में शामिल नहीं किया जा सकता, उन्हें अन-आबंटित श्रेणी में रखा गया है।

3.2.1. खंडवार सूचना

भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
आय (विशेष मदों से पूर्व)	75,104.23	91,801.08	1,31,232.17	52,947.77	14,272.32	3,65,357.57
	(77,713.33)	(80,139.68)	(1,21,250.27)	(43,417.32)	(11,643.14)	(3,34,163.74)
गैर-आबंटित आय						168.15
						(903.54)
घटाएं: अंतरखंडीय आय						3,296.63
						(4,846.40)
कुल आय						3,62,229.09
						(3,30,220.88)
परिणाम(विशेष मदों से पूर्व)	9,202.09	-3,830.03	18,173.66	2,367.02	3,165.05	29,077.79
	(6,593.12)	(-15,889.35)	(12,837.52)	(2,114.81)	(2,290.57)	(7,946.67)
जोड़ें: विशेष मदें	5,781.56					5,781.56
	(466.48)					(466.48)
परिणाम (विशेष मदों के पश्चात्)	14,983.65	-3,830.03	18,173.66	2,367.02	3,165.05	34,859.35
	(7,059.60)	(-15,889.35)	(12,837.52)	(2,114.81)	(2,290.57)	(8,413.15)
गैर-आबंटित आय (+)/व्यय(-) निवल						(4,542.76)
						(-3,192.67)
कर पूर्व लाभ/ (हानि)						30,316.59
						(5,220.48)
कर						12,139.76
						(2,151.41)
असाधारण लाभ						0.00
						(0.00)
सहयोगियों के लाभ में हिस्से से पूर्व निवल						18,176.83
लाभ/(हानि) और अल्पांश हित						(3,069.07)
जोड़ें: सहयोगियों के लाभ में हिस्सा						2,963.14
						(281.48)
घटाएं: अल्पांश हित						1,372.17
						(1,050.91)
समूह के लिए निवल लाभ/ हानि						19,767.80
						(2,299.64)
अन्य सूचना:						
खंड आस्तियां	11,35,750.90	12,00,452.76	15,83,362.39	1,74,612.94	43,899.44	41,38,078.43
	(10,00,105.22)	(11,54,958.34)	(14,93,139.12)	(1,53,352.63)	(33,271.02)	(38,34,826.33)
गैर आबंटित आस्तियां						59,413.91
						(53,637.87)
कुल आस्तियां						41,97,492.34
						(38,88,464.20)
खंड देयताएं	10,08,550.01	11,77,433.80	14,78,049.72	1,63,726.93	32,442.25	38,60,202.71
	(8,28,452.00)	(11,77,656.01)	(14,04,930.51)	(1,43,952.42)	(24,650.45)	(35,79,641.39)
गैर आबंटित देयताएं						86,229.51
						(74,327.15)
कुल देयताएं						39,46,432.22
						(36,53,968.54)

(i) आय/व्यय पूरे वर्ष के लिए है। परिसंपत्तियां/देनदारियां 31 मार्च, 2020 तक हैं।

(ii) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

(₹ करोड़ में)

	देशीय परिचालन		विदेशी परिचालन		योग	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय (विशेष मदों से पूर्व)	3,44,982.70	3,13,646.59	17,246.39	16,574.29	3,62,229.09	3,30,220.88
निवल लाभ /हानि	15,297.21	(2,151.64)	4,470.59	4,451.28	19,767.80	2,299.64
आस्तियाँ	37,09,504.22	34,50,714.98	4,87,988.12	4,37,749.22	41,97,492.34	38,88,464.20
देयताएँ	34,65,172.72	32,22,552.87	4,81,259.50	4,31,415.67	39,46,432.22	36,53,968.54

(i) आय/ व्यय संपूर्ण वर्ष के लिए है। आस्तियां/ देयताएं 31 मार्च 2020 के लिए हैं।

(ii) 31 मार्च 2020 के लिए

3.4 लेखा मानक - 18 "संबंधित पक्षों का प्रकटन"

3.4.1 समूह के संबंधित पक्ष

क. संयुक्त उद्यम:

1. सी-ऐज टेकनोलॉजीज लि.
2. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
3. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.
4. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि.
5. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
6. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
8. जियो पेमेंट्स बैंक लि.

ख. सहयोगी :

i.) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
6. मेघालय ग्रामीण बैंक
7. मिजोरम ग्रामीण बैंक
8. नागालैंड ग्रामीण बैंक
9. पूर्वांचल बैंक
10. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
11. उत्कल ग्रामीण बैंक
12. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
13. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक
14. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
15. तेलंगाना ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

1. दि क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2. बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड
3. यस बैंक लि. (w.e.f. 14.03.2020)
4. एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)

ग. एसबीआई के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष
2. श्री पी.के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग
3. श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक (ग्लोबल बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ)
4. श्री अरिजित बसु, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट ग्राहक समूह एवं आईटी)
5. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी, प्रबंध निदेशक (तनाव ग्रस्त आस्तियां) (02.01.2020 से)
6. श्रीमती अंशुला कांत, प्रबंध निदेशक (तनाव ग्रस्त आस्तियां जोखिम एवं अनुपालन) (30.08.2019 तक)

3.4.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए:

लेखा मानक लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम' के संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3.4.3 Transactions and Balances:

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	महत्वपूर्ण प्रबंधन निजी एवं संबंधी	योग
वर्ष 2019-20 को दौरान लेन देन			
ब्याज आय	4.94 (0.01)	- (-)	4.94 (0.01)
ब्याज ब्यय	0.82 -	- (-)	0.82 -
लाभांश से अर्जित आय	18.56 (22.19)	- (-)	18.56 (22.19)
अन्य आय	0.97 (0.90)	(-)	0.97 (0.90)
अन्य व्यय	4.17 (2.28)	- (-)	4.17 (2.28)
जमीन/भवन/अन्य आस्तियों के विक्रय से आय	- (-)	- (-)	- (-)
प्रबधन कंट्रैक्ट	3.77 (1.92)	1.38 (1.32)	5.15 (3.24)
31 मार्च 2020 को बकाया			
उधारियां	- (-)	- (-)	- (-)
जमा	748.31 (47.18)	- (-)	748.31 (47.18)
अन्य देयताएं	28.35 (0.29)	- (-)	28.35 (0.29)
मांग एवं अल्प सूचना पर बैंक के पास शेष धन	300.00 (-)	- (-)	300.00 (-)
निवेश	11,015.61 (108.31)	- (-)	11,015.61 (108.31)
अग्रिम	113.50 (-)	- (-)	113.50 (-)
अन्य आस्तियां	229.52 (217.55)	- (-)	229.52 (217.55)
नॉन फंड कमिटमेंट्स (एल सी/बीजीएस)	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया			
उधारियां	- (-)	- (-)	- (-)
जमा	768.92 (207.32)	- (-)	768.92 (207.32)
अन्य देयताएं	28.35 (0.29)	- (-)	28.35 (0.29)
मांग एवं अल्प सूचना पर बैंक के पास शेष धन	300.00 (-)	- (-)	300.00 (-)
अग्रिम	113.50 (-)	- (-)	113.50 (-)
निवेश	11,015.61 (108.31)	- (-)	11,015.61 (108.31)
अन्य आस्तियां	229.52 (223.85)	- (-)	229.52 (223.85)
नॉन फंड कमिटमेंट्स (एल सी/बीजीएस)	- (-)	- (-)	- (-)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

वर्ष के दौरान कोई भौतिक महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन देन नहीं है।

3.5 लेखा मानक -19 "पट्टे":

3.5.1 वित्तीय पट्टा

01 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद वित्तीय पट्टे पर ली गई आस्तियाः वित्तीय पट्टों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान बकाया		
1 वर्ष से कम	42.59	24.58
1 से 5 वर्ष	105.50	65.08
5 वर्ष और उससे अधिक	28.47	-
योग	**176.56**	**89.66**
ब्याज लागत देय राशियां		
1 वर्ष से कम	8.86	6.03
1 से 5 वर्ष	14.72	7.89
5 वर्ष और उससे अधिक	3.69	-
योग	**27.27**	**13.92**
न्यूनतम पट्टा भुगतान देय राशियों का वर्तमान मूल्य		
1 वर्ष से कम	33.73	18.55
1 से 5 वर्ष	90.78	57.19
5 वर्ष और उससे अधिक	24.78	-
योग	**149.29**	**75.74**

3.5.2 परिचालन पट्टा

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की जानकारी नीचे प्रस्तुत है:

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और स्टाफ निवास शामिल हैं, जो समूह इकाइयों के विकल्प पर नवीकरण योग्य हैं।

रद्द होने योग्य नहीं परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की देयता नीचे प्रस्तुत की गई है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष तक	165.73	188.39
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	496.10	558.54
5 वर्ष के पश्चात	112.22	120.46
योग	774.05	867.39

इस वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतानों की राशि ₹3,556.87 करोड़ (पिछले वर्ष 8,522.61 करोड़).

3.6 लेखा मानक-20 'प्रति शेयर उपार्जन'

बैंक, लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय रिपोर्ट करता है। प्रतिशेयर "मूल आय" की गणना, वर्ष के दौरान, कर पश्चात समेकित (आधी हिस्सेदारी वाली संस्थाओं को छोड़कर) निवल लाभ/(हानि) बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर निकाली गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल एवं कम किया हुआ		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,45,87,534
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	Nil	24,000
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,45,91,479
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,45,91,479
निवल लाभ/(हानि) (₹ करोड़ में)	19,767.80	2,299.64
प्रति शेयर मूल आय (₹)	22.15	2.58
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	22.15	2.58
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	1.00	1.00

3.7 लेखा मानक- 22 'आय पर कर का लेखांकन'

i) वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते से ₹7502.08 करोड़ आस्थगित कर के रूप में डेबिट किए गए हैं। (पिछले वर्ष ₹878.16 करोड़ क्रेडिट किया गया)

ii) आस्थगित कर की प्रमुख मदों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	6,468.85	5,363.60
अग्रिमों के लिए प्रावधान	3,067.95	4,404.39
अन्य आस्तियों/अन्य देयताओं के लिए प्रावधान	665.72	753.11
बट्टे का परिशोधन संचित हानि पर	105.22	10,863.94
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि पर	809.99	235.77
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	146.56	50.00
डीटीए एसबीआई विदेशी कार्यालयों से	253.16	277.68
अन्य	180.50	220.38
योग	**11,697.95**	**22,168.87**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	96.86	99.44
प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रोद्भूत किंतु देय नहीं	4,563.17	6,389.76
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii)के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	3,531.63	4,690.10
डीटीएल एसबीआई विदेशी कार्यालयों से	6.16	2.33
अन्य	6.54	8.22
योग	8,204.36	11,189.85
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयताएँ)	3,493.59	10,979.02

iii) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर के प्रावधान को मानते हुए एसबीआई और कुछ समूह संस्थाओं ने कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के तहत अनुमत न्यूनतम टैक्स दर के विकल्प का प्रयोग किया है। तदनुसार, एसबीआई और कुछ समूह संस्थाओं ने उक्त खंड में निर्धारित टैक्स दर के आधार पर 31 मार्च, 2019 को अपनी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को फिर से मापा है और मैट क्रेडिट को रिवर्स किया है ।अब अपने पास नहीं रखा है। इन बदलावों का असर 3,166.37 करोड़ रुपये (शुद्ध अल्पसं ब्याज) का एकमुश्त चार्ज है जो समूह के कर खर्चों में शामिल है।

3.8 लेखा मानक -28 "आस्तियों की क्षति"

प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की क्षति का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की क्षति" लागू होती हो।

3.9 लेखा मानक - 29 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियांट

➢ **लाभ एवं हानि खाते में शामिल किए गए प्रावधान और आकस्मिक देयताओं का विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लाभ एवं हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दर्शाए गए "प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं" का विश्लेषण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	कराधान हेतु प्रावधान		
	- वर्तमान कर	4,372.77	1,982.02
	- आस्थगित कर	7,502.08	878.16
	- आय कर का प्रतिलेखन	264.91	(708.77)
ख)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	44,072.90	55,343.42
ग)	पुनर्रचित आस्तियों के लिए प्रावधान	(224.01)	(89.85)
घ)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(291.37)	20.51
ङ)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	628.11	(606.00)
च)	अन्य प्रावधान	603.07	131.03
	योग	**56,928.46**	**56,950.52**

(कोष्ठ के आंकड़े ऋण दर्शाते हैं)

➢ **अस्थिर प्रावधान:**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	आरंभिक शेष	193.75	193.75
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
ग)	वर्ष के दौरान आहरण	-	-
घ)	**इतिशेष**	193.75	193.75

➢ **आकस्मिक देयताओं के विवरण (लेखा मानक-29):**

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	समूह के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक एवं उसके संघटक विभिन्न कार्यवाहियों के पक्ष होते हैं। बैंक आशा नहीं करता कि इन कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ मामलों में कर निर्धारण अपीलें विचाराधीन हैं तथा बैंक उन विभिन्न मामलों में भी एक पक्ष है।
2	अंशतः प्रदत्त निवेशों/ उद्यम निधि पर देयता	यह मद, अंशतः चुकता निवेशों के लिए चुकता न की गई शेष राशि की देयता को दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	समूह अपने सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप के भाग के रूप में, भविष्य की किसी तारीख को पूर्व-निर्धारित दर पर मुद्रा परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं करता है। वायदा मुद्रा विनिमय संविदाएँ, संविदागत दर पर निर्धारित तारीख को विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्धता होती हैं। कल्पित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में संतुलन साधने के लिए सामान्यतः बैंक अंतर-बैंक बाजार में प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसका परिणाम बड़ी संख्या में बकाया लेनदेन होता है, और इसलिए संविभाग की सकल कल्पित मूल राशि की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है, जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम होता है।
4	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	अपनी सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में समूह, अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण तथा गारंटियाँ जारी करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः समूह की ओर से अप्रतिसंहरणीय (जिसे वापस न लिया जा सके) आश्वासन होता है कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है तो बैंक उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	समूह अपने लिए तथा ग्राहकों की ओर से अंतर-बैंक सहभागियों के साथ मुद्रा ऑप्शंस, वायदा दर करार, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर स्वैप में शामिल होता है। मुद्रा स्वैप, पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/मूल राशि के माध्यम से एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में विनिमय का नकदी प्रवाहों के परिवर्तन की प्रतिबद्धता हैं। ब्याज दर स्वैप, ब्याज की स्थिर तथा अस्थिर दर नकदी प्रवाहों के विनिमय की प्रतिबद्धताएँ हैं। आकस्मिक देयताएँ, संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के लिए बेंचमार्क के रूप में प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट राशियाँ हैं। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी अनुमानित राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, एसबीआई द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि खाते के अंतर्गत एसबीआई की देयताएँ और अन्य विविध आकस्मिक देयताएँ भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/ न्यायालय के बाहर समझौते, अपीलों के निपटान, राशियों की मांग, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, संबंधित पक्षों द्वारा माँग और उसे उद्भूत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

➢ **आकस्मिक देनदारियों के विषय में प्रावधानों में प्रगति:**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	आरंभिक शेष	534.75	526.29
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	137.34	113.95
ग)	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	7.13	66.22
घ)	वर्ष के दौरान उपयोग न की गई राशि की वापसी	31.24	39.27
ङ)	इतिशेष	633.72	534.75

4. समूह इकाइयों के बीच अंतर-बैंक/कंपनी शेषों का सतत आधार पर समाधान किया जा रहा है। चालू वर्ष में लाभ एवं हानि खाते पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

5. आरबीआई के सर्कुलर परिपत्र नं. डीबीआर.बीपी.बीसी संख्या 32/21.04.018/2018-19 दिनांक 1 अप्रैल, 2019, के अनुसार यदि आरबीआई द्वारा मूल्यांकित एनपीए के लिए अतिरिक्त आकलित प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले सूचित लाभ के 10% से अधिक है और/या अतिरिक्त सकल एनपीए आरबीआई द्वारा पहचाने गए संदर्भित

अवधि के लिए प्रकाट वृद्धिशील सकल एनपीए के 15% से अधिक है तो बैंकों को आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों से भिन्नता का खुलासा करना आवश्यक है

तदनुसार, निम्नलिखित प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2018-19 के लिए विचलन के संबंध में किया गया:-

आस्ति वर्गीकरण एवं एनपीए के लिए प्रावधान में फर्क

	विवरण	(₹ करोड़ में)
1.	31 मार्च, 2019 को एसबीआई द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए	1,72,750
2.	आरबीआई द्वारा 31 मार्च, 2019 को सकल एनपीए का आकलन	1,84,682
3.	सकल एनपीए में फर्क (2-1)	11,932
4.	एसबीआई अनुसार 31 मार्च, 2019 को रिपोर्ट किया गया शुद्ध एनपीए	65,895
5.	आरबीआई द्वारा 31 मार्च, 2019 को शुद्ध एनपीए का आकलन	77,827
6.	शुद्ध एनपीए में फर्क (5-4)	11,932
7.	एसबीआई अनुसार 31 मार्च, 2019 तक रिपोर्ट किए गए एनपीए के लिए प्रावधान	1,06,856
8.	आरबीआई द्वारा आकलन किए गए 31 मार्च, 2019 तक एनपीए के लिए प्रावधान	1,18,892
9.	प्रोविजनिंग में फर्क (8-7)	12,036
10.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात (पीएटी) के बाद शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया गया	862
11.	प्रावधान में विचलन को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कर (पीएटी) के बाद समायोजित (काल्पनिक) शुद्ध लाभ	(-)6,968

एसबीआई ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान उक्त विचलन के खिलाफ पूरा प्रावधान किया है।

6. आरबीआई के परिपत्र सं.डीओआर सं. बीपीबीसी 63/21.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 एसबीआई के मामले में कोविड-19 विनियामक पैकेज के संबंध में परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान नीचे है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
i.	संबंधित राशि जहां मोरेटोरियम / स्थगन बढ़ाया गया।	5,63,896.15
ii.	उपरोक्त (i) राशि में से जहां परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ बढ़ाया गया है।	6,250.31
iii.	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	1,172.00

7. वर्ष के दौरान धोखाधड़ी के रूप में घोषित अग्रिम खाते के मामले में, एसबीआई ने चार तिमाहियों में प्रावधान करने के लिए चुना है। आरबीआई के सर्कुलर डीबीआर के संदर्भ में 31 मार्च, 2020 तक 5,230.37 करोड़ रुपये की अमोघ प्रावधान राशि को "अन्य भंडारों" को क्रेडिट द्वारा "अन्य भंडार" में डेबिट कर दिया गया है। नं.BP.BC.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल 2016.

8. काउंटर चक्रीय प्रोविजनिंग बफर (सीसीपीबी)

आरबीआई ने सर्कुलर नंबर एक पर डीबीआर। नं BP.BC.79 /21.04.048/201415 दिनांक 30 मार्च, 2015 बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए बैंकों को 31 दिसंबर, 2014 तक उनके द्वारा धारित सीसीपीबी के 50 प्रतिशत तक उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

वर्ष के दौरान, एसबीआई ने एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया है।

9. दिवाला और दिवालियापन कोड (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत कवर खातों के लिए, आरबीआई के पत्र क्र.डीबीआर सं. बीपी.15199/21.04048/2016-17 और डीबीआर सं.बीपी. 1906/21.04.048/2017-18 क्रमशः दिनांकित 23 जून 2017 और 28 अगस्त 2017 एसबीआई में 31 मार्च, 2020 तक 5,761.46 करोड़ रुपये (कुल बकाया का 93.53%) का कुल प्रावधान है।

10. एसबीआई ने 01 नवंबर, 2017 को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 2,999 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2020 तक 8,642.41 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया है।

11. अनुसूची 14 "अन्य आय" के तहत निवेश (शुद्ध) की बिक्री पर लाभ / (हानि) में शामिल हैं:

i. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निवेश के कुछ हिस्से की बिक्री पर 3,190.97 करोड़ रुपए

ii. एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड में निवेश के कुछ हिस्से की बिक्री पर 2,590.59 करोड़ रुपये

12. तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का प्रस्ताव

आरबीआई के परिपत्र डीबीआर क्र. बीपी.बीसी.45/21.04.048/201819 दिनांक 7 जून 2019 के अनुसार एसबीआई ने अपने 9 उधारकर्ताओं के लिए जिनके पास 31 मार्च 2020 तक 14,487.28 करोड़ रुपये का एक्सपोजर है प्रस्ताव योजनाएं लागू की हैं।

इसके अलावा आरबीआई के परिपत्र डीओआर क्र. बीपी बीसी 62/21.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 के अनुसार को सबीआई ने अपने 4 कर्जदारों के लिए प्रस्ताव अवधि बढ़ा दी है, जिनके पास 31 मार्च 2020 तक 1,006.91 करोड़ रुपये का एक्सपोजर है।

13. आरबीआई ने 19 मई 2020 के एक ईमेल के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी कि ठक्या बैंक के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलताड वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए वैकल्पिक है।

एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बाद से स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इसकी रिपोर्ट करने का विकल्प किया है।

14. दुनिया भर में COVID-19 के प्रसार के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई है और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता में वृद्धि हुई है। इस स्थिति में हालांकि चुनौतियां लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन एसबीआई इससे निपटने के लिए सभी मोर्चों पर खुद को तैयार कर रहा है । स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और एसबीआई सतत आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है । एसबीआई के लिए बड़ी चुनौतियां विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्र और नकदी

प्रवाह में गिरावट से पैदा होंगी। इन शर्तों के बावजूद एसबीआई की तरलता और लाभप्रदता पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा ।

आरबीआई ने अधिसूचना सं.आरबीआई/2019-20/186 डीओआर संख्या बीपी बीसी 47/21.04.048/2019-20 दिनांक 27 मार्च 2020, COVID-19 द्वारा महामारी के कारण अवरोधों द्वारा उत्पन्न ऋण सर्विसिंग के बोझ को कम करने और व्यवहार्य व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के उपायों की घोषणा की है। इन उपायों में भुगतान-टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल सुविधाओं का पुनर्निर्धारण, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण को आसान बनाना, विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) आदि के रूप में वर्गीकरण शामिल है । तदनुसार बैंक ने निम्नलिखित प्रावधान किए हैं

- 6,250 करोड़ रुपये के बकाया वाले खातों के विरुद्ध 15 प्रतिशत की दर से 938 करोड़ रुपये का प्रावधान जो 29 फरवरी, 2020 तक मानक था लेकिन 31 मार्च 2020 तक एनपीए/अवमममानक श्रेणी में आ गया होता, क्योंकि 31 मार्च 2020 को आरबीआई के ऋण सेवा राहत की गणना नहीं की गई थी।
- उपरोक्त खातों के संबंध में, परिचालन लाभ में 234 करोड़ रुपये की ब्याज आय की गणना की गई है। हालांकि स्टैंडर्ड एसेट्स के एवज में 234 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

15. एसबीआई ने 30 जून2019 को अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है (पहले जून 2016 में पुनर्मूल्यांकन) बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकों से प्राप्त रिपोर्टों और 31 मार्च, 2020 को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के समापन शेष के आधार पर, (जनरल रिजर्व को हस्तांतरित राशि का शुद्ध) 23,762.67 करोड़ रुपये (पिछले साल 24,653.94 करोड़ रुपये) है।

16. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के संबंध में आईआरडीएआई ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34 (1) के तहत आदेश संख्या आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी /विविध/228/10/212 दिनांक 5 अक्तूबर 2012 द्वारा मास्टर पॉलिसी धारकों को भुगतान किए जाने वाले गए प्रशासनिक शुल्क 84.32 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 84.32 करोड़ रुपए) को वितरित करने के निर्देश जारी किए हैं। कंपनी ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के साथ उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसने 04 नवंबर, 2015 को मामले को वापस आईआरडीएआई को रिमांड पर लिया था। आईआरडीएआई ने 5 अक्टूबर, 2012 को जारी निर्देशों को दोहराते हुए 11 जनवरी, 2017 को और निर्देश जारी किए। कंपनी ने प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के साथ उक्त निर्देशों/आदेशों के खिलाफ अपील दायर की है जिसके संबंध में अंतिम निर्धारण लंबित है।

उपर्युक्त मामले में, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कंपनी की वित्तीय राशि में आकस्मिक देयता के रूप में एक अपेक्षित राशि दिखाई है।

17. एसबीआई द्वारा अपनाई गई लेखा नीति के अनुसार इसे फिर से बताने के बजाय आईआरडीएआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार जीवन और सामान्य बीमा सहायक कंपनियों के निवेश का हिसाब लगाया गया है। बीमा सहायक कंपनियों का 31 मार्च, 2020 तक कुल निवेश लगभग 13.34% है (पिछले वर्ष 12.74%) ।

18. आरबीआई परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी. 42/21.01.02/2007-08 के अनुसार मोचनीय अधिमानी शेयरों (यदि कोई हों) को देयताओं और उन पर देय कूपन को ब्याज के रूप में समझा गया है।

19 . वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य वर्गीकरण पर विचार किया गया है। तदनुसार, मूल कंपनी और इसकी अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त सांविधिक सूचना जो समेकित वित्तीय विवरणों की दृष्टि से सही एवं उचित नहीं है और इसी प्रकार ऐसी मदों से संबंधित सूचना जो महत्वपूर्ण नहीं है आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक परिभाषा की दृष्टि से समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं की गई है।

20. आरबीआई दिशानिर्देशों/लेखा मानकों के अनुरूप पहली बार चालू वर्ष के वर्गीकरण से मिलान के लिए जहाँ भी आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित/पुनर्वर्गीककृत किया गया है, अतः पिछले वर्ष के आंकड़ें नहीं दिए गए हैं।

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
एमडी
(आर एंड डीबी)

श्री अरिजित बसु
एमडी
(सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
एमडी
(जीबीएस)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जे.सी.भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार

श्री राजेश सेठी
पार्टनर
स.सं. : 085669
फर्म पं.सं.. : 001111N

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 05 जून, 2020

स्थान: नई दिल्ली

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ / (हानि) (सहयोगियों के लाभ का हिस्सा सहित परंतु अल्पांश हित को घटाकर)		31907,55,94	4451,05,72
समायोजन:			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास		3661,55,85	3495,89,21
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के विक्रय पर (लाभ) / हानि (निवल)		28,33,75	32,35,82
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि (निवल))		-	2124,03,82
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (लाभ)/हानि		(5573,62,96)	(466,47,81)
अनर्जक आस्तियों और उचित मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान		43848,89,01	55253,57,08
मानक आस्तियों पर प्रावधान		(291,36,52)	20,50,53
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		626,52,21	(606,00,24)
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान सहित अन्य प्रावधान		604,65,49	131,02,52
सहयोगियों के लाभ में हिस्सा		(2963,14,04)	(281,47,94)
सहयोगियों से लाभांश		(14,66,77)	(11,71,87)
पूंजी लिखतों पर ब्याज		4908,09,07	4222,27,24
		76742,81,03	**68365,04,08**
परिवर्तन:			
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)		333619,56,43	218362,77,89
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)		(89342,80,87)	41290,72,22
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(100670,42,40)	63373,44,50
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		(191306,40,41)	(321988,70,29)
अन्य देयताओं में वृद्धि / (कमी)		31602,72,76	4182,31,31
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(21857,44,26)	(35854,36,00)
		38788,02,28	37731,23,71
कर वापसी / (प्रदत्त कर)		(14859,49,11)	(8175,23,21)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(क)**	**23928,53,17**	**29556,00,50**
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(6031,06,06)	(63,53,05)
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर लाभ/(हानि)		5573,62,96	466,47,81
सहयोगियों से लाभांश		14,66,77	11,71,87
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में (वृद्धि) / कमी		(3065,01,13)	(3005,51,02)
समेकन पर साख में (वृद्धि) / कमी		184,08,19	1734,07,01
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ख)**	**(3323,69,27)**	**(856,77,38)**

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
(27 मार्च 2018 को जारी एवं आबंटित शेयरों पर व्यय/ जारी करने के व्ययों को घटाकर इक्विटी शेयरों के निर्गम से प्राप्त राशि)		-	(8,74,22)
पूंजीगत लिखतों का निर्गम / मोचन		8495,81,80	3377,60,00
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज		(4908,09,07)	(4222,27,24)
प्रदत्त लाभांश पर कर सहित		-	-
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों द्वारा प्रदत्त लाभांश		(65,04,00)	(120,69,39)
अल्पांश हितों में वृद्धि / (कमी)		1906,83,07	1421,74,62
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ग)**	**5429,51,80**	**447,63,77**
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवर्तनों का प्रभाव	**(घ)**	**2768,64,27**	**1076,28,67**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ)		**28802,99,97**	**30223,15,56**
1 अप्रैल को नकदी एवं नकदी समतुल्य		**225512,26,39**	**195289,10,83**
अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**254315,26,36**	**225512,26,39**
नोट:			
1) नकदी और नकदी समतुल्यों के घटकों की स्थिति:		**31.03.2020**	**31.03.2019**
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियां		166968,46,05	177362,74,09
बैंकों के पास जमाराशियां और मांग एवं अल्पसूचना पर प्राप्य : शेष		87346,80,31	48149,52,30
योग		**254315,26,36**	**225512,26,39**
2) परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा रिपोर्ट किया गया।			

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
एमडी
(आर एंड डीबी)

श्री अरिजित बसु
एमडी
(सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
एमडी
(जीबीएस)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जे.सी.भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार

श्री राजेश सेठी
पार्टनर
स.सं. : 085669
फर्म पं.सं.. : 001111N

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 05 जून, 2020

स्थान: नई दिल्ली

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

प्रति
निदेशक बोर्ड,
भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केंद्र
स्टेट बैंक भवन
मैडम कामा रोड, मुंबई

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक ("बैंक") के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2020 के समेकित तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ और हानि खाते तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण एवं समेकित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष की निम्नलिखित की विवरणियों के साथ - साथ अन्य विवरणात्मक सूचना जिसमें शामिल है:

   क. बैंक के लेखा परीक्षित परिणाम जिसे हमारे साथ-साथ केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा समीक्षा की गई है;

   ख. 27 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यम और 16 सहयोगियों की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों के द्वारा की गई है (14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित); और

   ग. 1 अनुषंगी और 2 एसोशिएट (1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)

   उपरोक्त इकाइयों को बैंक "समूह" के संदर्भ में लिया गया है।

   हमारी अभिमत में और हमें उपलब्ध जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, और सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारे विचार के आधार पर, अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और सहायक और सहयोगियों के अन्य वित्तीय जानकारी के रूप में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत समेकित वित्तीय विवरण भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप हैं और जो:

   क) 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र में समूह की सही और उचित स्थिति;

   ख) इसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ व हानि खाते में लाभ की सही जानकारी;

   ग) इसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित नकदी प्रवाह विवरण की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

अभिमत का आगार

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों की और अधिक जानकारी हमारी रिपोर्ट के समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के 'लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियांट भाग में दी गई है। आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधित नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र रूप से की गई है। हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हम आश्वस्त हैं कि हमने अपना अभिमत देने के लिए जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त और उचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

मामले पर जोर

3. हम आपका ध्यान कोविद-19 महामारी के प्रभाव के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 के नोट क्रमांक 14 की ओर आकर्षित करते हैं। स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक चुनौतियों के संबंध में निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है ।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है ।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले

4. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के समेकित बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन मामलों का समग्र समेकित बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में समाधान कर लिया गया है और इनके बारे में जानकारी हमने अपने अभिमत में शामिल कर ली है और हमने इन मामलों पर कोई अलग अभिमत नहीं दिया है। हमने निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में अपनी रिपोर्ट में किया है:

क्र . सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामल	लेखापरीक्षकों का उत्तर
i	भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों (अनुसूची 9 वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 की टिप्पणी 3 के साथ पढ़ी जाए) के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण और अनर्जक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान। अग्रिमों में खरीदे गए और भुनाए गए बिल, कैश क्रेडिट्स, मांग पर चुकौती योग्य ओवरड्राफ्ट ऋण और सावधि ऋण सम्मिलित हैं। इन्हें आगे मूर्त परिसंपत्तियों (बही ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित), बैंक/सरकार की गांरटियों द्वारा प्रत्याभूत और अप्रतिभूत अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।	हमारी अग्रिमों की लेखापरीक्षा कार्यविधि में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों और अन्य संबंधित परिपत्रों/निदेशों तथा बैंक की आंतरिक नीतियों एवं कार्यविधियों के संदर्भानुसार निम्नलिखित की परीक्षा भी की गई है: क. हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं के संबंध में आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, अर्जक और अनर्जक अग्रिम वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के लिए सिस्टम में दिए गए डेटा की यथार्थता;

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामल	लेखापरीक्षकों का उत्तर
	अग्रिमो मैं बैंक के कुल परिसंपत्तियों का हिस्सा 58. 85% है। इन पर अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी आय निर्धारण. आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड तथा अन्य परिपत्र और निदेश लागू होते हैं। इनमें अग्रिमों अर्जक और अर्जक अनर्जक वर्गीकरण संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं, सिवाय विदेश स्थित कार्यालयों, अग्रिम वर्गीकरण और उनके प्रावधाननीकरण स्थानीय विनियमों और भारतीय स्टेट बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लेखांकन नीति सं.3 के अनुसार आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के आधार पर करता है। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में की उचित व्यवस्था स्थापित करना शामिल होता है। बैंक अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों के खाते बैंक की अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) यानी कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में रखता है जिनसे अर्जक या अनर्जक अग्रिमों की पहचान होती हो। इसके अतिरिक्त, एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान राशि की गणना अन्य आईटी सिस्टम यानी सेन्ट्रलाइज्ड क्रेडिट डेटा प्रोसेसिंग (सीसीडीपी) ऐप्लीकेशन के माध्यम से की जाती है। इन अग्रिमों का रखाव मूल्य (प्रावधान घटाकर) अलग अलग या इकट्ठा देने में आईआरएसी मानदंडों का उचित रूप से पालन न होने पर कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है। लेनदेन की प्रकृति, नियामक अपेक्षाओं, वर्तमान व्यवसाय परिवेश, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में प्राक्कलन/विवेक प्रयोग और महत्ता को देखते हुए यह समेकित वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। इन पहलुओं को देखते हुए, हमने इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना है। तदनुसार, इनमें दी गई जानकारी के महत्व को देखते हुए हमारी लेखापरीक्षा अग्रिमों से संबंधित आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर केंद्रित रही है।	ख. मॉनीटरिंग व्यवस्थाओं जैसे बैंक की नीतियों और कार्यविधियों के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा, सिस्टम ऑडिट, क्रेडिट ऑडिट और दैनिक संगामी लेखापरीक्षा व्यवस्था की उपलब्धता और प्रभावशीलता; ग. भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र / दिशानिर्देश के अनुपालन के संबंध में तनावग्रस्त अग्रिमों सहित अग्रिमों की जांच; घ. हमने बाहरी आईटी सिस्टम विशेषज्ञों की रिपोर्टों की भी सहायता ली है विशेषकर एनपीए का पता लगाने, पहचान करने और श्रेणी निर्धारण करने तथा अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण करने एवं उनके लिए प्रावधान करने हेतु सीबीएस में प्रयुक्त बिजनेस लॉजिक्स/पैरामीटर्स के संबंध में। ङ. भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर्युक्त परिपत्र/ निदेशों के अनुसार प्रस्तुति एवं प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हमने सीसीडीपी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा वित्तीय विवरण तैयार करने के सॉफ्टवेयर के साथ अग्रिमों की मैपिंग की जांच की है। च. हमने अग्रिमों के विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता की भी परीक्षा की है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि सारभूत कार्यविधियों की प्रकृति, समय और व्याप्ति कैसी है और बैंक की मॉनीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत की गई विभिन्न लेखापरीक्षाओं एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण की टिप्पणियों का किस प्रकार अनुपालन किया जा रहा है; छ. हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं की सारभूत कार्यविधियों के पालन में हमने बड़े अग्रिमों/दबाव वाले अग्रिमों की जांच की है जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच की गई है। हमने बैंक प्रबंध मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा के आधार पर भी परीक्षा की है। ज. हमने अनर्जक निवेशो की पहचान करने और तदनुरूपी आय को रिवर्स करने एवं प्रावधान करने की प्रक्रिया की जांच और मूल्यांकन किया। झ. हमने इसमें अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की भी सहायता ली है जिनके साथ हमने इस विषय में विशेष रूप से चर्चा की है।
ii	निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (अनुसूची 8 वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 की टिप्पणी 2 के साथ पढ़ी जाए) निवेशों में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों और अन्य अनमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल हैं। निवेशों का बैंक की कुल परिसंपत्तियों में 26.50% हिस्सा है। इन पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के परिपत्र और निदेश लागू होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के इन निदेशों में अन्यों के साथ साथ निवेशों के मूल्यांकन, निवेशों के वर्गीकरण, अर्जक और अनर्जक निवेशों की पहचान, तदनुरूपी आय का गैर निर्धारण तथा उनके लिए प्रावधान करने को भी शामिल किया गया है।	हमारी निवेशों की लेखापरीक्षा कार्यविधि में भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/ निदेशों का डिजाइन की समीक्षा, परीक्षा, आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता और अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, निवेशों से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास का संदर्भ लेना शामिल है। विशेषकर: क. हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबद्ध दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था का मूल्यांकन किया और उसे समझा; ख. हमने इन निवेशों का उचित मूल्य जानने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया;

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामल	लेखापरीक्षकों का उत्तर
	उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी (टाइप) की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निदेशों के अनुसार करना होता है जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा/सूचना जैसे एफआईएमडीए दरों, बीएसई/एनएसई, अनलिस्टिड कंपनियों आदि के वित्तीय विवरण की प्राप्ति शामिल है। मूल्यांकन की जटिलताओं और विवेक प्रयोग तथा लेनदेनों की मात्रा और हस्तगत निवेशों की मात्रा और नियामक के इस पर फोकस को देखते हुए, इसे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों में शामिल किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित रही।	ग. हस्तगत निवेशों के चुनिंदा नमूने के लिए, हमने इनके ठीक होने और भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों का अनुपालन किए जाने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र में प्रत्येक श्रेणी की प्रतिभूति का मूल्यांकन फिर से करने संबंधी निदेशों के पालन की स्थिति की भी परीक्षा की। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद ही किया गया कि सभी श्रेणियों के निवेशों का (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में समावेश हो जाए; घ. हमने एनपीआई और आय के तदनुरूपी रिवर्सल एवं प्रावधान राशि की गणना की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया; ङ. हमने सारभूत लेखापरीक्षा कार्यविधियां अपनाते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों के अनुसार प्रावधान राशि और मूल्यह्रास की राशि की भी अलग से फिर से गणना की है। तदनुसार हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों के चुनिंदा नमूने एकत्रित किए और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार एनपीआई की गणना की परीक्षा की तथा उन चुनिंदा नमूना एनपीआई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों के अनुसार किए गए प्रावधान की राशि की भी फिर से गणना की; च. हमने निवेश ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के बीच निवेशों की मैपिंग की परीक्षा की जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति का पता लगाया जा सके।
iii	प्रावधानों एवं आकस्मिक देयताओं का कतिपय कानूनी कार्यवाहियों के संबंध में निर्धारण, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर तथा दूसरी पार्टियों द्वारा फाइल किए गए विभिन्न दावों सहित कुछ दावों को ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न करना (अनुसूची 12 वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की टिप्पणी 3.9 के साथ पढ़ी जाए): प्रोविजनिंग के स्तर का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय विवेक की आवश्यकता होती है। जहाँ आवश्यक समझा गया, बैंक के आकलन के साथ साथ विधिक और स्वतंत्र कर सलाहकारों का परामर्श भी लिया जाता है। तदनुसार बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई लाभ और तुलन-पत्र की स्थिति पर अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। हमने उपर्युक्त विषय को इन मामलों के परिणामों की अनिश्चितता और कानून की व्याख्या में विवेक प्रयोग को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा का मामला माना है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा संबंधित मामलों के तथ्यों के विश्लेषण और कानूनी निर्णयों/व्याख्या पर केंद्रित रही।	हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि में निम्नलिखित शामिल रहे:- क. लेखा परीक्षा संबंधी आंतरिक नियंत्रण को समझना, जिससे हम परिस्थितियों के अनुरूप अपनी लेखा परीक्षा कार्य विधियां निर्धारित कर सकें। ख. कानूनी कार्यवाही/कर निर्धारण की वर्तमान स्थिति को समझना। ग. हाल के आदेशों और/या विभिन्न कर प्राधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त सूचना और उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की परीक्षा। घ. संबंधित मामलों में स्वतंत्र विधिक/कर संसूचना में प्रस्तुत आधारों के संदर्भ में गुण-दोषों का मूल्यांकन। और; ङ. संबंधित मामलों में चर्चा की, विवरण प्राप्त कर बैंक की मंशाओं और परिणाम की संभाविता तथा उन प्रकरणों के कारण संभावित परिणाम बहिर्गमन की समीक्षा और मूल्यांकन का विश्लेषण। च. महत्वपूर्ण तकरारों एवं कराधान मामलों से संबंधित प्रकटीकरणों का सत्यापन करना।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामल	लेखापरीक्षकों का उत्तर
iv	कोविद-19 महामारी फैलने की वजह से लेखापरीक्षा कार्यविधियों में संशोधन : कोविद 19 महामारी के कारण केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन एवं यात्रा प्रतिबंध के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को दूरस्थ व्यवस्था द्वारा लेखापरीक्षा कार्य करने के निदेश दिए गए, जहां भौतिक रूप से जाना संभव नहीं था। शाखाओं/मंडल/प्रशासनिक/कॉरपोरेट कार्यालयों के अधिकारियों के साथ व्यक्तिशः/आमुख वार्ता/चर्चाओं एवं वैयक्तिक बातचीत के जरिए लेखापरीक्षा का प्रमाण हमारे द्वारा प्राप्त नहीं किए जाने के कारण हमने संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि को प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना है। तदनुसार दूर से लेखा परीक्षा को पूरा करने के लिए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में संशोधन किया गया	कोविद 19 महामारी के कारण केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन एवं यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हम शाखाओं/मंडल/प्रशासनिक/कॉरपोरेट कार्यालयों की यात्रा कर नहीं पाएँ और संबद्ध कार्यालयों पर भौतिक रूप से लेखापरीक्षा प्रक्रिया पूरी कर नहीं पाएँ। जहां कहीं भी जाना संभव नहीं था, वहाँ डिजिटल माध्यम, ई-मेल एवं दूरस्थ व्यवस्था से सीबीएस, सीसीडीपी एवं अन्य संबद्ध एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की सुविधा के जरिए हमें आवश्यक अभिलेख/रिपोर्ट/दस्तावेज़/प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए गए। हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों एवं अभिलेखों के आधार पर लेखापरीक्षा कार्य किया गया। वर्तमान अवधि के दौरान लेखापरीक्षा कार्य करने और रिपोर्टिंग के लिए इन पर लेखापरीक्षा प्रमाण का सहारा लिया गया। तदनुसार हमने अपनी लेखापरीक्षा कार्यविधियों में निम्नानुसार संशोधन किए हैं : क. जहां जाना संभव नहीं था, वहाँ बैंक की कुछ शाखाओं/स्थानीय प्रधान कार्यालयों/प्रशासनिक कार्यालयों एवं अन्य कार्यालयों का दूरस्थ व्यवस्था से/ई-मेल के जरिए आवश्यक अभिलेखों/दस्तावेजों/सीबीएस/सीसीडीपी का सत्यापन किया। ख. ई-मेल के जरिए एवं बैंक के सुरक्षित नेटवर्क के दूर से उपयोग की सुविधा से हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, विलेखों, प्रमाणपत्रों एवं संबद्ध अभिलेखों की स्कैन की गई प्रतियों का सत्यापन किया। ग. वीडियो कान्फरेंसिंग, मोबाइल पर बातचीत एवं चर्चा, ई-मेल एवं ऐसे संवाद माध्यमों के जरिए पूछताछ करना एवं आवश्यक लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना। घ. हमारी लेखा परीक्षा टिप्पणियों का समाधान नामित अधिकारियों के साथ आमने-सामने की बातचीत के बजाय टेलीफोन/ईमेल के माध्यम से किया गया।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अतिरिक्त सूचना

5. अन्य सूचना तैयार करने में बैंक का निदेशक बोर्ड जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट सम्मिलित हैं, (लेकिन इसमें समेकित बैंक के वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जो इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जारी करने के समय प्राप्त किया जाएगा और निदेशकों की रिपोर्ट, जो हमें उस तिथि के बाद प्राप्त होनी है।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना और बासेल III प्रकटीकरण को कवर नहीं करता और हम उस पर कोई आश्वासन-निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं/नहीं करेंगे।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर चिह्नित अन्य सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य सूचना समेकित बैंक के वित्तीय विवरणों से वस्तुपरक रूप से असंगत है अथवा लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा प्राप्त की गई हमारी जानकारी वस्तुपरक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।

यदि हमें इस लेखापरीक्षा की तिथि से पहले प्राप्त अन्य सूचना पर किए गए हमारे कार्य के आधार पर निष्कर्ष देना हो तो इस अन्य सूचना को वस्तुगत दृष्टि से त्रुटिपूर्ण कहा जा सकता है। हमसे अपेक्षित है कि हम इस तथ्य की सूचना दें। हमें इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं देनी है।

यदि हम बैंक की निदेशक रिपोर्ट अनुलग्नकों सहित पढ़ते हैं और यह निष्कर्ष देते हैं कि यह वस्तुगत रूप से त्रुटिपूर्ण है, तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि इसकी सूचना गवर्नेंस से जुड़ें लोगों को दें और प्रयोज्य कानूनों व विनियमों के अनुसार लागू कार्रवाई बताएं।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए गवर्नेंस से जुड़ें लोगों और प्रबंध मंडल के दायित्व

6. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानकों लेखा मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण", लेखा मानक 23 "एसोशिएट में निवेश के समेकित वित्तीय विवरण" तथा लेखा मानक 27 "संयुक्त उद्यम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग" सहित भारत में सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांतों, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 की शर्तों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों

व दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के नकदी प्रवाह और उसकी वित्तीय स्थिति व वित्तीय निष्पादन की सही व सटीक जानकारी प्रस्तुत करने वाले इन केवल बैंक के विवरणों को तैयार करने का दायित्व बैंक के निदेशक बोर्ड का है। इस दायित्व में यह भी शामिल है कि बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम की शर्तों के अनुसार लेखा अभिलेखों का समुचित रखरखाव किया जाए, धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचा जाए तथा उनका पता किया जाए, ऐसे निर्णय और आकलन किए जाएं जो औचित्यपूर्ण व विवेकपूर्ण हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन व रखरखाव करें जो हम लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कर रहे थे, वित्तीय विवरणियों की तैयारी व प्रस्तुति सुसंबद्ध हो जो सही एवं सटीक छवि प्रस्तुत करे और वस्तुगत गलतबयानी से परे हों, चाहे ऐसा धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय संबंधित प्रबंधन का दायित्व है कि वह संबंधित समूह को एक कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करे और जहाँ लागू हो, कार्यशील संस्था से संबंधित विषय प्रकट करते हुए, कार्यशील संस्था के स्वरूप के आधार पर लेखा तैयार करे, जब तक समूह का परिसमापन या परिचालन समाप्त करने की प्रबंध मंडल की मंशा नहीं हो, या ऐसा करने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प उसके पास न हो।

समूह संस्थाओं के निदेशक मंडल भी संबंधित समूह इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं ।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करनेवाले लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

7. हमारा उद्देश्य यह है कि बैंक के समेकित वित्तीय विवरण, संपूर्ण रूप में धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हों, इसका उचित आश्वासन प्राप्त करना और हमारे अभिमत के साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। उचित आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन माना जाता है मगर यह गारंटी नहीं देता कि सांविधिक लेखा परीक्षा के आधार पर की गई लेखापरीक्षा में पाई गई गलत बयानी का दोष निकल पाएगा। गलत बयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न होती है और उन्हें ठोस माना जाएगा यदि अलग या समग्र रूप से इन बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके यूसर्स द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव डालती है।

एसए के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा के अनुसार हम लेखापरीक्षा के सभी स्तरों पर व्यावसायिक विवेक और व्यावसायिक संशय बनाए रखते हैं। निम्नलिखित भी इसके दायरे में है:

- समेकित वित्तीय विवरणों में निहित गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और समीक्षा करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा कार्यविधि डिजाइन करना और उस पर कार्रवाई करना और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो कि हमारे अभिमत का पर्याप्त तथा संगत आधार बने। धोखाधड़ी के कारण की गई गलत बयानी की पहचान न करने का जोखिम, त्रुटिवश की गई गलत बयानी से भारी हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की भरमार भी हो सकती है।
- उपयोग में लाई गई लेखा नीतियों की युक्तिसंगतता तथा प्रबंध मंडल द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों और संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- प्रबंध मंडल द्वारा कार्यशील बैंक आधार पर लेखा रखने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष के रूप में तथा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, कि क्या ऐसी घटना या परिस्थिति के आधार पर कोई तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है, जिससे कार्यशील समूह की संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर संशय होता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि तात्विक अनिश्चितता पाई गई है तो हमें केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान देना अपेक्षित होगा या प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं हैं तो हमारे अभिमत को संशोधित करना अपेक्षित होगा। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक के लेखापरीक्षा प्रमाण पर निर्भर हैं। हालांकि भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण बैंक कार्यशील संस्था नहीं भी बना रह सकता है।
- प्रकटीकरण सहित, समूह की संस्था के समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति तथा विषयवस्तु तथा बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है, इसका मूल्यांकन करना।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानी की मात्रा, अलग-अलग रूप से या समग्र रूप से जिससे कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णय लेनेवाले जानकार यूज़र संभवतः प्रभावित हो सकता है। (i) हमारी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाते समय और हमारे कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करते समय तथा (ii) वित्तीय विवरणों में पाई गई गलत बयानी का मूल्यांकन करते समय हम मात्रात्मक विषयवस्तु और गुणात्मक घटकों पर विचार करते हैं।

हम, गवर्नेंस से जुड़ें लोगों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध क्षेत्र और उसकी अवधि, लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते है।

हम, गवर्नेंस से जुड़ें लोगों को एक विवरणी प्रस्तुत करते हैं जिसमें हमारे द्वारा स्वतंत्रता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं के अनुपालन करते हुए लेखापरीक्षा की गई है और उन्हें संबंधों तथा अन्य मामलोंकी जानकारी दें जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले हैं और जहां लागू हो, वहां उससे संबंधित सावधानियों की भी जानकारी दें।

गवर्नेंस से जुड़ें लोगों को जिन मामलों की जानकारी दी जाए उनमें से हम चालू अवधि के बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कि दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मामलों के रूप में शामिल करें इसलिए ये मामले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण मामलों का वर्णन करते है बशर्ते कि लागू कानून या विनियमों में इनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक नहीं लगाई गई हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्णय लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस मामले की सूचना न दी जाए क्योंकि उसके विपरीत नतीजे जनहित के लिए घातक साबित हो सकते है।

अन्य मामले

8. हमने समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया है:

क. हमने 13 संयुक्त लेखापरीक्षकों सहित समेकित वित्तीय विवरण में शामिल 9,169 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है जिसमें 31 मार्च 2020 को समाप्त बैंक के कुल अग्रिमों का ₹30,87,788.72 करोड़ और कुल ब्याज आय ₹1,20,151.17 करोड़ शामिल है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा, शाखा के लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिसे हमें उपलब्ध कराया गया है और हमारे अभिमत में इन शाखाओं के संबंध में दी गई जानकारियां एवं प्रकटीकरण पूर्णतः उन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

ख. हमने 27 (सत्ताइस), 8 (आठ) संयुक्त उद्यम अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण में 31 मार्च 2020 को ₹2,60,823.39 करोड़ की कुल आस्ति, कुल राजस्व ₹69,349.38 करोड़ और शुद्ध बाह्य नकदी प्रवाह शामिल है वर्ष के लिए उस तारीख को समाप्त हो गया, जैसा कि समेकित वित्तीय वक्तव्यों में माना जाता है। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में समूह के 16 (सोलह) सहयोगियों के ₹2,948.53 करोड़ के शुद्ध लाभ की हिस्सेदारी भी शामिल है जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है। इन वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारा अभिमत जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में शामिल राशि और खुलासे से संबंधित है, और अब तक की हमारी रिपोर्ट में यह उपरोक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

ग. हमने 1 (एक) सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2020 को ₹6,848.63 करोड़ की कुल संपत्ति को दर्शाते हैं तथा कुल राजस्व ₹256.09 करोड़ औरशुद्ध नकदी आंतरिक प्रवाह की राशि वर्ष के लिए समाप्त उस तारीख को समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है। 2 (दो) सहयोगियों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2020 को समूह का ₹14.61 करोड़ शुद्ध लाभ भी शामिल है जिसकी लेखा परीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है। इन वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारा अभिमत जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में शामिल राशि और खुलासे से संबंधित है, और अब तक की हमारी रिपोर्ट में यह उपरोक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

हमारा विचार समेकित वित्तीय वक्तव्यों के संबंध में संशोधित नहीं किया गया है। उपरोक्त मामले किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

9. समूह की सहायक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने सूचित किया है कि सक्रिय जीवन बीमा पॉलिसी के लिए देनदारियों और रिपोर्ट नहीं की गई उपचयित देयताओं (आईबीएनआर) और दावे जो उपचयित नहीं हैं और रिपोर्ट भी नहीं किए गए (आईबीएनईआर) के बीमांकक मूल्यांकन की जिम्मेदारी कंपनी द्वारा नियुक्त बीमांकक की है (नियुक्त बीमांकक)। 31 मार्च 2020 तक सक्रिय जीवन बीमा पॉलिसी के लिए देनदारियों और ऐसी पॉलिसी जिनके प्रीमियम नहीं प्राप्त हो रहा है किंतु जिसकी देयता है उसे नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित किया गया है इस तरह के मूल्यांकन के लिए भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ("आईआरडीएऐ/डप्राधिकरण") और भारत के एक्चुएरी संस्थान के साथ सहमति में जारी दिशा-निर्देशों और मानदंडों के अनुसार है। सक्रिय जीवन बीमा पॉलिसी के लिए देनदारियों और ऐसी पॉलिसी जिनके प्रीमियम नहीं प्राप्त हो रहा है के संबंध में हम इस संबंध में नियुक्त किए गए बीमांकक के प्रमाणपत्र पर भरोसा करते हैं अपना अभिमत बनाने के लिए इन पर ही भरोसा करते हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पैराग्राफ 5 से 8 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटीकरणों की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि:

क. हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है;

ख. हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं; तथा

ग. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

कृते जे.सी.भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं 001111N

(राजेश सेठी)
पार्टनर
सदस्यता सं. 085669
यूडीआईएनः 20085669AAAABB7435

स्थानः मुंबई
दिनांकः 05 जून, 2020

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित)

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार

डीएफ-1 : लागू करने का कार्यक्षेत्र

भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है, जिस पर बासेल III मानदंड लागू होते हैं। इस समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्तया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं, जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक/दिशानिर्देश नोट शामिल होते हैं।

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

क) समूह की उन इकाइयों की सूची, जिन्हें 31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए समेकन हेतु विचार किया गया

निम्नलिखित अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों को शामिल कर एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
2	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
3	एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
4	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
5	एसबीआई कैप (युके) लिमिटेड	युके	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
6	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड	सिंगापुर	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
7	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
8	एसबीआई पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
9	एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
10	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
11	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
12	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
13	एसबीआई फंड्स मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
14	एसबीआई फंड्स मेनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड	मारिशस	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
15	एसबीआई काड्र्स एंड पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
16	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया	यूएसए	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
17	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
18	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को	रूस	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
19	एसबीआई(मारिशस) लिमिटेड	मारिशस	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
20	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
21	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
22	नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
23	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	बोत्सवाना	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
24	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राजील	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
25	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	यूके	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
26	एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
27	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
28	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
29	सी-एज टेक्नोलजीस लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
30	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
31	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
32	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	सिंगापुर	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
33	मैकवरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	बेरमुडा	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
34	ओमन इंडिया ज्वाइंट इनवेस्टमेंट फंड-मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
35	ओमन इंडिया ज्वाइंट इनवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
36	जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
37	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
38	अरूणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
39	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
40	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
41	मेघालय ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
42	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
43	मिजोरम ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
44	नागालैंड ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
45	पूर्वांचल बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
46	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
47	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
48	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
49	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
50	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
51	तेलंगाणा ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
52	द क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
53	येस बैंक लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
54	बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड	भूटान	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

ख. समूह की उन संस्थाओं की 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार सूची, जिन्हें लेखा और नियंत्रक दोनों के समेकन में शामिल नहीं किया गया है

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसे कि विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	संस्था के पूंजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों को नियंत्रक द्वारा मान्यता	कुल तुलनपत्र आस्तियां (जैसे कि विधिक संस्था के तुलनपत्र में उल्लिखित है)
1	एसबीआई फाउंडेशन	भारत	एक अलाभकारी कंपनी जो कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों पर ध्यान दें सके	29.15	99.72%		29.45
2	एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड	भारत	परिसमापन के अधीन	लागू नहीं	25.05%		लागू नहीं

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

ग) नियंत्रक समेकन में शामिल संस्थाओं की 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार सूची

निम्नलिखित शामिल समूह संस्थाओं को विनियामक दायरे के अंतर्गत विवरण तैयार किए गए हैं :

(रु. करोड़ में)

क्र.सं	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)#
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	मर्चेन्ट बैंकिंग एवं सलाहकारी सेवाएँ	1,619.14	1,679.13
2	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	भारत	सिक्युरिटीज ब्रोंकिग एवं इसकी सहायक सेवाएँ तथा वित्तीय उत्पादों का अन्य पक्ष को वितरण	359.71	673.71
3	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप कार्यकलाप	112.71	116.39
4	एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड	भारत	वेंचर कैपिटल फंड के लिए आस्ति प्रबंधन कंपनी	82.75	86.10
5	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड	सिंगापुर	व्यवसाय एवं प्रबंधन सलाहकार सेवाएँ	62.02	63.28
6	एसबीआई कैप (यूके) लिमिटेड	यूके	कॉरपोरेट वित्त की व्यवस्था करना और सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करना	-	-
7	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक विक्रेता	1,057.71	11,193.67
8	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए ट्रस्टीशिप सेवाएँ	32.18	32.22
9	एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लिमिटेड	भारत	फ़ैक्टरिंग सेवाएं	318.43	1,237.39
10	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट	भारत	एनपीएस ट्रस्ट को उन्हें आबंटित आस्तियों का प्रबंधन	40.71	42.06
11	एसबीआई पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	पेमेंट सोल्युशन सर्विसेस	1,416.38	1,559.74

(रु. करोड़ में)

Sr. No.	Name of the entity	Country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) $#	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)#
12	एसबीआई फंड्स मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए आस्ति प्रबंधन सेवाएँ	1,904.07	2,010.61
13	एसबीआई फंड्स मेनेजमेंट (इन्टरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेज	मॉरिशस	निवेश प्रबंधन सेवाएँ	1.95	3.19
14	एसबीआई काड्र्स एंड पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	क्रेडिट कार्ड व्यवसाय	4,954.58	25,421.69
15	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	कस्टडी एवं फंड एकाउंटिंग सेवाएँ	221.87	427.43
16	एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड	भारत	कार्ड प्रोसेसिंग एवं अन्य सेवाएँ	-	-
17	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया(कैलिफोर्निया)	यूएसए	बैंकिंग सेवाएँ	1,097.62	6,923.32
18	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	बैंकिंग सेवाएँ	828.04	6,848.63
19	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को	रूस	बैंकिंग सेवाएँ	205.13	366.42
20	एसबीआई (मॉरिशस) लिमिटेड	मारिशस	बैंकिंग सेवाएँ	1,094.58	6,472.07
21	पीटी बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया	इन्डोनेशिया	बैंकिंग सेवाएँ	667.56	2,509.80
22	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल	बैंकिंग सेवाएँ	924.93	8,142.11
23	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया(यूके) लिमिटेड	यूके	बैंकिंग सेवाएँ	1,737.01	16,391.60
24	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	बोत्सवाना	बैंकिंग सेवाएँ	73.56	219.18
25	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राज़ील	प्रतिनिधि कार्यालय सेवाएँ	1.55	1.62
26	नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	मर्चेन्ट बैंकिंग एवं सलाहकारी सेवाएँ	14.22	14.87

$ इक्विटी पूंजी, आरक्षित और अधिशेष शामिल हैं
# आईजीएएपी के अनुसार देशीय संस्थाओं के मामलें हेतु और संबंधित स्थानीय निगमों के अनुसार विदेशी संस्थाओं के मामलें हेतु

(घ) सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि जो नियंत्रक समेकन के क्षेत्र में शामिल नहीं है, अर्थात जो घटा दी गई है :

अनुषंगी का नाम/उस देश का नाम, जहां निगमन हुआ है	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूंजी की कमी
		निरंक		

(ड) बीमा संस्थाओं में बैंक के उन कुल हितों की सकल राशि, (अर्थात वर्तमान बही मूल्य) जो जोखिम भारित है:

अनुषंगी का नाम/उस देश का नाम, जहां निगमन हुआ है	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूर्ण कटौती पद्धति का उपयोग न करके जोखिम भार पद्धति का उपयोग करने पर नियंत्रख पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
		निरंक		

(च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या नियंत्रक पूंजी के अंतरण में कोई प्रतिबंध अथवा बाधा:

अनुषंगियाँ	प्रतिबंध
एसबीआई कैलीफोर्निया	विनियमों के अनुसार मूल बैंक को पूंजी हस्तांतरित करने का एक मात्र माध्यम लाभांश का भुगतान अथवा शेयरों का बाइबैक अथवा मूल बैंक को पूंजी का प्रत्यावर्तन है।
एसबीआई कनाडा	मूल बैंक को किसी भी प्रकार की पूंजी (इक्विटी अथवा ऋण) हस्तांतरित करना से पूर्व नियामक(ओएसएफआई) की पूर्व अनुमति।
बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	बैंक ऑफ बोत्सवाना की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात बैंकिंग समूह/समूह कंपनी में नियामक पूंजी का हस्तांतरण अनुमत है। बैंक द्वारा आज की तिथि में पूंजी के रखरखाव के लिए बोर्ड द्वारा सांविधिक लेखा-परीक्षक के प्रमाणपत्र से इसे अनुमोदित करवाना चाहिए।
एसबीआई मॉरिशस लिमिटेड	एसबीआई मॉरिशस लिमिटेड मूल बैंक सहित शेयरधारकों को लौटा दी जानी वाली बैंक की पूंजी कम करने पर विनियामक प्रतिबंध हैं। पूंजी में कोई भी कमी या तो लाभांश के भुगतान या वर्णित पूँजी में कमी करके जैसा कि बैंकिंग अधिनियम एवं मॉरिशस के कंपनी अधिनियम में दिया गया है, के माध्यम से ही हो सकते है। भुगतान की जानी वाली राशि, एसबीआईएमएल के पर्याप्त पूँजी धारण और तरलता अनुपात की विनियामक आवश्यकताओं के अधीन है। (क) जब तक पूँजी के रूप में बताई गई राशि अथवा समनुदेशित पूँजी की राशि अथवा 400 मिलियन रूपयों के बराबर की राशि को बैंक द्वारा मॉरिशस में बनाए रखा नहीं जाता, तब तक केंद्रीय बैंक उसे कोई भी लाइसेन्स नहीं देगा अथवा बैंक बैंकिंग लाइसेन्स रख नहीं सकता। (ख) प्रत्येक बैंक 10 प्रतिशत अथवा बैंक की जोखिम आस्तियों एवं अन्य प्रकार की जोखिमों के मामले में केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित उच्चतर अनुपात में मारिशस में पूँजी बनाए रखेगा।
बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया	बैंक को बुक II बैंक के साथ साथ विदेशी विनिमय बैंक के रूप में परिचालन करने के योग्य बनने के लिए न्यूनतम विनियामक पूँजी रखना होगा। तथापि पर्याप्त लाभ कमाने के बाद लाभांश के रूप में निधियों के हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी।
नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल के कानून के अंतर्गत कंपनी की आस्तियां एवं देयताएँ विशेष और गैर-हस्तांतरणीय होती हैं। इसीलिए बैंकिंग समूह के भीतर निधियों अथवा विनियामक पूँजी का हस्तांतरण संभव नहीं है।
सीबीआईएल	बैंकिंग समूह के भीतर निधियों अथवा विनियामक पूँजी के हस्तांतरण पर कोई भी प्रतिबंध अथवा बाधाएँ नहीं हैं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	विनियामक न्यूनतम आवश्यकता से अधिक पूँजी होने पर एसबीआई यूके बोर्ड तथा विनियामक पीआरए के अनुमोदन से अतिरिक्त पूँजी मूल बैंक को (लाभांश अथवा कम की गई पूँजी के द्वारा) वापस की जा सकती है। तथापि एसबीआई (यूके) लिमिटेड विनियामक व्यवसाय आयोजना में पीआरए के प्रति प्रतिबद्ध है कि वह अनुषंगी के विकास और उसकी पूंजीगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मध्यावधि में पूँजी कम नहीं करेगा अथवा लाभांश घोषित नहीं करेगा।

तालिका डीएफ-2 पूँजी पर्याप्तता

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों के लिए अपनी पूँजी पर्याप्तता की स्थिति के आकलन की बैंक की पद्धति का संक्षिप्त विवेचन।

- भारतीय रिज़र्व बैंक की नए पूँजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएएफ) दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक एवं उसकी बैंकिंग अनुषगियाँ वार्षिक आधार पर आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) अपनाती है। इस आईसीएएपी में पूँजी आयोजन प्रक्रिया का पूरा ब्योरा दिया जाता है और इसमें निम्नलिखित के जोखिमों के मापन, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूँजी आवश्यकता एवं तनाव परीक्षण के साथ मूल्यांकन किया जाता है :
  - ऋण जोखिम
  - परिचालन जोखिम
  - चलनिधि जोखिम
  - अनुपालन जोखिम
  - पेंशन निधि दायित्व जोखिम
  - प्रतिष्ठा जोखिम
  - ऋण जोखिम न्यूनीकरण से शेष जोखिम
  - प्रतिभा जोखिम
  - बीमा व्यवसाय संबंधी जोखिम बाज़ार जोखिम
  - ऋण संकेन्द्रण जोखिम
  - बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
  - देश जोखिम
  - कार्यनीतिक जोखिम
  - मॉडल जोखिम
  - संक्रामक जोखिम
  - साइबर जोखिम
  - हामीदारी जोखिम
- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में अनुमानित निवेश भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके अनुषंगियों (देशी/विदेशी) के अग्रिमों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 3 से 5 वर्षों की मध्यम अवधि के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण वार्षिक आधार पर अथवा जरूरत के अनुसार उससे अधिक बार किया जाता है। यह विश्लेषण भारतीय स्टेट बैंक एवं स्टेट बैंक समूह के लिए अलग अलग किया जाता है।
- बैंक एवं समूह का सीआरएआर 3 से 5 वर्षों की मध्यम अवधि के लिए विनियामक सीएआर से अधिक होने की संभावना है। तथापि पर्याप्त पूंजी बनाए रखने के लिए बैंक के पास इक्विटी के अलावा जब किसी भी जरूरत होने पर अधीनस्थ ऋण, शाश्वत संचयी अधिमान शेयर(पीसीपीएस), मोचनीय असंचयी अधिमान शेयर(आरएनसीपीएस), मोचनीय संचयी अधिमान शेयर(आरसीपीएस), शाश्वत ऋण लिखत (पीडीआई)
- विदेशी अनुषंगियों की कार्यनीतिक पूंजी आयोजन में आस्तियों की वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी का निर्धारण तथा विभिन्न स्थानीय विनियामक एवं विवेकपूर्ण मानदंडों की पूर्ति के लिए अपेक्षित पूंजी शामिल होती है। आस्तियों के संवर्धित स्तर को सहायता देने तथा पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने के लिए सीईटी 1/एटी 1/टियर 2 की पूंजी जुटाने की वैयक्तिक अनुषंगियों की क्षमता के बारे में संतुष्ट होने के बाद संवृद्धि आयोजना का अनुमोदन मूल बैंक द्वारा किया जाएगा।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकताः	
● मानक पद्धति के लिए पूंजी की आवश्यकता	₹ 1,58,699.61 crs.
● निवेश का प्रतिभूतिकरण	निरंक

	कुल ₹ 1,58,699.61 crs

(ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता:	
● मानक अवधि पद्धति;	
- ब्याज दर जोखिम	₹ 9,913.47 crs.
- विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	₹ 172.00 crs.
- इक्विटी जोखिम	₹ 6109.75 crs.
	कुल ₹ 16,195.22 crs.
(घ) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता:	
● मूल संकेतक पद्धति	₹ 20,073.11 crs.
● मानक पद्धति (यदि लागू हो)	**कुल ₹ 20,073.11 crs.**

(ड) समान इक्विटी साझा 1, श्रेणी 1 एवं कुल पूंजी अनुपात:
- शीर्ष समेकित समूह के लिए तथा
- बैंक की महत्वपूर्ण अनुषंगियों के लिए (एकल या उप-समेकित जो इस पर निर्भर है कि मानदंड किस प्रकार लागू किए जाते हैं)

31.03.2020 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात			
	सीईटी 1 (%)	श्रेणी 1 (%)	कुल (%)
एसबीआई समूह	10.05	11.24	13.30
भारतीय स्टेट बैंक	9.77	11.00	13.06
एसबीआई (मॉरिशस) लिमिटेड	24.52	24.52	25.38
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)	13.04	13.04	14.72
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (केलीफोर्निया)	15.63	15.63	16.74
कमर्शियल इंडों बैंक एलएलसी मास्को	63.86	63.86	63.86
बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	34.60	34.60	35.44
नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	13.50	13.50	16.60
बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	30.59	30.59	31.24
एसबीआई (यूके) लिमिटेड	13.27	13.27	17.06

डीएफ-3 : ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार

सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- **पिछले बकायों और ह्रासित आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण के उद्देश्य से)**

अनर्जक आस्तियां

किसी भी आस्ति से जब बैंक के लिए आय अर्जित होना बंद हो जाती है, तब तक वह अनर्जक आस्ति बन जाती है। 31 मार्च 2006 से ऐसे अग्रिमों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) माना जाता है, जहां

(i) मीयादी ऋण के मामले में ब्याज तथा/अथवा मलू राशि का किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेयट रहता हो।

(ii) कोई ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट(ओडी/सीसी) खाता 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेयट रहता है

(iii) खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेयट रहती है

(iv) अन्य प्रकार के खातों में प्राप्त होने वाली राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अनियमितट रहता है

(v) अल्पावधि फसलों के लिए संस्वीकृत किसी ऋण को तब एनपीए माना जाता है, जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज दो फ़सली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है। दीर्घावधि फसलों के लिए संस्वीकृत किसी ऋण को तब एनपीए माना जाता है, जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहता है; और

(vi) किसी खाते को एनपीए के रूप में तब वर्गीकृत किया जाएगा, जब मूलधन तिमाही में लगाया गया ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90दिन के अंदर अदा न किया गया हो।

(vii) प्रतिभूतिकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 1 फरवरी 2006 के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के संबंध में चलनिधि की राशि 90 दिन के अंदर अदा न किया गया हो।

(viii) डेरिवेटिव्स लेनदेनों के संबंध में, डेरिवेटिव संविदा के बाजार मूल्य की अनुकूलता का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिदेय प्राप्त राशियाँ भुगतान के लिए निर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अप्रदत्त रहती हो।

'अनियमित' श्रेणी स्थिति

किसी खाते को उसी स्थिति में 'अनियमितट माना जाता है, जब बकाया राशि लगातार संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से ज्यादा रहती हो।
उन मामलों में जहां मूल परिचालन खाते में बक़ाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम हो, पर बैंक के तुलनपत्र की तारीख तक लगातार 90 दिनों के लिए कोई जमा नहीं हो अथवा जहां उसी अवधि के दौरान नामे की गई ब्याज के लिए जमा पर्याप्त न हो, ऐसे खातों को 'अनियमितट माना जाता है।

'अतिदेय'

किसी भी ऋण सुविधा के तहत ऋणी द्वारा बैंक को देय कोई भी राशि तब 'अतिदेयट मानी जाती है, जब वह बैंक द्वारा निर्धारित तारीख को अदा न की गई हो।

- **तनावग्रस्त आस्तियों का समाधान**

तनाव की शीघ्र पहचान एवं रिपोर्टिंग :
निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) के रूप में तनावग्रस्त आस्तियों का वर्गीकरण करते हुए चूक * होने के तुरंत बाद ऋण खातों में निहित तनाव:

एसएमए उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार-मूलधन अथवा ब्याज अथवा अन्य कोई राशि का भुगतान जो पूर्णतया अथवा अंशतया बकाया हो
एसएमए-0	1-30 दिन
एसएमए -1	31-60 दिन
एसएमए -2	61-90 दिन

* ऋण की किस्त की पूर्ण अथवा आंशिक राशि जब बकाया और देय हो तथा ऋणी अथवा कॉरपोरेट ऋणी द्वारा वह अदा न की जाती हो, तब 'चूकट मानी जाएगी। कैश क्रेडिट जैसी परिक्रामी सुविधाओं के मामले में संस्वीकृत सीमा अथवा आहरण अधिकार इनमें से जो भी कम हो, से अधिक राशि 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए लगातार बकाया होने की स्थिति में उपर्युक्त पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के उसे चूक माना जाएगा।

- **बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा**

बैंक में एकीकृत ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम कम करने एवं संपार्श्विक प्रबंधन की नीति विद्यमान है, जिनकी वार्षिक समीक्षा की जाती है। कुछ वर्षों से इससे संबंधित नीति एवं कार्यविधियों में उभरती संकल्पनाओं एवं वास्तविक अनुभव के परिणामस्वरूप सुधार किया जाता है। नीति एवं कार्यविधियों को बासेल-II एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश में निर्धारित दृष्टिकोण के अनुरूप बनाया गया है।

ऋण जोखिम प्रबंधन में ऋण जोखिम की पहचान, उसका निर्धारण, मापन, निगरानी एवं नियंत्रण सम्मिलित है।

ऋण जोखिम की पहचान एवं निर्धारण की प्रक्रियाओं के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं :

(i) प्रतिपक्ष जोखिम का निर्धारण करने के लिए विभिन्न जोखिमों को ध्यान में लेते हुए ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल/स्कोरिंग मॉडल तैयार और परिष्कृत करना। इन जोखिमों को मोटे तौर पर वित्तीय, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं प्रबंधन जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें से हर एक का अलग-अलग स्कोर तैयार किया जाता है।

(ii) औद्योगिक अनुसंधान करना, जिससे बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों के पोर्टफोलियो को संभालने के लिए नीतिगत उपचार सुझाए जाएँ और मात्रात्मक जोखिम मापदंड निर्धारित किए जाए। यह कार्य समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों के लिए सामान्य परामर्शक दृष्टिकोण जारी कर किया जाए।

ऋण जोखिम के मापन के ऋण जोखिम के सभी घटकों यथा चूक की संभावना(पीडी), ऋण चुकौती में चूक करने पर हुई हानि (एलजीडी) और ऋण चुकौती में चूक करने से जुड़ी जोखिम (इएडी)आदि की गणना की जाती है।

ऋण जोखिम की निगरानी और नियंत्रण में जोखिम सीमाएं निर्धारित करना शामिल है। एकल ऋणी, ऋणी समूह और उद्योगों को दिए गए ऋणों में समुचित विविधता लाना इस सीमा-निर्धारण का उद्देश्य है। बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम के केन्द्रीकरण से बचने के लिए वैयक्तिक कंपनियों, समूह कंपनियों, बैंकों, वैयक्तिक ऋणियों, गैर-कॉरपोरेट इकाइयों, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पूंजी बाजार, भू-संपदा, संवेदनशील पण्यों आदि के संबंध में विवेकपूर्ण जोखिम मानदंड़ों से संबंधित आंतरिक दिना-निर्देश विद्यमान है। इकाइयों द्वारा ऋण जोखिम दबाव परीक्षण किए जाते हैं, जिससे जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।

बैंक में ऋण नीति विद्यमान है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविभाग के अंदर आस्तियों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो। साथ ही साथ इसका उद्देश्य लचीलेपन और नवोन्मेष के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ते हुए ऋण की मूलभूत बातें, मूल्यांकन निपुणताएँ, दस्तावेजी मानक और संस्थात्मक चिंता एवं कार्यनीतियों के प्रति जागरूकता से संबंधित समान दृष्टिकोण स्थापित करके संविभाग स्तर पर आस्तियों की समग्र गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाना भी है।

ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं यथा मूल्यांकन, कीमत-निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकार, प्रलेखन, रिपोर्टिंग एवं निगरानी, ऋण सुविधाओं की समीक्षा एवं नवीकरण, समस्याग्रस्त ऋणों का प्रबंधन, ऋण निगरानी आदि के लिए प्रक्रियाएँ और नियंत्रण बैंक में विद्यमान है। ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली भी बैंक में मौजूद है। ₹ 20 करोड़ और इससे अधिक की जोखिम वाले वाणिज्यिक ऋण संविभाग की गुणवत्ता को निरंतर उन्नत बनाना इस प्रणाली का उद्देश्य है। ऋण लेखा-परीक्षा में ऋण मंजूरी के विभिन्न स्तरों पर किए गए निर्णयों की लेखा-परीक्षा की जाती है। मंजूरी पूर्व की प्रक्रियाओं और मंजूरी के बाद की स्थिति दोनों की लेखा-परीक्षा की जाती है। ऋण लेखा-परीक्षा में जोखिमों की पहचान की जाती है और उन्हें कम करने के उपाय भी सुझाए जाते हैं।

डीएफ-3 : दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार मात्रात्मक प्रकटीकरण

(बीमा इकाइयां, संयुक्त उद्यम एवं गैर-वित्तीय इकाइयों को छोड़कर)

सामान्य प्रकटीकरण: (रु. करोड़ में)

	मात्रात्मक प्रकटीकरण	मात्रात्मक प्रकटीकरण	गैर-निधि आधारित	कुल
ख	ऋण जोखिम की कुल राशि	2472284.18	438978.29	2911262.47
ग	जोखिम राशि का भौगोलिक संवितरण: एफबी / एनएफबी			
	विदेशी	374084.61	57024.35	431108.96
	देशीय	2098199.57	381953.94	2480153.51
घ	जोखिम राशि उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरण निधि आधारित/गैर-निधि आधारित का अलग-अलग			कृपया तालिका "क" देखें
ड	आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण			कृपया तालिका "ख" देखें
च	एनपीए की राशि (कुल) अर्थात (i to v) का योग			150130.73
	i. अव मानक			36249.25
	ii. संदिग्ध 1			20239.55
	iii. संदिग्ध 2			38423.67
	iv. संदिग्ध 3			30527.51
	v. हानि			24690.75
छ	निवल अनर्जक आस्तियां			52126.72
ज	अनर्जक आस्ति अनुपात			
	i) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां			6.07%
	ii) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां			2.20%
झ	अनर्जक आस्तियों में वृद्धि-कमी (कुल)			
	i) प्रारंभिक शेष			173589.59
	ii) वृद्धि			51204.07
	iii) कमी			74662.94
	iv) अंतिम शेष			150130.72
ञ	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में वृद्धि-कमी			
	i) प्रारंभिक शेष			107541.73
	ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			44116.20
	iii) अपलेखन			53646.60
	iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			7.32
	v) अंतिम शेष			98004.01
ट	अनर्जक निवेशों की राशि			9239.58
ठ	अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि			4288.75
ड	निवेशों के मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में वृद्धि-कमी			
	प्रारंभिक शेष			9252.41
	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			5275.82
	जोड़ें : विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यन समायोजन			250.82
	अपलेखन			4696.46
	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			-
	अंतिम शेष			9580.95
ढ	बड़े उद्योग या प्रति पक्ष प्रकार द्वारा			82454.21
	एनपीए की राशि और यदि उपलब्ध हो, तो पिछला बकाया ऋण का विवरण अलग से दें			
	निर्दिष्ट एवं सामान्य प्रावधान; और			-
	चालू अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्रावधान और अपलिखित राशि			-
ण	एनपीए की राशि और पिछले बकाया ऋण, जिनके लिए महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रवार अलग अलग प्रावधान			-
	प्रावधान			-

तालिका-क : डीएफ-3 (डी) दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार एक्सपोजरों का औद्योगिक वितरण

(रु. करोड़ में)

कोड	उद्योग	निधि आधारित ढशेष राशियांज			गैर-निधि आधारित
		मानक	अनर्जक आस्ति	कुल	
1	कोयला	8456.68	317.84	8774.52	6203.22
2	खदान	6282.95	1896.56	8179.51	1986.38
3	लोह एवं इस्पात	66096.30	6110.88	72207.18	37022.37
4	धातु उत्पाद	26596.08	1677.15	28273.23	10706.22
5	सभी अभियांत्रिकी	36768.68	5917.66	42686.34	71070.97
5.1	जिसमें से इलेक्ट्रानिक	4136.11	134.49	4270.60	5446.04
6	बिजली	5415.12	0.00	5415.00	4.10
7	सूती वस्त्र	22392.79	2183.16	24575.95	1654.77
8	जूट वस्त्र	853.90	41.75	895.65	40.31
9	अन्य वस्त्र	11385.32	1863.94	13249.26	1716.81
10	चीनी	7191.20	625.29	7816.49	1145.08
11	चाय	793.38	131.45	924.83	21.82
12	खाद्य प्रसंस्करण	60647.01	6100.64	66747.65	2528.53
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति	4642.81	688.82	5331.63	3434.74
14	तंबाकू / तंबाकू उत्पाद	161.56	125.55	287.11	151.19
15	कागज / कागज उत्पाद	4740.53	649.54	5390.07	873.32
16	रबड़ / रबड़ उत्पाद	7196.72	858.33	8055.05	1842.16
17	रसायन / रंग / रोगन इत्यादि	96613.85	2897.30	99511.15	63456.40
17.1	जिसमें से उर्वरक	18258.14	1069.21	19327.35	8483.48
17.2	जिसमें से पेट्रोरसायन	54873.15	141.55	55014.70	44492.92
17.3	जिसमें से दवाइयाँ एवं औषधियाँ	12710.78	267.91	12978.69	2516.48
18	सीमेंट	14332.70	1172.06	15504.76	4104.73
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	3051.37	379.83	3431.20	338.31
20	रत्न एवं आभूषण	11630.98	756.04	12387.05	1223.66
21	निर्माण	42944.59	1337.12	44281.71	15126.71
22	पेट्रोलियम	42678.63	1123.52	43802.15	22414.01
23	आटोमोबाइल/एवं ट्रक	17102.16	1181.13	18283.29	7369.36
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	6171.00	27.74	6198.74	1080.97
25	इन्फ्रास्ट्रक्चर	321807.62	38742.83	360550.45	87327.04
25.1	जिसमें से बिजली	188577.08	16970.28	205547.36	28493.66
25.2	जिसमें से दूरसंचार	29312.14	5930.94	35243.08	9789.95
25.3	जिसमें से मार्ग एवं बंदरगाह	52943.37	7280.83	60224.20	23657.12
26	अन्य उद्योग	219181.11	33580.32	252761.43	37501.35
27	एनबीएफसी एवं शेयरों की खरीद-फरोख्त	375216.28	18214.24	393430.51	32614.73
28	शेष अग्रिम	901802.14	21530.04	923332.18	26019.03
	कुल	**2322153.45**	**150130.73**	**2472284.18**	**438978.29**

तालिका-ख

डीएफ-3 (ई) भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) 31.03.2020* की स्थिति के अनुसार आस्तियों की शेष संविदागत परिपक्वता

(रु. करोड़ में)

	अंतर्वाह	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
1	नकदी	20315.47	0.01	0.00	0.10	20.16	0.50	0.45	0.20	0.32	0.40	0.00	20337.61
2	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष	52586.03	2104.02	976.82	1583.05	2159.45	1882.16	4295.30	21496.64	22604.64	10067.26	26882.94	146638.31
3	अन्य बैंकों के पास जमाशेष	33024.21	2801.88	38561.44	2349.56	2931.14	5425.00	3273.60	2127.58	962.11	40.75	61.99	91559.26
4	निवेश	10432.69	4468.56	4044.01	17336.59	21193.67	33883.05	46163.43	71638.77	187248.85	156583.98	516539.78	1069533.38
5	अग्रिम	17100.59	23668.40	23609.94	48931.65	44975.84	49676.55	117399.52	220549.72	824170.09	408110.79	604569.39	2382762.48
6	अचल आस्तियां	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	11.52	13.85	39167.55	39197.43
7	अन्य आस्तियां	7950.36	24382.42	25465.62	18786.54	17281.44	15490.14	22073.48	33126.72	17222.65	34630.11	75797.18	292206.66
	कुल	**141413.40**	**57425.29**	**92657.83**	**88987.49**	**88561.70**	**106357.40**	**193206.24**	**348939.63**	**1052220.18**	**609447.14**	**1263018.83**	**4042235.13**

*टिप्पणियां:

i) बीमा संस्थाएं, गैर-वित्तीय संस्थाएं, संयुक्त उद्यम, विशेष प्रयोजन माध्यम एवं अंतः-समूह समायोजन शामिल नहीं किए गए हैं।

ii) निवेश में अनर्जक निवेश शामिल हैं और अग्रिमों में अनर्जक अग्रिम शामिल हैं।

iii) उक्त बकेटिंग में तालिका 23 मार्च, 2016 के आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर संशोधन किया गया है।

डीएफ-4 : ऋण जोखिम : मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत संविभागों के प्रकटीकरण दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार

पोर्टफोलियोस का प्रकटीकरण मानक पद्धति के अधीन हुआ है।

गुणात्मक प्रकटन

- **प्रयुक्त क्रेडिट एजेंसियों के नाम, साथ में यदि कोई परिवर्तन हुए हों, तो उनके कारण भी**

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने देशीय और विदेशी ऋण जोखिमों की रेटिंग के लिए क्रमशः केयर, क्रिसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क, एसीयूआईटीई रेटिंग्स एवं रिसर्च तथा इन्फोमेरिक्स (देशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) एवं फिच, मूडीज एवं एसएंडपी(अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां) का अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में चयन किया है, जिनकी रेटिंगों का जोखिम भारित आस्तियों तथा पूंजी ऋण भार के परिकलन के लिए प्रयोग किया जाता है।

- **ऋण जोखिम के प्रकार, जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लाई गई**

(i) एक वर्ष या उससे कम अथवा बराबर की संविदात्मक परिपक्वता वाले ऋण जोखिम हेतु (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई शॉर्ट टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

(ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों (अवधि पर विचार किए बिना) के लिए और 1 वर्ष से अधिक के मीयादी ऋण निवेश हेतु लांग टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

- **पब्लिक इश्यू रेटिंगों को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण**

बैंक की बाह्य रेटिंग प्रयोज्यता रूपरेखा की प्रमुख अवधारणाएँ निम्नानुसार है :

- विशेष रूप से बैंक की क्रमशः दीर्घकालीन एवं अल्पकालिन जोखिमों के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित की गई सभी दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन रेटिंगों पर बैंक द्वारा एक मुद्दा विशिष्ट रेटिंग्स के रूप में विचार किया जा सकता है।
- विदेशी राष्ट्रिक एवं विदेशी बैंक जोखिम जोखिम भारित होती हैं, जो जारीकर्ता के लिए निर्धारित की गई उनकी रेटिंग्स पर आधारित होती है।
- बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सुविधा/ऋणी की बाह्य रेटिंग की पिछले 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार ईसीएआई द्वारा समीक्षा की गई है और उसकी प्रयोज्यता की तिथि को यह लागू है।
- जहां विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा किसी संस्था को बहुविध जारीकर्ता रेटिंग्स दी जाती है, वहाँ दो रेटिंग्स होने पर सबसे कम रेटिंग और जहां तीन या उससे ज्यादा रेटिंग होने पर दूसरी कम रेटिंग का उपयोग दी गई सुविधा के लिए किया जाता है।

निम्नलिखित मामलों में उसी ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष के अन्य अनरेटिड एक्सपोजरों के लिए लॉग टर्म इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग (बैंक के स्वयं के ऋण जोखिमों या उसी ऋणी ग्राहक/प्रतिपक्ष द्वारा जारी किए गए अन्य ऋण) अथवा जारीकर्ता (ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग उपयोग में लाई गई :

- इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग या जोखिम भार की तुलना में जारीकर्ता रेटिंग मैप यदि अनरेटिड एक्सपोजरों के समतुल्य या अधिक है, तो उसी प्रतिपक्ष के किसी अन्य अनरेटिड ऋण जोखिम के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेटिंग और यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से रेटिड ऋण जोखिम की मात्र के अनुरूप या उससे कम हो, तो वही जोखिम भार लागू किया गया।
- उन मामलों में जहां ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष ने कोई ऋण जारी किया है (जो बैंक से उधारी नहीं है), यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से कतिपय रेटिंग वाले ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे अधिक थी और बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर की परिपक्वता रेटिड ऋण की परिपक्वता के बाद की नहीं थी, तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के आनरेटिड एक्सपोजर के लिए उपयोग में लाई गई।

31.03.2020 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

			राशि
(ख)	जोखिम को कम करने के पश्चात मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण निवेश हेतु प्रत्येक जोखिम वर्ग के अंतर्गत बैंक की बकाया (श्रेणीबद्ध एवं गैर-श्रेणीबद्ध) राशियों के अलावा अन्य घटाई गई राशियाँ	100% के कम जोखिम भार	20,26,503.14
		100% जोखिम भार	6,05,905.83
		100% से अधिक जोखिम भार	2,78,853.50
		घटाई गई	0.00
		कुल	**29,11,262.47**

डीएफ-5 : ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार

ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

- **तुलन पत्र में शामिल और शामिल न की गई निवलीकरण नीतियाँ और प्रक्रियाएं तथा बैंक इनका किस सीमा तक उपयोग करता है।**

तुलन पत्र की निवलीकरण जोखिम मदें ऐसे ऋणों/अग्रिमों और जमाराशियों तक सीमित रहती है जिनके लिए बैंक के पास प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार, दस्तावेजी प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है :

जहाँ बैंक,

क. यह निष्कर्ष निकालने के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित कानूनी आधार है जो कि प्रतिपक्ष के दिवालिया होने पर या नहीं होने पर, संबंधित अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक पर समझौता लागू होता है ;

ख. किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों का निवल वसूली करार के अनुसार निर्धारण कर सकता है ; तथा

ग. निवलीकरण के आधार पर संबंधित जोखिमों की निगरानी तथा नियंत्रण करता है, वह अपनी पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए आधार के रूप में ऋणों/अग्रिमों तथा जमाराशियों का निवल जोखिम के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऋण/अग्रिम को जोखिम तथा जमाराशियों को संपार्श्विक माना गया है।

- **संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ**

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन के लिए एक एकीकृत नीति विद्यमान है, जिसकी प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन, पूंजी-परिकलन के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के प्रति बैंक का दृष्टिकोण इस नीति के भाग ख में स्पष्ट किया गया है।

इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का इस ढंग से वर्गीकरण करना है कि उनके प्रकटीकरण के लिए नियामक पूंजी समायोजन किया जा सके।

इस नीति मे व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे ऋण जोखिम के लिए समुचित रूप से प्रति संतुलन करने के पश्चात संपार्श्विक प्रतिभूति (संतुलन दृष्टिकोण के बाद) के मूल्य के समान ऋण जोखिम राशि काररगर ढंग से घटाकर संपार्श्विक प्रतिभूति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जा सकता है। इस नीति में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया गया है :

(i) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का वर्गीकरण

(ii) स्वीकार्य जोखिम न्यूनीकरण तकनीक

(iii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के लिए प्रलेखीकरण और विधिक प्रक्रिया

(iv) संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन

(v) मार्जिन और संतुलन अपेक्षाएँ

(vi) विदेशी रेटिंग

(vii) संपार्श्विक प्रतिभूति की अभिरक्षा

(viii) बीमा

(ix) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों की निगरानी

(x) सामान्य दिशानिर्देश

- **बैंक द्वारा मुख्तया जिस प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ ली गई हैं, उनका ब्योरा**

मानकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतया निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के रूप में मान्यता प्राप्त है :
नकदी अथवा नकदी समतुल्य (बैंक जमाराशियाँ/एनएससी/किसान विकास पत्र/एलआईसी पॉलिसी आदि)
स्वर्ण
केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
ऐसी ऋण प्रतिभूतियाँ जिन्हें अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए बीबीबी या बेहतर/पीआर3/पी3/एफ3/ए3 रेटिंग प्राप्त

- **प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता के मुख्य प्रकार और उनकी ऋण-पात्रता**

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटीकर्ता के रूप में स्वीकार करता है :

- सरकार, सरकारी संस्थाएं (बैंक फॉर इन्टरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश(आईएमएफ), यूरोपीय केंद्रीय बैंक और यूरोपीय समुदाय तथा बहुपक्षीय विकास बैंक, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन(ईसीजीसी) और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेस(सीजीटीएमएसई), सरकारी उपक्रम, बैंक और प्राथमिक व्यापारी जिनका जोखिम भार प्रतिपक्ष की तुलना में कम हो।
- अन्य गारंटीकर्ता जिनकी बाह्य रेटिंग एए या बेहतर हो। यदि गारंटीकर्ता कोई मूल, संबंद्ध कंपनी या अनुषंगी हो, तो उनका जोखिम भार गारंटी के लिए बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त बाध्यताधारी से कम होना चाहिए। गारंटीकर्ता की रेटिंग उस संस्था की रेटिंग के समान होनी चाहिए जिसकी उस संस्था की सभी देयताओं और बाध्यताओं में (गारंटी सहित) हिस्सेदारी है।

जोखिम न्यूनीकरण मदों के भीतर अधिक जोखिम वाले (बाजार या ऋण) के बारे में जानकारी :
बैंक में आस्ति-संविभाग भलीभांति विविधीकृत है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ प्राप्त की गई है, जैसे कि: -

- ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ
- सरकार और अच्छी रेटिंग वाली कंपनियों द्वारा दी गई गारंटियाँ,
- प्रतिपक्ष की अचल आस्तियां और चालू आस्तियां

मात्रात्मक प्रकटीकरण 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार		(रु. करोड़ में)
(ख)	पृथक से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टपोलियो का कुल ऋण जोखिम (जहां लागू हो, तुलन-पत्र में शामिल या न शामिल ऋण जोखिमों को घटाने के बाद) जो कटौतियाँ लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया जाता है।	1,18,787.09
(ग)	पृथक से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टपोलियो का कुल ऋण जोखिम (जहां लागू हो, तुलन-पत्र में शामिल या न शामिल ऋण जोखिमों को घटाने के बाद) जो गारंटियों/क्रेडिट डेरिवेटिव्स द्वारा सुरक्षित किया गया है(जहां कहीं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्रदान की गई)।	59,925.44

डीएफ-6 : प्रतिभूतीकरण जोखिम : मानकीकृत पद्धति संबंधी प्रकटीकरण

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार

	गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क)	**प्रतिभूतिकरण के गुणात्मक प्रकटीकरण की सामान्य अपेक्षा का विवेचन भी शामिल है:**	
	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक का क्या लक्ष्य रहा है ? यह भी बताएं कि इन गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिभूति ऋणों में विद्यमान ऋण-जोखिम को कितनी मात्रा में बैंक के बाहर, अर्थात अन्य संस्थाओं को अंतरित किया गया है।	निरंक
	प्रतिभूति आस्तियों में पहले से विद्यमान अन्य जोखिमों(जैसे नकदी जोखिम) का स्वरूप ;	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक द्वारा अदा की गई विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ (उदाहरण के लिए: प्रवर्तक, निवेशक, सेवा-प्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, चलनिधि प्रदाता, विनिमय प्रदात@, संरक्षण प्रदाता#) और उनमें से प्रत्येक में बैंक की संबंद्धता की सीमा; @ संबंधित आस्तियों के ब्याज दर/करेंसी संबंधी जोखिम को कम करने के लिए किसी बैंक ब्याज दर विनिमय अथवा करेंसी विनिमय अथवा करेंसी विनिमय अथवा करेंसी विनिमय के रूप में धारित सीमा में प्रतिभूतिकरण सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है, यदि नियामक के नियमों के अंतर्गत अनुमत हो। # कोई बैंक गारंटियों, ऋण डेरिवेटिव्स या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद यदि नियामक के नियमों के अंतर्गत अनुमत हो, के रूप में किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है।	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण निवेशों के ऋण एवं बाजार जोखिमों में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन विद्यमान है (उदाहरण के लिए संबंधित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रतिभूति निवेशों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, जैसाकि एनसीएएफ पर 1 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र के पैरा 5.16.1 में बताया गया है)	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण निवेशों में बरकार जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण पद्धतियों के उपयोग से संबंधित बैंक की नीति का वर्णन नीचे किया गया है;	लागू नहीं
(ख)	**प्रतिभूतिकरण गतिविधियों पर बैंक की लेखांकन नीतियों का सारांश, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:**	
	क्या लेनदेन को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है ;	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण की स्थिति को यथावत बनाए रखने या नई खरीद का मूल्यांकन करने में लागू की गई पद्धतियाँ और प्रमुख पूर्वानुमान	लागू नहीं
	पिछली अवधि से पद्धतियों और प्रमुख धारणाओं में हुए परिवर्तनों कौ परिवार्ताओं का प्रभाव ;	लागू नहीं

	तुलनपत्र में दर्शाई गई देयताओं को उन व्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए अपनाई गई नीतियाँ जिनके अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करना बैंक के लिए आवश्यक हो सकता है।	लागू नहीं
(ग)	बैंक के लेखों में प्रतिभूतिकरण के लिए किन ईसीएआई का उपयोग किया गया है और प्रत्येक एजेंसी का किस प्रकार के प्रतिभूतिकरण जोखिम के लिए उपयोग किया गया।	लागू नहीं
	मात्रात्मक प्रकटीकरण : बैंकिंग बही	
(घ)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि	निरंक
(ङ)	ऋण जोखिमों से बचाव के लिए किए गए प्रतिभूतिकरण से चालू अवधि के दौरान हुई किन हानियों को बैंक द्वारा लेखों में शामिल किया गया है। प्रत्येक ऋण जोखिम का अलग-अलग (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि का संबंधित प्रतिभूति सहित विस्तृत ब्योरा) विवरण दें।	निरंक
(च)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जानी वाली आस्तियों की राशि	निरंक
(छ)	(च) में से प्रतिभूतिकरम के पूर्व एक वर्ष के अंदर प्रवर्तित आस्तियों की राशि	लागू नहीं
(ज)	प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार) और उस ऋण की बिक्री से हुए ऐसे लाभ या हानियाँ जिन्हें लेखों में शामिल नहीं किया गया है।	निरंक
(झ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	तुलन पत्र में शामिल प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें, जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	तुलन पत्र में न शामिल प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें, जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
(ञ)	यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों और उनसे संबंधित पूंजी खर्चों की कुल राशि। राशि ऋण जोखमवार अलग-अलग दिखाई जाए और नियामक द्वारा अलग-अलग ऋण जोखिमों के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के अनुरूप उनके अलग-अलग जोखिम भार का भी उल्लेख करें।	निरंक
	ऐसे ऋण जोखिम जिन्हें टियर 1 पूंजी में से पूर्णतया घटा दिया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार)	निरंक
	मात्रात्मक प्रकटीकरण : ट्रेडिंग बुक	
(ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूत उन जोखिमों की कुल राशि, जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिम यथावत बनाए रखा है और जिसका बाजार जोखिम पद्धति के अनुसार आकलन किया जाना है। ऋण जोखिम के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ठ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	तुलन पत्र में शामिल प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग अलग विवरण दें, जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है ; तथा	निरंक
	तुलन पत्र में न शामिल प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग अलग विवरण दें, जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है	निरंक
(ड)	उन प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों की कुल राशि जो निम्नलिखित के लिए यथावत बनाई रखी गई या खरीदी गई :	निरंक
	कितपय जोखिम को देखते हुए व्यापक जोखिम उपयोग के अंतर्गत यथावत बनाई रखी गई या खरीदी गई ; तथा	निरंक
	प्रतिभूतिकरण जोखिम, जिनके लिए विशिष्ट जोखिम को अलग अलग जोखिम भारित श्रेणियों में विभाजित किया गया हो	निरंक
(ढ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	प्रतिभूतिकरण ढांचे के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम की पूंजीगत आवश्यकताएँ अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विश्लेषण	निरंक
	टियर-I पूंजी में से पूर्णतया घटाए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण संवर्धन और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार)	निरंक

डीएफ-7 शेयर/बांड क्रय-विक्रय में बाजार जोखिम

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

1) बैंक बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता की गणना करने हेतु मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) का अनुपालन करता है।

(2) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार जोखिम प्रबंधन विभाग के एक भाग के रूप में बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) खोले गए हैं।

(3) बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग राजकोष परिचालनों से संबद्ध बाजार जोखिम की पहचान, उनके मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी है।

(4) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन मानदंडों वाली निम्नलिखित नीतियों को लागू किया गया है :

(क) बाजार जोखिम प्रबंधन नीति

(ख) बाजार जोखिम सीमाओं की समीक्षा

(ग) निवेश नीति

(घ) ट्रेडिंग नीति

(ङ) दबाव परीक्षण नीति

(5) जोखिम निगरानी एक सतत प्रक्रिया है और इसमें जोखिम प्रोफाइलों का विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी प्रभावकारिता के बारे में बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और शीर्ष प्रबंधन को नियमित अंतराल पर सूचित किया जाता है।

(6) जोखिम प्रबंधन और उसकी रिपोर्टिंग सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार आशोधित अवधि, आधार बिंदु का कीमत मूल्य, अधिकतम अनुमत जोखिम, निवल आरंभिक राशि सीमा, पूरक सीमा, जोखिम मूल्य जैसे मानदंडों पर की जाती है।

(7) बोर्ड द्वारा अनुमोदित फॉरेक्स ओपन पोजीशन सीमा(दिन/रात), हानि नियंत्रण सीमा, सकल अंतराल सीमा, वैयक्तिक अंतराल सीमा की निगरानी की जाती है और कोई अपवाद हो तो ये बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किए जाते हैं।

(8) मूल्य जोखिम की गणना प्रतिदिन की जाती है। मूल्य जोखिम का पश्चात परीक्षण प्रतिदिन किया जाता है। मूल्य जोखिम के अनुपूरक के रूप में दबाव परीक्षण तिमाही अंतराल पर किया जाता है। इनके परिणाम बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किए जाते हैं।

(9) विदेश स्थिति कार्यालय अपने देश के स्थानीय विनियामक की अपेक्षाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारणों के अनुसार अपने निवेश संविभाग की जोखिम निगरानी करते हैं। कतिपय संविभागों के किसी एक विनिधान के लिए हानि नियंत्रण सीमा और जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

(10) बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना के लिए बैंक ने आंतरिक मॉडल पद्धति के नाम से उन्नत पद्धति अपनाने का निर्णय किया है और इस बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक को आशय पत्र प्रस्तुत किया है।

(क) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

बाज़ार जोखिम पर पूंजी अपेक्षा

बैंक बाजार जोखिम पर मानकीकृत माप विधियों के अनुसार पूंजी प्रभार बनाए रखता है :

(रु. करोड़ में)

श्रेणी	**31.03.2020**
ब्याज दर जोखिम (डेरिवेटिव्स सहित)	9,913.47
इक्विटी स्थिति जोखिम	6,109.75
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम	172.00
कुल	**16,195.22**

डीएफ-8 परिचालन जोखिम

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) परिचालन

- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत है जो परिचालन जोखिम अभिशासन के समन्वित तंत्र का ही हिस्सा है और यह अपने-अपने मुख्य जोखिम अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करता है। एसबीआई में मुख्य जोखिम अधिकारी एमडी (तनावग्रस्त आस्तियां जोखिम एवं अनुषंगियां) को रिपोर्ट करता है।
- अन्य समूह इकाइयों में परिचालन जोखिम संबंधी मुद्दों का निपटान व्यवसाय मॉडल और संबंधित इकाइयों के मुख्य जोखिम अधिकारियों के साथ समग्र नियंत्रण वाले उनके नियंत्रकों की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक में परिचालन जोखिम को नियंत्रित और कम करने संबंधी नीतियां

देशीय बैंकिंग इकाइयां (एसबीआई)

एसबीआई में निम्नलिखित नीतियां, रूपरेखा दस्तावेज और मैनुअल लागू/उपलब्ध हैं :

नीतियां एवं ढ़ांचागत दस्तावेज

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति बैंक में लागू है, जिसका उद्देश्य परिचालन जोखिमों की व्यवस्थित एवं समय रहते पहचान, आकलन, मापन, निगरानी न्यूनीकरण एवं रिपोर्ट करने हेतु एक स्पष्ट एवं ठोस परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना करना है,
- आंकड़ा नुकसान प्रबंधन ;
- बाहरी नुकसान आंकड़ा प्रबंधन नीति;
- आईएस नीति;
- आईटी नीति;
- साइबर सुरक्षा नीति
- समूह साइबर सुरक्षा नीति
- व्यवसाय निरंतरता योजना संबंधी (बीसीपी) नीति;
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) नीति;
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड़ों संबंधी नीति और धन शोधन निवारक(एएमएल)/ आतंकवाद वित्तीयन निवारक उपाय नीति;
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति;
- बैंक आउटसोर्सिंग नीति;
- बीमा नीति;
- परिचालन जोखिम निर्वहन क्षमता (एसबीआई) दस्तावेज;
- पूंजी परिकलन ढांचागत दस्तावेज;

मैनुअल

- परिचालन जोखिम प्रबंधन मैनुअल
- आंकड़ा नुकसान प्रबंधन मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता आयोजना (बीसीपी) मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) मैनुअल
- बाह्य नुकसान आंकड़ा मैनुअल

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयां

गैर-बैंकिंग व्यावसायिक इकाइयों के लिए उनके व्यावसायिक मॉडल से संबंधित और विदेशी बैंकिंग इकाइयों के संबंध में विदेशी विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां और मैनुअल विद्यमान है। कुछ अन्य विद्यमान नीतियां है-आपदा रिकवरी योजना/व्यवसाय निरंतरता योजना, दुर्घटना रिपोर्टिंग तंत्र, निअल मिस इंवेट रिपोर्टिंग तंत्र, आउटसोर्सिंग नीति आदि।

(ग) कार्यनीतियां और प्रक्रियाएं

देशीय बैंकिंग इकाइयां (एसबीआई)

उच्चस्तरीय आकलन पद्धति (साथ-साथ उपयोग)

- जोखिम संस्कृति एवं परिचालन जोखिम प्रबंधन को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में मंडलों में परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति तथा व्यवसाय एवं सहयोग समहू (आरएमसी-एनबीजी, आरएमसी-आइबीजी, आरएमसी-जीएमयू, आरएमस-सीबीजी, आरएमसी-एमसीजी, आरएमसी-एसएएमजी एवं आरएमसी-आईटी) विद्यमान हैं।
- परिचालन जोखिमों में आंतरिक एवं बाह्य नुकसान के लिए एक व्यापक डेटा आधार बेसल निर्धारित 8 व्यवसाय लाइन और 7 प्रकार के नुकसान के लिए तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यह एएमए प्रक्रिया का भाग है। शाखाओं, संसाधन केंद्रों और कार्यालयों से नुकसान डेटा, जिसमें नुकसान होते होते बची घटनाओं का डेटा भी शामिल है, मंगाने के लिए एक्सल आधारित एक टेंपलेट तैयार किया गया है, ताकि जोखिम प्रबंधन बेहतर हो सके।
- जोखिम और नियंत्रण स्व-निर्धारण कार्य को कार्यशालाओं के माध्यम से करने के लिए एक्सेल आधारित टेंपलेट प्रारंभ किया गया है, जिसमें निहित जोखिम तथा अवशिष्ट जोखिम जानने, वर्तमान नियंत्रण परिवेश की प्रभाविता जानने और मूल्यांकन करने और जोखिम स्तरों के वर्णन के लिए हीट मैप्स का प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष के दौरान आरसीएसए कवायद में मुख्य शाखाओं/संसाधन केंद्रों ने हिस्सा लिया। आरसीएसए कवायद से सामने आए शीर्ष जोखिमों को कम करने की योजना पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है।
- समस्त व्यवसाय और सहायता समूहों के लिए प्रमुख जोखिम संकेतक प्रारंभिक और निगरानी तंत्र के साथ चयनित किए गए हैं। जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति इन संकेतकों को लागू करने में हुई प्रगति की तिमाही अंतराल पर समीक्षा करती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 10 प्रमुख संकेतकों का निर्धारण किया गया है।
- बैंक समय-समय पर एएमए प्रयोग परीक्षण
- बेसल II में निर्धारित उच्च स्तरीय आकलन पद्धति (एएमए) के अंतर्गत परिचालन जोखिम की गणना और निगरानी के लिए आवश्यक विकसित आंतरिक प्रणालियां विद्यमान हैं।
- एएमए के साथ-साथ उपयोग के लिए बैंक को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। तथापि बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल III का हाल ही में संरचना में किए गए संशोधन के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने एएमए पूंजी समेकन की प्रस्तुति को समाप्त करने की सूचना दी है।

अन्य

देशीय बैंकिंग संस्थाओं में परिचालन जोखिम प्रबंधन नियंत्रित और कम करने के लिए निम्नलिखित उपया किए जा रहे हैं :

- बैंक द्वारा अनुदेशावलियां (सामान्य अनुदेश मैनुअल, ऋण एवं अग्रिम मैनुअल) जारी की गई हैं, जिसमें बैंक के विभिन्न प्रकार के लेनदेन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में किए गए संशोधन और आशोधन सभी कार्यालयों को परिपत्र भेजकर कार्यान्वित किए जाते हैं। दिशा-निर्देशों और अनुदेश जॉब कार्डों, ई-परिपत्रों, ई-लर्निंग पाठों, मोबाइल नगेट्स और प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रसारित किए जाते हैं।
- व्यवसाय प्रक्रिया पुर्नविन्यास(बीपीआर) इकाइयों से संबंधित अपडेट किए गए मैनुअल और परिचालन अनुदेश।
- वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन, जिसमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेनदेनों के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के संस्वीकृति अधिकारों का ब्योरा दिया गया है।
- स्टाफ प्रशिक्षण - बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और ज्ञानार्जन केंद्रों में विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन माड्यूलों के हिस्से के रूप में परिचालन जोखिम की जानकारी शामिल की गई है।
- धोखाधडियों से इतर संभावित परिचालन जोखिम वाले मामलों के लिए बैंक द्वारा बीमा कराया गया है।
- आंतरिक लेखापरीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की जांच एवं मूल्यांकन तथा प्रभावकारिता और कतिपय नियंत्रण कार्यविधियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। वे स्थापित प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं, जिससे विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं, आचार संहिता और नीतियों एवं कार्यविधियों के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- किसी भी आपदा के बाद व्यवसाय निरंतरता तथा महत्वपूर्ण कार्य प्रक्रियाओं को दुबारा प्रारंभ करने के लिए सुदृढ़ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति और मैनुअल बैंक में विद्यमान है।
- छुट्टी नीति का कड़ाई से कार्यान्वयन।
- सभी कार्यालयों में जोखिम जागरूकता कार्यशाला(आरएडबल्यू) का आयोजन।

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयां

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयों में प्रणालियों एवं कार्यविधियों और रिपोर्टिंग के रूप में पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

(घ) जोखिम रिपोर्टिंग एवं मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

- धोखाधड़ियों पर रिपोर्टों के शीघ्र प्रेषण की एक प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में विद्यमान है।
- निवारक सतर्कता और पर्दाफासी की एक व्यापक प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में स्थापित की गई हैं।
- आरसीएसए/आरएडबल्यू के सामने आई महत्वपूर्ण जोखिमों, परिदृष्य विश्लेषण और लॉस डेटा/नियर मिस इवेंट्स के विश्लेषण के बारे में शीर्ष प्रबंधन को नियमित रूप से सूचित किया जाता है और निरंतर आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।
- 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन जोखिम हेतु पिछले 3 वर्षों का औसत सकल आय के 15% के पूंजी प्रभार के साथ मलू संकेतक पद्धति (एएमए) अपनाई गई है। बीमा कंपनियां इसका अपवाद है।

डीएफ-9 : बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबी)

दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार

1. गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम :

आंतरिक एवं बाह्य कारणों से बैंक की ब्याज दर में होने वाले उतार-चढाव से निवल ब्याज आय तथा आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ब्याज दर जोखिम कहा जाता है। आंतरिक कारणों में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमाराशियों, उधार, ऋणों एवं निवेशों की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल है। बाह्य कारणों के अंतर्गत सामान्य आर्थिक स्थितियाँ आती हैं। बढ़ती अथवा घटती ब्याज दरों का बैंक पर प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि तुलनपत्र आस्ति संवेदी है या देयता संवेदी।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तुलन पत्र जोखिमों की अनवरत पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के जरिए इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। अतः आस्ति देयता प्रबंधन जोखिमों एवं प्रतिलाभों, निधीयन एवं विनियोजन, बैंक के ऋण एवं जमाराशि दरों के निर्धारण तथा बैंक की निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी एवं नियंत्रण करती है। निदेशक बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है और आवधिक तौर पर उसकी कार्यपद्धति की समीक्षा करती है तथा दिशानिर्देश देती है। यह ब्याज जोखिम के प्रबंधन हेतु आस्ति देयता प्रबंधन द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करती है।

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तद्नुसार आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण की समीक्षा करती है। आस्तियों और देयताओं दोनों में एक समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक की आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य पर अवधि अंतर विश्लेषण के अंतर्गत ब्याज दर संवेदनशीलता के जरिए ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक मासिक अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। बाजार ब्याज दर में हुए परिवर्तनों को देखते हुए आस्ति एवं विश्लेषण के माध्यम से इक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तनों के प्रभाव की निगरानी की जाती है। इक्विटी के मूल्य में (आरक्षितियों सहित) और आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर में 2%समान अंतर के बीच परिवर्तन का अनुमान है।

1.3 विभिन्न ब्याज जोखिमों की निगरानी के लिए निम्नलिखित विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण किया गया है :

ब्याज दर अस्थिरता के कारण परिवर्तन	अधिकतम प्रभाव (पूंजी एवं आरक्षितियों के प्रतिशत के रूप में
निवल ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	5%
इक्विटी ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 2% परिवर्तन के द्रष्टु)- केवल बैंकिंग बही	20%

1.4 बाजार दर जोखिम के कारण समग्र प्रतिकूल प्रभाव को पूंजी एवं आरक्षितियों की 20% की सीमा तक सीमित करना विवेकपूर्ण सीमा का उद्देश्य है, जबकि शेष पूंजी एवं आरक्षितियाँ ऋण एवं परिचालन जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है।

2. मात्रात्मक प्रकटीकरण

जोखिम पर अर्जन (ईएआर)

(रु. करोड़ में)

	निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्ति एवं देयताओं दोनों की दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर प्रभाव	5,716.23

इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीआई)

(रु. करोड़ में)

	इक्विटी के बाजार मूल्य पर प्रभाव
आस्तियों एवं देयताओं दोनों की ब्याज दर में 200 आधार अंकों के अंतर का इक्विटी बाजार मूल्य (एमवीआई) पर प्रभाव	28,356.28
आस्तियों एवं देयताओं दोनों को ब्याज दर में 100 आधार अंकों के अंतर का इक्विटी बाजार मूल्य (एमवीआई) पर प्रभाव	14,178.14

डीएफ-10 : काउंटरपार्टी ऋण जोखिम एक्सपोजर का सामान्य प्रकटीकरण

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण :

बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा देशीय बैंकों, विदेशी बैंकों, विकास वित्तीय संस्थानों, प्राथमिक व्यापारियों, लघु वित्त बैंकों तथा भुगतान बैंकों को काउंटर पार्टी जोखिम की सीमा राशि निर्धारित करने के लिए स्कोरिंग मॉडलों का उपयोग किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग, बैंक के सभी व्यवसाय इकाइयां यथा सीएजी, सीसीजी, आरएंडडीबी, ग्लोबल मार्केट्स और आईबीजी को जोखिम सीमा का आबंटन करता है, जिसका इन इकाइयों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन विभिन्न परिचालन इकाइयों के बीच आपस में आबंटन किया जाता है।

संपार्श्विक प्रतिभूतियों का वर्गीकरण एवं पहचान

बैंक आंतरिक संस्वीकृति तथा/या विनियामक पूंजीगत छूट प्रयोजनों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की स्वीकृति, पहचान तथा मूल्य निर्धारण तभी करेगा जब निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति की जाएगी :

- सभी प्रासंगिक अधिकार क्षेत्रों में, संपार्श्विक प्रतिभूति को लागू करने में विधिक सुनिश्चितता तथा प्रभावकारिता है।
- ऋण एवं संपार्श्विक प्रतिभूति संबंधी दस्तावेजों के सभी संविदात्मक एवं सांविधिक अपेक्षाओं की पूर्ति की गई है।
- उक्त संपार्श्विक (प्रथम विधिक ऋण-भार के अलावा दूसरी/गौण या सममात्रा ऋण-भार) के लिए बैंक ने विधिक स्वामित्व प्राप्त कर लिया है।
- जिस विधिक प्रणाली से संपार्श्विक प्रतिभूति को गिरवी रखा जाता है या अंतरित किया जाता है, से काउंटर पार्टी या अन्य पक्ष द्वारा चूक करने, दिवालियापन की स्थिति में उसकी समय पर परिसमापन करने या कब्जे में लेने का अधिकार बैंक को होगा।
- संपार्श्विक प्रतिभूति की समय पर परिसमापन हेतु बैंक के पास स्पष्ट और सुदृढ़ कार्यविधि उपलब्ध है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि काउंटर पार्टी द्वारा चूक की घोषणा करने की विधिक शर्तें एवं संपार्श्विक प्रतिभूति का परिसमापन तत्काल हो सके।

आंतरिक रेटिंग आधारित पूंजी की पात्रता हेतु की गणना के लिए संपार्श्विकों का भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक रेटिंग आधारित दिशा-निर्देशों में बताए गए परिचालनलागत मानदंडों की पूर्ति करना अनिवार्य है।

किसी लेनदेन के नकदी प्रवाह के पूर्ण उससे डेरिवेटिव्स लेनदेन की काउंटरपार्टी की चूक से उत्पन्न जोखिम को काउंटरपार्टी ऋण जोखिम कहा जाता है। इस जोखिम को कम करने के लिए डेरिवेटिव लेनदेन केवल उन्हीं काउंटरपार्टीयों के साथ किए जाते हैं जिन्हें ऋण सीमाएं अनुमोदित की गई हैं। बैंक की काउंटरपार्टी सीमा का आकलन अनेक वित्तीय मापदंड़ों जैसे नेटवर्थ, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, रेटिंग आदि को ध्यान में रखकर आंतरिक मॉडलों का उपयोग करके किया गया है। कॉरपोरेटों की डेरिवेटिव लिमिट का आकलन और संस्वीकृति नियमित मूल्यांकन के हिस्से के रूप में नियमित क्रेडिट लिमिट के साथ किया गया है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(रु. करोड़ में)

आनुमानिक तथा वर्तमान ऋण जोखिम का संवितरण	आनुमानिक	वर्तमान ऋण राशि	राशि के अंतर्गत वर्तमान ऋण पद्धति (सीईएम)
क) ब्याज दर पर विनिमय	306848.09	8063.55	11026.29
ख) क्रॉस करेंसी विनिमय	61487.87	1736.82	2612.90
ग) करेंसी ऑप्शन्स	34849.15	1709.51	5322.88
घ) विदेशी मुद्रा संविदाएं	581626.49	11507.12	28915.05
ड) करेंसी फ्यूचर्स	2400.34	4.58	48.01
च) फारवर्ड रेंट करार	245.94	0.00	0.00
छ) अन्य (कृपया प्रोडेक्ट का नाम स्पष्ट करें)	0.00	0.00	0.00
योग	**987457.88**	**23021.58**	**47925.13**
ऋण डेरिवेटिव लेनदेन		**निरंक**	

डीएफ - 11 : पूंजी के घटक

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार

(रु. करोड़ में)

बेसल - III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट का 31 मार्च 2017 से उपयोग किया जा रहा है

	साझा इक्विटी टियर I पूंजी : इन्स्ट्रुमेंट और रिज़र्व		**संदर्भ क्र. (डीएफ-12 चरण-2 के संदर्भ में)**
1	सीधे जारी की गई अहर्ता-प्राप्त पूंजी और संबंधित स्टॉक सरप्लस (शेयर प्रीमियम)	80007.93	ए1 + बी3
2	प्रतिधारित उपार्जन	124820.10	बी1 + बी2 + बी7 + बी8 + बी9 (#)
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य रिज़र्व)	18359.54	बी5 * 75% + बी6 * 45%
4	सीधे जारी की गई पूंजी जो सीईटी 1 से फेज आउट के अध्यधीन होगी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर ही लागू)		
5	अनुषंगियों द्वारा जारी साझा शेयर पूंजी और अन्य पक्षों द्वारा (राशि ग्रुप सी ई टी 1 में अनुपात)	1291.04	
6	**विनियामक समायोजनों के पूर्व साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी**	224478.61	
	साझा इक्विटी टियर 1 पूजी : विनियामक समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्य समायोजन	1130.46	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता घटाकर)	1549.99	डी
9	अमूर्त (संबंधित कर देयता घटाकर)	42.62	

(रु. करोड़ में)

बेसल - III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट का 31 मार्च 2017 से उपयोग किया जा रहा है

	साझा इक्विटी टियर I पूंजी : इन्स्ट्रुमेंट और रिज़र्व		संदर्भ क्र. (डीएफ-12 चरण-2 के संदर्भ में)
10	आस्थगित कर आस्तियां	19.55	
11	कैश फ्लो हेज रिज़र्व		
12	संभावित हानियों की तुलना में प्रावधानों के लिए रखी गई पूंजी में कमी		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ		
14	उचित मूल्य देयताओं में स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ व हानि		
15	नियत लाभ पेन्शन फंड निवल आस्तियां		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में प्रदत्त पूंजी में से पहले कम न किए गए हों तो)	14.16	
17	साझा इक्विटी में पारस्परिक प्रति-धारणाएं	337.85	
18	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं और जहाँ पात्र अधिविक्रय को घटाने के बाद जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	28.68	
19	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहरल हैं (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
20	बंधक चुकौती अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
21	अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियां(10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि संबंधित कर देयता को घटाने के बाद)		
22	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि		
23	जिसमें : वित्तीय संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़ी राशि का निवेश		
24	जिसमें : बंधक शोधन अधिकार		
25	जिसमें : अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियां		
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	1396.52	
26a	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	1340.72	
26b	जिसमें : असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	55.80	
26c	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई		
26d	जिसमें : अपरिशोधित पेन्शन निधि व्यय		
27	कटौतियां करने के लिए अपर्याप्त टियर 1 और टियर 2 के कारण साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन		
28	साझा टियर 1 इक्विटी में कुल विनियामक समायोजन	4519.83	
29	साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी)	219958.78	
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : इंस्ट्रुमेंट्स		
30	सीधे जारी किए गए अर्हता ॐख्ख्रठुख्ख्रँ अतिरिक्त टियर 1 इंस्ट्रुमेंट और संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)	25605.65	
31	जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)	0	
32	जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी ऋण इंस्ट्रुमेंट)	25605.65	
33	अतिरिक्त टियर 1 में से कम होने वाले सीधे जारी किए गे पूंजीगत इंस्ट्रुमेंट	200.00	
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 इंस्ट्रुमेंट (और सीईटी 1 लिखित जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए हैं) (राशि ग्रुप एटी1 में अनुमत)	242.07	
35	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत जो कम होने वाले हैं		

(रु. करोड़ में)

बेसल - III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट का 31 मार्च 2017 से उपयोग किया जा रहा है

	साझा इक्विटी टियर I पूंजी : इन्स्ट्रुमेंट और रिज़र्व		संदर्भ क्र. (डीएफ-12 चरण-2 के संदर्भ में)
36	**विनियामक समायोजनों के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	26047.72	
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन		
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 इंस्ट्रुमेंट में निवेश		
38	अतिरिक्त टियर 1 इंस्ट्रुमेंट में पारस्परिक प्रति-धारिताएं	10.58	
39	विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर की बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद, जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
40	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है(पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को छोड़कर)		
41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41क+41ख)	0.00	
41a	जिसमें :असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश		
41b	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की, जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया है, अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी		
42	कटौतियां करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 2 के कारण साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन		
43	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	10.58	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)	26037.14	
45	टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44)	245995.92	
	टियर 2 पूंजी: इंस्ट्रुमेंट्स और प्रावधान		
46	सीधे जारी किए गए अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर 2 इंस्ट्रुमेंट और संबंधित स्टॉक आधिक्य	24243.90	
47	सीधे जारी किए गए पूंजीगत इंस्ट्रुमेंट, जो टियर 2 से कम होने वाले हैं	6851.70	
48	टियर 2 इंस्ट्रुमेंट (और सीईटी और एटी 1 इंस्ट्रुमेंट और सीईटी 1 और एटी 1 इंस्ट्रुमेंट जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किए गए (टियर 2 समूह में अनुमत राशि)	771.21	
49	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी इंस्ट्रुमेंट जो कम होने वाले हैं		
50	प्रावधान	13289.17	
51	विनियामक समायोजनों के पूर्व टियर 2 पूंजी	45155.98	
	टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन		
52	स्वयं के टियर 2 इंस्ट्रुमेंट में निवेश	89.00	
53	टियर 2 इंस्ट्रुमेंट में पारस्परिक प्रति-धारिताएं		
54	विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर की बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद, जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
55	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है(पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को छोड़कर)		
56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (56क+56ख)	0.00	
56a	जिसमें :असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में निवेश		
56b	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की, जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया है, अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में कमी		
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	89.00	
58	टियर 2 पूंजी (टी2)	45066.98	
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)	291062.90	

(रु. करोड़ में)

बेसल - III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट का 31 मार्च 2017 से उपयोग किया जा रहा है

	साझा इक्विटी टियर I पूंजी : इन्स्ट्रुमेंट और रिज़र्व		संदर्भ क्र. (डीएफ-12 चरण-2 के संदर्भ में)
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क + 60ख + 60ग)	2188803.87	
60a	जिसमें : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	1763329.04	
60b	जिसमें : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	202440.32	
60c	जिसमें : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	223034.51	
पूंजी अनुपात और बफर्स			
61	साझा इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.05	
62	टियर 1(जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.24	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	13.30	
64	संस्था विशेक सुरक्षित पूंजी आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण तथा प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता, जोखिम भारित आस्तियों के रूप में अभिव्यक्त)	7.98	
65	जिसमें : पूंजी संरक्षण सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	1.88	
66	जिसमें : बैंक विशेष की प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0.00	
67	जिसमें : जी-एसआईबी सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0.60	
68	सुरक्षित पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपलब्ध साझा टियर 1 इक्विटी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	4.55	
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से भिन्न हो)			
69	राष्ट्रीय साझा इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	5.50	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	7.00	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी आवश्यकता अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	9.00	
कटौती के लिए प्रारंभिक सीमा से कम राशियां (जोखिम भारत के पूर्व)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी से छोटी राशि के निवेश		
73	वित्तीय संस्थाओं के साझा स्टॉक में बड़ी राशि के निवेश	966.69	
74	बंधक शोधन अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)		
75	अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता घटाकर)	3376.05	
टियर 2 में प्रावधान शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमाएं			
76	मानकीकृत पद्धति के आधार पर निकाली गई जोखिम राशियों को टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने से पहले)	13289.17	0.00
77	मानकीकृत पद्धति के आधार पर टियर 2 में प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	22041.61	0.00
78	आंतरिक श्रेणी निर्धारण पद्धति के अधीन ऋण जोखिमों को टियर 2 में शामिल करने से संबंधित पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने के पूर्व)	0.00	
79	आंतरिक श्रेणी निर्धारण पद्धति के अधीन टियर 2 के प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	0.00	
पूंजी इन्सट्रुमेंट जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन हैं (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022			
80	सीईटी 1 इंस्ट्रुमेंट्स की उच्चतम सीमा जो फेज आउट के अधीन है	0.00	
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 इंस्ट्रुमेंट्स में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)	0.00	
82	एटी 1 इंस्ट्रुमेंट्स की वर्तमान उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन है	20%	
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीम से अधिक अतिरिक्त राशि)		
84	टी 2 इंस्ट्रुमेंट्स की उच्चतम सीमा तो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन है	20%	
85	उच्चतम सीमा के कारण कारण टी 2 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीम से अधिक अतिरिक्त राशि)		

टेम्प्लेट के नोट

टेम्प्लेट का पंक्ति क्रमांक	विवरण	(₹ करोड़ में)	
10	संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां संचित हानियों के साथ	19.55	0
	आस्थगित कर आस्तियां (संचित हानियों से संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता घटाकर	3376.05	0.00
	योग जैसे पंक्ति 10 में दर्शाया गया है	19.55	0
19	यदि बीमा अनुषंगियों में निवेशों को पूंजी में से पूर्णतया नहीं घटाया गया है और इसके बजाय कटौती 10% की प्रारंभिक सीमा के अंतर्गतगणना में शामिल किया गया है,तो इस कारण बैंक की पूंजी में हुई वृद्धि	0.00	
	जिसमें: साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00	
	जिसमें: अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00	
	जिसमें: टियर 2 पूंजी में वृद्धि	0.00	
26b	यदि असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेशों को नहीं घटाया गया है और इसलिए जोखिम भारित है:	0.00	
	(i) साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00	
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	0.00	
50	टियर 2 पूंजी में शामिल प्रावधान	13289.17	0.00
	टियर 2 पूंजी में शामिल पुनर्मूल्यन रिज़र्व्स	0.00	
	पंक्ति 50 का योग	13289.17	0.00

बी 7 : आय और अन्य रिज़र्व एकीकरण एवं विकास निधि (₹ 5 करोड़ में)

डीएफ-12: पूंजी घटक-समाधान संबंधी अपेक्षाएं

As on 31.03.2020

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र	संदर्भ संख्या
		रिपोर्टिंग की तारीख को	रिपोर्टिंग की तारीख को च	
ए	**पूंजी एवं देयताएं**			
i	प्रदत्त पूंजी -	892.46	892.46	ए
	जिनमें: सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	892.46	892.46	ए1
	जिनमें: एटी 1 के लिए पात्र राशि	-	-	ए2
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	2,50,167.66	2,39,114.48	बी
	जिनमें : सांविधिक आरक्षितियां	70,882.28	70,882.24	बी1
	जिनमें : पूंजी आरक्षितियां	13,943.12	13,943.12	बी2
	जिनमें : शेअर प्रीमियम	79,115.47	79,115.47	बी3
	जिसमें से : निवेश आरक्षितियां	1,189.46	1,189.46	बी4
	जिनमें: विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षितियां	10,224.02	10,221.78	बी5
	जिनमें : पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां	23,762.67	23,762.67	बी6
	जिनमें: राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां	38,380.15	32,462.96	बी7
	जिनमें : आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 के अंतर्गत आरक्षित	14,032.23	14,032.23	बी8
	जिनमें : लाभ-हानि खाते में बकाया	(1,361.74)	(6,495.45)	बी8
	अल्प मदों पर ब्याज	**7,943.82**	**3,589.74**	
	कुल पूंजी	**2,59,003.94**	**2,43,596.68**	

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र	संदर्भ संख्या
		रिपोर्टिंग की तारीख को	रिपोर्टिंग की तारीख को	
ii	**जमाराशियां**	**32,74,160.63**	**32,74,908.94**	
	जिनमें : बैंकों में जमाराशियां	10,822.40	10,822.40	
	जिनमें : ग्राहकों की जमाराशियां	32,63,338.23	32,64,086.54	
	जिनमें : अन्य जमाराशियां (कृपया स्पष्ट करें)			
ए				
iii	**पूंजी एवं देयताएं**	**3,32,900.67**	**3,33,125.84**	
	प्रदत्त पूंजी -	34,981.75	34,981.75	
	जिनमें : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	1,55,450.79	1,55,450.79	
	जिनमें : एटी 1 के लिए पात्र राशि	83,076.30	83,301.30	
	जिनमें : अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-	
	जिनमें : पूंजीगत लिखत	59,391.83	59,392.00	
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान**	**3,31,427.10**	**1,68,145.03**	
	जिनमें : डीटीएल से प्राप्त गुडविल			
	जिनमें : अमूर्त आस्तियों से संबंधित गुडविल			
	कुल	**41,97,492.34**	**40,19,776.49**	
बी	**आस्तियां**			
i	**नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष**	**1,66,968.46**	**1,66,947.51**	
	बैंकों के पास जमाशेष एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	87,346.80	86,058.71	
ii	**निवेश**	**12,28,284.28**	**10,59,597.89**	
	जिनमें : सरकारी प्रतिभूतियां	8,93,561.36	8,32,039.33	
	जिनमें : अन्य प्रतिभूतियां	19,689.48	583.30	
	जिनमें : शेअर	42,183.28	8,250.24	
	जिनमें : डिबेंचर एवं बांड	1,74,243.37	1,34,333.27	
	जिनमें : अनुषंगिया/संयुक्त उपक्रम/सहयोगी कंपनियां	12,512.66	8,407.05	
	जिसमें से : अन्य(वाणिज्यिक पत्र, म्यूच्युअल फंड्स)	86,094.13	75,984.70	
iii	**ऋण एवं अग्रिम**	**23,74,311.18**	**23,73,945.53**	
	जिनमें : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	81,537.02	81,525.77	
	जिनमें : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	22,92,774.16	22,92,419.76	
iv	**अचल आस्तियां**	**40,078.17**	**39,325.46**	
v	**अन्य आस्तियां**	**2,98,953.46**	**2,92,351.40**	
	जिनमें : गुडविल	-	-	
	जिनमें : अमूर्त आस्तियां(एमएसआर को छोड़कर)	-	-	
	जिनमें : आस्थगित कर आस्तियां	3,500.19	3,479.12	सी
vi	**समेकन पर गुडविल**	**1,549.99**	**1,549.99**	**डी**
vii	**लाभ-हानि खाते में नामे शेष**	**-**	**-**	
	कुल आस्तियां	**41,97,492.34**	**40,19,776.49**	

	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1) : लिखत एवं आरक्षितियां	बैंक दवारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक	संदर्भ संख्या (डीफ-12 के संदर्भ में :स्टेप 2)
1	प्रत्यक्ष रूप से सामान्य शेयर(तथा गैर स्टॉक कंपनियों के समरूपी) तथा संबंधित स्टाक अधिशेष हेतु पात्र	80007.93	ए1 + बी3
2	रखी गई आय	124820.10	बी1 + बी2 + बी7 + बी8 + बी9 (#)
3	संचित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षितियां)	18359.54	बी5 * 75% + बी6 * 45%
4	प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी बशर्ते कि सीईटी 1 से चरणबद्ध रूप से हटाया जाएगा(केवल गैर-सयुंक्त स्टाक कंपनियों के लिए लागू)	0.00	0.00
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष के पास सामान्य शेयर पूंजी(सीईटी समहू 1 में दर्शाई गई राशि)	1291.04	0.00
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	224478.61	0.00
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	1130.46	0
8	गुडविल(संबंधित कर देयताओं के बाद)	1549.99	डी

ख7: आय एवं आरक्षितियों को इंटिग्रेशन एंड डेवेलोपमेंट फंड(₹5 करोड़ में) के बाद लिया गया है तथा पिछ्ले वित्तीय वर्ष के अंत में लाभ व हानि खाते में शेष

डीएफ 13 एवं 14

बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in/portal/web/corporate-governance/basel-iii-disclosures पर डीफ 13 एवं डीफ 14 का प्रकटीकरण अपलोड किया गया है।

डीएफ 16 इक्विटी : बैंकिंग बही स्थिति के संबंध में प्रकटीकरण

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार

	गुणात्मक प्रकटीकरण	
1	इक्विटी जोखिम के संदर्भ में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण में निम्नलिखित सहित	
	• ऐसी धारिताएं जिनसे पूंजीगत लाभ होने की संभावना है और संबंध एवं कार्यनीतिक कारणों सहित अन्य उद्देश्यों के अंतर्गत ली गई धारिताओं के बीच अंतर :	सहयोगी, अनुषंगी, संयुक्त उपक्रम तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में एचटीएम श्रेणी के सभी इक्विटी निवेश किए जाते हैं। ये कार्यनीतिक स्वरूप के होते है।
	• बैंकिंग बही में इक्विटी धारिता के मूल्यांकन और लेखा से संबंधित महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा। इनमें लेखा हेतु उपयोग किए गए तकनीकों तथा मूल्यांकन शामिल है, जिसमें मुख्य परिकल्पना तथा मूल्यांकन पर असर डालने वाली प्रथाओं तथा इनमें की गई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी है।	एचटीएम श्रेणी के तहत रखी गई प्रतिभूतियों की लेखाविधि तथा मूल्यांकन नीति को बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की अनुसूची 17 के पैरा सी-2 के अंतर्गत दिया गया है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

1	निवेशों के तुलन पत्र में प्रकट किए गए मूल्य तथा उन निवेशों के उचित मूल्य: कोट किए गए प्रतिभूतियों के लिए, एक तुलनात्मक दृश्य, जनता को कोट किए गए मूल्य जहां पर शेयर का भाव, उचित मूल्य से वस्तुत: भिन्न है।		762.43
2	निवेश के प्रकार एवं स्वरूप, राशि सहित जिनका निम्नानुसार वर्गीकरण किया जा सकता है : =		
	विवरण	**प्रकार**	**बही मूल्य (₹ करोड़ में)**
	सार्वजनिक रूप से कारोबार किए जानेवाले शेयर	अनुषंगियां	2518.27
	निजी रूप से धारित	सहयोगी, अनुषंगियां और संयुक्त उपक्रम	3178.70
3	संदर्भाधीन अवधि के दौरन बिक्री एवं परिसमापण से प्राप्त संचयी लाभ(हानियां)		₹ 6216.46 करोड़ (लाभ)
4	न वसूल किया गया लाभ (हानियां)13		₹ 29.11 करोड़
5	कुल अप्रकट पुनर्मूल्यन लाभ (हानियां)14		निरंक
6	टियर1 तथा/अथवा टियर 2 पूंजी में सम्मिलित उपर्युक्त अन्य कोई भी राशि		₹ 0.82 करोड़
7	बैंक की पद्धति के अनुरूप इक्विटी समहून द्वारा खंडित पूंजी, समग्र राशियां एवं उन इक्विटी निवेशों का प्रकार, जो किसी पर्यवेक्षण अंतरण अथवा विनियामक पूंजी आवश्यकताओं से संबंधित ग्रांडफादरिंग प्रावधानों के अधीन होते है।		₹ 0.04 करोड़

[13] न वसूल किया गया लाभ (हानियां) तुलन पत्र में स्वीकृत पर लाभ व हानि खाते के माध्यम से नहीं।

[14] न वसूल किया गया लाभ (हानियां) तुलन पत्र के माध्यम से या लाभ व हानि खाते के माध्यम से स्वीकृत।

डीएफ -17 : लेखा आस्तियों बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर के मापन की तुलना का सार

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार

	मद	(₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	41974923.40
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जिनका लेखांकन प्रयोजन से समेकित किया जाता है, परंतु इसे विनियामक समेकन की परिधि से बाहर किया जाता है।	-1777158.50
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के परिणाम स्वरूप तुलनपत्र में हिसाब में ली गई काल्पनिक आस्तियों के लिए समायोजन पर इन्हें लीवरजे अनुपात एक्सपोजर में शामिल नहीं किया जाता है।	0
4	डेरिवेटिव्स वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	467158.68
5	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (अर्थात रेपो एवं इसी प्रकार के प्रतिभूतिकृत ऋण) के लिए समयोजन	0
6	तुलन पत्र इतर मदों (अर्थात तुलनपत्र इतर निवेशों के ऋण के बराबर राशियों में अंतरण) के लिए समायोजन	3547430.62
7	अन्य समायोजन	-45304.25
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर (स्टेट बैंक समूह)	44167049.95

डीएफ-18 : लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार

	मद	(₹ मिलियन में)
	तुलन पत्र निवेशों पर	
1	तुलन पत्र मदें (डेरिवेटिव्स और एसएफटी को छोड़कर परंतु संपार्श्विक सहित)	40197764.90
2	(बेसल III, टियर1 की पूंजी के निर्धारण में घटाई गई राशियां)	-45304.25
3	**कुल तुलन पत्र निवेश (डेरिवेटिव्स और एसएफटी को छोड़कर) (लाइन 1 और 2 का योग)**	40152460.65
	डेरिवेटिव्स निवेश	
4	सभी डेरिवेटिव्स लेनदेनों से संबंधित रिप्लेसमेंट लागत (अर्थात पात्र नकद अंतर मार्जिन का निवल)	217141.59
5	सभी डेरिवेटिव्स लेनदेनों से संबंधित पीएफई के लिए एड-आन राशियां	250017.09
6	दिए गए डेरिवेटिव्स संपार्श्विक जहां परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुरूप तुलनपत्र आस्तियों से घटाया गया का कुल	0
7	(डेरिवेटिव्स लेनदेनों में दिए गए नकद अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों में कटौती)	0
8	(क्लाइंट क्लियर्ड ट्रेड एक्सपोजर के छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0
9	लिखित ऋण डेरिवेटिव्स की समयोजित प्रभावी काल्पनिक राशि	0
10	(लिखित ऋण डेरिवेटिव्स की समयोजित प्रभावी काल्पनिक ऑफसेट एवं एड़-ऑन कटौतीयाँ)	0
11	**कुल डेरिवेटिव्स निवेश (लाइन 4 से 10 का योग)**	467158.68
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन निवेश	
12	विक्रय लेखांकन लेनदेनों के लिए समायोजन करने के बाद सकल एसएफटी आस्तियां (निवस को हिसाब में लिए बिना)	0
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के देय नकद एवं प्रात्य नकद की निवल राशि)	0
14	एसएफटी आस्तियों के सीसीआर निवेश	0
15	एजेंट लेनदेन निवेश	0
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन निवेश(लाइन 12 से 15 का योग)**	0
	अन्य तुलनपत्र इतर निवेश	
17	सकल काल्पनिक राशि पर तुलनपत्र इतर निवेश	10390332.00
18	(ऋण बराबर राशियों में बदलने के लिए समायोजन)	-6842901.38
19	**तुलन पत्र इतर मदें (लाइन 17 से 18 का योग)**	3547430.63
	पूंजी एवं कुल जोखिम	
20	**टियर 1 पूंजी**	**2459959.02**
21	**कूल निवेश (लाइन 3,11,16 एवं19 का योग)**	**44167049.95**
	लीवरेज अनुपात	
22	बेसल III लीवरेज अनुपात (%) (स्टेट बैंक समूह)	**5.57%**

भारतीय स्टेट बैंक (स्टेंड अलोन)

टियर 1 पूंजी	2307691.55
कुल निवेश	43391167.21
लीवरेज अनुपात	
बेसल III लीवरेज अनुपात (%) एसबीआई (एकल)	5.32%

डीएफ- समूह जोखिम : समूह जोखिम के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण	
समूह की कंपनियों के संबंध में * ढ विदेश स्थित बैंकिंग कंपनियां और गैर-बैंकिंग कंपनियां	
सामान्य विवरण	
कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रथाएं	समूह की सभी कंपनियों ने कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रथाएं अपनाई हैं।
प्रकटीकरण संबंधी प्रथाएं	समूह की सभी कंपनियां प्रकटीकरण की सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाती हैं / अनुपालन करती हैं।
समूह के भीतर किए जानेवाले लेनदेन के संबंध में स्वतंत्र नीति का पालन	स्टेट बैंक समूह के भीतर किए जानेवाले सभी लेनदेन स्वतंत्र आधार पर किए गए हैं चाहे उनकी वाणिज्यिक शर्तें हों या प्रतिभूतियों के लिए प्रावधान जैसे मामले।
विपणन, ब्रांडिंग और एसबीआई के प्रतीक चिह्न का साझा उपयोग	समूह की किसी भी कंपनी ने एसबीआई के प्रतीक चिह्न का इस ढंग से कभी उपयोग नहीं किया जिससे आम लोगों में यह संदेश जाए कि साझे विपणन, ब्रांडिंग में समूह की कंपनियों को एसबीआई का अव्यक्त समर्थन है।
वित्तीय सहायता का ब्योरा, #यदि कोई हो	समूह की किसी भी कंपनी ने समूह की किसी भी अन्य कंपनी को न तो कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है / न ही प्राप्त की है ।
समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की अन्य सभी बातों का पालन	समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की सभी बातों का समूह की कंपनियों द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है।

समूह के भीतर किए गए निम्नलिखित लेनदेन मोटे तौर पर ''वित्तीय सहायताटट माने गए हैं :

(क) समूह में एक कंपनी से दूसरी कंपनी को पूंजी या आय का अनुपयुक्त अंतरण ;

(ख) समूह की इकाईयों को जिस स्वतंत्र नीति का पालन करते हुए करोबार करना होता है, उसका उल्लंघन करना ;

(ग) समूह के भीतर हर कंपनी की ऋण चुकौती क्षमता, नकदी की स्थिति और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव;

(घ) पूंजीगत अथवा अन्य नियामक अपेक्षाओं का पालन न करना ;

(ङ) 'प्रति चुकौती में चूक संबंधी शर्तोंट को लागू करना जिसके अंतर्गत किसी संबद्ध कंपनी द्वारा की गई वित्तीय या अन्य चूक को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।

* सम्मिलित कंपनियां :

बैंक - विदेश में स्थित	**गैर - बैंकिंग**
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	एसबीआई कार्डस एंड पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लि.
एसबीआई (मॉरीशस) लि.	एसबीआई डीएफ़एचआई लि .
पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई फंड्ज मैनेजमेंट प्राइवेट लि.
कमर्शियल इंडो एलएलसी, मास्को	एसबीआई जनरल इन्शुरेंस कंपनी लि.
नेपाल एसबीआई बैंक लि.	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सावाना) लि.	एसबीआई लाइफ इन्शुरेंस कंपनी लि.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (युके)	एसबीआई पेंशन फंड्ज प्राइवेट लि.
	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सेक्यूरिटीज सर्विसेस प्रा लि.

31 मार्च 2020 को ग्लोबल सिस्टेमिकली इम्पोरटेंट बैंक (G-SIBs) के निर्धारण संकेतकों से संबंधित प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट http://www.sbi.co.in पर corporate-governance के अंतर्गत अलग से प्रकट किए गए हैं।

एक ग्रीन पहल

प्रिय शेयरधारक,

कॉरपोरेट अभिशासन में ग्रीन पहल

सेबी दिशा-निर्देशों के अनुसार, हम उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक स्वरूप में वार्षिक रिपोर्ट भेज रहे हैं, जिनके ई-मेल पते हमारे पास उपलब्ध हैं।

आपका बैंक चाहता है कि इस ''ग्रीन पहल'' में आप भी बैंक के साथ सहभागिता करें, जिससे कि बैंक आपको इलेक्ट्रॉनिक ढंग से, अर्थात ई-मेल के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट व अन्य सूचनाएं भेज सके। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान होगा अपितु सूचनाएं भी शीघ्र भेजी जा सकेंगी और सूचनाएं भेजने में होने वाली देरी व नुकसान से बचा जा सकेगा। यदि आपके पास शेयर डीमैट स्वरूप में हैं, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपनी ई-मेल आईडी को अद्यतन करके इस पहल में हमारे साथ जुड़ें। कागजी स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपनी अद्यतन सूचना/परिवर्तन sbi.igr@alankit.com ई-मेल के माध्यम से रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मेसर्स अंलकित एसाइन्मेट्स लि. के पास भेज दें।

यद्यपि आप में से अधिकांश शेयरधारकों के पास अधिकांश डीमैट शेयर ही हैं, फिर भी कुछ शेयरधारकों के पास अभी भी कागजी स्वरूप वाले शेयर हैं। आपके पास रखे हुए कागजी स्वरूप वाले शेयरों को आसानी से डीमैट स्वरूप में बदला जा सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में। शेयरों को डीमैट बनाने के फायदें निम्नलिखित हैं :

- प्रतिभूतियों का तत्काल हस्तांतरण / प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर कोई स्टाम्प शुल्क नहीं
- कागजी स्वरूप में प्रतिभूतियां रखने से जुड़ी हुई जोखिमों में कमी, जैसे शेयरों का चोरी होना, आग, रख-रखाव में लापरवाही आदि के कारण शेयरों का नुकसान।
- डीपी के पास दर्ज पते में परिवर्तन करने से उन सभी कंपनियों के पास दर्ज आपके पते में इलेक्ट्रानिक ढंग से अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, जिन कंपनियों की प्रतिभूतियों में आपने निवेश कर रखा है जिससे उन प्रत्येक कंपनियों के साथ अलग से पत्र-व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- प्रतिभूतियों का प्रेषण डीपी द्वारा किया जाता है, जिससे कंपनियों के साथ पत्र-व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- इक्विटी, ऋण लिखतों और सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों को एक खाते में ही रखा जाता है।
- बोनस/विभाजन/समेकन/विलय आदि के मामले में डीमैट खाते में शेयर अपने आप जमा हो जाते हैं।

यदि आपके पास कागजी स्वरूप में शेयर हैं, तो कृपया डीमैट खाता खोलने के लिए अपनी पसंद की किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) (जैसे एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लिमिटेड से टोल फ्री नंबर 1800223345, ई-मेल helpdesk@sbicapsec.com) से संपर्क करें। डीमैट आवेदन फॉर्म (डीआरएफ) भरकर और उसके साथ संबंधित शेयर प्रमाणपत्र लगाकर उसे अपनी डीपी के पास भेज दें, जिससे आपके शेयरों को डीमैट में बदला जा सके। शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में बदल कर स्वतः ही आपके डीमैट खाते में जमा कर दिया जाएगा।

यदि आप लाभांश चेक के रूप में लाभांश प्राप्त कर रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने बैंक खाते का ब्योरा डीपी/आरटीए, जैसी भी स्थिति हो, के पास प्रस्तुत कर दें/अद्यतन करा लें जिससे लाभांश की राशि सीधे आपके खाते में जमा की जा सके।

हमें विश्वास है कि आपके बैंक द्वारा शुरू की गई इस ''ग्रीन पहल'' का आप सम्मान करेंगे और हम आशा करते हैं कि इस प्रयास में आप उत्साहपूर्वक भाग लेंगे।

शेयरधारकों का ध्यान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 38ए की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2010 में दिनांक 15.09.2010 से शामिल किया गया है। उक्त धारा के अनुसार, स्टेट बैंक द्वारा घोषित लाभांश को उसकी घोषणा की तिथि से 30 दिन के अंदर किसी शेयरधारक को प्रदत्त नहीं किया गया हो, या जिसके लिए पात्र शेयरधारक द्वारा दावा नहीं किया गया हो, "अप्रदत्त लाभांश खाता" नामक एक विशेष खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संशोधन के पूर्व की अवधि की सभी अप्रदत्त लाभांश राशि को उक्त "अप्रदत्त लाभांश खाते" में पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया है। स्टेट बैंक के अप्रदत्त लाभांश खाते में यथा उपर्युक्त ट्रांसफर की गई कोई भी राशि ट्रांसफर की तिथि से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावाकृत रहती है, तो उसे बैंक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत स्थापित "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और बाद में उसका उपयोग उक्त धारा में विनिर्दिष्ट किए गए ढंग एवं प्रयोजन के लिए किया जाएगा। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी शेयरधारकों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें देय होने वाले लाभांश का उन्होंने तुरंत दावा कर लिया है।

शेयरधारक (कों) के उपयोग के लिए

मेसर्स अंलकित एसाइन्मेट्स लि.
यूनिट:भारतीय स्टेट बैंक
अलंकित हाइटस, 205-208, अनार्कली कांप्लेक्स,
ई/7, झंडेवाला एक्सटेंशन,
नई दिल्ली- 110 055

टेलिफोन नं. 011 - 4254 1234 / 7290071335

निवेशक द्वारा क्रेडिट क्लियरिंग व्यवस्था के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में भुगतान प्राप्त करने का विकल्प देने के लिए

1. निवेशक का नाम (i) _____
   (ii) _____
   (iii) _____
2. वर्तमान पता _____
   _____
   _____
   पिन: _____
   टेलि.नं. और मोबाइल नं _____
   (भविष्य में पत्राचार और ई-वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए)
3. फोलियो नं _____ (केवल कागजी स्वरूप वाले शेयरों के मामले में)
4. पीएफ सूचकांक: _____
   (केवल एसबीआई के उन कर्मचारियों द्वारा भरे जाने के लिए जिनके पास एसबीआई के शेयर हैं)
5. बैंक खाते का ब्योरा
   क. बैंक का नाम: _____
   ख. शाखा का नाम: _____
   (पूरा पता)
   _____
   पिन: _____
   ग. बैंक शाखा का 9 अंकों का एमआईसीआर कोड
   ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
   (जैसे बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक में दिया गया है)
   घ. खाते का प्रकार:.....
   (बचत बैंक खाता (कोड 10) या चालू खाता (कोड 11) या कैश क्रेडिट (कोड 13)
   ङ. खाता सं. (जैसे चेकबुक में दी गई। कृपया एक कोरा "रद्द" चेक या उसकी फोटो प्रति संलग्न करें)
   ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दिया गया ब्योरा ठीक और पूरा है। यदि अपूर्ण या गलत जानकारी के कारण लेनदेन में विलंब होता है या यह पूरा नहीं हो पाता है तो भारतीय स्टेट बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

स्थान:

दिनांक: (प्रथम धारक के हस्ताक्षर)

द्रष्टव्य:

1. इलेक्ट्रॉनिक (डीमैट) में शेयरधारिता वाले शेयरधारक (कों) से अनुरोध है कि वे ऊपर दिया गया समस्त ब्योरा अपने डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी के साथ अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को सूचित कर दे (दें)।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कागज रूप में धारित शेयरों को डीमैट खाते में लाने के लिए विकल्प दें।
3. शेयरधारकों/बांडधारकों से अनुरोध है कि वे नामांकन सुविधा का लाभ उठाएँ।
4. नामांकन फॉर्म बैंक की वेबसाइट पर इन्वेस्टर रिलेशन्स/शेयरधारक सूचना नामांकन फॉर्म लिंक के अंतर्गत अपलब्ध है।
5. नवीनतम जानकारी के लिए www.sbi.co.in इन्वेस्टर रिलेशन्स/शेयरधारक सूचना देखें।

सभी एसबीआई शेयरधारकों से अपील

भौतिक रूप में एसबीआई के इक्विटी शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित विवरण अद्यतन करें और इसे हमारे आरटीए को पंजीकृत / स्पीड पोस्ट से प्रस्तुत करें -

मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (AAL), अलंकित हाइट्स, 3 ई / 7, झंडेवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055,
फोन -7290071335, e-mail-sbi.igr@alankit.com

मैं/ हम एएएल, एसबीआई के आरटीए से अनुरोध करते हैं कि मेरे/ हमारे शेयर फोलियो नं. में निम्नलिखित विवरण अद्यतन करें।								
सामान्य जानकारी:								
पहले धारक का नाम: *								
संयुक्त 1								
संयुक्त 2								
पिन कोड नंबर के साथ पता: *								
फोलियो नंबर *								
	पहला धारक		संयुक्त 1		संयुक्त 2			
पिता/पति अभिभावक का नाम								
आयकर पैन *								
आधार नं.								
मोबाईल नं.*								
ई-मेल आईडी *								
जन्म तिथि * (दिनांक / माह / वर्ष)								
पी.एफ सूचकांक नं (केवल स्टाफ								
प्रथम धारक का बैंक विवरण / पेनशन वाले शेयर धारक								
बैंक का नाम: *								
बैंक शाखा का पता:								
खाता संख्या * (जैसा चेक में प्रदर्शित है):								
बैंक खाते का प्रकार (बचत/चालू/ एनआरई / एनआरओ): * - बाक्स में (√) करें	बचत		चालू		एनआरई		एनआरओ	
आईएफएससी IFSC (11 अंक): *								
एमआइसीआर MICR (9 अंक) (जैसा चेक में प्रदर्शित है): *								

बैंक विवरण के सत्यापन के लिए पैन, आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रति और कैंसिल किया गया चेक (वर्तमान में सक्रिय खाते का) बैंक द्वारा सत्यापित पासबुक के प्रथम पृष्ठ पर प्रथम धारक के नाम के साथ संलग्न है।

* अनिवार्य क्षेत्र (नोट: सभी संलग्नक अनिवार्य हैं)

मैं / हम इसके द्वारा घोषित करते हैं कि यहाँ दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं।

हस्ताक्षर:

----------	----------	----------
प्रथम धारक	द्वितीय धारक	तृतीय धारक

दिनांक:

स्थान :

नोट: भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखा जाना शरारती तत्वों द्वारा दुरुपयोग, चोरी, नष्ट होना, खो जाने के जोखिम से भरा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है की प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के अनुरोधों को तब तक संसादिख नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रितभूतियों को दिनांक 01.04.2019 से डिपोजिटरी के पास डिमेट फॉर्म में नही रखा जाता। हमारा ई-मेल आईडी: investor.complaints@sbi.co.in है।

डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने संपूर्ण विवरण को अर्थात केवाईसी खाता संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि को अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के यहां अद्यतन करें यदि हाल ही में ऐसा न किया गया हो तो। इससे हम आपकी बेहतर सेवा कर सकेंगे।

वार्षिक महासभा के स्थल तक पहुँचने का मार्ग

स्थल : ठएसबीआई सभागारड, स्टेट बैंक भवन,
मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट,
मुंबई-400021 (महाराष्ट्र)
चर्चगेट स्टेशन से दूरी : 0.95 किलो मीटर
छत्रपति शिवाजी स्टेशन से दूरी : 2.20 किलो मीटर

Welcome to experience more than most in lifestyle & banking, dono.

We are delighted to welcome you to the yono family.
Get ready for a delightful experience that
fulfils all your lifestyle & banking needs.

yono SBI

Lifestyle & banking, dono.

sbiyono.sbi

Cardless Cash Withdrawal | Bill Payments | Investments | Insurance Policies
Credit Card | Pre-approved Loans | Exclusive Offers | Many More

स्टेट बैंक भवन, कॉरपोरेट केन्द्र, मादाम कामा रोड, मुम्बई
महाराष्ट्र - 400 021, भारत